चतुर्दश माला, खंड 22, अंक 20

बुधवार, 23 अगस्त, 2006
1 भाद्रपद, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB 025
Block 'G'
Acc No ....61.....
Dated.....3 Jan 2008...

(खंड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 20, बुधवार, 23 अगस्त, 2006/1 भाद्रपद 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 386	13-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 387 से 390 और 392 से 405	26-62
(*तारांकित प्रश्न संख्या 391 को अगले सत्र तक स्थगित किया गया)	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3017 से 3246	62-550
सभा पटल पर रखे गए पत्र ...	552-566
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक	567, 697, 781
लोक लेखा समिति	
इकत्तीसवां और बत्तीसवां प्रतिवेदन	568
याचिका समिति	
सोलहवें से उन्नीसवां प्रतिवेदन	568
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में क्रमशः डाक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और दूरसंचार विभाग से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 20वें, 22वें और 28वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
डा. शकील अहमद	569
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
विभिन्न श्रम कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	569-599
श्री गुरूदास दासगुप्त	570, 587-592
श्री चन्द्रशेखर साहू	571-587, 597-599

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री अमिताभ नन्दी	592-593
श्री बसुदेव आचार्य	593-595
श्री सुनील खां	595
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	596-597
कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	599-600
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) कर्नाटक में अभूतपूर्व बाढ़ और सूखे के कारण राज्य को वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में	600-605
(दो) उत्तर बंगाल के विकास के बारे में	618-621
(तीन) वन भूमि पर आदिवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए विधान लाए जाने की आवश्यकता के बारे में	621-622
नियम 377 के अधीन मामले	630-642
(एक) श्री सिद्धगंगा मठ, तुमकुर, कर्नाटक के मठाधीश डा. शिव कुमार स्वामी जी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	630
(दो) रेल बजट (2006-2007) में यथाप्रस्तावित भुज-बरेली एक्सप्रेस को शीघ्र शुरू करने तथा राजस्थान में राजगढ़ स्टेशन पर ठहराव बहाल किए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	631
(तीन) आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के लिए और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बाडिगा रामकृष्णा	631-632
(चार) बनासकांठा, गुजरात तथा देश के अन्य भागों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	632
(पांच) हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती प्रतिभा सिंह	633
(छह) जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में "मधवालिया गौसदन" को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पंकज चौधरी	633-634
(सात) विदर्भ, महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता	
श्री हंसराज जी. अहीर	634

विषय		कॉलम
(आठ)	संविधान में निहित सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करके व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने की आवश्यकता	
	डा. सत्यनारायण जटिया	634-635
(नौ)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिन्दू देवताओं के विरुद्ध प्रयुक्त आपत्तिजनक वाक्यांशों को हटाए जाने की आवश्यकता	
	श्री गणेश सिंह	635-636
(दस)	सारंगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री गुहाराम अजगल्ल	636
(ग्यारह)	केरल में कालीकट विमानपत्तन में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री टी.के. हमजा	636
(बारह)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को चौड़ा करने की परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती पी. सतीदेवी	636-637
(तेरह)	खंजरपुर तथा भंगारी के निवासियों की आवाजाही पर सेना द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उनके सामने आ रही समस्याओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेन्द्र कुमार	637
(चौदह)	बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन की आवश्यकता	
	श्री गिरिधारी यादव	637-638
(पन्द्रह)	बारांबकी रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों के पर्यावरण के संरक्षण के लिए बारांबकी रेलवे स्टेशन पर कोयले की उतराई रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री कमला प्रसाद रावत	638
(सोलह)	महाराष्ट्र में नांदेड़ और पुणे के बीच प्रतिदिन रेल चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	638-639
(सत्रह)	स्थानीय चैकों को दो कार्यदिवसों तथा बाह्य चैकों को चार से छह कार्यदिवसों के अंदर समाशोधन करने के लिए मानदंड बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	639-640
(अठारह)	आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता	
	श्री के. सुब्बारायण	640
(उन्नीस)	पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में दुर्गादौनी ज्वारीय विद्युत संयंत्र चालू किए जाने तथा सौर ऊर्जा केन्द्र के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सनत कुमार मंडल	640-641

विषय	कॉलम
(बीस) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 20% आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	641-642
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005	642-657
खण्ड 2 से 19 और 1	642-656
पारित करने के लिए प्रस्ताव	656
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2006	657-697
विचार करने के लिए प्रस्ताव	657
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	657, 681-692
श्री गुरूदास दासगुप्त	658-661
श्री बसुदेव आचार्य	661-662
श्री मोहन सिंह	662-663
कुमारी ममता बैनर्जी	663-672
श्री राम कृपाल यादव	672-674
श्री ब्रजेश पाठक	674-675
श्री प्रसन्न आचार्य	675-677
श्री प्रभुनाथ सिंह	677-678
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा	678-679
श्री सनत कुमार मंडल	679
श्री वरकला राधाकृष्णन	680-681
खंड 2 से 9 और 1	693-696
पारित करने के लिए प्रस्ताव	697
मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006	697-705
विचार करने के लिए प्रस्ताव	698
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	698-700
श्री बिक्रम केशरी देव	700-704
श्री अधीर चौधरी	704-705
नियम 193 के अधीन चर्चा	
भारत-अमरीका नाभिकीय समझौता	706-765
श्री बसुदेव आचार्य	706-714

विषय		कॉलम
	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी	714-722
	श्री आनंद शर्मा	723-734
	श्री मोहन सिंह	734-737
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	737-740
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	740-742
	श्री भर्तृहरि महताब	742-746
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	746-748
	श्री विजेयन्द्र पाल सिंह	748-751
	डा. मनमोहन सिंह	751-765
अनुबंध-I		
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		795-796
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		796-804
अनुबंध-II		
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		805-806
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		805-808

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 23 अगस्त, 2006/1 भाद्रपद, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

(इस समय श्री ए. नरेन्द्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इस मुद्दे को दोपहर 12 बजे उठाने की अनुमति दूंगा, और आपके माध्यम से मैं श्री के. चन्द्रशेखर राव से अनशन समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देता हूं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप 12 बजे बोलेंगे, तो सब रिकार्ड में जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: 12 बजे बोलने के लिए आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके मुद्दे को कम करके नहीं आंक रहा हूं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। प्रश्न काल के बाद सबसे पहले आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आपकी भावनाओं के विरुद्ध नहीं हूं। मैं आपको दोपहर 12 बजे बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नरेन्द्र जी मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपना मुद्दा 12 बजे उठाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीटों पर जाइए। आप जो बोलना चाहते हैं, वह अपनी सीट से बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उससे आपको सहायता नहीं मिलेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आपको अभी अनुमति दूंगा। मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम भी आपकी बात सुनना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उनको बोलने का अवसर दे रहा हूं। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, मुझे प्रश्न काल प्रारंभ करना होगा। मैं विभिन्न दलों के माननीय नेताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि सभा समुचित ढंग से चले। मैं आपकी बात सुनने जा रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात यहां से रिकार्ड नहीं हो रही है। आप अपनी सीटों पर जाइए और वहां से बोलिए।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। मैं आपको पूरा अवसर देना चाहता हूं। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं? कृपया आप अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। वहां से आपकी बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेहरबानी करके अपनी सीटों पर जाइए। स्लोगन मत दीजिए। जो बात कहनी है, अपनी सीट पर जाकर कहें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेन्द्र, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आपकी बात सुनुंगा। कृपया आप अपनी सीटों पर जाइए। मैं अभी आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात यहां से रिकॉर्ड नहीं होगी।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

(इस समय श्री ए. नरेन्द्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों का क्या मैटर है, मैं सुनना चाहता हूं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण विषय है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी सदस्यों से अपील कर रहा हूं। अब आप कैसे बोल

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सकते हैं? क्या आप 50 मिनट और प्रतीक्षा नहीं कर सकते?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं भाजपा के माननीय उप नेता से नियंत्रित करने का अनुरोध करता हूं। क्या मुद्दा उठाने का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या उनके पास नोटिस देने का टाइम नहीं है? नोटिस देने के बाद, मैं उन्हें बोलने के लिए एलाऊ करूंगा।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(इस समय श्री ए. नरेन्द्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या बात है? मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी सीटों पर जाइए। इससे आपका काम नहीं बनेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीटों पर जाकर बोलिए। वहां से अभी आपकी बात रिकार्ड में आ जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी यहां से आपकी बात सुन नहीं सकता हूं। आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। मैं आपको अभी बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, दो मंत्रियों ने कल त्याग-पत्र दे दिया है, और सभा को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। सभा का सत्र चल रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया आप अपनी सीटों पर वापस जाइये। मैं आपकी बात अभी सुनना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन पहले आप अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात अभी सुनना चाहता हूं। कृपया आप अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): जब कोई मंत्री त्याग-पत्र देता है, तो उसे वक्तव्य देने का अधिकार होता है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि मैं अभी उनकी बात सुनूंगा, लेकिन सभा के बीच से नहीं उन्हें अपनी सीट पर जाने दीजिए, मैं उनकी बात सुनूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप धोखा देने की बात छोड़िये, हम उन्हें बोलने का मौका दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात अभी भी सुनना चाहता हूं। आप अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये। जब तक आप अपने-अपने स्थान पर वापस नहीं जाते, मैं आपको इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा में सभी दलों से अपील कर रहा हूं। मैं यहां अपने मित्रों से अपील कर रहा हूं कि यद्यपि यह सही समय नहीं है, फिर भी मैं अभी उनकी बात सुनूंगा। मैं अभी भी उनकी बात सुनना चाहता हूं। आप किसी स्थान पर चले जाइए, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उस बीमारी को रोकना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपको बोलने का मौका देंगे, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। हम आपको बोलने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। यह बड़े मजाक की बात है। हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभा की कार्यवाही में बाधा डालना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। आप वहां जाकर बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यद्यपि, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं फिर भी आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप इन्हें समझाइये, हम क्या करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या दो मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है? क्या वे अभी भी मंत्री पद पर आसीन हैं अथवा नहीं? *...(व्यवधान)* क्या कोई मंत्री सभा के बीचो-बीच खड़ा हुआ है? प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित हैं तथा उन्हें सभा को जानकारी देनी चाहिए। क्या कोई मंत्री सभा के बीचो-बीच आ सकता है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूं। मैं इस मुद्दे को वापस लेने के लिए उनसे पहले ही अनुरोध कर चुका हूं। इससे अधिक मैं और क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपको सुनना चाहते हैं, आप वहां जाइए और अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस तरीके से हाउस कैसे चलेगा?

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

इस तरह कैसे चलेगा?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पूरा विश्व यह देखे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा में न्यूनतम अनुशासन भी नहीं है। मैं इसमें भागीदार नहीं बनूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब तक वे यहां मौजूद है तब तक कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर जाइए। यद्यपि, यह उचित समय नहीं है, फिर भी मैं इस समय आपकी बात सुनूंगा। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

[हिन्दी]

आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दोपहर 12 बजे बोलने की अनुमति दूंगा। आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस समय बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

आप अपनी सीट पर जाकर बोलेंगे तो आपकी बात रिकार्ड होगी। आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। मेहरबानी करके आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। हम आपकी बात को सुनेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं। मैं आपसे अपनी सीट पर जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे एक मिनट का समय दे सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह बात कही है। मैं आपसे तथा अन्य सदस्यों से पहले ही यह अनुरोध कर चुका हूं कि माननीय सदस्य जो कि दुर्भाग्यवश किसी अनशन पर है, उन्हें अपनी बात जारी नहीं रखनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा आप जो कहना चाहते हैं मैं उसे सुनूंगा। मैंने कहा था कि मैं आपको 12 बजे बोलने की अनुमति दूंगा। आप दोपहर 12 बजे बोलने के लिए तैयार थे। अब आपने अपना विचार बदल लिया है। फिर भी, आपकी अत्यधिक भावनाओं को देखते हुए मैं अब आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपनी सीट पर जाइए और अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

आप जानते हैं कि यहां से नहीं बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं बार-बार आपसे अपने सीट पर जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल आरंभ करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी सीट पर जाकर वहां से बोलिए। हम अभी आपको बुलाएंगे। आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए, तब आपकी बात रिकार्ड पर आएगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की चिंता है। आपको इस मुद्दे की चिंता नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

वहां जाकर अपनी सीट से बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल सकते हैं?

[हिन्दी]

ठीक है होल डे चलाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नाराज मत होइये। आपके गुस्से का मुझ पर कोई असर नहीं होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके भावावेग का मुझ पर कोई असर नहीं होगा।

[हिन्दी]

चलिए, मैं देखता हूं कि आप कितना बोलते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं विभिन्न दलों के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा की कार्यवाही स्थगित नहीं करूंगा। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी दल इस बात का निर्णय करें कि क्या इस तरह से प्रश्न काल में व्यवधान पैदा किया जाना चाहिए। हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्न काल की कार्यवाही में इस प्रकार का व्यवधान पैदा किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पर्याप्त अवसर दिए हैं। मैं आपसे पुन: अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर जाकर बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा। यह आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए। आप 'शून्य काल' तक प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अध्यक्षपीठ को धमकी देना चाहते है? क्या एक जिम्मेदार सदस्य का आचरण इस प्रकार होना चाहिए? इस प्रकार व्यवधान पैदा करके आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कृपया जिम्मेदाराना आचरण करें। अब हम प्रश्न काल आरंभ करें।

अध्यक्ष महोदय: श्री परसुराम माझी, प्रश्न संख्या 386

पूर्वाह्न 11.25 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों/उपरि पुलों की मरम्मत

***386. श्री परसुराम माझी:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण पुलों/उपरि पुलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पुलों की मरम्मत कर उन्हें पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) इस समय अभिनिर्धारित पुराने/क्षतिग्रस्त पुलों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि पुराने पुल क्षतिग्रस्त हों।

(ग) पुलों/उपरि पुलों की मरम्मत/पुनरुद्धार एक सतत् प्रक्रिया है। यातायात के आवागमन को बनाए रखने के लिए पुलों की मरम्मत, डायवर्जनों के निर्माण जैसे अस्थायी उपाय तात्कालिक आधार पर किए जाते हैं। गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना खंडों में पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण जैसे दीर्घकालीन उपाय वार्षिक योजनाओं में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पैकेजों में किसी भी खंड के सभी क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत/पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण के कार्य शामिल होते हैं।

अनुबंध

पुराने और क्षतिग्रस्त पुलों/उपरि पुलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार-राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	पुलों/उपरि पुलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	17
		7	17
		16	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	12
		52ए	5
3.	असम	31	73
		31बी	1
		38	1
		39	1
		61	1
		31सी	2
		36	3
		37	10
		52	13
		53	7
		152	6
		153	1

1	2	3	4
		154	22
		54	58
4.	बिहार	19	4
		2	8
		28	35
		57	127
		31	24
		28बी	14
		30	4
		30ए	6
		31	3
		77	18
		80	42
		81	4
		82	11
		83	14
		84	1
		85	6
		98	22
		99	2
		101	10
		102	14
		103	33
		104	92
		105	21
		106	12
		107	12
		110	22
5.	चंडीगढ़	21	0
6.	छत्तीसगढ़	6	7
		43	13
		16	53
		200	24
		216	5
		217	3
		78	65
		12ए	21
		221	17
		202	11
7.	दिल्ली	10	0
		24	0
8.	गुजरात	8ए	8
		8बी	2
		8डी	5
		8ई	7
		8ई-विस्तार	8
		15	12
		8ए-विस्तार	1
		6	12
9.	गोवा	17	8
		4ए	1
		17ए	3
		17बी	1
10.	हरियाणा	21ए	0
		22	4

1	2	3	4
		71बी	1
		71	6
		71ए	2
		72	3
		10	3
		73	4
		65	3
11.	हिमाचल प्रदेश	20	38
		21	16
		21ए	9
		22	12
		70	20
		72	5
		88	30
12.	जम्मू-कश्मीर	1-ए	1
		1-बी	14
		1-सी	0
		1-डी	4
13.	झारखंड	2	12
		6	2
		23	43
		31	3
		32	11
		33	55
		75	29
		78	2
		80	16
		98	2
		99	10
		10	22
14.	कर्नाटक	4	42
		4ए	1
		9	1
		13	20
		17	29
		48	5
		63	23
		67 विस्तार	12
		206	6
		207	1
		209	7
		212	10
		218	4
15.	केरल	17	10
		47	5
		49	5
		208	6
		212	1
		213	3
		220	1
16.	मध्य प्रदेश	3	26
		7	3
		12	5
		12ए	10
		25	2
		26	37

1	2	3	4
		75	2
		59	2
		59ए	1
		69	3
		75 विस्तार	1
		78	14
		86	10
		86 विस्तार	3
		92	1
17.	महाराष्ट्र	3	66
		6	34
		4	11
		7	32
		9	0
		13	0
		16	6
		17	5
		50	0
		69	3
		204	0
		211	11
		222	13
18.	मणिपुर	53	26
		39	7
		150	2
19.	मेघालय	62	6
		40	6
		44	4
		51	36
20.	मिजोरम	54	3
		54 बी	4
21.	नागालैण्ड	150	9
		61	1
		39	16
		155	7
22.	उड़ीसा	5	88
		6	8
		42	4
		43	10
		60	1
		200	19
		201	46
		203	2
		215	17
		217	34
		224	16
23.	पांडिचेरी	45ए	2
24.	पंजाब	1	15
		1ए	1
		10	1
		15	8
		20	1
		21	8
		22	8
		64	5

1	2	3	4
		64ए	0
		70	5
		71	7
		95	8
25.	राजस्थान	3	1
		8	0
		11	36
		76	14
		14	0
		65	0
		15	0
26.	सिक्किम	0	0
27.	तमिलनाडु	4	14
		7	14
		45	12
		45बी	38
		46	47
		45ए	12
		47	1
		47बी	7
		49	2
		66	3
		67	28
		68	1
		208	27
		209	13
		210	2
		219	4
		220	2
28.	त्रिपुरा	1-बी-सी रा.रा.-44	1
		ए-एस रा.रा.-44	16
29.	उत्तरांचल	58	7
		72	1
		72ए	0
		73	0
		74	3
		87	0
		87 विस्तार	0
		94	0
		108	9
		109	2
		119	0
		121	0
		123	0
		125	4
30.	उत्तर प्रदेश	2	2
		28	78
		25 और 2	1
		25	11
		26	11
		7	1
		11	0
		19	0
		24	14

1	2	3	4
		27	0
		29	4
		56	3
		58	5
		58ई	1
		73	1
		74	9
		75	2
		76	40
		86	0
		87	1
		91	11
		92	2
		93	4
		96	1
		97	1
		28ए	0
		72ए	4
		91ए	1
		76ई	1
		119	1
		28बी	2
31.	पश्चिम बंगाल	6	10
		2	1
		31	47
		31सी	20
		32	3
		35	3
		55	0
		60	11
		60ए	1
		81	0
		80	0
		117	3
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	बी आर ओ को राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं सौंपा गया है	
33.	दादरा और नगर हवेली	कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं	
34.	दमन और दीव	कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं	
35.	लक्षद्वीप	कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं	

श्री परसुराम माझी: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में पुल खस्ता हालत में हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन पुलों की मरम्मत तथा उनके पुनरूद्धार के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, भारतीय उपमहाद्वीप में 33.14 लाख कि.मी. सड़कों का जाल फैला हुआ है। यह संपूर्ण विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। हमारे पास 219 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जोकि 66,590 कि.मी. सड़क नेटवर्क का हिस्सा हैं...*(व्यवधान)*। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध है, संपूर्ण 66,590 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग में 14,969 पुल हैं जिनमें से 3,047 पुल खस्ता हालत में है। इन पुलों की यथाशीघ्र मरम्मत की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

जहां तक राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलों की मरम्मत का संबंध है, 1702 पुलों का मरम्मत कार्य उनके क्षेत्राधिकार में आता है तथा 202 पुल बीआरओ के अंतर्गत आते है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हम 1,143 पुलों का मरम्मत कार्य करने जा रहे है। कुल

मिलाकर 2007-2008 के पश्चात 3,047 पुलों का मरम्मत कार्य किया जाएगा मैंने भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को शीघ्रतापूर्वक इस मामले पर कार्यवाही करने की सलाह दी है। जैसे ही हमें डीपीआर प्राप्त होगा हम परियोजनाओं के कार्य को एक चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री परसुराम माझी: महोदय, भारी वर्षा के कारण, उड़ीसा विशेष रूप से केबीके जिलों में बड़ी संख्या में पुलों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। इन सड़कों तथा पुलों की शीघ्रतापूर्वक मरम्मत करने तथा पुनरूद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके लिए निधियों का क्या प्रावधान किया गया है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपकी बात सुनेंगे। हम अभी आप की बात सुनेंगे। हम क्या करें, बताइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, माननीय सदस्य ने उड़ीसा के सड़क नेटवर्क के बारे में पूछा है। जहां तक बाढ़ क्षति नियंत्रण के संबंध में प्रावधान का संबंध है, हमने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तथा इन 50 करोड़ रुपयों में से यथासंभव राज्यों में मरम्मत कार्य के लिए वितरित कर रहे हैं। जहां तक उड़ीसा का संबंध है, यदि किसी विशिष्ट सड़क परियोजना का प्रश्न है, ऐसी कोई भी सड़क परियोजना है जहां मरम्मत कार्य किया जाना है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार डीपीआर भेज सकती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि मैं केवल अपनी वेदना ही व्यक्त कर सकता हूं। यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात है। मैं सदस्यों के विचार सुनना चाहता हूं। वे मेरे अनुरोध का पालन नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

हम हाथ जोड़कर बोले हैं। उसे भी ये नहीं सुनते है?

[अनुवाद]

क्या चार माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही रोक सकते हैं? मैं सभा में सभी दलों से यह अपील करता हूं कि वह यह निर्णय ले कि क्या सदन इसी प्रकार चलेगा, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इस देश में हम लोकतंत्र चलाने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। लोगों को भी इसका निर्णय करने दीजिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

श्रमिकों को विदेश भेजना

*387. **श्री काशीराम राणा:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुशल एवं अर्ध-कुशल श्रमिकों को विदेश भेजने का कार्य कर रही पंजीकृत भर्ती एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विदेशों में, विशेषकर खाड़ी देशों में इन श्रमिकों का कथित शोषण होने/उनके साथ भेदभाव की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या कई देशों ने अपने कार्यों के लिए भारतीय श्रमिकों को बुलाने में रुचि दिखाई है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली वर्तमान नीति क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों अर्थात् सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ मृतकों के शवों को समय पर लाने, सामान्य कल्याण आदि का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (छ) इस समय विदेशों में रोजगार के लिए कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की भर्ती में लगे वैध

पंजीकरण धारक 1,515 भर्ती एजेंट हैं। इन एजेंटों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजना निर्यातकों और विदेशी नियोक्ताओं द्वारा उत्प्रवास महासंरक्षी से उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करके सीधे ही भर्ती भी की जा सकती है।

भारत में कुछ पंजीकृत/अपंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा और विदेशों में कुछ विदेशी नियोक्ताओं द्वारा भारतीय श्रमिकों के साथ कथित धोखेबाजी और शोषण की समय-समय पर अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं। वर्ष 2006 में (1.8.2006 तक), पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध 65 शिकायतें, अपंजीकृत एजेंटों के विरुद्ध 61 शिकायतें और विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ऐसी शिकायतें आम तौर पर निम्नलिखित से संबंधित होती हैं

* वेतन का भुगतान न करना/कम करना/देरी से करना
* आश्वासित कार्य पर न लगाना
* कार्य की प्रतिकूल परिस्थितियां
* उचित चिकित्सा सुविधाओं का न दिया जाना
* रहन-सहन की खराब परिस्थितियां, आदि।

हालांकि, कोई पुख्ता आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिक अनुमानत: लगभग 4–5 मिलियन हैं। 2005 के दौरान उत्प्रवास स्वीकृति लेकर लगभग 5.49 लाख श्रमिक विदेश गये। विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों की संख्या की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या बहुत कम है।

जब कभी किसी पंजीकृत भर्ती एजेंट के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित भर्ती एजेंट को एक निश्चित समय में शिकायत दूर करने का निदेश दिया जाता है। यदि वह ऐसा कर पाने में असफल रहता है तो उसके पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित/रद्द करने के लिए कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों में, जहां शिकायत के स्वरूप को देखते हुए, पंजीकृत भर्ती एजेंट के आचरण पर निगरानी रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें आंतरिक निगरानी सूची में रखा जाता है।

अवैध/अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, उनके मामलों को संबंधित राज्य सरकारों के पुलिस अधिकारियों के सुपुर्द कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

विदेशी नियोक्ताओं, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, संबंधित भारतीय मिशन की सिफारिश पर, उनके नाम "पूर्व अनुमोदन श्रेणी" सूची में डालकर, उन्हें काली सूची में रखा जाता है। उसके पश्चात, उन पर भारत से और श्रमिकों की भर्ती करने पर रोक लगा दी जाती है।

वर्ष 2006 में (1.8.2006 तक), अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध 61 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन्हें राज्य पुलिस प्राधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है। पुलिस ने 14 मामलों में प्राथमिक जांच रिपोर्ट दायर की है। वर्ष 2006 में (1.8.2006 तक), 65 पंजीकृत भर्ती एजेंटों को कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं। 25 पंजीकृत भर्ती एजेंटों के प्रमाण-पत्र निलम्बित कर दिये गये हैं और 11 के प्रमाण-पत्र रद्द कर दिये गये हैं। विदेशों में भारतीय श्रमिकों की, उनकी गंभीरता, कड़ी मेहनत और हस्तक्षेप न करने के लिए, प्रशंसा की जाती है। परिणामस्वरूप, आम तौर पर विदेशी नियोक्ताओं द्वारा भारतीय श्रमिकों को वरीयता दी जाती है। सरकार की यह नीति है कि भारतीय श्रमिकों के विदेशों में मानवोचित और सही उत्प्रवास को कारगर बनाया जाए।

विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 15.11.2003 से भर्ती एजेंटों के लिए सभी रोजगार दस्तावेज, अर्थात मांगपत्र, पावर ऑफ अर्टोनी और रोजगार संविदा की मूल प्रति प्रस्तुत करने को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों की असुरक्षित श्रेणियों अर्थात अकुशल श्रमिक और आया/घरेलू नौकरों के संबंध में, रोजगार के इन दस्तावेजों को संबंधित भारतीय मिशनों से सत्यापित कराना होता है।

इसके अतिरिक्त, हमारे मिशन, भारतीय समुदाय कल्याण की एसोसिएशनों और समुदाय के अन्य समर्थक समूहों की सहायता से भारतीय श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए कानूनी सहायता/परामर्श प्रदान कर रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में स्थानीय प्रशासन प्राधिकारियों और भारतीय मिशनों के अधिकारियों को शामिल करके एक संयुक्त परामर्शी तंत्र भी है जो कि उन देशों में भारतीय श्रमिकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों की देखरेख कर रहा है।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2006 नामक एक संशोधित और व्यापक बीमा योजना 1.2.2006 से लागू की गई है जिसमें यह अनिवार्य है कि प्रत्येक उत्प्रवास श्रमिक को योजना के अंतर्गत बीमा कवर मिलेगा। यह योजना अन्य बातों के अलावा, श्रमिकों को जीवन बीमा, चिकित्सा खर्च, और कानूनी खर्च को कवर करती है। मृतक कामगारों के पार्थिव शरीर को लाने का प्रबंध भारतीय मिशनों की मार्फत किया जाता है। रोजगार संविदा के अंतर्गत किसी श्रमिक की मृत्यु के मामले में उसके पार्थिव शरीर को भेजने का प्रबंध करने के लिए नियोक्ता बाध्य है।

मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और अन्य औद्योगिक निकायों के सहयोग से कौशल उन्नतीकरण कार्यक्रम चालया जा रहा है ताकि प्रवासी भारतीय श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें और एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में यह कार्यक्रम उनकी मजदूरी बढ़ाने में सहायक हो सके।

इसके अतिरिक्त, विदेशों में भारतीय श्रमिकों के संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में व्यापक संशोधन करने का एक प्रस्ताव पहले ही विचाराधीन है।

विवरण

वैध प्रमाण पत्र धारक पंजीकृत भर्ती एजेंटों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम/ संघ शासित क्षेत्र	एजेंटों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	65
2.	चण्डीगढ़	42
3.	दिल्ली	271
4.	गोवा	19
5.	गुजरात	17
6.	हरियाणा	14
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू-कश्मीर	3
9.	कर्नाटक	27
10.	केरल	174
11.	मध्य प्रदेश	1
12.	महाराष्ट्र	567
13.	मिजोरम	2
14.	उड़ीसा	2
15.	पंजाब	87
16.	राजस्थान	29
17.	तमिलनाडु	174
18.	उत्तर प्रदेश	9
19.	उत्तरांचल	1
20.	प. बंगाल	10
	कुल	1,515

[अनुवाद]

उपभोक्ता "डाटाबेस" संबंधी सर्वेक्षण

***388. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख टेलीफोन आपरेटरों के उपभोक्ता डाटाबेस के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और प्री-पेड तथा पोस्ट-पेड उपभोक्ताओं का सत्यापित हिस्सा (शेयर) कितना है; और

(ग) यदि नहीं, तो विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आपरेटरों द्वारा दावाकृत उपभोक्ता डाटाबेस में हेर-फेर न किया जाये?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद शहरों तथा हरियाणा राज्य में उपभोक्ता सत्यापन के बारे में जांच की।

(ख) और (ग) यह पाया गया था कि इन स्थानों के सभी सेवा प्रदाता उपभोक्ता सत्यापन संबंधी मौजूदा निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं करते।

नमूना जांचों में यह पाया गया कि प्री-पेड उपभोक्ताओं में से लगभग 60% उपभोक्ताओं तथा पोस्ट-पेड उपभोक्ताओं में से लगभग 93% उपभोक्ताओं के संबंध में उपभोक्ता सत्यापन संबंधी अपेक्षाओं का पूर्णत: पालन किया गया था।

उपर्युक्त क्षेत्रों के संबंधित सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं कि वे उन कनेक्शनों को बंद कर दें जिनके बारे में समुचित सत्यापन नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट करें कि लाइसेंस करार की शर्तों का पालन न करने के लिए उनके विरुद्ध क्यों न कार्रवाई की जाए।

अनिवासी भारतीयों के विवाहों में कथित धोखाधड़ी

***389. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:**
श्री रशीद मसूद:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनिवासी भारतीयों के विवाहों में कथित धोखाधड़ी के अनेक मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) अप्रवासियों भारतीयों के साथ विवाहों से उत्पन्न होने वाली परेशानियों के साथ-साथ कथित धोखाधड़ी के अनेक मामले समय-समय पर सरकार के ध्यान में आये हैं। हालांकि, कोई पुख्ता आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ऐसे मामले विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों आदि के ध्यान में लाये जाते हैं।

(ग) से (ङ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय 2004 में, इसके गठन के समय से ही अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाहों से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान दे रहा है। इस समस्या की पहले, भारतीय डायस्पोरा संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की गई थी। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों को आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाहों से संबंधित समस्याओं की जांच की है और कुछ सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

एक प्रस्ताव कि भारत, **दि हेग कांफ्रेस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ** में एक सदस्य राज्य के रूप में भाग ले, पर भी सरकार कार्यवाही कर रही है।

मंत्रालय, इस मामले में जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न उपाय भी कर रहा है। इन उपायों में उत्प्रवासी भारतीयों के साथ विवाहों संबंधी मार्गदर्शन पुस्तिका का प्रकाशन और समाचार पत्रों तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की मार्फत प्रचार शामिल है। मंत्रालय ने फरवरी, 2006 में, दिल्ली में एक राष्ट्रीय परिचर्चा भी आयोजित की थी। जागरूकता के प्रसार के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से जून, 2006 में चण्डीगढ़ में एक कार्यशाला आयोजित की थी ताकि उत्प्रवासी भारतीयों के साथ विवाहों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके। एक अन्य कार्यशाला सितम्बर, 2006 में केरल में आयोजित की जा रही है। ऐसी ही कार्यशालाएं अन्य संबंधित राज्यों में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

मनोभ्रंश रोग का मुकाबला

***390. श्री पी.सी. थामस:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मनोभ्रंश रोग के विभिन्न प्रकारों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सरकार के पास कोई विशेष कार्यक्रम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2006 "एल्जाइमर रोग का शताब्दी वर्ष" है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस मौके पर कोई परियोजना आरम्भ कर रही है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार 'एल्जाइमर्स एण्ड रिलेटिड डिसआर्डर्स सोसाइटी ऑफ इण्डिया' को राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति परिषद (एनसीओपी) में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ज) चिकित्सा परिचर्या की बेहतर गुणवत्ता के कारण जन्म के समय लोगों की जीवन प्रत्याशा 1991 में 59.70 वर्ष से बढ़कर इस समय करीब 64 वर्ष हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, देश में वयोवृद्ध व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होने के कारण मनोभ्रंश सहित वृद्धावस्था की समस्याओं में कुछ वृद्धि हुई है।

सरकार वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य परिचर्या में सक्रिय दिलचस्पी ले रही है और इसने सरकारी अस्पतालों में वयोवृद्ध के लिए अलग ओपीडी/वार्ड इत्यादि स्थापित करने के लिए उपाय शुरू किए हैं।

इस समय मनोभ्रंश का उपचार-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन किया जाता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1987 में शुरू किया गया था। पुन: कार्यनीतिकृत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को इसके प्रमुख घटक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ अक्टूबर, 2003 में शुरू किया गया था जिसके तहत निचले स्तर पर सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

चूंकि एल्जाइमर रोग का वर्णन पहली बार 1906 में किया गया था, इसलिए 2006 इस रोग का शताब्दी वर्ष है। इस समय इस अवसर के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस समय राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति परिषद का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनिवासी भारतीयों को मताधिकार देना

*392. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आनिवासी भारतीयों को मताधिकार देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनिवासी भारतीयों को चुनाव लड़ने की अनुमति भी दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) भारत के नागरिकों, जो रोजगार, शिक्षा अथवा अन्यथा अन्य कारणों से भारत से बाहर होने के कारण अपने सामान्य निवास स्थान पर नहीं है, के नाम मतदाता सूची में शामिल करने और चुनाव के समय जब वे अपने चुनाव क्षेत्र में हो, मताधिकार देने के उद्देश्य से सरकार ने 27.2.2006 को राज्य सभा में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 पेश किया था। उक्त विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसद की विभाग संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 पर अपनी 16वीं रिपोर्ट 4 अगस्त, 2006 को राज्यसभा/ लोकसभा में पेश कर दी है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

अमृतसर-लाहौर बस सेवा

*393. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अमृतसर-लाहौर बस सेवा के लिए सुरक्षा संबंधी स्वीकृति लेने की समस्याओं के निदान हेतु अमृतसर में एक वीजा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वीजा केन्द्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अमृतसर-लाहौर मार्ग पर बसों की संख्या में भी वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है;

(च) क्या यह बस सेवा आर्थिक रूप से व्यवहार्य है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार को कितनी हानि हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) अमृतसर में पाकिस्तान का वीजा कार्यालय खोलने का सुझाव भारत के कुछ क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। तथापि, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों करांची और मुम्बई में अपने-अपने प्रधान कोंसलावास खोलने के कार्य में लगे हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) अमृतसर-लाहौर बस सेवा, जिसका उद्घाटन 24 जनवरी, 2007 को किया गया था, को 4,40,653 रु. का निवल घाटा (31 जुलाई, 2006 तक) हुआ।

पथकर नीति

*394. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से संबंधित पथकर नीति क्या है;

(ख) प्रत्येक दो पथकर केन्द्रों (प्वाइंट) के बीच कितने किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई है; और

(ग) किसी एक पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितनी बार पथकर लगाने की अनुमति है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग खडों और पुलों के प्रयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) लगाने की शक्ति प्रदान करता है। वर्तमान नीति के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क निम्नलिखित खंडों पर स्थायी रूप से वसूल किया जाता है:

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे खंड जिन्हें चार अथवा इससे अधिक लेन में परिवर्तित किया गया है।

(2) पुल

1. जिसकी लागत 25 लाख रु. से अधिक और 100 लाख रु. तक है तथा जो 1 अप्रैल, 1976 को अथवा इसके बाद किन्तु 1 मई, 1992 से पहले यातायात के लिए खोले गए।

2. जिसकी लागत 100 लाख रु. से अधिक और 500 लाख रु. तक है और जो 1 मई, 1992 को अथवा इसके बाद किन्तु 4 दिसंबर, 2001 से पहले पूरे हुए और यातायात के लिए खोले गए।

3. जिसकी लागत 500 लाख रु. से अधिक है और जो 4 दिसंबर, 2001 को अथवा इसके बाद पूरे हुए।

(3) रियायत करार के अनुसार निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू की गई सभी राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार परियोजनाएं/पुल और बाइपास।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल के प्रयोग के लिए फीस-लोक वित्त पोषित परियोजनाएं) नियमावली, 1997 के अनुसार 80 कि.मी. की दूरी में केवल एक स्थान पर पथकर वसूल किया जाएगा। जहां यह संभव न हो, वसूली स्थलों की संख्या न्यूनतम रखी जाएगी। तदनुसार, पथकर वसूली स्थलों के बीच की दूरी 80 कि.मी. से कम भी हो सकती है।

(ग) ऐसी कोई सीमा नहीं है कि किसी एक राष्ट्रीय राजमार्ग के संपूर्ण खंड पर प्रयोक्ता शुल्क कितनी बार वसूल किया जाना है।

[अनुवाद]

दक्षेस राष्ट्रों की सचिव स्तरीय वार्ता

*395. श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ढाका में दक्षेस राष्ट्रों की सचिव स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या उक्त वार्ता के दौरान सदस्य राष्ट्र के साथ विभिन्न लम्बित मुद्दों को उठाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां, सार्क देशों की स्थायी समिति के 32वें सत्र की परिधि में सचिव स्तरीय वार्ताएं 31 जुलाई से 1 अगस्त, 2006 तक ढाका में हुई।

(ख) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सार्क देशों की स्थायी समिति के 32वें सत्र की परिधि में सचिव स्तरीय वार्ताएं 31 जुलाई से 1 अगस्त, 2006 तक ढाका में हुई। स्थायी समिति के बाद मंत्रिपरिषद की 27वीं बैठक 1-2 अगस्त, 2006 तक ढाका में हुई।

2. बैठक में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और सामाजिक विकास से संबंधित मसलों पर विचार किया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर संपर्कों और मंत्रिस्तरीय बैठकों के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया, आतंकवाद के दमन पर सार्क क्षेत्रीय अभिसमय तथा इसके संयोजी प्रोतोकोल तथा स्वापक भेषजों एवं मन:प्रभावी पदार्थों पर सार्क अभिसमय के क्रियान्वयन में प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग की समीक्षा की गई। स्थायी समिति ने आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग, सूचना एवं मीडिया, सार्क शीर्षस्थ/मान्यता प्राप्त निकायों पर भी चर्चा की और 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित की जाने वाली सार्क कार रैली के भारत के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।

3. क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा करते हुए स्थायी समिति ने साफ्टा करार के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की।

4. साफ्टा पर रूपरेखा करार इस्लामाबाद में 12वें शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न किया गया था। साफ्टा पूर्व व्याप्ति-1 जनवरी, 2006 से प्रभावी हुआ है। साफ्टा एक ऐसे चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के माध्यम से 2016 से पूर्ण रूप से क्रियाशील होगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश द्वारा संवेदनशील (नकारात्मक) सूची के अलावा सभी टैरिफ लाइनें शामिल होंगी।

5. साफ्टा के अंतर्गत सार्क सदस्य देशों के लिए टैरिफ की छूट के संबंध में पाकिस्तान सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2006 को जारी अधिसूचना संख्या (एसआरओ संख्या 695 (1)/2006) में उसने भारत के लिए साफ्टा टैरिफ छूट को मौजूदा द्विपक्षीय "सकारात्मक सूची" में उल्लिखित मदों तक सीमित कर दिया है। हम इस कार्रवाई को करार के विरुद्ध और साफ्टा की मूल भावना के प्रतिकूल मानते हैं।

6. स्थायी समिति के दौरान हमने पाकिस्तान द्वारा साफ्टा का क्रियान्वयन न किए जाने के संबंध में अपनी चिंता को पुरजोर ढंग से उठाया। मंत्रिपरिषद की 27वीं बैठक में भी इस मसले पर चर्चा हुई जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि साफ्टा मंत्रिपरिषद "करार के निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से" अगले सत्र से पहले इस मसले को हल करेगी।

7. हमने आतंकवाद पर भी अपनी चिंता व्यक्त की और क्षेत्र में आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने में सार्क देशों के बीच सहयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया। स्थायी समिति ने सदस्य राज्यों से कहा कि वे जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त सक्षम कानून बनाएं ताकि आतंकवाद पर सार्क अभिसमय और उसके संयोजी प्रोतोकोल के सभी प्रावधानों को क्रियान्वयन किया जा सके।

8. सार्क सदस्य देशों ने अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में होने वाले 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के एक परिचयात्मक घटना के रूप में सार्क कार रैली के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सभी सार्क सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की आयोजन समिति की बैठक शीघ्र ही होगी। भारत ने प्रस्ताव किया है कि वह नई दिल्ली बैठक में मेजबानी करेगा।

9. सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र, जो नई दिल्ली में अवस्थित होगा, के लिए रूपरेखाओं का अनुमोदन कर दिया गया था। अक्टूबर 2006 में शासी निकाय की पहली बैठक के उपरांत केन्द्र कार्य करना शुरू कर देगा। समिति ने कहा कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित सार्क गतिविधियां केन्द्र के माध्यम से होनी ही चाहिए ताकि प्रयासों के दोहराये जाने और मंचों के बहुतायत होने से बचा जा सके; और मौजूदा क्षेत्रीय केन्द्र, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के सार्क के प्रयासों को सहयोग देना जारी रखेंगे।

10. क्षेत्रीय बहुविध परिवहन पर सार्क अध्ययन के विचारार्थ सचिवों के स्तर पर एक अंतर सरकारी परिवहन दल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस दल की सिफारिशों पर 14वें सार्क शिखर सम्मेलन से पूर्व होने वाली तैयारी बैठकों में विचार किया जाएगा।

11. संघ में अफगानिस्तान के शामिल होने के संबंध में प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं पर स्थायी समिति ने विचार किया। सार्क के नेता 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के शुरू होने पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे। अफगानिस्तान की सरकार के साथ सभी संबंधित मसलों का 31 दिसम्बर, 2006 तक सभी संबद्ध मसलों का निपटारा करने के लिए एक अंतर-सरकारी दल का गठन किया जाएगा।

12. सार्क की स्थायी समिति के 32वें सत्र की सिफारिशें, ढाका (1-2 अगस्त, 2006) में मंत्रिपरिषद के 27वें सत्र में प्रस्तुत की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने किया। परिषद ने सार्क की स्थायी समिति के 32वें सत्र की रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया।

सेटेलाइटों का बीमा

*396. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी स्टेशनों से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रत्येक सेटेलाइट का बीमा करवाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में प्रक्षेपित ऐसे सेटेलाइटों का बीमा नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बीमा न किए जाने के कारण इनसैट-4 सी की हाल की असफलता से सरकार को 246 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो देश से प्रक्षेपित किए जाने वाले ऐसे सेटेलाइटों का बीमा करने के लिए सरकार द्वारा भविष्य के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है/अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) इसरो पर किसी लागत भार के बिना 1975-81 के दौरान आर्यभट्ट, भास्कर-1 एवं भास्कर-2 तथा एप्पल जैसे परीक्षणात्मक उपग्रहों को बिना बीमा कराए प्रमोचित किया गया।

इसके अलावा, 1988-95 के दौरान, यू.एस.एस.आर. से रियायती दरों पर आई.आर.एस.-1ए, आई.आर.एस.-1बी और आई.आर.एस.-1सी नामक तीन उपग्रहों को बिना बीमा कराए प्रमोचित किया गया।

विदेश से प्रमोचित किए जाने वाले अन्य सभी उपग्रहों का बीमा करवाया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) बीमा की लागत काफी अधिक है और प्रमोचकों की अपेक्षाकृत निम्न विफलता दर को ध्यान में रखते हुए इसरो ने भारत से प्रमोचित किए जाने वाले उपग्रहों का बीमा नहीं करवाने का निर्णय लिया है।

(घ) इन्सैट-4सी उपग्रह की लागत 96 करोड़ रुपये तथा इसकी प्रमोचन लागत 150 करोड़ रुपये है जो कुल मिला कर 246 करोड़ रुपये होती है।

(ङ) भारत से प्रमोचित किए जाने वाले उपग्रहों का बीमा नहीं करवाने की नीति जारी रहेगी और बीमा से संबंधित अर्थशास्त्र में बड़ा परिवर्तन होने पर इस नीति की समीक्षा की जाएगी।

रूस द्वारा कम प्रचुरता वाली यूरेनियम की आपूर्ति

*397. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में रूस तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (टीएपीएस) के लिए कम प्रचुरता (लो इनरिच्ड) वाली यूरेनियम की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस करार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका तथा परमाणु क्लब के अन्य सदस्यों ने इस करार का विरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन में ईंधन की काफी कमी थी;

(च) यदि हां, तो ऊर्जा का उत्पादन कितना कम हो गया था;

(छ) क्या अब रूस से सप्लाई प्राप्त हो गयी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर की यूनिट 1 तथा 2 के लिए कम समृद्ध यूरेनियम (एलईयू) को पहले ही रूस से प्राप्त किया जा चुका है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री के वाशिंगटन के दौरे के दौरान 18 जुलाई, 2005 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में, तारापुर यूनिटों के लिए कम समृद्ध यूरेनियम (एलईयू) की शीघ्र आपूर्ति की जरूरत को मान लिया गया था। सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है।

(ङ) और (च) रूस से समय पर ईंधन की सप्लाई उपलब्ध हो जाने से, तारापुर परमाणु बिजलीघर (यूनिट 1 तथा 2) उत्पादन जारी रख पाएंगे।

(छ) और (ज) जी, हां। जैसाकि ऊपर (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

***398. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को आठ लेन का किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माणाधीन राजमार्गों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना-वार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8 लेन बनाए जाने के योजनागत और निर्माणाधीन कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य	खंड	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	31.7.2006 तक व्यय (करोड़ रु.)
1.	दिल्ली/ हरियाणा	दिल्ली-गुड़गांव (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन)	8	27.7 (22.33 कि.मी. में 8 लेन बनाना)	710.00	491.55
2.	दिल्ली	हरियाणा-दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक 8 लेन बनाना	1	12.9	98.22	36.26
3.	दिल्ली	मुकरबा चौक से माल रोड	1	8.5	57.53	42
4.	दिल्ली	3.4 से 5.7 कि.मी.	24	2.3	12.11	निविदा स्तर पर
5.	दिल्ली	5.7 से 7.7 कि.मी.	24	2.0	12.39	चालू वर्ष के वार्षिक योजना कार्य में शामिल

दसवीं योजना में खेल संबंधी बुनियादी सुविधाएं

*399. **श्री अप्पलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में खेल संबंधी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन राज्यों में राज्य खेल अकादमियां स्थापित कर दी गई हैं;

(ङ) क्या ग्राम स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई दीर्घकालिक संदर्शी योजना बनाई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) दसवीं योजना में खेल अवस्थापना योजनाओं के लिए 312.61 करोड़ रु. का योजनागत परिव्यय किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों और कालेजों में खेल अवस्थापनाओं सृजन को लक्षित किया गया, वर्ष 2005-06 तक व्यय 114.48 करोड़ रु. है। इन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को 1.4.2005 से रोक दिया गया है तथा राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया है। तथापि, संस्वीकृत प्रस्तावों के लिए प्रतिबद्ध देयताएं 31.3.2007 तक पूरी कर ली जाएंगी।

इसके अलावा, दसवीं योजना के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना में 21.88 करोड़ रु. का परिव्यय है, दिनांक 31.3.2006 तक व्यय 21.28 करोड़ रु. हैं, स्कूलों में खेल कूदों के संवर्धन योजना में 14.10 करोड़ रु. का परिव्यय है, दिनांक 31.3.2006 तक व्यय 5.25 करोड़ रु. है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों, संस्थाओं, स्कूलों और कॉलेजों को "खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान", "खेल उपस्करों की खरीद व खेल के मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान" और "विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदान" की योजनाओं के अंतर्गत, दसवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान, उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा तथा स्कूलों में खेलकूदों के संवर्धन" खेल छात्रवृत्ति योजना" के वर्ष-वार ब्यौरा भी संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(घ) राज्यों से योजना के अनुरूप व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न हो पाने के कारण, राज्य खेल अकादमी योजना के तहत, अभी तक कोई खेल अकादमी गठित नहीं की गई है।

(ङ) से (छ) ग्रामीणों क्षेत्रों में खेल अवस्थापना तथा सुविधाओं के अभाव को पहचानते हुए राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं, नेहरू युवक केन्द्रों तथा शैक्षिक संस्थाओं जैसे विभिन्न पणधारियों के सहयोग से पंचायत युवा खेल अभियान के संवर्धन पर ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण-I

2002-03 से 2005-06 तक खेल अवस्थापना के अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006 (31.3.2006 तक)	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजना की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	13.74	1	484.527	14	123.75	7	45.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	156.44	6	191.00	5	27.00	1	71.00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	73.50	3	17	2	188.09	8	7.00	1
4.	बिहार	0.00	0	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	0.00	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0.00	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0.00	0	0	0	65.00	2	0	0
8.	हरियाणा	1.20	1	40.17	2	118.13	16	32.80	4
9.	हिमाचल प्रदेश	6.61	3	100.21	8	118.63	10	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	5.02	5	26.82	18	22.50	1	0	0
11.	कर्नाटक	82.20	14	58.7	8	101.3	9	0	0
12.	केरल	0.124	1	13.01	4	1.50	1	0	0
13.	मध्य प्रदेश	62.40	4	152.27	13	115.40	6	18.00	1
14.	महाराष्ट्र	165.00	7	238.43	13	169.04	9	45.08	2
15.	मणिपुर	62.50	5	0	0	22.50	3	0	0
16.	मेघालय	0.00	0	100.11	5	234.55	5	0	0
17.	मिजोरम	57.75	11	136.32	21	30.00	1	59.59	1
18.	नागालैण्ड	194.00	8	962.46	21	115.98	12	45.00	1
19.	उड़ीसा	15.50	2	0.05	1	0.75	1	0	0
20.	पंजाब	10.00	1	45.00	1	0	0	0	0
21.	राजस्थान	10.71	2	25.00	2	8.72	1	23.00	1
22.	सिक्किम	0.00	0	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	97.011	8	170.36	22	81.15	13	50.52	2
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	16.29	1	46.94	3	69.23	6	83.00	4
26.	पश्चिम बंगाल	28.00	2	20.07	15	49.70	4	0	0
27.	छत्तीसगढ़	0	0	78.50	4	0	0	0	0
28.	झारखंड	0	0	0	0	30.00	1	0	0
29.	उत्तरांचल	0	0	0	0	94.80	5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0.00	0	0	0	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	0.00	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1057.99	85	2906.98	182	1787.99	122	480.00	19

2002-03 से 2005-06 तक खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1.12	1	0.37	1	2.76	3	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	4.35	4	7.74	7	0	0
3.	असम	8.67	14	30.88	41	22.18	38	0	0
4.	बिहार	1.71	2	3.29	3	7.53	8	0	0
5.	छत्तीसगढ़	6.39	7	1.13	2	3.32	4	0	0
6.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
7.	गोवा	0.85	3	0.00	0	1.08	1	0	0
8.	गुजरात	1.54	3	2.98	4	1.42	2	0	0
9.	हरियाणा	12.64	24	43.36	59	24.17	41	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	9.97	12	5.72	15	10.21	14	0	0
11.	जम्मू-कश्मीर	1.00	2	3.17	3	9.64	14	0	0
12.	झारखंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
13.	कर्नाटक	25.08	29	16.75	26	12.10	18	0	0
14.	केरल	2.26	4	0.00	0	15.48	17	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मध्य प्रदेश	14.12	24	22.95	29	13.67	20	0	0
16.	महाराष्ट्र	35.76	46	51.63	58	54.19	71	8.63	27
17.	मणिपुर	6.30	6	3.26	5	1.48	2	0	0
18.	मेघालय	0.00	0	1.08	1	9.37	10	0	0
19.	मिजोरम	0.75	1	0.00	0	0.00	0	0	0
20.	नागालैण्ड	5.12	17	0.00	0	3.80	5	0	0
21.	उड़ीसा	27.53	39	44.21	55	61.99	80	8.60	28
22.	पंजाब	4.78	6	2.56	3	0.63	2	0	0
23.	राजस्थान	11.71	17	25.19	29	18.76	30	0	0
24.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
25.	तमिलनाडु	15.93	45	7.65	21	3.70	6	0	0
26.	त्रिपुरा	0.73	2	0.37	1	0.40	1	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	21.05	29	39.60	47	51.11	75	0.89	3
28.	उत्तरांचल	8.33	8	11.04	12	18.44	26	1.87	6
29.	पश्चिम बंगाल	88.55	102	77.98	106	127.15	167	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
34.	दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
	कुल	310.99	443	399.63	525	482.45	662	19.99	64

2002-03 से 2005-06 तक विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006	
		जारी की गई राशि	कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों की संख्या	जारी की गई राशि	कॉलेजों/ विश्वविद्यालय की संख्या	जारी की गई राशि	कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों की संख्या	जारी की गई राशि	कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	58.08	16	87.82	27	97.22	36	5.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
3.	असम	3.45	2	26.81	10	126.31	48	0	0
4.	बिहार	0.26	1	20.60	4	0.00	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0	20.70	9	0	0
6.	गोवा	0.00	0	0.00	0	2.70	1	0	0
7.	गुजरात	8.00	3	18.27	10	28.20	1	0	0
8.	हरियाणा	3.02	3	10.31	9	26.86	4	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0.16	1	5.85	3	7.37	4	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
11.	झारखंड	0.00	0	0.00	0	2.70	1	0	0
12.	कर्नाटक	50.94	22	39.35	35	149.87	63	12.00	1
13.	केरल	8.27	5	39.80	18	45.07	24	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1.65	3	10.80	4	26.10	7	0	0
15.	महाराष्ट्र	186.81	79	197.53	98	244.15	115	20.85	2
16.	मणिपुर	28.48	2	25.03	3	17.80	5	0	0
17.	मिजोरम	0.00	0	10.72	4	0.00	0	0	0
18.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	10.80	4	0	0
19.	नागालैण्ड	20.40	3	22.50	11	19.20	10	0	0
20.	उड़ीसा	58.98	24	83.60	40	57.98	32	0	0
21.	पंजाब	28.48	11	52.68	13	29.45	11	10.00	1
22.	राजस्थान	1.10	1	4.20	2	7.20	3	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	तमिलनाडु	75.66	17	164.81	27	169.80	29	17.12	1
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	60.24	14	101.56	41	158.65	62	45.00	3
26.	उत्तरांचल	5.40	2	24.60	10	16.80	8	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	44.09	19	79.86	42	141.28	63	0	0
28.	दिल्ली	22.50	1	53.50	2	62.64	1	40.03	1
29.	केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	1.00	1	0.00	0
	कुल	665.98	229	1080.25	413	1472.00	555	150.00	10

विवरण-II

खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्षवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक
2002-03	344.00	394.00
2003-04	383.00	507.30
2004-05	450.00	640.97
2005-06	441.00	586.00

स्कूलों में खेल-कूद के संवर्धन की योजना के अंतर्गत वर्षवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक
2002-03	203.00	55.50
2003-04	320.00	38.50
2004-05	150.00	131.00
2005-06	412.00	299.59

[हिन्दी]

कोयला खानों में आग लगने/धंसने की घटनाएं

*400. **श्री फुरकान अंसारी:**
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न कोयला खानों में आग लगने, खान धंसने, पानी भरने की बहुत सी घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खान-वार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में सुरक्षा मानदंडों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं!

कोयला मंत्री (श्री शिबू सोरेन): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) की खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष (जुलाई, 2006 तक) विभिन्न कोयला खानों में आग, धंसाव तथा पानी के भरने की निम्नलिखित बड़ी दुघटनाएं हुई-

दुर्घटना	कंपनी	राज्य/स्थान	कोयला खानें	तारीख
आग	सी.आई.एल.	पश्चिम बंगाल	बंकोला	2005
			खोट्टाडीह	2006
		झारखंड	रेलीगारा	2004
			बसदेवपुर	2004
			कुसुन्दा	2004
			ई. भुग्गतडीह	2006
		उड़ीसा	हिंगिर रामपुर	2004
			ओरिएंट खान सं. 3	2005
	एस.सी.सी.एल.	आंध्र प्रदेश	जी.डी.के.-1 खान	2003
			के.के. 5 खान	2004
धंसाव	सी.आई.एल.	पश्चिम बंगाल	पारासिया 6 और 7 कोलियरी	2003
			कुआरडीह कोलियरी	2004
			मंडलपारा/संकतोड़िया गांव	2004
			पिट नं. 2 मधुजोरे कोलियारी	2005
			खास काजोरा कोलियरी	2006
			बेगुनिया	2004
		झारखंड	कुमारदुबी कोलियरी	2005
			केन्दुआडीह कोलियरी	2003
			ऐना कोलियरी	2004
			गोपालीचक कोलियरी	2006
			कटरास छोइतुडीह कोलियरी	2006
			ब्लाक-4 कोलियरी	2006
जलभराव/ जलाप्लावन	सी.आई.एल.	पश्चिम बंगाल	जामबाद ओ.सी.पी.	2003
			जामेहारी कोलियरी	2005
		झारखंड	सेंट्रल सौंदा कोलियरी	2005
		छत्तीसगढ़	कुरासिया भू.ग.	2006
	एस.सी.सी.एल.	आंध्र प्रदेश	गोदावरीखानी सं. 7 एलईपी खान	2003

(ग) पिछले तीन वर्षों में सुरक्षा तथा बचाव के लिए सी.आई.एल./सहायक कंपनियों तथा एस.सी.सी.एल. द्वारा व्यय की गई राशि नीचे दी गई है–

(आंकड़े लाख रुपए में)

कंपनी	2003-04	2004-05	2005-06
ईसीएल	9435.81	9241.56	10001.00
बीसीसीएल	15690.87	13417.69	15539.20
सीसीएल	1703.96	2161.50	2461.00
एनसीएल	769.00	4102.97	4113.00
डब्ल्यूसीएल	6634.53	6798.67	7197.09
एसईसीएल	9938.93	10020.45	10799.45
एमसीएल	4180.73	4695.65	4393.56
एनईसी	369.00	244.10	288.50
कुल-सीआईएल	48724.83	50682.59	54792.80
एस.सी.सी.एल.	21305.00	25215.00	27853.00

नोट: वर्ष 2005-2006 के आंकड़े अनंतिम हैं।

(घ) से (च) किसी अप्रिय दुर्घटना के घटने पर संबंधित कोयला कंपनी द्वारा उसकी जांच की जाती है। इसके अलावा, श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) कोयला खानों में दुर्घटनाओं तथा आग, धंसाव तथा जल-भराव आदि की घटनाओं की जांच करने के लिए अधिकार प्राप्त एक सांविधिक प्राधिकरण है।

अत्यंत गंभीर दुर्घटनाओं के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय एक जांच न्यायालय का गठन करता है। भविष्य में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर निवारक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, निम्नलिखित उपाय भी किए जा रहे है–

* सुरक्षा प्रबंध में कामगारों की सहभागिता को प्रोन्नत करना।
* प्रबंधन द्वारा स्व-विनियमन को प्रोन्नत करना।
* विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा स्थिति की त्रि-पक्षीय तथा द्विपक्षीय समीक्षा।
* सुरक्षा सप्ताह तथा सुरक्षा अभियानों का आयोजन।
* सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करना तथा सूचना का प्रसार करना।
* खानों में सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन।
* खानों में कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कल्याण को प्रोन्नत करने की दृष्टि से विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श।
* जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षा प्रबंध योजना तैयार करने तथा आपात प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करने की अवधारणा को लागू करना।
* सुरक्षा जांच आयोजित करना।
* खनन कार्य में जोखिम की कम संभावना वाली नई प्रौद्योगिकी को लागू किए जाने को सुकर बनाना।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में भारतीय सैनिक

***401. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सैनिक अफगानिस्तान में वहां की सरकार की सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने अफगानिस्तान में और भारतीय सैनिकों की तैनाती का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति संबंधी मामला अमरीका के साथ उठाया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

वायुमंडलीय/अंतरिक्ष विज्ञान हेतु उपग्रहों का प्रक्षेपण

*402. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'इसरो' का विचार वायुमंडलीय एवं अंतरिक्ष विज्ञान हेतु छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपग्रहों को कब तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) इसरो ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु खगोलिक एवं खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय और पृथ्वी के निकटस्थ अंतरिक्ष वातावरण से संबंधित कुछ वैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाने के लिए समर्पित उपग्रहों के प्रमोचन हेतु लघु उपग्रह मिशनों के लिए एक अवसर की घोषणा की है। वैज्ञानिक गुणावगुण के आधार पर इन लघु उपग्रहों को मुख्य उपग्रह मिशनों के साथ सह-यात्रियों के रूप में भविष्य में प्रमोचित किए जाने पर विचार किया जाएगा।

(ग) ये प्रस्ताव इस समय वैचारिक चरण में ही हैं; प्रमोचन की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

स्पीड पोस्ट केन्द्र

*403. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय पासपोर्ट आवेदनों को स्वीकार करने के लिए डाक विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में ऐसे स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाते है;

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान उक्त केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। इस समय 218 स्पीड पोस्ट केन्द्र ऐसे हैं जहां पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) चालू वर्ष में सरकार इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने की योजना बना रही है और देशभर के स्पीड पोस्ट केन्द्र में 873 की वृद्धि करने का प्रस्ताव पहले से ही है जिनमें पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं।

उत्प्रवास कार्यालयों की श्रमशक्ति/अवसंरचना में सुधार

*404. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्षों से विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेश जाने वाले श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश के उत्प्रवास कार्यालयों में अवसंरचना तथा श्रमशक्ति का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) क्या अनुमति प्रक्रिया में तेजी लाने तथा इसे सरल बनाने के लिए सरकार का 'ई-एमिग्रेशन' शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय उत्प्रवासियों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। गत तीन वर्षों के दौरान विदेश में रोजगार हेतु उत्प्रवास स्वीकृति

प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
2003	4.66
2004	4.75
2005	5.49

(ग) से (च) रोजगार के लिए विदेश जाने वाले उत्प्रवासियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों को उन्नत और आधुनिक बनाने, उत्प्रवास मानदण्डों को उदार बनाने तथा उत्प्रवास में ई-प्रशासन लागू करने के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने और सही मानवोचित्र उत्प्रवास को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में व्यापक संशोधन करने की प्रक्रिया पर कार्यवाही की जा रही है।

रक्षित कोयला खनन

*405. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय रक्षित कोयला खनन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा समन्वयन समिति के साथ मिलकर बहुप्रयोजनीय रणनीति तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों के अन्वेषण पर 1400 करोड़ रु. खर्च किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इससे कितना कोयला उत्पादन होने का अनुमान है;

(ङ) क्या इस संबंध में निजी कोयला खनन कंपनियों को शामिल करने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री शिबू सोरेन): (क) से (च) सरकार ने केप्टिव खपत के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों/अनुमत अन्त्य उपयोगकर्ताओं को अब तक 56 कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया है। हाल ही में सरकारी कंपनियों/अनुमत अन्त्य उपयोगकर्ताओं को आबंटन के लिए लगभग 20.02 बिलियन टन के कुल भू-गर्भीय भंडार वाले 81 कोयला ब्लॉकों का पता लगाया गया है। अत्यधिक बड़ी विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया जा रहा है।

यह विचार किया गया है कि 11वीं योजना अवधि के दौरान देश में कोयला तथा लिग्नाइट के क्षेत्रों में लगभग 22.5 लाख मीटर विस्तृत ड्रिलिंग और 7.5 लाख मीटर प्रोन्नत ड्रिलिंग किया जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है कि विस्तृत अन्वेषण (22.5 लाख मीटर) हेतु लगभग 1400 करोड़ रुपए का व्यय शामिल होगा जबकि प्रोन्नत अन्वेषण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

कोयला मंत्रालय की 2006-07 की वार्षिक योजना के अनुसार 11वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2011-12 में कोयले का अनुमानित उत्पादन 575.58 मिलियन टन होगा। सी.आई.एल. की आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना के अनुसार 2011-12 में 59.5 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन होगा। तथापि, योजना आयोग द्वारा गठित कोयला और लिग्नाइट से सम्बद्ध कार्यदल द्वारा 11वीं योजना अवधि के लिए उत्पादन योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के विरुद्ध शिकायतें

3017. **श्री सुब्रत बोस:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. ने वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान एक्सेस चार्ज, जो कि लाइसेंस और इंटरकनेक्ट करार की शर्तों के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को देय होता, के अपवंचन के लिए अमरीका या विश्व के अन्य भागों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल को घरेलू ट्रैफिक के तौर पर पास ऑफ करने के लिए कतिपय निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिकायतें क्या हैं एवं निजी दूरसंचार ऑपरेटरों से एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. द्वारा दावा किया क्षतिपूर्ति कितनी है;

(ग) क्या जांच के पश्चात् दूरसंचार विभाग ने शिकायतों की सच्चाई की पुष्टि की है और एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा दावा की गई क्षतिपूर्ति की मात्रा का समर्थन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) महानगर टेलीफोन निगम लि. और भारत संचार निगम लि. ने मै. रिलायंस इनफोकॉम लि. (आरआईएल) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महानगर टेलीफोन निगम लि. और भारत संचार निगम लि. ने मै. आरआईएल के लिए क्रमश: 341.27 करोड़ रु. और 319.04 करोड़ रु. की राशि के बिल जारी किए थे जिनका भुगतान मै. आरआईएल द्वारा कर दिया गया है। यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) दूरसंचार विभाग ने चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता सेवा क्षेत्रों के लिए मै. आरआईएल के एकीकृत अभिगम लाइसेंस के खिलफ 50-50 करोड़ रु. का अर्थदण्ड लगाया है। मै. आरआईएल ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण में अपील की थी और अपील खारीज हो गई थी। मै. आरआईएल ने मार्च, 2005 में 150 करोड़ रु. का अर्थदण्ड अदा कर दिया था। मै. आरआईएल ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण के उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिसमें 150 करोड़ रु. के अर्थदण्ड को सही ठहराया गया था तथा मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट

3018. श्री कैलाश मेघवाल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि नौकरशाही के स्थान पर सरकारी प्रक्रिया की पुन: रूपरेखा (डिजाइन) बना कर सरकारी कार्यविधि में सुधार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) दिनांक 26 जनवरी, 2006 को प्रधानमंत्री को सौंपी गई ई-गवर्नेंस पर अपनी सिफारिशों में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह प्रस्ताव रखा है कि किसी कंप्यूटरीकरण से पहले सरकारी प्रक्रिया पुन:अभियांत्रिकीकरण किया जाए।

(ख) वर्तमान में, ई-गवर्नेंस प्रयास मुख्यत: ब्रिटिश राज द्वारा छोड़ी गई काफी पुरानी प्रक्रियाओं और भारतीय नौकरशाही द्वारा नई परतों और खत्तियों के अतिरिक प्रवाह द्वारा संयोजित प्रत्येक विभागीय सीमाओं और तय प्राथमिकताओं के अंदर कार्य कर रही है, को कंप्यूटरीकरण करने पर आधारित है। परिणामत: हम बोझिल प्रक्रियाओं को कंम्प्यूटरीकृत कर रहे हैं और इसलिए सामूहिक रूप से इससे लाभ नहीं उठा रहे हैं। विद्यमान सरकारी प्रक्रिया को साधारणत: डिजीटीकरण करना मात्र खर्च, उलझन, विलम्ब और भ्रम की एक अतिरिक्त परत को जोड़ता है। यह आवश्यक है कि हम पहले नागरिक को केंद्रित करते हुए, नागरिकों का गैर-दिक्कत सशक्तीकरण व्यवसाय, उत्पादकों और ग्राहकों को प्रदान करना, पुराने अविश्वास और ब्रिटिश राज को नियंत्रण प्रणाली में बदलना सरकारी प्रक्रिया को पुन: संरचना करें। सरकारी प्रक्रिया की यह पुन: संरचना सेवाओं को प्राप्त करने हेतु आवश्यक आगामी कार्रवाईयों की संख्या और अवधि को उत्तरावर्ती घटाएगी। यह ढूंढने योग्य रिकार्डों को प्रदान करेगी; व्यक्तिगत निष्पादन जवाबदेही, कार्यकुशलता, उत्पादकता, साथ में नीतियों और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता के प्रचालन को मदद करेगी।

(ग) से (ङ) ये सिफारिशें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) की पहल और मुख्य घटकों पर केबिनेट नोट की पृष्ठभूमि में सचिवों की समिति द्वारा विचारित की गई थीं। सचिवों की समिति की सिफारिशों को संशोधित केबिनेट नोट में उचित रूप से समाहित किया गया था, जो कि 18 मई, 2006 को हुई इसकी बैठक में केन्द्रीय केबिनेट द्वारा विचारित और अनुमोदित की गई थीं। अनुमोदन का

दायता एनईजीपी का कार्यान्वयन हेतु विजन, पहल, 27 मिशन मोड परियोजना (एमएमपीज) एवं 8 सहायता घटक, भूमिका और उत्तरदायित्व तथा कार्यक्रम प्रबंधन संरचना को कवर करता है।

अनुमोदन के अनुसार, संबद्ध इकाई मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारों से सेवाएं और सेवा स्तर जो उपलब्ध कराए जाएंगे, सरकारी कार्रवाई पुन: संरचना, विधिक संशोधनों और परिवर्तन प्रबंधन जो कि वांछित सेवा स्तरों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है और सामान्य वित्तीय नियमों के मौजूदा प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु वित्तीय विवरणों के संबंध में परियोजना के दायरे को शामिल कर, उनकी संबद्ध मोड परियोजनाओं हेतु विस्तृत परियोजना दस्तावेज तैयार करने की उम्मीद की जाती है।

[अनुवाद]

नया सार्वजनिक सुरक्षा कोष

3019. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक नए सार्वजनीन सुरक्षा कोष (न्यू यूनिवर्सल सेफ्टी फण्ड) बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोष का योजनावार किस तरीके से व्यय किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) अवंसरचना समिति ने समर्पित सुरक्षा निधि की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित उपकर राजस्व का एक प्रतिशत अदा किया जाएगा। इसके ब्यौरे अभी दे पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग 28बी का मार्ग परिवर्तन

3020. **श्री कैलाश बैठा:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में छपरा-कुशीनगर बरास्ता बेतिया को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 बी के मार्ग परिवर्तन का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रस्ताव के कब तक अनुमोदित होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीएसएनएल द्वारा इंटरकनेक्ट सेवा

3021. **डा. राजेश मिश्रा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने छह माह के भीतर इंटरकनेक्ट सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीएसएनएल अपने अनिवार्य निर्धारित समय के भीतर निजी सेलूलर ऑपरेटर को इंटरकनेक्ट सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या बीएसएनएल के पास इंटरकनेक्ट आवेदन लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 7.6.2005 को सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया कि वे इंटरकनेक्शन के आवेदकों के अनुरोध पर उनके द्वारा अपेक्षित भुगतान करने के 90 दिनों के भीतर उन्हें इंटरकनेक्शन प्रदान करें, जो कि न्यायाधीन है। माननीय दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण

(टीडीएसएटी) ने दिनांक 19.7.2006 के अपने अंतरिम आदेश के तहत, अन्य निर्देशों के साथ-साथ, बीएसएनएल को निर्देश दिया कि इंटरकनेक्शन के आवेदकों से आवश्यक भुगतान की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर उन्हें इंटरकनेक्शन प्रदान करें और यदि किन्हीं कारणों से बीएसएनएल निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे इंटरकनेक्शन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है तो वह ऐसे इंटरकनेक्शन प्रदान करने के कारणों के बारे में ट्राई और इंटरकनेक्शन के संबंधित आवेदक को सूचित करेगा।

(ख) से (घ) इंटरकनेक्शन प्रदान करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें अनेक चरण शामिल हैं। एक बार मांग प्राप्त होने पर, तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाता है, लिंक्स की व्यवहार्य संख्या हेतु मांग-पत्र (डिमाण्ड नोट) जारी किया जाता है, भुगतान प्राप्त किया जाता है, सूचना-पत्र (एडवाइस नोट) जारी किया जाता है, प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) सृजित किया जाता है तथा इंटरकनेक्ट लिंक को तार से जोड़ा जाता है उसकी जांच की जाती है तथा प्रतिग्रहण (एक्सेपटैन्स) संबंधी परीक्षण किया जाता है। चूंकि मोबाइल सेवाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, अत: किसी भी समय, इंटरकनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में, लंबित पीओआई की काफी बड़ी संख्या होगी।

(ङ) सरकार ने बीएसएनएल और निजी दूरसंचार प्रचालकों से विविध उपाय करने के लिए कहा है जिसमें अन्य उपायों के साथ-साथ ये उपाय शामिल हैं-नियमित पुनरीक्षा बैठकें आयोजित करना, समय-बद्ध रूप से पीओई प्रदान करने की प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाना, अग्रित-तौर पर पीओआई की मांग का पूर्वानुमान तैयार करना ताकि बीएसएनएल जहां कहीं व्यवहार्य हो, आवश्यक उपस्कर की योजना बना सके और परिणामत: तकनीकी अव्यवहार्यता के मामलों में कमी लाई जा सके।

पीसीओ नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए कदम

3022. श्री सुबोध मोहिते: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल को निजी व्यवसाय के लिए पीसीओ का इस्तेमाल किए जाने के कारण प्रतिवर्ष 500 करोड़ रु. कमीशन की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीसीओ मालिकों द्वारा इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए बीएसएनएल के पास कोई तंत्र है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीसीओ नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए बीएसएनएल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड, वैयक्तिक व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पीसीओ बूथ का प्रयोग प्रतिबंधित नहीं करता है, बशर्ते कि पीसीओ बूथ का उपयोग आम जनता के लिए भी सुलभ हो। अत: ऐसे पीसीओ बूथों की कमीशन की राशि की गणना बीएसएनएल की हानि के रूप में नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। फ्रेंचाइजियों द्वारा पीसीओ के गलत रूप से उपयोग किए जाने को रोकने हेतु बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) पीसीओ फ्रेंचाइजियों द्वारा एक्सचेंज से मीटरिंग पल्स पर कार्यरत केवल टाइप अनुमोदित चार्ज इंडिकेटरों के प्रयोग की अनुमति दी जाती है।

(2) पीसीओ बूथ डिस्प्ले बोर्ड एवं दर-चार्ट को आम जनता की सुविधा एवं उचित सूचना हेतु प्रदर्शित करना अपेक्षित है।

(3) फ्रेंचाइजियों द्वारा संस्थापित चार्ज इंडिकेटरों के साथ छेड़-छाड़ सहित किसी भी प्रकार के गलत प्रयोग को रोकने के लिए कर्मचारियों द्वारा आवधिक रूप से औचक जांच की जाती है।

(ङ) सर्किलों के फील्ड स्टाफ एवं सतर्कता प्रकोष्ठों द्वारा पीसीओ फ्रेंचाइजियों की औचक जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीसीओ फ्रेंचाइजियों द्वारा पीसीओ की व्यवस्था से संबंधित दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है। दिशा-निर्देशों के उल्लंघन किए जाने का पता लगने पर, पीसीओ फ्रेंचाइजी के विरुद्ध पीसीओ बंद करने सहित, कार्रवाई की जाती है।

ई.सी.एल. की झांजरा परियोजना

3023. श्री सुनील खां: क्या कोयला मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (ईसीएल) के अंतर्गत झांजरा परियोजना एक लाभकारी परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना के पुनरूद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। झांजरा लाभकारी परियोजना नहीं है।

(ग) घाटे में चलने के कारण निम्नलिखित हैं:

(1) अन्य परियोजनाओं से परिवर्तित उन पुराने पावर्ड सपोर्ट लांगवाल (पीएसएलडब्ल्यू) सेटों का उपयोग जो स्थल विशिष्ट नहीं थे। चूंकि ये उपकरण पुराने हो गए हैं, वे निम्न कुशलता से कोयले का उत्पादन कर रहे हैं।

(2) कलपुर्जों की अनुपलब्धता के कारण उपकरण की उपलब्धता में कमी आ गयी जिससे कार्य-निष्पादन प्रभावित हुआ।

(3) उपलब्ध उपकरण, विद्यमान भू-खनन स्थिति के अंतर्गत अपनी सीमित सपोर्ट प्रतिरोधकता के कारण केवल आंशिक रूप से कोयला सीमा का उत्खनन कर सकते हैं।

झांझरा परियोजना को पुनरूज्जीवित करने के लिए किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं–

(1) ई.सी.एल. की झांझरा भूमिगत खान की आर-VI सीम के सेक्टर "सी", "डी" तथा "ई" में जोखिम/लाभ की भागीदारी के आधार पर सतत खनिक प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) तथा मैसर्स जॉय माइनिंग मशीनरी लि. (यू.के.) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिससे 0.42 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम.टी. वाई.) की दर से खान के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(2) जोखिम/लाभ की भागीदारी के आधार पर ई.सी.एल. की झांझरा भूमिगत खान में उच्च क्षमता वाले पीएसएलडब्ल्यू सेट को लगाने के लिए एक वैश्विक निविदा पहले ही आमंत्रित की गयी है, जिससे 1.7 मि.ट. प्रतिवर्ष की दर से उत्पादन में और वृद्धि होगी। यह प्रस्ताव सरकार के अग्रिम स्तर पर विचाराधीन है।

कोयला कामगारों को बकाया मजदूरी का भुगतान

3024. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला कंपनियों को अपने कामगारों को मजदूरी के भारी बकाये का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कामगारों को मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) कामगारों को बकाया मजदूरी का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता/VII (एनसीडब्ल्यूए-VII) पर 15.7.2005 को हस्ताक्षार किये गये थे जिसे 1.7.2001 से लागू किया गया था उक्त समझौते के परिणामस्वरूप मजूदरी की बकाया राशि देय हो गई थी। जहां तक मजदूरी की बकाया राशि के भुगतान का संबंध है, समझौते में यह शर्त रखी गयी थी कि मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान, सभी पृथक किए गए कर्मचारियों को तुरन्त किया जाएगा और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. के पुररूद्धार पैकेज के मद्देनजर ट्रेड यूनियन तथा प्रबंधन द्वारा मौजूदा कर्मचारियों के लिए पद्धतियां संयुक्त रूप से तैयार की जाएंगी। उक्त प्रावधानों के अनुसरण में मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान सभी पृथक किए गए कर्मचारियों को कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जहां तक मौजूदा कर्मचारियों का संबंध है, एनसीडब्ल्यूए-VII के अनुसार मजदूरी की बकाया राशि के भुगतान के तौर-तरीके पहले ही तैयार कर लिए गए हैं और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ एक करार किया गया है। उक्त करार के अनुसार मजदूरी की बकाया राशि का

भुगतान तीन किस्तों में किया जाता हैं, पहली किस्त 31.5.06 तक, दूसरी किस्त दीपावली के त्यौहार से पहले और अंतिम किस्त 31 मार्च, 2007 तक। तदनुसार, बकाया राशि की पहली किस्त का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया गया है। अन्य दो किस्तों का भुगतान करार के अनुसार यथा समय पर किया जाएगा।

(ङ) और (च) उपर्युक्त दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते है।

चीनी फर्मों द्वारा निवेश

3025. श्री मिलिन्द देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारत के तेजी से बढ़ते अवसंरचना क्षेत्र जैसे कि दूरसंचार में चीनी फर्मों को निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हुआ वी टेलिकम्यूनिकेसंस सरकार से सुरक्षा अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, चीनी कंपनियों सहित विदेशी कंपनियों को दूरसंचार के विभिन्न उप-क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) के समक्ष मेसर्स हुआवी दूरसंचार कं. प्राइवेट लि. का प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कतिपय सूचनाओं/स्पष्टीकरणों के न मिलने के कारण लंबित है। अत: इस प्रस्ताव के क्लियरेंस हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

रोमिंग चार्जों का भुगतान

3026. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा के विभिन्न गांवों में बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ताओं को रोमिंग चार्ज का भुगतान के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) ऐसी संभावना हो सकती है कि रोमिंग सुविधायुक्त बीएसएनएल मोबाइल रखने वाला हरियाणा का कोई उपभोक्ता हरियाणा और इसके साथ लगते लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के बीच की सीमा के समीप हो और यदि उसका मोबाइल हैंडसैट "ऑटोमेटिक नेटवर्क सलैक्शन मोड" में है तो उस बीएसएनएल या एमटीएनएल के साथ लगते एलएसए की सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। प्रभार, उपभोक्ता द्वारा "विजिटेड नेटवर्क" लॉन ऑन करने तथा उसका उपयोग करने पर "विजिटिड नेटवर्क" में उपयोग हेतु प्रभार, लागू योजना/प्रशुल्क के अनुसार, वसूला जाता है। तथापि, जब-कभी ऐसा मामला सामने आता है तो उसको यथा संभव ठीक करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

एलएसए के अंतर्गत "सैल साइटों" द्वारा उत्सर्जित जीएसएम आधारित रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नलों के उपयोग को सीमित करने हेतु तकनीकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तथापि, एक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) द्वारा उसके साथ लगते लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों की साझी सीमा टेढ़ी-मेढ़ी होने के कारण कुछ क्षेत्रों में इसकी शत-प्रतिशत परिशुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

एच. आई. वी. के मामले

3027. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में 1994 में 65 प्रतिशत वेश्याएं एच आई वी पॉजिटिव पाई गई थीं, जैसा कि एन ए सी ओ के प्रकाशन "कन्ट्री सिनेरियो 1994" में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संक्रमित वेश्याओं में से वर्षवार कितनी वेश्याओं की मृत्यु हुई और 65 प्रतिशत में से एड्स पीड़ित वेश्याओं की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) 1994 में एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि मुंबई में वेश्यालयों में रहने वाली महिला यौन कर्मियों के समूह में व्यापतता दर 52% थी। एच आई वी पाजिटिव पाए गए व्यक्तियों का पता लगाने संबंधी कार्य नहीं किया गया है और पाजिटिव पाए गए व्यक्तियों की मौतों संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

एच आई वी/एड्स से प्रभावित बच्चे

3028. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एच आई वी/एड्स से पीड़ित बच्चों के संरक्षण, परिचर्या और सहायता के लिए एक योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (चरण-III; 2006-II) के अधीन एचआईवी/एड्स से संक्रमित अथवा प्रभावित बच्चों के निवारण, परिचर्या और उपचार के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। विशिष्ट कार्यकलापों में माता-पिता से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम के जरिए नवजात शिशुओं को होने वाले एचआईवी संक्रमण की रोकथाम में तेजी लाना और 2011 तक अनुमानित 40,000 बच्चों का बाल चिकित्सीय रिट्रोवायरलरोधी औषधों से उपचार करना शामिल है।

नेपाल के साथ प्रत्यर्पण संधि

3029. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने नोपल के साथ प्रत्यर्पण संधि की है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान नेपाल से प्रत्यर्पित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत में अपराध करके नेपाल चले जाने वाले अपराधियों को वापस लाने के लिए वर्तमान में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान नेपाल से किसी को प्रत्यर्पित नहीं किया गया।

(ग) 1953 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का उपयोग वैसे भारतीय राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण करने के लिए किया जा सकता है जो भारत में अपराध करने के पश्चात नेपाल भाग गये हों।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का विलय

3030. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) को किसी अन्य संगठन के साथ जोड़ कर कतिपय परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विलय का ब्यौरा क्या है और उक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नए संगठन या प्राधिकरण के सृजन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए उद्यम के सदस्य कौन हैं और इसके सदस्य, संरचना और कार्य क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) 1 जून, 2005 के संकल्प में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) का विलय राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एन एस ओ) नामक एक एकल अस्तित्व में कर दिया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एन एस ओ) का अध्यक्ष भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् होगा और उनके पद का स्तर भारत सरकार के सचिव का होगा। एन एस ओ के दो स्कंध होंगे नामत: (1) केन्द्रीय सांख्यिकीय ऑफिस (सी एस ओ) तथा (2) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

(एन एस एस ओ)। एन एस ओ सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के कार्यकारी स्कंध के रूप में कार्य करेगा।

[हिन्दी]

सैकेंडरी स्विचिंग क्षेत्रों (एस.एस.ए.) में केबल कार्य

3031. **श्री संतोष गंगवार:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-06 के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने सैकेंडरी स्विचिंग क्षेत्रों (एसएसए) में केबल कार्य आरंभ किया गया है;

(ख) इन कार्यों की अनुमानित लागत कितनी है और इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित करने और भुगतान करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ग) क्या इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) देश में और विशेषत: उत्तर प्रदेश के उन गौण स्विचन क्षेत्रों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है, जिनमें केबल कार्य पूरा किया जा चुका है।

खुली निविदा की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात् निविदा आमंत्रित करने हेतु प्रमुख समाचार-पत्रों में एनआईटी प्रकाशित करना, निविदा खोलने वाली समिति (टीओसी) द्वारा निविदा खोलना, निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा निविदाओं का मूल्यांकन करना, सफल बोलीदाताओं को कार्य सौंपना तथा इन कार्यों का कार्यान्वयन करना। भुगतान निविदा की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

देश में गौण स्विचन क्षेत्र जहां वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान केबल-कार्य किए गए हैं

क्र.सं.	मद	देश भर में		गौण स्विचन क्षेत्रों की संख्या, विशेषत: उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दोनों में*	
		2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1.	देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश में स्थित उन गौण स्विचन क्षेत्रों की संख्या जहां वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान केबल-कार्य किए गए हैं	283	273		
2.	इन गौण स्विचन क्षेत्रों के संदर्भ में निविदाओं और भुगतान प्रक्रियाओं सहित अनुमानित लागत।	537.17 करोड़ रु.	460.47 करोड़ रु.	43.2 करोड़ रु.	32.52 करोड़ रु.
3.	म.टे.नि.लि.	251.88 करोड़ रु.	210.67 करोड़ रु.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

*उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) का ब्यौरा क्रमश: विवरण-II एवं विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-II

उत्तर प्रदेश (पूर्व) में केबल-कार्य की अनुमानित लागत

क्र.सं.	केबल कार्य की अनुमानित लागत (लाख रु. में)			
	2004-05		2005-06	
	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	अनुमानित लागत	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	अनुमानित लागत
1.	बहराइच	51.00	इलाहाबाद	116.00
2.	बांदा	30.47	आजमगढ़	200.00
3.	देवरिया	207.00	बांदा	3.50
4.	फर्रुखाबाद	148.00	बाराबंकी	48.00
5.	फतेहपुर	90.00	बस्ती	30.00
6.	गाजीपुर	70.00	देवरिया	60.00
7.	गोरखपुर	82.08	फैजाबाद	50.00
8.	हमीरपुर	145.00	फतेहपुर	10.00
9.	हरदोई	70.00	गाजीपुर	65.00
10.	जौनपुर	170.00	गोंडा	90.00
11.	झांसी	165.00	गोरखपुर	19.00
12.	कानपुर	191.00	हरदोई	105.00
13.	लखनऊ	235.00	जौनपुर	184.00
14.	मऊ	210.00	झांसी	165.00
15.	मिर्जापुर	238.45	कानपुर	195.00
16.	ओरई	40.00	मऊ	240.00
17.	प्रतापगढ़	100.00	मिर्जापुर	170.00
18.	रायबरेली	119.00	ओरई	100.00
19.	सीतापुर	252.90	प्रतापगढ़	45.00
20.	सुल्तानपुर	16.00	रायबरेली	94.54
21.	उन्नाव	132.72	शाहजहांपुर	61.00
22.	वाराणसी	10.00	सीतापुर	252.00
23.			सुल्तानपुर	98.00
24.			उन्नाव	30.00
25.			वाराणसी	0.48
	जोड़	2773.62		2432.82

विवरण-III

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल में केबल-कार्य की अनुमानित लागत

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	निम्नोक्त वर्ष हेतु केबल बिछाने के कार्य की अनुमानित लागत (हजार रु. में)	
		2004-05	2005-06
1.	आगरा	1,970	0
2.	अलीगढ़	0	9,256
3.	बदायूं	4,000	2,500
4.	बरेली	0	1,090
5.	बिजनौर	0	2,075
6.	बुलंदशहर	29,500	0
7.	एटा	0	6,500
8.	गाजियाबाद	38,000	0
9.	मथुरा	19,200	2,100
10.	मेरठ	7,500	10,800
11.	मोरादाबाद	0	11,525
12.	मुजफ्फरनगर	0	15,610
13.	नोएडा	21,000	11,000
14.	पीलीभीत	20,000	0
15.	रामपुर	3,900	0
16.	सहारनपुर	9,550	9,328
	जोड़	154,620	81,884

प्रशासनिक सुधार आयोग की अवधि बढ़ाना

3032. श्री भर्तृहरि महताब: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि तक आयोग द्वारा आरंभ किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयोग ने कोई रिपोर्ट सौंपी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयोग को दिए गए विचारार्थ विषय काफी विस्तृत हैं और आयोग को पूर्ण रूप से प्रचालन में लाने में कुछ समय लग गया था, सरकार ने आयोग के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए अर्थात् 31.8.2007 तक बढ़ा दिया है।

(ग) से (ङ) आयोग को दिये गये विचारार्थ विषयों पर आयोग कार्य कर रहा है। इस आयोग ने अभी तक 'सूचना का अधिकार-सुशासन की प्रमुख कुंजी' तथा 'मानक पूंजी को खोलना-हकदारियां एवं शासन-एक मामला अध्ययन' नामक दो रिपोर्टें सरकार को सौंपी हैं। प्रथम रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से संबंधित है। दोनों रिपोर्टों को आयोग की वेबसाइट http://arc.gov.in पर रखा गया है।

यूरेनियम भंडार

3033. श्री अनन्त नायक:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम के विशाल भंडार मौजूद हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेघालय में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो यह भंडार किस तरह का है और कितना है;

(ङ) क्या इन यूरेनियम भंडारों का उचित ढंग से दोहन नहीं किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इन भंडारों के उचित दोहन के लिए क्या कार्य योजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) यूरेनियम के संतुलित स्रोत देश के विभिन्न भागों में विद्यमान हैं, इन स्रोतों को भूवैज्ञानिक और आर्थिक महत्व के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, नामत: यथोचित रूप से सुनिश्चित स्रोत (आर ए आर) और अनुमानित अतिरिक्त स्रोत (ई ए आर-1), आर ए आर श्रेणी अनुमानत: 77,185 मीटरी टन U_3O_8 आंकी गई है और ई ए आर श्रेणी अनुमानत: 23,525 मीटरी टन U_3O_8 आंकी गई है (U_3O_8 के कुल 1,00,710 मीटरी टन स्रोत)।

(ग) और (घ) मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में 16,400 मीटरी टन तक के यूरेनियम निक्षेपों के होने का अनुमान है।

(ङ) और (च) इन स्रोतों को काम में लाने के लिए योजनाएं तैर कर ली गई हैं, इस विभाग का एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, विभिन्न सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद, इन निक्षेपों का वाणिज्यिक उपयोग शुरू करने की योजना बना रहा है। परियोजना-पूर्व के कार्य किए जा रहे हैं।

तमिलनाडु में केन्द्रीय निवेश

3034. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में गत वर्षों में केन्द्रीय निवेश में भारी कटौती की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में किये गये केन्द्रीय निवेश का ब्यौरा क्या है और किन क्षेत्रों में निवेश किये गये; और

(घ) राज्य में केन्द्रीय निवेश को और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान तमिलनाडु की वार्षिक योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा सम्मत केन्द्रीय सहायता क्रमश: 2109.56 करोड़ रुपये, 2474.89 करोड़ रुपये और 2662.43 करोड़ रुपये थी।

पी. एस. एल. वी. का प्रक्षेपण

3035. **श्रीमती अर्चना नायक:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) को योजना अनुसार प्रक्षेपित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएसएलवी द्वारा इंडोनेशिया के उपग्रहों सहित तीन उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी एस एल वी-सी7) का अगला प्रमोचन 2006 की अंतिम तिमाही के लिए निर्धारित है। इसके लिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में प्रमोचक राकेट समेकन संबंधी क्रियाकलाप पहले ही प्रारंभ किए जा चके हैं। इसके साथ ही, पीएसएलवी-सी7 द्वारा प्रमोचित किये जाने वाले उपग्रहों के विविध परीक्षण इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में आयोजित किये जा रहे हैं।

(ग) पीएसएलवी-सी7 की अगली उड़ान इंडोनेशिया के एक उपग्रह सहित चार उपग्रहों को अपने साथ ले जाएगी।

(घ) इनमें से दो हमारे राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भाग-(1) मानचित्रकला संबंधी उपयोगों के लिए कार्टोसेट-2 तथा (2) सूक्ष्म-गुरूत्व परीक्षणों के लिए अंतरिक्ष केप्स्यूल

पुन: प्राप्ति परीक्षण (एस आर ई)। इसके अतिरिक्त, पी एस एल वी-सी7 पर्यावरणीय मानीटरन संबंधी उपयोगों के लिए इंडोनेशिया का एक सूक्ष्म उपग्रह **लापान-टबसैट** तथा अव्यवसायी रेडियो परीक्षणों के लिए अर्जेंटिना विश्वविद्यालय का एक सूक्ष्म उपग्रह **नेन्गो-पेह्यूनसैट** नामक दो और उपग्रहों को अपने साथ ले जाएगा।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

3036. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परमाणु ऊर्जा पर सरकार का क्या रवैया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे किस दृष्टि से देखा जा रहा है; और

(घ) भविष्य में परमाणु ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए प्राप्त होने वाली संभावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) 3900 मेगावाट-ई की मौजूदा परमाणु विद्युत क्षमता, केगा, कर्नाटक (440 मेगावाट-ई), रावतभाटा, राजस्थान (440 मेगावाट-ई), कुडनकुलम, तमिलनाडु (2000 मेगावाट-ई) में निर्माणाधीन परियोजनाओं और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कलपाक्कम, तमिलनाडु में तैयार की जा रही एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीटर रिएक्टर परियोजना (500 मेगावाट-ई) के पूरा हो जाने पर वर्ष 2011 तक क्रमिक रूप से बढ़कर 7280 मेगावाट-ई हो जाएगी। ग्यारहवीं योजनावधि में और उसके बाद भी और अधिक यूनिटों को हाथ में लिए जाने की योजना है, ताकि वर्ष 2020 तक स्थापित क्षमाता लगभग 20,000 मेगावाट-ई तक पहुंच जाए।

(ग) दीर्घावधि तक बिजली के उत्पादन हेतु थोरियम के स्वदेशी स्रोतों का उपयोग करने के लिए देश के स्वदेशी त्रि-चरणीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम पर काम चल रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकार के लिए उठाए गए मौजूदा कदमों का उद्देश्यों निकट समय में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, अपेक्षाकृत अधिक अतिरिक्त क्षमता बढ़ा सकने के लिए स्वदेशी कार्यक्रम के अंतर्गत और भी रिएक्टर स्थापित करने हेतु, प्रौद्योगिकियों और ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना है।

(घ) इन कदमों के परिणामस्वरूप बड़ी क्षमता वाले परमाणु विद्युत रिएक्टरों और ईंधन का आयात किए जा सकने की आशा है।

[अनुवाद]

भोजन में पोषक तत्वों की कमी

3037. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण 70 प्रतिशत से अधिक गरीब बच्चों, महिलाओं और लड़कियों में रक्त अल्पता पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-II, 1998-99) के अनुसार, 53.9% ग्रामीण महिलाओं और 56.0% किशोरियों (15-19 वर्ष) में रक्त अल्पता पाई गई थी। 6 से 35 महीने के बाल आयु समूह के बीच रक्त अल्पता की व्यापकता 74.3% थी।

(घ) भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और इस तक पहुंच को सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। कार्यकलापों में आरसीएच-II कार्यक्रम शामिल है जिसके तहत आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां सभी गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं तथा 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाती हैं।

रक्त अल्पता सहित लोगों की पोषक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। मुख्य उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

लोगों में रक्त अल्पता सहित उनकी पोषण स्थिति को सुधारने के लिए उपाय

- कृषि तथा बागवानी उत्पाद में सुधार करना।
- विभिन्न आय उत्पन्न करने वाली स्कीमों के माध्यम से लोगों की खरीदने की शक्ति में सुधार करना।
- जन वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दर पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध करना।
- जागरूकता बढ़ाने के लिए और स्तनपान एवं विविध आहारों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ आहार आदतों में वांछित परिवर्तनों के बारे में पोषण शिक्षा।
- 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनायी गयी थी और सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण कार्रवाई योजना (1995) कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना की गई है।
- पूरक आहार कार्यक्रम
  (1) एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस)
  (2) प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न आहार कार्यक्रम)।
- विशिष्ट सूक्ष्म पोषक अल्पता विकारों को रोकने के लिए कार्यक्रम।

(1) **रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम**–प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम जिसे पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत रोग निरोधन और रक्त अल्पता के उपचार के लिए गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं तथा बच्चों (1-5 वर्ष) को आयरन और फोलिक एसिड वाली गोलियां प्रदान की जाती हैं।

(2) विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली पोषणिक दृष्टिहीनता को रोकने के लिए कार्यक्रम।

(3) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम।

(4) सूक्ष्म पोषण की कमी के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजना।

भारतीय भू-पत्तन-प्राधिकरण

3038. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय भू-पत्तन-प्राधिकरण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) गृह-मंत्रालय, देश की स्थल-सीमाओं में प्रवेश करने के स्थलों पर एकीकृत जांच-चौकियों के निर्माण प्रबंधन और रख-रखाव की देख-रेख करने के लिए भारतीय स्थल-पत्तन-प्राधिकरण स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वे एकीकृत जांच-चौकियां सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक एकल परिसर में वाहन खड़े किए जाने के स्थान, भण्डारण, बैंक, होटलों इत्यादि जैसी सहायक सुविधाओं से सम्पन्न होने के साथ-साथ, आप्रवास, सीमा-शुल्क, सीमा-सुरक्षा इत्यादि जैसे सभी नियामक अभिकरणों से भी युक्त होंगी।

पथकर दरों में वृद्धि

3039. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर तासवड़े पथकर संग्रहण केन्द्र में पथकर दरें दुगुना कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछली पथकर दरों की अनुसूची का ब्यौरा क्या है और संशोधित पथकर दर अनुसूची क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने पथकर दरों में वृद्धि को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत विकसित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए समान पथकर नीति बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 1.7.2006 से पहले 639/00 से 725/00 कि.मी. के बीच 70 कि.मी. लंबाई के लिए पथकर वसूल किया जा रहा था किन्तु सतारा-कागल खंड को चार लेन बनाने का कार्य पूरा होने के पश्चात् अब 592/240 से 725/00 कि.मी. के बीच 132.76 कि.मी. लंबाई के लिए पथकर वसूल किया जा रहा है।

(ग) पुराने और नए पथकर प्रभारों के ब्यौरे इस प्रकार है–

क्र.सं.	वाहन की किस्म	पिछली पथकर दरें (रु.)	नई पथकर दरें (रु.)
1.	मोटर कार, यात्री वैन या जीप	42	82
2.	हल्के माल वाहन	72	143
3.	ट्रक/बस	144	287

(घ) और (ङ) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5.5.2005 की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 647 (अ) के तहत पथकर में वृद्धि को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(च) और (छ) जी हां। पथकर नीति की समीक्षा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

3040. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय जिलेवार कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) जिलावार कितने गांवों में डाकघर की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या सरकार ने इन गांवों में उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) जम्मू व कश्मीर और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाकघरों की संख्या का जिलावार ब्यौरा और ऐसे गांवों की संख्या जहां डाकघर उपलब्ध नहीं हैं, संलग्न विवरण में दी गई है। हालांकि, सभी गांवों को नजदीक के स्थानों में मानदण्डों के मुताबिक औचित्यसम्मत डाकघरों के माध्यम से डाक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों में मानदण्डों के आधार पर डाकघर उपलब्ध नहीं कराए जा सकते वहां सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंचायत संचार सेवा योजना बनाई गई है। इस समय कर्नाटक में 26 पंचायत संचार सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं।

विवरण

जम्मू व कश्मीर और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय कार्यरत डाकघरों और डाकघर की सुविधा रहित गांवों की जिलावार संख्या निम्नानुसार है

राज्य का नाम	जिले का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाकघरों की संख्या	डाकघर रहित गांवों की संख्या
1	2	3	4
जम्मू व कश्मीर	अनंतनाग	145	230
	बारामुला	174	464
	बडगाम	64	406

1	2	3	4
	डोडा	123	531
	जम्मू	167	876
	कारगिल	50	77
	कठुआ	133	423
	कुपवाड़ा	76	286
	लेह	52	60
	पलवामा	97	441
	पूंछ	62	110
	राजौरी	119	258
	श्रीनगर	37	131
	ऊधमपुर	165	428
	कुल	1464	4721
कर्नाटक	बेंगलूर शहरी	79	301
	बेंगलूर ग्रामीण	334	1946
	बगलमकोट	294	299
	बेलगांव	635	665
	बेल्लारी	344	175
	बीदर	285	321
	बीजापुर	392	314
	कामराजनगर	301	258
	चिकमंगलूर	280	740
	चित्रदुर्ग	272	622
	दावनगेरे	206	566
	धारवाड	154	193
	दक्षिणकन्नडा	460	58
	गदाग	145	174
	गुलबर्ग	581	739
	हासन	382	1982
	हवेरी	239	473
	कोडगु	204	84
	कोलार	369	2526
	कोप्पल	204	349
	मंड्या	329	1034
	मैसूर	210	875
	रायचूर	267	543
	शिमोगा	424	1119
	तुमकूर	531	2005
	उडुपी	238	30
	उत्तरकन्नडा	439	914
	कुल	8598	19305

[अनुवाद]

श्रीनगर में मेडीकल कॉलेज

3041. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल के श्रीनगर में मेडीकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एम सी आई) को मंजूरी प्रदान करने के लिए उक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान करने के निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) उत्तरांचल

सरकार से अगस्त, 2005 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें श्रीनगर, पौढ़ी गढ़वाल में एक नया चिकित्सा कालेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी गई थी। इस प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) को भेजा गया था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने कालेज का निरीक्षण किया और विभिन्न अवसरंचनात्मक और अन्य कमियों का उल्लेख किया। इन कमियों को उत्तरांचल राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था। इस प्रस्ताव को स्वीकृति देना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमनों में विहित अपेक्षाओं, विहित मानकों के अनुसार सुविधाओं की उपलब्धता तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार को की गई सिफारिशों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र को कोयला ब्लाक

3042. **श्री मो. ताहिर:**
श्री शिशुपाल पटले:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयले की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए कोयला ब्लाकों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित सभी कोयला खानें कम मात्रा में कोयले का उत्पादन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को ऐसी खानों के कोयला ब्लाकों को प्रदान करने के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की योजना वर्ष 2011-12 तक कोयले की मांग और लक्ष्य को पार करने की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) अनुमत अन्त्य उपयोगों के लिए सरकारी कंपनियों/निजी क्षेत्र को आबंटन हेतु लगभग 20.02 बिलियन टन के कुल भू-गर्भीय भंडार वाले 81 कोयला ब्लॉकों की पहचान की गई है।

(ग) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों से कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा कोयले का उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से अधिक हुआ है।

(घ) सी.आई.एल. के लिए निर्धारित ब्लाकों की हाल ही में समीक्षा की गई है। 48 कोयला ब्लॉक जिन्हें 11वीं योजना के लिए सी.आई.एल. की उत्पादन योजना में शामिल नहीं किया गया था, को सी.आई.एल. की सूची से निकाल दिया गया है।

(ङ) और (च) अब तक लगभग 56 कोयला ब्लॉक निजी क्षेत्र की कंपनियों/अनुमत अन्त्य उपयोगकर्ताओं को आबंटित किए गए हैं। उन्हें 2011-12 तक कोयला उत्पादन को बढ़ाने में पर्याप्त रूप से योगदान देना चाहिए।

[अनुवाद]

तारापुर परमाणु संयंत्र

3043. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तारापुर की तीसरी परमाणु इकाई ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका अनुमानित उत्पादन कितना है; और

(ग) उत्पादित परमाणु ऊर्जा का वितरण उपभोक्ताओं के बीच किस प्रकार किया जाता है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 (टीएपीपी-3, 540 मेगावाट-ई) को 15.6.2006 को ग्रिड के साथ जोड़ा गया था।

(ग) इसकी विद्युत को पश्चिमी विद्युत क्षेत्र के लाभभोगी राज्यों को आबंटित किया गया है, राज्य की वितरण कंपनियां, नाभिकीय विद्युत सहित सभी स्रोतों से प्राप्त बिजली का वितरण अंतिम उपभोक्ताओं को करती हैं।

[हिन्दी]

शिपिंग कंपनियां

3044. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थान-वार कितनी भारतीय और विदेशी शिपिंग कंपनियां पंजीकृत हैं;

(ख) उक्त कंपनियों में कितने प्रकार के पोत हैं और उनकी क्षमता कितनी है और यात्री और मालवाहक पोतों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की शिपिंग कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) किसी भारतीय नागरिक, किसी कंपनी या किसी सहकारी सोसायटी के स्वामित्व में यांत्रिक रूप से चलाए जाने की दृष्टि से अपेक्षित साधनों से सम्पन्न और 15 टन निवल से अधिक धारिता की दृष्टि से अपेक्षित आकार के समुद्र गामी पोत, वाणिज्य-पात-परिवहन-अधिनियम, 1958 के अनुसार पंजीकृत किए जाते हैं। विदेशी पोत-परिवहन-कंपनियों के पोत, भारत में पंजीकृत नहीं किए जाते।

30.6.2006 को रही स्थिति के अनुसार, 190 संगठनों द्वारा पंजीकृत करवाए गए 8.57 मिलियन सकल टन-भार के 756 पोत हैं। उपर्युक्त संगठनों में, भारतीय कंपनियां, केन्द्रीय सरकार के अधीन कंपनियां और राज्य-सरकारों के अधीन कंपनियां शामिल हैं। इन पोतों में से 43 यात्री पोत हैं। पोत-स्वामी कंपनियों, उनकी अवस्थिति और उनके स्वामित्व में मौजूद पोतों का पोत-स्वामी-कंपनी-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) भारत-सरकार के अधीन कार्य कर रहे भारतीय नौवहन निगम को कोई घाटा नहीं हो रहा है।

विवरण

30.6.2006 को रही स्थिति के अनुसार, भारतीय टन-भार का कंपनी-वार ब्यौरा

क्र.सं.	पोत-परिवहन-कंपनी का नाम	तटीय			विदेशी			कुल योग		
		पोत	जीटी	डी डब्लयूटी	पोत	जीटी	डी डब्ल्यूटी	पोत	जीटी	डीडब्ल्यूटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ए.बी.जी. शिपिंग लि., मुंबई	2	3748	5259	3	76944	130836	5	80692	136095
2.	लक्षद्वीप-प्रशासन, लक्षद्वीप	11	13196	5491	—	—	—	11	13196	5491
3.	अडानी पोर्ट लि., गुजरात	1	355	0	—	—	—	1	355	0
4.	अख्तर हुसैन मर्चेन्ट, मुंबई	—	—	—	1	472	700	1	472	700
5.	अंडमान और लक्षद्वीप-प्रशासन, अंडमान	1	179	0	—	—	—	1	179	0
6.	ए. एस. एम. शिपिंग लि., मुंबई	—	—	—	1	18101	30990	1	18101	30990
7.	एमिक टैक्नोकॉन्स लि., मुंबई	1	199	350	—	—	—	1	199	350
8.	अमित शिप मैनेजमेंट, मुंबई	2	707	0	—	—	—	2	707	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	अम्मा लाइन्स लि., मुंबई	1	11025	16500	—	—	—	1	11025	16500
10.	अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह-प्रशासन, अंडमान	6	48309	17218	2	10808	9163	8	59117	26381
11.	अंजान शिपिंग प्रा. लि., मुंबई	1	382	112	—	—	—	1	382	112
12.	आर्क मैरिन प्रा. लि., मुंबई	2	320	173	—	—	—	2	320	173
13.	आर्केडिया शिपिंग, मुंबई	—	—	—	1	23658	39338	1	23658	39338
14.	आर्डेशिर बी. करसेतजी, मुंबई	1	98	0	—	—	—	1	98	0
15.	ए पी जे चार्टर प्रा. लि. कोलकाता	1	39	0	—	—	—	1	39	0
16.	एसोशिएटिड मैरीटाइम प्रा. लि., मुंबई	1	1090	2052	—	—	—	1	1090	2052
17.	अंटलांटिक शिपिंग प्रा. लि., मुंबई	1	2814	3617	—	—	—	1	2814	3617
18.	एशियन शिपिंग सर्विसिज मुंबई	—	—	—	1	10848	8945	1	10848	8945
19.	आर्चियन ग्रेनाइट्स प्रा. लि., चेन्नई	—	—	—	1	41671	84700	1	41671	84700
20.	ब्लास्ट हैम ड्रेजिंग इंडिया प्रा. लि., मुंबई	1	467	0	1	6814	0	2	7281	0
21.	बोइर सेन्ड एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, मुंबई	1	214	0	—	—	—	1	214	0
22.	बिजकेयर सर्विसिज, अहमदाबाद	1	202	0	—	—	_	1	202	0
23.	ब्लू ओशियन सी ट्रांसपोर्ट लि. मुंबई	1	396	596	—	—	—	1	396	596
24.	बॉम्बे मैरीन एंड इंजीनियरिंग, मुंबई	1	499	700	—	—	—	1	499	700
25.	बल्क कंटेनर शिपिंग लि., मुंबई	—	—	—	1	1594	2048	1	1594	2048
26.	केनरा मोटर लांच सर्विसिज, मुंबई	1	70	0	—	—	—	1	70	0
27.	केस्टल शिप्स प्रा. लि., मुंबई	1	1332	2127	—	—	—	1	1332	2127
28.	चम्बा फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, राजस्थान	—	—	—	1	37703	60725	1	37703	60725
29.	चेन्नई-पत्तन-न्यास, चेन्नई	11	6989	0	—	—	—	11	6989	0
30.	चेट्टिनाड सीमेंट लि. चेन्नई	—	—	—	1	26014	43589	1	26014	43589
31.	चोगले स्टीमशिप मुंबई	4	26961	42380	1	38269	71252	5	65230	113632
32.	कोचीन-पत्तन-न्यास, कोचीन	5	3954	2308	—	—	—	5	3954	2308
33.	वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	1	2661	800	—	—	—	1	2661	800
34.	क्राउन मैरीटाइम कंपनी (इंडिया) लि., मुंबई	1	264	0	—	—	—	1	264	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	दीप-स्तंभ एवं दीप-पोत-महानिदेशालय, मुंबई	3	5823	3083	—	—	—	3	5823	3083
36.	दमानिया शिपिंग लि., मुंबई	1	481	45	—	—	—	1	481	45
37.	दामोदर मैरीन सर्विसिज, मुंबई	1	487	737	—	—	—	1	487	737
38.	महासागर विकास-विभाग, नई दिल्ली	3	4582	1605	—	—	—	3	4582	1605
39.	पशु-पालन और डेयरी-विभाग, नई दिल्ली	1	785	0	—	—	—	1	785	0
40.	नौवहन सेवाओं के निदेशक, अंडमान एवं निकोबार	2	870	0	1	449	500	3	1319	500
41.	डाल्फिन ऑफशोर, मुंबई	2	1371	763	1	1128	0	3	2499	763
42.	भारतीय निकर्षण निगम लि., विशाखापट्टनम	15	67848	12697	—	—	—	15	67848	12697
43.	भारतीय अंतरराष्ट्रीय ड्रेजिंग प्रा. लि., नई दिल्ली	1	92	0	—	—	—	1	92	0
44.	एलकॉम एवं, मुंबई	2	667	759	—	—	—	2	667	759
45.	एलान हिर्नेंगो लि. कारनिकोबार	3	1201	2814	1	1557	2301	4	2758	5115
46.	एपसम शिपिंग (इंडिया) प्रा. लि. मुंबई	1	456	268	—	—	—	1	456	268
47.	एस्सार शिपिंग लि., मुंबई	22	23235	32895	10	520911	962304	32	544146	995199
48.	एवरसन स्पोर्कल, हैदराबाद	1	262	78	—	—	—	1	262	78
49.	फाइव स्टार बल्क केरियर प्रा. लि., मुंबई	—	—	—	2	38327	63143	2	38327	63143
50.	फग्रो बियोनिक्स प्रा. लि., नवी मुंबई	1	456	0	—	—	—	1	456	0
51.	गुजरात अम्बूजा सीमेंट, मुंबई	3	5599	7500	2	6045	5287	5	11644	12787
52.	गल ऑफशोर, मुंबई	1	640	0	—	—	—	1	640	0
53.	गुड अर्थ मैरीटाइम लि., चेन्नई	1	428	193	4	95833	162447	5	96261	162640
54.	गरूड़ केरियर एंड शिपिंग, मुंबई	4	6429	10416	—	—	—	4	6429	10416
55.	गरवारे शिपिंग मुंबई	4	3468	4240	1	1972	3096	5	5440	7336
56.	गति लि., चेन्नई	1	3553	4811	—	—	—	1	3553	4811
57.	गति कॉस्ट टू कॉस्ट चेन्नई	—	—	—	2	10086	12763	2	10086	12763
58.	गौतम फ्रेट लि., गांधीधाम (कच्छ)	1	298	405	—	—	—	1	298	405
59.	गेलियन शिपिंग लि., मुंबई	—	—	—	2	3184	4352	2	3184	4352
60.	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, नई दिल्ली	3	2942	2005	—	—	—	3	2942	2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कं. लि., मुंबई	24	19563	21277	47	1778393	3147500	71	1797956	3168777
62.	गुजरात समुद्रीय बोर्ड, गुजरात	15	1828	0	—	—	—	15	1828	0
63.	गुजरात अडानी-पत्तन, गुजरात	4	1143	35	—	—	—	4	1143	35
64.	गोवा शिपयार्ड लि., गोवा	1	121	0	—	—	—	1	121	0
65.	हल ऑफशोर लि., मुंबई	1	1085	832	—	—	—	1	1085	832
66.	हॉवर्स लाइन्स लि., चेन्नई	1	298	957	—	—	—	1	298	957
67.	हेडे फेरोमिन्नस प्रा. लि., मुंबई	2	1121	1622	—	—	—	2	1121	1622
68.	हिन्द ऑफशोर मुंबई	4	1533	236	1	992	1142	5	2525	1378
69.	होटल लीला वेंचर लि., मुंबई	1	722	0	—	—	—	1	722	0
70.	आई मैरीन इंफ्राटैक (इंडिया) प्रा. लि., मुंबई	1	108	98	—	—	—	1	108	98
71.	इंडिया स्टीमशिप कंपनी लि., कोलकाता	—	—	—	2	110158	186127	2	110158	186127
72.	इंडस मैरीन प्रा. लि., मुंबई	2	248	0	—	—	—	2	248	0
73.	इंटरनेशनल सीपोर्ट ड्रेजिंग प्रा. लि., मुंबई	—	—	—	1	7751	0	1	7751	0
74.	आई टी टी शिपिंग प्रा. लि., कोलकाता	2	2552	3374	—	—	—	2	2552	3374
75.	जे एम डी शिपिंग सर्विसिज, मुंबई	1	41	0	—	—	—	1	41	0
76.	जयसू शिपिंग कांडला, गुजरात	9	15304	8758	—	—	—	9	15304	8758
77.	जवाहर लाल नेहरू-पत्तन-न्यास, मुंबई	7	1114	0	—	—	—	7	1114	0
78.	जयेश शिपिंग प्रा. लि., मुंबई	3	1043	1103	—	—	—	3	1043	1103
79.	जेसिया मिस्त्री एजेंसीज, मुंबई	1	91	0	—	—	—	1	91	0
80.	कांडला-पत्तन-न्यास, कांडला	5	1076	419	—	—	—	5	1076	419
81.	के ई आई-आर एस ओ एस मैरीटाइम प्रा. लि., काकीनाडा	5	1017	32	—	—	—	5	1017	32
82.	खलतर मेरीन सर्विस, मुंबई	1	109	0	—	—	—	1	109	0
83.	किन-शिप सर्विसिज (इंडिया) प्रा. लि., कोचीन	—	—	—	1	1593	2183	1	1593	2183
84.	कोलकाता-पत्तन-न्यास, कोलकाता	12	16291	11954	—	—	—	12	16291	11954
85.	कोन्डो स्योकाइ लीजर इंडिया लि., कोचीन	1	21	6	—	—	—	1	21	6
86.	कृष्णा मैरीटेक, मुंबई	—	—	—	1	3133	4354	1	3133	4354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	के.सी. मैरीटाइम (इंडिया) लि., मुंबई	—	—	—	1	11843	5257	1	11843	5257
88.	मैरीन ट्रेडर्स प्रा. लि., भावनगर	1	195	0	—	—	—	1	195	0
89.	मीकॉन प्रा. लि., मुंबई	1	1441	2195	—	—	—	1	1441	2195
90.	मर्केंटर लाइन्स लि., मुंबई	—	—	—	15	772064	1384896	15	772064	1384896
91.	मॉडेस्ट-पत्तन-न्यास, गोवा	4	838	0	—	—	—	4	838	0
92.	मॉडेस्ट ऑफशोर सर्विसिज, मुंबई	1	66	0	—	—	—	1	66	0
93.	माजू मैरीन सर्विसिज, मुंबई	3	766	500	—	—	—	3	766	500
94.	मैक लाइन्स, मुंबई	1	400	1229	—	—	—	1	400	1229
95.	मैक लॉजिस्टिक्स प्रा. लि., मुंबई	—	—	—	1	1175	2099	1	1175	2099
96.	मुंबई-पत्तन-न्यास, मुंबई	9	3388	0	—	—	—	9	3388	0
97.	एम. एम. एक्सपोर्ट, चेन्नई	1	193	0	—	—	—	1	193	0
98.	एन. एस. गुजदर एंड कंपनी, मुंबई	1	498	0	—	—	—	1	498	0
99.	नटवर पारिख इंडस्ट्रीज, मुंबई	7	2529	1386	1	229	0	8	2758	1386
100.	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	1	1085	0	—	—	—	1	1085	0
101.	न्यू इरा शिपिंग लि., गोवा	1	1593	2137	—	—	—	1	1593	2137
102.	नवमंगलूर-पत्तन-न्यास, मंगलूर	5	1878	746	—	—	—	5	1878	746
103.	ओशन डाइविंग सेंटर, मुंबई	1	225	0	—	—	—	1	225	0
104.	ओशन स्पार्कल लि., हैदराबाद	10	2503	496	—	—	—	10	2503	496
105.	तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग, मुंबई	42	84491	71608	—	—	—	42	84491	71608
106.	ओरियन्ट एक्सप्रेस शिप मैनेजमेंट लि., मुंबई	—	—	—	1	6942	9944	1	6942	9944
107.	पालोन्जी शिपिंग प्रा. लि., मुंबई	—	—	—	1	35050	60974	1	35050	60974
108.	पारिख मैरीन एजेंसीज, मुंबई	5	730	0	—	—	—	5	730	0
109.	पर्ल शिप्स लि., चेन्नई	—	—	—	1	23797	39316	1	23797	39316
110.	पेटकॉन इंटरप्राइजेज मुंबई	1	249	184	—	—	—	1	249	184
111.	पोलारिस मैरीन मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि., मुंबई	—	—	—	1	11996	24558	1	11996	24558
112.	पोलस्टार मैरीटाइम लि., मुंबई	—	—	—	1	14936	25324	1	14936	25324
113.	पूमपुहार शिपिंग कं., चेन्नई	3	83984	119961	—	—	—	3	83984	119961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	प्रणिक शिपिंग एंड सर्विसिज, मुंबई	1	1874	2849	—	—	—	1	1874	2849
115.	प्रभात मैरीन सर्विसिज प्रा. लि., मुंबई	1	79	0	—	—	—	1	79	0
116.	प्रतिभा शिपिंग लि., मुंबई	—	—	—	4	95185	159171	4	95185	159171
117.	प्रिंस मैरीन ट्रांसपोर्ट सर्विसिज, मुंबई	3	710	0	—	—	—	3	710	0
118.	प्रोक्वेन ऑफशोर सर्विसिज प्रा. लि., मुंबई	7	1289	930	—	—	—	7	1289	930
119.	प्रॉसपैक्टस शिपिंग प्रा. लि., मुंबई	—	—	—	4	14441	17550	4	14441	17550
120.	पिटिलाइट इंडस्ट्री लि., मुंबई	—	—	—	1	45	14	1	45	14
121.	रेडिएन्ट शिपिंग मुंबई	—	—	—	5	106126	175798	5	106126	175798
122.	रुब शिपिंग एजेंसीज लि. मुंबई	5	2902	1870	—	—	—	5	2902	1870
123.	रमेश चन्द्र सुवर्ण मुंबई	1	314	0	—	—	—	1	314	0
124.	रेकॉन एंजीनियर्स (इंडिया) प्रा. लि. कोलकाता	3	845	2290	—	—	—	3	845	2290
125.	रिलायन्स केपिटल लि., मुंबई	2	930	504	—	—	—	2	930	504
126.	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि., मुंबई	19	27819	32086	1	290	0	20	28109	32086
127.	रत्नमहेन्द्री ऑक्सल फील्ड मुंबई	3	372	125	—	—	—	3	372	125
128.	रेशमसिंग एंड कंपनी प्रा. लि., मुंबई	1	144	0	—	—	—	1	144	0
129.	आर एस ओ एस-आर.के. कवारी, काकीनाडा	2	172	31	—	—	—	2	172	31
130.	एस.के.एस. लि., मुंबई	2	24	0	—	—	—	2	24	0
131.	साधना टैक. वर्क्स, मुंबई	1	108	0	—	—	—	1	108	0
132.	सहारा शिपिंग प्रा. लि., मुंबई	1	78	24	—	—	—	1	78	24
133.	सालगांवकर माइनिंग, मुंबई	—	—	—	1	34920	58635	1	34920	58635
134.	सालगांवकर एंजीनियर्स प्रा. लि., मुंबई	1	12219	17529	—	—	—	1	12219	17529
135.	सम्राट एशिया मैरीटाइम, मुंबई	1	1874	2350	—	—	—	1	1874	2350
136.	सैमसन मैरीटाइम लि., मुंबई	13	6216	5005	1	1674	1477	14	7890	6482
137.	सनमार शिपिंग, मुंबई	—	—	—	3	59867	106610	3	59867	106610
138.	सप्तगिरि शिपिंग कॉ. लि., अंडमान	1	300	710	—	—	—	1	300	710
139.	सौराष्ट्र फ्यूल प्रा. लि., मुंबई	2	3672	5560	—	—	—	2	3672	5560
140.	सी स्पार्कल्स हार्बर सर्विसिज लि., हैदराबाद	3	806	371	—	—	—	3	806	371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	सीलायन स्पार्कल मैरीटाइम सर्विसिज लि., मुंबई	5	1330	394	—	—	—	5	1330	394
142.	सीब्रिज मैरीटाइम एजेंसीज प्रा. लि., मुंबई	2	246	0	—	—	—	2	246	0
143.	सीलैन्डिया शिपिंग एंड एक्सपोर्ट प्रा. लि., मुंबई	1	2233	3881	—	—	—	1	2233	3881
144.	सोस्पन शिपिंग, मुंबई	1	643	139	—	—	—	1	643	139
145.	सीट्रान्स शिपिंग, मुंबई	1	42	0	—	—	—	1	42	0
146.	सेसा गोवा लि., गोवा	1	46178	80000	—	—	—	1	46178	80000
147.	सीलायन स्पार्कल पोर्ट एंड टर्मिनल सर्विसिज, मुंबई	4	1168	762	—	—	—	4	1168	762
148.	सेसा शिपिंग प्रा. लि., मुंबई	1	121	0	—	—	—	1	121	0
149.	सेवेन आइलैंड शिपिंग, मुंबई	—	—	—	3	12812	19522	3	12812	19522
150.	शाही शिपिंग, मुंबई	1	121	0	—	—	—	1	121	0
151.	शान्ति शिपिंग कॉ.प्रा. लि., मुंबई	1	760	830	—	—	—	1	760	830
152.	भारतीय नौवहन निगम लि., मुंबई	14	75241	105592	69	2744374	4760625	83	2819615	4866217
153.	शिवा मार्केटिंग, मुंबई	1	157	0	—	—	—	1	157	0
154.	शिव वाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, नई दिल्ली	1	174	26	—	—	—	1	174	26
155.	श्रेयास शिपिंग, मुंबई	—	—	—	5	51342	64840	5	51342	64840
156.	सिकल सियोक्लेरिकी लॉजिस्टिक्स लि., मुंबई	1	7594	10500	—	—	—	1	7594	10500
157.	सीकल शिपिंग लि., मुंबई	—	—	—	1	11712	17465	1	11712	17465
158.	साउथ ईस्ट एशिया मैरीन इंजी. एंड क., मुंबई	3	11211	6135	—	—	—	3	11211	6135
159.	साउथ इंडिया का. (एजेंसीज) लि., चेन्नई	1	490	826	—	—	—	1	490	826
160.	साउथ इंडिया क. लि., चेन्नई	—	—	—	2	45878	76914	2	45878	76914
161.	एस. सूर्यराव, मुंबई	1	159	0	—	—	—	1	159	0
162.	सुरेन्द्र ओवरसीज लि., कोलकाता	1	35430	64110	4	114934	207559	5	150364	271669
163.	एस वी यू एल प्रोजेक्ट लि., नई दिल्ली	3	339	0	—	—	—	3	339	0
164.	एस.एस. ट्रेडिंग एंड कं., मुंबई	1	196	0	—	—	—	1	196	0
165.	स्किजर विजमूलर हजीरा प्रा. लि., हजीरा	4	1804	0	—	—	—	4	1804	0
166.	टग सीलॉजिस्टिक्स लि., मुंबई	4	4367	5179	—	—	—	4	4367	5179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167.	टी सी आई सीवेज लि., चेन्नई	3	5954	8898	1	2854	3194	4	8808	12092
168.	ग्रीविन मैरीटाइम (इंडिया) मुंबई	2	2892	3761	—	—	—	2	2892	3761
169.	तोलानी शिपिंग लि., मुंबई	—	—	—	4	108618	186389	4	108618	186389
170.	ट्रांसकॉस्टल कार्गो एंड शिपिंग लि., चेन्नई	1	6182	7738	—	—	—	1	6182	7738
171.	भारतीय परिवहन निगम, मुंबई	1	300	710	—	—	—	1	300	710
172.	ट्रिटोन ओवर वाटर, मुंबई	2	70	0	—	—	—	2	70	0
173.	तूतीकोरिन-पत्तन-न्यास, तूतीकोरिन	3	1179	0	—	—	—	3	1179	0
174.	टाइड वाटर (इंडिया) प्रा. लि., मुंबई	3	1397	3250	—	—	—	3	1397	3250
175.	ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विसिज प्रा. लि., कोचीन	—	—	—	1	10848	8945	1	10848	8945
176.	टाइम ट्रेडर, मुंबई	1	113	0	—	—	—	1	113	0
177.	टिमब्लो प्रा. लि., गोवा	1	7594	12207	—	—	—	1	7594	12207
178.	यूनियन ऑफ इंडिया	1	1552	370	—	—	—	1	1552	370
179.	यूनाइटेड शिपर्स, मुंबई	2	1228	1856	—	—	—	2	1228	1856
180.	वी. एम. सलगांवकर, गोवा	1	16388	18970	—	—	—	1	16388	18970
181.	वी एस सलगांवकर ब्रदर्स एंड वी एस डैम्पो एंड कं., गोवा	—	—	—	1	71194	123705	1	71194	123705
182.	वी एस डैम्पो एंड कंपनी प्रा. लि., गोवा	—	—	—	1	12210	7476	1	12210	7476
183.	वरूण शिपिंग क. लि., मुंबई	2	1978	2172	16	380085	568913	18	382063	571085
184.	वाइकिंग लाइटरेज एंड कार्गो, चेन्नई	1	306	415	—	—	—	1	306	415
185.	विक्रम शिपिंग, मुंबई	6	7978	11590	—	—	—	6	7978	11590
186.	विशाखापट्टनम-पत्तन-न्यास, विशाखापट्टनम	12	5277	0	—	—	—	12	5277	0
187.	वी एन एस ऑफशोर सर्विसिज कं. लि., मुंबई	1	132	192	—	—	—	1	132	192
188.	वाटरवेज शिपयार्ड प्रा. लि., गोवा	1	1307	392	—	—	—	1	1307	392
189.	वेस्ट एशिया मैरीटाइम लि., चेन्नई	—	—	—	4	116876	205227	4	116876	205227
190.	योगी सीवरेज प्रा. लि., कोलकाता	1	690	844	—	—	—	1	690	844
	कुल योग (30.06.06)	510	827192	860115	246	7748725	13362182	756	8575917	14222297

महाराष्ट्र में विकास परियोजनाएं

3045. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में कौन-कौन सी विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि खर्च की गयी है/की जा रही है; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.एस. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग समग्र योजना आकार और राज्यों के व्यापक क्षेत्रकीय आवंटन का अनुमोदन करता है। आयोग किसी राज्य क्षेत्रक परियोजनाओं को संस्वीकृत नहीं करता है। महाराष्ट्र की वार्षिक योजना 2006-07 हेतु अनुमोदित परिव्यय 14829.00 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना 2006-07 के लिए अनुमोदित परिव्यय के क्षेत्रकवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	वार्षिक योजना 2006-07	
		अनुमोदित परिव्यय (रुपये लाख में)	कुल परिव्यय में शेयर प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	61785.74	4.17
2.	ग्रामीण विकास	103591.13	6.99
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	60395.00	4.07
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	274295.61	18.50
5.	विद्युत विकास	140599.29	9.48
6.	उद्योग एवं खनिज	18695.81	1.26
7.	परिवहन	175711.12	11.85
8.	संचार	0.00	0.00
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1700.00	0.11
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	48941.58	3.30
11.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	585064.72	39.45
12.	सामान्य सेवाएं	12120.00	0.82
	कुल जोड़	1482900.00	100.00

[अनुवाद]

एम. सी. सी. संशोधन विधेयकों का पुर:स्थापन

3046. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री एम. सी. सी. संशोधन विधेयकों के पुर:स्थापन के बारे में 2.3.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को संसद में कब तक लाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा

केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के संशोधन से संबंधित विधेयक पहले ही दिनांक 23.3.2005 को राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रैक्टीशनर

3047. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योग और प्राकृतिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने वाले अपने नाम के आगे "डॉक्टर" लगा सकते हैं;

(ख) उस सरकारी अभिकरण का क्या नाम है जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने वालों को लाइसेंस प्रदान करता है;

(ग) इस संबंध में नवीकरण प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के संबंध में सरकार का क्या रूख है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) योग और प्राकृतिक चिकित्सा मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियां हैं और इन पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्साभ्यासी अपने नाम के आगे "डाक्टर" शब्द लगा सकते हैं। इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है कि केन्द्रीय स्तर पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा के शिक्षण और अभ्यास को विनियमित किया जाए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इन पद्धतियों के अर्हताप्राप्त चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए राज्य अधिनियमों को अधिनियमित किया है।

[अनुवाद]

खेल के सामान पर राजसहायता

3048. श्री रनेन बर्मन: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास खेलों की कतिपय श्रेणियों के प्रशिक्षण और अभ्यास से संबंधित खेल के सामान पर राजसहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा श्रेणी-वार राजसहायता की कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता के लिए योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत लागत के 75% की सीमा तक प्रशिक्षण/प्रतिस्पर्धा के लिए खेल उपस्करों/वैज्ञानिक खेल उपकरण की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए जिन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	–	–	39,89,835
2.	भारतीय याटिंग परिसंघ	38,66552	2,15,476	–
3.	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ	7,70,412	87,36,280	–
4.	भारतीय बैडमिंटन संघ	59,76,390	35,20,500	11,73,500

1	2	3	4	5
5.	भारतीय तीरंदाजी संघ	37,22,971	–	41,415
6.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	4,19,194	9,56,625	–
7.	भारतीय रोइंग परिसंघ	–	71,28,217	–
8.	भारतीय बिलियर्डस एवं स्नूकर परिसंघ	–	–	2,75,987
9.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	–	36,38,671	–

यौनकर्मियों में एच. आई. वी.

3049. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में 80,000 यौन कर्मियों में से 55 प्रतिशत एच आई वी पाजिटिव हैं जैसाकि 'नाको' (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन) के महानिदेशक द्वारा घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तपोषण करने वाली एजेन्सी का क्या नाम है; और

(घ) अध्ययन करने वाली एजेन्सी का क्या नाम है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) विगत पांच वर्षों संबंधी वार्षिक प्रहरी निगरानी रिपोर्ट के अनुसार मुम्बई में यौन कर्मियों में एचआईवी पाजिटीविटी निम्नलिखित है–

2001	2002	2003	2004	2005
52.3	54.5	54.3	44.8	30.7

ये परिणाम नाको द्वारा देश में आयोजित वार्षिक प्रहरी निगरानी से प्राप्त किए जाते हैं। इस कार्यकलाप के लिए निधियां विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

3050. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने एड्स रोगी हैं;

(ख) देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में इस समय कितने गैर-सरकारी संगठन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं;

(ग) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी एजेन्सियों द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशियों के उपयोग की निगरानी के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 31 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 1986 से देश में राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा कुल 111608 एड्स रोगी सूचित किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 1040 गैर-सरकारी संगठन उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच 1088 लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और 107 गैर-सरकारी संगठन 122 सामुदायिक परिचर्या केन्द्र चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 22 गैर-सरकारी संगठन एचआईवी/एड्स कार्यकलाप कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को 103.99 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इन निधियों की विश्व बैंक, डीएफआईडी और यूएसएड से व्यवस्था की जाती है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है–

दाता एजेन्सी	राशि (करोड़ रुपए में)
नाको (विश्व बैंक सहायता)	33.63
डीएफआईडी	41.36
यूएसएड	29.00
कुल	103.99

इसके अतिरिक्त, नाको से उपलब्ध जानकारी के अनुसार दाता एजेन्सियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित धनराशियां सीधे जारी की गई थीं–

दाता एजेन्सी	राशि (करोड़ रुपये में)
बिल एण्ड मिलिन्डा गेट्स फांउडेशन	180.01
डी.एफ.आई.डी.	10.32
यू.एस.ए.आई.डी.	13.95 (लगभग)
सी.डी.सी. अटलांटा	12.59 (लगभग)

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों को 111.55 लाख रु. की राशि जारी की गई।

(ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के उपयोग की मानीटरिंग संबंधित राज्य की एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा की जाती है।

*मूल उत्तर में डी.एफ.आई.डी. से संबंधित आंकड़े 126.18 करोड़ रुपये थे उपर्युक्त संशोधित उत्तर 25.8.2006 को शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से बाद में दिया गया था और इसे ग्रंथालय में एल.टी.सं. 4907/2006 के अंतर्गत रखा गया है।

महिलाओं हेतु कंडोम

3051. श्री तुकाराम गंगाधर गवाखः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के टारगेटेड इंटरवेन्शन स्ट्रैटिजी के एक भाग के रूप में महिलाओं के लिए कंडोम की शुरूआत किए जाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लागत, राजसहायता, खरीद और संवितरण नेटवर्क के संबंध में निर्णय ले लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) यौन संचारित रोगों और एचआईवी संक्रमण से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुरुष कंडोमों के विकल्प के रूप में महिला कंडोमों की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट द्वारा एक अध्ययन किया गया था। अनुकूल रिपोर्टों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि नाको के अंतर्गत कंडोम प्रोत्साहन के घटक को महिला कंडोमों की शुरूआत करके सुदृढ़ किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान यूएनएफपीए ने नाको के लिए 500100 महिला कंडोमों का आदेश दिया है जिसकी लागत 1.75 करोड़ रुपए है। वर्ष 2006-2007 के दौरान कंडोमों (पुरुष और महिला, दोनों) के प्रापण के लिए बजट आबंटन में 200 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) उच्च व्याप्तता वाले 7 राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पश्चिमी बंगाल) में महिला योन कर्मियों को 5 रुपए की रियायती दर पर महिला कंडोम प्रदान किए जा रहे हैं हालांकि महिला कंडोम का क्रय मूल्य प्रति कंडोम 45 रुपए (लगभग) है।

सभी राज्यों में राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के माध्यम से महिला कंडोम वितरित किए जा रहे हैं जो महिला यौन कर्मियों में लक्षित कार्यकलाप क्रियान्वित करने वाले गैर सरकारी संगठनों का चयन करते हैं।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रस्ताव

3052. श्री गिरिधर गमांग: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुमोदनार्थ कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) इनमें से अभी तक कितने प्रस्तावों को मंजूर किया गया है;

(ग) कितने प्रस्ताव अभी भी लम्बित हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) फरवरी, 2004 के बाद उड़ीसा सरकार से लगभग 1585 कि.मी. राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस समय विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया जा रहा है और उड़ीसा सहित देश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में उड़ीसा में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण सहित विकास पर किया गया व्यय इस प्रकार है–

धनराशि करोड़ रु. में

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (जुलाई, 2006 तक)
व्यय	389.28	369.15	429.67	100.04

विनिर्माण लाइसेंसों का नवीकरण

3053. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधियों के निर्यात की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिड्यूल्ड एम ड्रग्स एंड कॉसमैटिक्स एक्ट पुर:स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास औषधियों का निर्यात नहीं करने वाली इकाइयों का विनिर्माण लाइसेंस के नवीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आज की तिथि तक राज्यवार ऐसी कितनी इकाइयां हैं जिनके लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) औषध के विनिर्माण में गुणवत्ता आश्वासन में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'ड' के अंतर्गत अच्छी विनिर्माण प्रेक्टिस की अपेक्षा 1988 में शुरू की गई थी और 2001 में इसे संशोधित किया गया था। अनुसूची 'ड' की अपेक्षाएं निर्यात के लिए विनिर्मित औषधों तक ही सीमत नहीं हैं क्योंकि ये देश में प्रत्येक विनिर्माण यूनिट द्वारा विनिर्मित औषधों के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं हैं।

(ग) और (घ) विनिर्माण लाइसेंसों का नवीकरण औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। लाइसेंसों का नवीनकरण औषधों के निर्यात से संबंधित नहीं है।

(ङ) विनिर्माण लाइसेंसों का नवीकरण राज्य सरकारों द्वारा मौजूदा मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा नवीकरण किए गए लाइसेंसों/नवीकरण नहीं किए गए लाइसेंसों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव क्रेन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

एड्स पीड़ित लोग

3054. श्री राजेन गोहेन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में एड्स से पीड़ित लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए किसी विदेशी/बाहरी एजेन्सी की सेवाओं को किराए पर लिया है जबकि 18 अगस्त, 2004 के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी और इसके बाद उसी दिन इस संबंध में एक पी आई बी रिलीज जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस कार्य में भाग लेने वाली बाहरी और स्थानीय एजेन्सियों के क्या नाम हैं और वित्तपोषण करने वाली एजेंसी का नाम क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार ने इस समय देश में एड्स से पीड़ित व्यक्तियों

की संख्या का निर्धारण करने के लिए किसी विदेशी/बाहरी अभिकरण की सेवाएं किराये पर नहीं ली हैं। तथापि, सरकार ने प्रहरी स्थलों की संख्या को बढ़ाकर और केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय मानीटरिंग तंत्र के जरिए आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, देश में एचआईवी निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राष्ट्रीय चिकित्सीय सांख्यिकी संस्थान और पांच क्षेत्रीय संस्थानों को मानीटरिंग और पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। निगरानी की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा करने हेतु महानिदेशक, आईसीएमआर की अध्यक्षता में एक कार्य दल समिति भी गठित की गई है जिसमें शैक्षिक संस्थाओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यू एन एड्स, जेनेवा के प्रतिनिधि शामिल हैं।

प्रहरी निगरानी रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में एचआईवी से संक्रमित अनुमानित 5.2 मिलियन व्यक्ति हैं। वर्ष 2006 के दौरान प्रहरी निगरानी के लिए 434 और स्थल भी जोड़े गए हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा में पी.सी.ओ.

3055. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में कुल कितने पी.सी.ओ. हैं;

(ख) कुल कितने आवेदन अनुमोदनार्थ लम्बित हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 30.6.2006 की स्थिति के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उड़ीसा के बोलनगीर जिले में 693 पीसीओ प्रदान किए गए हैं तथा बीएसएनएल के पास, बोलनगीर जिले में पीसीओ हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं

3056. श्री जोवाकिम बखला: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न खिलाड़ियों विशेषकर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी करने वाले एथलीटों को दी जा रही सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) खेलों का संवर्धन राज्य स्तर पर मुख्यत: राज्य सरकारों की और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार विदेश में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों/टीमों की सहभागिता और प्रशिक्षण, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, भारतीय और विदेशी कोचों के तहत टीमों को कोचिंग/प्रशिक्षण, उपस्कर की खरीद तथा अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करके राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग खिलाड़ियों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में सहभागिता के लिए विदेश में प्रशिक्षण हेतु उनकी तैयारी के एक हिस्से के रूप में "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण" तथा "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" से संबंधित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण खेलों के संवर्धन के लिए सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर पर प्रदर्शन में सुधार हेतु निम्नलिखित योजनाओं को भी कार्यान्वित करता है–

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी)

(2) सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)

(3) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)

(4) भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)

(5) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स)

अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा उनमें सुधार किया जाता है।

एड्स के मामले

3057. श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में 15 से 29 वर्ष के बीच के आयु समूह के लोगों की मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण एड्स है जैसाकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के निदेशक द्वारा घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन तीन बीमरियों के क्या नाम हैं जिनसे एड्स की तुलना में इस आयु समूह के लोगों की सर्वाधिक मौतें हुई हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बीमारियों से राज्यवार कितनी मौतें हुई हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इस आयु समूह के कितने लोगों की मौतें एड्स से हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) यह 1998 में मौतों के कारण के चिकित्सा प्रमाणन के लिए भारत के महा रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आंकड़ों की समीक्षा से संबंधित है जिसमें यह दर्शाया गया है कि कुल मौतों में 7.6% मौते 15-24 वर्ष के आयु समूह से हुई। रिपोर्ट के अनुसार मौत के प्रमुख कारण चोट और विषाक्तता (35.1%), संक्रमण और परजीवी रोग (19.1%), रक्तवह-तंत्र के रोग (12.0%) और गलत रूप से निर्धारित स्थिति के लक्षण और निशान 11.5% हैं। गलत रूप से निर्धारित यह स्थिति एचआईवी/एड्स के कारण हो सकती है। इसके अलावा, राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की प्रगति

3058. श्री तथागत सत्पथी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई हैं;

(ख) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है;

(ग) आज की तिथि तक राज्य में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) राज्य में एन.एच.डी.पी.-III और एन.एच.डी.पी.-IV के अंतर्गत कितनी नई परियोजनाओं को शुरू किया गया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) उड़ीसा में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की 443 कि.मी. लंबाई में से 318 कि.मी. लंबाई का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और शेष 125 कि.मी. में कार्य चल रहा है। इसे पूर्ण रूप से दिसंबर, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) धनराशि का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। तथापि, उड़ीसा में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं पर जुलाई, 2006 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर 74.74 करोड़ रु. और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 1606.87 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत चार लेन के बनाए जाने के लिए निम्नलिखित खंड अभिनिर्धारित किए गए हैं–

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग 200 का चंडीखोल-दुबरी-तलचर खंड, लंबाई 137 कि.मी.

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग 203 का भुवनेश्वर-पुरी खंड, लंबाई 59 कि.मी.

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग 215 का पानीकोएली-क्योंझर-राक्सी-राजमुडा खंड, लंबाई 269 कि.मी.

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग 6 का संबलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा खंड, लंबाई 88 कि.मी.

उपर्युक्त खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। चार लेन बनाने का कार्य पूरा करना निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण निविदाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV अभी योजना स्तर पर है।

डिब्रूगढ़ से नागांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग

3059. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिब्रूगढ़ से नागांव तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या वर्ष 2001 से यह कार्य रूका हुआ है;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसमें विवादों का स्वरूप क्या है तथा अभी तक इस परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-37 को डिब्रूगढ़ से नागांव तक चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। सरकार ने 22.9.2005 को यह परियोजना अनुमोदित कर दी है।

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत अभी बता पाना संभव नहीं है। चूंकि यह परियोजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के स्तर पर ही है, इसलिए न तो कोई विवाद का मामला है और न ही लागत में कोई वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

प्रस्तावित बाई-पास की रूपरेखा योजना

3060. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-76 (ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर प्रोजेक्ट) के अंतर्गत झालीपुरा, कोटा (राजस्थान) में प्रस्तावित रूपरेखा योजना से उत्पन्न हुए विवादों की जानकारी है जैसाकि दिनांक 29 मई, 2006 को कोटा, राजस्थान से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक 'दैनिक भास्कर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त बाई-पास के संदर्भ में प्रकाशित हुई भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन अधिसूचनाओं में कोई संशोधन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रस्तावित संरेखण के निर्देशांक को जमीनी स्थिति के अनुरूप बनाने, सड़क ज्यामिति में सुधार तथा झालीपुरा बाइपास पर 0.5 कि. मी. की अल्प दूरी में 2 विपरीत मोड़ों को हटाने के लिए दिनांक 16.2.2005, 18.3.3005, 9.12.2005, 22.11.2005, 22.11.2005 और 19.4.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 228(अ), 335(अ), 1732 (अ), 1665(अ), 1664(अ) और 569(अ) द्वारा 3(क) और 3(घ) में संशोधन किए गए हैं।

विवरण

दिनांक 29.5.2006 के हिन्दी दैनिक 'दैनिक भास्कर', कोटा में प्रकाशित रिपोर्ट के संदर्भ में तथ्य इस प्रकार है:-

3(क) अधिसूचनाएं, अधिसूचना सं. का.आ. 1240 (अ), का.आ. 228 (अ), 335(अ) और 1732 (अ) के तहत दिनांक 3.11.2004, 16.2.2005, 18.3.2005 और 9.12.2005 को प्रकाशित की गई थी जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु सरकार के आशय के संबंध में जनता को सूचना देने के लिए थी। बाद में, 3क अधिसूचना में प्रकाशित राजस्व रिकार्ड/भूमि ब्योरे से इस संरेखण के ग्राउंड में स्थानांतरण के पश्चात् यह पाया गया

कि कावरपुरा, दखेड़ी, झालीपुरा, बोरखंडी, मंदाना, दायरा, कथौड़ी, तथेड़े, ब्रजेशपुरा, दसलाना, नयानोहरा, हाथीखेड़ा और हनवंतखेड़ा जैसे अनेक गांव थे जहां विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाता द्वारा सुझाए गए संरेखण के निर्देशांक, 3क अधिसूचना के ब्योरों और जमीनी परिस्थिति से मेल नहीं खा रहे थे। इसलिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संरेखण को भूमि के लिए स्थानांतरित करने तथा सड़क की ज्यामिति में सुधार के लिए समाचार पत्र में यह भी खबर दी गई है कि खसरा सं. 119, 122 और 123 को जानबूझकर बचाया गया है। सक्षम प्राधिकारी अर्थात् एस डी एम कोटा द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड को देखने पर यह पाया गया कि ये खसरा सं. श्री अहमद इकबाल के नाम दर्ज हैं और इसमें से श्री इकबाल का खसरा सं. 123 का पहले ही अधिग्रहण किया जा चुका है तथा बाइपास संरेखण के अनुसार 3(घ) अधिसूचना में प्रकाशित हो चुका है।

प्रकाशित 3क और 3घ की सूची

अधिसूचना की किस्म	अधिसूचना संख्या	प्रकाशन तिथि
3क	का.आ. 1240 (अ)	3.11.2004
	का.आ. 228 (अ)	16.2.2005
	का.आ. 335 (अ)	18.3.2005
	का.आ. 1732 (अ)	9.12.2005
3घ	का.आ. 340 (अ)	17.3.2005
	का.आ. 1665 (अ)	22.11.2005
	का.आ. 1664 (अ)	22.11.2005
	का.आ. 569 (अ)	19.4.2006

[अनुवाद]

एमटीएनएल और बीएसएनएल का विलय

3061. श्री एन. जर्नादन रेड्डी: क्य **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में एक टेलीफोन प्राधिकरण के अंतर्गत समान और बेहतर टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनल) का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इस विलय के कब तक लागू होने की संभावना है; और

(ग) इससे उपभोक्ताओं के लिए टेलीफोन सेवाओं में कितना सुधार होने और उपभोक्ताओं के लिए इन सेवाओं का कितना सस्ता होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल का पुनर्गठन करने में सरकार को परामर्श और सहायता देने हेतु मै. आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज की अगुआई में परामर्शदाताओं के एक संघ की नियुक्ति की है ताकि बेहतर सहक्रियाओं (सिनर्जीज) को प्राप्त किया जा सके, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति को सुधारा जा सके तथा सभी शेयरधारकों के शेयर का मूल्य बढ़ाया जा सके। परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 को चार लेन का बनाना

3062. श्री जुएल ओराम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पानीकोएली से राजमुन्दा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 को चार लेन वाला बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की जाएगी; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने संबंधी कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-3 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 को पानीकोएली से राजमुन्दा तक चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है जिसे निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर कार्यान्वित किया जाना है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट करने का कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया

गया है और दिसंबर, 2006 तक बी ओ टी कार्य सौंप दिए जाने की संभावना है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

(ग) इस परियोजना को समस्त रूप से दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मोबाइल टी.वी.

3063. श्री राकेश सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मोबाइल टी.वी. की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां

(ख) दूरदर्शन ने, दिल्ली में मौजूदा "डिजिटल टैरिस्ट्रियल ट्रांसमीटर" का प्रयोग करते हुए, डिजिटल विडियो ब्राडकास्टिंग-हैण्डहैल्ड (डीवीबी-एच) ट्रांसमिशन की एक प्रायोगिक परियोजना हाथ में ली है। इस ट्रांसमिशन से डीवीबी-एच समर्थिक मोबाइल फोनों/हैण्डहैल्ड डिवाइसिज पर टीवी (टेलीविजन) सिग्नल प्राप्त हो सकेंगे।

इसके अलावा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु, योजना आयोग द्वारा स्थापित, सूचना और प्रसारण क्षेत्र संबंधी कार्य-दल के अधीन ट्रांसमिशन नेटवर्क और डिजिटाइजेशन/मोबाइल मीडिया के विस्तार के संबंध में एक उप-समूह-4 का गठन किया गया है। इस उप-समूह में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन

3064. श्री बंसगोपाल चौधरी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से कोयले के उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में कोयला उत्पादन में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है। कोल इंडिया लि. ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए है–

(1) 149.185 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अंतिम क्षमता के साथ 9920.84 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से विस्तार परियोजनाओं सहित 73 कोयला परियोजनाएं 10वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत की गई हैं और कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए विकसित की जा रही हैं।

(2) उपकरण उपयोग में सुधार।

(3) परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन।

(4) मौजूदा खानों का यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण।

(5) सभी नई खानों की यंत्रीकरण के साथ योजना बनायी जा रही है।

(6) भूमिगत और ओपनकास्टस दोनों खानों में उत्पादकता बढ़ाना।

(7) मौजूदा खानों/परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए आपातकालीन कोयला उत्पादन की योजना बनायी गई है।

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की स्थिति

3065. श्री कैलाश जोशी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी;

(ख) इनकी शुरूआत से अब तक प्रत्येक वर्ष में उक्त परियोजनाओं के लिए कितने किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) 31 मार्च, 2006 तक प्रत्येक वर्ष कितना लक्ष्य पूरा किया गया;

(घ) क्या निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दोनों परियोजनाओं की कुल लंबाई कितनी है तथा इन पर कितनी अनुमानित लागत का व्यय किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सरकार ने दिसंबर, 2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I को अनुमोदन प्रदान किया था। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों के कुछ खंड, महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क और कुछ अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II को दिसंबर, 2003 में सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसमें उत्तर-दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्य खंड शामिल हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-03 से स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग के लक्ष्य और या ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण और वन स्वीकृति में कठिनाई, कुछ ठेकेदारों का निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन तथा कुछ ठेको को रद्द किए जाने आदि से संबंधित समस्याओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I से संबंधित कुछ ठेकों को पूरा करने में कुछ विलंब हुआ है।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I (मुख्यत: स्वर्णिम चतुर्भुज) और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II (मुख्यत: उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित लंबाई और लागत (निर्माण के दौरान मूल्य वृद्धि और ब्याज को छोड़कर) इस प्रकार है–

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण	लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
चरण-I	6359	30,300.00 (1999 के मूल्यों पर)
चरण-II	6702	34,339.00 (2002 के मूल्यों पर)

विवरण

(लंबाई कि.मी. में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	कार्य योजना के अनुसार							
		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	स्वर्णिम चतुर्भुज	244.11	209.46	1789.5	709.73	2317.18	2082.7	782.09	582.82
2.	उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम	200.2	91.5	347.47	53.6	331.92	119.17	194.45	113.23

[अनुवाद]

सिख गुरू का सामान वापस लाना

3066. श्री नवीन जिन्दल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुरू गोबिन्द सिंह जी की 'कलगी' तथा कुछ अन्य सामान ब्रिटिश संग्रहालय से 1976 से लापता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान का पता लगाने तथा इन्हें भारत वापस लाने में सहायता हेतु सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) भारत सरकार को गुरू गोविन्द सिंह जी की 'कलगी' तथा कुछ अन्य वस्तुओं को खोजने और उन्हें वापिस लाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस मामले को ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है, और उन्होंने संकेत दिया है कि इन वस्तुओं को खोजा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि 1976 में यू.के. स्थित विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, जहां पहले यह "कलगी" रखी गई थी, ने "कलगी" का पता लगाने के लिए गहन खोज की थी। यह खोज असफल रही थी।

मलेरिया के अधिक मामले

3067. श्री सुग्रीव सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों में ऐसे जिलों की पहचान की है जिनमें मलेरिया के काफी अधिक मामले हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार पहचान किए गए इन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ऐसे जिलों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे जिलों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे जिलों में मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा कौन-कौन सी प्रौद्योगिकियां अपनाई गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया की अधिक घटनाओं वाले विभिन्न राज्यों में जिलों की पहचान की है। अभिज्ञान जिलों की सूची संलग्न विवरण में-I में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार देश में मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू और जापानी एन्सीफलाइटिस की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन वी बी डी सी पी) का क्रियान्वयन कर रही है। भारत सरकार सभी राज्यों को घरों में अवशिष्ट छिड़काव के लिए मलेरिया रोधी औषधियां, डी डी टी (50% डब्ल्यू डी पी) जैसी शतप्रतिशत वस्तुगत सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों को छिड़काव कर्मियों के पारिश्रमिक सहित कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रचालनात्मक लागत को पूरा करने के लिए शत प्रतिशत नकद सहायता दी जा रही है। सिक्किम और तीन अन्य राज्यों अर्थात झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों को एड्स, क्षयरोग और मलेरिया संबंधी वैश्विक निधि (जी एफ ए टी एम) द्वारा सहायता प्राप्त तीव्रीकृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना (आई एम सी पी) के अधीन अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जा रही है। विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में 100 जिलों को वर्ष 1997 से अतिरिक्त नकद और वस्तुगत सहायता प्रदान की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त राज्यवार सहायता संलग्न विवरण II में दी गई है।

(ङ) भारत सरकार की मलेरिया की रोकथाम के लिए निम्नलिखित त्रि-स्तरीय कार्यनीतियां है–

1. **रोग प्रबंधन**
   - * शुरू में रोगी का पता लगाना और पूरा उपचार करना।
   - * रेफरल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
   - * जानपदिक रोग विज्ञानी तैयारी और द्रुत अनुक्रिया।
2. **मच्छरों के घनत्व को कम करने के लिए एकीकृत वेक्टर प्रबंधन**
   - * चुनिंदा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में घरों के अंदर अवशिष्ट छिड़काव।
   - * कीटनाशक औषधों से संसाधित मच्छरदानियों का इस्तेमाल।
   - * लार्वाभक्षी मछलियों का इस्तेमाल।
   - * शहरी क्षेत्रों में जैव लार्वानाशकों सहित लार्वा रोधी उपाय।
   - * लघु पर्यावरणिक इंजीनियरिंग।

3. सहयोगात्मक कार्यकलाप

* व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण।
* सार्वजनिक निजी सहभागिता और अंतरक्षेत्रीय कन्वरजेंस।
* क्षमता निर्माण के जरिए मानव संसाधन विकास।
* औषध प्रतिरोध क्षमता और कीटनाशक अतिसंवेदनशीलता पर अध्ययनों सहित प्रचालनात्मक अनुसंधान।
* आवधिक समीक्षाओं/फील्ड दौरों तथा वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली के जरिए मानीटरिंग और मूल्यांकन।

विवरण-I

मलेरिया की अत्यधिक घटनाओं वाले राज्यों एवं जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. ईस्ट गोदावरी
		2. विशाखापटनम
2.	अरूणाचल प्रदेश	1. अपर सिनांग
		2. तिरप
		3. अपर सुबानसिरी
		4. चांगलेंग
		5. लोहित
		6. ईस्ट कामेंग
		7. दिबांग घाटी
		8. पपुम पेरे
		9. वेस्ट सियांग
		10. ईस्ट सियांग
		11. वेस्ट कामेंग
3.	असम	1. नागांव
		2. लखीमपुर
		3. बोंगाईगांव
		4. गोलपारा
		5. दारंग
		6. हैलाकांडी
		7. कोकराझार
		8. एन.सी. हिल्स
		9. के.एंगलोंग
4.	छत्तीसगढ़	1. राजनंदगांव
		2. कवर्धा
		3. कोरबा
		4. रायगढ़
		5. कोरिया
		6. अम्बिकापुर
		7. जशपुर नागर
		8. बस्तर (जगदलपुर)
		9. कांकेर
		10. दांतेवेड़ा
5.	गोवा	1. नार्थ गोवा
6.	गुजरात	1. गांधीनगर
		2. अहमदाबाद कार्प.
		3. नर्मदा
		4. जूनागढ़
		5. वडोदरा
		6. अमरेली
		7. पंचमहल (गोधरा)
		8. पटन
		9. कच्छ (भुज)
		10. सुरेन्द्रनगर
		11. खेड़ा (आनन्द)
		12. पंचमहल (दाहोड)
		13. खेडा (नाडियाड़)

1	2	3
7.	हरियाणा	1. रोहतक
		2. करनाल
		3. सोनीपत
		4. पानीपत
8.	झारखंड	1. बोकारो
		2. रांची
		3. साहिबगंज
		4. हजारीबाग
		5. लोहरदगा
		6. पाकुर
		7. गिरिडीह
		8. रांची
		9. दुमका
		10. सराईकेला
		11. गोड्डा
		12. चतरा
9.	पश्चिम बंगाल	1. वेस्ट सिंहभूम
		2. गढ़वा
		3. सिमडेगा
		4. लातेहार
		5. पलामू
10.	कर्नाटक	1. तुमकुर
		2. मंडया
		3. बेल्लारी
		4. ए.एम.यू. केमभावी
		5. बागलकोट
		6. कोप्पल
		7. रायचुर
		8. दक्षिण कन्नड़
		9. यू.के.पी. अलमट्टी
		10. यू.के.पी.एन. पुरा
11.	मध्य प्रदेश	1. रतलाम
		2. सागर
		3. शियोपुर
		4. शिवपुरी
		5. सिद्धी
		6. मंडला
		7. सतना
		8. गुना
		9. दिनदोरी
		10. झबुआ
12.	महाराष्ट्र	1. गढ़चिरौली
13.	मणिपुर	2.
		3. तामेंगलोंग
14.	मेघालय	1. ई. गारो हिल्स
		2. जैन्तिया हिल्स
		3. डब्ल्यू. गारो हिल्स
15.	मिजोरम	1. आईजोल वेस्ट
		2. लवंगतलाई
		3. सरचिप

		4. लुंगलेई
		5. सईहा
		6. ममिट
		7. कोलासिब
16.	नागालैण्ड	1. किफेरी
		2. वरखा
		3. फेक
		4. मोकोकचुंग
17.	उड़ीसा	1. जाजपुर
		2. बारगढ़
		3. झारसुगदा
		4. ग़ंजम
		5. नयागढ़
		6. मयूरभंज
		7. बौध
		8. बोलनगिर
		9. सोनपुर
		10. क्योंझर
		11. कोरापुत
		12. अंजुल
		13. गजपति
		14. कालाहांडी
		15. देवगढ़
		16. सुंदरगढ़
		17. नुवापढ़ा
		18. सम्बलपुर
		19. नवरंगपुर
		20. मल्कानगिरि
		21. रायगद
		22. फुलबानी (कंधामल)
		23. धेनकनाल
18.	राजस्थान	1. उदयपुर
		2. भीलवाड़ा
		3. बुंदी
		4. जैसलमेर
19.	तमिलनाडु	1. चेन्नई कार्प.
		2. रामनाथपुरम
20.	त्रिपुरा	1. नार्थ त्रिपुरा
		2. ढलाई त्रिपुरा
		3. साउथ त्रिपुरा
21.	उत्तर प्रदेश	1. हमीरपुर
		2. साहूजी महाराजनगर
		3. मिर्जापुर
		4. इलाहाबाद
22.	पश्चिम बंगाल	1. पुरूलिया
		2. दार्जीलिंग
		3. कोलकाता म्युनीसिपल कार्प.
		4. जलपाईगुड़ी
		5. कोलकाता अन्य जोन
		6. कोलकाता शहरी
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1. अंडमान 2. निकोबार
24.	दादरा व नगर हवेली	1. दादरा व नगर हवेली

विवरण-II

एन.पी.बी.डी.सी.पी. के अंतर्गत 2002-03 से 2005-06 के दौरान राज्यवार आबंटन/व्यय तथा 2006-07 के दौरान आबंटन

(लाख रुपये में)

		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	871.91	534.73	822.94	595.13	1983.58	1019.25	1910.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	331.44	112.63	464.71	499.38	405.44	484.66	625.30
3.	असम	2115.17	1364.15	2233.50	1988.29	1964.82	1360.06	3362.65
4.	बिहार	3025.40	2789.16	4379.25	3501.96	4980.66	2883.42	2633.31
5.	छत्तीसगढ़	2035.47	1739.99	1848.70	1778.33	2842.45	2060.91	2161.79
6.	गोवा	11.75	18.55	16.15	9.65	26.85	38.64	56.86
7.	गुजरात	771.41	380.99	655.72	708.33	1744.79	740.53	1351.55
8.	हरियाणा	109.32	37.35	95.33	91.49	266.43	69.22	195.00
9.	हिमाचल प्रदेश	7.00	4.90	16.00	13.52	20.90	18.12	46.35
10.	जम्मू और कश्मीर	45.63	72.30	70.23	27.63	45.13	17.51	46.91
11.	झारखंड	1691.84	1296.86	1846.74	1172.71	1681.15	1746.71	3352.46
12.	कर्नाटक	297.75	264.87	453.96	316.77	372.25	520.73	583.56
13.	केरल	28.76	214.55	78.00	109.71	158.45	282.60	409.58
14.	मध्य प्रदेश	1727.48	1333.71	1709.78	1063.81	2822.93	1432.67	2074.02
15.	महाराष्ट्र	1207.98	463.30	1084.86	593.24	2018.58	815.11	1523.84
16.	मणिपुर	126.44	69.71	190.06	73.39	176.77	269.66	488.61
17.	मेघालय	275.01	323.35	435.89	290.81	298.30	422.67	693.61
18.	मिजोरम	175.01	275.68	280.57	153.17	314.93	387.87	549.68
19.	नागालैण्ड	306.04	386.20	422.30	278.53	379.95	432.41	748.00
20.	उड़ीसा	2907.85	2512.78	2671.61	2295.32	4750.67	2804.47	4625.94
21.	पंजाब	89.89	37.87	63.16	45.85	104.79	60.41	114.87
22.	राजस्थान	1484.83	1415.59	1201.40	1015.97	1589.94	917.04	1184.22
23.	सिक्किम	5.15	2.42	16.30	10.00	24.27	25.16	33.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	तमिलनाडु	320.03	279.06	270.23	310.20	355.81	347.31	596.71
25.	त्रिपुरा	401.05	428.63	519.42	390.03	483.24	648.44	731.07
26.	उत्तर प्रदेश	720.19	744.61	870.14	956.43	1173.53	2938.63	1937.34
27.	उत्तरांचल	7.60	39.17	48.20	31.06	53.01	66.82	53.01
28.	पश्चिम बंगाल	790.36	616.94	858.65	607.85	747.59	1027.83	2138.17
29.	दिल्ली	88.88	80.67	55.62	144.07	62.39	75.74	122.85
30.	पांडिचेरी	23.12	11.12	31.38	19.70	34.88	39.60	51.46
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	237.75	203.33	225.71	224.11	228.35	297.61	247.39
32.	चंडीगढ़	36.25	25.36	49.79	31.67	48.70	52.24	57.29
33.	दादरा और नगर हवेली	42.32	60.72	40.09	31.91	46.35	43.71	56.01
34.	दमन और दीव	16.15	19.29	14.17	11.42	28.59	24.15	26.91
35.	लक्षद्वीप	7.47	12.06	10.36	6.02	21.53	20.29	18.86
	कुल	22339.70	18172.60	24050.91	19397.46	32258.00	24392.20	34829.70
36.	राज्यों को नकद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1078.78
37.	विविध वस्तुएं	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1249.52
38.	ई.आर.पी.	1898.46	1928.31	2374.00	2268.62	1847.00	1651.06	0.00
39.	दिल्ली मुख्यालय/बफर	0.00	0.00	339.85	0.00	740.00	0.00	0.00
40.	आर आई टी ई एस (शुल्क)	150.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2160.46	1928.31	2848.85	2268.62	2587.00	1651.06	2328.30
	महायोग	24500.16	20100.91	26900.00	21666.08	34845.00	26043.26	37158.00

भ्रष्टाचार पर अध्ययन

3068. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विभागों में हुए एक अध्ययन के अनुसार रिश्वत के रूप में 21,068 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह अध्ययन किस एजेंसी द्वारा किया गया है; और

(ग) देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

इंडिया द्वारा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, न्यू दिल्ली के सहयोग से "इंडिया करप्शन स्टडी, 2005 टू इम्प्रूव गवर्नेंस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित एक निजी अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में आम जनता विभिन्न लोक सेवाओं के लिए रिश्वत के रूप में 21,068 करोड़ रुपए खर्च करती है।

(ग) भ्रष्टाचार को समाप्त करने और प्रशासनिक कार्यकरण को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें महत्वपूर्ण कदम: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमित किया जाना; भण्डाफोड़ (व्हिसल ब्लोअर्स) संकल्प, 2004 का अधिसूचित किया जाना; सतर्कता पर वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की सक्रिय भागीदारी; केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निविदा और संविदा संबद्ध प्रक्रियाओं में व्यापक अनुदेशों का जारी किया जाना; केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का अधिनियमित किया जाना तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को उसके भ्रष्टाचार-रोधी काम-काज का निर्वाह करने के लिए सशक्त किया जाना; सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बृहत्तर उपयोग; नागरिक चार्टर का चलन आरंभ करना और प्रक्रियाओं तथा प्रणलियों का सरलीकरण आदि हैं।

यू.पी.एस.सी. का पेपर लीक होना

3069. श्री एम. शिवन्ना: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा हाल ही में कराई गई परीक्षा में लोक प्रशासन के प्रश्न लीक हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने लोक प्रशासन विषय लेने वाले उम्मीदवारों के लिए पुन: परीक्षा करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी को जिम्मेवार ठहराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पेपर लीक होने की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) से (छ) दिनांक 14.5.2006 को अर्थात् सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2006 के दिन, संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में यह लाया गया कि एक परीक्षा केन्द्र पर वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन के प्रश्न-पत्रों की संख्या के मिलने में विसंगति पाई गई थी। इस पूरे मामले में एक विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। परीक्षा की सत्यनिष्ठा के प्रति उम्मीदवारों में समग्र विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संघ लोक सेवा आयोग ने केवल लोक प्रशासन विषय की दिनांक 14.5.2006 को आयोजित पिछली परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। बाद में, संघ लोक सेवा आयोग ने वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन की परीक्षा दिनांक 18.6.2006 को आयोजित की।

आंकड़ा संरक्षण

3070. श्री मोहन रावले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आंकड़ा संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों के क्या विचार हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43, 66 तथा 72 आंकड़ा संरक्षण के लिए विधायी ढांचा उपलब्ध कराती हैं। सूचना की अनुचित रूप से जानकारी देने से रोकने के लिए संबंधित विभागों/मंत्रालयों ने विधायी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अधिकांशत: प्रस्ताव का समर्थन किया है।

विवाद निपटान प्रणाली संबंधी समिति

3071. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विवाद निपटान प्रणाली की समीक्षा हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति को कब तक गठित किए जाने तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस समिति के गठन से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब को रोकने में कहां तक मदद मिलेगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I, II और III के अंतर्गत कार्यों में विवाद निपटान प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I, II और III के कार्यान्वयन में हुए अनुभव के आधार पर विवाद निपटान की वर्तमान प्रक्रिया तथा विवादों से संबंधित अन्य मसलों की समीक्षा करेगी। यह समिति परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाले अन्य मसलों पर भी विचार-विमर्श करेगी ताकि कठिनाईयों को दूर करने के लिए एक कारगर और स्वीकार्य तंत्र तैयार किया जा सके।

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास

3072. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर वाहन मालिकों की निगरानी हेतु परिवहन विभाग के लिए एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे देश के अन्य राज्यों में लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र वाहन पंजीकरण प्रणाली के विस्तार के रूप में प्रथमत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

सॉफ्टवेयर की अनिवार्य आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

- प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) जांच से आवश्यक डेटा का सृजन करना।
- वाहनों से संबंधित डेटा का केन्द्रीय सर्वर में प्रसारण करना।
- उत्सर्जन के संबंध में अधिक विश्लेषण के लिए परीक्षण योग्य डेटा।
- वाहनों के अनुपालन आचरण को प्रमाणित करने और दोषियों को नोटिस जारी करने के लिए वाहन पंजीकरण डेटा बेस के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

(ग) से (ङ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए पीयूसी केन्द्रों का नेटवर्क बनाने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं लिया जाएगा तथा केन्द्र सरकार की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल में रोगियों की मृत्यु

3073. **श्री रामदास आठवले:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक माह-वार सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान कितने रोगियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या सफदरजंग अस्पताल में मरने वाले रोगियों की संख्या अन्य अस्पतालों की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) यह कहना सही नहीं है कि डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसे अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों की तुलना में सफदरजंग अस्पताल में रोगियों की मौतों की संख्या ज्यादा है। सफदरजंग अस्पताल में नैदानिक और उपचार सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

दाखिलों की तुलना में उपचार के दौरान मौतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

महीना	वर्ष-2003		वर्ष-2004		वर्ष-2005		वर्ष-2006 (जुलाई-06 तक)	
	दाखिले	मौतें	दाखिले	मौतें	दाखिले	मौतें	दाखिले	मौतें
जनवरी	8146	479	8830	493	8542	484	9693	615
फरवरी	7274	398	8234	451	7192	459	8979	552
मार्च	7815	485	8808	515	9146	444	9497	573
अप्रैल	7828	531	8652	503	8074	500	8725	546
मई	8314	523	8827	545	9203	609	6224	497
जून	8670	503	9526	564	9623	623	8780	547
जुलाई	9405	494	10536	550	10380	569	9973	632
अगस्त	10599	553	10729	556	10803	599	—	—
सितम्बर	10512	506	10338	579	10567	595	—	—
अक्टूबर	10330	578	10114	524	10906	645	—	—
नवम्बर	9114	520	9147	532	9592	593	—	—
दिसम्बर	8899	555	9038	512	9326	610	—	—
कुल	106906	6125	112779	6324	113354	6730	61871	3962
प्रतिशत	5.73		5.61		5.94		6.4	

[अनुवाद]

सामुद्रिक प्रशिक्षण-सुविधाएं

3074. श्री दुष्यंत सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में समुद्र-यात्रा-प्रिय लोगों के लिए उपलब्ध सामुद्रिक प्रशिक्षण-सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां तो समुद्र-यात्रा-प्रिय भारतीयों को गुणवत्तापूर्ण सामुद्रिक प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का एक नेशनल मैरिटाइम अथॉरिटी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) हमारे देश में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के 128 समुद्रीय प्रशिक्षण-संस्थान हैं। अवसंरचनात्मक सुविधाओं, उपस्करों, प्रयोगशालाओं, संकाय, पाठ्यक्रम, परीक्षाओं आदि के संबंध में समुद्रीय प्रशिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करने तथा उसे बनाए रखने की दृष्टि से व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत तय कर दिए गए हैं। उपर्युक्त प्रशिक्षण-संस्थानों का निरीक्षण करने, उनका अनुमोदन करने और उनका स्तर निर्धारित करने की एक प्रणाली पहले से ही मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और देख-रेख करने से जुड़े मानकों से संबंधित संहिता और समझौते के आधार पर एक नियम-प्रमाणीकरण और देख-रेख करने से जुड़े मानकों से संबंधित संहिता और समझौते के आधार पर एक नियम-पुस्तक (मैन्युअल) तैयार की गई है ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने और शैक्षणिक काम-काज के निष्पादन को दिशा प्रदान की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुद्रीय प्रशिक्षण विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप हों इस सिलसिले में चेन्नई में एक भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थापित करना और मुम्बई, कोलकाता तथा विशाखापट्टनम में उसका एक-एक क्षेत्रीय परिसर भी स्थापित करना तय किया गया है।

(ग) और (घ) व्यय-सुधार-आयोग ने एक भारतीय समुद्रीय प्राधिकरण स्थापित किए जाने की सिफारिश की थी। उपर्युक्त विषयक सिफारिशों पर विचार किया गया, परन्तु उनके प्रति सहमति नहीं हो पाई है।

[हिन्दी]

कृषि में वैज्ञानिक सुधार

3075. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक सुधार हेतु कतिपय विदेशी नागरिकों से सहायता लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके लिए किन विदेशी नागरिकों को आमंत्रित किया गया है; और

(ग) इन विदेशी लोगों को कितनी पारिश्रमिक राशि दिये जाने की संभावना है तथा यह राशि किस प्रकार प्रदान की जाएगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ओछियो स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलम्बस के प्रो. डी. पी. एस. वर्मा ने 3 फरवरी, 2006 को द्वितीयक (सेकेंडरी) कृषि क्रांति पर योजना आयोग को कृषि विकास को बढ़ावा देने और प्राथमिक उत्पादन के महत्व को बढ़ाने हेतु विकसित प्रौद्योगिकियों को संशोधित करने के लिए क्षेत्रों और अवसरों को सुझाते हुए एक प्रस्तुति दी थी। द्वितीयक कृषि को प्रोन्नत करने संबंधी कार्य बल के बारे विचार किया गया था। तथापि, ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज के अनुमोदित होने तक फैसला टाल दिया गया है।

[अनुवाद]

पत्तनों का उन्नयन

3076. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडिया:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय सामुद्रिक विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) के अंतर्गत गुजरात में वर्तमान में तटीय राजमार्गों से जुड़े कतिपय पत्तनों विशेष रूप से बेदी पत्तन के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात के मुन्द्रा, कांडला, पोरबंदर, जामनगर, वेदीबन्दर, रोडीपोर्ट, भावनगर तथा पीपावाव पत्तनों के संपर्क मार्गों को मुख्य तटीय राजमार्गों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) महापत्तनों से भिन्न

पत्तनों को विकसित करने की जिम्मेदारी, संबंधित राज्य-सरकारों की है, जो कि इस मामले में गुजरात-राज्य-सरकार की है। इसके अलावा, संघ-सरकार, केवल राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने और उनका रखरखाव करने तथा देश के महापत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की व्यवस्था करने की जिम्मेदार है। इस समय, गुजरात में एक ही महापत्तन अर्थात् कॉडला-पत्तन है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग-8क के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा है।

डाक्टरों की हड़ताल

3077. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
एडवोकेट सुरेश कुरूप:
डा. के. धनराजू:
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स में डाक्टरों की हड़ताल के दौरान आवश्यक चिकित्सीय उपचार के अभाव में एक रोगी की मौत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोगी को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने से इंकार करने वाले डाक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे डाक्टरों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार इस मामले की जांच करने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ओर

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ज) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अनुसार, श्री सर्वेश कुमार जिसे 5.7.2006 को एम्स एमरजेंसी में लाया गया था, को हड़ताल का आह्वान होते ही अन्य अस्पताल में रैफर कर दिया गया था और बाद में मीडिया द्वारा 5.7.2006 को उसकी मृत्यु होने की सूचना दी गई थी। इस मामले की जांच एम्स द्वारा की गई और रिपोर्ट दी गई है। इसकी जांच की जा रही है।

कम क्षमता वाली दवाइयों की आपूर्ति

3078. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) दवा कंपनियों के साथ कथित रूप से मिली-भगत करके कम क्षमता वाली दवाइयों की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक ऐसे कोई मामले सामने आए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास इस अनाचार को रोकने की कोई कार्य योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। सी जी एच एस के लिए अपेक्षित थोक मात्रा में दवाइयों का प्रापण दिल्ली के बाहर स्थित सी जी एच एस औषधालयों के लिए चिकित्सा सामग्री भंडार संगठनों तथा दिल्ली में स्थित सी जी एच एस औषधालयों के लिए एच एस सी सी (आई) लि. के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा अनुमोदित दो प्रयोगशालाओं से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इन प्रापण एजेंसियों द्वारा संबंधित औषधालयों को दवाइयां भेजने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश

3079. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सी.वी.सी. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

संगठनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे आरंभिक मूल्य से अधिक के ठेकों/खरीद का सारांश प्रत्येक माह अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबद्ध संगठन अपने वेबसाइट पर प्रत्येक माह आरंभिक मूल्य से अधिक के ठेकों/खरीद का सारांश प्रकाशित नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सी.वी.सी. द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) प्रत्येक संगठन के आरंभिक मूल्य का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संगठन अध्यक्ष से परामर्श करते हुए तय किए जाने वाले किसी मान्य स्तर मूल्य (थ्रेशोल्ड वैल्यू) से अधिक मूल्य पर की गई संविदाओं/खरीदों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रतिमाह भेजें।

(ग) और (घ) आयोग ने यह टिप्पणी की है कि कुछ संगठन उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और आयोग ने सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को मासिक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया है। जब कभी मुख्य सतर्कता अधिकारी किसी संगठन द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के बारे में सूचित करता है तो मामले को, अनुदेशों का उपयुक्त रूप से कार्यान्वयन करने के लिए उस संगठन के साथ उठाया जाता है।

(ङ) प्रत्येक संगठन को अपना मान्य स्तर मूल्य निश्चित करना होता है परन्तु केन्द्रीय सतर्कता आयोग से दिशा-निर्देशों के अनुसार, इसमें किसी संगठन द्वारा प्रतिमाह किए गए लेन-देन के मूल्य का 60% से अधिक समाविष्ट होना चाहिए।

लोगों की दैनिक आय

3080. **डा. के.एस. मनोज:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में करोड़पतियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है;

(ग) देश में उन लोगों की संख्या कितनी है जिनकी दैनिक आय एक अमरीकी डालर से भी कम है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है;

(ङ) क्या अमीर तथा गरीब के बीच का अंतर बढ़ा है जैसाकि देश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कराए गए कतिपय सर्वेक्षणों में दर्शाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) आय कर विभाग के पास उपलब्ध आकड़ों के अनुसार, 10 लाख रुपये और उससे ऊपर की आय को आयकर दाताओं (वैयक्तिक) की संख्या 67% की वृद्धि को दर्शाते हुए 2000-01 में 54,805 के मुकाबले 2004-05 में 91,877 थी।

(ग) और (घ) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किए गए वर्ल्ड डवलपमेंट इंडिकेटर्स, 2006 के अनुसार भारत में प्रतिदिन अमरीकी डॉलर से कम पर रह रही जनसंख्या का अनुपात पिछली रिपोर्टों के मुताबिक 1994 में 47.0% के मुकाबले 1999-2000 में 34.7% था। तथापि, जैसाकि वर्ल्ड डवलपमेंट इंडिकेटर्स 2006 में उल्लेख किया गया है, वर्ल्ड डवलपमेंट इंडिकेटर्स, 2006 में दिए प्रत्येक राष्ट्र की गरीबी दर की पिछले वर्षों से तुलना नहीं की जा सकती।

(ङ) और (च) योजना आयोग को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किसी ठोस सर्वेक्षणों या अध्ययनों की जानकारी नहीं है। जो अमीर और गरीब के बीच बढ़ती दूरी के बढ़ने को इंगित करते हो।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परिपत्र

3081. श्री सीताराम सिंह:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 28.3.2006 को एक परिपत्र संख्या-16/3/06 जारी किया है जिसमें इसके अधिकारियों को अतिरिक्त विधिक तथा और अधिक संरक्षण दिया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को सी.वी.सी. के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सी.वी.सी. के परिपत्र को वापस लेने सहित केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों में सहायता करने वाले सतर्कता कर्मचारियों को अपेक्षित स्तर तक संरक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(ज) के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कतिपय संगठनों में सतर्कता कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण के संबंध में उपर्युक्त परिपत्र जारी किया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 आयोग को विभिन्न केन्द्रीय सरकारी संगठनों के सतर्कता प्रशासन के संबंध में अधीक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है।

एडीएसएल-II मोडेमों की कम आपूर्ति

3082. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में एसीमेट्रीक डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन (एडीएसएल-II) मोडमों की कम आपूर्ति के क्या कारण हैं; और

(ख) विशाखापत्तनम में ब्राडबैंड शुरू किए जाने के बाद से माह-वार कितने उपभोक्ताओं ने ब्राडबैंड अपनाया है तथा 30 जून, 2006 की तिथि के अनुसार प्रतीक्षा सूची में उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरूआती मांग प्राक्कलनों के आधार पर विशाखापत्तनम गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) को 5004 एसीमीट्रिक डिजिटल सब्सक्राईबर लाइन-2 प्लस (एडीएसएल-2प्लस) उपभोक्ता परिसर उपकरण (सीपीई) आबंटित किए गए थे। तथापि, यह पाया गया था कि मांग इस आबंटन से अधिक थी। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ब्राडबैंड सेवाओं हेतु नए कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए, आंध्र प्रदेश सर्किल को 2000 ब्राडबैंड कनैक्शन सौंपे जा रहे हैं तथा विशाखापत्तनम को समानुपातिक आबंटन किया जाएगा। इसके अलावा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश सर्किल को 12000 अतिरिक्त उपभोक्ता परिसर उपकरण (सीपीई) आबंटित किए जा रहे हैं जिन्हें विशाखापत्तनम को समानुपातिक आबंटन सहित अक्टूबर, 2006 तक चरणबद्ध रूप से सौंपा जाएगा।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने विशाखापत्तनम गौण स्विचन क्षेत्र में ब्राडबैंड सेवाएं जून, 2005 में शुरू की थीं। माहवार ब्राडबैंड कनेक्शनों का ब्यौरा निम्नानुसार है-

माह	दिए गए कनैक्शनों की संख्या
1	2
जून, 2005	52
जुलाई, 2005	135
अगस्त, 2005	348
सितम्बर, 2005	318
अक्टूबर, 2005	730
नवम्बर, 2005	460
दिसम्बर, 2005	540
जनवरी, 2006	487
फरवरी, 2006	450
मार्च, 2006	505

1	2
अप्रैल, 2006	515
मई, 2006	188
जून, 2006	153
जुलाई, 2006	325
अगस्त, 2006	239
जोड़	5445

विशाखपत्तनम गौण स्विचन क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड के 4628 ब्राडबैंड कनैक्शन कार्यरत हैं। विशाखापत्तनम गौण स्विचन क्षेत्र में ब्राडबैंड कनैक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची (30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार) 789 है।

[हिन्दी]

भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी

3083. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्रीमती संगीता सिंह देव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) भ्रष्टाचार तथा गंभीर अनियमितता और कर्त्तव्यच्युति के मामलों में लिप्त पाए गए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इन अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दिए जाने संबंधी कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। तथापि, अनुशासनिक नियमों में, ऐसे मामलों में सेवा से हटाए जाने/बर्खास्तगी का प्रावधान है जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप सिद्द हो जाता है जब तक कि किन्हीं भी आपवादिक मामलों में और लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति न लगाई गई हो।

(ग) और (घ) इन मामलों की कार्यवाही में विभिन्न जांच अभिकरण और विभिन्न राज्य संवर्ग प्राधिकारी शामिल होते हैं। इन सभी मामलों में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

रेल-सड़क संपर्क परियोजनाएं

3084. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के लघु पत्तनों से संबंधित कई रेल-सड़क-संपर्क-परियोजनाएं लंबित/निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और परियोजना-वार इन परियोजनाओं के संदर्भ में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) संघ-सरकार, केवल राष्ट्रीय राजमार्गों को ही विकसित करवाने और उनका रख-रखाव करवाने तथा देश के महापत्तनों का राष्ट्रीय राजमार्गों से संपर्क कायम करवाने की जिम्मेदार है। इस समय, गुजरात में एक ही महापत्तान, अर्थात कांडला-पत्तन है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 क से अच्छी तरह से जुड़ा हे। फिर भी, राष्ट्रीय राजमार्ग-विकास-कार्यक्रम के चरण-III में शामिल की गई, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करके उन्हें बढ़ाए जाने की परियोजनाएं निष्पादित किए जाने से भी गुजरात के कुछ लघु पत्तनों से सड़क-संपर्क बेहतर

बनाना सुकर हो जाएगा। ये परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8घ के जैतपुर-सोमनाथ-खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8क के कांडला-मुन्दरा पत्तन-खण्ड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के सूरत-हजीरा-पत्तन-खण्ड से संबंधित हैं।

गुजरात में लघु पत्तनों से रेल-संपर्क कायम किए जाने के क्रम में, गुजरात के महत्वपूर्ण लघु पत्तनों का बड़ी रेल लाइन से संपर्क कायम करने की दृष्टि से, गुजरात समुद्रीय बोर्ड ने प्रौद्योगिकी-व्यवहार्यता-अध्ययन आरंभ करके पूरा कर लिया है। इस बारे में गुजरात की राज्य-सरकार ने भारतीय रेलवे को कोई भी अधिकारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। इसी बीच, भारतीय रेलवे, गुजरात में लघु पत्तनों से संपर्क कायम करने की दो परियोजनाएं निष्पादित कर रहा है।

दहेज-पत्तन – भरूच-दहेज नई रेल लाइन से संबंधित परियोजना निष्पादित किए जाने हेतु संस्वीकृत कर दी गई है। उपर्युक्त परियोजना का स्थल अंततः निश्चित किए जाने के क्रम में सर्वेक्षण, पहले ही पूरा कर लिया गया है।

हजीरा-पत्तन – सूरत-हजीरा नई रेल लाइन से संबंधित परियोजना के बारे में परियोजना-रिपोर्ट को उपर्युक्त परियोजना का स्थल अंततः निश्चित किए जाने के क्रम में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, अंतिम रूप दे दिया गया है।

दाऊद के संबंध में सबूत

3085. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने इंटरपोल को दाऊद की पाकिस्तान में उपस्थिति के संदर्भ में पर्याप्त सबूत दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक इंटरपोल द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इण्टरपोल के सेक्रेटरी जनरल, लियॉन को पाकिस्तान में दाऊद के ज्ञात पतों और अन्य संगत ब्यौरों के बारे में सूचित किया है।

(ख) यह जानकारी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इंटरपोल द्वारा दाऊद को वांछित अपराधी घोषित करते हुए अप्रैल, 2006 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में दी गई है।

(ग) उसके कहीं भी गिरफ्तार होने पर इण्टरपोल उन देशों को सूचित करेगा जहां वह वांछित है।

अन्य देशों में तीर्थयात्रा हेतु राजसहायता

3086. डा. एच.टी. संगलिअना: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अन्य देशों में तीर्थयात्रा हेतु भारतीयों को राजसहायता देती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान समुदाय-वार कुल कितना व्यय आया है; और

(ग) ऐसी राज सहायता प्रदान किए जाने के लिए अनुमोदित तीर्थस्थलों के नाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) सरकार भारतीय हज समिति के माध्यम से जाने वाले हज यात्रियों के लिए विमान किराए में राजसहायता प्रदान कर रही है। राजसहायता प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप गत पांच वर्षों के दौरान किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है–

वर्ष	राजसहायता (करोड़ रुपयों में)
2001	156.58
2002	173.63
2003	172.63
2004	160.70
2005	179.66

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार चीन के केलास मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी सुविधा प्रदान

करती है। सरकार, कुमाऊं मंडल विकास निगम (के एम वी एन) को इस यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए 3250 रु. (तीन हजार दो सौ पचास रु.) प्रति यात्री की दर से भुगतान करती है। इसके अलावा यात्रा के दौरान सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों को दी गई सुविधाओं में-नि:शुल्क चिकित्सा सहायता, सुरक्षा तथा भारत सरकार की ओर लिपुलेख दर्रे तक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा सुरक्षा और मार्गरक्षण, पूरी यात्रा के दौरान आपातावस्था में उपयोग करने के लिए शामिल है।

गत पांच वर्षों के दौरान कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए के एम वी एन को किए गए भुगतान, संभारंतत्रीय व्यवस्थाएं, संचार-संपर्क तथा प्रचार पर सरकार द्वारा किया गया व्यय निम्नलिखित है–

2001	29,95,000 रुपये
2002	33,64,000 रुपये
2003	31,00,000 रुपये
2004	37,94,748 रुपये
2005	38,80,386 रुपये

नए होमियोपैथिक कॉलेजों की मान्यता हेतु मसौदा विनियम

3087. श्री हितेन बर्मन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए होमियोपैथिक कॉलेजों को मान्यता देने, सीटों की संख्या बढ़ाने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना निर्धारित करने वाला मसौदा विनियम केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् द्वारा तैयार कर लिया गया है तथा सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मसौदा विनियमों में भारी परिवर्तन करते हुए उसे स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन सरकार विशेषज्ञ निकाय अर्थात् केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श किए बिना अकेले मसौदा विनियम में परिवर्तन करने को अधिकृत है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त केन्द्रीय परिषद् तथा सरकार के बीच के मतभेदों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त मामले को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् द्वारा नए होमियोपैथिक कॉलेजों की अनुमति देने, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने और प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने की प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधी मसौदा विनियमों को तैयार करके सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया था। आयुष विभाग के अनुमोदन तथा विधि और न्याय मंत्रालय की पुनरीक्षा के बाद इन मसौदा विनियमों को औपचारिक अधिसूचना हेतु केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (सीसीएच) को भेज दिया गया था।

(ग) और (घ) आयुष विभाग द्वारा सीसीएच द्वारा प्रस्तुत मसौदा विनियमों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद यह पाया गया कि कुछ ऐसे उपबंध हैं जिन्हें एचसीसी अधिनियम की धारा 12 (क) के उपबंधों के अनुरूप संशोधित किया जाना अपेक्षित है। इन संशोधनों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उनके न होने पर एचसीसी अधिनियम में रखी गई धारा 12 (क) अर्थात् नए होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज खोलने संबंधी उचित विनियमन करने, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों को शुरू करने और प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता।

(ङ) एचसीसी अधिनियम की धारा 20 और धारा 33 के उपबंधों के संबंध में एचसीसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी विनियम को अधिसूचित करने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है।

(च) प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के क्षेत्रफल, पूर्णत: क्रियाशील 50 बिस्तरों वाले अस्पताल की आवश्यकता, आवेदन शुल्क, निष्पादन बैंक प्रत्याभूति, निरीक्षण पद्धति, शैक्षणिक वर्ष और सीसीएच में अनुमोदित किए जाने वाले मामलों के स्तर के संबंध में सीसीएच द्वारा प्रस्तुत मसौदा विनियमों और आयुष विभाग द्वारा अनुमोदित मसौदा विनियमों में भिन्नता है।

(छ) सीसीएच ने आयुष विभाग द्वारा विधिवत् अनुमोदित मसौदा विनियमों को अधिसूचित न करके एचसीसी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है। इससे संबंधित विधिक स्थिति की सूचना केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को दे दी गई

है और उनसे अनुमोदित विनियमों को अधिसूचित करने के लिए कहा गया है।

रिक्तियों को भरा जाना

3088. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में कई श्रेणियों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं क्योंकि इन रिक्तियों को भरे जाने पर प्रतिबंध लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामत: शिक्षित व्यक्ति रोजगार के अवसरों से वंचित हुए हैं तथा इन विभागों की कार्यकुशलता भी प्रभावित हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार नई भर्तियों पर से प्रतिबंध हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) रिक्तियों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

रिक्तियों का होना और उनको भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग मौजूदा अनुदेशों/नियमों के दायरे में तथा पदों की कार्यात्मक अपेक्षाओं के मद्देनजर, समय-समय पर कार्रवाई करते हैं। केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों के बारे में जानकारी केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) से (ङ) नई भर्ती पर से प्रतिबंध को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रणाली का नकारात्मक प्रभाव

3089. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रणाली से असमानता की भावना उत्पन्न हो रही है और इससे प्रशासनिक कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या मत है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर बेहतर प्रणाली लाने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस सुविधाएं

3090. **श्री फ्रांसिस फैन्चम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्तपोषित संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के कर्मचारियों को दी जाने वाले सीजीएचएस सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समाप्त कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सीजीएचएस सुविधाओं के बदले चिकित्सा व्यय मद में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को 100 रु. प्रतिमाह की दर से एक निर्धारित चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएं देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। संगीत नाटक अकादमी, जोकि एक स्वायत्तशासी संगठन है, के सेवारत

कर्मचारियों को ही लागत-दर-लागत आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और यह सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कभी भी मुहैया नहीं कराई गई।

(ख) गैर-सीजीएच एस क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनर सीजीएचएस सुविधाओं के बदले में 100 रु. प्रति माह पाने के पात्र हैं

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के पश्चात विहित शुल्कों का भुगतान करने पर सीजीएचएस सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं बशर्ते कि वे सेवानिवृत्ति के समय सीजीएचएस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हों और सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के निवासी हों। गैर सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों के पास नियत चिकित्सा भत्ते के बदले में विहित शुल्कों का भुगतान करने पर अपने निवास स्थान के समीपस्थ शहर में स्थित सीजीएचएस औषधालय में स्वयं को पंजीकृत करवाने का विकल्प है।

कोचीन शिपयार्ड

3091. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड को पोत-निर्माण के लिए कोई कर्यादेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) कोचीन शिपयार्ड के पास विभिन्न विदेशी पोत-स्वामियों एवं भारतीय नौसेना से मिले 19 पोतों का निर्माण करने के आदेश हैं। पोतों के निर्माण के उपर्युक्त आदेशों का ब्यौरा निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	पोत की किस्म	स्वामी की राष्ट्रीयता	पोतों की संख्या	सुपुर्द कर दिए गए पोतों की संख्या
1.	30000 कुल टनभार-धारिता की क्षमता से युक्त खुले और बड़े (बल्क) वाहक पोत	डेनमार्क	6	1
2.	प्लेटफॉर्म आपूर्ति जलयान	नार्वे	12	शून्य
3.	अग्निशामक टग	सऊदी अरब	9	8
4.	देशी वायुयान-वाहक	भारत	1	शून्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से भी जाने-माने अंतरराष्ट्रीय पोत-स्वामियों द्वारा कई किस्मों के छोटे और मध्यम आकार के पोतों के निर्माण के संबंध में काफी पूछ-ताछ की गई है, जिनमें से कई आदेश ऐसे हैं, जिन्हें दोहराया गया है। इस समय, उपर्युक्त यार्ड की आदेश-पुस्तिका पूरी भरी हुई है और यह स्थिति, वर्ष, 2009 के मध्य तक कायम रहेगी। इसके अलावा, अंतर्देशीय पोतों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने की दृष्टि से, भारत-सरकार कुछ निर्धारित शर्तें पूरी किए जाने पर भारतीय पोत-निर्माताओं को अंतर्देशीय रूप से उपयोग किए जाने तथा निर्यात किए जाने अर्थात् दोनों ही प्रयोजनों से पोतों के निर्माण के आदेशों के संबंध में जलयान की लागत की 30% धनराशि सहायता-उपदान के रूप में भी देती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क को चार लेनों वाला बनाया जाना

3092. श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री हरिन पाठक:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-8क (विस्तार) के गांधीधाम-मंदुरा खण्ड को चार लेनों वाला बनाए जाने का काम शुरू करने तथा पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इस कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस खण्ड को सरकारी-निजी भागीदारी आधार पर विकसित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III क के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए (विस्तार) के 73 कि.मी. लंबे गांधीधाम-मुंदरा खंड को चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। साध्यता अध्ययन के लिए परामर्शी सेवाएं सौंपने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डी बी एफ ओ) आधार पर इस खंड को सौंपे जाने की संभावना पर विचार किया जा सके।

[हिन्दी]

नैदानिक केन्द्रों की स्थापना

3093. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के इटावा, औरिया और कन्नौज जिलों में नैदानिक केन्द्रों की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है अथवा आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या आबंटित धनराशि का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो आबंटित धनराशि के उपयोग हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्थानों पर नैदानिक केन्द्र स्थापित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता मंजूर करने की कोई योजना नहीं है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों में नैदानिक केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिए 3 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की थी और इस सिफारिश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार 18 स्थानों पर नैदानिक केन्द्र स्थापित करने हेतु कुल 54 करोड़ रुपये के अनुदान की पात्र थी जिसे 31.3.2005 तक उपयोग में लाया जाना था। इटावा, औरेया, और कन्नौज जिले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई 18 स्थानों की सूची में शामिल नहीं थे।

[अनुवाद]

अस्पतालों की बकाया राशि

3094. श्री देविदास पिंगले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सीजीएचएस लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं दे रहे एस्कार्ट्स हास्पिटल, माता चानन देवी हास्पिटल तथा अन्य अस्पतालों के इस वित्त वर्ष के अंत तक बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये बकाया राशि कब से लम्बित है और इसके भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन बकाया राशियों का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंत तक एस्कार्ट्स हार्ट इन्स्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली, माता चानन देवी अस्पताल, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अन्य अस्पतालों की बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) दिसम्बर, 2005 तथा जनवरी, 2006 के बिलों को पहले ही चुकाया जा चुका है।

(ग) मंत्रालय ने अस्पताल के बिल पर कार्रवाई को तेज करने के लिए तीसरे पक्ष के संचालकों (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) के माध्यम से बिलों की कंप्यूटरीकृत प्रोसेसिंग की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

विवरण

प्राइवेट मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लम्बित बिलों की स्थिति-दिसम्बर, 2005 से मार्च, 2006

क्र.सं.	सीजीएचएस मान्यताप्राप्त प्राइवेट अस्पतालों के नाम	प्राप्ति तारीख के अनुसार दिसम्बर, 2005 से मार्च, 2006 तक लम्बित बिलों की राशि	लम्बित बिलों की संख्या
1	2	3	4
1.	सर गंगा राम अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली	1810560	7
2.	सुन्दरलाल जैन अस्पताल, अशोक बिहार, फेज-III, नई दिल्ली	1525430	8
3.	तीरथ राम शाह अस्पताल, तीस हजारी, लेन दिल्ली	6034050	4
4.	संत परमानन्द अस्पताल, 18, शामनाथ मार्ग, दिल्ली	1215615	8
5.	जीवन माला अस्पताल, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली	3245014	4
6.	मोहन आई इनस्टिट्यूट, 11-बी, गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली	1615441	4
7.	केसर अस्पताल, ए.एच-II, शालीमार्ग, दिल्ली	शून्य	शून्य
8.	महाराज अग्रसेन अस्पताल, दिल्ली	15400	1
9.	जीवन नर्सिंग होम एण्ड हास्पिटल, पूसा रोड, नई दिल्ली	2815415	4
10.	एस्कोर्ट हार्ट इनस्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली	36045615	16
11.	इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, नई दिल्ली	36041723	15
12.	बतरा हास्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली-62	7247543	4
13.	इंडियन स्पाइनल इन्जूरी सेंटर, नई दिल्ली	30536	1
14.	पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इन्स्टिट्यूट, शेख सराय, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
15.	मल्होत्रा हार्ट इन्स्टिट्यूट एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर, रिंग रोड, नई दिल्ली	7015345	8
16.	सेन्टर फॉर साईटीए-13, ग्रीन पार्क, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली	3215315	4
17.	जी.एम. मोदी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, फॉर मेडिकल साईसेंस, साकेत, नई दिल्ली	1213827	6
18.	आर्थोनोवा हास्पिटल, सी-5/29, एस.डी.ए. अपोजिट मेन 3 गेट, नई दिल्ली-16	6048500	4
19.	वेणु आई इन्स्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, 1/31, शेख सराय इन्स्टिट्यूटशनल एरिया फेज-2, नई दिल्ली	1415116	4
20.	प्रिसिजन डेंटल केयर, सी-159, सरिता विहार, नई दिल्ली	40312	2
21.	आनन्द हास्पिटल, 21 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार	शून्य	शून्य

1	2	3	4
22.	धर्मशिला कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर धर्मशिला मार्ग, वसुन्धरा इन्क्लेव, दिल्ली	2051312	4
23.	माता चानना देवी अस्पताल, सी-1, जनकपुरी, नई दिल्ली	22070323	18
24.	महाराज अंग्रसेन अस्पताल रोड नं.-35, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26	28045115	16
25.	राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेंटर, सेक्टर-5, रोहिणी, नई दिल्ली	13013428	4
26.	जयपुर गोल्डन हास्पिटल, इन्स्टिट्यूटशनल एरिया, रोहिणी	7028724	4
27.	ब्रहमशक्ति हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, यू-1/78, बुद्ध विहार, नई दिल्ली	402312	4
28.	कल्याणी हास्पिटल (पी) लिमिटेड 354/2, मेहरौली रोड, गुड़गांव	2015415	4
29.	डा. तनेजा हास्पिटल एण्ड हार्ट सेंटर, 113-ए, नई कालोनी, गुड़गांव	1413515	4
30.	शीतला हास्पिटल एण्ड आई इन्स्टिट्यूट प्रा. लि., डीएसडी कालेज, न्यू रेलवे रोड के निकट गुड़गांवा	2423322	4
31.	उम्कल हास्पिटल एण्डस एम.पी. हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ए-520 शुशांत लोक-1, गुड़गांव	605320	6
32.	नरेन्द्र मोहन हास्पिटल, मोहन नगर, गाजियाबाद	23540300	5
33.	संतोष मेडिकल एण्ड कालेज, हास्पिटल, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद	60415	2
34.	यशोदा हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, III-एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद	5012238	4
35.	मेट्रो हास्पिटल एण्ड हार्ट इंस्टीट्यूट, एक्स-1 सेक्टर-12, सी-94, सेक्टर-2, नोएडा	16017318	16
36.	केलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर एच-33, सेक्टर-27, नोएडा	8836388	16
37.	सत्या मेडिकल सेंटर, ए-98/ए,-सेक्टर-34, नोएडा	806322	4
38.	प्रकाश हास्पिटल, डी-12, 21ए, 12बी, सेक्टर-33, नोएडा	2815313	4
39.	एस्कार्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, नीलम बाटारोड, फरीदाबाद	6015348	4
40.	श्री राम सिंह हास्पिटल एण्ड हार्ट इंस्टीट्यूट, बी-25, 26-26 ए, ईस्ट कृष्णानगर,	शून्य	शून्य
41.	आरबी सेठ जेसा राम एण्ड ब्रदर्स चेरिटेंबल हास्पिटल, डब्ल्यूईए, करोलबाग, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
42.	मिलेनियम हास्पिटल, पूसा रोड, बी-1/1, नई दिल्ली	शून्य	शून्य

1	2	3	4
43.	आर.जी. स्टोन यूरोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफ-7, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
44.	सरोज हास्पिटल, मधुबन चौक, रोहिणी दिल्ली-85	शून्य	शून्य
45.	बापू नेचर क्योर हास्पिटल,	1012600	6
46.	कृष्णादत्त हैल्थ केयर	348000	1
47.	आल इंडिया मेडिकल साइसेज		
48.	अन्य अस्पताल		

चिरंजीवी योजना एवं जननी सुरक्षा योजना

3095. श्री हरिन पाठक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने "चिरंजीवी योजना" का ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भी उक्त योजना का ब्यौरा मांगा है;

(ग) "चिरंजीवी योजना" की तुलना में "जननी सुरक्षा योजना" द्वारा प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा "चिरंजीवी योजना" हेतु कितनी सहायता उपलब्धि कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चिरंजीवी स्कीम गुजरात सरकार की स्कीम है, जो गुजरात के पांच जिलों में दिसम्बर, 2005 में ही शुरू की गई थी। इसलिए स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन करना और जननी सुरक्षा योजना से इसकी तुलना करना बहुत जल्दी होगी।

(घ) वर्ष 2006-2007 के लिए गुजरात सरकार का प्रस्ताव 54.00 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ चिरंजीवी योजना कार्यान्वित करने का है, इस बजटीय प्रावधान में से 20 करोड़ रुपये का बजट प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम-II, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) से होगा और शेष राशि राज्य बजट से होगी।

तथापि, भारत सरकार ने गुजरात के लिए आरसीएच-II पीआईपी के लिए 81.41 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं जिसमें जननी सुरक्षा योजना के लिए 8.52 करोड़ रुपये भी शामिल हैं जिसका उपयोग चिरंजीवी स्कीम के लिए किया जाना है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

3096. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के कई भागों में भारी वर्षा के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति खराब हुई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (घ)

बारिश के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्गों को हर साल क्षति होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का आवागमन बनाए रखने के लिए तत्काल मरम्मत संबंधी उपाय किए जाते हैं। क्षति के आकलन के पश्चात् धनराशि की उपलब्धता के अनुसार बाढ़ क्षति मरम्मत के अंतर्गत मरम्मत कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए धनराशि अनुरक्षण और मरम्मत (एम एंड आर) के तहत आबंटित की जाती है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को धनराशि की उपलब्धता के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि

3097. **श्री विजय कृष्ण:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने आगामी 25 वर्षों में परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100,000 मेगावाट करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) योजना आयोग ने देश के लिए एक एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करने के वास्ते एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस विशेषज्ञ समिति ने, अपनी मसौदा रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों और आयात पर आधारित साधारण जल रिएक्टरों के मिलान से और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकार के माध्यम से ईंधन/रिएक्टरों के उपलब्ध होने की स्थिति में अगले 25 वर्षों में अथवा उसके आसपास 48000 मेगावाट-ई से लेकर 63000 मेगावाट-ई तक परमाणु विद्युत क्षमता हासिल की जा सकती है।

[हिन्दी]

खेल को विभिन्न श्रेणियों में सूचीबद्ध करना

3098. **श्री के.सी. सिंह "बाबा":** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खेल को विभिन्न श्रेणियों में सूचीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) खेल को विभिन्न श्रेणियों में सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ङ) क्या भारोत्तोलन (पॉवर लिफ्टिंग) को भी खेल श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है;

(च) यदि हां, तो भारोत्तोलन (पॉवर लिफ्टिंग) हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) भारत सरकार ने विभिन्न खेलों को तीन श्रेणियों अर्थात् "प्राथमिकता", "सामान्य" तथा "अन्य" में सूचीबद्ध किया है। खेल विधाओं के श्रेणीकरण के लिए गतिशील मानदंड का एक सैट जुलाई में घोषित किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक/एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों/चैम्पियनशिपों आदि में भारतीय टीमों/खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आधारित है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है–

प्राथमिकता–इस श्रेणी में, ऐसी विधाएं श्रेणीबद्ध हैं जहां निम्नलिखित न्यूनतम प्रदर्शन हासिल किया गया है–

1. ओलंपिक साइकल के दौरान टीम प्रतियोगिताओं में पहले छह स्थान तथा वैयक्तिक प्रतियोगिताओं में प्रथम आठ स्थान।

2. एशियाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल साइकल में टीम प्रतियोगिताओं में पहले चार स्थान तथा वैयक्तिक प्रतियोगिताओं में पहले छह स्थान; और

3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व कप आदि में, गैर-ओलंपिक तथा गैर-एशियाई/राष्ट्रमंडल प्रतियोगिताओं में टीम प्रतियोगिताओं में प्रथम चार स्थान तथा वैयक्तिक प्रतियोगिताओं में पहले छह स्थान।

सामान्य–इस श्रेणी में वे विधाएं शामिल हैं जहां निम्नलिखित न्यूनतम प्रदर्शन हासिल किया है–

1. ओलंपिक साइकल के दौरान टीम प्रतियोगिताओं में सात से दस स्थान और वैयक्तिक प्रतियोगिता में नौ से बारह स्थान

2. एशियाई/राष्ट्रमंडल साइकल में टीम प्रतियोगिताओं में पांच से आठ स्थान तथा वैयक्तिक प्रतियोगिताओं में सात से दस स्थान; और

3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व कप आदि में, गैर-ओलंपिक तथा गैर-एशियाई/राष्ट्रमंडल प्रतियोगिताओं में पांच से आठ स्थान तथा वैयक्तिक प्रतियोगिताओं में सात से दस स्थान।

अन्य– इस श्रेणी में शेष खेल विधाएं शामिल हैं जो "प्राथमिकता" और "सामान्य" श्रेणियों के मानदंडों को पूरा नहीं करती।

(ङ) से (छ) ऊपर उल्लिखित खेल विधाओं के श्रेणीकरण के मानदंडों के अनुसार, फिलहाल पावरलिफ्टिंग "अन्य" श्रेणी में हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में संचार सुविधाएं

3099. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी भी जनजातीय क्षेत्र संचार सुविधाओं के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में विशेषकर मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्य योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। जनजातीय क्षेत्र दूरसंचार सुविधाओं की दृष्टि से कुछ हद तक पिछड़े हुए हैं।

(ख) अधिकतर जनजातीय आबादी सुदूर, अलग-थलग तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं। अत: तकनीकी-आर्थिक कारणों को देखते हुए इन क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का कार्य कठिन एवं धीमा है।

(ग) और (घ) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत, जनजातीय क्षेत्रों के गांवों सहित, देश के शेष 66,822 दूरसंचार सुविधा रहित पात्र गांवों में समय-बद्ध तरीके से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए जाने हैं। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों आदि में आने वाले ऐसे गांव, जिनकी जनसंख्या 100 व्यक्तियों से कम है, शामिल नहीं हैं।

मध्य प्रदेश में, भारत निर्माण योजना के अंतर्गत, जनजातीय क्षेत्रों के गांवों सहित, शेष 11,894 दूरसंचार सुविधा रहित पात्र गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं। 30.6.2006 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश के ऐसे 8,293 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं।

(ङ) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के गांवों सहित, देश के शेष दूरसंचार सुविधा रहित पात्र गांवों में नवंबर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

ताप विद्युत केन्द्रों/इस्पात संयंत्रों को नान-कोकिंग कोल की आपूर्ति

3100. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
डा. के. धनराजू:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत केन्द्रों और इस्पात संयंत्रों को ऊंचे दर्जे के नान-कोकिंग कोल की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन एवं इस्पात का विनिर्माण प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पर्यावरणीय विनियमों के अधीन आने वाले पुराने विद्युत स्टेशनों तथा संयंत्रों को इस समय उच्च ग्रेड का नान-कोकिंग कोयला सप्लाई किया जाता है। तथापि, स्पंज आयरन संयंत्र जो अच्छी कोटि के नान-कोकिंग कोयले को तरजीह देते हैं, के सिवाय देश में इस्पात संयंत्र आमतौर पर इस्पात के उत्पादन के लिए नान-कोकिंग कोयले का उपयोग नहीं करते हैं। भारतीय कोयला ड्रिफ्ट मेल का होने के कारण इसमें राख की मात्रा अधिक होती है और देश में कम राख की मात्रा वाले कोकिंग कोयला एवं नान-कोकिंग कोयले का भण्डार बहुत सीमित है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कोयले की कमी के कारण आमतौर पर विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। जहां तक इस्पात के उत्पादन का संबंध है, इस्पात संयंत्र आमतौर पर कोकिंग कोयले का उपयोग करते हैं। अपेक्षित कोटि के स्वदेशी कोकिंग कोयले की समिति उपलब्धता के कारण इस्पात संयंत्र आयातित कोयले पर निर्भर रहते हैं। स्वदेशी कोकिंग कोयला केवल इस्पात के निर्माण के लिए इस्पात संयंत्रों की कुल कोयले की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

(घ) पिछले वर्षों में विद्युत उत्पादन के लिए अधिक राख की मात्रा वाले नान-कोकिंग कोयले का लाभप्रद उपयोग करने के लिए देश में उपर्युक्त प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा राख की ढुलाई में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा पिटहैड विद्युत स्टेशनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तथापि, कोयला खानों से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित विद्युत स्टेशनों का 34% से कम राख की मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों तथा नाजुक रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित विद्युत स्टेशनों को भी 34% से कम राख की मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति की जा रही है। सरकार कोयला वाशरियां बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है ताकि देश में उच्च राख की मात्रा वाले नान-कोकिंग कोयले के परिष्करण में सुविधा हो।

इसके अलावा, इस्पात संयंत्रों के लिए अच्छी कोटि के धातुकर्मीय कोयले की खरीद को सुकर बनाने के लिए सरकार ने 12% तक राख की मात्रा वाले कोकिंग कोयले के लिए आयात शुल्क को नब्बे के दशक के प्रारम्भ के 35% के स्तर को घटाकर शून्य तथा 12% से अधिक राख की मात्रा वाले कोकिंग कोयले के लिए 5% कर दिया है। सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कोयले का आयात भी खोल दिया है।

संकटापन्न अवसंरचना संरक्षण संबंधी नीति

3101. श्री आर. प्रभु: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पास संकटापन्न अवसंरचना संरक्षण की नीति और सुरक्षा प्रणालियों की समुचित तैनाती नहीं है जैसाकि दिनांक 9 जुलाई, 2006 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) महत्वपूर्ण मूलसंरचना के संरक्षण की नीति लागू है। इस नीति का उद्देश्य सरकारी तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा अनुपालन और आवधिक जोखिम मूल्यांकन के जरिए सत्यापन और तीसरी पार्टी लेखा परीक्षा संगठनों द्वारा वार्षिक लेखा-परीक्षा का सुनिश्चय करना है।

उपर्युक्त सुरक्षा नीति के समर्थन में भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) ने 55 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा लेखा परीक्षकों का एक पैनल तैयार किया है ताकि संगठन अपनी सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना और सूचना प्रणालियों की जोखिम मूल्यांकन, नेटवर्क के प्रसार और संवेदनशीलता मूल्यांकन की दृष्टि से लेखा परीक्षा करा सकें।

[हिन्दी]

लोगों की क्रय शक्ति

3102. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के अनुसार देश में 40 करोड़ लोग दैनिक आवश्यकता की खाद्य वस्तुओं की खरीद करने की स्थिति में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अर्द्ध-चालक उद्योग हेतु विशेष पैकेज

3103. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्द्ध-चालक उद्योग का विकास करने हेतु दिए जाने वाले प्रोत्साहन एवं विशेष पैकेज में सम्मिलित किए जाने की संभावना वाले पहलुओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): वित्त मंत्री के बजटीय भाषण में यह कहा गया कि भारत को एक वरीयता प्राप्त स्थल बनाने के लिए सेमीकंडक्टर तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकीय सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए एक नीति की घोषणा की जाएगी जिसमें फ्लैट द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्श (एलसीडी)/जैव प्रकाश उत्सर्जन प्रदर्श (ओएलईडी)/प्लाजमा पैनल प्रदर्श और भण्डारण युक्तियां शामिल हैं। प्रोत्साहनों के पैकेज के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

लोकल लूप की अनबंडलिंग

3104. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी दूरसंचार आपरेटरों ने केन्द्र सरकार से लोकल लूप की अनबंडलिंग करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कर्मचारी संघों ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है और सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) निजी दूरसंचार प्रचालकों के साथ हुए विचार-विमर्शों/बैठकों के दौरान, उन्होंने लोकल लूप अनबण्डलिंग सहित विभिन्न मुद्दे उठाए थे। लोकल लूप की अनबण्डलिंग के विरोध में संघों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल, लोकल लूप की अनबण्डलिंग की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय दूरसंचार जिला कार्यालय की स्थापना

3105. श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में क्षेत्रीय दूरसंचार जिला कार्यालय स्थापित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा गौण स्विचिंग क्षेत्र (एसएसए) संकल्पना के अनुसार, प्रचालनात्मक, तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की वजह से नए एसएसए (दूरसंचार जिला) के निर्माण के लिए मौजूदा एसएसए का विभाजन करना अनुमत्य नहीं है। इन कारणों से, भंदारा दूरसंचार जिले का विभाजन करके गोंदिया में दूरसंचार जिले का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

हज यात्रियों हेतु कोटा

3106. श्री एस. अजय कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों हेतु राज्य-वार कोटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): भारत की हज समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार गत तीन वर्ष के दौरान हज यात्रा के लिए राज्यवार कोटे का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	2004 मूल कोटा	2005 मूल कोटा	2006 मूल कोटा
1	2	3	4
अंडमान निकोबार	60	17	21
आंध्र प्रदेश	3906	4045	4955
असम	4270	4871	5967
बिहार	(#)8432	7944	9731
चंडीगढ़	60	21	25
छत्तीसगढ़	—	237	291
दादर और नगर हवेली	40	4	5
दमन और दीव	40	7	9
दिल्ली	587	940	1151
गोवा	60	53	65
गुजरात	2378	2659	3257
हरियाणा	504	708	867
हिमाचल प्रदेश	50	69	85
जम्मू-कश्मीर	2718	3933	4818
झारखंड	—	2160	2646
कर्नाटक	3451	3742	4584
केरल	4476	4552	5577
लक्षद्वीप	121	33	41
मध्य प्रदेश	(*)2165	2224	2724
महाराष्ट्र	5030	5946	7284
मणिपुर	88	111	135

1	2	3	4
उड़ीसा	381	441	540
पांडिचेरी	60	34	42
पंजाब	158	221	271
राजस्थान	2325	2772	3396
तमिलनाडु	2013	2009	2461
त्रिपुरा	130	147	180
उत्तर प्रदेश	(**)15897	17796	21800
उत्तरांचल	—	586	718
पश्चिम बंगाल	10600	11718	14354
सरकारी कोटा	2000	2000	2000
कुल	72000	82000	100000

(*) झारखंड के कोटे सहित
(*) छत्तीसगढ़ के कोटे सहित
(**) उत्तरांचल के कोटे सहित

डब्ल्यूएलएल सेवा की गुणवत्ता

3107. श्री रघुनाथ झा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया था:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा डब्ल्यूएलएल सेवा के संचालन से संबंधित निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस सेवा की गुणवत्ता से संबंधित निर्धारित मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) आधिनियम के अनुसार ट्राई को सेवा की गुणवत्ता पर निगरानी रखने का कार्य सौंपा गया है। ट्राई ने सेल्युलर मोबाइल सेवाओं जिनमें डब्ल्यूएलएल सेवाएं शामिल है, के संबंध में ग्राहकों की राय जानने के लिए सर्वेक्षण किया है। यह सर्वेक्षण संपूर्ण सेवा क्षेत्र से संबंधित था न कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग।

(ग) बुनियादी सेवा (बेतार) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के संबंध में टेलीफोन सेवा के संबंध में ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता संबंधी मानदंड विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में ग्राहक परिसर में लगे उपस्कर को संवर्धित बैटरी बैकअप की सहायता से उन्नत बनाना, डब्ल्यूएलएल एक्सचेंज का उन्नयन करके उसे सीडीएमए 2000-01 के स्तर तक लाना, डब्ल्यूएलएल बेस ट्रान्सरिसीव स्टेशनों (बीटीएस) आदि की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।

विवरण

बुनियादी सेवा (बेतार) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

क्र.सं.	पैरामीटर	बेंचमार्क	जिस अवधि के दौरान औसत मान निकाला गया
1	2	3	4
क.	नेटवर्क कार्य निष्पादन		
(1)	नेटवर्क में खराबी के कारण समुदाय के अलग-थलग रहने का संचित समय	< 25 घंटे	एक तिमाही
(2)	कॉल स्थापित करने की सफलता दर (लाइसेंसधारी के अपने स्वयं के नेटवर्क पर)	> 95%	एक तिमाही
(3)	सेवा अभिगम में विलंब	9 से 20 सेकेंड के बीच पेजिंग प्रयासों की संख्या पर आधारित (100 कालों का औसत = < 15 सेकेंड)	एक तिमाही
(4)	अवरुद्ध कॉल दर	(1) एसडीसीसीएच संकुलन < 1% (2) टीसीएच संकुलन < 2%	एक माह
(5)	कॉल ड्रॉप दर	< 3%	एक तिमाही
(6)	अच्छी आवाज गुणवत्ता वाले कनेक्शनों का प्रतिशत	> 95%	एक तिमाही
(7)	सेवा कवरेज	भवन के भीतर > = -75 डीबीएम वाहन के भीतर > = -85 डीबीएम भवन के बाहर-शहर में > = -95 डीबीएम	
(8)	पीओआई संकुलन	<0.5%	एक तिमाही
ख.	ग्राहक हेल्प लाइनें		
(1)	ग्राहक को सहायता पहुँचने के लिए कार्य आरंभ करने में लगने वाला समय	(1) जिन कॉलों का उत्तर दिया गया उनको प्रतिशतता (इलेक्ट्रॉनिक तकनीक द्वारा) 20 सेकेंड के भीतर - 80% 40 सेकेंड के भीतर - 95% (2) प्रचालक द्वारा उत्तरित कॉलों का प्रतिशत (वॉइस से वॉइस) 60 सेकेंड के भीतर - 80% 90 सेकेंड के भीतर - 95%	एक माह
ग.	बिलिंग शिकायतें		
(1)	जारी किए गए प्रति 100 बिलों पर बिलिंग संबंधी शिकायतें	< 0.1%	एक तिमाही
(2)	4 सप्ताह के भीतर निपटाई गई बिलिंग शिकायतों का प्रतिशत	100%	एक तिमाही

1	2	3	4
(3)	उपर्युक्त (2) में उल्लिखित शिकायतों के निपटान की तारीख से ग्राहकों को देय सभी राशि/भुगतान को लौटाए जाने की अवधि	< 4 सप्ताह	एक तिमाही
घ.	**सेवा के संबंध में ग्राहक की समझ**		
(1)	सेवा प्रदान किए जाने से संतुष्ट व्यक्तियों का प्रतिशत	> 95	
(2)	बिलिंग कार्य निष्पादन से संतुष्ट व्यक्तियों का प्रतिशत	> 90	
(3)	हेल्प सेवाओं से संतुष्ट व्यक्तियों का प्रतिशत	> 90	
(4)	नेटवर्क कार्य-निष्पादन, विश्वसनीयता और उपलब्धता से संतुष्ट व्यक्तियों का प्रतिशत	> 95	
(5)	सेवा की देख-रेख से संतुष्ट व्यक्तियों का प्रतिशत	> 95	
(6)	समग्र ग्राहक संतुष्टि	> 95	
(7)	प्रदान की गई संपूरक सेवाओं से ग्राहक संतुष्टि का प्रतिशत	> 95	

इंटरनेट के माध्यम से फैलाया जा रहा आतंक

3108. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से फैलाए जा रहे आतंक की रोकथाम करने हेतु कोई कदम उठाए है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त वेबसाइटों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कम्प्यूटर के जरिए किए गए अपराधों का सामना करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है तथा इन्टरनेट पर आतंक की रोकथाम करता है।

(ग) इन्टरनेट पर उपलब्ध कुछ वेबसाइटें विभिन्न ग्रुपों के हितों की दृष्टि से सामग्री का प्रकाशन करती है। ये वेबसाइटें अधिकार भारत के बाहर उपलब्ध है।

(घ) भारत की प्रभुसत्ता अथवा अखण्डता, देश की सुरक्षा, सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश आदि के संबंध में किसी कम्प्यूटर स्रोत के जरिए प्रसारित की गई कोई भी सूचना अवरुद्ध करने के अलावा केन्द्र सरकार भारत में ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं को अनुदेश भी जारी कर सकती है।

[हिन्दी]

झारखंड में पंचायत चुनाव

3109. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या चुनाव आयोजित नहीं कराने से झारखंड को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा झारखंड को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षणों से संबंधित झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के प्रावधानों को स्ट्राइक डाऊन कर दिए जाने के कारण अब तक झारखंड में पंचायत चुनाव आयोजित नहीं किए जा सके हैं, जो निम्नवत है:-

(1) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों की धारा-4 के खण्ड (जी) में दूसरा परन्तुक जिसमें यह माँग की गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी।

(2) झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 21 (बी), धारा 40 (बी) और धारा 55 (बी) जिनमें 1996 अधिनियम की धारा-4 के खंड (जी) के लिए दूसरे परन्तुक को प्रभावी बनाने की माँग की गई है; और

(3) 2001 अधिनियम की धारा 17 (बी) में उप-धारा 2, धारा 36(बी) में उप-धारा 2 और धारा 51(बी) में उप-धारा 2 जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% आरक्षण सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 80% तक का आरक्षण मुहैया करवाने की माँग की गई है।

झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने झारखंड के चुनाव के लिए अधिसूचना को वापस ले लिया है।

भारत संघ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी (सीसी सं. 12459/2005) दायर की है जिसमें झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करने की माँग की गई है। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार तथा चुनाव आयुक्त, झारखंड सरकार इस मामले में प्रोफार्मा प्रतिवादी है। पंचायती राज मंत्री ने भी मुख्यमंत्री, झारखंड को राज्य में चुनावों का आयोजन शीघ्रातिशीघ्र संवैधानिक प्रावधानों और पीईएसए के प्रावधानों के अनुसार करने के लिए पत्र लिखे हैं। भारत संघ ने भी इस मामले की जल्दी सुनवाई करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायलय में एक विशेष चर्चा करने हेतु अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल से अनुरोध किया है। एक अंतरिम आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी जल्दी सुनवाई के लिए दायर किया गया है।

(ग) से (ङ) पंचायतों को आबंटित धनराशि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उनके संबंधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वैयक्तिक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से दी जाती है। इन दिशा-निर्देशों का अनुवीक्षण करना संबंधित प्रायोजक मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

ऊर्जा नीति समिति की रिपोर्ट

3110. श्री एल. राजगोपाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या समिति ने देश मे तेल संकट के समाधान के लिए जैव-डीजल नीति बनाने की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) एकीकृत ऊर्जा नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान एवं विकास हेतु सुपर कम्प्यूटर

3111. श्री के.एस. राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सुपर कम्प्यूटरों के स्वदेशी उत्पादन में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने सुपर कम्प्यूटर उपलब्ध है और अनुसंधान एवं विकास के लिए कितनी संस्थाएं इनका उपयोग कर रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए उच्च कार्यनिष्पादन अभिकलन के डिजाइन, विकास एवं नियोजन सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) की स्थापना की है।

सी-डैक ने अपने तीन मिशनों के जरिए परम श्रृंखला के स्वदेशी सुपर कम्प्यूटरों की डिलीवरी की है। अब तक सी-डैक ने भारत में तथा विदेशों में 50 से अधिक ऐसे सुपर कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित किए है।

सी-डैक प्रतिभागी संस्थानों के सुपर कम्प्यूटरों को उच्च गति उपलब्ध कराने की गरूड़ ग्रिड अभिकलन पहल पर भी कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भी सुपर कम्प्यूटरों का विकास कर रहा है।

(ग) देश में कई संस्थानों के पास भिन्न-भिन्न कार्यनिष्पादन के सुपर कम्प्यूटर है। इनमें ये शमिल है-सी-डैक; डीआरडीओ प्रयोगशालाएँ; भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई; इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एण्ड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी), दिल्ली; इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिक साइंस, चेन्नै; राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, बंगलौर; हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद; भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई; तथा नैशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

3112. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने यह पाया है कि अनुमानत: 89.35 मिलियन ग्रामीण कृषक परिवारों में से 43.42 मिलियन अर्थात् 48.6 प्रतिशत ऋण ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ऋणग्रस्त ग्रामीण कृषक परिवार 300 रुपये की मामूली रकम में से 50 प्रतिशत से अधिक केवल खाने पर खर्च करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) रा.प्र.सर्वे. सं. के 59वें दौर के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 89.35 मिलियन कृषक परिवारों में से 43.42 मिलियन (48.6%) ऋणग्रस्त है अर्थात लेनदेन के समय उन पर 300 रुपये या उससे अधिक मूल्य के रोकड़ अथवा वस्तु का ऋण था।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऋण लेने के आम कारण हैं (1) फार्म व्यवसाय तथा गैर-फार्म व्यवसाय में पूंजीगत व्यय, (2) उपभोग व्यय, (3) विवाह तथा समारोह, (4) शिक्षा, तथा (5) चिकित्सा इलाज।

(ग) और (घ) रा.प्र. सर्वे. रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण कृषक परिवारों में भोजन संबंधित व्यय उनके कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक है। इसका मुख्य कारण है भोजन संबंधी वस्तुओं को ज्यादा प्राथमिकता देना तथा ग्रामीण कृषक परिवारों की क्रय शक्ति की कम क्षमता।

(ङ) भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा कृषकों की स्थिति में सुधार लाने पर अत्यधिक प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों में अनेक योजनाएं आयोजित की जाती है तथा कृषकों को विभिन्न घटकों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। अधिकतर योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। नीति संबंधी निर्णय है:- (1) अगले तीन वर्षों में कृषि संबंधी ऋण प्रवाह को दुगुना करना तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों के लिए ऋण राहत का प्रावधान, (2) किसानों के पक्ष में ब्याज दर का

पुनर्निर्धारण, (3) सहकारी ऋण संरचना का नवीनीकरण, (4) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), तथा (5) पहचान किए गए राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल में किसानों की आत्महत्या की अधिकतम घटनाओं को दर्ज करने वाले जिलों में किसानों के कष्ट को कम करने के लिए पुनर्वास का विशेष पैकेज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन।

विवरण

कृषकों एवं ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या

राज्य	कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या (00)	ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या (00)	ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की प्रतिशतता
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	60339	49493	82.0
अरुणाचल प्रदेश	1227	72	5.9
असम	25040	4536	18.1
बिहार	70804	23383	33.0
छत्तीसगढ़	27598	11092	40.2
गुजरात	37845	19644	51.9
हरियाणा	19445	10330	53.1
हिमाचल प्रदेश	9061	3030	33.4
जम्मू-कश्मीर	9432	3003	31.8
झारखंड	28238	5893	20.9
कर्नाटक	40413	24897	61.6
केरल	21946	14126	64.4
मध्य प्रदेश	63206	32110	50.8
महाराष्ट्र	65817	36098	54.8
मणिपुर	2146	533	24.8
मेघालय	2543	103	4.1
मिजोरम	780	184	23.6
नागालैण्ड	805	294	36.5
उड़ीसा	42341	20250	47.8
पंजाब	18442	12069	65.4
राजस्थान	53080	27828	52.4

1	2	3	4
सिक्किम	531	174	32.8
तमिलनाडु	38880	28954	74.5
त्रिपुरा	2333	1148	49.2
उत्तर प्रदेश	171575	69199	40.3
उत्तरांचल	8962	644	7.2
पश्चिम बंगाल	69226	34696	50.1
संघ शासित प्रदेश	732	372	50.8
समस्त भारत	893504	434242	48.6

(प्रतिदर्श के अपर्याप्त आकार के कारण इस तालिका में दिल्ली एवं गोवा के लिए अलग आंकड़े नहीं शामिल किए गए हैं)

विशेष पैकेज

3113. **श्री मणि चारेनामैः**
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर पूर्व और दक्षिणी राज्यों में से किसी राज्य ने विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यह पैकेज कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) विभिन्न स्कीमों को शुरू करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष पैकेज हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अथवा सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए घोषित किए गए पैकेज की तर्ज पर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पहचान किए गए जिलों में किसानों की तकलीफ को कम करने के लिए कृषि मंत्रालय एक पुनर्वास पैकेज तैयार कर रहा है।

[हिन्दी]

लम्बित स्वास्थ्यचर्या प्रस्ताव

3114. **श्री विजय कुमार खंडेलवालः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से जापान की सहायता से राज्य के कुछ जिलों में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को प्रदान करने तथा शिशु एवं मातृ परिचर्या अस्पतालों के उन्नयन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (घ) जी, हां। "मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी तथा गुना जिलों में मातृ एवं बाल अस्पताल तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन" नामक एक प्रस्ताव जापान सरकार के समक्ष अगस्त, 2004 में रखा गया था। कुल परियोजना लागत 10,000,000 यू.एस. डालर थी। तथापि, जापान सरकार ने प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है।

[अनुवाद]

निजी विमान कम्पनियों के माध्यम से अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा प्राप्त करना

3115. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई ए एस, आई पी एस और आई एफ एस अधिकारी यात्रा रियायत (एल टी सी) लेते समय अथवा सरकारी कार्य के लिए निजी विमान कम्पनियों में यात्रा कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवर्तित प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियों की कमाई को प्रभावित करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हाँ।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 04.05.2006 के पत्र संख्या 11022/3/2006-अ.भा.से.-II द्वारा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 24.03.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19024/1/ई-4/2005 के साथ पठित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.04.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/2/2006-स्थापना (क) के प्रावधान तीन अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा) के अधिकारियों के संबंध में लागू कर दिए है। इस प्रावधान के अनुसार ये अधिकारी अब अपनी छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय अथवा देश के भीतर ही सरकारी कार्य में भाग लेने के लिए व्यय विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञापन में दी गई कुछ शर्तों के अधीन, जिसमें बेहतर और अधिक प्रतियोगी मूल्य के आधारभूत मानदण्ड शामिल है, अब निजी एयरलाइनों द्वारा यात्रा कर सकते हैं।

(ग) और (घ) यदि ये विमान कंपनियां स्वयं को और अधिक कुशल एवं प्रतियोगी बना लें तो परिवर्तित प्रावधानों से सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियों के यात्रियों की संख्या और राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश

3116. **श्री श्रीचन्द कृपलानी:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि प्राथमिकता निर्धारित करने के बारे में कोई भी राष्ट्रीय नीति विद्यमान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में समुचित कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में सूचित किया गया है कि अनुसंधान पर व्यय कम है। देश में आयुर्विज्ञान और स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यकलापों पर बल देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वास्थ्य अनुसंधान पर एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एक प्रारूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति तैयार की गई है। यह नीति संबंधित वैज्ञानिक और आयुर्विज्ञान संस्था के विचारर्थ परिचलित की गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में आधुनिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना

3117. **श्री पी.सी. गद्दीगठ्ठर:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान स्थान-वार कर्नाटक में स्थापित किये गए स्वचालित और आधुनिक दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक में स्थापित किये जाने वाले दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) कर्नाटक सहित देश में केवल स्वचालित और आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की ही स्थापना की जाती है। वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा स्थानवार स्थापित एक्सचेंजों के ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान बीएसएनएल द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के दौरान बीएसएनएल द्वारा कर्नाटक में स्थापित स्वचालित और आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज

1. केराड़ी (ऐनरैक्स)	152 लाइनें
2. कदावंती (ऐनरैक्स)	152 लाइनें
3. नागराबती (एएक्सई आरएसयू)	2500 लाइनें
4. आरबीआई ले आउट (ओसीबी आरएसयू)	2048 लाइनें

(2) वर्ष 2005-06 के दौरान कर्नाटक में स्थापित स्वचालित और आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज

1. कलासीपल्यम	(एएक्सई आरएसयू)	2048 लाइनें
2. शोभा अपार्टमेंट्स	(सीडाट आरएसयू)	3000 लाइनें
3. एस्त्रा जेनेका (कम्पनी)	(एएक्सई आरएसयू)	1000 लाइनें
4. एबीबी (कंपनी)	(एएक्सई आरएसयू)	1000 लाइनें
5. बसावनागुडी डीटीओ	(एएक्सई आरएसयू)	2048 लाइनें
6. आरएमजेड (कम्पनी)	(एएक्सई आरएसयू)	1000 लाइनें
7. गडग	(ओसीबी)	2000 लाइनें

विवरण-II

वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक में स्थापित नए एक्सचेंज

(1) पहले से संस्थापित और चालू किए गए एक्सचेंज

1. राजाजीनगर छठा ब्लाक	ओसीबी आरएसयू	2048 लाइनें
2. माल्लेश्वरम डीटीओ	ओसीबी आरएसयू	2048 लाइनें
3. तानिसांद्रा	ओसीबी आरएसयू	2048 लाइनें
4. सुल्तानपेट	ओसीबी आरएसयू	1024 लाइनें
5. तामाका	ओसीबी आरएसयू	360 लाइनें
6. देवगिरी	सी-डॉट ऐनरेक्स	368 लाइनें

(2) वर्ष 2006-07 के लिए नियोजित शेष एक्सचेंज (संख्या 15)

क्र.सं.	अवस्थिति	टाइप	क्षमता
1.	बेस्ट काउंटी	5 ईएसएस	2 के
2.	छन्नकेशव नगर	5 ईएसएस	3 के
3.	येलाचनाहाल्ली	एएक्सई	2 के
4.	तम्बुचेट्टयापल्या	एएक्सई	2 के
5.	विश्वप्रिय नगर	5 ईएसएस	2 के
6.	अब्बीगेरे	एएक्सई	2 के
7.	यूबी सिटी	ओसीबी	1 के
8.	एवालाहल्ली	एएक्सई	2 के
9.	बेन्नीगनाहल्ली	5 ईएसएस	2 के
10.	एबीबी इन्फैंटरी रोड	ओसीबी	1 के
11.	शिवन चेट्टी गार्डन	ओसीबी	4 के
12.	मराठाहल्ली	ओसीबी	2 के
13.	राजाजी नगर तीसरा ब्लाक	ओसीबी	2 के
14.	प्रेसटीज ओजोन व्हाइट फील्ड	ओसीबी	2 के
15.	प्रेसटीज ट्रेकस्टार आउटर रिंग रोड	5 ईएसएस	1 के

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को चार लाइनों वाला बनाना

3118. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास हासन से मैंगलोर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को चार लाइनों वाला बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा यह प्रस्ताव कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) कर्नाटक में बंगलौर से मंगलौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-48 की कुल लंबाई 348 कि.मी. है। बंगलौर से नीलामंगला खंड (0.00 से 28.00 कि.मी.) पहले से ही चार लेन का है तथा नीलमंगला से हासन खंड (28.00 से 182.00 कि.मी.) को चार लेन का बनाने के लिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III क में शामिल किया गया है। 328.00 से 345.00 कि.मी. खंड को पत्तन सड़क संपर्क के अंतर्गत चार लेन का बनाया जा रहा है। यद्यपि कर्नाटक सरकार ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग के शेष खंडों को चार लेन का बनाने की मांग की थी किंतु इस संबंध में साध्यता अध्ययन पर आधारित कोई व्यापक प्रस्ताव और अर्थक्षमता विश्लेषण प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मंत्रालय में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

कर प्रणाली

3119. श्री जे.एम. आरून रशीद:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर और कर प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए योजना आयोग के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप दृष्टिकोण पत्र जिसका कि अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदन किया जाना है, में सुझाव दिया गया है कि कर और शुल्क अविकृत एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी होने चाहिए। सरकार 90 के दशक के प्रारंभ से ही करों और शुल्क को युक्तिसंगत बना रही है तथा यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहने की आशा है। वित्त मंत्रालय समय-समय पर सभी संबंधित सुझाव प्राप्त करता है और उनको संशोधित करता है।

किराना दुकानों पर औषधियों की बिक्री

3120. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री मुन्शी राम:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किराना दुकानों पर औषधियों को बेचने की अनुमति दे दी है जैसाकि दिनांक 28 जुलाई, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) क्या समाचार ने औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन करने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी विक्रेताओं को किराना दुकान पर केवल गुणवत्ता वाली औषधियों की बिक्री के लिए दिशा-निर्देशों वाली एक पुस्तिका भी देना प्रस्तावित है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बारे में आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन दुकानों पर नकली औषधियों की बिक्री को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) कुछ जानी-मानी औषधियों, जिन्हें लम्बे समय से प्रयोग करने में सुरक्षित माना गया है, के संबंध मे बिक्री लाइसेंसों के प्रावधानों मे छूट देने और गैर-फार्मेसी बिक्री आउटलेटों पर उनकी बिक्री करने के लिए सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची "के" के संशोधन का प्रस्ताव किया है।

(घ) छूट के साथ-साथ उक्त नियमों के तहत ऐसे विक्रेताओं के अनुपालन के लिए अपेक्षित नियमावली भी प्रदान की जाएगी।

(ङ) और (च) जी, हां। नियमों के संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले जनता के विचारार्थ टिप्पणियों के लिए मसौदा नियमों वाली राजपत्र अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

(छ) छूट के तहत कवर की गई औषधियों को लाइसेंस प्राप्त निर्माता या विक्रेता से खरीदना और ऐसी औषधों के रिकार्ड रखना आवश्यक होगा। इन औषधियों को अलग और इनके मूल अनखुले कन्टेनरों और स्ट्रिपों में रखना आवश्यक होंगा। नकली दवाओं की बिक्री करना एक अपराध है और इससें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार ही निपटा जाएगा।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन

3121. **एडवोकेट सुरेश कुरूप:**
डा. आर. सेनथिल:

क्या **प्रधानमंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन और इस पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो इस अभिसमय की विशेषताएं क्या है देश के कानूनों में इन प्रावधानों को शामिल करने के लिए क्या पद्धति अपनाई जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके अनुसमर्थन में विलम्ब के क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 को हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस कन्वेंशन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई उपाय निर्धारित किए गए हैं और यह पक्षकारों (देशों) को अपने-अपने स्थानीय कानून के अंतर्गत कतिपय आचरणों के अपराधीकरण पर विचार करने का आदेश देता है, जैसे देश की लोक सेवाओं के कर्मचारियों, विदेशी लोक सेवाओं के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी; किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया गबन इत्यादि; सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग; निजी क्षेत्र में सम्पत्ति के सम्बन्ध में रिश्वतखोरी और गबन; अपराध से हुई आय का शोधन; न्याय में रुकावट; और कंवेंशन इत्यादि के अनुरूप स्थापित किसी अपराध में भागीदारी। यह कन्वेंशन पक्षकारों को यह भी आदेश देता है कि वे कन्वेंशन के अंतर्गत स्थापित अपराधों के घटित होने के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने, अभियोजन और निर्णयादेश के सुमुचित उपायों, अपराध के लिए अपनी स्थानीय कानूनी प्रणाली के अनुसार उपाय करने, भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम के निवारण के उपाय, नुकसान की क्षतिपूर्ति का प्रावधान करे। इस कन्वेंशन में राष्ट्रीय प्राधिकारियों और निजी क्षेत्र के बीच, अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन चलाने और बैंक गोपनीयता संबंधी कानूनों की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रक्रिया के निर्माण के सम्बन्ध में आपसी सहयोग अपेक्षित है। यह कन्वेंशन पक्षकारों को, अपराध से होने वाली आय के स्थानांतरण को रोकने और इसका पता लगाने, परिसम्पत्तियों का जब्त करने, लौटाने और इनका निबटान करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सम्पत्ति वापस लेने की प्रक्रिया का निर्माण करने और संदेहास्पद वित्तीय कारोबार की निगरानी के लिए वित्तीय आसूचना एककों की स्थापना करने, का अधिकार देता है। इस कन्वेंशन में विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान भी किया गया है।

भारत ऐसे अनेक देशों में से एक देश है जिसने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं पर अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। चूंकि इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अत: इस संबंध में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। फिर भी, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से, जैसा अपेक्षित हो, अपने-अपने समर्थनकारी अपेक्षित विधान के अधिनियम की प्रक्रिया शुरु करने के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, एक अन्तर्मंत्रालयी संयुक्त कार्यदल गठित किया गया है ताकि हमारे देश के कानून को, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप बनाने के क्रम में सभी संगत मुद्दों का व्यापक तरीके से हल निकाला जा सके।

द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर हेतु मंजूरी

3122. **श्री गुरूदास दासगुप्त:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री पी. मोहन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महत्ता के मामलों में कार्यपलिका द्वारा द्विपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर करने से पहले विधान पालिका की औपचारिक मंजूरी लेना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रक्रिया संविधान सम्मत है और स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने की सम्भावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार विदेशों के साथ सभी संधियां और करार मंत्रिमंडल के अनुमोदन से संपन्न करती है। जब कभी आवश्यक होता है, किसी विधायी क्रियान्वयन के लिए विधान मंडल का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

(ग) और (घ) वर्तमान व्यवस्था संवैधानिक है और स्थापित प्रथा के अनुरूप है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला निष्कर्षण क्षेत्रों में पौधरोपण योजना

3123. श्री टेक लाल महतो: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड एवं इससे सटे पहाड़ी एवं बंजर भूमि क्षेत्रों में कोयला निष्कर्षण से उत्पन्न मृदा/अपशिष्ट पदार्थों के ढेर और बड़े गढ़ों को भरकर पौधारोपण योजना के अंतर्गत फलदार वृक्षों के रोपण का कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक सम्पन्न पौधारोपण कार्य का ब्यौरा क्या है और वर्ष-वार एवं स्थान-वार इस पर कितना खर्च हुआ;

(ग) इसमें सीसीएल और बीसीसीएल द्वारा दिए गए योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बारे में सरकार ने कोई स्थाई आदेश जारी किये है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन आदेशों का अनुपालन सुचारू रूप से हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लि. द्वारा बाहरी ओवरबर्डन डम्पों, मैदानों, सड़कों आदि के अतिरिक्त बैकफील्ड क्षेत्रों में पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। सामान्यतया फलदार वृक्षों का प्रतिशत कुल पौधरोपण के 10% से 20% के बीच है। तथापि, कोयला निष्कर्षण से बनी खाली जगहों की बैकफिलिंग बहु खदान के कारण अनेक खानों में नहीं की जा सकती है। अत: पौधरोपण का कार्य उन स्थानों में तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि सभी सीमों से कोयला भंडार समाप्त न हो जाए।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में आज की तारीख तक वर्ष और जिलावार किए गए पौधरोपण के कार्य और उन पर हुए व्यय का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

जिला	लगाए गए वृक्षों की संख्या/व्यय (लाख में)	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़
हजारीबाग	लगाए गए वृक्षों की संख्या	487,500	173,750	178,975	232,650	1,072,875
	व्यय	78.10	49.35	37.67	40.78	205.90
बोकारो	लगाए गए वृक्षों की संख्या	62,500	326,000	182,500	187,150	758,150
	व्यय	10.01	92.58	38.40	32.81	173.80
छतरा	लगाए गए वृक्षों की संख्या	50,000	81,250	52,500	12,500	196,250
	व्यय	8.00	23.07	11.05	2.19	44.31
गिरिडीह	लगाए गए वृक्षों की संख्या	-	-	-	67,500	67,500
	व्यय	-	-	-	11.83	11.83
रांची	लगाए गए वृक्षों की संख्या	22,500	22,500	62,500	32,500	139,500
	व्यय	3.60	6.25	13.17	5.70	28.72
धनबाद	लगाए गए वृक्षों की संख्या	6,000	13,000	16,000	200,000	235,000
	व्यय	विभागीय कार्य	विभागीय कार्य	विभागीय कार्य	24.60	26.60
जोड़	लगाए गए वृक्षों की संख्या	628,500	616,000	492,475	732,300	2,469,276
	व्यय	99.71	171.25	100.29	117.91	489.16

भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) में, मौजूदा वर्ष में झरिया कार्य योजना के अनुसार कुछ योजनाओं के तहत विशिष्ट प्रयोजन के लिए विधियों के प्राप्त होने पर पौधारोपण किया जाता है। विगत में जब निधि उपलब्ध नहीं थी, कार्य केवल थोड़ी मात्रा में विभागीय कार्य के रूप में किया गया जिसके लिए हुआ व्यय नगण्य था।

(ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) का सम्पूर्ण पौधरोपण कार्य अपनी निधि से किया जाता है और सी.सी.एल. ने वर्ष 2003-04 से मौजूदा वर्ष में आज की तारीख तक 464.50 लाख रुपये का व्यय किया है। मौजूदा वर्ष में बी.सी.सी.एल. में 24.60 लाख रुपये का व्यय झरिया कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और कोल इंडिया लि. के अंशदान से बने कार्पस फंड से किया गया है।

(घ) से (च) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981 और अन्य संबंधित अधिनियम भी कोयला खानों के लिए लागू है जिसके प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। इस संबंध में कोल इंडिया लि. ने भी अपनी कोयला उत्पादक कम्पनियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए तथा खनन कार्यकलापों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए भी दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन, कम्पनियों के कमांड क्षेत्रों में कार्यस्थल और आवासीय क्षेत्रों के चारों ओर व्यापक पौधारोपण महत्वपूर्ण न्यूनीकरण उपायों के रूप में आरंभ किए जाते हैं।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवाओं हेतु एक समान लाइसेंस शुल्क

3124. **श्री एन.एस.वी चित्तन:**
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मोबाइल एवं फिक्स्ड सेवाओं के लिए समान लाइसेंस फीस वसूलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व का घाटा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की एसोसिएशन ने लाइसेंस शुल्क को कम करके समायोजित सकल राजस्व के 6% की एकसमान दर तक करने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं। इस प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है। चूंकि यह नीतिगत मामला है इसलिए इसके क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। राजस्व निहितार्थ जांच पूरी होने के पश्चात ही स्पष्ट हो पाएंगे।

डब्ल्यू. टी. ओ. बैठक का दोहा राउण्ड

3125. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री मोहन सिंह
श्री बलपत सिंह परस्ते:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी-8 सदस्य देशों ने डब्ल्यू. टी. ओ. बैठक के दोहा राउण्ड के गतिरोध को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जी-8 देश ने विकसित देशों द्वारा प्रदान की जा रही कृषि राजसहायता में कटौती हेतु किसी कार्य योजना को तैयार किया है/करने पर सहमत हो गए है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस शिखर सम्मेलन में जी-8 में भारत को स्थाई सदस्य के रूप में शामिल करने पर भी जोर दिया;

(घ) यदि हां, तो इन सभी मामलों पर अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) उक्त शिखर सम्मेलन में सुदृढ़ बहुपक्षीयता के रूप में जोर दिए गए नव सिद्धांत से संबंधित मुख्य उद्देश्य और कर्त्तव्य क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सेन्ट पीटर्सबर्ग में 15-17 जुलाई, 2006 को आयोजित जी-आठ शिखर सम्मेलन ने वर्ष 2006 के अंत तक विश्व व्यापार संगठन की दोहा दौर की वार्त्ताओं को एक सफल निष्कर्ष तक पहुंचाने हेतु संयुक्त नेतृत्व और आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया ।

(ख) जी-आठ देशों ने व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाले घरेलू समर्थन को पर्याप्त रूप से कम करने और 2013 के अन्त तक निर्यात राजसहायता के सभी रूपों को समानान्तर समाप्त करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शिखर-सम्मेलन के निष्कर्ष दस्तावेजों में सुदृढ़ बहुपक्षीयता के नए सिद्धान्तों का कोई उल्लेख नहीं है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा की लंबित मांगें

3126. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा मंच की कोई मांग केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सी.एस.सी.एस) के अवर श्रेणी लिपिक तथा अपर श्रेणी लिपिक के ग्रेडों में प्रगतिरोध को हटाने के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा संघ द्वारा की गई मांगों पर विचार किया गया था परन्तु उसे स्वीकार करना इसलिए संभव नहीं पाया गया क्योंकि वे इस समय लागू सांविधिक नियमों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) की संवर्ग पुनसंरचना के बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नहीं है। फिर भी, प्रगतिरोध हटाने के लिए, 12 तथा 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर दो वित्तीय प्रोन्नयन की व्यवस्था करते हुए सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना पहले से ही शुरू की गई है। जहाँ तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अपर श्रेणी लिपिक की प्रवर सूचियों को समयबद्ध ढंग से जारी किए जाने की मांग का सम्बन्ध है यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसे समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने का प्रयास किए जाते हैं।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

3127. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात में शामलाजी से वापी बारास्ता जनजातीय क्षेत्र के बीच नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है, और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। हमें राज्य सरकार से शामलाजी-मोडासा-गोधरा-वापी राज्यीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5, जो कि ग्रामीण क्षेत्र (लंबाई-506 किलोमीटर) से होकर गुजरता है, नामक राज्यीय सड़क को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस समय, पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास पर जोर दिया जा रहा है और तदनुसार, राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में परिवर्तित करना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।

(ग) जब भी सरकार नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने का निर्णय लेगी, तब वह निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर गुजरात सहित विभिन्न राज्यों की आवश्यकता का समुचित ध्यान रखेगी।

[हिन्दी]

भविष्य के ओलम्पिक खिलाड़ी तैयार करने की योजना

3128. श्री अनंत गुढ़े: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वंचित खिलाड़ियों को बढ़ावा देकर भविष्य के ओलम्पिक खिलाड़ी बनाने के लिए कोई योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इस योजना का क्या परिणाम निकला?

पंचायती राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) खेलों का संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन.एस.एफ.) की जिम्मेदारी है। भारत सरकार राष्ट्रीय खेल विकास निधि, प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण के लिए योजना के तहत उदीयमान खिलाड़ियों को सहायता, राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता की योजना सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से जो संलग्न विवरण में दर्शाई गई है, राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है और भारतीय खेल प्राधिकरण कि विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को विभिन्न रूपों में सहायता उपलब्ध कराना है।

विवरण

भारत सरकार देश में खेल गतिविधियों तथा खिलाड़ियों के संवर्धन तथा प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित योजनायें संचालित करती है।

1. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन से संबंधित योजना जिसके निम्नलिखित घटक है;
   - (क) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पेंशन हेतु खेल निधि।
   - (ख) स्कूलों में खेल-कूदों का संवर्धन।
   - (ग) ग्रामीण खेल कार्यक्रम।
   - (घ) खेल छात्रवृत्ति योजना।
   - (ङ) राष्ट्रीय खेल विकास निधि।
2. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना
4. प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण के लिए योजना के तहत उदीयमान खिलाड़ियों को सहायता
5. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप
6. राज्य खेल अकादमियों के लिए योजना
7. भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत् अलग-अलग व्यक्तियों तथा संस्थाओं को भी पुरस्कार प्रदान करती है। इनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल-कूद में जीवन पर्यन्त उपलब्धियों के लिए ध्यान चंद पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार तथा विश्वविद्यालयों के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण देश में निम्नलिखित खेल संवर्धन योजनायें कार्यान्वित करता है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)
2. सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.)
3. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)
4. विशेष क्षेत्र योजना (एस.ए.जी.)
5. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)

[अनुवाद]

महिला खिलाड़ियों हेतु योजनाएं

3129. श्रीमती करूणा शुक्ला: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो खेलों की विभिन्न विधाओं की ओर अधिक से अधिक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में विशेषकर महिला खिलाड़ियों के लिए क्या योजना/रणनीति अपनाई गई है/अपनाई जानी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को महिला खिलाड़ियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा महिला खिलाड़ियों के ऐसे शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) खेलों में प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों को आकर्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सभी केन्द्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार महिलाओं के लिए विशेष खेल छात्रवृत्ति तथा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप की योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा कर रही है जिनका उद्देश्य प्रतिभा खोज, होनहार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता का प्रावधान, तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों मे खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, भारत में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन, भारतीय तथा विदेशी प्रशिक्षकों के अंतर्गत टीमों की कोचिंग/प्रशिक्षण, उपस्करों की खरीद तथा तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन का प्रावधान है।

(ग) सरकार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संदर्भ में टीमों की तैयारी तथा भावी पदकों को बढ़ाने के संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजन समिति, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ चर्चा कर रही है। इस प्रक्रिया में, महिलाओं तथा बालिकाओं की श्रेणी में उदीयमान खिलाड़ियों की पहचान पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनकी तैयारी हेतु अपेक्षित सहायता करके और स्तरीय प्रबंधन से उन्हें सुयोग्य बनाया जा सके।

(घ) और (ङ) भारत सरकार तथा भारतीय खेल प्राधिकरण ने महिला खिलाड़ियों के शोषण की कोई ताजा शिकायत प्राप्त नहीं है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण ने यौन उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा के लिए एक समिति गठित की है।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

3130. **डा. अरूण कुमार शर्मा:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र तथा पंजाब के डाकघरों में पंजीकरण के प्रयोजनार्थ स्थानवार कितने कंम्प्यूटर लगाए गए;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन राज्यों में स्थानवार कहां-कहां कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर में कम्प्यूटर सुविधा प्रदान करने में कोई समस्या आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब के डाकघरों में पंजीकरण के उद्देश्य से लगाए गए कम्प्यूटर की स्थानवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) चालू वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान असम, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में जहां कम्प्यूटर लगाए जाने हैं, उनका स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) इस पर लगभग 8,80,61,021/-रुपये व्यय होने की संभावना है।

(घ) से (च) जम्मू व कश्मीर के डाकघरों में बिना बाधा के कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्य समस्या है बिजली कटौती और कम वोल्टेज है। बिजली की कमी से निपटने के लिए जनरेटर प्रदान किए जा रहे हैं और वोल्टेज में घट-बढ़ से निपटने के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई (यूपीएस) प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण हेतु लगाये गए कम्प्यूटरों की संख्या सहित डाकघरों का ब्यौरा

क्र.सं.	डाकघर का नाम	कम्प्यूटरों की सं.
1	2	3
	असम	
1.	अभयपुरी	1
2.	अरुणाचल	1
3.	असम ट्रिब्यून	1
4.	आसाम सचिवालय	1
5.	बदरपुर	1
6.	बमूनी मैदान	1
7.	बारबरुआ	1
8.	बारपेटा एचओ	1
9.	बारपेटा रोड	1
10.	बासकंडी	1
11.	भाराल्लुमुख	1
12.	बिहुपुरिया	1
13.	बिजनी	1
14.	विजयनगर	1
15.	बिलासीपाड़ा	1
16.	बोको	1
17.	बोंगई गांव	1
18.	सीसी कालेज	1
19.	चबुआ	1
20.	चेरालीं	1
21.	चाँदखीरा	1
22.	छायगांव	1
23.	देमाजी	1
24.	दरगांव	1
25.	देवन्ज बाजार	1
26.	धाकूखाना	1
27.	धेकियाजूली	1
28.	धिंग	1
29.	धुबरी एचओ	1
30.	डिब्रूगढ	1
31.	डिब्रूगढ एचओ	1
32.	डिगबोई	1
33.	डिकोंम	1
34.	डिफू एचओ	1
35.	दिसपुर	1
36.	दोमदोमा	1
37.	दुलियाजन	1
38.	फैंसीबाजार	1
39.	गौरीपुर	1
40.	गोलपाड़ा	1
41.	गोहपुर	1
42.	गोलघाट एचओ	1
43.	गोलकगंज	1
44.	गोंसाई गांव	1
45.	गुवाहाटी जीपीओ	1
46.	गुवाहाटी यूनी. एचओ	1
47.	हाफलौंग	1
48.	हेलाकांडी एचओ	1
49.	हेयरबड गांव	1
50.	हाजो	1

1	2	3
51.	होजाई	1
52.	जाकलाबंधा	1
53.	जोगी रोड	1
54.	जोरहाट एचओ	1
55.	के.पी. घाट	1
56.	कलाई गांव	1
57.	कामपुर	1
58.	करीमगंज बाजार	1
59.	करीमगंज एचओ	1
60.	खानापाड़ा	1
61.	कोकराझाड़ एचओ	1
62.	लाहौल	1
63.	लंका	1
64.	लेडो	1
65.	लुमडिंग	1
66.	माकुम जंक्शन	1
67.	मालीगांव	1
68.	मंगलडोई एचओ	1
69.	मारघेरिता	1
70.	मरियानी	1
71.	मजबात	1
72.	मिर्जा	1
73.	मोहनबाड़ी	1
74.	मोरीगांव	1
75.	नवगांव एचओ	1
76.	नलबाड़ी एचओ	1
77.	नाजीरा	1
78.	न्यू बोंगई गांव	1
79.	नीलम बाजार	1
80.	नूनमती	1
81.	नार्थ लखीमपुर	1
82.	पलटन बाजार	1
83.	पंचग्राम	1
84.	पांडु	1
85.	पानीयोला	1
86.	पाथर कांडी	1
87.	पाथशाला	1
88.	रामकृष्ण नगर	1
89.	रंगपाड़ा	1
90.	रंगिया	1
91.	रंगीर खाड़ी	1
92.	रेहाबाड़ी	1
93.	रोहा	1
94.	सतग्राम	1
95.	सेनाई राम बाजार	1
96.	शिबसागर एचओ	1
97.	सिला पाथर	1
98.	सिलचर मेडिकल कालेज	1
99.	सिलचर एचओ	1
100.	सिलपुखुरी	1
101.	सिलालगौरी	1
102.	सोनाईमुक	1
103.	सोरभोग	1
104.	टांगला	1

1	2	3
105.	तनमबुलपुर	1
106.	तारापरु	1
107.	तेजपुर एचओ	1
108.	तिहू	1
109.	तिनसुकिया एचओ	1
110.	उलबाड़ी	1
	जम्मू व कश्मीर	
1.	अखनूर	1
2.	अनंतनाग एचओ	1
3.	बड़गांव	1
4.	बख्शीनगर	1
5.	बांदीपुर	1
6.	बनिहाल	1
7.	बारमूला	1
8.	बसौली	1
9.	बतमालू	1
10.	बतोते	1
11.	बटवाड़ा	1
12.	भदरवा	1
13.	किस्तावर	1
14.	डी. मेन्धार	1
15.	डोडा	1
16.	दुमाना	1
17.	दयालचक	1
18.	गंधरवाल	1
19.	गांधीनगर एचओ	1
20.	गांगयाल	1

1	2	3
21.	गरही	1
22.	हांडवाड़ा	1
23.	हिरानगर	1
24.	जम्मू कैंट	1
25.	जम्मू एचओ	1
26.	जम्मू मार्किट	1
27.	जानीपुर	1
28.	जौरैन	1
29.	जवाहर नगर	1
30.	ज्योतीपुरम	1
31.	करन नगर	1
32.	कारगिल	1
33.	कठुआ एचओ	1
34.	कटरा	1
35.	कुपवाड़ा	1
36.	लाल चौक	1
37.	लेह सिटी	1
38.	लेह एचओ	1
39.	मिनी सेक्ट्रीयेट कठुआ	1
40.	मिरानसाहिब	1
41.	मुकेरजी रोड	1
42.	न्यू युनिवर्सिटी कैम्प्स जम्मू	1
43.	नौसेहरा	1
44.	पमपोरा	1
45.	पट्टन	1
46.	पुंछ	1
47.	पुलवामा	1

1	2	3
48.	काजीगुंड	1
49.	रेलवे स्टेशन	1
50.	राजौरी	1
51.	रामबाण	1
52.	रामनगर	1
53.	रैसी	1
54.	रेहारी	1
55.	रौन	1
56.	आरएस पुरा	1
57.	एस.आर जंग	1
58.	साम्बा	1
59.	सनतनगर	1
60.	एस.के. एयर पोर्ट	1
61.	सोपोर	1
62.	श्रीनगर जीपीओ	1
63.	सुन्दरीबानी	1
64.	त्रिकुटा नगर	1
65.	उधमपुर एचओ	1
66.	विजयपुर	1
67.	विनायक बाजार	1
68.	जैनाकोट	1
	महाराष्ट्र	
1.	इन्ड.इस्टेट एनएसके	1
2.	ए.एम. कालोनी	1
3.	ए.एस. नगर	2
4.	अचलपुर सिटी	2
5.	अचारा	2
6.	ए.डी. प्रोजेक्ट	2
7.	अहेरी	2
8.	अहमद नगर कैंप	2
9.	अहमद नगर सिटी	2
10.	अहमद नगर एचओ	2
11.	अहमद नगर आरएस	2
12.	अहमदपुर	2
13.	एयरपोर्ट	2
14.	अजारा	2
15.	अजनी	1
16.	अकालकोट	1
17.	अखड़वार्ड पनधारकावड़ा (एनडी)	1
18.	अकलुज	1
19.	अकोला बाजार	1
20.	अकोला सिटी	1
21.	अकोला एचओ	1
22.	अकोले	1
23.	अकोट	1
24.	अकुर्दी	1
25.	अला	1
26.	अलीबाग एचओ	1
27.	अलोर	1
28.	अमलनेर	1
29.	अमबाद	1
30.	अमबाद एएस	1
31.	अम्बाजोगई	1

1	2	3
32.	अम्बरनाथ	1
33.	अम्बेवाड़ी	1
34.	अमगांव	1
35.	अमन फैक्ट्री	1
36.	अमरावती कैंप	1
37.	अमरावती एचओ	1
38.	अनन्दी बाजार	1
39.	अंधेरी ईस्ट	1
40.	अंधेरी एचपीओ	1
41.	अंधेरी आरएस	1
42.	अंजन गांव	1
43.	अंटॉप हिल	1
44.	अपना बाजार	1
45.	अर्जुनी मोरगांव	1
46.	आरमामेंट	1
47.	अरमौरी	1
48.	अरनी	1
49.	अरवी	1
50.	अशोक चौक सोलापुर	1
51.	अस्ते	1
52.	अस्ती	1
53.	अतपाड़ी	1
54.	औनध	1
55.	औनध केंप	1
56.	औनधा नागनाथ	1
57.	औरंगाबाद कैंट	1
58.	औरंगाबाद एचओ	1
59.	औसा	1
60.	अवधूतवाड़ी	1
61.	अयोध्या नगर	1
62.	आजाद नगर	1
63.	बी ए आर सी	1
64.	बी एन भवन	1
65.	बी पी लेन	1
66.	बी पी गिल्स	1
67.	बी एस रोड	1
68.	बापुलगांव	1
69.	बडनेरा	1
70.	बगदगंज	1
71.	बजाज नगर	1
72.	बाजीराव रोड	1
73.	बालापुर	1
74.	बल्लारपुर	1
75.	बम्बावाड़ा	1
76.	बांदा	1
77.	बांद्रा ईस्ट	1
78.	बांद्रा वेस्ट	1
79.	बांगूर नगर	1
80.	बारामती	1
81.	बारशी	1
82.	बारशी तकली	1
83.	बसमत नगर	1
84.	बासेन	1
85.	बासेन रोड	1

1	2	3
86.	बाजार गेट	1
87.	बीड एचओ	1
88.	बेस्ट स्टाफ कालोनी	1
89.	बेजौन बाग	1
90	भड़गांव	1
91.	भद्रावती	1
92.	भागुर	1
93.	भांद्रा एचओ	1
94.	भांद्रा ओएफ	1
95.	भंदुप ईस्ट	1
96	भंदुप आईसी	1
97.	भंदुप डब्ल्यूसी	1
98.	भंदुप वेस्ट	1
99.	भवानी नगर	1
100.	भवानी शंकर	1
101.	भायेन्द्र ईस्ट	1
102.	भांदेगली केएलपी	1
103.	भिवन्डी	1
104.	भीवापुर	1
105.	भोकर	1
106.	भोखारधान	1
107.	भूम	1
108.	भोर	1
109.	भोसारी आईई	1
110.	भोसारी गांव	1
111.	भुसावल एचओ	1
112.	भुसावल कुट	1
113.	भुसावल ओएफ	1
114.	बिचौलिम	1
115.	बिदरी	1
116.	बिलौली	1
117.	बोडवाद	1
118.	बौसर	1
119.	बोरगांव मंजू	1
120.	बोरीवली ईस्ट	1
121.	बोरीवली एचपीओ	1
122.	बोरीवली वेस्ट	1
123.	ब्रह्मपुरी	1
124.	बुलधाना एचओ	1
125.	सीसी ओरस	1
126.	सी.आई.ए.	1
127.	कलांगुटे	1
128.	कनकोना	1
129.	सीमेंटनगर	1
130.	सेन्ट्रल बिल्डिंग	1
131.	सेन्चुरी मिल	1
132.	छायल्स गांव एचओ	1
133.	चैतन्यवाड़ी	1
134.	चकाला एमआईडीसी	1
135.	चाकान	1
136.	चामर भौग	1
137.	चामौरसी	1
138.	चांदगढ़	1
139.	चन्दपुर सिटी	1

1	2	3
194.	देवली	1
195.	देसियागंज	1
196.	देवलगांव राजा	1
197.	देवधे	1
198.	देवगढ़	1
199.	देवलाली	1
200.	देवलाली बाजार	1
201.	देवरूख	1
202.	धमानगांव आरएस	1
203.	धकवाड़ी	1
204.	धनतोली	1
205.	धरनगांव	1
206.	धारवी	1
207.	धारवी रोड	1
208.	धरमाबाद	1
209.	धारनी	1
210.	धेबेबाड़ी	1
211.	धुले सिटी	1
212.	धुले एचओ	1
213.	दिधी कैंप	1
214.	दिगरास	1
215.	दिन्दौरी	1
216.	दिव्यागढ़	1
217.	डोकियाड़	1
218.	डोमबिवाली	1
219.	डोमबिवाली आईए	1
220.	डोनडयाचा	1
221.	डा. अम्बेडकर मार्ग	1
222.	डा. बी.ए. चौक	1
223.	डा. देशमुख मार्ग	1
224.	द्वारका कार्नर	1
225.	ईरनडोल	1
226.	एक्स सर्विसमैन कालोनी	1
227.	एफसीआई	1
228.	फैजपुर	1
229.	फाकलैंड रोड	1
230.	फाजिलपुरा	1
231.	जीएम यार्ड कोल्हापुर	1
232.	गढ़चिरौली	1
233.	गांधिगंलाज	1
234.	गांधीनगर नासिक	1
235.	गांधीनगर नागपुर	1
236.	गांधीनगर	1
237.	गणेश खिंद	1
238.	गंगाखेद	1
239.	गंगपुर	1
240.	गरगोटी	1
241.	गेवराय	1
242.	धाटा नोजी	1
243.	धाटकोपर वेस्ट	1
244.	धोडेगांव	1
245.	घोती	1
246.	गिरगांव	1
247.	गोखले रोड	1

1	2	3
248.	गोखले रोड	1
249.	गोले कालोनी	1
250.	गोंदिया एचओ	1
251.	गोंदिया सिटी	1
252.	गोंदपिपरी	1
253.	गोरेगांव	1
254.	गोरेगांव	1
255.	गोरेगांव ईस्ट	1
256.	गोरेगांव आरएस	1
257.	गोवंदी	1
258.	गवर्नमेंट कालोनी	1
259.	गोवालिया टैंक	1
260.	ग्रांट रोड	1
261.	गुहागर	1
262.	एच वी. नगर अमरावती	1
26.3	अदसार	1
264.	हडगांव	1
265.	हाफकिन इन्स्टीट्यूट	1
266.	हलकारनी	1
267.	हनुमान नगर	1
268.	हनुमान रोड	1
269.	हतकलांगगोढ़ा	1
270.	एचआईई	1
271.	हाई कोर्ट	1
272.	हिंगनघाट	1
273.	हिंगौली	1
274.	एचएमपी स्कूल	1
275.	होलीडे कैंप	1
276.	एचपीटी कालेज एनएसके	1
277.	हुपरी	1
278.	आई एस पी नासिक रोड	1
279.	आईएएफ स्टेशन	1
280.	इछलकरंजी एचओ	1
281.	ईगतपुरी	1
282.	इंदापुर	1
283.	इंटर नेशनल एयरपोर्ट	1
284.	इर्ला	1
285.	इतवारा नादेंड़	1
286.	जे बी नगर	1
287.	जे के ग्राम	1
288.	जे एम रोड	1
289.	जैकब सर्किल	1
290.	जय हिन्द कालोनी	1
291.	जैस्थाम्बा चौक (एनडी)	1
292.	जलगांव	1
293.	जलगांव बाजार	1
294.	जलगांव कचेहरी	1
295.	जलगांव एचओ	1
296.	जलगांव पैंठ	1
297.	जालना एचओ	1
298.	जालना आरएस	1
299.	जामखेड़	1
300.	जामनेर	1
301.	जमसांदे	1

1	2	3
302.	जंजीरामुरूद	1
303.	जरीपटका	1
304.	जाट	1
305.	जथारपेठ अकोला	1
306.	जवाहर	1
307.	जयसिंह पुर	1
308.	जीवन प्रकाश	1
309.	जेजूरी	1
310.	जेजूरी	1
311.	जौर	1
312.	जिंतूर	1
313.	जे एन पी टी	1
314.	जोगेश्वरी ईस्ट	1
315.	जोगेश्वरी वेस्ट	1
316.	जुहू	1
317.	जुननार	1
318.	के सी पार्क	1
319.	के महानकल	1
320.	के वाड़ी	1
321.	काढ़ा	1
322.	कादेगांव	1
323.	कादेपुर	1
324.	कगाल	1
325.	कैज	1
326.	काला चौकी	1
327.	कलाम्ब	1
328.	कलाम्बोलीनोद	1
329.	कलामनूरी	1
330.	कालबादेवी एचओ	1
331.	काले	1
332.	कल्लाम	1
333.	कालमेश्वर	1
334.	कलवान	1
335.	कल्याण सिटी एचओ	1
336.	कल्याण डीसी	1
337.	कल्याण आरएस	1
338.	कमाथीपुरा	1
339.	कम्पटी एचओ	1
340.	कान्थी सिटी	1
341.	कांदीवली ईस्ट	1
342.	कांदीवली वेस्ट	1
343.	कनहनपिपरी	1
344.	कनकावली	1
345.	कन्नाड	1
346.	कननामवार नगर	1
347.	कापशी	1
348.	कराड़ एचओ	1
349.	करंजा	1
350.	करजात	1
351.	करजात	1
352.	कारमाला	1
353.	कासल	1
354.	कासरवाड़ी	1
355.	कासबा	1

1	2	3
356.	कासबपेठ	1
357.	कुसादा	1
358.	काटेमानेवल्ली	1
359.	कातोल	1
360.	कट्टा	1
361.	केदगांव	1
362.	खड़की	1
363.	खालगांव	1
364.	खामगांव एचओ	1
365.	खामला	1
366.	खानापुर	1
367.	खांडला बावड़ा	1
368.	खंधार	1
369.	खापा	1
370.	खापरखेड़ा	1
371.	खारकालोनी	1
372.	खारेपत्तन एसओ	1
373.	खरौदी	1
374.	खैद	1
375.	खैद शिवपुर बौग	1
376.	खेरेड़ी	1
377.	खोपी	1
378.	खोपोली	1
379.	किल्ले धारूर	1
380.	किन्वात	1
381.	कोडोली	1
382.	कोकरूद	1
383.	ओले	1
384.	कोल्हापुर सिटी एचओ	1
385.	कोल्हापुर एचओ	1
386.	कोल्हापुर आरएस	1
387.	कोलपेवाड़ी	1
388.	कोंकण भवन	1
389.	कोपरगांव	1
390.	कोपरखैराने	1
391.	कोराड़ी	1
392.	कोरेगांव	1
393.	कोतल रोड	1
394.	कोथरूढ	1
395.	कोयना	1
396.	क्रांति चौक	1
397.	कृषिनगर	1
398.	कुदाल	1
399.	कुड्स	1
400.	कुही	1
401.	कुरूदूवाड़ी	1
402.	करूखेदा	1
403.	कुर्ला	1
404.	कुरूल आरसीएफ कालोनी	1
405.	कुरून्दवाड़	1
406.	लखनी	1
407.	लंजा	1
408.	लासालगांव	1
409.	लातूर एचओ	1

1	2	3
410.	लक्ष्मीपुरी कोल्हापुर	1
411.	लिबर्टी गार्डन	1
412.	लोनन्द	1
413.	लोनार	1
414.	लोनावाला	1
415.	लोनी बी के	2
416.	लोनी खुर्द	2
417.	एम जे कालेज	2
418.	माधा	2
419.	माधव नगर	2
420.	महाबलेश्वर	2
421.	महाद	2
422.	महागांव	2
423.	माहल	2
424.	महिमबाजार	2
425.	महिम ईस्ट	2
426.	महिम एचओ	2
427.	महात्मा फुले बाजार	2
428.	माहुल रोड	2
429.	मेन रोड नासिक	2
430.	माजलगांव	1
431.	मखजान	1
432.	मलाड ईस्ट	1
433.	मलाड एन डी	1
434.	मलाड वेस्ट	1
435.	मालबर हिल	1
436.	मालेगांव	1
437.	मालेगांव कैंप	1
438.	मालेगांव एचओ	1
439.	मलहरपेठ कराड	1
440.	मलकापुर	1
441.	मलकापुर	1
442.	मालसिरस	1
443.	मालवान एचओ	1
444.	मंचार	1
445.	मनदनगढ़	1
446.	मन्दपेश्वर	1
447.	माण्डवी	1
448.	मंगलवेधा	1
449.	मंगलवार पेठ	1
450.	मनगांव	1
451.	मनगांव	1
452.	मंगलूरपिर	1
453.	मनमाड	1
454.	मनोरा	1
455.	मंत्रालय	1
456.	मनवात	1
457.	मपूषा	1
458.	मारेगांव रोड	1
459.	मार्गो एचओ	1
460.	मैरिन लाइन्स	1
461.	मारकांडी	1
462.	मार्किट यार्ड	1
463.	मरौल बाजार	1

1	2	3
464.	मस्जिद	1
465.	मसूर	1
466.	मसूरा	1
467.	मटुंगा	1
468.	मटुंगा रेलवे वर्कशाप	1
469.	मौदा	1
470.	मझगांव रोड	1
471.	मेहेकर	1
472.	मेरी कालोनी	1
473.	महशाला	1
474.	महाशवाद	1
475.	एमआईडीसी (आरटीजी)	1
476.	एमआईडीसी (एस)	1
477.	एमआईडीसी अहमदनगर	1
478.	एमआईडीसी नागपुर	1
479.	एमआईडीसी सतारा	1
480.	एमआईडीसी शिरोली	1
481.	मीरो रोड	1
482.	मिराज एचओ	1
483.	मिराज गांव	1
484.	माडल कालोनी	1
485.	मोहननगर (एनडी)	1
486.	मोहोल	1
487.	मोहने	1
488.	मोरी रोड	1
489.	मुरमुगांव	1
490	मोरशी	1

1	2	3
491.	मोताला	1
492.	मोतीलाल नगर	1
493.	मुखेद	1
494.	मुकताई नगर	1
495.	मूल	1
496.	मुलुन्ड कालोनी	1
497.	मुलुन्ड ईस्ट	1
498.	मुलुन्ड वेस्ट	1
499.	मुम्बई सेन्ट्रल एचओ	1
500.	मुम्बई जीपीओ	1
501.	मुम्बरा	1
502.	मुरबाद	1
503.	मुर्तिजापुर	1
504.	मुरगुड	1
505.	एन डी रोड	2
506.	एन एस पाटकर मार्ग	2
507.	नागभीड	1
508.	नाघटाने	1
509.	नागपुर हवाई अड्डा	1
510.	नागपुर शहर एचओ	1
511.	नागपुर जीपीओ	1
512.	नईगांव	1
513.	नांदेड़ एचओ	1
514.	नंदगांव	1
515.	नंदगांव खांडेश्वर	1
516.	नंदुरा	1
517.	नंदुरबाद	1

1	2	3
518.	नारायणगांव	1
519.	नारायणपेठ	1
520.	नरिमन प्वाइंट (दक्षिण)	1
521.	नारखोर	1
522.	नासिक सिटी	1
523.	नासिक एचओ	1
524.	नासिक रोड कैंप	1
525.	नासिक रोड एचओ	1
526.	नाटे	1
527.	नाटेपुटे	1
528.	नावपाड़ा	1
529.	नवापुर	1
530.	नवेलिम	1
531.	नवीपेठ	1
532.	नवसह्याद्री	1
533.	एनसीएल	1
534.	एनडीए खड़कवासला	1
535.	नेहरू नगर	1
536.	नेहरू रोड	2
537.	नेराल	2
538.	नेरपारसोपंत	1
539.	नेरूल नोड-III	1
540.	नेताजी बाजार	1
541.	नेताजी नगर	1
542.	नेवासा	1
543.	न्यू प्रभादेवी	1
544.	न्यू योगक्षेमा	1
545.	न्हावरे	1
546.	नीलांगा	1
547.	नीफद	1
548.	नीरा आर.एस.	1
549.	एनआईटीआईई	1
550.	नल्ल बाजार	1
551.	ओई अंबेरनाथ	1
552.	ओगलेवाडी	1
553.	ओझार टी.एस.	1
554.	ओमरगा	1
555.	ओपरा हाउस	1
556.	ओरलेम	1
557.	ओशीवाड़ा	2
558.	उसमानाबाद एचओ	2
559.	उसमानपुर	2
560.	ओतूर	2
561.	पी एच कालोनी	1
562.	पाचाल	2
563.	पचोरा	2
564.	पैठाण	2
565.	पालधी	2
566.	पालगढ़	2
567.	पालधर एचओ	1
568.	पाली	2
569.	पाली	2
570.	पालूस	2
571.	पणजी एचओ	2

1	2	3
572.	पंचगनी	2
573.	पंचवटी	2
574.	पंढरपुर कावड़ा	1
575.	पंढरपुर एचओ	1
576.	पंतनगर	1
577.	पनवेल शहर	1
578.	पनवेल एचओ	1
579.	पाराली	1
580.	पारंदा	1
581.	परातवाड़ा एचओ	1
582.	परभनी एचओ	1
583.	परेल	1
584.	परेलनाका	1
585.	परीते	1
586.	परली वैजनाथ	1
587.	पारनेर	1
588.	परोला	1
589.	पारतूर	1
590.	पार्वती	1
591.	पार्वती नगर	1
592.	पाटण	1
593.	पाटण बोरी	1
594.	पाथरडी	1
595.	पथारी	1
596.	पाथरोट	1
597.	पटोडा	1
598.	पाटूर	1
599.	पटवर्धन मैदान	1
600.	पाठनी	1
601.	पावस	1
602.	पीसीएनटी	1
603.	पीसीटीएस नागो ठाणे	1
604.	पींट	1
605.	पेन	1
606.	पेरनेम	1
607.	फल्टन	1
608.	फोंडाघाट	1
609.	पिंपलगांव (बी)	1
610.	पुलिसमैन कॉलोनी	1
611.	पोंडा	1
612.	पवई आईआईटी	1
613.	पीपीएफ	1
614.	प्रभादेवी	1
615.	प्रवरनगर	1
616.	पीएसएम कालोनी	1
617.	पुल गांव	1
618.	पुलगांव कैंप	1
619.	पुणे कैंट पूर्व	1
620.	पुणे सिटी एचओ	1
621.	पुणे एचओ	1
622.	पुणे आरएस	1
623.	पूर्णा	1
624.	पूसाड़	1
625.	पूसेगांव	1

1	2	3
626.	पूसेसावली	1
627.	क्यूपेम	1
628.	आरएसमार्ग	1
629.	राधानगरी	1
630.	राहटा	1
631.	रहमतपुर	1
632.	राहूरी	1
633.	राहूरी फैक्ट्री	1
634.	राहूरी एमपीकेवी	1
635.	राजापुर	1
636.	राजारामपुरी	1
637.	राजावाड़ी	1
638.	राजे रघुजी नगर	1
639.	राजेन्द्र नगर	1
640.	राजगुरू नगर	1
641.	राजूर	1
642.	राजूरा एसके	1
643.	रालेगांव	1
644.	रामपुर	1
645.	रामटेक	1
646.	राणाडे रोड	1
647.	राणा प्रताप नगर	1
648.	रांगे हिल्स	1
649.	रांकाला केएलपी	1
650.	रसायनी	1
651.	रत कलैक्ट्रेट	1
652.	रत्नागिरी एचओ	1
653.	रावेर	1
654.	आरसीएफ थाल	1
655.	रीए रोड	1
656.	रेव दांडा	1
657.	रीसोड़	1
658.	रोहा	1
659.	रोहा एवी	1
660.	रूक्मिणी नगर	1
661.	एसवी रोड	1
662.	एस के नगर	1
663.	एसवी मार्ग	1
664.	एस कॉलोनी	1
665.	एसपी कॉलेज	1
666.	सदर बाजार	1
667.	सदाशिव पेठ	1
668.	सहकार भवन	1
669.	सहार टीएनटी	1
670.	सइलू	1
671.	सेतवाड़ा	1
672.	साखरखेरडा	1
673.	साखरपा	1
674.	साखरवाड़ी	1
675.	साकीनाका	1
676.	सकोली	1
677.	साक्री	1
678.	सेंडोज बाग	1
679.	संगमेश्वर	1

1	2	3
680.	संगमनेर	1
681.	संगमनेर सतारा	1
682.	संगावे	1
683.	सांगली सिटी	1
684.	सांगली एचओ	1
685.	सांगोला	1
686.	सांताक्रूज मध्य	1
687.	सांताक्रूज पूर्व	1
688.	सांताक्रूज टीएनटी	1
689.	सांताक्रूज पश्चिम	1
690.	सावमेर	1
691.	सासवाड	1
692.	सताना	1
693.	सतारा शहर	1
694.	सतारा एचओ	1
695.	सतारा रोड	1
696.	सतपुर टीएस	1
697.	सवालाज	1
698.	सावरकर मार्ग	1
699.	सावड़ा	1
700.	सावेडी रोड	1
701.	सावंतवाडी एचओ	1
702.	सावरदा	1
703.	सचिवालय	1
704.	सचिवल	1
705.	सीप्ज	1
706.	सेलू	1
707.	सेमिनार एसव हिल्स	1
708.	सत्र न्यायालय	1
709.	सेवाग्राम	1
710.	सेवरी	1
711.	शहाड़	1
712.	शाहड़ा	1
713.	शाहपुर	1
714.	शाहूपुरी	1
715.	शनीचरा	1
716.	शनिवारपेठ	1
717.	शंकरनगर	1
718.	शेगांव	1
719.	शेवगांव	1
720.	शिलफट्टा	1
721.	शिराला	1
722.	शिरडी	1
723.	शिरोडा	1
724.	शिरोल	1
725.	शिरपुर	1
726.	शिरूर	1
727.	शिरवल	1
728.	शिवाजीनगर	1
729.	शिवाजीपार्क	1
730.	शिवाजी पार्क अकोला	1
731.	शिवाजी विश्वविद्यालय	1
732.	शिवाजी नगर (आरटीजी)	1
733.	शिवाजीनगर एएमटी,	1

1	2	3
734.	शिवाजीनगर चंदा	1
735.	शिवाजीनगर एचओ	1
736.	शिवाजी नगर एनएनडी	1
737.	शिवनगर	1
738.	श्रीपुर	1
739.	श्रीगोंडा	1
740.	शृंगारतली	1
741.	श्रीरामपुर एचओ	1
742.	श्रीवर्धन	1
743.	सिल्लोड़	1
744.	सिंहवाही	1
745.	सिंहखेड राजा	1
746.	सिंदखेडा	1
747.	सिन्नार	1
748.	सायन	1
749.	सिरोंचा	1
750.	सिरपुर	1
751.	सीताबर्डी	1
752.	सोलापुर सिटी	1
753.	सोलापुर एचओ	1
754.	सोलापुर मार्केट	1
755.	सोनई	1
756.	एसआर पीएफ	1
757.	एसएसके सांगली	1
758.	स्टेशन परभनी	1
759.	स्टेशन रोड उल्हासनगर	1
760.	स्टॉक एक्सचेंज	1
761.	सुरगाणा	1
762.	स्वरगाते	1
763.	टीएफ देवनार	1
764.	टेगोर नगर	1
765.	ताजमहल	1
766.	ताजनापेट	1
767.	ताला	1
768.	तालेबाजार	1
769.	तालेगांव ढाबाडे	1
770.	तालेगांव ढाबाडे	1
771.	तालेगांव जनरल अस्पताल	1
772.	तालेडा	1
773.	तालोजा एवी	1
774.	टैंक रोड	1
775.	तारले	1
776.	तारापुर एपीपी	1
777.	तारापुर आईई	1
778.	तारापुर	1
779.	तासगांव	1
780.	तेल्हाड़ा	1
781.	त्योसा	1
782.	ठाणे पूर्व	1
783.	ठाणे एचओ	1
784.	ठाणे आरएस	1
785.	तिलकनगर	1
786.	तिलकनगर	1
787.	तिलकनगर एलटीआर	1

1	2	3
788.	तिरोरा	1
789.	टाउन हाल	1
790.	त्रिंबक	1
791.	त्रिमूर्ति	1
792.	ट्रांबे	1
793.	तुलजापुर	1
794.	तुलसीवाड़ी	1
795.	तुमसार	1
796.	यू. इसलामपुर	1
797.	उडगीर	1
798.	उल्हासनगर I	1
799.	उल्हासनगर II	1
800.	उल्हासनगर IV	1
801.	उल्हासनगर V	1
802.	उम्ब्राह	1
803.	उमरखेड	1
804.	उम्रेर	1
805.	अपर तूडिल	1
806.	ऊरन	1
807.	उर्ली कंचन	1
808.	उतूर	1
809.	वी.जे.बी. उद्यान	1
810.	वी.पी. रोड	1
811.	वाडा	1
812.	वडगांव	1
813.	वडगांव पुणे	1
814.	वढूच	1
815.	वेभववाडी	1
816.	वैजापुर	1
817.	वाकावाली	1
818.	वालपोई	1
819.	वामवोरी	1
820.	वाणी	1
821.	वरणगांव	1
822.	वरणगांव ओएफ	1
823.	वास्को	1
824.	वाशी	1
825.	वाशी VII	1
826.	वेंगरला	1
827.	वसावा	1
828.	विद्यानगरी	1
829.	विद्याश्रम	1
830.	बिक्रीकर भवन	1
831.	विखरोली	1
832.	विले पार्ले पूर्व	1
833.	विले पार्ले आरएस	1
834.	विले पार्ले पश्चिमी	1
835.	विरार	1
836.	विष्णुनगर	1
837.	विते	1
838.	विवेकानंदनगर	1
839.	डब्ल्यू सी सांगली	1
840.	वडाला	1
841.	वाडाल आरएस	1

1	2	3
842.	वाडी	1
843.	वागले आईई	1
844.	वाई	1
845.	वालचंद नगर	1
846.	वालगांव	1
847.	वानी	1
848.	वानोवारी	1
849.	वारानगर	1
850.	वर्द्धा एचओ	1
851.	वरोरा	1
852.	वरूड	1
853.	वाशिम	1
854.	वर्ली	1
855.	वर्ली कॉलोनी	1
856.	वर्लीनाका	2
857.	डब्ल्यूटीसी	2
858.	यावल	2
859.	येओला	2
860.	यवतमाल एचओ	2
861.	यरवडा	2
862.	जेडएनपीओ	2
863.	जेडपी टीएसओ यवतमाल	2
864.	जुआरी नगर	2
	पंजाब	
1.	अबोहर	1
2.	अबोहर मंडी	1
3.	आदमपुर एडी	1
4.	आदमपुर दोआबा	1
5.	चंडीगढ़ हवाई अड्डा	1
6.	अहमदगढ़	1
7.	अजनाला	2
8.	अमरगढ़	1
9.	अमलोह	2
10.	अमलोह रोड खन्ना	1
11.	अमृतसर एचओ	1
12.	अमृतसर कचहरी	1
13.	आनंदपुर साहिब	1
14.	अट्टारी	1
15.	बी.आर. स्ट्रीट, लुधियाना	1
16.	बाबा बकाला	1
17.	बाघपुराना	2
18.	बालाचाउर	2
19.	बंगा	1
20.	बंगारोड फगवाड़ा	2
21.	बरनाला	1
22.	बरनाला कचहरी	1
23.	बसंत एवेन्यू	1
24.	बस्सी कलां	1
25.	बस्सियां	1
26.	बस्ती गुजान जालंधर	1
27.	बस्ती जोधेवाल	1
28.	बस्ती नाऊ	2
29.	बस्ती शेख, जालंधर	1
30.	बाताला एचओ	1

1	2	3
31.	बठिंडा सिटी	2
32.	बठिंडा एचओ	1
33.	बाजार नौहरियां	1
34.	बाजार शहीदां, जालंधर	1
35.	ब्यास	1
36.	भांगाला	2
37.	भवानी गढ़	4
38.	भीखीविंड	1
39.	भोगपुर	1
40.	भोलाथ	1
41.	भुलोवल	2
42.	कैंट आरएस फिरोजपुर	1
43.	चमकौर साहिब	1
44.	चंडीगढ़ जीपीओ	2
45.	छाबल	2
46.	छेहराता	1
47.	छोगावान	1
48.	चौक आर्य समाज	2
49.	सिविल लेन पटियाला	1
50.	सीएमसी लुधियाना	1
51.	सीपीओ लुधियाना	1
52.	डाबा रोड लुधियाना	1
53.	दसुआ एचओ	1
54.	दतारपुर	2
55.	डीसीडब्ल्यू पटियाला	1
56.	डेराबाबा नानक	1
57.	धनोडा	1
58.	धंदेरीकलां	1
59.	धरमकोट	1
60.	धारीवाल	1
61.	धेलवान	1
62.	धुरी	1
63.	दीनानगर	1
64.	दोराहा	1
65.	एफएफ नांगल	1
66.	फरीदकोट एचओ	1
67.	फतेहाबाद	2
68.	फतेहगुढ़ चुरियां	1
69.	फाजिलका	1
70.	फिरोजपुर एचओ	1
71.	फिरोजपुर सदर बाजार	1
72.	गांधीबाजार अमृतसर	1
73.	गारचा	1
74.	गर्दीवाढ़ा	1
75.	गढ़ शंकर	1
76.	घुम्मन	1
77.	गिरदवाहा	1
78.	जीएम जालंधर	1
79.	जीएनडीयू	1
80.	गोल्डन टेंपल अमृतसर	1
81.	गोनियाणा मंडी	1
82.	जीपी पटियाला	2
83.	जीटी अमृतसर	1
84.	गुरदासपुर एचओ	1

1	2	3
85.	गुरू अर्जनदेव नगर	1
86.	गुरू बाजार अमृतसर	4
87.	गुरू हरसहाय	1
88.	गाजीपुर	1
89.	हालवाड़ा एडी	1
90.	हरियाना	2
91.	हाइड मार्केट	1
92.	होशियारपुर एचओ	1
93.	एसएस कॉलेज अमृतसर	1
94.	औद्योगिक क्षेत्र चंडीगढ़	1
95.	इकबालगंज लुधियाना	1
96.	आई टी जालंधर	2
97.	जेएफ मिल	1
98.	जगराऊं एचओ	1
99.	जेल रोड लुधियाना	1
100.	जैतूर	1
101.	जलालाबाद	1
102.	जलालाबाद पश्चिम	1
103.	जालंधर कैंट एचओ	1
104.	जालंधर सिटी एचओ	1
105.	जंडियाला	1
106.	जंडियाला गुरू	1
107.	जनतानगर लुधियाना	1
108.	कमलपुर	1
109.	कमहीदेवी	2
110.	कपूरथला एचओ	2
111.	करतारपुर	1
112.	कटरा करमसिंह	1
113.	खालसा कॉलेज	1
114.	खन्नार एचओ	1
115.	खरार	1
116.	खेम करण	1
117.	कोट इसेखान	1
118.	कोट कपूरा	1
119.	कुराली	1
120.	एलआर मार्केट	1
121.	लेबर कॉलोनी	1
122.	लालडू	1
123.	लॉरेंस रोड अमृतसर	1
124.	लेहरा गागा	1
125.	लोहियान	1
126.	एलआर मार्केट लुधियाना	1
127.	लुधियाना एचओ	1
128.	लुधियाना कचहरी	1
129.	माछीवाड़ा	1
130.	माधोपुरी	1
131.	माधोपुर	1
132.	महलकलां	1
133.	माहिलपुर	1
134.	मजीठा	1
135.	माखू	1
136.	मलौढ़	1
137.	मलेरकोटला	1
138.	मलोट	1

1	2	3
139.	मलसियान	1
140.	मंडी गोबिंदगढ़	1
141.	मणिमाजरा	1
142.	मानसा	1
143.	मोड़	1
144.	एमडीबीजे सिंह	1
145.	मेडिकल कॉलेज पटियाला	1
146.	मेहतपुर	1
147.	मेहत्त चौक	1
148.	मिलरगंज लुधियाना	1
149.	मोगा एचओ	1
150.	मोगा कचहरी	2
151.	एमटी जालंधर	1
152.	एमटी लुधियाना	1
153.	मुक्तसर	1
154.	मुकेरियां	1
155.	मुल्लनपुर मंडी	1
156.	मुंडिया कलां	1
157.	नाभा	1
158.	नकोडर	1
159.	नांगल टीएफ	1
160.	नवांशहर	1
161.	नवांशहर मंडी	2
162.	न्यू एमटी लुधियाना	1
163.	नया सचिवालय चंडीगढ़	1
164.	एनएफएल बठिंडा	1
165.	नूरमहल	1
166.	नूरपुर बेदी	1
167.	पीएनटी कॉलोनी लुधियाना	1
168.	पठानकोट	1
169.	पटियाला एचओ	1
170.	पटरान	2
171.	पट्टी	1
172.	पीएयू लुधियाना	1
173.	पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला	1
174.	फगवाड़ा एचओ	1
175.	हेंटनगंज जालंधर	1
176.	फिल्लौर	1
177.	पिपलांवला	1
178.	पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला	1
179.	पुरहीरा	1
180.	कादियां	1
181.	रायकोट	1
182.	रेलवे रोड जालंधर	1
183.	राजा सांसी	1
184.	राजपुरा एचओ	2
185.	राजपुरा टाउन	1
186.	रमन	1
187.	रामपुरा पुल	1
188.	रैय्या	1
189.	आरसीएफ कपूरथला	1
190.	रेहू	1
191.	रोपड़ एचओ	1
192.	साही समाधान	1

1	2	3
193.	साहनेवाल	1
194.	सैला खुर्द	1
195.	समाना	1
196.	समराला	1
197.	समराला रोड, लुधियाना	1
198.	संगरूर एचओ	1
199.	सतनामपुरा	1
200.	सैक्टर-11 पीओ चंडीगढ़	1
201.	सैक्टर-12 पीओ चंडीगढ़	1
202.	सैक्टर-15 पीओ चंडीगढ़	2
203.	सैक्टर-18 पीओ चंडीगढ़	1
204.	सैक्टर-23 पीओ चंडीगढ़	1
205.	सैक्टर-36 पीओ चंडीगढ़	1
206.	सैक्टर-47 पीओ चंडीगढ़	1
207.	सैक्टर-59 पीओ चंडीगढ़	1
208.	सैक्टर-62 पीओ चंडीगढ़	1
209.	सैक्टर-14 चंडीगढ़	1
210.	सैक्टर-19 चंडीगढ़	1
211.	सैक्टर-20 चंडीगढ़	1
212.	सैक्टर-22 चंडीगढ़	1
213.	सैक्टर-36 चंडीगढ़	1
214.	सैक्टर-55 मोहाली	1
215.	सैक्टर-8 चंडीगढ़	1
216.	शाहकोट	1
217.	शाहकोट गांडी	1
218.	शामचौरासी	1
219.	शेरांवाला गेट पटियाला	1
220.	शिवपुरी लुधियाना	1
221.	सिद्धपीठ	1
222.	सहहिंद	1
223.	सुजानपुर	1
224.	सुलानपुर लोदी	1
225.	सुनाम	1
226.	एसडब्ल्यू गेट पटियाला	1
227.	टीसी फगवाडा	1
228.	तलवंडी भाई	1
229.	तलवंडी साबो	1
230.	तलवाड़ा टाउनशिप	1
231.	टापा	1
232.	तारागढ़	1
233.	तरणतारण	1
234.	अर्बन एस्टेट पटियाला	1
235.	उरमार	1
236.	वरका	1
237.	जीरा	1
238.	जीरकपुर	1

एचओ-प्रधान डाकघर
जीपीओ-जनरल पोस्ट ऑफिस

विवरण-I

उन डाकघरों के नाम जिनमें 2006-07 के दौरान कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	डाकघरों के नाम
1	2
	असम
1.	अमेरीगोग
2.	आमगुड़ी
3.	अमीनगांव
4.	अनीपुर

1	2
5.	असम कृषि विश्वविद्यालय
6.	बजारा
7.	बादुलीपार
8.	बेहाटा
9.	बालदमाडी
10.	बालीपाडा
11.	बामनबाडी
12.	बरामा
13.	बारंगाबाड़ी
14.	बारभेटा
15.	बारपाथर
16.	बरआ बामनगांव
17.	बासुगांव
18.	बबेबजिया
19.	बेहाराबाजार
20.	बेलसोर
21.	बेंगेनाखोवा
22.	भांगबाजार
23.	भोजो
24.	भवानीपुर असम
25.	बिद्यापारा
26.	बोकाजान
27.	बोकाखाट
28.	बोरगांग
29.	बोरहापजान
30.	बोरहाट
31.	बोरहोल्ला

1	2
32.	सीआर बिल्डिंग
33.	चामटा
34.	छापाखोवा
35.	छापरमुख
36.	छरीद्वार
37.	छेंगा
38.	सिनामारा
39.	डाबाका
40.	डालागांव
41.	देमाव
42.	धालीगांव
43.	धोलाई बाजार
44.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
45.	डिकरांग
46.	दीमाकुची
47.	दूधनोई
48.	दुल्लावछेरा
49.	द्वारबोंद
50.	फकीराग्राम
51.	फुरकाटिंग
52.	गार अलि
53.	गरामूर सात्रा
54.	गौरीसागर
55.	गोपीनाथ नगर
56.	गोरेश्वर
57.	गुवाहाटी हवाई अड्डा
58.	हलेम

1	2
59.	हतिगढ़
60.	होजाई बाजार
61.	हूगरीजन
62.	हावली
63.	जालाननगर
64.	जामूगुड़ीहाट
65.	जमुनामुख
66.	झांझी
67.	जोनाई
68.	जोरहाट एअर फील्ड
69.	जोरहाट अनुसंधान प्रयोगशाला
70.	जॉयपुर राजाबाजार
71.	जुबिली डिगबोई
72.	जुरिया
73.	काहिलीपाड़ा
74.	काकापाथर
75.	कलाई
76.	कालीनगर
77.	कामाख्या
78.	कमलाबाड़ी
79.	करीमगंज कोर्ट
80.	कटीगोड़ा
81.	कतलीचेरा
82.	केगजनगर
83.	खेलमाती
84.	खोयराबाड़ी
85.	खोवांग
86.	कृष्णाई
87.	लखीपुर
88.	लखीपुर (जीपी)
89.	लक्ष्मीशहर
90.	लाला
91.	लालुक
92.	लिंक रोड
93.	लोकरा
94.	माहूर
95.	माईबोंग
96.	माजूली बोंगांव
97.	मालूग्राम
98.	मणिपुरबागान
99.	मानकछार
100.	मेहेरपुर
101.	मीसामारी
102.	मोइराबारी
103.	मोनाचेरा
104.	मोरां
105.	मोरांहाट
106.	मुसलपुर
107.	ना कछारी
108.	नागारबेरा
109.	नाहाकाटी
110.	नामटीडोल
111.	नुमलीगढ़
112.	ओएनजीसी कॉलोनी

1	2
113.	पैल्लापूल
114.	पलासबाड़ी
115.	पालोनघाट
116.	पनेरीघाट
117.	पर्वतपुर
118.	पुराना तितोबर
119.	पुरानीगुदाम
120.	राजाबाड़ी
121.	राजमाई
122.	रतनपुर रोड
123.	रूपाझी
124.	साफरी
125.	सैखोवाघाट
126.	सालाकाटी परियोजना
127.	सलेनघाट
128.	सलोनीबारी
129.	सामागुड़ी
130.	सातिपारा
131.	सरथेबारी
132.	सरूपाथर
133.	सरूपेटा
134.	सेपेखाती
135.	सेपॉन
136.	सेटलमेंट रोड
137.	सिलचर रीजनल इंजी. कॉलेज
138.	सिलघाट
139.	सीपाझार
140.	सोलकुची
141.	सोनारी
142.	सूटी
143.	सुखनपुखुरी
144.	तलप
145.	तामुलीछिगा
146.	तेओक
147.	तेजपुर बाजार
148.	तीताबर
149.	उदाबंद
150.	उदलगुड़ी
151.	उम्रांग्शू
152.	उजानबाजार
	महाराष्ट्र
1.	ए आई स्टाफ कॉलोनी
2.	अगारी पाडा
3.	आनंदनगर
4.	बेस्ट स्टाफ कॉलोनी
5.	बेस्ट स्टाफ क्वार्टर्स
6.	भांडूप इंडस्ट्रियल एस्टेट
7.	बीपीटी कॉलोनी
8.	चारकोप
9.	सिडको कॉलोनी नासिक
10.	कोट्टन एक्सचेंज
11.	डी.एम. कॉलोनी
12.	दांडा
13.	दौलतनगर

1	2
14.	धालगांव
15.	हैंस रोड
16.	हाजी अली
17.	हनुमान रोड
18.	हिंदीनगर वर्धा
19.	एचएमपी स्कूल
20.	होलीडे केंप
21.	इंदिरानगर
22.	केवी नगर बर्शी
23.	खार कॉलोनी
24.	खाटव
25.	किदवईनगर
26.	कुलगांव
27.	लालबाग
28.	लोकमान्यनगर
29.	एमए मार्ग
30.	माहुल रोड
31.	मंगलवारपेठ
32.	मनपाडा
33.	मरोल नाका
34.	मसजिद
35.	मजगांव डॉक
36.	मजगांव रोड
37.	मेधा
38.	मुलुंड कॉलोनी
39.	मुलुंड डीडी रोड
40.	नलसोपाड़ा पूर्व
41.	नसरापुर
42.	नेताजी नगर
43.	एनआईटीआईई
44.	नूर बाग
45.	पी.एच. कॉलोनी
46.	पारेल रेलवे वर्कशाप
47.	पोरवोरिम
48.	प्रिंसेज डॉक
49.	पीएसएम कॉलोनी
50.	आर.बी. भवन
51.	रामनगर
52.	राठली केंप
53.	संगवेम
54.	एससी कोर्ट
55.	शनिवारपेठ
56.	श्रॉफ महाजन
57.	तलोडा
58.	तारदेव
59.	ट्रॉम्बे
60.	उषा नगर
61.	वडगांव बद्रूक
62.	वकोला
63.	वीडब्ल्यूटीसी
64.	वर्ध गंज
65.	वरली सी फेज
	जम्मू व कश्मीर
1.	कुलगाम

1	2
2.	मार्तंड
3.	पुलवामा
4.	त्राल
	पंजाब
1.	बस स्टेंड चंडीगढ़
2.	सरकारी प्रेस चंडीगढ़
3.	उच्च न्यायालय चंडीगढ़
4.	न्यू इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़
5.	राजभवन चंडीगढ़
6.	राम दरबार चंडीगढ़
7.	सैक्टर 9 चंडीगढ़
8.	सैक्टर 10 चंडीगढ़
9.	सैक्टर 16 चंडीगढ़
10.	सैक्टर 21 चंडीगढ़
11.	सैक्टर 26 चंडीगढ़
12.	सैक्टर 27 चंडीगढ़
13.	सैक्टर 29 चंडीगढ़
14.	सैक्टर 31 चंडीगढ़
15.	सैक्टर 34 चंडीगढ़
16.	सैक्टर 40 चंडीगढ़

ऑर्थराइटिस का मुकाबला करना

3131. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 150 मिलियन से अधिक लोग ऑर्थराइटिस से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार का कोई कार्यक्रम है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में घुटना प्रतिस्थापन की कोई आधुनिक सुविधा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत में गठिया रोगों से संबंधित आँकड़ा अपर्याप्त है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 74 मिलियन लोगों के गठिया से पीड़ित होने का अनुमान लगाया है। देश के तृतीयक स्तर के अधिकतर स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक वर्ष हजारों घुटनों की प्रतिस्थापन सर्जरी की जा रही है। एम्स में अत्याधुनिक थियेटर की सुविधा है जहां आधुनिकतम प्रत्यारोपणों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के प्रशासन में अनियमितताएं

3132. श्रीमती मेनका गांधी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) के डिप्लोमाधारकों के लिए विशेष विधा में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए एक अथवा दो वर्ष का अनिवार्य शिक्षण अनुभव की शर्त समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के प्रशासन में भारी अनियमितताएं पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने इन तथ्यों, कि डी.एन.बी. डिग्रियों को एम डी/एम.एस. अथवा

डी.एम./एम.सी.एच. डिग्री के बराबर किया गया है और यह कि पिछले वर्षों में डी.एन.बी. अर्हताएं प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, प्रशिक्षण की विधि और पाठ्यक्रम की अवधि इत्यादि में परिवर्तन हो रहे हैं, पर विचार करने के पश्चात् मौलिक विशेषताओं/अतिविशेषताओं में शिक्षकों के रूप में नियुक्तियों हेतु राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के डिप्लोमाधारकों के लिए क्रमशः एक अथवा दो वर्ष के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को हटा दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लंबित प्रस्ताव

3133. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री राकेश सिंह:
श्री कैलाश जोशी:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को विशेषकर मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ करने/चौड़ा करने/मरम्मत/विस्तार करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) देश में राज्यवार और वर्षवार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए मार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ङ) केन्द्रीय सड़क कोष के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न कार्यों के लिए राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) इनमें से कुछ को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई, जिसे कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत खर्च किया गया है और इसका शीर्षवार, राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न कार्यों हेतु लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं जिनमें मध्य प्रदेश के 270 प्रस्ताव और आंध्र प्रदेश के लिए 250 प्रस्ताव शामिल हैं। गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और राज्यवार मंजूर किए गए प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) देश में राज्यवार, वर्षवार राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित की गई सड़कों की कुल लंबाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बाइपासों के लिए रोड के प्रस्तावों को छोड़कर, किसी अन्य प्रस्ताव को मंजूर करने पर विचार नहीं किया जाता है।

(च) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कार्य वार्षिक जमा राशि और राज्य द्वारा निधियों के उपयोग तथा कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किए जाते हैं। स्वीकृति सीमा पहले ही पार हो जाने तथा इन कार्यों की निम्न प्राथमिकता आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से कुछ कार्यों को मंजूरी नहीं दी जा सकी।

(छ) राज्य सरकारों ने योजना और गैर-योजना शीर्षों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 4393.01 करोड़ रु. और 1854.18 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की। खर्च की गई धनराशि के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण-III में वर्षवार और शीर्षवार दिए गए हैं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राज्य	गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या													लंबित प्रस्तावों की संख्या		
	2003-04				2004-05				2005-06				जोड़	2003	2004	2005
	एस	डब्ल्यू	आर	ओ	एस	डब्ल्यू	आर	ओ	एस	डब्ल्यू	आर	ओ		-04	-05	-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	9	13	28	37	9	12	37	36	8	2	34	25	250	0	शून्य	
अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	7	0		
असम	4	1	0	22	4	5	3	18	4	5	1	27	94	0		
बिहार	0	0	39	15	0	1	30	17	1	8	27	28	166	0		
चंडीगढ़	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	2	1	9	0		
छत्तीसगढ़	0	2	12	51	1	9	14	30	1	6	15	23	164	0		
दिल्ली	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	0		
गोवा	0	0	3	3	0	0	2	6	0	0	1	0	15	0		
गुजरात	4	8	13	11	4	7	17	35	7	8	17	14	145	0		
हरियाणा	0	2	6	7	1	6	11	18	1	4	12	7	75	0		
हिमाचल प्रदेश	0	0	22	9	0	10	30	20	4	7	20	31	153	0		
जम्मू और कश्मीर	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0		
झारखंड	0	0	15	9	1	0	7	16	0	4	13	10	75	0		
कर्नाटक	0	6	24	47	0	13	41	70	2	15	29	61	308	0		
केरल	0	0	8	29	0	3	23	22	0	1	45	17	148	0		
मध्य प्रदेश	0	2	41	52	2	11	34	33	3	16	43	33	270	0		
महाराष्ट्र	4	4	39	45	26	4	33	33	1	7	35	9	240	0		
मणिपुर	0	0	0	6	0	0	2	7	0	3	0	5	23	0		
मेघालय	0	0	0	15	1	2	0	10	0	3	0	10	41	0		
मिजोरम	1	0	0	4	2	1	0	7	1	2	0	5	23	0		
नागालैण्ड	4	1	0	0	2	0	0	4	0	0	0	10	21	0		
उड़ीसा	0	11	6	0	1	9	4	6	2	4	6	3	52	0		
पांडिचेरी	2	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	2	9	0		
पंजाब	1	1	11	31	5	0	19	15	6	2	13	23	127	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
राजस्थान	1	9	13	10	11	7	31	7	4	11	24	9	137	0		
तमिलनाडु	26	3	30	43	14	7	21	40	0	1	30	37	252	0		
उत्तरांचल	5	1	9	0	6	2	9	3	20	2	11	0	68	0		
उत्तर प्रदेश	2	5	42	91	1	6	37	74	0	6	48	54	366	0		
पश्चिम बंगाल	4	0	6	1	1	4	5	11	0	2	5	8	47	0		
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0		
कुल	69	70	372	541	93	122	414	543	543	65	119	431	455			

टिप्पणी: एस का आशय सुदृढ़ीकरण; डब्ल्यू का आशय चौड़ीकरण; आर का आशय मरम्मत और ओ का आशय अन्य कार्य है।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	नवीं योजना से पूर्व	9वीं योजना (1997-2002) के दौरान जोड़ी गई लंबाई	10वीं योजना (2002-07) के दौरान फरवरी, 04 में जोड़ी गई लंबाई	10वीं योजना (2002-07) के दौरान मार्च और जून, 05 में जोड़ी गई लंबाई	10वीं योजना के दौरान 2002-07 (जुलाई, 06 तक) में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने-अधिसूचित लंबाई	इस समय कुल राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2888	1114	470			4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	330	62	0			392
3.	असम	2296	540	0			2836
4.	बिहार	1272	2040	225	105		3642
5.	चंडीगढ़	24	0	0			24
6.	छत्तीसगढ़	840	970	374			2184
7.	दिल्ली	72	0	0			72
8.	गोवा	229	40	0			269
9.	गुजरात	1631	830	410	374		3245
10.	हरियाणा	698	659	111	44		1512
11.	हिमाचल प्रदेश	854	334	20			1208
12.	जम्मू-कश्मीर	648	175	0	422		1245

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	झारखंड	965	638	202			1805
14.	कर्नाटक	1996	1574	273			3843
15.	केरल	940	500	0			1440
16.	मध्य प्रदेश	2106	2558	536		530	4670
17.	महाराष्ट्र	2918	708	550			4176
18.	मणिपुर	431	523	5			959
19.	मेघालय	472	245	93			810
20.	मिजोरम	551	376	0			927
21.	नागालैण्ड	113	256	125			494
22.	उड़ीसा	1649	1652	403			3704
23.	पांडिचेरी	23	30	0			53
24.	पंजाब	892	665	0			1557
25.	राजस्थान	2931	1666	988			5585
26.	सिक्किम	62	0	0			62
27.	तमिलनाडु	1896	1862	425	2769		4462
28.	त्रिपुरा	200	200	0			400
29.	उत्तरांचल	0	1075	916			1991
30.	उत्तर प्रदेश	2733	2209	657	275		5874
31.	पश्चिम बंगाल	1638	313	374	52		2377
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	300			300
	जोड़	34298	23814	7457	1551	530	66590

विवरण-III

धनराशि करोड़ रु.

राज्य	2003-04		2004-05		2005-06		कुल	
	योजना (मूल)	गैर-योजना (अनु. और मर.)	योजना (मूल)	गैर-योजना (अनु. और मर.)	योजना (मूल)	गैर-योजना (अनु. और मर.)	योजना (मूल)	गैर-योजना (अनु. और मर.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	110.51	37.43	89.91	20.99	69.91	32.18	270.33	90.60
अरुणाचल प्रदेश	4.10	0.30	6.00	0.31	6.00	0.14	16.10	0.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	106.83	21.08	78.00	15.62	58.00	26.73	242.83	63.43
बिहार	72.05	29.46	59.05	42.40	66.29	45.89	197.39	117.75
चंडीगढ़	1.60	0.24	1.00	0.43	0.89	0.55	3.49	1.22
छत्तीसगढ़	43.54	17.68	34.98	20.47	49.18	20.49	127.70	58.64
दिल्ली	8.35	0.26	3.95	0.00	0.51	0.04	12.81	0.30
गोवा	24.00	5.03	5.00	2.80	5.50	3.87	34.50	11.70
गुजरात	68.55	21.66	53.64	33.73	103.25	38.11	225.44	93.50
हरियाणा	52.92	11.90	37.87	5.48	51.42	15.43	142.21	32.81
हिमाचल प्रदेश	33.07	13.93	40.48	14.58	39.00	23.27	112.55	51.78
जम्मू-कश्मीर	4.00	0.35	0.22	0.00	0.00	0.18	4.22	0.53
झारखंड	36.70	15.46	35.00	23.78	40.00	21.27	111.70	60.51
कर्नाटक	150.35	38.70	76.37	36.00	88.56	42.60	315.28	117.30
केरल	99.86	20.81	64.69	30.70	70.96	34.59	235.51	86.10
मध्य प्रदेश	80.30	53.18	82.87	53.54	77.93	53.44	241.10	160.16
महाराष्ट्र	120.00	50.04	65.35	48.48	112.00	50.24	297.35	148.76
मणिपुर	16.00	6.50	14.00	6.88	20.00	9.44	50.00	22.82
मेघालय	39.30	7.18	28.43	9.43	24.00	9.60	91.73	26.21
मिजोरम	31.00	3.75	25.00	3.28	15.75	4.66	71.75	11.69
नागालैण्ड	11.50	0.98	16.00	1.69	11.25	3.60	38.75	6.27
उड़ीसा	69.97	42.51	72.33	33.83	67.30	40.92	209.60	117.26
पांडिचेरी	2.20	0.83	2.13	0.85	2.64	0.41	6.97	2.09
पंजाब	51.00	19.37	50.72	17.42	62.50	38.26	164.22	75.05
राजस्थान	46.44	25.81	46.45	42.74	84.60	48.82	177.49	117.37
तमिलनाडु	80.79	31.11	85.31	34.56	81.80	49.76	247.90	115.43
उत्तरांचल	18.88	3.48	26.49	10.46	40.41	16.24	85.78	30.18
उत्तर प्रदेश	89.05	53.48	172.00	53.87	199.02	50.82	460.07	158.17
पश्चिम बंगाल	72.49	22.01	70.00	25.26	55.75	28.53	198.24	75.80
कुल	1545.35	554.52	1343.24	589.58	1504.42	710.08	4393.01	1854.18

[अनुवाद]

कोयले के विपणन में अनियमितताएं

3134. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री फुरकान अंसारी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेन्ट्रल कोलफील्ड् लि. के विरुद्ध औद्योगिक इकाइयों/विद्युत संयंत्रों को कोयले के विपणन में अनियमितताओं तथा धांधली के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा सतर्कता विभाग/केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास कितने मामले दर्ज किए गए/उन्हें सौंपे गए तथा इन एजेंसियों द्वारा कितने मामलों की जांच की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पता लगाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितनी धनराशि की धांधली की गई;

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) कोयला क्षेत्र में भ्रष्टाचार तथा अकुशलता पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) औद्योगिक इकाइयों/विद्युत संयंत्रों को कोयले की मार्किटिंग में अनियमितताओं के बारे में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल) के अधिकारियों के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

पहली शिकायत कारो ओपनकास्ट परियोजना से तेनुघाट तापीय विद्युत स्टेशन तक कोयले के प्रेषण पर कीमत की कम उगाही के बारे में अनियमितताओं से संबंधित है। इस शिकायत की जांच की गई और मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) सी.सी.एल. के निष्कर्षों के आधार पर कोयले की आपूर्ति पर कम उगाही के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भारी दण्डात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

दूसरी शिकायत ई-मार्किटिंग के अंतर्गत रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग के माध्यम से बेची गई बिक्री कीमत में अन्तर से संबंधित है। इस शिकायत की भी जांच की गई। सी.वी.ओ., सी.सी.एल. द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच के दौरान इस शिकायत के संबंध में कोई अनियमितता सिद्ध नहीं हुई है।

(ङ) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा उसकी सहायक कम्पनियों में प्रचलित क्रियाविधियों तथा व्यवहारों को कारगर बनाने के लिए उचित ध्यान दिया जाता है ताकि उनके कामकाज को अधिक पारदर्शी तथा सुव्यवस्थित बनाया जा सके, इस प्रकार भ्रष्टाचार के अवसरों को कम किया जा सके। सरकार और सीआईएल भ्रष्टाचार रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

(1) संवेदनशील पदों/विभागों की पहचान करना।

(2) संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण।

(3) संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में सूचीबद्ध अधिकारियों का स्थानान्तरण।

(4) संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित तथा औचक दोनों प्रकार के आवधिक निरीक्षण।

(5) फाइल आदि की पश्च-जांच।

(6) सम्पत्ति रिटर्नों की जांच।

(7) कोयला स्टाक की स्थिति का वार्षिक सत्यापन।

(8) अवैध खनन, कोयले की चोरी तथा उठाइगिरी को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन, सी.आई.एस.एफ. रेलवे पुलिस के साथ कोयला कम्पनियों द्वारा संयुक्त कार्रवाई।

भर्ती पर प्रतिबंध

3135. श्री पी. मोहन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सेवाओं में आज की स्थिति के अनुसार मंत्रालय/विभागवार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) मंत्रालय/विभागवार कुल कितने पद रिक्त हैं;

(घ) मंत्रालय/विभागवार कितने पदों को समाप्त करने का आदेश दिया गया है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती पर प्रतिबंध के जारी रहने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस प्रतिबंध को कब तक हटा लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) दिनांक 01.03.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सेवाओं में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों की कुल अनुमानित संख्या 31.28 लाख थी। मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के कॉलम-4 में दिया है।

(ख) दिनांक 01.03.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के कुल पदों में सिविल पदों की संस्वीकृत अनुमानित संख्या 35.60 लाख थी। मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के कॉलम-3 पर दिया गया है।

(ग) दिनांक 01.03.2004 की स्थिति के अनुसार बिना भरी शेष सिविल रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या 4.32 लाख थी। मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के कॉलम-5 पर दिया गया है।

(घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में जिन पदों की समाप्ति के लिए आदेश दिया गया है, उनकी संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ङ) से (छ) केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती पर कोई रोक नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों की अनुमानित संख्या
(दिनांक 01.03.2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	संस्वीकृत पदों की संख्या	तैनात/भरे गए पदों की संख्या	रिक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	कृषि	12589	11557	1032
2.	परमाणु उर्जा	35275	33209	2066
3.	जैव तकनीकी	214	185	29
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय	320	289	31
5.	रसायन और पेट्रो रसायन	302	270	32
6.	नागर विमानन	1667	1459	208
7.	उपभोक्ता मामले	1323	1012	311
8.	कोयला	441	348	93
9.	वाणिज्य और आपूर्ति	7647	6950	697
10.	कम्पनी मामले	2510	2030	480

1	2	3	4	5
11.	संस्कृति	11218	9394	1824
12.	रक्षा (सिविल)	473233	353741	119492
13.	आर्थिक मामले	26876	22966	3910
14.	शिक्षा	1971	1626	345
15.	चुनाव आयोग	413	336	77
16.	सूचना प्रौद्योगिकी	5688	5166	522
17.	पर्यावरण और वन	4913	4186	727
18.	व्यय	1143	944	199
19.	विदेश	6838	6227	611
20.	उर्वरक	323	293	30
21.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	1778	1583	195
22.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	239	214	25
23.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	25981	23388	2593
24.	भारी उद्योग	235	218	17
25.	गृह	720365	687943	32422
26.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	71484	56659	14825
27.	औद्योगिक नीति और संवर्धन	3651	3073	578
28.	सूचना और प्रसारण	7605	6531	1074
29.	श्रम	10188	8697	1491
30.	विधि और न्याय	2546	2187	359
31.	खान	18216	13434	4782
32.	गैर-परम्परागत और ऊर्जा स्रोत	410	399	11
33.	समुद्र विकास	181	159	22
34.	संसदीय मामले	152	152	0
35.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन	9293	7934	1359
36.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	318	283	35
37.	योजना आयोग	1451	1231	220

1	2	3	4	5
38.	डाक	230093	191391	38702
39.	विद्युत	2353	1947	406
40.	राष्ट्रपति सचिवालय	311	281	30
41.	पी.एम.ओ.	502	461	41
42.	लोक उद्यम	121	108	13
43.	रेल	1618732	1445428	173304
44.	राजस्व	126706	118207	8499
45.	ग्रामीण विकास	673	569	104
46.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	22940	17755	5185
47.	अंतरिक्ष	17460	15012	2448
48.	एस.एस.आई. कृषि और ग्रामीण उद्योग	3390	2619	771
49.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कर्यान्वयन	6584	5701	883
50.	इस्पात	564	529	35
51.	सड़क परिवहन, राजमार्ग	1022	920	102
52.	जहाजरानी	3205	2628	577
53.	दूरसंचार	3115	2506	609
54.	वस्त्र	5607	5327	280
55.	पर्यटन	625	595	30
56.	जनजाति मामले	100	82	18
57.	संघ लोक सेवा आयोग	2113	1867	246
58.	शहरी विकास और गरीबी उपशमन	28495	23880	4615
59.	उप-राष्ट्रपति सचिवालय	59	54	5
60.	जल संसाधन	14514	11958	2556
61.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	984	957	27
62.	महिला और बाल विकास	702	659	43
63.	युवा मामले और खेल	466	420	46
	कुल	3560433	3128134	432299

डाकघरों के माध्यम से रेल टिकटों की बिक्री

3136. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए देश में डाकघरों के माध्यम से रेल टिकटों की बिक्री करने का है;

(ख) क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में रेल मंत्रालय के साथ कोई विचार-विमर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने तथा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) डाकघरों के माध्यम से रेलवे टिकटों की बुकिंग का मामला भारत सरकार के रेल मंत्रालय और डाक विभाग में विचाराधीन है। अभी इस संबंध में वार्ता जारी है, अत: इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

एमटीएनएल में नियुक्ति

3137. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के सीएमडी तथा अन्य निदेशक निगम में कथित रूप से अपने संबंधियों की सीधी नियुक्ति कर रहे हैं जबकि निगम में पहले ही सरप्लस अधिकारी तथा कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सहायक प्रबंधक के रैंक से ऊपर किन-किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई तथा उसके क्या कारण है;

(ग) क्या सीधे तरीके से नियुक्त किए गए लोगों से अधिक योग्यता प्राप्त तथा सक्षम कार्मिक पहले से ही एमटीएनएल में कार्यरत हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने तथा दोषी पाए गए लोगों को दंडित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। एमटीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों ने कंपनी में अपने संबंधियों को नियुक्त नहीं किया है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सहायक प्रबंधक और उनसे ऊपर के रैंक में नियुक्त अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं:

(1) श्री अनुपम आनंद–महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

(2) श्री एम. के. सक्सेना–उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

(3) श्री डी. एन. मिश्रा–उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

ये नियुक्तियां केवल मानव संसाधन के क्षेत्र में की गई हैं क्योंकि अपेक्षित वर्षों की अर्हता-पश्चात अनुभव वाले व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त कार्मिक संगठन में उपलब्ध नहीं हैं जिन पर पदोन्नति के लिए तत्काल विचार किया जा सके।

(ग) जी, नहीं। सीधे भर्ती किए गए कार्मिकों की तुलना में अधिक अपेक्षित अर्हता-पश्चात अनुभव वाले व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त कार्मिक नहीं हैं जिनकी पदोन्नति पर विचार किया जा सके।

(घ) से (च) चूंकि इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत अथवा आरोप प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए किसी जांच का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाना

3138. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या क्विलोन बाईपास का तीसरा और चौथा चरण अभी तक आरंभ नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। केरल राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 की संपूर्ण लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-2 (उत्तर-दक्षिण महामार्ग), चरण-3क और चरण-3ख के अंतर्गत चार लेन बनाने के लिए प्रस्तावित है।

(ग) से (ङ) क्विलोन (कोल्लम) बाइपास चरण-3 और 4 के निर्माण कार्य को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 में शामिल किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य हाथ में लिया गया है।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

3139. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में विश्व की अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से संपर्क करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरेलू कम्पनियों की तुलना में इन विदेशी कम्पनियों को वरीयता दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) अब तक किन-किन विदेशी कम्पनियों से संपर्क किया गया है; और

(घ) इन्हें कितनी मात्रा में कोयला आबंटित किए जाने की जाने के संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डाक की सम्भलाई

3140. श्री ए. साई प्रताप:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री रशीद मसूद:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 300 ग्राम से कम वजन वाली डाक को लेने से कूरियरों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कथित कड़ी स्पर्धा द्वारा वजन वाली डाकों की प्रणाली में एकाधिकार होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कूरियर उद्योग का विनियमन तथा पंजीकरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) वर्तमान भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 4 के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़ कर केन्द्र सरकार को पत्रों के संवहन का अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इस अनन्य विशेषाधिकार में अब ढील देने का प्रस्ताव है ताकि कूरियरों को भी 300 ग्राम से अधिक वजन वाले डाक के वहन की अनुमति प्राप्त हो सके।

(घ) और (ङ) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को संशोधित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रारूप

में एक स्वतंत्र डाक नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है ताकि निजी कूरियर कंपनियों सहित डाक क्षेत्र के सभी सेवा प्रदायकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। संशोधन विधेयक में कूरियरों के पंजीकरण का भी प्रावधान किया गया है ताकि जवाबदेही, जिम्मेदारी और ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

अवैध खनन

3141. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न कोयला क्षेत्रों में अवैध खनन की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी मात्रा में कोयले का अवैध खनन किया गया है तथा इसका बाजार मूल्य कितना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध खनन के मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। अवैध खनन कोलफील्ड क्षेत्रों में परित्यक्त/बंद/अप्रयुक्त खानों/खान के गैर-कार्यशील भाग अथवा खनित किए गए क्षेत्रों से चोरी छिपे और गुप्त रूप से किया जाता है।

(ख) अवैध खनन पूर्वी क्षेत्र में, विशेष रूप से झारखण्ड राज्य में जिसमें बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. शामिल है तथा पश्चिम बंगाल राज्य में जिसमें ई.सी.एल. तथा बी. सी.सी.एल. शामिल है, प्रमुख रूप से होता है।

(ग) चूंकि अवैध खनन चोरी-छिपे और गुप्त रूप से किया जाता है, अत: ऐसी घटनाओं के पूर्ण ब्यौरा दे पाना संभव नहीं है। तथापि, सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों तथा संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था अधिकारियों के साथ संयुक्त छापों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए कोयले की मात्रा और उनकी कीमत नीचे दी गयी है:-

कम्पनी	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
	जब्त किए गए कोयले की मात्रा (टन में)	कीमत (लाख रू. में)	जब्त किए गए कोयले की मात्रा (टन में)	कीमत (लाख रू. में)	जब्त किए गए कोयले की मात्रा (टन में)	कीमत (लाख रू. में)
ईसीएल	2625.00	21.00	1331.97	10.64	2481.00	24.31
बीसीसीएल	363.00	3.64	120.50	1.96	639.31	10.41
सीसीएल	128.00	1.28	428.00	4.86	532.50	5.66
एनसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
डब्ल्यूसीएल	74.00	0.75	144.00	1.44	26.50	0.28
एसईसीएल	43.00	0.44	955.65	9.58	42.50	0.48
एमसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एनईसी	0.00	0.00	600.00	7.20	0.00	0.00
सीआईएल	3233.00	27.11	3580.00	35.66	3721.81	41.13

(घ) और (ङ) कोयला कम्पनियों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोयले के अवैध खनन के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज एफ.आई.आर. तथा की गयी गिरफ्तारियां नीचे दी गयी है:

कम्पनी	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
	दर्ज किए गए एफआईआर	की गयी गिरफ्तारियां	दर्ज किए गए एफआईआर	की गयी गिरफ्तारियां	दर्ज किए गए एफआईआर	की गयी गिरफ्तारियां
ईसीएल	96	0	17	11	9	32
बीसीसीएल	193	6	120	9	83	28
सीसीएल	26	5	113	27	63	14
एनसीएल	00	00	00	00	00	00
डब्ल्यूसीएल	2	4	2	6	5	8
एसईसीएल	8	18	22	22	14	49
एमसीएल	00	00	00	00	00	00
एनईसी	00	00	7	00	6	1
सीआईएल	325	33	281	75	180	132

[हिन्दी]

गाद निकालने वाले पोतों की खरीद

3142. श्री तूफानी सरोज: क्या पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नदियों की गाद निकालने हेतु गाद निकालने वाले पोतों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो खरीदे गए कुल गाद निकालने वाले पोतों की संख्या कितनी है;

(ग) इन पोतों की ख़रीद पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) वर्तमान में सरकार के पास गाद निकालने वाले पोतों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या गाद निकालने वाले इन पोतों का कार्गो जहाजों की सुरक्षा के लिए भी उपयोग किया जाता है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सरकार, निकर्षण से संबंधित काम-काज के संचालन से सीधे नहीं जुड़ी है, इसलिए सरकार ने कोई भी निकर्षक नहीं खरीदा है। फिर भी, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे एक स्वायत्त निकाय, अन्तर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण ने वर्ष, 2003-2004 में कुल 16.55 करोड़ रुपए की लागत पर तीन निकर्षक खरीदे थे।

(घ) इस समय, नदियों में निकर्षण से संबंधित काम-काज के संचालन के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण और कोलकाता-पत्तन-न्यास के स्वामित्व में कुल 16 निकर्षक हैं। इनके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, भारतीय निकर्षण-निगम के स्वामित्व में 12 निकर्षक पोत हैं, जिन्हें अधिकांशत: पत्तनों के नौचालन-मार्गों में निकर्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में दोषपूर्ण फोन

3143. श्री निहाल चन्द: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल के पौड़ी जिले में सामान्य रूप से और 225 अंक से शुरू होने वाले जैसे (01368)-225210, 225211, 225027 टेलीफोन प्राय: खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बारंबार स्मरण कराए जाने के बावजूद शिकायतों को निपटाया नहीं जाता;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 225 अंक से शुरू होने वाले टेलीफोन लिवाली एक्सचेंज से कार्य कर रहे हैं जो 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित पौड़ी से आप्टिकल फाइबर माध्यम (मीडिया) से जुड़ा हुआ है। पिछले छह माह के दौरान इस एक्सचेंज में कोई खराबी नहीं आई है।

पिछले छह माह के दौरान बीएसएनएल की अखिल भारतीय औसत दोष दर 7.2 दोष/100 टेलाफोन/माह की तुलना में पौड़ी जिले की औसत टेलीफोन दोष दर 7.93 दोष/100 टेलीफोन/माह है।

टेलीफोन नंबर 225027 को निर्धारित समयावधि के भीतर ठीक कर दिया गया था जबकि टेलीफोन नंबर 225210 और 225211 को अलग-अलग तकनीकी खराबियों के कारण ठीक करने में अधिक समय लगा।

(ग) शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पौड़ी जिले में दोष संबंधी रिपोर्ट करने/उन्हें ठीक करने और सुधार लाने के लिए बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) एसडीसीसी स्तर पर आईवीआरएस आधारित दोष संबंधी रिपोर्ट करने की शुरूआत की गई है।

(2) दोष उपभोक्ता सेवा केन्द्रों और साथ ही एसएसए मुख्यालयों पर भी दर्ज किए जाते हैं।

(3) लाइन स्टाफ को फील्ड में काम करते हुए किसी भी स्थान से रिपोर्ट देने और दोष नोट करने के लिए डब्ल्यूएलएल मोबाइल टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ

3144. श्री सी.एच. विजयशंकर: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में प्रतिस्पर्धात्मक खिलाड़ी तैयार करने हेतु खेल प्राधिकरणों/एजेंसियों के परिणामों से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं के परिणाम क्या हैं जहाँ भारतीय दल ने अच्छा प्रदर्शन किया है;

(ग) ग्राम स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान हेतु कौन-कौन सी विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) ब्लाक एवं उपमंडलीय स्तर पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं यथा इंडोर/आऊटडोर स्टेडियम, व्यायामशालाएं तथा प्रशिक्षित कोच की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) यद्यपि, देश में खेलों के स्तर में सुधार के लिए पार्याप्त गुंजाइश है, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कुछ सुधार दर्शाए गए हैं। मानचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल-2002 में, भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया और क्वालालम्पुर में पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गये 25 पदकों के मुकाबले में 69 पदक जीते। 2006 में मेलबोर्न में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में, भारत ने चौथा स्थान बनाए रखा इस तथ्य के बावजूद कि कुछ विधाएँ कुश्ती और जूडो जैसे खेलों में भारत संभावित मजबूत पदक विजेता है, को शामिल नहीं किया गया था और भारोत्तोलन में उपलब्ध पदकों की संख्या काफी कम हो गई थी। भारतीय खिलाड़ियों ने हैदराबाद में प्रथम एफ्रो-एशियाई खेलों और 2004 में इस्लामाबाद में सैफ खेलों तथा विभिन्न अन्य आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों/प्रतियोगिताओं, सहित, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की संख्या में साख बनाए हुए है। एथेंस ओलंपिक, 2004 में, भारत ने आजादी के बाद से व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम रजत पदक जीता जबकि कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किये। एथेंस में पैरालम्पिक खेल, 2004 में भारत ने एथलेटिक्स में एक स्वर्ण

पदक और पावरलिफ्टिंग में एक कांस्य पदक जीता। भारतीय खिलाड़ियों के स्तरीय प्रदर्शन और उपलब्धियों की कोशिश और आगे सुधार के लिए निरन्तर आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) खेलों के संवर्धन में राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। भारत सरकार, सीधे तौर पर और भारतीय खेल प्राधिकरण (एस. ए.आई.) की योजनाओं के मार्फत, खेलों के संवर्धन में राज्य सरकारों और परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण देश में निम्न खेल संवर्धनकारी योजनाएं कार्यान्वित करता है:-

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी)

(2) सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)

(3) भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)

(4) विशेष क्षेत्र खेल योजना (एसएजी)

(5) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स)।

उपर्युक्त सभी योजनाएँ और विशेष तौर पर, राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र, विशेष क्षेत्र खेल का ग्रामीण क्षेत्रों से छिपी प्रतिभा का पता लगाने के लिए भी ध्यान देती हैं। ये मंत्रालय द्वारा सीधे तौर पर कार्यान्वित की जा रही योजनाओं अर्थात ग्रामीण खेल कार्यक्रम तथा प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण के अलावा है।

31.03.2005 तक, भारत सरकार केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना को राज्य में खेल अवसंरचना के सृजन को पूरा कर रही थी। इण्डोर/आऊटडोर तथा जिम आदि के सृजन के लिए सहायता योजना में सम्मिलित है। 1.4.2005 से, योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है। तदनुसार, अवसंरचना के नये प्रस्तावों को अपने स्वयं के संसाधनों से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जानी है।

तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी को मान्यता प्रदान करते हुए और युवाओं के विशाल वर्ग के लिए खेल-कूद के आयोजन के लिए साधनों की सुलभता की कमी के अनुवर्ती, पंचायती राज संस्थानों, युवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि सहित विभिन्न पणधारियों के सहयोग से पंचायत युवा खेल अभियान के संवर्धन को मंत्रालय में विचार किया जा रहा है, मंत्रालय और संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों को भी आवश्यक परामर्श के पश्चात प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को लिया जाएगा।

हैपेटाईटिस-बी प्रतिरोधी टीका

3145. श्री एम. अप्पावुरई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हैपेटाईटिस-बी से ग्रस्त व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या हैपेटाईटिस-बी टीके का विकास करने हेतु कोई अनुसंधान कार्य चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुसंधान हेतु वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की जाती है; और

(ङ) हैपेटाईटिस-बी प्रतिरोधी टीके के उत्पादन हेतु 'क्यूबा' की सहायता लेने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदम कौन से हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) हेपेटाइटिस-बी से पीड़ित लोगों का केन्द्र स्तर पर अलग से आँकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हेपेटाइटिस-बी सहित वायरल हेपेटाइटिस के कारण वर्ष 2003-05 के दौरान हुई मौतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) दो प्रकार के हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन फार्मा से प्राप्त वैक्सीन और रिकामबिनेंट डीएनए वैक्सीन अब तक तैयार की गई है और भारत में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार जेनेनकोर इन्टरनेशनल इन्क, पास्वर इन्स्टीच्यूट, पेरिस और क्यूबा सेन्टर फॉर जेनेरिक इंजिनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलाजी जैसी विश्व की विभिन्न संस्थाओं में हेपेटाइटिस-बी की अन्य वैक्सीनें तैयार की जा रही है। इस समय सरकार, हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन तैयार करने से संबंधित किसी भी अनुसंधान को सहायता प्रदान नहीं कर रही है और देश में हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन तैयार करने के लिए क्यूबा को साझेदार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारत में संचारी रोगों के सूचित रोगी और इनमें से हुई मौतें वर्ष, 2003

वायरल हेपेटाइटिस

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भ अवधि
		रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	12301	72	10793	38	23094	110	दिसम्बर, 2003
2.	अरुणाचल प्रदेश	132	4	167	3	299	7	दिसम्बर, 2003
3.	असम	—	—	—	—	—	—	एन आर
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	एन आर
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	एन आर
6.	गोवा	135	0	55	0	190	0	दिसम्बर, 2003
7.	गुजरात	1711	9	1041	6	2752	15	फरवरी को छोड़कर दिसम्बर तक
8.	हरियाणा	1025	8	620	1	1645	9	दिसम्बर, 2003
9.	हिमाचल प्रदेश	1041	1	883	0	1924	1	दिसम्बर, 2003
10.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	8432	0	दिसम्बर, 2003
11.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	एन आर
12.	कर्नाटक	13676	66	11278	42	24954	108	दिसम्बर, 2003
13.	केरल	4282	4	3151	5	7433	9	दिसम्बर, 2003
14.	मध्य प्रदेश	4962	8	4637	17	9599	25	दिसम्बर, 2003
15.	महाराष्ट्र	22852	73	10663	45	33515	118	दिसम्बर, 2003
16.	मणिपुर	177	0	133	0	310	0	दिसम्बर, 2003
17.	मेघालय	198	0	221	1	419	1	दिसम्बर, 2003
18.	मिजोरम	402	2	342	6	744	8	दिसम्बर, 2003
19.	नागालैण्ड	79	0	48	0	127	0	जुलाई को छोड़कर दिसम्बर, 2003 तक
20.	उड़ीसा	1546	27	954	12	2500	39	दिसम्बर, 2003
21.	पंजाब	3136	18	2033	4	5169	22	दिसम्बर, 2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	राजस्थान	1312	21	764	18	2076	39	दिसम्बर, 2003
23.	सिक्किम	229	1	185	1	414	2	दिसम्बर, 2003
24.	तमिलनाडु	—	—	—	—	6476	2	दिसम्बर, 2003
25.	त्रिपुरा	131	1	111	2	242	3	दिसम्बर, 2003
26.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	एन आर
27.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	2964	1	दिसम्बर, 2003
28.	पश्चिम बंगाल	3914	136	2613	62	6527	198	दिसम्बर, 2003
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	244	9	223	3	467	12	दिसम्बर, 2003
30.	चंडीगढ़	—	—	—	—	398	11	दिसम्बर, 2003
31.	दादरा और नगर हवेली	71	0	35	0	227	0	दिसम्बर, 2003
32.	दमन और दीव	12	1	11	0	23	1	दिसम्बर, 2003
33.	दिल्ली	4567	155	2909	107	7476	262	दिसम्बर, 2003
34.	लक्षद्वीप	10	0	9	0	19	0	दिसम्बर, 2003
35.	पांडिचेरी	417	2	455	1	872	3	दिसम्बर, 2003
	कुल	78562	618	54334	374	151287	1006	

आंकड़े अनंतिम हैं और सही ढंग से कवरेज के परिभाषित नहीं होने के कारण तुलनीय नहीं है।
– सूचित नहीं
एन आर–प्राप्त नहीं
पुरुषों और महिलाओं का योग, कुल आंकड़े से मेल नहीं खा सकता क्योंकि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों ने लिंग वार सूचना अलग से नहीं दी है।
स्रोत: राज्यों/संघ क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति संबंधी रिपोर्टें, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।

भारत में संचारी रोगों के सूचित रोगी और इनमें से हुई मौतें वर्ष, 2004

वायरल हेपेटाइटिस

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भ अवधि
		रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	15936	54	12286	18	28222	72	दिसम्बर, 2004
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	एन आर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	4668	0	6272	0	10940	0	दिसम्बर, 2004
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	एन आर
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	एन आर
6.	गोवा	67	0	29	0	96	0	दिसम्बर, 2004
7.	गुजरात	3427	13	2433	13	5860	26	दिसम्बर, 2004
8.	हरियाणा	1226	1	752	135	1978	136	दिसम्बर, 2004
9.	हिमाचल प्रदेश	1311	0	1048	0	2359	0	दिसम्बर, 2004
10.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	8398	0	दिसम्बर, 2004
11.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	एन आर
12.	कर्नाटक	28035	153	18624	75	46659	228	दिसम्बर, 2004
13.	केरल	4305	2	2805	0	7110	2	दिसम्बर, 2004
14.	मध्य प्रदेश	7848	18	8011	10	15859	28	दिसम्बर, 2004
15.	महाराष्ट्र	42067	121	21532	80	63599	201	दिसम्बर, 2004
16.	मणिपुर	156	1	154	0	310	1	दिसम्बर, 2004
17.	मेघालय	377	0	387	1	764	1	दिसम्बर, 2004
18.	मिजोरम	407	1	383	1	790	2	दिसम्बर, 2004
19.	नागालैण्ड	21	0	6	0	27	0	दिसम्बर, 2004
20.	उड़ीसा	1678	33	768	7	2446	40	दिसम्बर, 2004
21.	पंजाब	1018	5	780	1	1798	6	दिसम्बर, 2004
22.	राजस्थान	1403	34	869	19	2272	53	दिसम्बर, 2004
23.	सिक्किम	220	5	152	0	372	5	दिसम्बर, 2004
24.	तमिलनाडु	—	—	—	—	12237	8	दिसम्बर, 2004
25.	त्रिपुरा	796	0	391	0	1187	0	दिसम्बर, 2004
26.	उत्तरांचल	2191	7	1219	1	3410	8	दिसम्बर, 2004
27.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	2	1	जनवरी, 2004
28.	पश्चिम बंगाल	4639	154	2938	71	6771	212	दिसम्बर, 2004
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	175	1	83	1	258	2	दिसम्बर, 2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	300	1	मई, 2004
31.	दादरा और नगर हवेली	599	2	226	2	825	3	दिसम्बर, 2004
32.	दमन और दीव	6	0	0	0	6	0	दिसम्बर, 2004
33.	दिल्ली	6417	75	4413	72	10830	147	दिसम्बर, 2004
34.	लक्षद्वीप	16	1	4	0	20	1	दिसम्बर, 2004
35.	पांडिचेरी	420	2	368	0	788	2	दिसम्बर, 2004
	कुल	129429	683	86933	507	236493	1186	

आंकड़े अनंतिम हैं और सही ढंग से कवरेज के परिभाषित नहीं होने के कारण तुलनीय नहीं है।
– सूचित नहीं
एन आर–प्राप्त नहीं
पुरुषों और महिलाओं का योग, कुल आंकड़े से मेल नहीं खा सकता क्योंकि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों ने लिंग वार सूचना अलग से नहीं दी है।
स्रोत: राज्यों/संघ क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति संबंधी रिपोर्टें, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।

भारत में संचारी रोगों के सूचित रोगी और इनमें से हुई मौतें वर्ष, 2005

वायरल हेपेटाइटिस

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	पुरुष		महिला		कुल		संदर्भ अवधि
		रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	15835	30	13447	9	29282	39	दिसम्बर, 05
2.	अरुणाचल प्रदेश	235	2	208	2	443	4	दिसम्बर, 05
3.	असम	15938	0	991	0	16929	0	दिसम्बर, 05
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	एन आर
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	एन आर
6.	गोवा	11	0	8	0	19	0	अप्रैल, 05
7.	गुजरात	5775	5	3875	7	9650	12	दिसम्बर, 05
8.	हरियाणा	2437	15	1021	5	3458	20	दिसम्बर, 05
9.	हिमाचल प्रदेश	1432	0	1237	0	2669	0	दिसम्बर, 05
10.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	7908	1	दिसम्बर, 05
11.	झारखंड	17	0	6	0	23	0	जनवरी से मार्च को छोड़कर दिसम्बर,05 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	कर्नाटक	10144	20	7769	26	17913	46	दिसम्बर, 05
13.	केरल	5539	12	3366	3	8905	15	दिसम्बर, 05
14.	मध्य प्रदेश	3792	115	3255	13	7047	128	दिसम्बर, 05
15.	महाराष्ट्र	27490	39	11677	43	39167	82	दिसम्बर, 05
16.	मणिपुर	106	0	100	0	206	0	दिसम्बर, 05
17.	मेघालय	122	0	147	0	269	0	दिसम्बर, 05
18.	मिजोरम	343	1	299	1	642	2	दिसम्बर, 05
19.	नागालैण्ड	37	0	15	0	1117	0	दिसम्बर, 05
20.	उड़ीसा	1543	12	979	9	2522	21	दिसम्बर, 05
21.	पंजाब	1086	6	729	1	1815	7	दिसम्बर, 05
22.	राजस्थान	1484	43	777	7	2261	50	दिसम्बर, 05
23.	सिक्किम	148	2	102	0	250	2	दिसम्बर, 05
24.	तमिलनाडु	—	—	—	—	4752	19	दिसम्बर, 05
25.	त्रिपुरा	185	2	158	1	343	3	दिसम्बर, 05
26.	उत्तरांचल	616	1	268	0	884	1	नवम्बर, 05
27.	उत्तर प्रदेश	1143	5	999	6	2142	11	दिसम्बर, 05
28.	पश्चिम बंगाल	3269	89	2357	46	5626	135	अगस्त, 05
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	172	5	95	2	267	7	दिसम्बर, 05
30.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	एन आर
31.	दादरा और नगर हवेली	97	7	62	2	159	9	दिसम्बर, 05
32.	दमन और दीव	6	0	5	0	11	0	नवम्बर, 05
33.	दिल्ली	6276	59	4326	44	10602	103	दिसम्बर, 05
34.	लक्षद्वीप	22	0	18	0	40	0	दिसम्बर, 05
35.	पांडिचेरी	448	0	341	0	789	0	दिसम्बर, 05
	कुल	105748	470	58637	227	178110	717	

आंकड़े अनंतिम हैं और सही ढंग से कवरेज के परिभाषित नहीं होने के कारण तुलनीय नहीं हैं।

– सूचित नहीं

एन आर–प्राप्त नहीं

पुरुषों और महिलाओं का योग, कुल आंकड़े से मेल नहीं खा सकता क्योंकि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों ने लिंगवार सूचना अलग से नहीं दी है।

स्रोत: राज्यों/संघ क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति संबंधी रिपोर्ट, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।

[हिन्दी]

दूरसंचार सेवाओं का ठप्प हो जाना

3146. श्री सज्जन कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एमटीएनएल केबलों के बार-बार काटे जाने से आईटीओ क्षेत्र में टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल प्रणाली के ठप्प हो जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा आईटीओ क्षेत्र में प्रदान की गई टेलीफोन इंटरनेट सेवाएं ऑप्टिकल फाइबल केबल (ओएफसी) के बारंबार कट जाने के कारण बाधित हो रही थी। तथापि, इस क्षेत्र की मोबाइल सेवाएं प्रभावित नहीं हुई थीं।

(ख) आईटीओ क्षेत्र जिसमें पुलिस मुख्यालय, बिक्री कर कार्यालय, आईआईपीए, राजस्व भवन, डब्ल्यूएचओ भवन, प्रसार भारती, प्रताप भवन, लिंक हाऊस और एक्सप्रेस बिल्डिंग इत्यादि स्थित है, इसलिए प्रभावित था क्योंकि इन क्षेत्रों में लगभग 1400 टेलीफोन कनेक्शनों को जोड़ने वाले ओएफसी माध्यम क्षतिग्रस्त हो गए थे। विवरण निम्नानुसार हैं:

(1) आईटीओ पर आप्टिकल फाइबर (ओएफ) केबल 04.04.2006 को कट गया था। इसे 23 घंटों के अंदर ठीक किया गया।

(2) ओएफ केबल 28.05.2006 को क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे 25 घंटों के भीतर ठीक किया गया।

(3) भूमिगत प्राथमिक कॉपर केबल 29.05.2006 को क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे 06.06.2006 तक ठीक करवा दिया गया।

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए एमटीएनएल द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की गई है:

(1) ऐसी क्षतियों की जानकारी मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाती है।

(2) विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं संबंधी प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क किया जाता है।

(3) ओएफ केबल्स को कम-त्रुटि संभाव्य रूट पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

(4) पीडब्ल्यूडी के साथ संपर्क करके प्राथमिक केबल पिलर को भी और अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

(5) बार-बार खराबी से बचने के लिए नियमित नेमी निरीक्षण किया जा रहा है।

डाक सेवाओं की दरों में वृद्धि

3147. श्री अजीत जोगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी सेवाओं की दरों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) डाक सेवाओं की दरों में वृद्धि होने के कारण कितना राजस्व एकत्रित होने का अनुमान है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घटिया दवाओं की खरीद

3148. श्री राम कृपाल यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल तथा 'एम्स' नई दिल्ली में दवाओं की आपूर्ति में कोई भ्रष्टाचार तथा घोटला किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अस्पताल कथित रूप से छोटे आपूर्तिकर्ताओं से घटिया दवाओं की खरीद कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जी, नहीं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन करने के पश्चात ही सफदरजंग अस्पताल द्वारा दवाइयां खरीदी जाती हैं और कखेप की आपूर्ति करते समय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दवाइयों की किसी सरकारी प्रयोगशाला से जांच करवाना आवश्यक होता है। इस प्रकार खरीदी गई दवाइयों की निरीक्षण समिति द्वारा जांच की जाती है।

एम्स में दवादयां सीधे निर्माता फर्मों से खरीदी जाती हैं और घटिया स्तर की दवाइयां खरीदने का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। एम्स द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपूर्तित दवाइयों की भी उपयोग से पहले समिति द्वारा जांच की जाती है।

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज पर यातायात का घनत्व

3149. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान से होकर जाने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज पर यातायात का घनत्व कितना है;

(ख) क्या यातायात के घनत्व को ध्यान में रखते हुए छह लेन की सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक एन एच डी पी को भेजे जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राजस्थान से होकर गुजरने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज पर यातायात 10200 पी सी यू से 49500 पी सी यू के बीच है।

(ख) और (ग) जी, हां। राजस्थान से होकर गुजरने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज सहित स्वर्णिम चतुर्भुज को छह लेन बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-5 में शामिल किया गया है। यह प्रस्ताव आरंभिक चरण में है और इसलिए अभी इसके आरंभ होने की तारीख बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण को हटाया जाना

3150. श्री टोकचोम मैन्या: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इम्फाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-39 पर अतिक्रमण को हटाए जाने का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का इम्फाल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 पर अतिक्रमण हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई मुआवजा देय नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के नियंत्रणाधीन राजमार्ग प्रशासनों की स्थापना की गई है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि से अतिक्रमणों को हटाने के लिए उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 की मरम्मत

3151. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र में मुंबई राजमार्ग संख्या-3 मुंबई नासिक धुलिया पर किया गया मरम्मत कार्य घटिया स्तर का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य किए जाने हेतु सरकार द्वारा कितनी निधियां आबंटित की गई थीं;

(घ) विनिर्धारित स्तरों के अनुसार उक्त कार्य को न करने हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही क्या है;

(ङ) मानदंडों के अनुसार उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(च) क्या उक्त राजमार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ज) क्या विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर मरम्मत का कार्य, उपलब्ध निधियों के अधीन मानकों के अनुसार किया गया है और किसी घटिया कार्य की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 की मरम्मत के लिए 662.92 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 के इस सड़क खंड की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए 138.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के धुलिया (265/00 किलोमीटर) से पिंपलगांव (380/00 कि.मी.), गोंडे (440/00 कि.मी.) से वडापे 539/500 कि.मी.) सड़क खंडों के कार्य सौंप दिए गए हैं और वडापे (539/500 किलोमीटर) से थाने (565/124) तक के सड़क खंड के कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार के अंतर्गत पूरे किए थे तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार इनका अनुरक्षण रियायतग्राही द्वारा किया जाना है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और इनकी मरम्मत उपलब्ध निधियों के अधीन मानकों के अनुसार की जाती है।

(च) उपर्युक्त कार्यों का निष्पादन करते समय आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। अनुरक्षण कार्यों के निष्पादन के दौरान सुरक्षा उपायों में चूक के कारण किसी प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचना नहीं मिली है।

(छ) से (झ) प्रश्न नहीं उठता।

बीडीएस डाक्टरों का पंजीकरण

3152. श्री मोहन सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डेंटल कालेज, बिहार के छात्रों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह शिकायत की है कि बीडीएस की उपाधि हासिल करने के बावजूद भी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) उनका पंजीकरण नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इन डेन्टल कालेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा वर्ष 1991 से 1997 के दौरान एमबीडीएस की उपाधि प्रदान की गई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन छात्रों का डीसीआई द्वारा पंजीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) से (च) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार द्वारा इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले तीन दंत महाविद्यालयों अर्थात् मिथिला अल्पसंख्यक दंत महाविद्यालय

एवं अस्पताल, डा. एस.एम. नकवी इमाम महाविद्यालय एवं अस्पताल और दरभंगा दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली बी.डी.एस. डिग्री को मान्यता देने को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने सूचित किया था कि प्रभावित विद्यार्थियों ने इन महाविद्यालयों में 1989-1990 और 2000-2001 के बीच दाखिला लिया था। चूंकि इन महाविद्यालयों के सम्बद्धीकरण के मामले को संबंधित विश्वविद्यालय ने सुलझाया नहीं है और दंत चिकित्सक अधिनियम के तहत मान्यता हेतु संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन नहीं किया गया है अत: इन संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्रियों को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। इस मामले पर विश्वविद्यालय, संबंधित महाविद्यालयों और भारतीय दंत परिषद के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है। दंत चिकित्सक अधिनियम के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों की ओर से आवेदन प्राप्त होने और उस पर भारतीय दंत परिषद् की सिफारिशों के प्राप्त होने पर इस मामले पर आगे विचार की जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय भारोत्तोलक परिसंघ पर लगाया गया प्रतिबंध

3153. **श्री शैलेन्द्र कुमार:**
श्री रविन्दर कुमार राणा:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डोप परीक्षण में पाजिटिव होने के कारण बदनाम हुए भारतीय भारोत्तोलक परिसंघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जैसा कि दिनांक 22 जुलाई, 2006 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्व में भारतीय भारोत्तोलक तथा अन्य खिलाड़ी जो डोप परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए तथा इन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं;

(घ) पूर्व में भारोत्तोलकों, अन्य खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा भारतीय भारोत्तोलक परिसंघ के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

पंचायती राजमंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक परिसंघ ने 50,000 अमरीकी डालर के जुर्माने के साथ मार्च, 2007 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन की प्रतियोगिताओं में भारतीय भारोत्तोलकों की सहभागिता पर प्रतिबंध लगाया है। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं होता है तो प्रतिबंध मार्च, 2008 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।

(ग) वर्ष 2000 से, 15 भारतीय खिलाड़ी (10 भारोत्तोलक, 3 एथलीट, 1 बैडमिंटन और 1 जूडो खिलाड़ी) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोप के लिए दोषी पाए गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) डोप के लिए दोषी पाये जाने वाले खिलाड़ियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके नियम और विनियम के अनुसार तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) के कोड के अनुसार संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा की जानी अपेक्षित है। तदनुसार, उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में दिए गये ब्यौरे के अनुसार खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कुछ प्रशिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भा.खे.प्रा. केन्द्रों पर प्रशिक्षण से प्रतिबंधित अवधि के अंतर्गत भारोत्तोलकों को भी बाहर कर दिया है।

(ङ) मुख्य रूप से, डोप की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण ने सूचना के प्रसार के जरिए किसी तरह की निषिद्ध मादक औषधियों के प्रयोग से खिलाड़ियों को दूर रखने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रशिक्षण शिविरों के दौरान, कैम्पों से जुड़े प्रशिक्षकों को निषिद्ध मादक औषधि के बारे में खिलाड़ियों को शिक्षित करने और नियमित रूप से परामर्श देने के लिए कड़ी हिदायत दी जाती है। इसके अलावा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस), पटियाला और अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों पर खेल औषधि डाक्टरों को इस संबंध में खिलाड़ियों को शिक्षित करने के लिए व्याख्यान दिए जाते हैं। शिविर प्रारंभ होने के साथ प्रत्येक खिलाड़ी को प्रलेख, विवरणिका आदि

निषिद्ध पदार्थों के बारे में प्रदान किए जाते हैं। खिलाड़ियों को शिक्षित करने के लिए प्रतिबंधित मादक औषधियों की सूची कैम्पों के कमरों में रखी जाती है। कमरे और उनमें रहने वाले खिलाड़ियों की नियमित निगरानी कर पता लगाया जाता है कि निषिद्ध मादक औषधि का प्रयोग न हो।

भारत सरकार विश्व डोप विरोधी एजेंसी (वाडा) का एक अंशदायी सदस्य है और खेलों में डोपिंग के जोखिम से लड़ने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए कोपेनहेगन की घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

क्र.सं.	खिलाड़ियों/खेल विधाओं का नाम	प्रतियोगिता जिसमें खिलाड़ी दोषी पाए गए तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई
1	2	3
1.	सुश्री अपर्णा पोपट, बैडमिंटन	उबेर कप, मार्च, 2000, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन परिसंघ ने मार्च से अगस्त, 2000 तक 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया। तब से, प्रयोग की गई कथित नशीली दवाओं को वाडा द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों की सूची से हटा दिया गया है।
2.	सुश्री सीमा अंतिल, एथलीट	जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, सेंटियागो (चिली) जुलाई, 2000. अंतर्राष्ट्रीय अमेच्योर एथलेटिक परिसंघ ने चेतावनी दी थी।
3.	सुश्री कुंजुरानी देवी, भारोत्तोलक	एशियाई भारोत्तोलन चैम्पियनशिप, कोरिया-जुलाई, 2001 एशियाई भारोत्तोलन परिसंघ ने जुलाई से दिसम्बर, 2001 तक 6 माह के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया था और 100 अमरीकी डालर का जुर्माना लगाया गया।
4.	श्री बहादुर सिंह, एथलीट (शाटपुट)	एशियाई एथलेटिक्स ग्रैण्ड प्रिक्स, बैंकाक-21 मई, 2002 अंतर्राष्ट्रीय अमेच्योर एथलेटिक परिसंघ ने चेतावनी दी थी।
5.	सुश्री सतीश राय, भारोत्तोलक	राष्ट्रमंडल खेल 2002, मानचेस्टर (यू.के.) जुलाई, 2002 अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक परिसंघ और राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ ने अगस्त, 2002 से जनवरी-2003 तक उन पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया और 1000 अमरीकी डालर का जुर्माना लगाया
6.	श्री के माडास्वामी, भारोत्तोलक	राष्ट्रमंडल खेल-2002, मानचेस्टर (यू.के.) जुलाई, 2002 अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक परिसंघ और राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ ने अगस्त, 2002 से जुलाई, 2004 तक 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था और 1000 अमरीकी डालर का जुर्माना लगाया।
7.	सुश्री अरुणा, जूडो	5 से 8 दिसम्बर, 2003 तक आयोजित के.आर.ए. कप 2003 कोरिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय जूडो टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय जूडो परिसंघ ने 1 जनवरी, 2004 से दो वर्ष के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया।
8.	सुश्री सुनयना, भारोत्तोलक	5 से 12 अप्रैल, 2004 तक अल्माटी में आयोजित एशियाई भारोत्तोलक चैम्पियनशिप अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन परिसंघ ने 8 अप्रैल, 2006 तक 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था।

1	2	3
9.	सुश्री प्रतिमा कुमारी, भारोत्तोलक	13 से 29 अगस्त, 2004 तक एथेंस में आयोजित 28 वें ओलंपिक खेल भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ ने जीवन भर के लिए प्रतिबंध लगाया था किन्तु विश्व डोप विरोधी एजेंसी (वाडा) ने जीवन-पर्यंत प्रतिबंध को कठोर कहा है और इसे कम करके दो वर्षों अर्थात् 14.8.2006 तक कर दिया है।
10.	सुश्री सनमाचा चानू, भारोत्तोलक	13 से 29 अगस्त, 2004 तक एथेंस में आयोजित 28वें ओलंपिक खेल भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ ने जीवन भर के लिए प्रतिबंध लगाया था किन्तु विश्व डोप विरोधी एजेंसी (वाडा) ने जीवन-पर्यंत प्रतिबंध को कठोर कहा है और इसे कम करके दो वर्षों अर्थात् 14.8.2006 तक कर दिया है।
11.	सुश्री नीलम जे. सिंह, एथलीट	6 से 14 अगस्त, 2005 हेलसिंकी में आयोजित एथलेटिक्स में वर्ल्ड चैम्पियनशिप अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स परिसंघ ने दो वर्ष के लिए अनंतिम रूप से इन पर प्रतिबंध लगाया।
12.	सुश्री पी. शैलजा, भारोत्तोलक	वाडा द्वारा फरवरी, 2006 में एन.एस. पटियाला में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर अंतराष्ट्रीय भारोत्तोलन परिसंघ ने दो वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया और 2000 अमरीकी डालर का जुर्माना किया।
13.	श्री तेजिन्दर सिंह, भारोत्तोलक	15 से 26 मार्च, 2006 तक मेलबोर्न में 18वें राष्ट्रमंडल खेल, 2006 अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन परिसंघ ने दो वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया और 2000 अमरीकी डालर का जुर्माना किया। भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ ने जीवन-पर्यंत प्रतिबंध लगाया है और 10,000 रु. का जुर्माना किया।
14.	श्री इडविन राजू, भारोत्तोलक	15 से 26 मार्च, 2006 तक मेलबोर्न में 18वें राष्ट्रमंडल खेल, 2006 अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन परिसंघ ने दो वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया और 2000 अमरीकी डालर का जुर्माना किया। भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ ने जीवन-पर्यंत प्रतिबंध लगाया है और 10,000 रु. का जुर्माना किया।
15.	बी. प्रमिला वल्ली, भारोत्तोलक	वाडा द्वारा फरवरी, 2006 में एन.एस. पटियाला में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन परिसंघ ने दो वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया ओर 2000 अमरीकी की डालर का जुर्माना किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

3154. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज:**
प्रो. चन्द्र कुमार:
श्री प्रहलाद जोशी:

कया पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के क्या मानदंड हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान राजमार्गों को चार लेन का बनाया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने सभी राज्यों को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और उत्तर-दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना चरण-1 में शामिल कर लिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार ब्यौरे और राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) चार लेन बनाने के कार्यों जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान प्रारंभ करने का लक्ष्य है, के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) जी नहीं।

(छ) स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली-मुम्बई-चेन्नई-कोलकाता को जोड़ता है। उत्तर-दक्षिण महामार्ग सलेम-कोच्चि खंड सहित श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व-पश्चिम महामार्ग सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग सभी राज्यों से नहीं गुजरते हैं क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम महामार्गों के सरेखणों को दो नगरों/महानगरों के बीच कम से कम संपर्क दूरी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3642
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एनई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और 228	3245
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी और एनई-2	1512
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 88 और 73ए	1208

1	2	3	4
12.	जम्मू-कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी और 1डी	1245
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218	3843
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 86 और 92	4670
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैण्ड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114 और 116	5585
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226 और 227	
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	1991
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119 और एनई-2	
31.	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2377
32.	अंडमान व निकोबार	223	300
		जोड़	66590

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड

1. देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।
3. राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानी से जोड़ने वाली सड़कें और राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।
4. महापत्तनों, बड़े औद्योगिक केंन्द्रों अथवा पर्यटक केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कें।
5. अति महत्वपूर्ण सामरिक अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सड़कें।
6. वे मुख्य सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में पर्याप्त रूप से कमी आती हो और जिनसे पर्याप्त आर्थिक वृद्धि होती हो।
7. पिछड़े क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के एक बड़े भूभाग को जोड़ने वाली सड़कें।
8. 100 कि.मी. की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड को पूरा करने वाली सड़कें।
9. वह सड़क जो नितांत रूप से तकनीकी आवश्यकताओं तथा भूमि आवश्यकताओं दोनों की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप हों।
10. वह सड़क तथा सड़क के साथ-साथ ही भूमि (राइट ऑफ वे) हर प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए और वह राज्य सरकार की संपत्ति होनी चाहिए।
11. राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपेक्षित राइट ऑफ वे (अधिमान्य रूप से 45 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर) अधिग्रहण के लिए उपलब्ध होना चाहिए तथा वह अतिक्रमणों से मुक्त हो और राज्य सरकार को छह मास के भीतर-भीतर भूमि अधिग्रहण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

विवरण-III

वे राष्ट्रीय राजमार्ग जिन्हें वर्ष 2006-07 के दौरान चार लेन का बनाने का लक्ष्य है

राज्य का नाम	कुल लंबाई (कि.मी.)
आन्ध्र प्रदेश	684.1
असम	86
बिहार	123
छत्तीसगढ़	83
दिल्ली	0.3
गुजरात	148.3
हरियाणा	21.88
हिमाचल प्रदेश	110
जम्मू-कश्मीर	318
झारखंड	75
कर्नाटक	471.38
केरल	348
मध्य प्रदेश	303
महाराष्ट्र	359.50
उड़ीसा	406
पंजाब	57.80
राजस्थान	11.4
तमिलनाडु	782
उत्तर प्रदेश	172.1
उत्तरांचल	71
पांडिचेरी	3.5
पश्चिम बंगाल	201

नोट: बी ओ टी आधार पर ठेके सौंपना 40 प्रतिशत पूंजी की अन्तर क्षमता वित्त पोषण पर निर्भर करेगा।

सीजीएचएस में रिक्त पद

3155. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीजीएचएस, दिल्ली में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक भेषजज्ञों (फार्मासिस्ट) के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये पद किस तिथि से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय रोजगार कार्यालय ने अगस्त 2003 में होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक भेषजज्ञों के लिए उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त पदों को कब भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा स्टाफ संख्या के अनुसार 31 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार सीजीएचएस, दिल्ली में फार्मासिस्ट-सह-लिपिक (आयुर्वेद) के केवल 4 पद और फार्मासिस्ट-सह-लिपिक (होमियोपैथिक) के 7 पद रिक्त पड़े हैं। ये पद क्रमिक रूप से निम्न प्रकार से रिक्त हुए है:

पिछले तीन वर्षों के दौरान होमियोपैथिक एवं आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के रिक्त पद की स्थिति

क्र.सं.	फार्मासिस्ट-सह-लिपिक	2003-04	2004-5	31.7.2006 की स्थिति के अनुसार
1.	होमियोपैथिक	3	4	7
2.	आयुर्वेदिक	3	3	4

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) कर्मचारी निरीक्षण एकक ने होमियोपैथिक/आयुर्वेद औषधालयों/एककों के स्टाफ मानदंडों पर एक अध्ययन किया है और औसतन दैनिक उपस्थिति के अनुसार मानदंड निर्धारित किए हैं। इस अध्ययन में कर्मचारी निरीक्षण एकक ने आयुष औषधालयों में अधिक स्टाफ की समग्र स्थिति को दर्शाया है।

[हिन्दी]

लंबित परियोजनाएं

3156. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों की अनेक परियोजनाएं/विकास योजनाएं स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) राज्यों की कोई परियोजनाएं/विकास स्कीमें योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए लंबित नहीं हैं क्योंकि वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय योजना आयोग द्वारा राज्यों के वार्षिक योजना परिव्ययों का व्यापक क्षेत्रकीय/उप-क्षेत्रकीय आबंटनों के साथ स्वीकृति किया जाता है। स्वीकृत क्षेत्रकीय/उप-क्षेत्रकीय परिव्ययों के भीतर विकास परियोजनाओं के ब्यौरों पर राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा टिप्पणी

3157. श्री पंकज चौधरी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा कथित रूप से दिए गए धमकी भरे बयान की ओर आकर्षित कराया गया है कि यदि भारत आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान के किसी भाग पर हमला करता है तो पाकिस्तान भी उसका करारा जवाब देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) 26 जुलाई, 2006 को कराची के पोर्ट कासिम में मापक खाद्य तेल शोधक संयंत्र के उद्घाटन

समारोह पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने, जैसा कि सूचना प्राप्त हुई, कहा कि पाकिस्तान के विरुद्ध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा कि "किसी को भी ऐसे मंसूबे नहीं पालने चाहिए कि पाकिस्तान अपने भूभाग के अन्दर किसी प्रकार का दुस्साहसिक कदम बर्दाश्त करेगा। ऐसा कोई है नहीं जो पाकिस्तान के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है क्योंकि देश की रक्षा की जिम्मेवारी मजबूत हाथों में है।"

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जल-परिवहन-प्रणाली का विकास

3158. श्री अर्जुन सेठी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न मैरिटाइम राज्यों ने छोटे और मध्यम बंदरगाहों पर क्रू ट्रेनिंग, नाइट नैवीगेशन सुविधाओं के संबंध में अपने राज्यों में अंतर्देशीय जल-परिवहन-प्रणाली के विकास हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत 9 समुद्री राज्यों ने अंतर्देशीय जल-परिवहन के विकास से संबंधित 61 प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। इनमें से 19 प्रस्ताव संस्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। 30 प्रस्तावों के प्रति सहमति नहीं बनी है और शेष 12 प्रस्तावों के बारे में संबंधित राज्यों से स्पष्टीकरण माँगा गया है। इनमें, केन्द्र-सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से मिले कर्मीदल-प्रशिक्षण केन्द्रों से संबंधित दो प्रस्ताव शामिल है। उड़ीसा की राज्य-सरकार का प्रस्ताव, चांदबली में कर्मीदल-प्रशिक्षण-केन्द्र के नवीकरण से संबंधित था और पश्चिम बंगाल की राज्य-सरकार का प्रस्ताव, शिबपुर में क्षेत्रीय अंतर्देशीय नौचालन-संस्थान-सह-क्षेत्रीय कर्मीदल-प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किए जाने से संबंधित था। इन प्रस्तावों के संबंध में संस्वीकृति दिए जाने पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि ये प्रस्ताव, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के बारे में मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के दायरे से परे थे। किसी भी समुद्री राज्य से छोटे और मध्यम स्तर के बंदरगाहों पर रात के समय नौचालन की सुविधाएं कायम किए जाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	संस्वीकृत लागत (लाख रु.)	जारी कर दी गई धनराशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	आंध प्रदेश	आंध्र प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास की दृष्टि से सर्वेक्षण और प्रौद्योगिकी आर्थिक व्यवहार्यता-अध्ययन	75.00	15.00
2.	गोवा	गोवा के अंतर्देशीय जलमार्गों में मापुसा, चापोरा और साल नदियों में नए जल-सर्वेक्षण करवाना	109.00	21.80
3.	कर्नाटक	कर्नाटक में अंतर्देशीय जल-परिवहन के विकास की दृष्टि से प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता-अध्ययन/सर्वेक्षण	56.70	51.03
4.	केरल	टी एस नहर के वेली-कोवलम जल-खंड का पुनरूत्थान	362.22	65.30
5.	महाराष्ट्र	1. विष्णुपुरी के नजदीक गोदावरी नदी में अंतर्देशीय जल-परिवहन का विकास	272.21	206.77

1	2	3	4	5
		2. दक्षिण मुंबई से अंबा नदी तक/धर्मतर क्रीक और विलोमत: अंतर्देशीय जल-परिवहन का विकास–करंजा में टर्मिनल	481.54	174.73
		3. दक्षिण मुंबई से मांडवा (अंबा नदी)/धर्मतर क्रीक और विलोमत: अंतर्देशीय जल-परिवहन का विकास–मांडवा में टर्मिनल	410.95	204.45
		4. म्हासला/मंदाद नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जल-परिवहन का विकास–राजपुरी में	469.45	171.00
		5. जंजीरा किले के नजदीक म्हासला/मंदाद नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जल-परिवहन का विकास	124.60	51.96
		6. म्हासला/मंदाद नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जल-परिवहन का विकास–दिगही में टर्मिनल	499.39	83.83
		7. ईसापुर जलाशय-ताल्लुका में, पेनगंगा नदी में अंतर्देशीय जल-परिवहन का विकास–पुसाद	390.00	78.00
		8. म्हासला/मंदाद नदी (राजपुरी क्रीक) में अंतर्देशीय जल-परिवहन का विकास–अगरडंडा में टर्मिनल	335.34	67.07
		उप योग–महाराष्ट्र	2983.48	1037.81
6.	उड़ीसा	1. मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन की दृष्टि से उड़ीसा-राज्य में अंतर्देशीय जल-परिवहन-क्षेत्र का विकास	204.40	40.80
		2. उड़ीसा-राज्य में जलमार्गों के विकास और अंतर्देशीय जल-परिवहन-क्षेत्र के भविष्य में होने वाले विकास से संबंधित विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार करना	10.30	9.27
		उपयोग–उड़ीसा	214.70	50.07
7.	पश्चिम बंगाल	1. त्रिवेणी और फरक्का के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 पर गैंग वे पंटून किस्म की 53 फ्लोटिंग जेटियों और आर सी सी स्लिप वे किस्म की 4 जेटियों का निर्माण	2261.50	1129.00
		2. हल्दिया और त्रिवेणी के बीच दक्षिणेश्वर, शियोराफुली, मनीरामपुर, संतोषपुर (अकरा) और नंदिग्राम पर गैंग वे पंटून किस्म की 4 जेटियों और 1 आर सी सी जेटी का निर्माण	372.82	300.51
		3. सुंदरबन में साहिबखाली नदी पर नेबुखली और दुलबुली पर 2 गैंग वे-सह-पंटून जेटियों का निर्माण	460.00	312.80
		4. सुंदरबन-क्षेत्र में 22 आर सी सी जेटियों का निर्माण	407.00	81.40
		5. हारवुड पॉइंट और कचुबेरिया पर दो गैंग वे सह पंटून किस्म की जेटयों का निर्माण	382.00	–
		उपयोग–पश्चिम बंगाल	3883.32	1823.71
		कुल योग	7684.42	3064.72

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना

3159. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना मुख्यत: शहरी क्षेत्रों तक सीमित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुना गया;

(घ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का विचार राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती करने हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं। भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खेल.प्रा.) द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी) का प्रमुख उद्देश्य आधारभूत स्तर पर खेलों को व्यापक आधार प्रदान करना है तथा देश के प्रत्येक भाग से प्रतिभाशाली लड़के और लड़कियों का पता लगाना है। एनएसटीसी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को भी कवर किया गया है जिनमें ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा ग्राम स्तर पर प्रतिभा का पता लगाया जाता है और उसे शामिल किया जाता है–

(1) देशज खेल और मार्शल आर्ट का संवर्धन

(2) नवोदय विद्यालय में एनएसटीसी योजनाओं का विस्तार

(3) देश में कुश्ती का सवंर्धन

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित तथा भा.खे.प्रा. में एनएसटीसी योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षत खिलाड़ियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है।

(घ) और (ङ) भा.खे.प्रा. ने निम्नलिखित उद्देश्यों से भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) तथा विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) विस्तार केन्द्र योजना प्रारंभ की है–

(1) समन्वित प्रयासों के माध्यम से खेलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर कार्य करने को संभव बनाना।

(2) देश तथा राज्य के अंदर खेल अवस्थापना में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।

(3) भा.खे.प्रा. को उन जूनियर खेल प्रतिभाओं को वैज्ञानिक रूप से पोषित करने में सक्षम बनाना जिन्होंने दीर्घावधिक आधार पर उत्कृष्टता केन्द्र के लिए एनएसटीसी योजना के अंतर्गत सब-जूनियर स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

(4) खेल अवस्थापना के लिए सहायता का पैकेज प्रदान करना तथा उस क्षेत्र में विभिन्न खेल संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

(5) किसी जिले में पहले से ही विद्यमान/सृजित की जाने वाली सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना, ऐसी स्थिति को टालना जिसमें खेल अवस्थापना अप्रयुक्त रहे तथा समुचित रखरखाव और संचालन को भी सुनिश्चित करना।

(6) भारत सरकार तथा भा.खे.प्रा. की विभिन्न योजनागत स्कीमों के लिए रखी गई निधियों के समान वितरण को सुनिश्चित करना।

(7) विभिन्न योजनागत स्कीमों का फायदा आधारभूत स्तर अर्थात ब्लाक स्तर तक पहुंचाना।

[हिन्दी]

गरीबी दर

3160. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दर का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान गरीबी दर के प्रतिशत के गत तीन वर्षों की तुलना में घटने की संभावना है;

(घ) क्या गरीबी उपशमन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सभी राज्यों में साक्षरता दर और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(च) देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर को एक समान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के प्रसार का अनुमान, विशेषज्ञ दल द्वारा दी गई पद्धितियों (गरीबों के अनुपात और संख्या के आंकलन संबंधी लाकड़ावाला समिति) के अनुसार लगभग पाँच वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण, से लगाता है। इस तरह के सर्वेक्षण से उपलब्ध नवीनतम आंकड़े एनएसएस के 55वें दौर से प्राप्त किए गए हैं, जो वर्ष 1999-2000 में कराया गया था।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पिछले तीन पंचवार्षिक दौरों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता नीचे तालिका में दी गई है:

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता

वर्ष	गरीबों की प्रतिशतता		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1987-88	39.1	38.2	38.9
1993-94	37.3	32.4	36.0
1999-2000	27.1	23.6	26.1

योजना आयोग द्वारा गरीबी का सरकारी अनुमान लगाने की एक मानक पद्धति है जिसे भारत सरकार द्वारा गरीबी की समान गणना हेतु अपनाया जाता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या और प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

विश्व बैंक क्रय शक्ति साम्यता (पीपीपी) के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है जो कि वर्ष 1985 के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर मापित प्रतिदिन 1 डालर तथा 2 डालर है। उनके अंतिम रिपोर्ट (वर्ष 2006 विश्व विकास संकेतक) के आधार पर सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 के दौरान 1 डालर प्रतिदिन और 2 डालर प्रतिदिन से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 34.7 और 52.4 है। भारत सरकार इस अनुमान का प्रयोग नहीं करती है क्योंकि इससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों अथवा देश के विभिन्न राज्यों के बीच अन्तर नहीं किया गया है।

(ग) हाल के वर्षों में गरीबी के प्रतिशत दर में कमी हुई है या नहीं इसका पता तभी लग सकेगा जब पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी एनएसएस सर्वेक्षण के 61वें दौर (2004-05) के परिणामों के आधार पर गरीबी संबंधी अगला अनुमान लगाया जाएगा जिसे अभी प्रकाशित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) गरीबी उपशमन कार्यक्रम में आमतौर पर साक्षरता एवं चिकित्सा सुविधाओं पर गौर नहीं किया जाता है। तथापि, भारत की पिछली तीन जनगणनाओं से यह देखा गया है कि साक्षरता दर वर्ष 1981 में 43.47 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1991 में 52.10 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 में 75.26 प्रतिशत तक हो गई है।

विशेषकर गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों को एकीकृत व्यापक प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकार ने अप्रैल, 2005 में एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू किया है। सात-वर्षीय एनआरएचएम (2005-12) की शुरूआत स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में अनेक कमजोरियों को दूर करने के अधिदेश से किया गया था। मिशन का उद्देश्य अधिक सामुदायिक स्वामित्व, जिला स्तर तक कार्यक्रमों का विकेन्द्रीयकरण करने, अंत:क्षेत्रकीय अभिसरण तथा उन्नत प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में कमजोरियों को दूर करना ही मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य, जवाबदेह और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के माध्यम से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को हासिल करना है। एनआरएचएम के अंतर्गत

वर्ष 2005-06 के लिए 6731.16 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2006-07 के लिए 9065 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(च) सरकार पूरे देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर को कम करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम हैं: (1) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), (2) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) (3) इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई), और (4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।

शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है–स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)। इस कार्यक्रम का आशय शहरी बेरोजगारों और अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को माइक्रो उद्यम स्थापित करके तथा उनके श्रम को उपायोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में उपयोग करके दिहाड़ी रोजगार प्रावधान के माध्यम से उन्हें लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) चुनिंदा 63 मिशन शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एकीकृत आवास व स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) 63 मिशन शहरों को छोड़कर सभी शहरों और नगरों में लागू है। आईएचएसडीपी का मूल लक्ष्य स्लम निवासियों को पर्याप्त आश्रय और मूल अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करा कर स्वस्थ और सशक्त शहरी वातावरण सहित समग्र स्लम विकास हेतु प्रयास करना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह अत्यधिक गरीब वर्गों के लिए लक्षित है। "अन्त्योदय अन्न योजना" निर्धनतम परिवारों का उच्चतम सब्सिडीकृत दर पर 35 कि. ग्राम खाद्यान, 2 रु. किलो गेहूँ और 3 रु. किलो चावल उपलब्ध कराती है। हाल ही में अन्त्योदय अन्न योजना को 2.0 करोड़ (बीपीएल) परिवारों से बढ़ाकर वर्ष 2005 में 2.5 करोड़ परिवार तक किया गया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे लाभभोगियों की पहचान करते समय निर्धनतम और पिछड़े ब्लॉकों और/अथवा पौषणिक कमी वाले परिवारों को प्राथमिकता दें।

विवरण

1999-2000 में राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या और उसकी प्रतिशतता

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	58.13	11.05	60.88	26.63	119.01	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04	0.18	7.47	3.98	33.47
3.	असम	92.17	40.04	2.38	7.47	94.55	36.09
4.	बिहार	376.51	44.30	49.13	32.91	425.64	42.60
5.	गोवा	0.11	1.35	0.59	7.52	0.70	4.40
6.	गुजरात	39.80	13.17	28.09	15.59	67.89	14.07
7.	हरियाणा	11.94	8.27	5.39	9.99	17.34	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94	0.29	4.63	5.12	7.63

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू-कश्मीर	2.97	3.97	0.49	1.98	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	59.91	17.38	44.49	25.25	104.40	20.04
11.	केरल	20.97	9.38	20.07	20.27	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06	81.22	38.44	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72	102.87	26.81	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.53	40.04	0.66	7.47	7.19	28.54
15.	मेघालय	7.89	40.04	0.34	7.47	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.40	40.04	0.45	7.47	1.85	19.47
17.	नागालैण्ड	5.21	40.04	0.28	7.47	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	143.69	48.01	25.40	42.83	169.09	47.15
19.	पंजाब	10.20	6.35	4.29	5.75	14.49	6.16
20.	राजस्थान	55.06	13.74	26.78	19.85	81.83	15.28
21.	सिक्किम	2.00	40.04	0.04	7.47	2.05	36.55
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55	49.97	22.11	130.48	21.12
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04	0.49	7.47	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22	117.88	30.89	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85	33.38	14.86	213.49	27.02
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.58	20.55	0.24	22.11	0.82	20.99
27.	चंडीगढ़	0.06	5.75	0.45	5.75	0.51	5.75
28.	दादरा और नगर हवेली	0.30	17.57	0.03	13.52	0.33	17.14
29.	दमन और दीव	0.01	1.35	0.05	7.52	0.06	4.44
30.	दिल्ली	0.07	0.40	11.42	9.42	11.49	8.23

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38	0.08	20.27	0.11	15.60
32.	पॉडिचेरी	0.64	20.55	1.77	22.11	2.41	21.67
	अखिल भारत	1932.43	27.09	670.07	23.62	2602.50	26.10

टिप्पणी

1. असम के गरीबी अनुपात को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और कश्मीर के व्यय वितरण को जम्मू-कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पॉडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयोग किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चंडीगढ़ के दोनों ग्रामीणों और शहरी गरीबी के लिए प्रयोग किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादर, नगर हवेली के व्यय वितरण का दादर और नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने में प्रयोग किया गया है।
7. गोवा का गरीबी अनुपात दमन और दीव के लिए प्रयोग किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।

[अनुवाद]

एचआईवी/एड्स का प्रोफाइलैक्टिक और क्यूरेटिव उपचार

3161. डा. पी.पी. कोया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एचआईवी/एड्स से पीड़ित रोगियों के लिए उपचार (प्रोफाइलैक्टिक और क्यूरेटिव दोनों) उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे उपचार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृति दी गई है;

(ग) देश में इस समय एंटी-रिट्रोवायरल उपचार करा रहे एचआईवी/एड्स रोगियों के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(घ) एंटी-रिट्रोवायरल उपचार करा रहे रोगियों की संख्या सहित देश में एचआईवी/एड्स रोगियों की संख्या कितनी है और कितने प्रतिशत रोगी यह उपचार सरकारी और निजी अस्पतालों से करा रहे हैं;

(ङ) एक वर्ष की अवधि हेतु एंटी-रिट्रोवायरल उपचार कराने के लिए एक रोगी को कुल कितना खर्चा करने की आवश्यकता है;

(च) क्या बीमा कंपनियों की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित उपचार को कवर करने के लिए एचआईवी/एड्स रोगियों हेतु कोई इंश्योरेंस कवरेज पालिसी इस समय अस्तित्व में है; और

(छ) यदि हां, तो एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्तियों के बीमा कवर की दिशा में सरकार द्वारा क्या योगदान दिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) देश में अनुमानत: 5.2 मिलियन लोग एचआईवी पॉजीटिव हैं। लगभग 5.2 लाख (10%) एचआईवी पॉजीटिव लोगों को एंटीरिट्रोवायरल उपचार की आवश्यकता हो सकती है। इस समय देश के 54 सरकारी अस्पतालों में 33542 रोगी एंटीरिट्रोवायरल उपचार प्राप्त कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या के बारे में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) एंटीरिट्रोवायरल औषधों की लागत 7848 रुपये प्रति रोगी प्रति वर्ष है।

(च) और (छ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता

3162. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री भाल चन्द्र यादव:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में इंटरनेट प्रयोक्ताओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) 15 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग में इंटरनेट प्रयोग के क्षेत्र में भारत का कौन-सा स्थान है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) इंटरनेट प्रयोक्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं की पहचान करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक प्रश्नावली तैयार की थी जिसमें सेवा के प्रावधान, पहुंच संबंधी समस्याओं, इंटरनेट का प्रयोग करते समय आने वाली समस्याओं, उपभोक्ता सेवा, प्रशुल्क, उपकरणों से संबंधित ब्यौरे और सामान्य टिप्पणियों, यदि कोई है आदि से संबंधित विभिन्न मदें शामिल की गई थी। इस प्रश्नावली के आधार पर, ट्राई द्वारा अपने वेबसाइट का प्रयोग करते हुए 15 जून 2000 से 15 जुलाई 2000 तक एक माह की अवधि के लिए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण संचालित किया गया जिसके दौरान प्रयोक्ता प्रपत्र भर सकते थे तथा अपने जवाब इलेक्ट्रानिक तरीके से और डाक के द्वारा भी भेज सकते थे। कुल 468 जवाब प्राप्त हुए। इस सर्वेक्षण से जो मुद्दे उभर कर सामने आए उन पर ट्राई द्वारा "डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001" की सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमन दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 जारी करते समय आगे विचार किया गया।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में कार्यरत प्रौद्योगिकी अनुसंधान फर्म, मै. कॉमस्कोर नेटवर्क्स ने एक सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार जून 2006 की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग की ऑनलाइन जनसंख्या के संबंध में भारत 9वां सबसे बड़ा देश हो गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/दूरसंचार सर्किल	31.3.2006 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट उपभोक्ता
1.	अंडमान व निकोबार	3057
2.	आंध्र प्रदेश	398632
3.	असम	30532
4.	बिहार (झारखंड सहित)	83298
5.	दिल्ली**	1042454
6.	गुजरात	391753
7.	हरियाणा	156166
8.	हिमाचल प्रदेश	20736
9.	जम्मू-कश्मीर	34366
10.	कर्नाटक	535528
11.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	377834
12.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	1612169
13.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	218952
14.	पूर्वोत्तर*	30738
15.	उड़ीसा	58169
16.	पंजाब	246977
17.	राजस्थान	269391
18.	तमिलानाडु (पांडिचेरी सहित)	760886
19.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	338797
20.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	442587

* मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा सहित।

** एक प्रचालक द्वारा एकीकृत अभिगम सेवा के अंतर्गत दिल्ली के सेवा क्षेत्र के तहत सूचित किए गए उपभोक्ताओं सहित।

[अनुवाद]

संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट

3163. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1994 के बाद से सिविल सेवा परीक्षा में चुने गए अभ्यर्थियों के संबंध में सरकार द्वारा अपनी सिफारिशों का पालन न किए जाने के बारे में अपनी रिपोर्ट संसद में सभा पटल पर रख दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद से महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने का कोई प्रयास किया गया है जो कि अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अहितकर है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संवर्ग आबंटन हेतु मानदंड

3164. श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री महावीर भगोरा:
श्री धनसिंह रावत:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई ए एस अधिकारियों को संवर्ग आबंटन हेतु निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) क्या सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा. और अ.ज.जा. के अधिकारियों को ऐसे संवर्ग आबंटन हेतु 30 पाइंट रोस्टर अथवा 100 पाइंट रोस्टर का पालन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण के बाद एक अलग 30 पाइंट रोस्टर बनाया गया है, जो कि एक सामान्य वर्ग के लिए है तथा अन्य अ.पि. वर्ग एवं अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के लिए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें विवाह, अदालत में मामला और अन्य कारणों से संवर्ग में परिवर्तन किया गया है;

(छ) अधिकारी के नाम, आबंटन का वर्ष, वर्ग, गृह राज्य, परिवर्तित संवर्ग और संवर्ग परिवर्तन के कारण तथा रोस्टर पाइंट जिसके आधार पर वर्ष 1985 के बाद से इनकी नियुक्ति सहित प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ज) वर्ष 1985 और 2003 के बीच कितने आई ए एस अधिकारियों के संवर्ग में परिवर्तन किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) तक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को संवर्ग आबंटित किए जाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(च) से (ज) इस बारे में विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संवर्ग आबंटन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे

भारत संघ के राज्य 24 संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में विभाजित हैं। तीन संयुक्त संवर्गों अर्थात् असम-मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा और एगमुट (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र) संवर्ग के अलावा प्रत्येक राज्य का एक संवर्ग है।

2. संवर्ग आबंटन मे पहला चरण, सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर इन प्रत्येक श्रेणी के बीच रिक्तियों को विभाजित करना है। (अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के लिए चिन्हित रिक्तियों को एक साथ गिना जाता है और दोनों श्रेणियों के लिए प्रतिशतता को संवर्ग आबंटन के प्रयोजन से जोड़ दिया जाता है)।

3. अगला चरण, प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के लिए रिक्तियों को 30 पाइंट रोस्टर के आधार पर राज्य के उम्मीदवारों (इनसाईडर्स) और राज्य से बाहर के उम्मीदवारों (आऊटसाईडर्स) के बीच बांटना है। उक्त रोस्टर में पहली रिक्ति राज्य से बाहर के उम्मीदवार को आबंटित की जाती है, दूसरी रिक्ति राज्य के उम्मीदवार को आबंटित की जाती है और तीसरी रिक्ति राज्य से बाहर के उम्मीदवार को आबंटित की जाती है। यह क्रम दोहराया जाता है। यह 30-पाइंट वाला रोस्टर निरन्तर चलता रहता है।

4. सेवा को आबंटित उम्मीदवारों की एक सूची उनके मूल राज्यों और उनके मूल राज्यों को आबंटित किए जाने की उनकी इच्छा दर्शाते हुए तैयार की जाती है और प्रत्येक उम्मीदवार को उक्त सूची में उनकी योग्यता क्रम के अनुसार एक क्रम संख्या दी जाती है।

5. राज्य के उम्मीदवारों का आबंटन पूर्णत: उनके रैंकों के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि वे अपने मूल्य राज्यों को आबंटित किए जाने के इच्छुक हों। राज्य से बाहर के उम्मीदवारों का आबंटन जैसे कि नीचे स्पष्ट किया गया है राज्य से बाहर के उम्मीदवारों को आबंटन चार्ट में उनके उचित स्थानों पर रखने के बाद रोस्टर पद्धति के अनुसार किया जाता है।

6. सभी संवर्गों/संयुक्त संवर्गों को वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और चार समूहों में बांटा जाता है। ये समूह औसत भर्ती के आधार पर बनाए जाते हैं जो कई वर्षों से मोटे तौर पर एक समान हैं। समूह निम्न प्रकार है:

समूह-1 : आन्ध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात।

समूह-2 : हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल तथा मध्य प्रदेश

समूह-3 : महाराष्ट्र, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम; तथा

समूह-4 : तमिलनाडु, ए.जी.एम.यू.टी (यू.टी. संवर्ग), उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

7. चूँकि संवर्गों/संयुक्त संवर्गों की संख्या 24 है अत: चक्र 1-24, 25-48, 49-72 और आगे इसी क्रम में हैं। क्रम सं. 1 और 24 के बीच उम्मीदवार जिन्हें उनके गृह-राज्यों को आबंटित किया जा सकता है उन्हें पहले चक्र (1-24) में रखा जाता है तथा क्रम संख्या 25 और 48 के बीच के उम्मीदवार जिन्हें उनके गृह राज्यों को आबंटित किया जा सकता है उन्हें दूसरे चक्र (25-48) में रखा जाता है और अन्य उम्मीदवार भी आगे इसी क्रम में रखे जाते हैं।

8. अपनी क्रम सख्या के अनुसार एक ही चक्र में आने वाले उम्मीदवार यदि दो अथवा इससे अधिक हों तो उन्हें अगले चक्र में रखा जाएगा चाहे उनकी क्रम संख्या कोई भी हो। दूसरे शब्दों में यदि क्रम सं. 3, 7, 11 पर राज्य के उम्मीदवार के रूप में आबंटित किए जाने वाले तीन उम्मीदवार हों तो क्रम सं. 3 प्रथम चक्र (1-42) में रहेगा, क्रम सं. 7 द्वितीय चक्र (25-48) में और क्रम सं. 11 तृतीय चक्र (49-72) में रखा जाएगा।

9. यदि सामान्य श्रेणी के राज्य के उम्मीदवार की रिक्ति भरने के लिए सामान्य श्रेणी का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य के उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है परंतु अदला-बदली को सुविधाजनक बनाए जाने हेतु उस संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की राज्य से बाहर के उम्मीदवार की रिक्ति उपलब्ध हो। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का राज्य का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो अथवा उस संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की राज्य से बाहर के उम्मीदवार की रिक्ति नहीं हो तो सामान्य रिक्ति अन्य पिछड़े वर्ग के राज्य के उम्मीदवार द्वारा उसी शर्त पर भर ली जाती है कि अदला-बदली को सुविधाजनक बनाए जाने की दृष्टि से अन्य पिछड़े वर्ग की राज्य से बाहर के उम्मीदवार की रिक्ति अवश्य होनी चाहिए। इसी तरह अन्य पिछड़े वर्ग की राज्य के उम्मीदवार की रिक्ति में रिक्ति को पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य के उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है और तत्पश्चात सामान्य श्रेणी के राज्य के उम्मीदवार द्वारा उन्हीं शर्तों के साथ भरा जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भरी नहीं गई राज्य

के उम्मीदवार की रिक्त को पहले अन्य पिछड़े वर्ग के राज्य के उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है और तत्पश्चात् उन्हीं शर्तों के साथ सामान्य श्रेणी के राज्य के उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है।

10. अदला-बदली किए जाने के बाद भी यदि किसी राज्य के उम्मीदवार की रिक्ति नहीं भरी जाती है तो वह राज्य से बाहर के उम्मीदवार को मिल जाती है और उसे अग्रनीत नहीं किया जाता।

11. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें उनका गृह राज्य नहीं मिल पाता है, उन्हें योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध करके विभिन्न संवर्गों में जिस वर्ष के लिए उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया हो उस प्रथम संवर्ग से प्रारम्भ करते हुए विभिन्न संवर्गों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर संवर्ग आबंटित किया जाता है। प्रथम चक्र भर जाने पर बकाया राज्य से बाहर के उम्मीदवार द्वितीय चक्र में आबंटित होते हैं परंतु द्वितीय चक्र राज्यों के अगले समूह से प्रारम्भ होता है और यह क्रम चलता रहता है। राज्य से बाहर के उम्मीदवार को प्रथम चक्र में उपलब्ध रिक्ति पर आबंटित किए जाने के बाद, अगले उपलब्ध राज्य से बाहर के उम्मीदवार को दूसरे समूह को प्रथम उपलब्ध राज्य को आबंटित किया जाएगा तथा दूसरे चक्र में आबंटित किए जा सकने वाली सभी उपलब्ध राज्य से बाहर के उम्मीदवारों को आबंटित करने के बाद अगला उपलब्ध राज्य से बाहर के उम्मीदवार तीसरे समूह के प्रथम उपलब्ध राज्य में आबंटित किया जाएगा और यह क्रम चलता रहेगा। इससे योग्यता का समान रूप से वितरण सुनिश्चित होता है।

12. अगले वर्ष के लिए, राज्यों के समूह का आवर्तन हो जाएगा। इस वर्ष में सबसे ऊपर का समूह अगले वर्ष में सबसे नीचे चला जाएगा। दूसरा समूह सबसे ऊपर आ जाएगा और यही क्रम चलता रहेगा।

13. आरक्षित श्रेणियों के मामले में, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु इसी प्रकार के विवरण तथा प्रणाली के आधार पर अलग चार्ट तैयार किए जाते हैं।

14. आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उन उम्मीदवारों के मामले में जिनकी नियुक्ति की सिफारिश अनारक्षित रिक्ति पर किए जाने के लिए होती है और जो सेवा में अनारक्षित रिक्ति पर आबंटित किए जाते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ आरक्षित उम्मीदवार के रूप में गृह राज्य मिलने की दशा में दिया जाता है।

विवरण II

क्र. सं.	आई ए एस अधिकारी का नाम	आबंटन वर्ष	श्रेणी	गृह राज्य	स्थानांतरण वर्ष	मूल संवर्ग	जिस संवर्ग में स्थानान्तरित किए गए	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ए के चुग	(आर आर: 1974)	–	दिल्ली	1985	तमिलनाडु	बिहार	विवाह
2.	ब्रज राज शर्मा	(आर आर: 1984)	–	जम्मू-कश्मीर	1985	पश्चिम बंगाल	जम्मू-कश्मीर	जनहित
3.	जी पी जोशी	(आर आर: 1978)	–	गुजरात	1985	मणिपुर-त्रिपुरा	गुजरात	विवाह
4.	आर आचार्य	(आर आर: 1982)	–	पंजाब	1985	गुजरात	आंध्र प्रदेश	विवाह
5.	सुदेश कुमार	(आर आर: 1984)	अ.जा.	पंजाब	1985	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	विवाह
6.	ए पी साहनी	(आर आर: 1984)	–	दिल्ली	1986	नागालैण्ड	आंध्र प्रदेश	विवाह
7.	अमिताभ मुखर्जी	(आर आर: 1983)	–	दिल्ली	1986	गुजरात	पश्चिम बंगाल	विवाह
8.	अरुणा सुन्दरा राजन	(आर आर: 1982)	–	तमिलनाडु	1986	तमिलनाडु	केरल	विवाह
9.	आशीष बहुगुणा	(आर आर: 1978)	–	उत्तर प्रदेश	1986	पश्चिम बंगाल	राजस्थान	विवाह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	अतुल कमाई	(आर आर: 1983)	–	दिल्ली	1986	मणिपुर-त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	विवाह
11.	मनीष श्रीधर	(आर आर: 1984)	–	दिल्ली	1986	महाराष्ट्र	आंध्र प्रदेश	विवाह
12.	मिताली सेन गुप्ता	(आर आर: 1984)	–	पश्चिम बंगाल	1986	पश्चिम बंगाल	महाराष्ट्र	विवाह
13.	प्रीती सूदन	(आर आर: 1983)	–	हरियाणा	1986	हरियाणा	आंध्र प्रदेश	विवाह
14.	आर एस मान	(आर आर: 1965)	–	पंजाब	1986	हरियाणा	पंजाब	विवाह
15.	रमेश इन्द्र सिंह	(आर आर: 1974)	–	पंजाब	1986	पश्चिम बंगाल	पंजाब	जनहित
16.	सीमा बहुगुणा	(आर आर: 1983)	–	उत्तर प्रदेश	1986	जम्मू-कश्मीर	राजस्थान	विवाह
17.	इन्दु भूषण	(आर आर: 1983)	–	उत्तर प्रदेश	1987	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	विवाह
18.	एस के गुलाटी	(आर आर: 1982)	–	दिल्ली	1987	पश्चिम बंगाल	हरियाणा	विवाह
19.	संजय प्रसाद	(आर आर: 1986)	–	दिल्ली	1987	पंजाब	गुजरात	विवाह
20.	टी सेरिंग यंग खोम दास	(आर आर: 1982)	अ.ज.जा.	पश्चिम बंगाल	1987	उत्तर प्रदेश	असम मेघालय	विवाह
21.	विनीत चौधरी	(आर आर: 1982)	–	पंजाब	1987	मणिपुर-त्रिपुरा	हिमाचल प्रदेश	विवाह
22.	चित्र राम चन्दन	(आर आर: 1985)	–	महाराष्ट्र	1988	बिहार	आंध्र प्रदेश	विवाह
23.	एम मोहन राव	(आर आर: 1985)	अ.जा.	आंध्र प्रदेश	1988	पश्चिम बंगाल	मध्य प्रदेश	विवाह
24.	एम के सिंह	(आर आर: 1985)	–	पंजाब	1988	सिक्किम	मध्य प्रदेश	विवाह
25.	मनीष नन्दा	(आर आर: 1985)	–	राजस्थान	1988	पश्चिम बंगाल	हिमाचल प्रदेश	विवाह
26.	निधि सिंह	(आर आर: 1987)	–	पंजाब	1988	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	विवाह
27.	सतीन्द्र एस पी सिंह	(आर आर: 1986)	–	पंजाब	1988	मणिपुर त्रिपुरा	मध्य प्रदेश	विवाह
28.	नन्दन सुल्तर	(आर आर: 1985)	–	पंजाब	1988	ए जी एम यू टी	महाराष्ट्र	विवाह
29.	बीनू गुप्ता	(आर आर: 1987)	–	उत्तर प्रदेश	1988	बिहार	राजस्थान	विवाह
30.	अनीता सिन्हा	(आर आर: 1988)	–	दिल्ली	1989	बिहार	गुजरात	विवाह
31.	धीरा खण्डेलवाल	(आर आर: 1986)	–	उत्तर प्रदेश	1989	ए जी एम यू टी	हरियाणा	विवाह
32.	आई एस एन प्रसाद	(आर आर: 1986)	–	आंध्र प्रदेश	1989	मणिपुर त्रिपुरा	कर्नाटक	विवाह
33.	जीवेश नन्दन	(आर आर: 1987)	–	बिहार	1989	ए जी एम यू टी	उत्तर प्रदेश	विवाह
34.	राजीव अरोड़ा	(आर आर: 1987)	–	पंजाब	1989	बिहार	हरियाणा	विवाह
35.	एस राधा	(आर आर: 1988)	–	दिल्ली	1989	असम मेघालय	उत्तर प्रदेश	विवाह
36.	शालिनी मित्रा	(आर आर: 1988)	–	उत्तर प्रदेश	1989	गुजरात	आंध्र प्रदेश	विवाह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	सुनील कुमार	(आर आर: 1987)	–	बिहार	1989	पंजाब	उत्तर प्रदेश	विवाह
38.	उषा शर्मा	(आर आर: 1985)	–	उत्तर प्रदेश	1989	मणिपुर त्रिपुरा	राजस्थान	विवाह
39.	वीरा राने	(आर आर: 1988)	–	उत्तर प्रदेश	1989	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	विवाह
40.	अमीता प्रसाद	(आर आर: 1985)	–	बिहार	1990	पश्चिम बंगाल	कर्नाटक	विवाह
41.	वी वी वी शर्मा	(आर आर: 1986)	–	आंध्र प्रदेश	1990	नागालैण्ड	उड़ीसा	विवाह
42.	गौरी सिंह	(आर आर: 1987)	–	राजस्थान	1990	पश्चिम बंगाल	मध्य प्रदेश	विवाह
43.	जय श्री मुखर्जी	(आर आर: 1986)	–	दिल्ली	1990	मणिपुर त्रिपुरा	महाराष्ट्र	विवाह
44.	मनोज सोनिक	(आर आर: 1987)	–	बिहार	1990	मणिपुर त्रिपरा	महाराष्ट्र	विवाह
45.	नरेन्द्र कुमार	(आर आर: 1988)	अ.जा.	दिल्ली	1990	असम मेघालय	एजीएमयूटी	अधिकरण आदेश
46.	रवनीत कौर	(आर आर: 1988)	–	पंजाब	1990	असम मेघालय	पंजाब	अधिकरण आदेश
47.	रेनू शर्मा	(आर आर: 1988)	–	बिहार	1990	बिहार	एजीएमयूटी	विवाह
48.	एस अपर्णा	(आर आर: 1988)	–	तमिलनाडु	1990	नागालैण्ड	गुजरात	एन ई पालिसी
49.	एस के संधू	(आर आर: 1987)	अ.जा.	पंजाब	1990	जम्मू कश्मीर	पंजाब	अधिकरण आदेश
50.	समीर सिंह चन्देल	(आर आर: 1989)	–	उत्तर प्रदेश	1990	पंजाब	राजस्थान	विवाह
51.	संजीव कौशल	(आर आर: 1986)	–	हरियाणा	1990	तमिलनाडु	हरियाणा	अधिकरण आदेश
52.	सुनील फरवाल	(आर आर: 1983)	–	उत्तर प्रदेश	1990	बिहार	महाराष्ट्र	चिकित्सा
53.	ए वी चतुर्वेदी	(आर आर: 1986)	–	उत्तर प्रदेश	1991	मणिपुर त्रिपुरा	बिहार	विवाह
54.	अन्सुली आर्य	(आर आर: 1989)	–	उत्तर प्रदेश	1991	कर्नाटक	बिहार	विवाह
55.	जी जयश्री	(आर आर: 1987)	–	दिल्ली	1991	असम मेघालय	तमिलनाडु	एन ई पालिसी
56.	आई ईश्वरी कुमुदिनी	(आर आर: 1988)	अ.जा.	आंध्र प्रदेश	1991	जम्मू-कश्मीर	आंध्र प्रदेश	चिकित्सा
57.	इसिता राय	(आर आर: 1991)	–	बिहार	1991	पंजाब	केरल	विवाह
58.	कुसुम जीत वेदी	(आर आर: 1979)	–	पंजाब	1991	नागालैण्ड	पंजाब	एन ई पालिसी
59.	मैत्रेयी दास	(आर आर: 1986)	–	राजस्थान	1991	सिक्किम	महाराष्ट्र	अनुकम्पा
60.	वी कुलश्रेष्ठ	(आर आर: 1989)	–	उत्तर प्रदेश	1991	असम मेघालय	बिहार	विवाह
61.	वी के जेना	(आर आर: 1979)	–	दिल्ली	1991	मणिपुर त्रिपुरा	उड़ीसा	एन ई पालिसी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	वसुधा शर्मा	(आर आर: 1987)	–	दिल्ली	1991	कर्नाटक	आंध्र प्रदेश	विवाह
63.	अर्चना अग्रवाल	(आर आर: 1990)	–	आंध्र प्रदेश	1992	ए जी एम यू टी	उत्तर प्रदेश	विवाह
64.	आरती ऋषि	(आर आर: 1990)	–	चंडीगढ़	1992	बिहार	उड़ीसा	विवाह
65.	मीना अहलूवा	(आर आर: 5)	–	राजस्थान	1992	जम्मू-कश्मीर	राजस्थान	एन ई पालिसी
66.	आर एन गुप्ता	(आर आर: 1979)	–	दिल्ली	1992	पश्चिम बंगाल	पंजाब	अनुकम्पा
67.	एस ए टेमडे	(आर आर: 1991)	अ.ज.जा.	महाराष्ट्र	1992	केरल	महाराष्ट्र	अनुकम्पा
68.	सौरव गर्ग	(आर आर: 1991)	–	उत्तर प्रदेश	1992	केरल	उड़ीसा	विवाह
69.	सुधीर गर्ग	(आर आर: 1990)	–	पंजाब	1992	मणिपुर त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	विवाह
70.	चन्दन गुरुवनी	(आर आर: 1991)	–	दिल्ली	1992	केरल	कर्नाटक	विवाह
71.	अमित यादव	(आर आर: 1991)	–	राजस्थान	1993	पश्चिम बंगाल	ए जी एम यू टी	विवाह
72.	अनीता भटनागर	(आर आर: 1985)	–	उत्तर प्रदेश	1993	गुजरात	उत्तर प्रदेश	अनुकम्पा
73.	अरविन्द कुमार	(आर आर: 1991)	अ.ज.जा.	दिल्ली	1993	गुजरात	आंध्र प्रदेश	विवाह
74.	वी.वी.आर. सुब्रह्मण्यियम	(आर आर: 1987)	–	आंध्र प्रदेश	1993	मणिपुर-त्रिपुरा	मध्य प्रदेश	विवाह
75.	कल्पना भटनागर	(आर आर: 1992)	–	उत्तर प्रदेश	1993	पश्चिम बंगाल	मध्य प्रदेश	विवाह
76.	किरण सोनी गुप्ता	(आर आर: 1985)	–	पंजाब	1993	केरल	राजस्थान	विवाह
77.	मधुकर गुप्ता	(आर आर: 1985)	–	पंजाब	1993	तमिलनाडु	राजस्थान	विवाह
78.	मनु श्रीवास्तव	(आर आर: 1991)	–	उत्तर प्रदेश	1993	जम्मू-कश्मीर	मध्य प्रदेश	विवाह
79.	नीलम शर्मा	(आर आर: 1992)	अ.ज.जा.	उत्तर प्रदेश	1993	असम-मेघालय	मध्य प्रदेश	विवाह
80.	सीमा एस. श्रेष्ठ	(आर आर: 1991)	–	कर्नाटक	1993	पश्चिम बंगाल	पंजाब	विवाह
81.	सीमा शर्मा	(आर आर: 1992)	–	उत्तर प्रदेश	1993	असम-मेघालय	महाराष्ट्र	पूर्वोत्तर नीति
82.	रुक्मणी रामकृष्ण	(आर आर: 1990)	–	बिहार	1993	बिहार	महाराष्ट्र	विवाह
83.	ए.एच. सामून	(आर आर: 1993)	अ.ज.जा.	जम्मू-कश्मीर	1994	आंध्र प्रदेश	जम्मू-कश्मीर	लोक हित
84.	आभा शुक्ला	(आर आर: 1993)	–	उत्तर प्रदेश	1994	पश्चिम बंगाल	महाराष्ट्र	विवाह
85.	आल्विन दीदार सिंह	(आर आर: 1976)	–	दिल्ली	1994	असम-मेघालय	पंजाब	विवाह
86.	डा. मंजू रानी	(आर आर: 1992)	–	दिल्ली	1994	एजीएमयूटी	राजस्थान	विवाह
87.	वी. अशोक कुमार	(आर आर: 1991)	–	केरल	1994	मणिपुर-त्रिपुरा	आंध्र प्रदेश	विवाह
88.	सतेंदेश चन्द्र	(आर आर: 1993)	–	राजस्थान	1994	एजीएमयूटी	महाराष्ट्र	विवाह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.	पी.के. चौधरी	(आर आर: 1979)	अ.जा.	पश्चिम बंगाल	1994	पश्चिम बंगाल	असम-मेघालय	विवाह
90.	पुनिया सलिला	(आर आर: 1993)	–	उत्तर प्रदेश	1994	उसम-मेघालय	एबीएमयूटी	पूर्वोत्तर नीति
91.	एस.के. श्रीवास्त	(आर आर: 1980)	–	उत्तर प्रदेश	1994	मणिपुर-त्रिपुरा	एबीएमयूटी	चिकित्सा
92.	सुकृति खोइरा	(आर आर: 1993)	–	चंडीगढ़	1994	मणिपुर-त्रिपुरा	हरियाणा	पूर्वोत्तर नीति
93.	सुप्रिया साहू	(आर आर: 1991)	अ.जा.	उत्तर प्रदेश	1994	बिहार	तमिलनाडु	विवाह
94.	उमाकांत पवार	(आर आर: 1991)	अ.जा.	हरियाणा	1994	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	विवाह
95.	अभिलाष एस. लिखी	(आर आर: 1990)	–	पंजाब	1995	तमिलनाडु	हरियाणा	विवाह
96.	बाबू लाल मीणा	(आर आर: 1991)	अ.ज.जा.	राजस्थान	1995	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	विवाह
97.	दीपाली रस्तोगी	(आर आर: 1994)	–	महाराष्ट्र	1995	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	विवाह
98.	दिपि गुराम	(आर आर: 1993)	–	महाराष्ट्र	1995	हिमाचल प्रदेश	हरियाणा	विवाह
99.	जी. लताकृष्णा राव	(आर आर: 1982)	–	आंध्र प्रदेश	1995	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	विवाह
100.	राज कमल	(आर आर: 1994)	–	हरियाणा	1995	हरियाणा	मध्य प्रदेश	विवाह
101.	राजकुमार शर्मा	(आर आर: 1987)	–	राजस्थान	1995	केरल	उड़ीसा	विवाह
102.	संजीव खिरवार	(आर आर: 1994)	–	दिल्ली	1995	तमिलनाडु	एबीएमयूटी	विवाह
103.	श्रीमती सोनिया बाली	(आर आर: 1994)	–	दिल्ली	1995	बिहार	महाराष्ट्र	विवाह
104.	अल्का तिवारी	(आर आर: 1990)	–	उत्तर प्रदेश	1996	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	विवाह
105.	अनिरुद्ध मुखर्जी	(आर आर: 1993)	–	उत्तर प्रदेश	1996	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	विवाह
106.	अतीश चन्द्र	(आर आर: 1994)	अ.जा.	राजस्थान	1996	मणिपुर-त्रिपुरा	बिहार	विवाह
107.	श्रीमती दीपाली रस्तोगी	(आर आर: 1994)	–	महाराष्ट्र	1996	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	विवाह
108.	श्रीमती दिपि गौर	(आर आर: 1993)	–	उत्तर प्रदेश	1996	बिहार	मध्य प्रदेश	विवाह
109.	श्रीमती दिपि गुरम	(आर आर: 1993)	–	महाराष्ट्र	1996	हिमाचल प्रदेश	हरियाणा	विवाह
110.	श्रीमती मंजू रानी	(आर आर: 1992)	–	दिल्ली	1996	एबीएमयूटी	राजस्थान	विवाह
111.	नीलम शर्मा (श्रीमती)	(आर आर: 1992)	अ.जा.	उत्तर प्रदेश	1996	असम-मेघालय	मध्य प्रदेश	विवाह
112.	नीरजा (श्रीमती)	(आर आर: 1993)	अ.जा.	पंजाब	1996	बिहार	हरियाणा	विवाह
113.	पल्लवी जैन (श्रीमती)	(आर आर: 1994)	–	दिल्ली	1996	सिक्किम	मध्य प्रदेश	विवाह
114.	राज कमल	(आर आर: 1994)	–	हरियाणा	1996	हरियाणा	मध्य प्रदेश	विवाह
115.	राज कुमार शर्म	(आर आर: 1987)	–	राजस्थान	1996	केरल	उड़ीसा	विवाह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116.	रंजना इंद्रा (श्रीमती)	(आर आर: 1994)	–	पंजाब	1996	बिहार	उड़ीसा	विवाह
117.	सीमा शर्मा (श्रीमती)	(आर आर: 1992)	–	उत्तर प्रदेश	1996	असम-मेघालय	महाराष्ट्र	विवाह
118.	शम्भू किल्लोलिकर	(आर आर: 1991)	अ.जा.	कर्नाटक	1996	पश्चिम बंगाल	तमिलनाडु	विवाह
119.	सोनिया खत्री (श्रीमती)	(आर आर: 1994)	–	दिल्ली	1996	बिहार	महाराष्ट्र	विवाह
120.	सुरेन्द्र सिंह	(आर आर: 1993)	अ.ज.जा.	राजस्थान	1996	जम्मू-कश्मीर	बिहार	उच्चतम न्यायालय का आदेश
121.	वी.के. सिंह	(आर आर: 1989)	–	बिहार	1996	हिमाचल प्रदेश	बिहार	विवाह
122.	अजीत कुमार सिंह	(आर आर: 1988)	–	उत्तर प्रदेश	1997	केरल	महाराष्ट्र	विवाह
123.	मुकेश कुमार मेसराम	(आर आर: 1995)	अ.जा.	मध्य प्रदेश	1997	जम्मू-कश्मीर	उत्तर प्रदेश	विवाह
124.	प्रदीप कुमार व्यास	(आर आर: 1989)	–	राजस्थान	1997	तमिलनाडु	महाराष्ट्र	विवाह
125.	बलवंत जनवर (श्रीमती)	(आर आर: 1991)	–	केरल	1997	उत्तर प्रदेश	महाराष्ट्र	विवाह
126.	अजीत कुमार	(आर आर: 1996)	–	पंजाब	1998	तमिलनाडु	एमएट	विवाह
127.	गौरव द्विवेदी	(आर आर: 1995)	–	उत्तर प्रदेश	1998	केरल	मध्य प्रदेश	विवाह
128.	मनिंदर कौर (श्रीमती)	(आर आर: 1995)	–	पंजाब	1998	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	विवाह
129.	मनीष भारद्वाज	(आर आर: 1997)	–	उत्तर प्रदेश	1998	नगालैण्ड	गुजरात	विवाह
130.	मुकेश कुमार	(आर आर: 1996)	–	बिहार	1998	केरल	गुजरात	विवाह
131.	रश्मी गुप्ता (श्रीमती)	(आर आर: 1997)	–	उत्तर प्रदेश	1998	कर्नाटक	पंजाब	विवाह
132.	एस.टी. उषाकुमारी (श्रीमती)	(आर आर: 1996)	अ.पि.व.	कर्नाटक	1998	उत्तर प्रदेश	उड़ीसा	विवाह
133.	शिव्रो शेखर शुक्ला	(आर आर: 1994)	–	उत्तर प्रदेश	1998	मणिपुर-त्रिपुरा	मध्य प्रदेश	विवाह
134.	शिखर अग्रवाल	(आर आर: 1993)	–	उत्तर प्रदेश	1998	मणिपुर-त्रिपुरा	राजस्थान	
135.	श्रीवत्सव कृष्ण	(आर आर: 1994)	–	दिल्ली	1998	एमएट	आंध्र प्रदेश	विवाह
136.	तेजवीर सिंह	(आर आर: 1994)	–	चंडीगढ़	1998	महाराष्ट्र	पंजाब	विवाह
137.	विनिता वैद (श्रीमती)	(आर आर: 1996)	–	हरियाणा	1998	बिहार	महाराष्ट्र	विवाह
138.	टिंकू विश्वास (सुश्री)	(आर आर: 1997)	–	उड़ीसा	1998	मणिपुर-त्रिपुरा	केरल	विवाह
139.	वी. चन्द्र मोहन	(आर आर: 1995)	अ.पि.व.	कर्नाटक	1999	सिक्किम	तमिलनाडु	विवाह
140.	सी.ई. खोंगथर	(आर आर: 1996)	अ.ज.जा.	मेघालय	1999	असम-मेघालय	मध्य प्रदेश	विवाह
141.	चन्द्र मोहन वी. (डा.)	(आर आर: 1995)	अ.पि.व.	कर्नाटक	1999	सिक्किम	तमिलनाडु	विवाह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142.	जी. जयलक्ष्मी	(आर आर: 1997)	अ.पि.व.	तमिलनाडु	1999	एगमुट	आंध्र प्रदेश	विवाह
143.	मुग्धा सिंहा	(आर आर: 1999)	–	उत्तर प्रदेश	1999	मणिपुर-त्रिपुरा	राजस्थान	विवाह
144.	नितिन एम. कुल्कर्णी	(आर आर: 1995)	–	महाराष्ट्र	1999	मणिपुर-त्रिपुरा	बिहार	विवाह
145.	राजीव कुमार	(आर आर: 1997)	अ.जा.	बिहार	1999	मणिपुरा-त्रिपुरा	पश्चिम बंगाल	विवाह
146.	राजेश कुमार सिंह	(आर आर: 1991)	–	बिहार	1999	मणिपुर-त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	विवाह
147.	संदीप वर्मा	(आर आर: 1993)	–	उत्तर प्रदेश	1999	असम-मेघालय	राजस्थान	विवाह
148.	सुशील कुमार	(आर आर: 1995)	अ.पि.व.	महाराष्ट्र	1999	मणिपुर-त्रिपुरा	उड़ीसा	विवाह
149.	अजय कुमार शर्मा	(आर आर: 1999)	–	राजस्थान	2000	असम-मेघालय	पंजाब	विवाह
150.	भास्कर ज्योति शर्मा	(आर आर: 1999)	–	असम-मेघालय	2000	नागालैण्ड	उड़ीसा	विवाह
151.	संजीव कुमार	(आर आर: 1998)	–	बिहार	2000	मणिपुर-त्रिपुरा	गुजरात	विवाह
152.	संयुक्ता समाद्धार	(आर आर: 1999)	अ.जा.	पश्चिम बंगाल	2000	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	विवाह
153.	विशाल गगन	(आर आर: 1998)	अ.पि.व.	बिहार	2000	केरल	उड़ीसा	विवाह
154.	ए. के. रस्तोगी	(आर आर: 1966)	–	उत्तर प्रदेश	2001	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश	शिकायत समिति
155.	अब्दुल कासीम फरूंखी	(एस.सी.एस.: 1986)	–	उत्तर प्रदेश	2001	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश	शिकायत समिति
156.	अजय चौहान	(आर आर: 1998)	–	दिल्ली	2001	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	विवाह
157.	अन्नु सिंह बाघेल (श्रीमती)	(एस.सी.एस.: 1994)	–	मध्य प्रदेश	2001	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश	शिकायत समिति
158.	आराधना पटनायक	(आर आर: 1998)	–	उड़ीसा	2001	उत्तरांचल	झारखंड	विवाह
159.	दया राम	(एस.सी.एस.: 1990)	अ.जा.	उत्तर प्रदेश	2001	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश	शिकायत समिति
160.	दिलिप मेहरा	(आर आर: 1975)	–	राजस्थान	2001	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश	शिकायत समिति
161.	दिनेश सिंह	(आर आर: 1982)	–	पंजाब	2001	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश	शिकायत समिति
162.	जी.एस. मिश्रा	(एस.सी.एस.: 2000)	–	मध्य प्रदेश	2001	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	शिकायत समिति
163.	एच.एल. बिर्दी	(आर आर: 1972)	अ.जा.	पंजाब	2001	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश	शिकायत समिति
164.	आई.एम. छहल (श्रीमती)	(आर आर: 1976)	–	पंजाब	2001	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश	शिकायत समिति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165.	मधुर व्यास	(आर आर: 2000)	अ.जा.	उत्तर प्रदेश	2001	हिमाचल प्रदेश	एगमुट	विवाह
166.	मो. सुलेमान	(आर आर: 1989)	–	उत्तर प्रदेश	2001	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश	शिकायत समिति
167.	नैना शर्मा (श्रीमती)	(आर आर: 1998)	अ.पि.व.	चंडीगढ़	2001	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	विवाह
168.	निहारिका बरिक	(आर आर: 1997)	–	उड़ीसा	2001	मणिपुर-त्रिपुरा	छत्तीसगढ़	विवाह
169.	पी.पी. शर्मा	(आर आर: 1971)	–	बिहार	2001	बिहार	झारखंड	शिकायत समिति
170.	रवीश कुमार	(आर आर: 1984)	–	उत्तर प्रदेश	2001	बिहार	झारखंड	शिकायत समिति
171.	संजीव दूबे	(आर आर: 1987)	–	बिहार	2001	केरल	उत्तर प्रदेश	विवाह
172.	संतोष के. मित्रा	(आर आर: 2000)	–	उत्तर प्रदेश	2001	एगमुट	तमिलनाडु	विवाह
173.	सबिता सी. चौहान (श्रीमती)	(आर आर: 1999)	अ.जा.	दिल्ली	2001	कर्नाटक	जम्मू-कश्मीर	विवाह
174.	सुधीर प्रसाद	(आर आर: 1981)	–	बिहार	2001	बिहार	झारखंड	शिकायत समिति
175.	वी. कार्तिकेय पांडियन	(आर आर: 2000)	अ.पि.व.	तमिलनाडु	2001	पंजाब	उड़ीसा	विवाह
176.	वी. वेन्नुराव	(आर आर: 2000)	अ.पि.व.	तमिलनाडु	2001	जम्मू-कश्मीर	कर्नाटक	विवाह
177.	अलकनंदा-दयाल	(आर आर: 2000)	अ.जा.	उत्तर प्रदेश	2002	बिहार	महाराष्ट्र	विवाह
178.	अंशु सिन्हा	(आर आर: 1999)	–	उत्तर प्रदेश	2002	बिहार	महाराष्ट्र	विवाह
179.	विमल कुल्का	(आर आर: 1979)	–	दिल्ली	2002	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश	शिकायत समिति
180.	चौरेन्द्र मित्रा	(एस.सी.एस.: 2001)	लागू नहीं	लागू नहीं	2002	बिहार	झारखंड	द्विभाजीकरण की नीति
181.	गिरिन्दर नारायण ठाकुर	(एस.सी.एस.: 2001)	लागू नहीं	लागू नहीं	2002	बिहार	झारखंड	द्विभाजीकरण की नीति
182.	हिमानी पांडे	(आर आर: 1998)	–	उत्तर प्रदेश	2002	बिहार	झारखंड	विवाह
183.	के. धनलक्ष्मी	(आर आर: 2000)	अ.पि.व.	कर्नाटक	2002	एगमुट	उत्तर प्रदेश	विवाह
184.	कुमार अरुण	(एस.सी.एस.: 2001)	लागू नहीं	लागू नहीं	2002	बिहार	झारखंड	द्विभाजीकरण
185.	मनीकांत आचार	(एस.सी.एस.: 2001)	लागू नहीं	लागू नहीं	2002	बिहार	झारखंड	द्विभाजीकरण की नीति
186.	मिलिन्द एस. टोराणे	(आर आर: 2000)	अ.पि.व.	महाराष्ट्र	2002	असम-मेघालय	गुजरात	विवाह
187.	मोहन लाल राय	(एस.सीएस.: 2001)	लागू नहीं	बिहार	2002	बिहार	झारखंड	द्विभाषीकरण की नीति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188.	निधि पांडे	(आर आर: 2001)	–	उत्तर प्रदेश	2002	केरल	महाराष्ट्र	विवाह
189.	निकुंज कुमार श्रीवास्तव	(आर आर: 1998)	–	उत्तर प्रदेश	2002	जम्मू-कश्मीर	मध्य प्रदेश	विवाह
190.	राहुल के पुरवार	(आर आर: 1999)	–	उत्तर प्रदेश	2002	एजीएमयूटी	झारखंड	विवाह
191.	एस.सी. वर्धन	(आर आर: 1973)	–	उड़ीसा	2002	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश	शिकायत समिति
192.	सोनाली आर पोंकशे (श्रीमती)	(आर आर: 2000)	–	महाराष्ट्र	2002	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	विवाह
193.	विजेन्द्र कुमार सिन्हा	(एस.सी.एस.: 2001)	लागू नहीं	लागू नहीं	2002	बिहार	झारखंड	द्विभाजीकरण नीति
194.	के. शिवाजी	(आर आर: 1986)	–	बिहार	2003	केरल	महाराष्ट्र	उच्चतम न्यायालय का आदेश
195.	भूपिन्दर कौर (श्रीमती)	(आर आर: 1997)	अ.जा.	पंजाब	2003	आंध्र प्रदेश	उत्तरांचल	विवाह
196.	कृष्ण कुमार	(आर आर: 2002)	–	हरियाणा	2003	नागालैण्ड	उड़ीसा	विवाह
197.	मंदिप के भण्डारी	(आर आर: 2001)	–	पंजाब	2003	मणिपुर-त्रिपुरा	जम्मू-कश्मीर	विवाह
198.	एन. नवीन सोना	(आर आर: 2000)	अ.जा.	तमिलनाडु	2003	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	विवाह
199.	विजय लक्ष्मी बिदारी	(आर आर: 2001)	–	कर्नाटक	2004	असम-मेघालय	महाराष्ट्र	विवाह
200.	गिरधारी लाल	(एस.सी.एस.)	लागू नहीं	लागू नहीं	2004	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	द्विभाजीकरण नीति
201.	जयश्री एस. भोज	(आर आर: 2003)	अ.जा.	कर्नाटक	2004	उत्तर प्रदेश	महाराष्ट्र	विवाह
202.	कुमार राहुल	(आर आर: 2000)	–	बिहार	2004	बिहार	पंजाब	विवाह
203.	अमित सिंघला	(आर आर: 2003)	–	पंजाब	2004	प. बंगाल	एजीएमयूटी	विवाह
204.	रितु सिंह	(आर आर: 2003)	अ.पि.व.	राजस्थान	2004	मणिपुर-त्रिपुरा	छत्तीसगढ़	विवाह
205.	मुनीष मुद्गल	(आर आर: 1998)	–	पंजाब	2004	उड़ीसा	कर्नाटक	विवाह
206.	स्वामी डी.वी.	(आर आर: 2001)	अ.जा.	कर्नाटक	2004	मणिपुर-त्रिपुरा	उड़ीसा	विवाह
207.	रितु सिंगला	(आर आर: 2003)	–	पंजाब	2005	जम्मू-कश्मीर	उत्तर प्रदेश	विवाह
208.	पूजा कुलकर्णी	(आर आर: 2003)	–	कर्नाटक	2005	कर्नाटक	तमिलनाडु	विवाह
209.	आर. किरलोश कुमार	(आर आर: 2001)	अ.पि.व.	कर्नाटक	2005	मणिपुर-त्रिपुरा	तमिलनाडु	विवाह
210.	मृणालिणी दर्शवाल	(आर आर: 2002)	–	जम्मू-कश्मीर	2005	मणिपुर-त्रिपुरा	उड़ीसा	विवाह
211.	नितेश कुमार झा	(आर आर: 2002)	–	बिहार	2005	मणिपुर-त्रिपुरा	सिक्किम	विवाह
212.	अर्चना	(आर आर: 2002)	अ.ज.जा.	राजस्थान	2005	मणिपुर-त्रिपुरा	पश्चिम बंगाल	विवाह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.	अंबाजगन पी.	(आर आर: 2004)	अ.पि.व.	तमिलनाडु	2005	उड़ीसा	छत्तीसगढ़	विवाह
214.	रोहित कुमार सिंह	(आर आर: 1989)	–	उत्तर प्रदेश	2005	मणिपुर-त्रिपुरा	राजस्थान	विवाह
215.	प्रियंका बसु इन्ति	(आर आर: 2004)	अ.ज.जा.	असम	2005	तमिलनाडु	हिमाचल प्रदेश	विवाह
216.	अमनीत रतन	(आर आर: 2001)	अ.जा.	पंजाब	2005	सिक्किम	हरियाणा	विवाह
217.	रमन रवि नाथ मवाप	(आर आर: 2004)	–	महाराष्ट्र	2005	पश्चिम बंगाल	उत्तरांचल	विवाह
218.	पिंकी जोक्षल	(आर आर: 2003)	अ.जा.	हरियाणा	2005	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	विवाह
219.	अमृता सेनी	(आर आर: 2003)	–	बिहार	2005	छत्तीसगढ़	उत्तर प्रदेश	विवाह
220.	वासुदेव पुरुषार्थ	(आर आर: 2002)	–	बिहार	2006	मणिपुर-त्रिपुरा	पंजाब	विवाह
221.	सुहासिनी अग्रवाल	(आर आर: 2005)	–	राजस्थान	2006	जम्मू-कश्मीर	गुजरात	विवाह
222.	संजय कुमार	(आर आर: 2002)	–	बिहार	2006	मणिपुर-त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	विवाह
223.	के. मल्लिकार्जुन	(आर आर: 2005)	अ.पि.व.	तमिलनाडु	2006	उत्तर प्रदेश	आंध्र प्रदेश	विवाह
224.	अंकुर शर्मा	(आर आर: 2003)	–	पंजाब	2006	मणिपुर-त्रिपुरा	एजीएमयूटी	विवाह
225.	सिद्धार्थ महाजन	(आर आर: 2003)	–	दिल्ली	2006	उत्तरांचल	राजस्थान	विवाह
226.	अभिनव चन्द्रावत	(आर आर: 2003)	–	राजस्थान	2006	नगालैण्ड	छत्तीसगढ़	विवाह

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

3165. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों के कार्यों में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के बारे में केंद्र सरकार के पास लंबित महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रस्ताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत कब तक दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना के अंतर्गत क्रमश: 46.80 करोड़ रु. की धनराशि के 16 प्रस्ताव और 74.13 करोड़ की धनराशि के 31 प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें से, उत्तर प्रदेश से संबंधित 15. 09 करोड़ रुपए की धनराशि के 8 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। दोनों ही राज्यों के शेष प्रस्ताव जांच के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं और उनकी मंजूरी तकनीकी आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए महाराष्ट्र से 3 प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश से 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके ब्योरे संलग्न विवरण

में दिए गए हैं। इस समय, विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर ही जोर दिया जा रहा है और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित देश में और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण

राज्य का नाम	विवरण	लगभग लंबाई (कि.मी.)
महाराष्ट्र	1. तटीय सड़क	733.87
	2. अकोला-नांदेड़-डुगूलूर-रायचूर	–
	3. कोल्हापुर-शोलापुर-लातूर-नांदेड़-यानतोल-वर्धा-नागपुर	457.00
	जोड़	1190.870
उत्तर प्रदेश	1. कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158
	2. सिरसागंज-करहल-किशनी-विधुना-चौबेपुर सड़क	161.53
	3. बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क	262.39
	4. जगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ सड़क	79.00
	5. फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद सड़क	181.960
	6. लूम्बिनी-दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
	जोड़	758.093

कोयले की आपूर्ति में एकाधिकार

3166. श्री धनुषकोडी आर. अथियन: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू और नान-केप्टिव कंज्यूमर्स को कोयले की आपूर्ति के संबंध में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के एकाधिकार को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कुल मिलाकर कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा स्वदेशी और नॉन-केप्टिव उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की जाती है। इस समय, स्वदेशी और नॉन-केप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कोल इंडिया लि./सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा कोयले की आपूर्ति की मौजूदा प्रक्रिया में परिवर्तन का काई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारत-चीन सीमा वार्ता

3167. श्री के. सुब्बारायण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच आठवें दौर की सीमा वार्ता हाल ही में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच कितना द्विपक्षीय व्यापार होता है; और

(घ) दोनों देशों के बीच वर्तमान सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों क्रमश: श्री एम.के. नारायणन, राष्ट्रीय सलाहकार और श्री दाई बिंगो, कार्यपालक उप विदेश मंत्री के बीच भारत-चीन सीमा के प्रश्न पर आठवें दौर की वार्ता 25 जून से 27 जून 2006 तक छियन और बीजिंग में हुई। विशेष प्रतिनिधियों ने अपने विचार-विमर्श, "भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनैतिक तौर तरीके और मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर करार" जो 11 अप्रैल, 2005 को संपन्न हुआ था के आधार पर सीमा के समाधान हेतु एक सहमत रूपरेखा पर जारी रखे। वार्ता मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक और रचनात्मक वातावरण में हुई ।

(ग) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान भारत-चीन के बीच 17.46 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ।

(घ) वर्तमान में भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान मई 1988 में दोनों पक्षों के बीच संपन्न सांस्कृतिक करार तथा उपर्युक्त करार के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में संपन्न होने वाले सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तत्वावधान में आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा भारत और चीन के बीच परंपरागत सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए दोनों पक्षों ने हाल ही में कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए 2006 को भारत-चीन मैत्री वर्ष के रूप में मानने के लिए यादगार गतिविधियों के एक भाग स्वरूप दोनों देशों में सांस्कृतिक कार्य-कलापों का आयोजन किया जा रहा है। अप्रैल 2005 में दोनों पक्षों के बीच संपन्न एक करार के अंतर्गत चीन के हेनान प्रांत लूयांग में एक भारतीय शैली का बौद्ध मंदिर निर्माणधीन है। जून, 2003 में चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय में भारत-अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया था। दोनों पक्ष एक-दूसरे की राजधानियों में सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करने पर भी सहमत हुए।

[हिन्दी]

बीएसएनएल द्वारा अधिक किराया वसूला जाना

3168. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किराए की वसूली हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा नगरपालिका को दूरभाष केंद्र से जोड़े जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसके कारण उपभोक्ताओं द्वारा अदा किए जाने वाले किराए में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं से अधिक किराया वसूल करने के मुद्दे पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) नगर पालिका को टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ने के लिए बीएसएनएल द्वारा कोई नए आदेश नहीं जारी किए गए हैं। किराया प्रभार अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र की एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं जैसाकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 में निर्धारित किया गया है।

(ख) बीएसएनएल ने हाल में स्थिर (फिक्स्ड) लाइन सेवा के किराए को 250 रुपए प्रतिमाह से घटाकर 180 रुपए प्रतिमाह और 210 रुपए प्रतिमाह से घटाकर 150 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। अत: किराए में वृद्धि किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उठाए गए मुद्दे के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ट्राई द्वारा सिफारिशें

3169. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा क्या सिफारिशें की गईं;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार और कार्यान्वित की गई; और

(ग) शेष सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) ट्राई द्वारा दूरसंचार सेवाओं के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर वर्ष 2003-2004 के दौरान की गई सिफारिशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) संलग्न विवरण में ट्राई द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश वास्तव में अनेक प्रस्तावों को ध्यान में रखकर की गई है। वर्ष 2003-2004 के दौरान प्राप्त हुई 33 सिफारिशों में से सरकार द्वारा 13 सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लागू कर दिया गया है।

(ग) सरकार दूरसंचार क्षेत्र की समग्र परिस्थिति पर विचार करने के बाद ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा नहीं करने के बारे में अपना इरादा बनाती है।

विवरण

ट्राई की सिफारिशें

क्र.सं.	शीर्षक
1	2
1.	भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (निक्सी) की प्रभावोत्पादकता में सुधार हेतु उपायों की सिफारिशें करते हुए सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र।
2.	अभिगम्यता प्रदाताओं द्वारा यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाट) जैसी मूल्य वर्धित अंतरा-नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए * और # का उपयोग करने की अनुमति देने हेतु सिफारिशें
3.	प्रसारण और दूरसंचार में अभिसारित और प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें
4.	अगली पीढ़ी के नेटवर्कों पर सिफारिशें
5.	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर सिफारिशें
6.	वायरलेस नेटवर्कों में उच्च गति की डाटा सेवओं की अभिगम्यता हेतु #, $, £ आदि वाले स्ट्रिंग्स के उपयोग की अनुमति देने हेतु सिफारिशें
7.	भारत में आईपी V4 से आईपी V6 तक परिवर्तन के संबंध में सिफारिशें
8.	अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट पट्टे के सर्किटों (आईपीएलसी) वाले खण्ड में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के संबंध में सिफारिशें।
9.	ब्राडबैंड नीति की पुनरीक्षा हेतु तथा ब्रॉडबैंड हेतु लोकल लूप का आबंटन तथा वित्तीय प्रोत्साहनों के संबंध में ट्राई की सिफारिशों पर पुनर्विचार करने हेतु सिफारिशें।
10.	ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास के संबंध में सिफारिशें।
11.	केबल टेलीविजन के डिजिटलीकरण के संबंध में सिफारिशें।
12.	निजी स्थलीय टेलीविजन प्रसारण सेवा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें।
13.	वीपीएन से संबंधित मुद्दों पर ट्राई की सिफारिशें।
14.	उपग्रह रेडियो सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें।
15.	स्पेक्ट्रम संबंधी मुद्दों पर ट्राई की सिफारिशें।
16.	टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन और निर्देशिका पूछताछ सेवाओं के संबंध में सिफारिशें।
17.	एकीकृत लाइसेंसिंग के संबंध में सिफारिशें।
18.	सामुदायिक रेडियों स्टेशनों से संबंधित लाइसेंसिंग के मुद्दों पर सिफारिशें।
19.	ट्राई के वित्त पोषण के संबंध में सिफारिशें।
20.	प्रसारण और टीवी चैनलों के वितरण से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें।
21.	प्राइवेट एफएम रेडियों प्रसारण के दूसरे चरण के संबंध में ट्राई की सिफारिशें।

1	2
22.	लोकपाल के पद के संबंध में ट्राई की सिफारिशें।
23.	इंटरनेट के विकास और ब्राडबैंड के प्रसार की गति तीव्र करने के संबंध में सिफारिशें।
24.	उपभोक्ता के परिसर तक कॉपर केबल बिछाने के लिए आईएसपी को अनुमति देने संबंधी सिफारिशें।
25.	अंतरा-सर्किल विलय तथा अधिग्रहण के दिशा-निर्देशों के संबंध में सिफारिशें।
26.	अवसंरचना प्रदाता-II के लिए लाइसेंस शुल्क और बैंक गारण्टी छोड़ देने हेतु सिफारिशें।
27.	एकीकृत अभिगम सेवाओं के लाइसेंस के माइग्रेशन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में नंबरिंग के मुद्दों पर सिफारिशों के संबंध में सचिव दूरसंचार विभाग को अध्यक्ष का पत्र।
28.	माननीय टीडीएसएटी के आदेश पर आधारित ट्राई से संबंधित डब्ल्यूएलएल(एम) के मुद्दों के संबंध में सिफारिशें।
29.	एकीकृत अभिगम लाइसेंसिंग के संबंध में ट्राई की सिफरिशें।
30.	सीयूजी नेटवर्क की स्थापना हेतु अनेक सेवा प्रदाताओं से संसाधनों के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण।
31.	सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सीएमएसपी) को नए लाइसेंस जारी करने के संबंध में ट्राई की सिफारिशें।
32.	इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए कतिपय आईपी यंत्रों के उपयोग हेतु सिफारिशें।
33.	सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्स सेवा (पीएमआरटीएस) से संबंधित मुद्दों पर ट्राई की सिफारिशें।

[हिन्दी]

उपरिपुलों का निर्माण

3170. श्री ब्रजेश पाठक: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर केंद्रीय सहायता से किन-किन स्थानों पर उपरिपुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है; और

(ग) तत्संबंधी परियोजना-वार ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राज्य सरकारों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरि पुलों के चालू कार्यों के राज्यवार विवरण संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं। केंद्र सरकार उपरि पुलों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पैकेज आधार पर कार्य सौंपता है जिससे पुलों/अवसंरचना के निर्माण के साथ ही 4/6 लेन बनाना शामिल होता है। और उपरि पुलों के लिए अलग-अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जाने वाले उपरि पुलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

विवरण I

राज्य सरकारों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरि पुलों के चालू निर्माण कार्यों के 31 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	रा.रा. सं.	स्थान का नाम	स्वीकृत/परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	19 किमी. पर आर ओ बी के पहुंच मार्गों का निर्माण	28ए	सिंधिया	4.95
2.	बिहार	279 किमी. पर मानसी-महेशकुंट के बीच लेवल क्रासिंग संख्या-28 पर आर ओ बी का निर्माण	31	चुटकी	7.51

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	114/4 किमी. में तिपरा क्रासिंग पर आर ओ बी	200	विलासपुर	14.67
4.	हरियाणा	354.00 किमी. पर रोहतक में आर ओ बी का निर्माण	71	रोहतक	18.37
5.	केरल	रा.रा.-17 के दोनों ओर 280.80 मी. लंबे वायाडक्टों सहित 437/375 किमी. आर ओ बी के पहुंचमार्गों का निर्माण	17	इडापल्ली	17.92
6.	मध्य प्रदेश	537/2 किमी. में मैक्सी पर आर ओ बी का निर्माण	3	मैक्सी	9.6
7.	तमिलनाडु	183/4 किमी. में लालापेट आर ओ बी का निर्माण	67	लालापेट	27.79
8.	पश्चिम बंगाल	1.806 किमी. में सियालदाह-बोनगांव रेलवे लाइन के ऊपर आर ओ बी (बेलघोरिया एक्सप्रैसवे परियोजना के निर्माणाधीन)	–	कोलकाता के समीप	कुल परियोजना लागत = 129.03 करोड़ रु. (दोनों आर ओ बी की लागत = 15.36 करोड़ रु.)
9.	पश्चिम बंगाल	5.129 किमी. में सियालदाह-रानाघाट रेलवे लाइन के ऊपर आर ओ बी (बेलघोरिया एक्सप्रैसवे परियोजना के निर्माणाधीन)			

टिप्पणी: आर ओ बी: सड़क उपरि पुल

विवरण-II

सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरि पुलों के चालू निर्माण कार्यों के 31 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	रा.रा. सं.	स्थान का नाम	स्वीकृत/परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1.	त्रिपुरा	0.290 कि.मी. पर आर ओ बी	44	करीमगंज बाइपास	1.77
2.	त्रिपुरा	1.850 कि.मी. पर आर ओ बी	44	करीमगंज बाइपास	1.50

विवरण-II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरि पुलों के चालू निर्माण कार्यों के 31 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम (कि.मी./स्पैन)	रा.रा. सं.	स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1.	बिहार	मुजफ्फरपुर से पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कि.मी. 360 से कि.मी. 520	28	कुचायकोट (कि.मी. 369), बंगरी (कि.मी. 453) व सासलपुर (कि.मी. 517)
2.	बिहार	मुजफ्फरपुर से पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कि.मी. 0.00 से कि.मी. 310	57	दरभंगा (कि.मी. 61.940), सकरी (कि.मी. 83.840), झंझारपुर (कि.मी. 105.880), प्रतापगंज (कि.मी. 212.351), मरहानगंज (कि.मी. 223.782), फारबिसगंज (कि.मी. 239.00), सिमराहा (कि.मी. 250.00)
3.	बिहार	बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के कि.मी. 410 से 419 और कि.मी. 470 से 476.150 कि.मी.	31	किशनगंज आर ओ बी/कि.मी. 470.586-कि.मी. 471.433
4.	बिहार	रा रा-31 के कि.मी. 419 से 477	31	किशनगंज फ्लाईओवर/कि.मी. 472.84-कि.मी. 474.515
5.	बिहार	कि.मी. 112	2	फ्लाईओवर (छतौंदी)
6.	बिहार	कि.मी. 119	2	फ्लाईओवर (सेमरा)
7.	बिहार	कि.मी. 211.5	2	फ्लाईओवर (सेमरी)
8.	बिहार	कि.मी. 222	2	फ्लाईओवर (खोसी)
9.	पश्चिम बंगाल	रा रा-31 के कि.मी. 419 से 447	31	डलखोला फ्लाईओवर/कि.मी. 444.460-कि.मी. 445.200
10.	पश्चिम बंगाल	रा रा-31 के कि.मी. 526 से 551	31	528.60 कि.मी. के सिलीगुड़ी-इस्लामपुर खंड पर खोरीबाड़ी में आर ओ बी
11.	असम	रा रा-31 की के बिजनी से पश्चिम बंगाल सीमा खंड के कि.मी. 93.0 कि.मी. 60.00 कि.मी. तक चार लेन करना	31सी	चौलिखांगरी और चपाकाटा (सीएच कि.मी. 79.90 और कि.मी. 87.50)
12.	असम	असम में रा रा-31 के नलबाड़ी से बिजनी खंड के कि.मी. 1040.30 से 1013.00 कि.मी. तक चार लेन करना	31	पटशाला (सीएच कि.मी. 1029.0)
13.	असम	असम में रा रा-31 के गुवाहाटी से नलबाड़ी खंड के कि.मी. 1093 से 1065 कि.मी. तक चार लेन करना	31	मलाडाड और रंगिया (सी ए, कि.मी., 1075.32 और 1083.085)
14.	असम	असम में रा रा-31 के गुवाहाटी से नलबाड़ी खंड के कि.मी. 1121 से 1093 कि.मी. को चार लेन का करना	31	संगसारी (सीएच कि.मी. 1113.8)
15.	असम	असम में रा रा-37 के नौगांव से धर्मतुल खंड के कि.मी. 255.05 से 230.50 कि.मी. तक चार लेन करना	37	नागांव (सीएच कि.मी. 240.110)
16.	असम	असम में गुवाहाटी बाइपास खंड पर फ्लाईओवर सहित कि.मी. 146.00 से 156.00 कि.मी. तक सेवा सड़क का निर्माण	37	गुवाहाटी बाइपास (सीएच.कि.मी. 154)
17.	असम	असम में रा रा-37 के खेरनपुर से गुवाहाटी खंड के कि.मी. 183.00 से 163.90 कि.मी. तक चार लेन करना	37	केन्द्रपाड़ा और खेरनपुर (सीएच कि.मी. 164 और कि.मी. 171)
18.	असम	असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के नौगांव से धर्मतुल खंड के 262.725 से 255.00 कि.मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के नौगांव बाइपास (280.570.5 कि.मी. के सामीप राष्ट्रीय राजमार्ग 36 जंक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के 262.7250 कि.मी. तक) चार लेन करना	नागांव बाइपास	नागांव बाइपास (सीएच कि.मी. 0.750)

1	2	3	4	5
19.	असम	असम में रा रा-54 के मैदंग से तुम्बिडंग खंड के 127.111 कि.मी. तक चार लेन बनाना	54	कलबंद (सीएच कि.मी. 122.750)
20.	असम	असम में रा रा-54 के सिलचर से बालचेरा खंड के 306.54 से 275 कि.मी. तक चार लेन बनाना	54	सिलचर (सीएच कि.मी. 306.54)
21.	पश्चिमी बंगाल	बी ओ टी आधार पर द्वितीय विवेकानंद पुल परियोजना तथा 668.819 कि.मी. बैली पर आर ओ बी	2	बैली हावड़ा
22.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	हापुड़ बाइपास/58.800 कि.मी. बैनेब के अंतिम छोर पर सोहनपुर में फ्लाईओवर
23.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	बाबूगढ़/बैनेब कि.मी. 61.60 पर ओवर पास
24.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	उपहेड़ा/बैनेब 65.621 कि.मी. पर ओवर पास
25.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	कुचेसर/बैनेब 68.663 कि.मी. पर ओवर पास
26.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	सिंघोड़ा/बैनेब 71.190 कि.मी. पर ओवर पास
27.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	सिंघोली/बैनेब 75.288 कि.मी. पर ओवर पास
28.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	बक्सर/बैनेब 76.988 कि.मी. पर ओवर पास
29.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	अटखेरी/बैनेब 81.370 कि.मी. पर ओवर पास
30.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 किमी. (गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	गढ़मुक्तेश्वर/बैनेब 86.025 कि.मी. पर फ्लाईओवर
31.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से 93 से 149.25 कि.मी. (गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद)-पैकेज 2 तक चार लेन बनाना	24	गजरौला/बैनेब 103.521 कि.मी. पर ओवर पास
32.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	गजरौला/बैनेब 105.690 कि.मी. पर फ्लाईओवर
33.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	रजबपुर/बैनेब 117.400 कि.मी. पर ओवर पास
34.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	जोया/बैनेब 127.345 कि.मी. पर ओवर पास
35.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	दिदौली बैनेब 132.525 कि.मी.
36.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	सुधनपुर बैनेब 137.300 कि.मी.
37.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर)-पैकेज 1 तक चार लेन बनाना	24	चौधरपुर बैनेब 140.615 कि.मी.

1	2	3	4	5
38.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से मुरादाबाद)-पैकेज I एवं चार लेन बनाना	24	लोधीपुर पैकेज 143.580 कि.मी.
39.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से मुरादाबाद)-पैकेज I एवं चार लेन बनाना	24	पचवारा पैकेज 146.500 कि.मी.
40.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से मुरादाबाद)-पैकेज I एवं चार लेन बनाना	24	पचवारा पैकेज 147.392 कि.मी.
41.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से मुरादाबाद)-पैकेज I एवं चार लेन बनाना	24	नया मुरादाबाद पर फ्लाईओवर, मुरादाबाद के अंतर्गत पर मालवा/पैकेज 148.668 कि.मी.
42.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 58 से 93 कि.मी. (हापुड़ से मुरादाबाद)-पैकेज I एवं चार लेन बनाना	24	रेलवे सेक्शन डबलिंग पर 180.300 कि.मी. पर आर ओ बी
43.	उत्तर प्रदेश	सहायक महायान/कि.मी. 1.695-आर ओ बी	–	सहायक महायान
44.	उत्तर प्रदेश	सहायक महायान/कि.मी. 3.35-आर ओ बी	–	सहायक महायान
45.	उत्तर प्रदेश	सहायक महायान/कि.मी. 8.737	–	सहायक महायान (सुलतानपुर सड़क पर फ्लाईओवर)
46.	उत्तर प्रदेश	सहायक महायान/कि.मी. 13.130-आर ओ बी	–	सहायक महायान
47.	उत्तर प्रदेश	सहायक महायान/कि.मी. 16.121	–	सहायक महायान (रायबरेली सड़क पर फ्लाईओवर)
48.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 59.64 (आर ओ बी)	25	डब्बल
49.	उत्तर प्रदेश	चन्दू पुल से रायबरेली डबलिंग/77.277 से 80.588 कि.मी. (खलासपर)	25	रायबरेली डबलिंग पर महायान पुल
50.	उत्तर प्रदेश	मेरठ-मुजफ्फरनगर (64/400, 87/200 और 114/0 कि.मी. पर 3 आर ओ बी)	58	मेरठ महायान, सरधाना रोड, मुजफ्फरनगर महायान
51.	उत्तर प्रदेश	9.000 से 360 कि.मी. तक सहायक-मुजफ्फरपुर सेक्शन	28	खतौली (कि.मी. 24.45), सलेमपुर (कि.मी. 82.815), पैजनिया महायान (कि.मी. 12, 2 व 11.6), बस्ती (कि.मी. 200.838), गोरखपुर (गोरखपुर महायान के कि.मी. 244.2 व 25.945)
52.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 91.00 से कि.मी. 104.00	25	झांसी महायान (97.083) पर रा रा-3 डबलिंग में फ्लाईओवर नं. 1 और झांसी महायान (96.32, 101.401) पर आर ओ बी संख्या 2.
53.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 104.00 से कि.मी. 170.00	25	आर ओ बी-1 (परीछा के समीप (121.53))
54.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 170.00 से कि.मी. 220.00	25	आर ओ बी-1 (उर्दू महायान पर (217))
55.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 239.441	2	फ्लाईओवर (फिरोजाबाद)
56.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 218.341	2	आर ओ बी (टूंडला)
57.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 264.500	2	आर ओ बी (शिकोहाबाद)
58.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 478	2	आर ओ बी (6/1), कानपुर, महायान
59.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 492	2	आर ओ बी (19/1), कानपुर, महायान
60.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 11 (कानपुर-महानगरी खंड)	2	आर ओ बी (फफेंदी)
61.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 160.161 (इलाहाबाद महायान)	2	ग्रेड सेपरेटर (फोलपुर)
62.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 185.544	2	फ्लाईओवर (नवाबगंज)

1	2	3	4	5
63.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 188.749	2	आर ओ बी (कनिया और माधापुर)
64.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 196.605	2	फ्लाईओवर (शिवगढ़)
65.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 199.810	2	आर ओ बी (अबदुलपुर-दुलापुर)
66.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 209.075	2	आर ओ बी (डेरापत्थर)
67.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 216.816	2	फ्लाईओवर (भरतपुर)
68.	उत्तर प्रदेश	कि.मी. 240.575	2	आर ओ बी सह ग्रेड सेपरेटर (इंद्रिय)
69.	राजस्थान	स्वरूपगंज से बेकरिया/0.406 (आर ओ बी)	76	पिंडवाड़ा (सिरोही)
70.	राजस्थान	स्वरूपगंज से बेकरिया/0 + 000 (फ्लाईओवर)	76	पिंडवाड़ा (सिरोही)
71.	राजस्थान	गोगुंदा से उदयपुर/95 + 080 (फ्लाईओवर)	76	अम्बेरी (उदयपुर)
72.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़ बाइपास (राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के 159.000 से रा रा-76 से कि.मी. 213.000 कि.मी. को जोड़ते हुए)	79 व 76	चित्तौड़गढ़
73.	राजस्थान	भरतपुर-माल्या (64/3 पर आर ओ बी)	11	सीवर
74.	राजस्थान	माल्या-जयपुर (178/2 पर आर ओ बी)	11	दौसा
75.	राजस्थान	कि.मी. 213.00 से कि.मी. 253.00	76	फ्लाईओवर सं. 2 (राष्ट्रीय राजमार्ग 79 जंक्शन (0.0) पर, सलाम ग्रेड जंक्शन (5.16) पर और आर ओ बी सं. 1 (चित्तौड़गढ़ बाइपास (6.36))
76.	राजस्थान	कि.मी. 253.00 से कि.मी. 316.00	76	फ्लाईओवर-1 (सरपुरा क्रासिंग पर (301))
77.	राजस्थान	कि.मी. 406.00 से कि.मी. 449.15	76	फ्लाईओवर-1 (टाथेड (411) और आर ओ बी-1 (चंचल फर्टिलाइजर पर (431.8)
78.	राजस्थान	कि.मी. 449.15 से कि.मी. 509.00	76	फ्लाईओवर 2 रा रा-90 क्रासिंग (473) (राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (476)) और आर ओ बी-1 (रा रा-90 क्रासिंग के समीप (476))
79.	गुजरात	राधनपुर-डीसा खंड के 458.00 से 372.60 कि.मी.	14	भिलाडी कि.मी. 394.70 (आर ओ बी)
80.	गुजरात	राधनपुर-डीसा खंड कि.मी. 458.00 से कि.मी. 372.60	14	डीसा कि.मी. 378.20 (ग्रेड सेपरेटर)
81.	गुजरात	राधनपुर-डीसा खंड कि.मी. 458.00 से कि.मी. 372.60	14	राधनपुर कि.मी. 458.43 (ग्रेड सेपरेटर)
82.	गुजरात	भानोधर-राधनपुर खंड कि.मी. 245.00 से कि.मी. 138.80	15	मालगढ़ (वराही) कि.मी. 161.20 (आर ओ बी)
83.	गुजरात	भानोधर खंड कि.मी. 245.00 से कि.मी. 138.80	15	अदेसर कि.मी. 217.40 (आर ओ बी)
84.	गुजरात	भरुच-भानोधर खंड कि.मी. 254.00 से कि.मी. 308.00 और कि.मी. 281.30 से कि.मी. 245.00	8 ए व 15	समलाया कि.मी. 281.10 (आर ओ बी) मलियाना मियाना कि.मी. 267.10 (आर ओ बी), हरीपुरा (मलिया) कि.मी. 271.74 (आर ओ बी) और समलाया कि.मी. 281.66 (ग्रेड सेपरेटर)
85.	गुजरात	वामनबोर-भरुच खंड कि.मी. 182.60 से कि.मी. 254.00	8ए	वामनबोर कि.मी. 182.61 (ग्रेड सेपरेटर) और वाकानेर कि.मी. 210.70 (आर ओ बी)
86.	गुजरात	जैतपुर से मोडल और राजकोट बाइपास खंड	8बी	राजकोट बाइपास कि.मी. 175.38 (आर ओ बी)

1	2	3	4	5
87.	मुक्तसर	(कि.मी. 117.00 से कि.मी. 143.00 और कि.मी. 175.00 से कि.मी. 185.00) और विद्यमान चार लेन का सुधार (कि.मी. 143.00 से कि.मी. 175.00 (मुक्तसर)-(बी ओ टी)	हवी	मोहत कि.मी. 142.55 (ग्रेड सेपरेटर)
88.	मुक्तसर	(कि.मी. 117.00 से कि.मी. 143.00 और कि.मी. 175.00 से कि.मी. 185.00) और विद्यमान चार लेन का सुधार (कि.मी. 143.00 से कि.मी. 175.00 (मुक्तसर)-(बी ओ टी)	हवी	राजकोट खाइयास कि.मी. 184.39 (ग्रेड सेपरेटर)
89.	मुक्तसर	भिसाडी-बैलपुर खंड कि.मी. 52.50 से कि.मी. 117.00	हवी	कि.मी. 76.20 उपसेटा खाइयास (आर ओ बी)
90.	जम्मू और कश्मीर	राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए के पठानकोट जम्मू खंड के कि.मी. 48.44 पर आर ओ बी	1ए	डोमना
91.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू खाइयास कुंजवानी संधान के कि.मी. 0.00 पर फ्लाईओवर	1ए	कुंजवानी
92.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर खाइयास के कि.मी. 908 पर फ्लाईओवर (पूल खंड)	1ए	हैरतपुरा
93.	पंजाब	कि.मी. 29 + 756 पर आर ओ बी	1ए	भोगपुर
94.	पंजाब	कि.मी. 83.00 + 100 पर आर ओ बी	1ए	हर्ष मानसेर
95.	पंजाब	कि.मी. 111 + 444 पर आर ओ बी	1ए	पठानकोट
96.	पंजाब	कि.मी. 115 + 910 पर आर ओ बी	1ए	पठानकोट
97.	पंजाब	कि.मी. 27.500 पर फ्लाईओवर	1ए	भोगपुर
98.	पंजाब	कि.मी. 72.00 पर फ्लाईओवर	1ए	मुकेरा
99.	पंजाब	कि.मी. 110.600 पर फ्लाईओवर	1ए	पठानकोट
100.	पंजाब	जालंधर-अमृतसर (409/2, 416/1, 452/1, 456/1 आर ओ बी)	1	भिलोवाल, व्यास, अमृतसर पास (2)
101.	पंजाब	अंबाला-चंडीगढ़ (3990 फ्लाईओवर)	22	बीरकुर
102.	हरियाणा	राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के कि.मी. 48.611 पर फ्लाईओवर	1	मुरथल
103.	हरियाणा	रा रा-2 के पैनल-कि.मी. 62.813 फ्लाईओवर	1	गनौर
104.	हरियाणा	रा रा-1 पानीपत उपबंधित राजमार्ग पैनल कि.मी. 88.765 से कि.मी. 91.812	1	पानीपत
105.	हरियाणा	अंबाला-चंडीगढ़	22	बलदेवनगर
106.	मध्य प्रदेश	कि.मी. 187 और 211 के बीच चार लेन के सतर खाइयास का निर्माण	26	कि.मी. 202.250, कि.मी. 202.950 पर फ्लाईओवर और कि.मी. 206.050 पर आर ओ बी
107.	मध्य प्रदेश	कि.मी. 255.297 तक इंदौरी सत्यनारायण खंड को चार लेन का बनाना	26	फ्लाईओवर कि.मी. 297
108.	मध्य प्रदेश	कि.मी. 297-351 तक इंदौरी सत्यनारायण खंड को चार लेन का बनाना	26	आर ओ बी कि.मी. 322/300
109.	मध्य प्रदेश	कि.मी. 351-405.7 तक इंदौरी सत्यनारायण खंड को चार लेन का बनाना	26	कि.मी. 405/100 पर फ्लाईओवर
110.	मध्य प्रदेश	इंदौर-खातगट 1 आर ओ बी 2609.392	3	मक
111.	मध्य प्रदेश	मुख खाइयास (कोटा-कोटा खंड) कि.मी. 93.01 (1 आर ओ बी)	3	मुख खाइयास
112.	मध्य प्रदेश	इंदौर-खातगट 1 ग्रेड सेपरेटर + 2 ओवर पास (कि.मी. 12.83 + 13.23)	3	मुखरी, नीमच महाक सड़क
113.	मध्य प्रदेश	रा रा-76 के कि.मी. 579.00 से 610.00 और रा रा-25 के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 15.00	76 व 25	फ्लाईओवर-1 (पठेरा में (608.53) और आर ओ बी-1 (कौसवाडा में (603.9)

1	2	3	4	5
114.	महाराष्ट्र	महालक्ष्मेश्वर जंक्शन में कि.मी. 767.500 पर उपरिपुल का निर्माण (शेष कार्य)	4	सुक्रू
115.	कर्नाटक	तुमकुर बाइपास (कि.मी. 62 से कि.मी. 75)	4	क्यातसान्द्रा चे 62.76 के समीप ग्रेड सेपरेटर और चे. 66.34 बटवाडी के समीप ग्रेड सेपरेटर
116.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग बाइपास (कि.मी. 189 से कि.मी. 207)	4	इन्टरचेंज @ 192.480, इन्टरचेंज @ 197.315 और @ 199.976
117.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग-हरिहर खंड (कि.मी. 207 से कि.मी. 284)	4	चे 261.00 एवननगेरे में आर ओ बी
118.	कर्नाटक	हरिहर-हावेरी खंड (कि.मी. 284 से कि.मी. 340)	4	रानटेबेन्नूर के समीप फ्लाईओवर @ चे. 11.500, हनुमसत्ती में आर ओ बी @ चे. 311.00 और भेसोगल में आर ओ बी @ चे. 328.80
119.	कर्नाटक	धेनकनाली-इब्बल खंड कि.मी. 539 से कि.मी. 556 और कि.मी. 527-कि.मी. 535-एनएस-24/कर्नाटक	7	चिकबला, दूदबला और चेलाकेरा में 3 आर ओ बी
120.	कर्नाटक	रा रा-17 कि.मी. 358 से कि.मी. 375.00	17	कि.मी. 364.365
121.	कर्नाटक	रा रा-48 कि.मी. 328 से कि.मी. 345	48	कि.मी. 328.329
122.	कर्नाटक	रा रा-13 कि.मी. 743.90 से कि.मी. 745.00	13	–
123.	तमिलनाडु	रा रा-4 के पूनामली कांचीपुरम खंड को कि.मी. 13/8 से कि.मी. 70/2 तक चार लेन का बनाना और सुदृढ़ीकरण	4	नूमवाल (कि.मी. 18/105), पूनामाली (कि.मी. 19/195), पूनामाली (कि.मी. 22/400) और सुंगुवारचत्रम (कि.मी. 51/131)
124.	तमिलनाडु	रा रा-45 के चेंगलपट्-टिन्डीवनम खंड को कि.मी. 28/0 से कि.मी. 67/0 तक चार लेन का बनाना और चार लेन के विद्यमान तामबरम-चेंगलपट् खंड का कि.मी. 67/0 से कि.मी. 121/0 तक सुदृढ़ीकरण	45	तोझुपेडु (कि.मी. 101) (आर ओ बी)
125.	तमिलनाडु	रा रा 4 और रा रा 5 को जोड़ते हुए चेन्नई बाइपास चरण-2 का निर्माण तथा रा रा 45 और रा रा 4 (कि.मी. 0/0 से कि.मी. 32/221) को जोड़ने वाले चेन्नई बाइपास चरण-1 का चौड़ीकरण।	45, 4, 5	पजावरकम आर ओ बी (चेन्नई बाइपास का कि.मी. 25) माधवरम में ट्रम्पेट इन्टरचेंज का निर्माण (रा रा 5 का जंक्शन ओर चेन्नई) चेन्नई में अंबत्तुर औद्योगिक क्षेत्र में उत्थापित कॉरीडोर का निर्माण मदुरवोयल में ग्रेड सेपरेटर का निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग 4 का जंक्शन और चेन्नई बाइपास चरण 1)
126.	तमिलनाडु	चेन्नई शहर में निर्माण सुविधाओं द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए पहुंच में सुधार। इसमें चाही, कोयम्बेटू, कातीपाड़ा और इन्नई अड्डे पर चार चौराहों का सुधार शामिल है। इसके अतिरिक्त रा रा-4 को कि.मी. 9/2 से कि.मी. 13/8 तक चार लेन का बनाना।	205, 4, 45	चाही जंक्शन पर आर ओ बी और उत्थापित गोलचक्कर (राष्ट्रीय राजमार्ग 205 का 81 (कि.मी.) चेन्नई में कोयम्बेटू जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर चेन्नई में कातीपाड़ा जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर चेन्नई में मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय इन्नई अड्डे के सामने फ्लाईओवर का निर्माण
127.	तमिलनाडु	तालपेट के समीप रा रा-67 के कि.मी. 18/4 पर आर ओ बी का निर्माण	67	कडूर जिले के कृष्णगिरीपुरम तालुक में तालपेट के समीप
128.	तमिलनाडु	कि.मी. 11.000 से कि.मी. 52.800 तक टोल-01	5	कारानोडई
129.	उड़ीसा	निर्माण पैकेज ओ आर-1 (खुर्दा से भुवनेश्वर)-निर्माण-भुवनेश्वर खंड के कि.मी. 387.700 से कि.मी. 414.000 और भुवनेश्वर कोलकाता खंड के कि.मी. 417.000 से कि.मी. 418.000 तक	5	394 कि.मी. पर खुर्दा में फ्लाईओवर-1 414 कि.मी. पर भुवनेश्वर शहर में बालुंडा में फ्लाईओवर-3 417 कि.मी. पर भुवनेश्वर शहर में जयदेव विहार में फ्लाईओवर 1-5
130.	उड़ीसा	निर्माण पैकेज ओ आर-5-चंदीखोल से बालासोर (भुवनेश्वर-कोलकाता खंड का कि.मी. 61.00 से कि.मी. 199.141) तक 40 बड़े पुलों 6 फ्लाईओवरों, 1 आर ओ बी का निर्माण	5	78 कि.मी. पर कोंडिया में फ्लाईओवर-1 90 कि.मी. पर पानीकोइली में फ्लाईओवर-2 124 कि.मी. पर भद्रक में फ्लाईओवर-3

1	2	3	4	5
				147 कि.मी. पर चमहारी में पसाईंगलेन-4
				187 कि.मी. पर खासलेर में पसाईंगलेन-5
				193 कि.मी. पर खासलेर साइड में रामुन जोधपुर में पसाईंगलेन-6 सहित में आर ओ बी
131.	राजस्थान	कि.मी. 297.157 पर आर ओ बी	5	रेण
132.	राजस्थान	कि.मी. 258.200 पर पसाईंगलेन	5	बोयतपुर चंचलान
133.	मध्यप्रदेश	(1.785 कि.मी.) कि.मी. 22.865 से कि.मी. 24.650 घूटोबोरी आर ओ बी (27.400 कि.मी.) कि.मी. 36.600 से कि.मी. 64.000 बोरबोरी से खल (30.000 कि.मी.)	7	नागपुर-हैदराबाद के 23.700 कि.मी. घूटोबोरी आर ओ बी नागपुर-हैदराबाद के 37.418 कि.मी. घूटोबोरी आर ओ बी हिंगनघाट आर ओ बी (कि.मी. 76.380), उपरीपुल (नंदोरी) कि. मी. 74.490 और नागपुर-हैदराबाद (वर्धा) कि.मी. 80.000
		कि.मी. 64.000 से कि.मी. 94.000 खल से खरसेर (29.000 कि.मी.) कि.म. 94.000 से कि.मी. 123.000 खरसेर से सेलडी (30.000 कि.मी.)		नागपुर-हैदराबाद के कि.मी. 113.300 पर खरकी उपरीपुल करंजी में उपरीपुल (कि.मी. 132.850) और नागपुर-हैदराबाद का खरकी (कि.मी. 139.657)
		कि.मी. 123.000 से कि.मी. 153.000 सेलडी से केसलपुर (22.000 कि.मी.)	7	173.522 कि.मी. पर पिपलकोटी आर ओ बी 153.204 कि.मी. (केसलपुर) उपरीपुल और नागपुर-हैदराबाद का कि.मी. 169.640 (खोदी)
		कि.मी. 153.000 से कि.मी. 175.000 केसलपुर से पिपलकुटी		
134.	आंध्र प्रदेश	(22.300 कि.मी.) कि.मी. 464.000 से कि.मी. 474.000	7	नागपुर-हैदराबाद खंड का कि.मी. 464.550 नागपुर-हैदराबाद खंड का कि.मी. 471.680 हैदराबाद-बंगलौर खंड का कि.मी. 21.640
135.	तमिलनाडु	केमूरघाट से तुम्मीपोडी कि.मी. 163.40 से कि.मी. 180.00 (तमिलनाडु)	7	बोगुर में 1 आर ओ बी
136.	तमिलनाडु	तुम्मीपोडी से सलेम कि.मी. 180.000 से कि.मी. 199.20	7	कनपुर में 1 आर ओ बी
137.	तमिलनाडु	कृष्णगिरी (कि.मी. 94 से केमूरघाट (कि.मी. 156)	7	धर्मपुरी साइडस पर 1 आर ओ बी
138.	तमिलनाडु	सलेम (कि.मी. 207.05) से नमक्कल (कि.मी. 248.625)	7	मल्लूर के समीप 1 आर ओ बी
139.	तमिलनाडु	डिंडीगुल (कि.मी. 373.275) से समयनल्लूर (कि.मी. 426.6)	7	डिंडीगुल और मेलूर गेट में 2 आर ओ बी
140.	तमिलनाडु	सलेम (कि.मी.) (रा रा-7 पर, कि.मी. 203.96) से कन्याकुमारी (कि.मी. 53.00)-	47	मनुवाडांबलाडी और वैकुठम में 2 आर ओ बी
141.	तमिलनाडु	रा रा-7 पर मदुरै-कन्याकुमारी खंड का कि.मी. 0.00 से कि.मी. 42.000-(तमिलनाडु)	7	समयनल्लूर में 2 आर ओ बी (मदुरै-चेन्नई बी जी लाइन) और कील कुलुपुडी के समीप (मदुरै-बोदी एम बी लाइन)

1	2	3	4	5
142.	तमिलनाडु	रा रा-7 के मदुरै-कन्याकुमारी खंड का कि.मी. 42.000 से कि.मी. 80.000 (तमिलनाडु)	7	विरुद्धनगर-रवाईपत्तायम बी बी साइन और रैमको सीमेंट फैक्ट्री पर 2 आर ओ बी
143.	तमिलनाडु	रा रा-7 के कि.मी. 120.000 से कि.मी. 160.000 मदुरै-कन्याकुमारी खंड का (तमिलनाडु)	7	तलईयुत बी बी और तिरुचेंदूर एम बी पर 2 आर ओ बी
144.	तमिलनाडु	रा रा-7 के मदुरै-कन्याकुमारी खंड का कि.मी. 160.000 से 203.000 (तमिलनाडु)	7	सनकुलम गांव (तिरुनेलवेली-नागरकोयल ब्रोडगेज) पर 1 आर ओ बी
145.	तमिलनाडु	रा रा-7 के मदुरै-कन्याकुमारी खंड का कि.मी. 203 से कि.मी. 233.6 (तमिलनाडु)	7	कवलकिनारु और कन्याकुमारी में 2 आर ओ बी
146.	तमिलनाडु	कि.मी. 0 और 5.1 के बीच प्रस्तावित बाइपास	45B	त्रिची बाइपास पर फ्लाईओवर (त्रिचीरापल्ली सिटी रोड)
		कि.मी. 24 और 28.1 के बीच प्रस्तावित बाइपास	45B	विरलीमलई बाइपास पर फ्लाईओवर
		कि.मी. 75.6 और 79.2 के बीच प्रस्तावित बाइपास	45B	कोटमपट्टी बाइपास पर फ्लाईओवर
		कि.मी. 96.9 और 102.3 के बीच प्रस्तावित बाइपास	45B	मेलूर बाइपास में फ्लाईओवर
			45B	मेलूर बाइपास पर फ्लाईओवर (मेलूर-सिवगंगई रोड पर)
		प्रस्तावित बाइपास का कि.मी. 3	45B	प्रस्तावित त्रिचिरापल्ली बाइपास संरेखण पर आर ओ बी
147.	झारखंड	कि.मी. 357.29	2	आर ओ बी (इसरी)

[अनुवाद]

एड्स से मौतें

3171. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान भारत में एड्स के कारण लगभग 4 लाख मौतें हुई थी जो कि विश्व में सबसे अधिक हैं, जैसाकि दिनांक 13 जून, 2006 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्यवार और वर्षवार एड्स से कितनी मौतें हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2006 (जून) तक एड्स के कारण हुई सूचित मौतों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2006 के आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण

प्रारम्भ से (1993-जून, 2006) एड्स के कारण हुई सूचित मौतों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	कुल आंकड़े (1993-2000)	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (जून)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16	3	4	5	3	5	0	36
2.	आंध्र प्रदेश	45	53	36	185	237	229	22	807
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	असम	9	0	2	0	1	0	0	12
5.	बिहार	37	1	0	0	0	0	0	38
6.	चंडीगढ़	21	29	22	19	19	27	19	156
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	142	27	32	29	6	46	6	288
11.	गोवा	14	15	14	20	22	86	0	170
12.	गुजरात	43	20	83	62	30	92	11	341
13.	हरियाणा	11	0	0	0	0	0	0	11
14.	हिमाचल प्रदेश	2	0	5	23	13	26	2	71
15.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	11	11
16.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	116	27	40	27	28	172	0	410
18.	केरल	152	120	139	120	0	0	0	531
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	49	6	3	2	10	15	7	92
21.	महाराष्ट्र	681	354	404	415	338	194	63	2449
22.	मणिपुर	147	51	73	133	0	0	9	413
23.	मेघालय	14	0	0	0	0	0	0	14
24.	मिजोरम	7	0	5	11	21	0	0	44
25.	नागालैण्ड	54	28	35	51	82	3	0	253
26.	उड़ीसा	13	1	19	79	56	—	0	168
27.	पांडिचेरी	35	0	7	0	0	0	0	42
28.	पंजाब	76	12	2	0	0	13	5	108
29.	राजस्थान	64	0	0	0	0	0	0	64
30.	सिक्किम	0	1	2	1	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	तमिलनाडु	522	249	285	351	297	187	0	1891
32.	त्रिपुरा	0	0	1	2	0	0	0	3
33.	उत्तर प्रदेश	37	15	4	23	7	0	0	86
34.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	39	27	48	62	0	0	0	176
	कुल	2346	1039	1265	1620	1170	1094	155	8689

दवाइयों की खेप की जांच

3172. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव के उपयोग में न आने वाली दवाई की एक खेप की सफदरजंग अस्पताल को आपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दवाइयों की किसी खेप की अस्पताल के भंडार में पहुंचने से पहले तीन विभिन्न चरणों पर जांच की जाती है/उसे सत्यापित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दवाइयों की उक्त खेप उक्त अस्पताल के मेडिकल भंडार में किस प्रकार पहुंची;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकला है;

(ज) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(झ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को टालने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (झ) सफदरजंग अस्पताल में सरकार अनुमोदित प्रयोगशाला से प्रभावकारिता प्रमाण-पत्र सहित लोकल एप्लीकेशन के लिए एंटीसेप्टिक वेटेरिनरी 5 प्रतिशत प्रोविडीन आई.पी.सोल्यूशन प्राप्त किया गया था। इस घोल को मानव व पशुओं दोनों के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी गुणवत्ता और स्ट्रेन्थ में कोई अन्तर नहीं है। सांविधिक उपबंधों के रूप में मानव व पशुओं के उपयोग हेतु बोतल के लेबल पर अलग-अलग स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए। ज्योंहि अस्पताल के प्राधिकारी के ध्यान में यह बात आई तो इस खेप को वापिस आपूर्तिकर्ता को भेज दिया गया है, पूरी लागत वसूल कर ली गई और राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी, औषध महानियंत्रक (भारत) को सचित कर दिया गया है। इस मामले में अस्पताल ने जांच भी की है और संबंधित कर्मचारियों को उस स्टोर से स्थानांतरित कर दिया गया है। सभी स्तरों पर निरीक्षण की मौजूदा पद्धति को सुदृढ कर दिया गया है तथा संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सावधान रहने का परामर्श दिया गया है।

अनुसंधान नेटवर्क अवसंरचना का विकास

3173. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान और शिक्षा के लिए समर्पित तीव्र नेटवर्किंग और डिजिटल संयोजकता (कनेक्टिविटी) के संबंध में भारत का स्थान विश्व तालिका में कथित रूप से सबसे नीचे है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश अनुसंधान नेटवर्क अवसंरचना के विकास में पिछड़ रहा है, जिसके कारण विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान और शिक्षा में सहायता प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) शैक्षणिक तथा अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों को इन्ट्रानेट तथा इन्टरनेट पर एक सामान्य बैकबोन के जरिए जोड़ता है। वर्तमान मूलसंरचना में अद्यतन तकनीकी जानकारी की नेटवर्क मूलसंरचना के साथ एंड-टु-एंड तंतु केबल का सम्पर्क शामिल है जो 155 मेगा बाइट्स प्रति सेकण्ड तक बैण्डविड्थ क्षमता प्रदान कर सकती है। नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ने के साथ सम्पूर्ण मूलसंरचना का दर्जा बढ़ाया जा सकता है। अब तक 150 विश्वविद्यालय, 274 कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान एवं 77 इंजीनियरी कॉलेज के जरिए जोड़े गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 नवोदय विद्यालय भी अर्नेट के जरिए जोड़े गए हैं। अर्नेट यूरोप शैक्षणिक अनुसंधान नेटवर्क (जीईएएनटी) के साथ भी जोड़ा गया है तथा यूरोप में प्रतिपक्षों सहित यह देश में शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों को पीअर-टु-पीअर सम्पर्क उपलब्ध कराता है। देश में राष्ट्रीय ग्रिड अभिकलन के संकल्पना के सबूत चरण के अंतर्गत 'गरूड़' शीर्षक की एक परियोजना 2.4 गीगा बाइट्स प्रति सेकण्ड के बैकबोन पर देश के 17 शहरों में 45 शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों को जोड़ने के लिए तैयार की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत जोड़े गए संस्थानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार 100 मेगा बाइट्स प्रति सेकण्ड तक बैण्डविड्थ उपलब्ध होगी।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

3174. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं।

(ख) प्रत्येक योजना की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाई और कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 प्रारंभ तक कुल केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) की संख्या 155 बताई गई है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का है तथा इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/उनकी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इन स्कीमों को विशिष्ट उद्देश्य से डिजाइन किया जाता है तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मॉनीटर किया जाता है। योजना आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इन स्कीमों के नाम और आवश्यक विशेषताएं संलग्न *विवरण* में दिए गए हैं।

(ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा यथासूचित अपनाई एवं कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमें संलग्न विवरण के कालम सं. 4 में दर्शाई गई है।

विवरण

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्कीम की आवश्यक विशेषताएं	तमिलनाडु में लागू तो हां या नहीं
1	2	3	4
कृषि और सहकारिता विभाग			
1.	कपास/सघन कपास कार्यक्रम (मिनी मिशन 1 एवं 2)	कपास खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता को सुधारना	हां
2.	शुष्कभूमि वर्षा आधारित प्रणालियों का संधारणीयता को बढ़ाना	शुष्कभूमि वर्षा आधारित प्रणालियों की संधारणीयता को बढ़ाना	हां

1	2	3	4
3.	तिलहनों, दालों, मकई, ऑयल पाम की एकीकृत	उत्पादकता में सुधार के लिए उपजातीय अनुसंधान, विस्तार इनपुट समर्थन देना	हां
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए बागवानी संबंधी प्रौद्योगिकी	पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बागवानी का विकास करना	नहीं
5.	लघु सिंचाई	जल दक्षता और फसल उत्पादकता में सुधार करना	हां
6.	बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन	बांस और व्यापार विकास की उत्पादकता बढ़ाना	नहीं
7.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पश्च और अग्र लिंकेज प्रदान करके बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाना	हां
8.	वन्य विस्तार का समर्थन	विस्तार मशीनरी को नवीकृत करना	हां
9.	कृषि सांख्यिकी का सुधार	प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का अनुमान लगाना	हां
10.	बृहत् प्रबंधन	कृषि के विकास, उत्पादकता में सुधार करने, भूमि अवक्रमण को रोकने, मृदा एवं भूमि संरक्षण आदि के लिए राज्यों की जरूरत का सूंपरण	हां
11.	कृषि जनगणना	देश में भूमि धारिता के विभिन्न पहलुओं पर सूचना की गणना	हां
पशु पालन और डेयरी उद्योग विभाग			
12.	मवेशी और भैंस पालन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	दरवाजे पर पशु पालन सेवा उपलब्ध कराना	हां
13.	कुक्कुट और छोटे पशुओं के सुधार के परियोजना	कुक्कुट और छोटे पशुओं के सुधार की परियोजनाओं हेतु निधियां उपलब्ध करना	हो
14.	पशुधन बीमा	पशुधन मवेशियों एवं भैंसों पर सब्सिडी का 50% वहन करना	नहीं
15.	पशुधन स्वास्थ्य	स्वास्थ्य कवरेज के लिए सहायता देना	हां
16.	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना एवं गुणवत्ता शुद्ध दूध उत्पादन हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ करना	रुग्ण डेयरी इकाइयों को वित्तीय सहायता देना और शुद्ध दूध उत्पादन को बढ़ाना	हां
17.	अंतर्देशी मत्स्य पालन एवं मात्स्यिकी का विकास	तटीय मत्स्य पालन और अंतर्देशी मात्स्यिकी सहित अंतर्देशी जलाशयों में मत्स्य पालन	हां
18.	मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण और एचआरडी सहित प्रशिक्षण और विस्तार	मछुआरों का बीमा, आवासन, पेयजल आपूर्ति आदि	हां
19.	समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और पश्च फसल	परंपरागत और यंत्रीकृत मत्स्य ग्रहण बेटर्स, मत्स्य ग्रहण हार्बरों, प्रसंस्करण विपणन विकास	हां
वाणिज्य विभाग			
20.	निर्यात (एएसआई डीई) के अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता पेय जल आपूर्ति	निर्यात (एएसआईडीई) के अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता	हां
21.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	ग्रामीण बस्तियों को पेय जल उपलब्ध कराना	हां
22.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	घरेलू शौचालयों एवं स्वच्छता परिसरों की व्यवस्था करके ग्रामीण स्वच्छता उपलब्ध करना	हां
प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग			
23.	प्राथमिक शिक्षा (एमडीएम के लिए राष्ट्रीय पौषणिक कार्यक्रम)	प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने और छात्रों की पौषणिक स्थिति को बढ़ावा देना	हां

1	2	3	4
24.	सर्वशिक्षा अभियान (डीपीईपी सहित)	प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना	हां
25.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक से संबंधित बालिकाओं की आवासीय स्कीम	हां
26.	अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन	प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापकों की सेवा-पूर्व और सेवा कालीन प्रशिक्षण सुदृढ़ अवसंरचना का सृजन करना	हां
27.	साक्षरता अभियान और आपरेशन सुधार	साक्षरता दर बढ़ाना	हां
28.	पोस्टलिटंडसीड (नए साक्षरों के लिए शिक्षा जारी रखना)	देश में साक्षरता कार्यक्रम के लिए सतत शिक्षण प्रयास	हां
29.	महिला समाख्य (ईएपी)	महिलाओं को शिक्षित करना	नहीं
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय			
30.	सामान्य निस्सरण उपचार संयंत्र	एसएसआई के निस्सरणों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोकना	हां
31.	तट संरक्षण मिशन सहित विरासतों, तीर्थस्थलों और पर्यटन केन्द्रों में पर्यावरण प्रबंधन	तट का प्रबंध और उसकी सुरक्षा करना	नहीं
32.	बायोस्फीयर रिजर्व	लक्षित क्षेत्रों की जैविक और सांस्कृतिक विविधता का परिरक्षण करना	हां
33.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)	बड़ी प्रदूषित नदियों के भागों को साफ करना	हां
34.	एनआरसीपी (ईएपी)	मुख्य प्रदूषित नदियों के भागों को साफ करने में विदेशी सहायता के द्वारा निवेश की कमी को पूरा करना	
35.	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी)	प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए	नहीं
36.	प्रोजेक्ट टाइगर	भारत में बाघों की व्यवहार्य जनसंख्या के रख-रखाव को सुनिश्चित करना	हां
37.	प्रोजेक्ट एलिफैंट	हाथियों की पहचान की गई व्यवहार्य जनसंख्या की दीर्घकालीन उत्तरजीविता सुनिश्चित करना	हां
38.	आद्रभूमि, कोरल रीफ्स, मैनग्रूव का संरक्षण और प्रबंधन	कोरल रीफ्स और मैनग्रूव के सघन संरक्षण और प्रबंधन के लिए	हां
39.	राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य स्थलों का विकास	देश के संरक्षित क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराना	हां
40.	राष्ट्रीय वन रोपण स्कीम (एनएफएस)	तमिलनाडु में वनों के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना और शहरी क्षेत्रों को हरा-भरा बनाना	हां
41.	समेकित वन संरक्षण स्कीम (आईएफपी)	वन संरक्षण और अग्नि नियंत्रण और प्रबंध के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करना	हां
42.	घुली बांस का सामूहिक पुष्पन	बांस के पुष्पन, बांस की कटाई आदि के कारण बीजों के प्रसार का निपटान करना	नहीं
	आईएसएमएण्ड एच विभाग (अब आयुष)		
43.	संस्थानों का विकास	भवनों, पुस्तकालयों आदि के उन्नयन के लिए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट कालिजों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है	हां

1	2	3	4
44.	अस्पताल और औषधालय	आईएसएम पोलीक्लिनिकों थेरेपी क्लिनिकों, स्पेशलिटी क्लिनिकों की स्थापना में सहायता देना	हां
45.	औषध गुणवत्ता नियंत्रण	राज्य औषध जांच प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों को सुदृढ़ बनाना	हां
स्वास्थ्य विभाग			
46.	राष्ट्री कुष्ठ निवारण कार्यक्रम	निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा कुष्ठ उन्मूलन	हां
47.	राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम	नए थूक पोजिटिव मामलों में 85% की इलाज दर प्राप्त करना और कम से कम 70% ऐसे मामलों का पता लगाना	हां
48.	रक्त सुरक्षा उपाय और राष्ट्रीय एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	एचआईवी संक्रमण वृद्धि को कम करना	हां
49.	राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम	अंधत्व नियंत्रण प्रसार में 0.8% तक कमी करना	हां
50.	राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	मलेरिया, कालाजार, जापानी मस्तिष्क-ज्वर, डेंगू के प्रसार को कम करना और लिम्फैटिक फाइलियारिसिस का उन्मूलन	हां
51.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	केंसर का पता लगाना, निदान और रोकथाम	हां
52.	राष्ट्रीय आयोडीन विकार नियंत्रण कार्यक्रम	देश में आयोडीन की कमी को नियंत्रित करना और रोकना	हां
53.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना	हां
54.	नई पहल (टेलि मेडिसिन, मधुमेह और बहरापन)	मधुमेह/सीवीडीज, बहरापन का नियंत्रण और टेलि मेडिसिन के क्षेत्र का विस्तार करना	हां
55.	क्षमता निर्माण (औषध गुणवत्ता) के लिए राज्यों को सहायता	दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए राजकीय अस्पतालों में आपातकालीन स्वास्थ्य रक्षा संवाओं का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	हां
56.	औषध और पीएफए हेतु क्षमता निर्माण	जनता के लिए भोजन और औषधि की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना	हां
औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग			
57.	विकास केन्द्रित स्कीम	कुछ विकास केन्द्रों में औद्योगिक विकास करना	हां
58.	केन्द्रीय पूंजी निवेश स्कीम-एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	नहीं
59.	केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी स्कीम-एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	नहीं
60.	व्यापक बीमा स्कीम	बीमा स्कीम के तहत पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों को कवर करना	नहीं
61.	विशेष श्रेणी राज्य जम्मू और कश्मीर के लिए पैकेज	जम्मू एवं कश्मीर का विकास	नहीं
62.	पूंजी निवेश सब्सिडी (पुराना)	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	नहीं
श्रम मंत्रालय			
63.	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करना	हां
64.	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम और जम्मू व कश्मीर से नई आईटीआई की स्थापना (100% सहायता)	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू व कश्मीर में आईटीआई का विकास	नहीं

1	2	3	4
65.	अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों की कुशलता की जांच और प्रमाणन	अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों की कुशलता की जांच और प्रमाणन	नहीं
66.	100 आईटीआई का उन्नयन भूमि संसाधन विभाग	100 आईटीआई का उन्नयन	हां
67.	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)	बंजरभूमि, अवक्रमित भूमि जो ग्रामीण/माइक्रो जलसंभर योजनाओं पर आधारित है, का समेकित विकास करना	हां
68.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)	फसल उत्पादन और पशुधन, भूमि उत्पादकता, जल एवं मानव संसाधन पर सूखे के विपरीत प्रभाव को कम करना	हां
69.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी)	मरूभूमि विकास	हां
70.	राजस्व और भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण (मोरलैंड)	राजस्व और भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करके लोगों/योजनाकारों को अभिलेख उपलब्ध कराना	हां
71.	वैकल्पिक ईंधन	ऊर्जा आवश्यकता की कमी को पूरा करना	हां
72.	अन्य स्कीमें-ईएपी	भूमि संसाधन के विकास के लिए ईएपी के माध्यम से संसाधनों की कमी को पूरा करना	नहीं
विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग)			
73.	न्यायालय के लिए अवसंरचना का विकास	न्यायालय के लिए अवसंरचना का विकास	हां
गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
74.	लघु जल विद्युत	बिजली उत्पादन की कमी को पूरा करना	हां
75.	एसपीवी प्रदर्शन	ऊर्जा की आवश्यकता की कमी को पूरा करना	हां
76.	बायो गैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना (एनपीबीडी)	बायो गैस ऊर्जा का उत्पादन करना	हां
77.	आईआरईपी (समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम)	समेकित ग्रामीण ऊर्जा को प्रोत्साहित करना	हां
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग			
78.	अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व के सड़कें और पुल	अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व के सड़कों और पुलों का विकास	हां
79.	मोटल ड्राइवर प्रशिक्षण विद्यालय	ड्राइवरों को प्रशिक्षण सुविधा करना	नहीं
ग्रामीण विकास विभाग			
80.	ग्रामीण आवास/इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	गरीबों को मुफ्त वितरित किए जाने के लिए घरों का निर्माण	हां
81.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई)	सहायता प्राप्त परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना	हां
82.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) प्रशासन	पीआरआई, एनजीओ, वित्तीय एवं तकनीकी संस्थानों आदि जैसे अन्य अभिकरणों के माध्यम से गरीबी-रोधी उपायों का प्रभावकारी तरीके से प्रबंध करना	हां

1	2	3	4
83.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)	सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार मुहैया कराना और इसके द्वारा खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना और पोषाहार में सुधार करना	हां
84.	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण प्रदान करना	हां
85.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	सन 2009 तक 1000 + आवास स्थलों) (500 + पर्वतीय राज्यों, मरूभूमि और जनजातीय क्षेत्रों) को जोड़ने के भारत निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम को पुन: चरणबद्ध किया गया है।	हां
86.	काम के बदले अनाज (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-एनआरईजीए)	ऐसे कार्य जो उस क्षेत्र की अवसंरचना का विकास करते हैं के माध्यम से मजदूरी रोजगार का सृजन करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना	हां
87.	ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पूरा)	ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराना	हां
महिला एवं बाल विकास विभाग			
88.	समेकित बाल विकास सेवाएं	पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि जैसी समेकित सेवाएं मुहैया कराना	हां
89.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियोजनाएं	आईसीडीएस भवनों, बहिरंग और अंतरंग खेल उपकरण, प्रदर्शन पटों आदि की सुविधाओं के अलावा उपर्युक्त स्कीम जैसे उद्देश्य	हां
90.	समेकित महिला अधिकारिता कार्यक्रम (स्वयंसिद्ध)	एसएचजी के माध्यम से, थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट कार्यकलापों को उन्नत कर महिलाओं की अधिकारिता को बढ़ाना	हां
91.	आईसीडीएस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण (उदिशा)	आईसीडीएस कार्यकर्ताओं को नियमित और नवीन एवं क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण मुहैया कराना	हां
92.	स्वशक्ति परियोजना	महिला एसएचजी की स्थापना करके, सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों आदि की संस्थागत क्षमता बढ़ाकर महिलाओं को अधिकार देना	–
93.	बालिका समृद्धि योजना	बालिका शिशु की माता को एक बारगी आनुदान देने तथा कक्षा 1 से 10वीं तक छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु	–
94.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	पोषाहार से संबंधित कार्यक्रमों तथा विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वय हेतु नीति निर्देशन तैयार करना	–
जनजातीय मामले मंत्रालय			
95.	पीएमएस स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का मैरिट उन्नयन	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैरिट उन्नयन हेतु पुस्तकें आदि प्रदान करना	हां
96.	अनुसंधान एवं सर्वशिक्षा, जनजातीय त्यौहारों एवं अन्य	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के मैरिट उन्नयन हेतु अनुसंधान एवं सर्वशिक्षा प्रदान करना	हां
97.	टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	हां

1	2	3	4
98.	एसटी बालिकाओं एवं बालकों हेतु हॉस्टल स्कीम	एसटी बालिकाओं एवं बालकों हेतु हास्टल प्रदान करना	हां
99.	सूचना प्रौद्योगिकी	जनजातीय छात्रों के मैरिट उन्नयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	हां
माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग			
100.	अपंग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा (आईईडीसी)	सामान्य स्कूल पद्धति से संघटन और मौलिक रूप से रोके जाने हेतु सामान्य स्कूलों में अपंग बच्चों को शैक्षिक सुअवसर प्रदान करना	हां
101.	राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति स्कीम	प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता करने तथा पढ़ाई में उन्हें शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देना	हां
102.	मदरसा कार्यक्रमों का क्षेत्र गहन आधुनिकीकरण	स्कूल में मूलभूत शैक्षिक अवसंरचना प्रदान कर मदरसों को आधुनिक बनाना	हां
103.	व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण	व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने हेतु	हां
104.	पहुंच एवं साम्यता	बालिका विद्यालयों में बोर्डिंग एवं हॉस्टल सुविधाओं को सुदृढ़ करना	
105.	स्कूलों में सूचना एवं संचार (स्कूलों में आईसीटी)	राजकीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा प्रदान करना	
106.	संस्कृत शिक्षा का विकास	संस्कृत पढ़ने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना	हां
107.	प्राच्य शिक्षकों की नियुक्ति	आधुनिक भारतीय भाषाओं को पढ़ाने हेतु नियुक्त शिक्षकों के वेतन व भत्तों का पुनर्गठन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना	नहीं
108.	नए पॉलीटेकनिकों हेतु राज्यों को सहायता	पालीटेकनिक हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करना	हां
पोत परिवहन विभाग			
109.	राज्यों द्वारा कार्यान्वित अंतर्देशीय/जल परिवहन स्कीम	अंतर्देशीय जल परिवहन विकास	नहीं
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय			
110.	अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी)	अनुसूचित जाति के लोगों का विकास	हां
111.	पीसीआर अधिनियम, 1955 एवं एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 का कार्यान्वयन	पीसीआर अधिनियम 1955 एवं एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की सुरक्षा करना	हां
112.	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं बुक बैंक	अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और बुक बैंक प्रदान करना	हां
113.	ओबीसी एवं अल्प संख्यक छात्रों हेतु मैरिट आधारित छात्रवृत्ति	ओबीसी एवं अल्प संख्यक छात्रों के लिए मैरिट आधारित छात्रवृत्ति देना	हां
114.	किशोर सामाजिक कुप्रबंधन रोकथाम एवं नियंत्रण स्कीम	किशोर सामाजिक कुप्रबंधन की रोकथाम और नियंत्रण हेतु	हां
115.	मलिन व्यवसाय में लगे बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	मलिन व्यवसाय में लगे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	हां
116.	एससी एवं ओबीसी बालकों एवं बालिकाओं हेतु हास्टल	एससी एवं ओबीसी बालकों एवं बालिकाओं हेतु हास्टल प्रदान करना	हां

1	2	3	4
117.	एससी/ओबीसी एवं अन्य कमजोर वर्गों हेतु कोचिंग एवं सम्बद्ध स्कीम	एसीसी/ओबीसी एवं अन्य कमजोर वर्गों हेतु कोचिंग एवं सम्बद्ध स्कीम	हां
118.	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मैरिट उन्नयन	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मेरिट उन्नयन	हां
पर्यटन मंत्रालय			
119.	गंतव्यों एवं सर्किटों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास	वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार एवं नए उत्पाद के विकास हेतु	हां
शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय			
120.	एसजेएसआरवाई	शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए	हां
121.	बाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना (वीएएमवीएवाई)	शहरी गरीबों को आवास स्थल यूनिट प्रदान करने के लिए	हां
122.	एकीकृत कम लागत वाले स्वच्छता कार्यक्रम (आईएससीएस)	शहरी गरीबों को कम लागत वाली स्वच्छता प्रदान करने हेतु	हां
शहरी विकास मंत्रालय			
123.	छोटे शहरों हेतु त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	शहरी क्षेत्रों में छोटे शहरों के लिए जल आपूर्ति करने हेतु	हां
124.	मेगा सिटी	मेगा सिटीज में अवसंरचना विकास	हां
125.	लघु एवं मध्यम शहर एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी)	छोटे एवं मध्यम शहरों में अवसंरचना विकास	हां
126.	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस)	शहरी क्षेत्रों में सूचना पद्धति सुदृढ़ करने हेतु	हां
127.	फूल्ड वित्त विकास निधि	शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु	
जनसंसाधन मंत्रालय			
128.	कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम	सिंचाई एवं क्षमता सृजित तथा उपयोग की गई क्षमता के बीच अंतरालों को पाटना	हां
129.	लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण	राज्यों के लघु सिंचाई ब्यौरो के समेकन और उनको बनाये रखने के लिए डाटा संग्रहण	हां
130.	गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण पटावरोधी कार्य और कोसी तथा गंडक में बाढ़ सुरक्षा तटबंधों का रख-रखाव	गंगा बेसिन राज्यों में कटाव-रोधी कार्य और कोसी तथा गंडक में बाढ़ सुरक्षा तटबंधों का रख-रखाव	नहीं
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय			
131.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम	व्यक्तिगत विकास के समग्र लक्ष्य सहित युवाओं में सामाजिक चेतना जगाने का लक्ष्य	हां
132.	आधारिक संरचना से संबंधित स्कीम कपड़ा मंत्रालय	आधारिक संरचना से संबंधित स्कीम	
133.	हथकरघा निर्यात स्कीम	निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों के विकास एवं विपणन के लिए हथकरघा एजेंसियों को सहायता देना	हां
134.	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	हथकरघा संगठनों के लिए यह एक व्यापक परियोजना उन्मुखी सहायता है।	हां

1	2	3	4
135.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन (मिनी मिशन-3 एवं 4)	मिनी मिशनों के माध्यम से कपास प्रौद्योगिकी का विकास	हां
136.	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (रेशम उत्पादन)	उत्पादकता और रेशम उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना	हां
137.	बुनकर कल्याण स्कीम (हथकरघा)	स्वास्थ्य पैकेज, शिफ्ट निधि नई बीमा स्कीम, समूह बीमा स्कीम इत्यादि जैसी स्कीमों से हथकरघा बुनकरों की मदद करना	हां
138.	क्लस्टर-व-आवास स्कीम	राज्य सरकारों के माध्यम से हथकरघा निगमों, प्राथमिक सहकारिता समूहों इत्यादि के माध्यम से निष्पादित	हां
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय			
139.	नारियल जटा उद्योगों का सहकारीकरण	नारियल जटा कामगारों को सहकारिता के अंदर लाना और बिचौलियों के शोषण से उन्हें बचाना	हां
परिवार कल्याण विभाग			
140.	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उप केन्द्र)	पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु लघु बिमारियों संबंधी बुनियादी दवाएं उपलब्ध कराना	हां
141.	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	स्टाफ के वेतन, यथा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार रेन्ट कोन्टिजेन्सी संबंधी व्यय के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान देना	हां
142.	निदेशन एवं प्रशासन	जिला और राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए आकस्मिक व्यय को पूरा करना और पीओएल सहित वाहनों हेतु उपलब्ध कराना	हां
143.	क्षेत्र परियोजनाएं	परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामने आने वाली बाधाओं, जैसे कमजोर अधारिक संरचना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कम दक्ष होना और अपर्याप्त एवं कम गुणवत्ता वाली सेवाओं को दूर करना	हां
144.	राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान	राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान उपलब्ध कराना	हां
145.	गर्भ निरोधक का मुफ्त वितरण	गर्भ निरोधकों का मुफ्त वितरण	हां
146.	बंध्याकरण	महिलाओं हेतु बंध्याकरण सुविधाएं उपलब्ध कराना	हां
147.	प्रशिक्षण-रूटिन	भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार करना	हां
148.	पल्स प्रशिक्षण	पोलियो उन्मूलन की गति को तीव्र करना	हां
149.	आपूर्तियां और सामग्रियों का प्रापण	कंडोम, ओरल क्रांट्रा-सेप्टिव पील्स, आईयू डीज, लेपरोस्कोपिक और ट्यूबल रिंग्स इत्यादि प्रापण	हां
150.	प्रशिक्षण	आरसीएच प्रशिक्षण गतिविधियों को संगठित करने तथा मानीटरिंग करने की गति को आगे बढ़ाना	हां
151.	राज्य पीआईपीज के लिए फ्लेक्सीबल फूल (आरसीएच फ्लेक्सी फूल और मिशन फ्लेक्सी का फूल)	एनआरएचएम के अंतर्गत प्रजनन, बाल तथा मातृ स्वास्थ्य संबंधी आरसीएच-2 भारत सरकार का फ्लेग शिप कार्यक्रम है।	हां

1	2	3	4
152.	सूचना, शिक्षा और संचार	स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना जो कि परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है	हां
153.	परिवार कल्याण से जुड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना	बंध्याकरण आपरेशन किए जाने वाले सभी व्यक्तियों को बीमा कवर उपलब्ध कराना	हां
संस्कृति विभाग			
154.	बच्चों के लिए बहुउद्देशीय सांस्कृतिक कंम्पलेसों को स्थापित करना	कला और संस्कृति को लोगों को करीब लाना ताकि लोगों की सौंदर्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां बनी रहे	–
पंचायती राज मंत्रालय			
155.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण एवं ई-गवर्नेंस सहित आधारिक संरचना विकास।	–

श्रम कानून में लचीलापन

3175. श्री जसुभाई धानाभाई बारड: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने "समाहित" वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है। जबकि राजस्थान और गुजरात सरकार ने ग्यारहवीं योजना के लिए प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानून में लचीलेपन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव देने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में योजना आयोग को क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र में योजना आयोग ने समावेशी विकास की आवश्यकता पर बल दिया है। ग्यारहवीं योजना के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र से संबंधित क्षेत्रीय परामर्शों में राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों ने विदेशी सीधे निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में लचीलेपन का सुझाव दिया है।

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों के साथ क्षेत्रीय परामर्शों में योजना आयोग ने केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित सुझावों के लिए अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग को कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

भेषज सतर्कता कार्यक्रम के अंतर्गत औषधियां

3176. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछेक औषधियों को अपने भेषज सतर्कता कार्यक्रम के अंतर्गत रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत छः महीनों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखी गई किसी भी दवाई के बारे में कोई विपरीत प्रतिक्रिया पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। संभावित प्रतिकूल औषध प्रतिक्रियाओं की जांच के लिए कुछ औषधों अर्थात फेनाइलबूटाजॉन, सिसाप्रारड, फूराजोलीडॉन, स्टेटिन्स,

फेनाइलप्रोपेनॉलामाइन, ड्रोपेरीडॉल, काक्स-2 इनहिबिटर्स, निमेसूलाइड, एनालजीन, सिलडेनाफिल एवं गेटीफ्लॉक्सासीन की गहन मानीटरिंग की जा रही है।

पिछले छह महीनों के दौरान इन दवाओं के प्रयोग से किसी प्रकार का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना नहीं मिली है।

प्रयोगशालाओं की स्थापना करना

3177. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितनी औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय औषधियों की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु विभिन्न महानगरों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो इनकी स्थापना के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में हाई-टेक औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी स्थापना के लिए कितनी लागत आने का अनुमान है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राज्यों में 22 औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं और 5 औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं औषध मानक नियंत्रण संगठन के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली वैक्सीनों की जांच में और राष्ट्रीय जैविक संस्थान (एन आई वी) नैदानिक किटों की जांच में लगे हुए हैं। इन प्रयोगशालाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सरकार के पास देश के विभिन्न महानगरों में और औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

मौजूदा राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशाला

मध्य प्रदेश	1
गुजरात	1
तमिलनाडु	2
महाराष्ट्र	2
कर्नाटक	1
राजस्थान	1
पश्चिम बंगाल	1
उत्तर प्रदेश	1
पंजाब	1
हरियाणा	1
आंध्र प्रदेश	2
पांडिचेरी	1
गोवा	1
केरल	1
दिल्ली	1
त्रिपुरा	1
उड़ीसा	1
जम्मू-कश्मीर	2
कुल	22

नए बनाए गए राज्यों में खोली जा रही राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची

रुद्रपुर (उत्तरांचल)

रायपुर (छत्तीसगढ़)

रांची (झारखण्ड)

मौजूदा केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची

सीडीएल, कोलकाता

सीडीटीएल, चेन्नई

सीडीटीएल, मुम्बई

आरडीटीएल, गुवाहाटी

सीआईपीएल, गाजियाबाद

स्थापित की जा रही नई केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला

आरडीटीएल, चंडीगढ़

कर्नाटक की लंबित परियोजनाएं

3178. श्री जी. एम. सिद्वीश्वर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार योजना आयोग के पास वित्तीय सहायता हेतु कर्नाटक की कितनी पूर्व स्वीकृत परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और वर्ष 2005-06 के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं, योजना आयोग के पास कर्नाटक की कोई पूर्व स्वीकृत परियोजनाएं लंबित नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एड्स संबंधी आयोग

3179. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विश्व के पहले एड्स संबंधी स्वतंत्र आयोग का संचालन करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं;

(घ) इस आयोग में कितने देशों के प्रतिनिधित्व करने की संभावना है;

(ङ) क्या आयोग की भूमिका सलाहकार प्रकृति की है, और

(च) यदि हां, तो इस आयोग के किस सीमा तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में एड्स की समस्या को दूर करने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां।

एशिया और प्रशांत देशों के लिए एड्स संबंधी स्वतंत्र आयोग का गठन यून एड्स द्वारा की गई एक पहल है। यह आयोग जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों की सामाजिक समस्याओं और उन पर एच आई वी तथा एड्स के कारण पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक निकाय है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ओर से यून एड्स से आयोग की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया है।

(ग) इस आयोग का मुख्य कार्य प्रभावित देशों में एड्स महामारी और इसके निवारण और रोकथाम के लिए चल रहे कार्यक्रमों की स्थिति का आकलन, परिवार, समुदाय कार्यस्थल और समाज स्तर पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और एच आई वी के माध्यम तथा इसके सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करना है।

(घ) इस आयोग में 7 देशों के 10 विशेषज्ञ शामिल हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) इस आयोग की रिपोर्ट के इस क्षेत्र में एच आई वी/एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए प्रभावी उपायों को बढ़ावा देने हेतु एक समर्थन प्रलेख/दस्तावेज साबित होने की आशा है।

विकसित निगरानी-प्रणाली

3180. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पोत परिहवन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन्न-किन्न पत्तनों में वर्तमान में विकसित निगरानी-प्रणाली शुरू की गई है और तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न पत्तनों में इस प्रणाली को संस्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रणाली को कब तक संस्थापित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) 1 जुलाई, 2004 से लागू हुई पोतों और पत्तनों की सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संहिता के अनुरूप महापत्तनों द्वारा सुरक्षा बढ़ाए जाने की दृष्टि से से कई उपाय किए गए हैं। उपर्युक्त संहिता के अनुसार, पत्तन-सुविधाओं के प्रति खतरे को देखते हुए उपर्युक्त पत्तनों द्वारा पत्तन-सुविधाओं, पोतों, व्यक्तियों, जहाजी माल, आदि की सुरक्षा को बढ़ाए जाने के उपाय किए गए हैं। इनमें, पहचान का प्रमाणीकरण किए जाने, गश्त में बढ़ोतरी किए जाने, क्लोज सर्किट टी.वी. लगाए जाने, घुसपैठिए की चेतावनी देने वाले यंत्र लगाए जाने, आदि जैसे उपाय किए जाने शामिल हैं। भारत में अवस्थित सभी महापत्तन, पोतों और पत्तनों की सुरक्षा से संबंधति अंतर राष्ट्रीय संहिता का पालन करते हैं। सुरक्षा तथा निगरानी का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से कोलकाता, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, नवमंगलूर और मुरगांव में अवस्थित महापत्तनों द्वारा जलयान-यातायात-प्रबंधन-प्रणाली भी लगाई गई है, जो कि पत्तन-जलमार्गों में जलयानों का आना विनियमित करती है और किसी भी समय जलयान की वास्तविक स्थिति पर नजर रखती है।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन की निम्न दर

3181. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार सृजन बढ़ते श्रम बल की तुलना में काफी कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रोजगार की वृद्धि दर जो वर्ष 1983-84 में 2.7 प्रतिशत थी कम होकर एक प्रतिशत रह गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या एशियाई विकास बैंक ने उपर्युक्त उपनति पर अपनी चिंता व्यक्त की है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार ने वार्षिक रोजगार वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) वर्ष 1983 से 1993-94 के बीच 1983 (38वां दौर), 1993-94 (50वां दौर) और 1999-2000 (55वां दौर) में किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के रोजगार और बेरोजगार से संबंधित पंचवार्षिक दौरों के अनुसार श्रम बल की वृद्धि 2.43 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी और सीडीएस के आधार पर रोजगार की वृद्धि 2.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। वर्ष 1993-94 और 1999-2000 की अवधि के दौरान श्रम बल की बढ़ोतरी 1.31 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी और रोजगार में 1.07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी हुई। श्रम बल और रोजगार दोनों में इस अवधि के दौरान तीव्र गिरावट आई।

(ग) और (घ) वर्ष 1983 से 1993-94 और 1993-94 से 1999-2000 की अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में रोजगार की वृद्धि दर को नीचे तालिका में दिया गया है

तालिका: वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर रोजगार की वृद्धि दर

क्षेत्रक	रोजगार वृद्धि (% प्रतिवर्ष)	
	1983 और 1993-94	1993-94 और 1999-2000
1	2	3
कृषि	2.23	0.02
खनन और खदान	3.68	-1.91
विनिर्माण	2.26	2.58

1	2	3
विद्युत, गैस और जल	5.31	-3.55
निर्माण	4.18	5.21
व्यापार, होटल और रेस्टोरेन्ट	3.80	5.72
परिवहन, भण्डारण आदि	3.35	5.53
वित्तपोषण बीमा आदि	4.60	5.40
सामुदायिक समाज सेवाएं	3.85	-2.08
सभी क्षेत्रक	2.70	1.07

यह देख जा सकता है कि बाद की अवधि में रोजगार में गिरावट मुख्यत: कृषि, खनन, विद्युत और सामुदायिक सेवाओं जैसे क्षेत्रकों में गिरावट होने के कारण हुई है।

(ङ) दसवीं योजना में उक्त योजना अवधि में 50 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजन का अनुमान लगाया गया था। रोजगार सृजन के लिए दसवीं योजना में कृषि और समवर्गी कार्यकलापों, कृषि वानिकी, ऊर्जा, बायो-मास विद्युत उत्पन्न करने के लिए पौध-रोपण, ग्राम उद्योगों सहित लघु और मध्यम उद्यम, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल कल्याण सेवाओं के प्रावधान जैसे श्रम सघन क्षेत्रकों और उप-क्षेत्रकों की पहचान की गई थी। रोजगार बढ़ाने के लिए बंजरभूमि और जलसंभर विकास पर भी बल दिया गया है।

(च) एशियाई विकास बैंक ने अपने "देश कार्यनीति और कार्यक्रम अद्यतन 2006-2008: भारत" में उल्लेख किया है कि भारत में रोजगार वृद्धि में कमी आई है।

(छ) से (झ) दसवीं योजना के बाद वार्षिक रोजगार सृजन में बढ़ोतरी करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

गोदावरी नदी की सफाई

3182. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा गोदावरी की सफाई करने और इसके घाटों के निर्माण के लिए भेजा गया एक प्रस्ताव योजना आयोग के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है और इस उद्देश्य हेतु अभी तक कितनी धनराशि आबंटित की जानी है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के अनेक संसद सदस्यों ने इस संबंध में कोई लिखित अनुरोध भी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) गोदावरी नदी को साफ करने और इसके घाटों के निर्माण से संबंधित कोई भी प्रस्ताव योजना आयोग में लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय कृषि मंत्री ने जनवरी, 2006 में उपाध्यक्ष, योजना आयोग को संबोधित एक पत्र में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठान कस्बे में गोदावरी नदी से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण कार्यों को शामिल करने का अनुरोध किया था। इस पत्र पर योजना आयोग में पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) के परामर्श से कार्रवाई की गई थी। एमओईएफ ने उल्लेख किया था कि राज्य सरकार ने सितम्बर, 2005 में उक्त प्रस्ताव पर उक्त मंत्रालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भिजवाई थी। जांच करने पर एमओईएफ ने यह पाया था कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कुछ ब्यौरों का अभाव था और राज्य सरकार को जनवरी, 2006 और दुबारा जुलाई, 2006 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, राज्य सरकार के प्रत्युत्तर की अभी भी एमओईएफ को प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

खेल प्रोत्साहन योजना

3183. श्री रनेन बर्मन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में ग्रामीण महिला खिलाड़ियों के लिए एक खेल प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों को इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप तथा महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं जिसमें ग्रामीण महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इन दो योजनाओं की मुख्य बातों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण की निम्नलिखित योजनाएं भी खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है–

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी)

(2) भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)

(3) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)

(4) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स)।

(ग) और (घ) इन योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों पर कार्रवाई करते समय भारतीय खेल प्राधिकरण राज्यो सरकारों से परामर्श करता है।

विवरण

1. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप

1975 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के बीच खेलों का संवर्धन करना है। योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से पहले निचले स्तर की प्रतियोगिताएं (ब्लाक, जिला और राज्य स्तर) आयोजित की जाती हैं जिसमें मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए फिलहाल अपनाया जा रहा पैटर्न निम्नलिखित है–

1. ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रति ब्लाक 1000 रु.
2. जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रति जिला 3000 रु.
3. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रति राज्य 10,000 रु
4. छोटे राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रति राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र 5,000 रु.।

तथापि, ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता कुल ब्लाकों के 60% तक प्रतिबंधित हैं जहां राज्य में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तथा शेष 40% ब्लाकों के लिए संबंधित राज्य को सलाह दी जाती है कि वह पूरे व्यय को बांटे।

2. महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति

महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति-इन छात्रवृत्तियों के लिए तीन घटक हैं, नामत: सीनियर महिला चैम्पियनों के लिए छात्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार की दर से अर्थात 12000 रु. प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्र में खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा कर रही महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति जिसके अंतर्गत प्रति कोर्स 6000 रु. की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शारीरिक शिक्षा में एम. फिर/पीएचडी कर रही महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति जिसके अंतर्गत अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए 6000 रु. प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति की दरों में निम्नलिखित वृद्धि के साथ योजना को हाल ही में संशोधित किया गया है। राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति (श्रेणी-1), 550 रु. प्रतिमाह की दर से अर्थात 6600 रु. प्रतिवर्ष (12 महीने), राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति (श्रेणी-2) 7000 रु. प्रतिमाह की दर से अर्थात 8400 रु. प्रतिवर्ष (12 महीने)। विश्वविद्यालय/कालेज स्तरीय छात्रवृत्ति (श्रेणी-3) 850 रु. प्रतिमाह की दर से अर्थात 10,200 रु. प्रति वर्ष (12 महीने)। सीनियर महिला चैम्पियनों के लिए छात्रवृत्ति, 1500 रु. प्रतिमाह की दर से, अर्थात 18,000 रु. प्रतिवर्ष। डिप्लोमा कर रही महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति 7500 रु. प्रति कोर्स की दर से एम.फिल/पीएचडी कर रही महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति 10,000 रु. प्रति वर्ष की दर से।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कोचिंग

3184. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) द्वारा दी गई कोचिंग का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एस.ए.आई. द्वारा क्या मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या हमारे देश में प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) द्वारा प्रदान की गई कोचिंग/प्रशिक्षण का ब्यौरा निम्नलिखित है–

क्र.सं.	योजना का नाम	उन खिलाड़ियों की संख्या जिन्हें कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान किया गया (वर्ष वार)		
		2003-04	2004-05	2005-06
(1)	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना	2130	2237	2216
(2)	सेना बाल खेल कंपनी योजना	0702	0738	0830
(3)	विशेष क्षेत्र खेल योजना	1378	1388	1390
(4)	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र योजना	5465	5502	5790
(5)	उत्कृष्टता केन्द्र योजना	0371	0400	0404

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित चयन परीक्षाओं के आधार पर की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जबकि देश में प्रतिभाशाली खेल युवाओं में कोई कमी प्रतीत नहीं होती, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	भारत सरकार की योजनाएं
1	2
1.	खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजनाएं
	(1) स्कूलों में खेल-कूद का संवर्धन
	(2) खेल छात्रवृत्ति योजना
	(3) ग्रामीण खेल कार्यक्रम
	(4) राष्ट्रीय खेल विकास निधि
	(5) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन हेतु खेल निधि
2.	प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजना
3.	पुरस्कारों से संबंधित योजना–
	(1) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कारों की योजना
	(2) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
	(3) मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी
4.	खेल-कूद में जीवन-पर्यन्त उपलब्धि के लिए ध्यानचन्द पुरस्कार की योजना
5.	खेल-कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अर्जुन पुरस्कार की योजना

1	2
6.	खेल-कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार योजना
7.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि
8.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप
9.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता योजना

नौजवानों में एच आई वी संक्रमण

3185. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर में 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में एच आई वी संक्रमण के 40,000 मामलों का पता चला है जैसाकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निदेशक ने हाल ही में बताया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर इस आयु वर्ग में एच आई वी संक्रमण की इतनी बड़ी संख्या का पता चला है?

स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का तीसरा चरण तैयार करने के लिए इसके आकार का अनुमान लगाने के उद्देश्य से किए गए आकलन के अनुसार मणिपुर राज्य में अनुमानत: 28086 लोग सूई द्वारा औषध लेते (इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स) हैं। सूई द्वारा औषध लेने वाले लोगों में की गई वार्षिक प्रहरी निगरानी से पता चला है कि पिछले चार वर्षों में इन लोगों में एचआईवी संक्रमण 39% से 21% रहा है। सूई द्वारा औषध लेने वाले लोगों के बीच एचआईवी व्यापतता की इस प्रवृत्ति को देखते हुए पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 23520 से लेकर 43680 हो सकती है। वर्ष, 2004 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सूई से औषध लेने वाले ज्यादातर व्यक्तियों की उम्र लगभग 20 वर्ष है।

(ख) यह अनुमान निम्नलिखित अध्ययनों पर आधारित है–

– राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-3 के लिए किए गए आकार-अनुमान अध्ययन।

– वार्षिक प्रहरी निगरानी रिपोर्ट, 2005।

– जून, 2004 में यू एन ओ डी सी और एम एस जे ई द्वारा किया गया राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण।

भूमि से विस्थापित किए गए लोगों का पुनर्वास

3186. श्री सुबोध मोहिते: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) ने भूमि से विस्थापित किए गए लोगों का पुनर्वास किए बिना गोडागांव में कामटी ओपनकास्ट माइन हेतु भूमि अधिगृहीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डब्ल्यूसीएल ने भूमि से विस्थापित किए गए लोगों हेतु कोई पुनर्वास कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परिवारों का पुनर्वास कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कामटी ओपनकास्ट खान के लिए गोंडागांव की कोई जमीन अधिगृहीत नहीं की गई है। तथापि, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) इन्दर भूमिगत से ओपनकास्ट परियोजना के लिए गोंडागांव ग्राम में भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है। कलेक्टर, नागपुर को 17.4.06 को प्रस्तुत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव की महाराष्ट्र सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) डब्ल्यू.सी.एल. ने नए पुनर्स्थापना स्थल पर गोंडागांव ग्राम के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत कांद्री गांव में 21.93 हेक्टेयर भूमि के पुनर्स्थापना स्थल को अधिगृहीत करने का प्रस्ताव कलेक्टर, नागपुर को 9.5.2006 को प्रस्तुत किया गया है जिसकी जांच विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नागपुर द्वारा की जा रही है।

(ङ) और (च) सम्पूर्ण पुनर्वास प्रक्रिया मार्च, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल खनिज विकास निगम द्वारा खनन

3187. **श्री सुनील खां:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल खनिज विकास निगम को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बरजोरा क्षेत्र में खनन करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईसीएल द्वारा बांकुरा जिले के बरजोरा, बेलीआत्मे, मीजिया और गनगज घाटी के मोजा का खनन किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमति कब तक दी जाएगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल खनिज विकास तथा व्यापार निगम लि. (डब्ल्यू.बी.एम.डी.टी.सी.एल.) को पश्चिम बंगाल में बरजोरा, जिला बर्द्धवान के निकट ट्रांस दामोदर सेक्टर कोयला ब्लाक आबंटित किया है। तथापि, खनन पट्टा संबंधित राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है।

(ग) और (घ) बांकुरा जिले के बरजोरा के निकट बरजोरा, गंगाजल घाटी, बेलियातोर और मेजिया नामक मौजाओं को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के भावी उत्पादन कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

अर्जुन पुरस्कार हेतु मानदण्ड

3188. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने जाने संबंधी मानदण्ड क्या है;

(ख) प्रख्यात खिलाड़ियों द्वारा पुरस्कार के लिए चुने जाने हेतु अपनाई गई पारदर्शिता पर प्रतिवर्ष व्यक्त किए गए संदेहों पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे विवादों से बचने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद कुछ योग्य खिलाड़ियों को पुरस्कार नहीं दिया जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे खिलाड़ी कौन-कौन से हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) अर्जुन पुरस्कार योजना के अनुसार, इस पुरस्कार की पात्रता के लिए किसी खिलाड़ी ने पिछले तीन वर्षों में न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया हो वरन उस वर्ष भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, जिस वर्ष पुरस्कार के लिए संस्तुति की गई हो, तथा उसमें नेतृत्व, खेल की भावना तथा अनुशासन के गुण भी होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए केवल निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली खेल विधाओं के खिलाड़ियों पर विचार किया जाता है–

(1) ओलंपिक खेल/एशियाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल/विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप खेल विधा अथवा कोई भी समकक्ष मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट तथा क्रिकेट

(2) देशी खेल

(3) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए खेल।

(ख) से (छ) एक चयन समिति अर्जुन पुरस्कारों के विषय में निर्णय लेती है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 (समिति के अध्यक्ष सहित) प्रसिद्ध खिलाड़ी, उत्कृष्ट ओलंपिक खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत तथा खेल प्रशासक होते हैं।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भारतीय ओलंपिक संघ, राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की सरकारों तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के खेल संवर्धन/नियंत्रण बोर्डों से प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं तथा 31 मई तक प्राप्त नामांकनों की भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संवीक्षा की जाती है और इन्हें नामांकन-पत्र में दर्शाए एक खेल-प्रदर्शनों के सत्यापन के लिए स्क्रीनिंग समिति के

समक्ष रखा जाता है। इसके बाद, चयन समिति की बैठक में प्रत्येक नामित खिलाड़ी के प्रदर्शन की संवीक्षा की जाती है एक कलैण्डर वर्ष में केवल 15 पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। जिसके लिए सभी प्राप्त नामांकनों पर पूरी तरह से विचार-विमर्श करने के बाद समिति द्वारा चयन किया जाता है। चयन न हो पाने की स्थिति में किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत शिकायत पर ध्यान दिए जाने की संभावना की गुंजाइश नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए हरेक प्रयास किया जाता है कि चयन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ हो।

[हिन्दी]

समुद्री पत्तनों पर प्रयोगशालाएं

3189. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने समुद्रीय पत्तन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन पत्तनों पर विदेशों से आई खाद्य सामग्री की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि इन पत्तनों पर माल की उतराई में अनुचित विलम्ब होता है तो क्या अतिरिक्त किराया अदा करना अपेक्षित होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खाद्य सामग्री को उतारने से पहले उसकी प्रयोगशाला में जांच की जाती है;

(च) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(छ) क्या ऐसी प्रयोगशालाएं पत्तनों पर हैं अथवा ऐसी जांच मैसूर आदि में की जाती है;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन समुद्रीय पत्तनों पर ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(झ) यदि हां तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) हमारे देश में 12 महापत्तन और 187 महापत्तनों से इतर पत्तन हैं। उनका राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

	महापत्तनों की संख्या	महापत्तनों से इतर पत्तनों की संख्या
पश्चिमी तट		
गुजरात	1	40
महाराष्ट्र	2	53
कर्नाटक	1	10
केरल	1	13
गोवा	1	5
दमन व दीव	–	2
लक्षद्वीप	–	10
पूर्वी तट		
तमिलनाडु	3	15
आंध्र प्रदेश	1	12
उड़ीसा	1	2
पश्चिमी बंगाल	1	1
पांडिचेरी	–	1
अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह	–	23

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान महापत्तनों पर खुले बृहद् जहाजी माल (बल्क कार्गो) के रूप में विदेशों से मिली खाद्य सामग्री की मात्रा निम्नानुसार है–

वर्ष	2003-2004	2004-2005	2005-2006
खाद्य सामग्री की मात्रा मीट्रिक टन में	2110524	2423998	2370153

(ग) और (घ) पत्तन, जलयान के घाट पर रहने की अवधि के दौरान उसके संबंध में प्रति घंटे के आधार पर घाट-भाड़ा शुल्क लेता है। यदि जलयान से माल को उतारे जाने में अधिक समय लगता है तो उसके एजेंटों द्वारा घाट का अपेक्षाकृत अधिक भाड़ा-शुल्क अदा किया जाना होता है।

(ङ) से (झ) जी, हां। खाद्य-अपमिश्रण-निवारण-नियम, 1955 के नियम 3 के अनुसार, पत्तनों पर आने वाली सभी आयातित खाद्य वस्तुओं का नामोदिष्ट केन्द्रीय खाद्य-प्रयोगशालाओं

द्वारा विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सीमा शुल्क के कलैक्टर, आयातित सामान की रासायनिक जांच करने में विभिन्न पत्तनों पर तैनात पत्तन-स्वास्थ्य-अधिकारियों की मदद लेते हैं। आयातित खाद्य वस्तुओं के नमूनों के विश्लेषण में देर नहीं होने देने की दृष्टि से, स्वास्थ्य-सेवा-महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण-मंत्रालय ने पत्तनों के माध्यम से आयातित नमूनों का विश्लेषण करने की दृष्टि से 27 राजकीय सार्वजनिक विश्लेषक प्रयोगशालाओं और कोलकाता में अवस्थित एक निर्यात निरीक्षण परिषद् प्रयोगशाला को प्राधिकृत किया है। राजकीय सार्वजनिक विश्लेषक प्रयोगशालाएं, नमूने प्राप्त होने के तीन से चार दिनों के भीतर जांच करती हैं। चूंकि ये प्रयोगशालाएं, प्रत्येक महापत्तन पर या उसके नजदीक उपलब्ध हैं, अतः स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण-मंत्रालय द्वारा कोई नई प्रयोगशाला स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

[अनुवाद]

खेलों को बढ़ावा देना

3190. **श्री सुब्रत बोसः** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार-उद्योग सहयोग संबंधी एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न खेल संघ भी समिति से जुड़े हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) भारत सरकार देश में खेलों के संवर्धन के लिए उद्योगों के साथ सहयोग के महत्व के प्रति जागरूक और गंभीर है। हालांकि, इस संबंध में कोई भी समिति गठित नहीं की है फिर भी प्रतिभाओं का पता लगाने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के संबंध में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता के संबंध में खेलों के संवर्धन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उद्योगों के साथ समय-समय पर अनेक बैठकें और विचार-विमर्श हुए है। इस प्रक्रिया में भा.खेलप्रा. ने फिक्की के साथ तथा भारतीय ओलंपिक संघ ने सी.आई.आई. के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं जिसके तहत सी.आई.आई. ने चयनित खेल विधाओं के एथेंस ओलंपिक में प्रदर्शन के लिए उनकी तैयारी के लिए समर्थन प्रदान किया है तथा ओलंपिक 2008 के लिए "गोल्डन होप्स" नामक योजना भी प्रारंभ की है। इस सतत प्रक्रिया के एक अंग के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के साथ आपसी विचार-विमर्श हुए हैं/हो रहे हैं जिसमें 2010 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में सहयोग के क्षेत्र का पता लगाया जा सके। खेलों के संवर्धन और उनके उत्कृष्टता के बिना ऐसे सहयोग हेतु सरकार उद्योग तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघ के मध्य संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी जो सरकार की सहायता और सहयोग से टीमों की तैयारी के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है।

विमानवाहक जहाज का निर्माण

3191. **श्रीमती अर्चना नायकः**
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड में देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक जहाज बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देशी वायुयान-वाहक पोत का निर्माण किया जाना सुकर और सुसाध्य बनाने की दृष्टि से अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं बढ़ाए जाने के लिए मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 213 करोड़ रुपए की धनराशि संस्वीकृत कर दी गई है। उपर्युक्त परियोजना, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है।

असम में एक्सप्रेस वे

3192. **श्री मणी कुमार सुब्बाः** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार के शत-प्रतिशत वित्त पोषण से गुवाहाटी और डिब्रुगढ़ के बीच चार लेन वाले एक्सप्रेस-वे के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क साधा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गुवाहाटी और डिब्रुगढ़ के बीच एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पूर्व-पश्चिम महामार्ग के भाग के तौर पर गुवाहाटी से नौगांव तक विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चार लेन का बनाने का कार्य पहले से ही चल रहा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' के चरण–क के अंतर्गत नौगांव से डिब्रुगढ़ तक चार लेन का बनाने के कार्य को सरकार ने दिनांक 22.9.2005 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

[हिन्दी]

बम विस्फोटों की जांच हेतु पाकिस्तान द्वारा सहायता देना

3193. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में मुंबई में हुए सिल-सिलेवार रेल बम विस्फोटों की जांच में सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। 11 जुलाई, 2006 को मुंबई में हुए रेल धमाकों के पश्चात पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने 20 जुलाई 2006 को अपने भाषण में कहा कि "पाकिस्तान आतंकवादियों अथवा उनके संगठन की पहचान में पूर्ण सहायता प्रदान करेगा यदि हमें विशिष्ट सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए।"

(ग) साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने पर मुंबई धमाकों की जांच में राष्ट्रपति मुशर्रफ के प्रस्ताव के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 21 जुलाई, 2006 को कहा कि "विगत में पाकिस्तान द्वारा सहयोग से इंकार किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हम संतुष्टि महसूस करें क्योंकि अभी हाल ही में इस वर्ष के मई माह में गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई थी जिसमें पाकिस्तान को इसका पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था कि उनके क्षेत्र में आतंकवादी दलों और भगोड़ों का अस्तित्व है। तथापि, राष्ट्रपति मुशर्रफ के आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए हम पाकिस्तानी प्राधिकारियों को सभी उपलब्ध साक्ष्य प्रदान करना जारी रखेंगे और उनकी ओर से की जाने वाली मूर्त कार्रवाई के लिए प्रतीक्षा करेंगे।" हालांकि, सरकार पाकिस्तान द्वारा उन जिहादी दलों की उपस्थिति से इंकार करने और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से निराश है, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारत के विरुद्ध अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।

अंग प्रत्यारोपण पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

3194. श्री कैलाश जोशी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंग प्रत्यारोपण के बारे में कतिपय विशेषज्ञ समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उनकी प्राप्ति की तारीख क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर ऐसे मरीजों की तकलीफ को दूर करने के मद्देनजर कानून में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट 25 मई, 2005 को सरकार को प्रस्तुत की गई।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने सूचना/शिक्षा/सम्प्रेषण कार्यक्रमों के माध्यम से और अंगों, विशेष रूप से केडेवर अंगों की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोत्साहनों के माध्यम से मानव अंग दान करने के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने की सिफारिश की। सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों समेत अन्य स्टेकहाल्डरों के साथ सलाह करना आवश्यक होगा।

गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं

3195. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के लिए किसी अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन गैर-सरकारी संगठनों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	मंजूर की गई धनराशि (रु. में)			इस परियोजना की वर्तमान स्थिति
			2003-04	2004-05	2005-06	
1	2	3	4	5	6	7
1.	वरूण हर्बल्स प्रा.लि. हैदराबाद	महिलाओं और बच्चे की प्रसवकालीन परिचर्या में उपयोग की गई प्राकृतिक मूल की फारस्परिक औषधों का मानकीकरण	6,48,700			अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
2.	रोजगार एवं ग्रामीण विकास जिला पुरी, उड़ीसा	पुरी जिले के करूण प्रसाद और ब्रह्मआगिरी खंड के लिए चलते-फिरते प्रजनन स्वास्थ्य क्लीनिक के बारे में नवीन परियोजना	15,29,950	18,62,489	20,00,778	परियोजना चल रही है
3.	प्रेजीडेंसी कालेज, कलकत्ता	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पहले से पता जन्म के समय का भार वाले बच्चों के लिए जांच उपकरणों का विकास	385655			अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
4.	एस.एन.एस. प्रतिष्ठान, गुड़गांव	किशोरियों द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में कार्योन्मुखी जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान पर आधारित प्रायोगिक अध्ययन	946585			अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
5.	परिवार सेवा संस्थान, नई दिल्ली	(1) ओरल मिफेप्रिस्टोन के बाद मिफेप्रिस्टोन और (2) अकेले मिफेप्रीस्टोन का प्रयोग करते हुए शुरू की गर्भावस्था को समाप्त करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को नैदानिक सह सामाजिक आचरणात्मक मूल्यांकन अध्ययन	2,60,000			अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
6.	परिवार सेवा संस्थान, नई दिल्ली	स्वीकारकर्ताओं और प्रदायकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आपाती गर्भनिरोधन के बारे में व्यवहार्यता ओर आपाती गर्भ निरोधन के रूप में खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के ब्लिडिड पैकेजिंग की परीक्षा स्वीकार्यता	10,50,000			अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
7.	महिलाओं और बच्चों की सोसाइटी (स्वच) हरियाणा	विशिष्ट कार्यकलाप की व्यवहार्यता हेतु किशोर स्वास्थ्य के बारे में समुदायिक आधारित अनुसंधान	5,40,520	4,80,000	46,580।	अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
8.	मानसिक मन्दता अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	रोग का शुरू में ही पता लगाने के निदान हेतु अनुवंशिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण और विकलांगताओं के विकास का निवारण	11,87,548	15,67,675	7,38,192	अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

1	2	3	4	5	6	7
9.	दृष्टि, नई दिल्ली	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं का लागत का अनुमान		3,50,000	2,72,037	अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
10.	भारतीय पोषण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	मर्यादस्था स्वतंत्रता की व्यापकता दर में अन्तर राज्यीय और इन्ट्रा स्टेट अन्तर के योगदान देने वाले संभावित कारकों का एक अध्ययन	10,00,000	6,61,671		अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
11.	भारतीय पोषण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	जन्म के समय कम भार और अन्तर गर्भाशय विकास मन्दता की रोकथाम करने हेतु व्यवहार्य कार्य नीतियों की जांच	12,54,000	6,40,612		अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
12.	स्वास्थ्य, नई दिल्ली	परिवार नियोजन के प्रति स्वास्थ्य कार्य नीतिक दृष्टिकोण		3,44,750	4,57,880	अध्ययन चल रहा है।
13.	अखिल जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहट	मेघालय (निचले और सर्वोच्चिक क्षेत्र दोनों) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी चुनिन्दा तुलिकाएं, लिंग मूल्यों और गर्भपात के बारे में ध्यान केन्द्रित करना		3,59,271	2,33,089	अध्ययन चल रहा है।
14.	बिहार आर्थिक अध्ययन एवं संस्थान, पटना	कार्यक्रम की अवधारणा के बारे में एक अध्ययन परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता और उपयोगिता वाले लाभार्थी और गैर-लाभार्थी	3,00,000		62,587	अध्ययन पूरा किया गया रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
15.	ग्रामीण विकास इंस्टिट्यूट केन्द्र, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सामाजिक गतिशीलता और पंचायतों की सहभागिता के बारे में अध्ययन			3,17,416	अध्ययन चल रहा है।
16.	भारतीय स्वास्थ्य प्रबन्ध संस्थान, जयपुर	स्कूल जाने वाले और स्कूल से बाहर के किशोरों की प्रजनन और यौन स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने के बारे में एक प्रक्षेपणात्मक अनुसंधान अध्ययन	5,61,200		10,72,875	अध्ययन पूरा किया गया रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
17.	आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबन्ध सोसाइटी, नई दिल्ली	आर्थिक विकास और पर्यावरणिक प्रबन्ध सोसाइटी, नई दिल्ली			5,05,680	अध्ययन चल रहा है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के माध्यम से भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं और धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	मंजूर की गई धनराशि (रु. में)			इस परियोजना की वर्तमान स्थिति
			2003-04	2004-05	2005-06	
1	2	3	4	5	6	7
1.	खासमाड स्वास्थ्य केन्द्र, खासमाड	भारत की कुछ आदिम आदिवासी आबादियों में वंशानुक्रम रक्ताल्पता हीमोग्लोबिनो चिकित्साओं हेतु उपचार कार्यक्रम	3,03,062	467520		पूरी हो गई है।
2.	सामाजिक विकास केन्द्र, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश की चलचमाल्ल में चेन्चुस के आदिम आदिवासियों में स्वास्थ्य संबंधी पहलू	1,23,000	1,34,000		पूरी हो गई है।
3.	राष्ट्रीय व्यवहारिक मानव अनुसंधान एवं विकास संस्थान, कटक	छोटे शिशुओं के गृह आधारित उपचार		16,22,450	7,00,000	चल रहा है

1	2	3	4	5	6	7
4.	स्वास्थ्य हेतु कार्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उदयपुर	छोटे शिशुओं के गृह आधारित उपचार		16,22,450	7,00,000	चल रहा है।
5.	राष्ट्रीय व्यावहारिक मानव अनुसंधान एवं विकास संस्थान, कटक	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यनीति के अन्तर्गत पुरुष सहभागिता को बढ़ावा देना-ग्रामीण उड़ीसा में किशोरों पर एक कार्य अनुसंधान	3,30,913			पूरी हो गई है
6.	बम्बई कुष्ठ परियोजना चिंतनवन भवन, मुम्बई	एम बी कुष्ठ के रिलेप्स मामलों में माऊस फुट पैड का उपयोग करते हुए औषध प्रतिरोधक एम लेप्रे हेतु जांच-एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन		4,09,615	2,06,600	चल रही है
7.	इन्टर अकादमी जैव चिकित्सीय विज्ञान मंच, बैंगलूर	पुरुष अप्रजननता का जीनोमिक्स	91,040	96,488	2,00,101	चल रही है।
8.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, नई दिल्ली	विश्वव्यापी शहरों में कुष्ठ की निगरानी और एम डी टी अनुपालन हेतु कुल जनसंख्या कवरेज में स्कूल बच्चों की सहभागिता	13,05,990	10,37,009		पूरी हो गई है।
9.	मुथिमिरी रामलिंगास्वामी प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	प्रजनन स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में घरेलू हिंसा के स्वास्थ्य परिणामों का अध्ययन	2,38,967	512953		पूरी हो गई है।
10.	तालीम अनुसंधान प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	प्रजनन स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में घरेलू हिंसा के स्वास्थ्य परिणामों का अध्ययन	2,38,967	512953		पूरी हो गई है।
11.	महिला चेतना मंच, भोपाल	प्रजनन स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में घरेलू हिंसा के स्वास्थ्य परिणामों का अध्ययन	2,38,967	512953		पूरी हो गई है।
12.	प्रकृति भारत हेतु विश्वव्यापी निधि कोलकाता	अयोध्या हिल्स, पुरूलिया जिला, पश्चिम बंगाल में औषधीय पादपों की सामान सूची बनाना और अयोध्या हिल्स के पास स्थित जातीय समुदायों द्वारा उनके उपयोग के बारे में स्वदेशी ज्ञान पद्धति का प्रलेखन और विश्लेषण			129223	चल रही है।
13.	उपचर्या अध्ययन अकादमी, हैदराबाद	भारत में विभिन्न जनसंख्या वर्गों में सूक्ष्म जीवनाशकों की स्वीकार्यता को प्रभावित करने वाले घटकों का एक अध्ययन			201077	चल रही है।
14.	चाइल्ड इन नीड इन्स्टीट्यूट, कोलकाता	मूलभूत स्वास्थ्य प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाओं और क्षमताओं का एक अध्ययन			177220	चल रही है।
15.	समर्थन, भोपाल	मूलभूत स्वास्थ्य प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाओं और क्षमताओं का एक अध्ययन			177220	चल रही है।
16.	गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थान एवं परिवार कल्याण न्यास, डिंडीगुल	भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध/गैर-कानूनी गर्भपात की मनोविज्ञानीय और सेवा गति का एक अध्ययन			393124	चल रही है।
17.	भारतीय केंसर सोसायटी, मुम्बई	राष्ट्रीय केंसर रजिस्ट्री-जनसंख्या आधारित		6,87,000	6,87,000	चल रही है।

कजाकिस्तान से मेडिकल डिग्री

3196. **श्री मो. ताहिर:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कजाकिस्तान से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले सभी भारतीय अभ्यर्थियों को देश में मेडिकल परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय छात्रों के पास कजाकिस्तान की मेडिकल डिग्री है;

(ग) क्या सरकार उनकी मेडिकल डिग्री को मान्यता देने तथा उन्हें देश में अन्य मेडिकल परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार भारत से बाहर किसी देश की चिकित्सा संस्था द्वारा भारतीय नागरिक को दी गई चिकित्सा योग्यता उस व्यक्ति के लिए उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु चिकित्सा योग्यता के रूप में तभी मान्यताप्राप्त है जब (1) विदेशी चिकित्सा डिग्री उस देश में चिकित्सा प्रैक्टिशनर के रूप में नामांकित होने के लिए मान्यताप्राप्त डिग्री हो (2) विदेशी चिकित्सा डिग्री प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति ने भारत में स्क्रीनिंग जांच उत्तीर्ण कर ली हो और (3) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा उस व्यक्ति को उक्त विदेशी चिकित्सा डिग्री का प्रयोग करने के लिए पात्रता/योग्यता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

उक्त प्रावधान/उपबन्ध कजाकिस्तान सहित भारत से बाहर किसी भी देश में विदेशी चिकित्सा योग्यता हासिल करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होता है।

[अनुवाद]

बिना परीक्षण वाली वैक्सीन का प्रयोग करना

3197. **श्री अनन्त नायक:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिना परीक्षण वाली जे.ई. वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कुछ बच्चे मर गए हैं अथवा उन्हें गंभीर रिएक्शन हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त वैक्सीन देने पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है; और

(छ) यदि नहीं, तो देश में वैक्सीन का प्रयोग करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी नहीं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं असम के 11 जिलों में जापानी इन्सेफलाइटिस का टीकाकरण अभियान चलाया गया है। कुल मिलाकर 1-15 वर्ष की आयु के 93,086,98 बच्चों को टीका लगाया गया है।

जापानी इन्सेफेलाइटिस टीकाकरण के बाद कुल 504 बच्चों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें कुछ मामूली रूप से, 65 गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों में से 22 की मृत्यु हो गई। प्रारम्भिक जांच के बाद यह पाया गया कि मौतों सहित ये प्रतिकूल प्रभाव जापानी इन्सेफेलाइटिस के टीके से संबंधित नहीं थे। प्रतिकूल प्रतिक्रिया वाले 16 सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड नमूने की जांच राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे और 6 नमूनों की जांच राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में की गई। इनके निष्कर्ष नाकारात्मक रहे जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि टीकाकरण के बाद ' प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का कोई प्रमाण नहीं है।

(ङ) भारत के 11 निर्धारित स्थानीय महामारी वाले जिलों में सीमित प्रयोग के पूर्व चीन के चेंगडू इंस्टीयूट ऑफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट, से आयातित चीनी-जापानी इंसेफलाइटिस वैक्सीन की जांच केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली द्वारा की गई थी और इसे मानक गुणवत्ता का पाया गया था।

(च) वैक्सीन सुरक्षा संबंधी विषयों पर कार्रवाई करने के लिए स्थापित विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचना देने वाले एक विशेषज्ञ क्लिनिक एवं वैज्ञानिक सलाहकार निकाय "ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी" (जी ए सी वी एस) ने सूचना दी है कि यह वैक्सीन सुरक्षित एवं कारगर है।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु पुरस्कार

3198. **श्री रशीद मसूद:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नौकरशाहों को उनके उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु पुरस्कार देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किये गये असाधारण और नवप्रवर्तनकारी कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए "लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार" योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी आचरण को प्रोन्नत करना, प्रशासन में प्रणालीगत परिवर्तन लाना तथा लोक वितरण प्रणालियों को कुशल एवं नागरिक हितैषी बनाना है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी अधिकारी व्यक्तिगत अथवा एक समूह या संगठन के रूप में पुरस्कारों के लिये विचार करने के लिए पात्र होंगे।

(ग) से (ङ) सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा भ्रष्टाचार को 'बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने' की अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह जागरूक है। सभी सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन निर्धारित नियमों, विनियमों तथा सरकारी अनुदशो के अनुसार करें तथा उनका उल्लंघन किये जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध संबंधित नियमों के अंतर्गत कड़े या मामूली दण्ड देने के लिये उचित कार्यवाही करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

डॉक्टरों का उत्पीड़न

3199. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोवा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:,

(क) क्या आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू होने के बाद से आरक्षित श्रेणी के छात्रों को उत्पीड़ित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इन छात्रों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन के दौरान एम्स के छात्रावास में विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया था, वास्तविक रिपोर्ट एम्स से मंगाई गई है।

[हिन्दी]

न्याय पंचायतों की स्थापना

3200. **श्री संतोष गंगवार:**
एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री हंसराज जी. अहीर:
डा. आर. सेनथिल:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पंचायतों को और अधिक न्यायिक अधिकार देने के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्षेत्राधिकार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन न्याय पंचायतों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, हाँ, देश में निचले स्तरों को और अधिक न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजित करने के लिए न्याय पंचायतों का गठन करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूपण समिति गठित कर ली गई है। इस प्रस्तावित न्याय पंचायत विधेयक का उद्देश्य मध्यस्थता, मेल-मिलाप और समझौता के जरिए विवादों का निपटान करने हेतु निचले स्तर पर एक ठोस वैकल्पिक मंच मुहैया करवाना है जिसको समुदाय की भागीदारी के साथ संस्थागत बनाया जा सकता है। इस प्रारूपण समिति से अभी तक कोई भी सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

बंगलौर में सॉफ्टवेयर कंपनियों का बंद होना

3201. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने बंगलौर में अपनी इकाइयों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) भारतीय आईटीईएस-बीपीओ प्रचालन एक लाइसेंस मुक्त कार्यकलाप है। इनके प्रचालन पक्षों के बीच अनुबंधों द्वारा संचालित किए जाते हैं। कंपनियों का खुलना तथा बंद होना बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। किन्तु, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के अनुसार बंगलौर स्थित लगभग 1500 कंपनियों में से 9 सॉफ्टवयेर प्रौद्योगिकी पार्क इकाइयां व्यावसायिक नीति में हुए परिवर्तन के कारण बंद हो गई हैं तथा 8 सॉफ्टवयेर प्रौद्योगिकी पार्क इकाइयां निर्यात संबंधी आदेशों की कमी के कारण बंद हो गई हैं।

सफदरजंग अस्पताल में बर्न्स वार्ड की स्थिति सुधारना

3202. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में बर्न्स वार्ड की स्थिति सुधारने के लिए गत दस वर्षों के दौरान तीन समितियों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन समितियों द्वारा क्या सिफारिशें की गई;

(ग) समितियों की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त बर्न्स वार्ड में चिकित्सा सुविधाओं, मशीनों आदि की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके समाधान के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(च) क्या उचित साफ-सफाई भी नहीं की जाती है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) सफदरजंग अस्पताल के बर्न विभाग के कार्यों की नियमित रूप से पुनरीक्षा की गई है। सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड की स्थिति का जायजा लेने के लिए 1996, 1999 और 2002 में तीन समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों ने अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता, विशेष रूप से बड़ी एम्बूलेंस की व्यवस्था, बर्न विभाग का आधुनिक उपकरणों के साथ सुदृढीकरण, दिल्ली में स्थित अन्य बर्न वार्डों के साथ इस बर्न वार्ड को जोड़ने, पाठयक्रम की समाप्ति के

बाद एम सी एच और डी एन बी विद्यार्थीयों को काम पर लगाने, अर्ध-चिकित्सीय स्टाफ का प्रशिक्षण और स्वच्छ पलंगों एवं बेडशीटों की व्यवस्था के संबंध में अनुशंसाएं की थी। अधिकतर अनुशंसाओं पर कार्यान्वयन किया जा चुका है। उपकरणों के सुदृढीकरण समेत चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन करना एक लगातार चलने वाली डायनमिक प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चलाया जाता है। स्वच्छता के रखरखाव हेतु सभी उपाय नियमित रूप से किए जा रहे हैं और इन सबका पर्यवेक्षण सफदरगजंग अस्पताल के बर्न वार्ड के नामोद्दिष्ट (डेजिगनेटिड) अधिकारी द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता हासिल करना

3203. **श्री रामदास आठवले:**
श्री लक्ष्मण सिंह:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एथेंस ओलम्पिक खेल-2004 के बाद हॉकी में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की लिए भारतीय हॉकी संघ के पदाधिकारियों की हुई बैठक में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भावी कार्य-योजना क्या है;

(ग) क्या खिलाड़ी देश में खेल बुनियादी संरचनाओं की कमी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पर्याप्त मेडल जीतने में असफल रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में खेल बुनियादी संरचनाओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) एथेंस ओलंपिक, 2004 के उपरान्त, तत्कालीन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने भारतीय हॉकी संघ के साथ अन्य बातों के साथ-साथ हॉकी टीम के खराब प्रदर्शन के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जिसमें उन्हें सलाह दी गई कि वे आत्मविश्लेषण करें और यह बताएं की कहाँ गलती हुई और इसे सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाएं। भारतीय हॉकी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने समग्र व्यक्तिगत प्रदर्शन की जांच की है और जूनियर स्तर पर प्रतिभा खोजने तथा भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा अपेक्षित वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के साथ एक विजन डाकुमेंट तथा उस पर आधारित कार्य योजना तैयार करने पर बल दिया। वरिष्ठ भारतीय हॉकी टीम को अभी हाल ही में विदेश से एक भौतिक चिकित्सक और शारीरिक प्रशिक्षक प्रदान किया गया है।

(ख) "खेल" मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और विशिष्ट खेल विधा के संबंध में सभी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भारत सरकार विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों/टीमों के भाग लेने तथा प्रशिक्षण, भारत में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, भारतीय तथा विदेशी कोचों के अधीन टीमों को कोचिंग/प्रशिक्षण, उपस्कर की खरीद तथा अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता आदि के प्रावधान के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करती है। सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के चार-वर्षीय चक्र से संबंधित लम्बी अवधि की विकास योजनाएं राष्ट्रीय खेल परिसंघ और भा.खे.प्रा. विभिन्न खेल विधाओं के लिए तैयार करते हैं और जिसके आधार पर उपर्युक्त सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) यह एक तथ्य है कि देश में खेल अवस्थापना के विस्तार और उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है। हाल के वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है तथा इसे और अधिक सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जैसा कि भाग (ख) में दर्शाया गया है।

(घ) 31.3.2005 तक भारत सरकार खेल अवस्थापना के सृजन/विकास के लिए राज्य सरकारों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। तथापि, ये योजनाएं 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी तदनुसार इन योजनाओं के अंतर्गत नई खेल अवस्थापना परियोजनाओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है और इनकी जिम्मेवारी राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से उठानी है। तथापि, यह देखते हुए कि ग्रामीण खेलों में खेल सुविधाओं की कमी है और इसके फलस्वरूप

युवाओं के एक बड़े हिस्से और प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए खेल-कूद आयोजित करने की कमी को देखते हुए मंत्रालय में विभिन्न पणधारियों जैसे पंचायती राज संस्थान, युवा संगठन शिक्षा संस्थान आदि के साथ एक पंचायती राज युवा खेल अभियान के सहयोग पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव को विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों और राज्य सरकारों से जरूरी विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सी.एम.डी. की नियुक्ति

3204. **श्री वी.के. दुग्मर:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सी.एम.डी. की नियुक्ति के लिए वर्तमान में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या संगठन के प्रमुख के रूप में गैर-विशेषज्ञों की नियुक्ति से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-विशेषज्ञों की सी.एम.डी के रूप में नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति हेतु चयन संबंधी नीति, समय-समय पर यथासंशोधित सरकार के दिनांक 03 मार्च 1987 के संकल्प में निर्धारित की गई है। इस प्रकार की नियुक्तियाँ, सरकार द्वारा सामान्यत:, लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिश पर की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सिफारिश करने के संबंध में लोक उद्यम चयन बोर्ड की सहायता करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपकरणों की खरीद

3205. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2003 से दिसंबर, 2004 तक के दौरान भारी संख्या में हैण्ड हेल्ड टर्मिनल (एच.एच.टी.) फिक्स्ड वायरलैस टर्मिनल (एफ.डब्ल्यू.टी.), फिक्स्ड रिमोट सैट (एफ.आर.एस.) तथा वॉल सैट (डब्ल्यू.एस.) आदि की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उपकरणों की खरीद करने से पूर्व कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण कराया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) आज की तिथि तक विभिन्न सर्किलों के भण्डार में कितने सैट अनुप्रयुक्त पड़े हैं;

(छ) इससे कितने राजस्व का नुकसान हुआ; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। सरकारी दूरसंचार प्रचालकों अर्थात महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने जनवरी, 3 से दिसंबर, 4 तक की अवधि के दौरान एचएचटी, एफडब्ल्यूटी, एफआरएस और डब्ल्यूएस की खरीद की थी।

(ख) एमटीएनएल ने उक्त अवधि के दौरान 160 हजार एचएचटी की खरीद की थी। एफडब्ल्यूटी, एफआरएस और

डब्ल्यूएस की कोई खरीद नहीं की गई। बीएसएनएल के मामले में ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सभी उपस्करों की खरीद मांग संबंधी अनुमानों के आधार पर और उपलब्ध भंडार को ध्यान में रखते हुए की जाती है। चूंकि 2002 से वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) कनेक्शनों की मांग निरंतर बढ़ रही थी, इसलिए उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएलएल टर्मिनलों की खरीद की गई।

(च) 30.06.06 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल और बीएसएनएल के भंडार में रखे सेटों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(छ) और (ज) राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि बीएसएनएल उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार कनेक्शन देता रहा है। इस समय कंपनी अपने उपभोक्ताओं को आईएफडब्ल्यूटी का प्रयोग करते हुए स्थिर लाइन सेवा प्रदान करने पर जोर दे रही है। भंडार में पड़े एचएचटी और एफआरएस टर्मिनलों का उपयोग करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए बीएसएनएल ने दो विशेष प्रशुल्क योजनाएं शुरू की हैं। एमटीएनएल को भी राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

विवरण-I

जनवरी, 2003 से दिसंबर, 2004 के दौरान बीएसएनएल द्वारा दिए गए क्रयादेश)

एचएचटी (हैंड हेल्ड टर्मिनल)

क्र.सं.	विक्रेता का नाम	आदेश में उल्लिखित मात्रा (सं.)	प्राप्त की गई मात्रा (सं.)
1.	मै. आईटीआई	1,80,000	1,80,000
2.	मै. टेराकॉम	1,68,000	1,68,000
3.	मै. यूटीएल	85,909	85,909
4.	मै. एक्सएल टेलीकॉम	82,091	82,091
5.	मैं. आईकॉम	82,281	82,281
	कुल	5,98,281	5,98,281

(आई एफ डब्ल्यू टी (एकीकृत फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल)

क्र.सं.	विक्रेता का नाम	आदेश में उल्लिखित मात्रा (सं.)	प्राप्त की गई मात्रा (सं.)
1.	मै. आईटीआई (आर क्यू)	86,940	86,940
2.	मै. आई टी आई (आर क्यू)	41,854	41,854
3.	मै. भाग्यनगर मेटल्स लिमिटेड	81,144	81,144
4.	मै. सुराना टेलीकॉम लिमिटेड	41,854	41,854
5.	मै. आईटीआई (आरक्यू)	4,50,000	1,17,660
6.	मै. आईटीआई (आरक्यू)	33,137	–
7.	मै. टेराकॉम	5,25,000	5,25,000
8.	मै. एचएफसीएल	2,62,514	2,62,514
9.	मै. एचएफसीएल	2,62,486	2,62,486
	कुल	17,84,929	14,19,452

एफआरएस/डब्ल्यूएस (फिक्स्ड रिमोट स्टेशन/वॉल सेट)

क्र.सं.	विक्रेता का नाम	आदेश में उल्लिखित मात्रा (सं.)	प्राप्त की गई मात्रा (सं.)
1.	मै. आईटीआई	97,000 (1) 19,500 आरएस (आईपी वॉल सेट) (2) 75,700 आरएस (वॉल सेट) (3) 1800 आरएस मल्टी वॉल सेट	97,000
2.	मै. श्याम टेलीकॉम	96,000 (1) 19,000 आरएस (आईपी वॉल सेट) (2) 75,300 आरएस (वॉल सेट) (3) 1700 मल्टी वॉल सेट	96,000
3.	मै. एचएफसीएल लि.	1,92,000 (1) 38,500 आरएस (आईपी वॉल सेट) (2) 1,50,000 आरएस (वॉल सेट) (3) 3500 मल्टी वॉल सेट	1,92,000
4.	मै एचटीएल	55,000 (1) 11,000 आरएस (आईपी वॉल सेट) (2) 43,000 आरएस (वॉल सेट) (3) 1000 मल्टी वॉल सेट	55,000
	कुल	4,40,000	4,40,000

विवरण-II

जून, 2006 के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के डब्ल्यूएलएल टर्मिनलों की स्थिति

क्र. सं.	सर्किल का नाम	जून, 2006 माह के अंत में शेष उपस्करों की स्थिति					
		सीडीएमए एचएचटी	सीडीएमए एफडब्ल्यूटी	एमडब्ल्यूएस 200	एफआरएस (वॉयस)	एफआरएस (वॉयस एवं आईपी)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	बीएसएनएल						
1.	अंडमान एवं निकोबार	937	1325	0	0	0	2262
2.	आंध्र प्रदेश	61902	34	0	0	0	61936
3.	असम	3080	23651	78	1294	2406	30509
4.	बिहार	4578	22324	0	0	0	26902
5.	छत्तीसगढ़	3920	12952	17	1302	33	18224
6.	गुजरात	49317	21374	100	5959	5600	82350
7.	हरियाणा	12245	7232	164	0	12534	32175
8.	हिमाचल प्रदेश	1471	7287	0	0	0	8758
9.	जम्मू-कश्मीर	4733	16387	0	0	0	21120
10.	झारखंड	3516	11866	0	108	0	15490
11.	कर्नाटक	19253	9936	800	18358	7196	55543
12.	केरल	37503	8112	0	0	0	45615
13.	मध्य प्रदेश	29057	3573	0	1926	771	35327
14.	महाराष्ट्र	31268	17003	826	32427	10666	92190
15.	पूर्वोत्तर-1	137	15550	0	0	0	15687
16.	पूर्वोत्तर-2	1547	20607	0	0	0	22154
17.	उड़ीसा	510	4141	5	864	0	5520
18.	पंजाब	29674	8763	250	4654	5519	48860
19.	राजस्थान	44999	11961	242	12040	5629	74871
20.	तमिलनाडु	13578	84958	600	6483	6510	112129
21.	उत्तरांचल	2721	15426	0	0	0	18147
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	28357	29161	225	4586	4273	66602

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	10301	22371	0	4439	479	37590
24.	पश्चिम बंगाल	4476	25964	75	1196	3995	35706
25.	कोलकाता टीडी	6335	7907	0	0	0	14242
26.	चेन्नई टीडी	360	0	0	0	880	1240
	कुल	405775	409865	3382	95636	66491	981149
ख.	एमटीएनएल	12902	1255	—	—	—	14157

फुटबाल, हॉकी तथा बैडमिंटन के लिए खेल परिषद्

3206. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड की तर्ज पर विशेषकर फुटबाल, हॉकी तथा बैडमिंटन के लिए खेल परिषद् गठित करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) फुटबाल, हॉकी और बैडमिंटन से संबंधित राष्ट्रीय परिसंघों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल परिसंघ, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) शमिल है, स्वायत्तशासी संगठन है जो अपने नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करते हैं।

खेल सुविधाओं में सुधार

3207. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में खेल सुविधाओं में सुधार करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष से 100 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं:

(ख) यदि हां, तो धनराशि किन खेलों पर खर्च की जाएगी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अपनी खेल नीति की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ङ) इस नीति के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) देश भर में खेल सुविधाओं के सृजन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है। 31.3.2005 तक यह मंत्रालय अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय रूप से प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता था। 1.4.2005 से, खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं को राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार, अब खेल अवस्थापना परियोजनाओं के नये मामलों को राज्य सरकारों को अपने स्वयं के संसाधनों से वित्त पोषित करना होगा। फिर भी, 10वीं योजना की शेष अवधि के दौरान चल रही अनुमोदित खेल अवस्थापना परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयता की सीमा तक निधियाँ प्रदान की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों, जो स्वायत्तशासी पंजीकृत निकाय है, को टूर्नामेंट और विदेश में प्रशिक्षण के लिए टीमों/खिलाड़ियों की सहभागिता, भारत में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के अयोजन तथा खेल उपस्करों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के

अंतर्गत चालू वित्तीय सहायता वर्ष 2006-07 के दौरान 43.60 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण खेलों के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसमें प्रतिभा का पता लगाना और उसे पोषित करना तथा प्रशिक्षण और कोचिंग आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। वर्ष 2006-07 के दौरान, भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए 165.72 करोड़ रु. का बजट आबंटन किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाना

3208. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने के कार्य की गति धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विलंब के कारण किस सीमा तक नुकसान तथा लागत बढ़ी है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ हरित पट्टी प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे चार लेन के कार्य की स्थिति इस प्रकार है:-

(लंबाई किमी. में)

राज्य	कुल लंबाई	पूर्ण/चार लेन	कार्यान्वयन के अधीन	सौंपने हेतु शेष
मध्य प्रदेश	834	42	648	144
राजस्थान	1778	742	722	314
उत्तर प्रदेश	2023	699	1232	92
छत्तीसगढ़	153	18	45	90
महाराष्ट्र	1457	597	467	393
गुजरात	1425	637	686	102

(ख) और (ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति मिलने में कठिनाई, कुछ ठेकेदारों के खराब निष्पादन, कुछ ठेकों को रद्द करने आदि से जुड़ी समस्याओं के कारण कुछ ठेकों में विलंब हुआ है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I पर हुआ समग्र व्यय वृद्धि के बावजूद अनुमोदित अनुमानित लागत के अंदर है।

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर हरित पट्टी के निर्माण के लिए एक वृक्षारोपण रणनीति तैयार की है। इस वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ करने के लिए विस्तृत तकनीकी विनिर्देश का प्रावधान है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन में बदलना

3209. श्री पी.एस.गढ़वी:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन में बदलने के बारे में 01.03.06 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1092 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात को मुन्द्रा पत्तन को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में बदलने के लिए संभाव्यता अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात ने रिपोर्ट भेज दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग नियमावली के अनुसार कैपिंग दर में शून्य अनुदान पर बी ओ टी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए विस्तार के गांधीधाम-मुंद्रा खंड में चार लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन करने के लिए गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार द्वारा किए गए साध्यता अध्ययन के आधार पर यह सूचना दी गई कि यह परियोजना 20 प्रतिशत अंतर वित्तपोषण से बी ओ टी आधार पर साध्य होगा जिसके लिए सरकार सहमत नहीं हुई।

(घ) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए (विस्तार) के गांधीधाम-मुंद्रा खंड के 73 कि.मी. लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत बी ओ टी आधार पर चार लेन का बनाने के कार्य को सरकार ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डी बी एफ ओ) आधार पर इस खंड को सौंपने की संभावना पर विचार करने के लिए साध्यता अध्ययन करने हेतु परामर्शी सेवाएं सौंपने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

नौकरशाहों को स्वविवेक के अधिकार

3210. **श्री विजय कृष्ण:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास नौकरशाहों को स्वविवेक के अधिकार प्रत्यायोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि शासन में कमियों से कर्मचारियों की कार्यक्षमता का अल्प उपयोग होता है, असक्षम एवं भ्रष्ट नौकरशाही होती है, विकास कार्यक्रमों की लागत बढ़ती है तथा कम लाभ मिलते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने लोक प्रशासन प्रणाली को पुनर्संज्जित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने हेतु दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया है। इस आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी सिफारिशें देते समय उनमें अन्य बातों के साथ-साथ सिविल सेवकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना, उनकी दक्षताओं एवं सक्षमताओं का उन्नयन करना तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रणालियों को सुदृढ़ करना भी शामिल करे।

रो-रो फेरी सेवा-परियोजना

3211. **श्री हरिन पाठक:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री काशीराम राणा:
श्री महेश कनोडीया
श्री मधुसूदन मिस्त्री:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में रो-रो फेरी सेवा-परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त फेरी सेवा का मार्ग क्या है;

(ग) राज्य-सरकार द्वारा कितनी धनराशि की माँग या परियोजना की लागत में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की माँग की गई है तथा केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस फेरी सेवा से लोगों को कितना लाभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) जी, हाँ। गुजरात अवसंरचना विकास बोर्ड ने घोघा-सुवाली (सूरत) मार्ग पर रो-रो फेरी सेवा से संबंधित व्यवहार्यता-अंतराल-निधियन की योजना के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(ग) गुजरात अवसंरचना विकास बोर्ड से उपर्युक्त प्रस्ताव, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 23.1.2006 के व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों के परिचालित किए जाने से पहले प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त परियोजना के प्राधिकारी को उपर्युक्त परियोजना से संबंधित प्रस्ताव, निर्धारित आरूप (फॉर्मिट) में प्रस्तुत करने की सलाह दे दी गई है। उपर्युक्त प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) उपर्युक्त प्रस्तावित परियोजना के संभावित लाभ इस प्रकार हैं- (1) यात्रा में लगने वाले समय में 3 से 4 घंटों तक की कमी आ सकेगी (2) अपने वाहनों को चलाने की लागत में तकरीबन 30 से 40% तक की बचत होने से ट्रांसपोर्टरों को लाभ होगा (3) यात्रियों को बस/रेल के किराए की सामान्य दर से वातानूकूलित कोचों और सुखद यात्रा से संबंधित आराम की अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन की वार्षिक दर

3212. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 से 2005 तक रोजगार के अवसरों के सृजन की दर्ज की गई वार्षिक दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार सृजन की दर में अंतर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां पर रोजगार के अवसरों के सृजन की दर श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की वार्षिक दर से अधिक है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) 1994 तथा 2000 में आयोजित (रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी रा.प्र. सर्वे सं. के पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार सृजन की वार्षिक दर उपलब्ध है। प्रमुख राज्यों हेतु वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर श्रमबल तथा कार्यबल वार्षिक वृद्धि दर संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। सभी राज्यों में विकास दर एक जैसी नहीं है। सह मूलभूत सुविधाओं, दुष्कर भू-भाग, औद्योगिक आधार पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों में रोजगार सृजन में विभिन्नता के लिए ये कारक उत्तरदायी हैं।

गुजरात, हरियाणा एवं कर्नाटक राज्यों में वर्तमान दैनिक कार्यकलाप स्थिति पर विचार करने से पता चलता है कि रोजगार के अवसरों की सृजन दर 1994-2000 की अवधि के दौरान अन्य राज्यों में श्रमिकों की संख्या में वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है।

विवरण

वर्तमान दैनिक स्थिति के अनुसार श्रमबल तथा कार्यबल में 1994-2000 के दौरान अनुमानित वार्षिक वृद्धि (%)

राज्य	श्रमबल	कार्यबल
1	2	3
आंध्र प्रदेश	0.59	0.35
असम	1.99	1.99
बिहार	1.77	1.59
गुजरात	2.10	2.31
हरियाणा	2.11	2.43
हिमाचल प्रदेश	0.56	0.37
कर्नाटक	1.36	1.43
केरल	1.05	-0.07
मध्य प्रदेश	1.44	1.28
महाराष्ट्र	1.63	1.25
उड़ीसा	1.06	1.05
पंजाब	2.12	1.96
राजस्थान	1.04	0.73
तमिलनाडु	0.44	0.37
उत्तर प्रदेश	1.13	1.02
पश्चिम बंगाल	1.33	0.41
दिल्ली	3.73	3.34
समस्त भारत	1.31	1.07

स्रोत : रा.प्र.सर्वे.सं.

कोयला खानों में ठेका प्रणाली

3213. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में श्रमिकों को ठेके पर लिया जाना जारी है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र का ब्यौरा क्या है जहां पर ठेका प्रणाली क्रियान्वित की गई है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरानए वर्ष-वार तथा चालू वर्ष में आज तक ठेका प्रणाली के अन्तर्गत कितने मजदूरों को रखा गया तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) कोयला खानों में वर्तमान में चल रही ठेका प्रणाली के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कम्पनियां श्रमिकों को सीधे ठेका आधार पर नहीं लगाती है। तथापि, जो कतिपय कार्य स्थायी तथा चिरस्थायी प्रकृति के नहीं होते हैं, उन्हें ठेके पर कराया जाता है जिनके लिए ठेकेदार अपने कामगार लगाते हैं। ठेकेदारों के कार्य मुख्य रूप से अस्थायी प्रकृति के होते हैं और परिणामत: कई ठेकेदारों के कामगार बदलते रहते हैं। सेवा के निबंधन एवं शर्तें अन्य सुविधाएं/लाभ आदि ठेका करार तथा ठेका श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार होती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) चूंकि ठेके पर कराए जाने वाले कार्य आकस्मिक स्वरूप के होते हैं, इसलिए कोयला कम्पनियों की कुशलता और अर्थव्यवस्था के लिए वर्तमान प्रणाली को जारी रखना अपेक्षित है।

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ वार्ता

3214. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हुई वार्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक हुई वार्ताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिणामों पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) 27-28 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित वार्ता के दौरान भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने जम्मू और कश्मीर, जो समग्र वार्ता के आठ विषयों में से एक हैं, पर भी व्यापक विचार-विमर्श किया। 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य में निहित आश्वासनों का स्मरण करते हुए उन्होंने आतंक और हिंसा मुक्त वातावरण में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विचारों को आदान-प्रदान किया। विदेश सचिवों ने आशा व्यक्त की कि इस बातचीत से जम्मू और कश्मीर सहित अन्य सभी द्विपक्षीय मामलों का दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक समाधान निकल सकेगा। उन्होंने शांतिपूर्ण तथा वार्ता पर आधारित अंतिम समाधान निकालने के लिए सतत् और गंभीर वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

24 सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के बीच हुई बैठक के दौरान यह सहमति हुई कि इस मसले का शांतिपूर्ण और वार्ता पर आधारित समाधान निकालने के लिए सच्ची भावना और उद्देश्यपूर्ण तरीके से संभावित विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। हालांकि, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति मुशर्रफ से कहा कि सीमाओं का सीमांकन पुन: नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में 27-28 दिसम्बर, 2004 को आयोजित विदेश सचिव स्तरीय बातचीत के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर मद्दे पर भी चर्चा हुई और उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

पूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह की फरवरी 2005 में हुई इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान दोनों सरकारें श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच नियंत्रण रेखा के आर-पार बस यात्रा की अनुमति देने पर सहमत हुई। बस सेवा 7 अप्रैल 2005 को शुरू हुई।

16-18 अप्रैल, 2005 तक पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ की भारत यात्रा के दौरान अंतिम समाधान प्राप्त करने के लिए गंभीर उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक तरीके से जम्मू और

कश्मीर पर चर्चा जारी रखने पर सहमति हुई। उन्होंने नियंत्रण रेखा के आसपास क्रियाकलाप और सहयोग बढ़ाने के अतिरिक्त उपाय करने पर सहमति व्यक्त की जिसमें शामिल है विभाजित परिवारों के लिए आपसी सहमति के आधार पर मिलन केंद्र बनाना तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वे पुंच और रावलकोट के बीच अतिरिक्त मार्ग खोलने और श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग पर ट्रक सेवा चालन। पुंच-रावलकोट बस सेवा 20 जून, 2006 से आरंभ हो गयी। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग पर नियंत्रण रेखा के आसपास व्यापार आरंभ करने और मिलन बिंदु बनाने के तौर-तरीके तय किये जा रहे हैं।

17-18 जनवरी, 2006 तक नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच हुई बातचीत के दौरान दोनों विदेश सचिवों के बीच जम्मू और कश्मीर पर विचारों का व्यापक आदान-प्रदान हुआ और वे शांतिपूर्ण और वार्ता पर आधारित अंतिम समाधान प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक तरीके से स्थायी वार्ता जारी रखने पर सहमतत हुए। उन्होंने भूकंप के पश्चात नवम्बर, 2005 में नियंत्रण रेखा पर आवागमन के लिए पांच मार्गों के खोले जाने पर संतोष व्यक्त किया।

विदेश सचिवों ने स्वशासन, तीन शहरों से सैनिकों को हटाने और संयुक्त प्रबंधन के पाकिस्तान के प्रस्तावों पर भी चर्चा की । पाकिस्तान पक्ष को इस बात से अवगत कराया गया कि स्वायत्तता तो हमारे संविधान में निहित है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर को पहले ही स्वायत्ता मिली है और वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है। हालांकि, पाक अधिकृत कश्मीर में नाममात्र की ही स्वयत्तता है और गिलगिट-बाल्टिस्तान में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुए हैं तथा इसकी कोई विधिक/संवैधानिक स्थिति भी नहीं है। भारत के भीतर के किसी भूक्षेत्र से सैनिकों को हटाने अथवा तैनात करने का निर्णय भारत सरकार का संप्रभु निर्णय होगा जो देश के किसी भूभाग की सुरक्षा स्थिति के हमारे आकलन के आधार पर किया जाएगा और इसके संबंध में किसी विदेशी सरकार द्वारा आदेश नहीं दिया जा सकता । जम्मू और कश्मीर पर संयुक्त नियंत्रण अथवा संयुक्त प्रबंधन जैसे विचार जम्मू और कश्मीर मसले के समाधान का आधार नहीं बन सकते क्योंकि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है। जम्मू और कश्मीर राज्य पर भारत की संप्रभुता और भारत की एकता के संबंध में काई समझौता नहीं किया जा सकता ।

(ग) भारत पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मसलों का समाधान शिमला समझौते के अनुसरण में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार आतंक और हिंसा मुक्त वातावरण में विश्वासोत्पादक उपाय, सहयोग और वार्ता की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखना चाहती है।

होम्योपैथी को बढ़ावा

3215. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश को धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह धनराशि किस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित की जाती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा यह किन-किन मदों पर खर्च की गई;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आयुष विभाग अपनी निम्नवत् 3 केंद्रीय प्रयोजित स्कीमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों को निधियां आबंटित करता है-

(1) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित स्कीमें।

(2) अस्पतालों और औषधियों से संबंधित स्कीमें।

(3) आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के कालेजों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण करने से संबंधित स्कीम।

गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित स्कीमों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियमावली तथा अनुसूची न के अंतर्गत अच्छी विनिर्माण पद्धतियों

(जीएमपी) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं/फार्मेसियों को सुदृढ़ करने के प्रयोजनार्थ शुरू किया गया है।

अस्पतालों और औषधालयों से संबंधित स्कीम का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित औषधालयों में औषधियों की आपूर्ति से संबंधित स्थिति में सुधार लाया जाए और यदि आवश्यक हो तो एलोपैथिक अस्पतालों में आयुष के सामान्य एवं विशेषीकृत उपचार केंद्रों के संस्थापना को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित औषधालयों में आवश्यक आयुष औषधियों की उचित आपूर्ति तथा भंडारण को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए।

संस्थानों के विकासार्थ स्कीम का लक्ष्य शिक्षा मानकों के उन्नयन से संबंधित कार्य को आसान बनाने हेतु शैक्षणिक संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं:-

(1) आयुष स्नातकपूर्व कालेजों का विकास।

(2) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को सहायता।

(3) आयुष कार्मिकों के लिए पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(4) आयुष के सरकारी/सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण अस्पतालों के अस्पताल-वार्डों का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण।

(5) भाचिप एवं हो. कालेजों में कंप्यूटर प्रयोगशाला का संस्थापन।

(6) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी राज्य मॉडल संस्थान के स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक संस्थानों के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आयुष विभाग पूर्व में दिए गए अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही निधियों को निर्मुक्त करता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत होम्योपैथी हेतु निर्गत की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाखों में)

कालेज/संस्थान का नाम	स्कीम का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
राजकीय होम्यो. कालेज, चंदेश्वर, आजमगढ़, उ.प्र.	स्नातकपूर्व	15.00	-	-
राजकीय श्रीदुर्गा जी होम्यो. मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल, आजमगढ़	आरओटीपी/सीएमई	-	-	1.00
पं. जेएलएन होम्यो. मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल, कानपुर	आरओटीपी/सीएमई	-	-	0.50 0.93
राजकीय डा. बृज किशोर	आरओटीपी/सीएमई	-	-	1.00
होम्यो. मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल, फैजाबाद	एवं स्नातकपूर्व	-	-	62.00
डा. बी. के. होम्यो. मेडिकल कालेज, फैजाबाद, उ.प्र.	आरओटीपी/सीएमई	-	-	0.93

[अनुवाद]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

3216. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री सीताराम सिंह:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति परिवहन योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बिहार में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की

लम्बाई बढ़ाने और इनका उन्नयन कर इन्हें चार लेन वाला बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन कर उन्हें चार लेन वाला बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) बिहार में 9 राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग-19, राष्ट्रीय राजमार्ग-28ए, राष्ट्रीय राजमार्ग-30, राष्ट्रीय राजमार्ग-31, राष्ट्रीय राजमार्ग-77, राष्ट्रीय राजमार्ग-80, राष्ट्रीय राजमार्ग-84, राष्ट्रीय राजमार्ग-85 और राष्ट्रीय राजमार्ग-57ए की कुल 890 कि.मी. लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III, जिसे पहले प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के नाम से जाना जाता था, के अंतर्गत पेव्ड शोल्डर सहित 4/2 लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की 206 कि.मी. लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 28, राष्ट्रीय राजमार्ग-57 और राष्ट्रीय राजमार्ग-31 की 513 किमी. लंबाई को चार लेन का बनाने का कार्य पहले से ही चल रहा है।

श्रीनगर के लिए एल.टी.सी. पैकेज

3217. **श्री शिशुपाल पटले:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए विमान द्वारा श्रीनगर जाने हेतु एक एल.टी.सी. पैकेज की घोषणा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त पैकेज के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने आश्रित माता-पिता के संबंध में उठाया गया विमान किराए का खर्च उनके वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद प्रतिपूर्ति योग्य था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ सरकारी विभाग उक्त वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में विमान के आधे किराए की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, जबकि संबंधित राष्ट्रीय विमान कंपनियों ने उनसे पूरा किराया लिया था;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकारी/निजी विमान कंपनियों द्वारा समय-समय पर घोषित पैकेजों और उनके बिना वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और अन्य लोगों द्वारा विमान यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश/नियम क्या हैं; और

(च) इन दिशा-निर्देशों को भी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हाँ। यह विशेष रियायत 15.06.2006 तक ही सुलभ थी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) ऐसे कोई दृष्टान्त इस विभाग के ध्यान में नहीं लाए गए हैं।

(ङ) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 के नियम 13 के अनुसार, सबसे छोटे सीधे मार्ग से सीधी एक ही टिकट (थ्रू टिकट) पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गई यात्रा के आधार पर यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। जहाँ कर्मचारी हकदारी के अनुसार, हवाई जहाज से यात्रा करने के पात्र हों, पूरा सामान्य हवाई किराया अथवा वास्तव में अदा किया गया किराया इनमें से जो भी कम हो, वह प्रतिपूरित किए जाने के लिए ग्राह्य होगा चाहे हवाई टिकट रियायत सहित खरीदे गए हों अथवा उसके बिना।

(च) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 तथा उनके अंतर्गत जारी अनुदेश सभी मंत्रालयों/विभागों में पहले ही उपलब्ध हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर

3218. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8.5 प्रतिशत वृद्धि दर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी तक तैयार किया गया ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए हाल ही में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्यों को यथेष्ट आबंटन सुनिश्चित करने हेतु योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई विकास लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, परामर्शों के लिए ग्यारहवीं योजना का प्रारूप दृष्टिकोण तैयार किया गया है! इस प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र में 8.5 प्रतिशत के औसत विकास लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों की राय प्राप्त करने के लिए हाल ही में उनके साथ क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया था जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) ग्यारहवीं योजना के लिए कोई आबंटन नहीं किए गए हैं।

विवरण

ग्यारहवीं योजना के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र के लिए क्षेत्रीय परामर्शों के ब्यौरे

निम्नलिखित सारणी के अनुसार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए हैं:-

क्र.सं.	बैठकों की तारीख	स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	27-28 जून, 2006	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
2.	3-4 जुलाई, 2006	दिल्ली	हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, चंडीगढ़
3.	8-9 जुलाई, 2006	शिलांग	सभी पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम सहित)
4.	17-18 जुलाई, 2006	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
5.	21-22 जुलाई, 2006	तिरुवनंतपुरम	केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पांडिचेरी, लक्षद्वीप
6.	24 जुलाई, 2006	दिल्ली	गुजरात और राजस्थान

इनमें से प्रत्येक बैठक में परामर्श तीन सत्रों में दो दिन तक आयोजित किए गए। पहले दिन के प्रथम सत्र में योजना आयोग द्वारा प्रतिपादन प्रस्तुत किया गया जिसमें दृष्टिकोण-पत्र में मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और इसके बाद प्रत्येक मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल द्वारा अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए। दूसरे सत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य दृष्टिकोण-पत्र और जिला योजनाओं के प्रतिपादन से संबंधित प्रक्रिया, सामयिकता और अन्य मुद्दों पर राज्य योजना मंत्रियों, राज्य योजना बोर्डों के उपाध्यक्षों और योजना सचिवों के साथ विचार-विमर्श किए गए। विचार-विमर्श के दूसरे दिन योजना आयोग और सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हुआ जिसमें शिक्षाविद, अनुसंधानकर्ता और गैर-सरकारी संगठन शामिल थे। क्षेत्रीय परामर्शों से जो सुझाव सामने आए हैं उन्हें अंतिम दृष्टिकोण-पत्र में शामिल किया जाएगा।

विद्युत मंत्रालय के लिए दसवीं योजना परिव्यय

3219. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा विद्युत मंत्रालय के लिए दसवीं योजना परिव्यय की राशि 1,43,399 करोड़ रुपये से घटाकर 92,941 करोड़ रुपए किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय का योजना व्यय आबंटित धनराशि से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान योजना व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2006-07 के लिए कुल परिव्यय क्या है; और

(च) बजट अनुमान 2006-07 का उपयोग करने हेतु योजना का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) विद्युत मंत्रालय के लिए दसवीं योजना परिव्यय को कम करने के मुख्य कारणों में, मध्यावधि समीक्षा के समय 41,110 मेगावाट से 31,290 मेगावाट पर मूलत: परिकल्पित क्षमता परिवर्धन लक्ष्य को कम प्राप्त करना है।

(ख) जी, हां, विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय की वार्षिक योजना संबंधी वास्तविक व्यय नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	अनुमोदित	वास्तविक	प्रतिशत
2003-04	14667.61	10741.30	73.23
2004-05	15630.32	12947.57	82.84
2005-06	23013.90	16847.54	73.21

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा यथासूचित योजना निधियों के अल्प उपयोग संबंधी कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) (ख) से (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2006-07 का कुल परिव्यय 27623.70 करोड़ रु. है।

(च) विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ पारेषण लाइन के 12876 सीकेटी कि.मी. और 21644 एमवीए क्षमता के उपस्टेशनों सहित 17766.72 मेगावाट के क्षमता परिवर्धन लक्ष्य को जोड़ने की योजना है।

विवरण

1. वार्षिक योजना 2005-06 में कमी के कारण निम्नानुसार हैं:- (रुपये करोड़ में)

संगठन/स्कीम	अनुमोदित	वास्तविक (अनंतिम)	बचत संबंधी मुख्य कारण
1	2	3	4
एनएचपीसी	3791.96	2040.54	मुख्य परियोजनाओं में बचत संबंधी कारण निम्नानुसार हैं:- * सुबनसिरी लोअर (67.73 करोड़ रु.) वन निकासी में विलम्ब के कारण * टेस्टालो डैम-IV (41.50 करोड़ रु.) उड़ी-II (92.00 करोड़ रु.), परबाती-III (97.60 करोड़ रु.) और सियोग (180 करोड़ रु.)- निवेश अनुमोदन में विलम्ब के कारण * किशन गंगा (100 करोड़ रु.) स्कीम में संशोधन होने से काम न दिए जाने के कारण।
एनईईपीसीओ	996.79	206.00	मुख्य परियोजनाओं में बचत संबंधी कारण निम्नानुसार हैं:- * त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना (159 करोड़ रु.) गैस लिंकेज के अभाव में परियोजना बन्द होने के कारण। * कामेंग एचईपी (200 करोड़ रु.) परियोजना की धीमी प्रगति के कारण।

1	2	3	4
पावर ग्रिड	4787.63	4110.93	* एनटीपीसी की गैस परियोजनाओं से संयोजित सम्बद्ध पारेषण स्कीम जैसी नई स्कीमों के लिए कमी थी।
एसजेवीएन	407.70	45.72	* रामपुर एचईपीके निवेश अनुमोदन में विलम्ब के कारण
डीवीसी	2373.00	976.93	* सीटीपीएस यूनिट-7 और 8 व मेजिआ एक्सटेंशन 5 एवं 6 की चालू स्कीमों में 1015 करोड़ की कमी और नई स्कीमों के लिए लगभग 90 करोड़ रु. की कमी
एमओपी की अन्य स्कीमें	10654.31	9467.421	एनटीपीसी द्वारा कम व्यय के कारण बचत हुई थी, जिसकी टीएचडीसी द्वारा उच्च व्यय से आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की गई थी।
कुल	23013.90	16847.54	कुल बचत - 6166.36

2. वार्षिक योजना 2004-05 में कमी के कारण निम्नानुसार हैं:- (करोड़ रुपये)

संगठन/स्कीम	अनुमोदित	वास्तविक (अनंतिम)	बचत संबंधी मुख्य कारण
1	2	3	4
एनएचपीसी	2849.86	2424.34	(क) नई स्कीमें नामत: उड़ी-2 किशनगंगा, निमू बाजगो, चुटक सियांग निवेश अनुमोदनार्थ तैयार नहीं थी। (ख) तीस्ता लो डैम, चमेरा-III और परबाती-III को पर्यावरण व वन निकासी नहीं मिल सकी, परिणामस्वरूप इनके अनुमोदन में विलम्ब हुआ। (ग) पुरलिया की जेवी परियोजना के लिए लागू, पीएसपी, पीआईबी ने निर्णय लिया कि इसके लिए कोई जीवीएस निर्धारित नहीं किया जाएगा और ईक्विटी एनएच-पीसी की सुरक्षित आय में से आएगी।
एनईईपीसीओ	482.00	166.53	(क) बचत संबंधी मुख्य कारण सम्बद्ध पारेषण लाइन सहित त्रिपुरा गैस आधारित परियोजना (190 करोड़ रुपए) का अनुमोदन न होना है। (ख) मिजोरम में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने के कारण ट्यूरियल एचई परियोजना का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका।
पीएफसी (एजी एंड एसपी)	300.00	250.00	राज्य क्षेत्रक में आर एंड एम परियोजनाओं संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण।
पावरग्रिड	3738.00	3216.18	व्यय में कमी इस कारण हुई कि कुछ परियोजनाओं नामत: सिपत चरण-II पूरक, ट्यूरियल के लिए पारेषण पद्धति (आरसीई), टाला के लिए पारेषण पद्धति (आरसीई) निवेश अनुमोदन हेतु तैयार नहीं थी।

1	2	3	4
एमओपी की नई स्कीमें	32.50	5.00	नई स्कीमों के अनुमोदन में विलम्ब के कारण।
सीईए	108.99	19.55	नई स्कीमें नामत: नई जल विद्युत स्कीमों के डीपीआर्ज और 100,000 मेगावाट पर्यावरण अनुकूल थर्मल पहल की स्कीम, ईपीबीएक्स के प्रावधान सहित कम ऊंचाई वाले भाग सहित सीईए का अधुनिकीकरण, सीए में सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का उन्नयन के अनुमोदन में विलम्ब के कारण।
कुटीर ज्योति कार्यक्रम	300.00	200.00	यह कार्यक्रम नई स्कीम जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण आधारिक संरचना तथा आवास विद्युतीकरण स्कीम के साथ मिला दिया गया था, जो फरवरी, 2005 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
एमओपी की अन्य स्कीमें	7818.97	6665.95	एसबेवीएनएल द्वारा कम व्यय के कारण बचत हुई, जोकि एनटीपीसी, डीवीसी और टीएचडीसी द्वारा उच्च व्यय द्वारा आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की गई थी।
कुल	15630.32	12947.57	कुल बचत 2682.75 करोड़ रुपए

3. वार्षिक योजना 2003-04 के दौरान कमी के कारण निम्नानुसार थे–

संगठन/स्कीम	अनुमोदित	वास्तविक (अनंतिम)	बचत संबंधी मुख्य कारण
1	2	3	4
एनईईपीसीओ	414.5	61.17	नई स्कीमों नामत: तिपाईमुख एचईपी, त्रिपुरा गैस और कार्मेंग एचईपी का अनुमोदन न होने के कारण 353.33 करोड़ रुपए की बचत।
एनएचपीसी	3269.72	2087.11	एनएचपीसीके मसले में 1182.59 करोड़ रुपए की बचत के निम्नलिखित कारण थे। *पुरूलिया पम्प स्टोरेज स्कीमों का अनुमोदन न होना। किशन गंगा, पारबाती-3, चमेरा-3 परियोजनाएं निवेश अनुमोदन हेतु तैयार नहीं थी।
एनपीटीआई	24.60	5.09	नई स्कीमों के अनुमोदन और चालू स्कीमों की धीमी प्रगति के कारण।
सीपीआरआई	25.00	1.48	नई स्कीमों का अनुमोदन न होना और चालू स्कीमों की धीमी प्रगति के कारण
आरईसी (एआरईपी)	100.00	0.00	इस स्कीम संबंधी व्यय अगले वर्ष हेतु पुन: अनुसूचित किया गया था।
पीएफसी (एजी एंड एस पी)	300.00	191.91	राज्य क्षेत्रक आर एवं एम परियोजनाओं हेतु कम दावे प्राप्त होने के कारण।

1	2	3	4
पावर ग्रिड	2670.00	2301.08	एनसीआरएलडीसी स्कीम कम लागत पर पूरी की गई थी। इसके अतिरिक्त सम्बद्ध पारेषण परियोजनाओं को विलम्बित जल परियोजनाओं (जैसे दुलहस्ती, टिहरी) से मिलाने में विलम्ब के कारण व्यय कम हुआ।
एमओपी की नई स्कीमें	20.00	0.00	सक्षम प्राधिकरण एमओपी की नई स्कीमें अनुमोदित नहीं कर सका।
टीएचडीसी	924.29	560.05	टिहरी चरण-1 को चालू करने में विलम्ब और टिहरी पीएसपी का अनुमोदन न होने के कारण क्योंकि यह अनुमोदन हेतु तैयार नहीं था।
डीवीसी	1450.00	316.51	स्कीमों का अनुमोदन न होने के कारण।
एसजेवीएन	758.05	504.00	हिमाचल प्रदेश द्वारा 254.05 करोड़ रु. की इक्विटी को पूरा करने के कारण, जो कि विगत दो वर्षों से लम्बित थी।
एमओपी अन्य की स्कीमें	4711.45	4712.90	कोई बचत नहीं।
कुल	14667.61	10741.30	कुल बचत 3926.31 करोड़ रुपये

एमपीलैड निधियों से आबंटन

3220. **श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा":** क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार संसद सदस्यों द्वारा एमपीलैड से कतिपय न्यासों एवं गैर-सरकारी संगठनों को निधियों के आबंटन पर निबंधन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे निबंधन लगाए जाने के क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा निर्देशों के पैरा 3.21 में प्रावधान है कि सामुदायिक अवसंरचना और जनोपयोगी भवन संबंधी कार्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन पंजीकृत सोसाइटियों और न्यासों के लिए भी अनुमेय है। शर्तें उसी पैरा में और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा निर्देशों के अनुबंध-V में दिए गए नमूना करार में दी गई है। दिशा-निर्देशों के पैरा 2.11 के अनुसार प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

परमाणु विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना

3221. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग 600 के.डब्ल्यू.एच. प्रति वर्ष है जोकि कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए परमाणु विद्युत का दोहन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हाँ।

(ख) विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए परमाणु विद्युत सहित विद्युत के सभी स्रोतों को काम में लाए जाने की आवश्यकता है।

(ग) इस समय, 3900 मेगावाट-ई विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ, 16 परमाणु विद्युत रिएक्टर प्रचालनरत हैं और 3380 मेगावाट-ई क्षमता वाले सात रिएक्टर निर्माणाधीन हैं।

इन रिएक्टरों के पूरा हो जाने के बाद, यह क्षमता मार्च, 2011 के अंत तक क्रमिक रूप से बढ़कर 7280 मेगावाट-ई हो जाएगी, वर्ष 2020 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 20,000 मेगावाट-ई तक पहुँचाने के लिए ग्यारहवीं योजनावधि में और उसके बाद भी कुछ और यूनिटों को लगाने का विचार है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकार के संबंध में सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों से, आयात पर आधारित हमारे स्वदेशी कार्यक्रम के अलावा, नए यूनिटों को स्थापित कर विद्युत-क्षमता में काफी अधिक वृद्धि करने की संभावनाएं पैदा हुई हैं।

चीन के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना

3222. श्री बंसगोपाल चौधरी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाथुला दर्रा खोले जाने के पश्चात् चीन के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसी कार्य-योजना का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार नाथुला दर्रे के जरिए भारत की ओर शेराथांग स्थित छंगू सीमा व्यापार मार्ट और चीन की ओर रेंकिंगांव व्यापार मार्ट में, इन स्थलों में सीमा व्यापार करने हेतु, आधारभूत ढांचे की स्थापना के उपरांत 23 जून 2003 को भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए सीमा व्यापार पर समझौता ज्ञापन के अनुरूप 6 जुलाई 2006 को पुन: आरम्भ किया गया। दोनों पक्ष आधारभूत ढांचे का विकास कर रहे हैं ताकि नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार में संवृद्धि हो, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होने की अपेक्षा है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3223. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक हित में दूरसंचार क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के विचार को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु नीति तैयार की है और इस संबंध में सरकार द्वारा दिनांक 3.11.2005 को प्रेस नोट संख्या 5 (2005 सीरीज) जारी किया गया है जिसके अनुसार 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग उपलब्ध है। 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसकी अधिकतम सीमा 74% है, के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

कोयला खानों को बंद किया जाना

3224. श्री परसुराम माझी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी कोलफील्ड लि. की भूमिगत कोयला खानों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन भूमिगत कोयला खानों को बंद किए जाने के पहले उन्हें बालू से नहीं भरा गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 तक, महानदी कोलफील्ड्स लि. की किसी भूमिगत कोयला खान को बंद नहीं किया गया है। तथापि, राइट मेन केनाल से पानी छोड़े जाने की स्थिति में खान को बंद करने के लिए आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर द्वारा 28.2.2003 को बुलाई गई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में 19.7.2006 से दियुलबेरा भूमिगत खान से कोयले का उत्पादन रोक दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, रेनगली राइट केनाल डिवीजन नं. 1, बधुआबोल, तलचर द्वारा दिनांक 10.7.06 को राइट मेन केनाल से पानी छोड़ने का नोटिस दिया गया।

(ग) और (घ) एम.सी.एल. ने तलचर कोलफील्ड में तलचर क्षेत्र के दियुलबेरा भूमिगत खान को बंद करने का निर्णय लिया है और तदनुसार 19.7.2006 से उत्पादन रोक दिया है। पी. और एम. तथा सामग्रियों को निकालने का कार्य चल रहा है। रेत भरकर कुछ क्षेत्रों का स्थिरीकरण खान के बंद होने से पहले किया जाएगा।

[हिन्दी]

गरीबों से संबंधित आंकड़ों के लिए सर्वेक्षण

3225. **श्री काशीराम राणा:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा अपने उपभोक्ता सर्वेक्षणों में गरीबों के बारे में आंकड़ा इकठ्ठा करने के लिए किसी विशेष विधि का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन आंकड़ों के अभाव में सरकार गरीबों की आय एवं व्यय का आकलन एवं गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम किस प्रकार से करती है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अपने उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में अपनाए गए रीति विधान में सभी सामाजार्थिक समूहों को सम्यक वरीयता दी गई है, ताकि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। रीतिविधान में निम्नलिखित शामिल है:-

(1) वैज्ञानिक प्रतिचयन योजना के अनुसार गांवों एवं शहरी खण्डों के एक प्रतिदर्श का चयन।

(2) सामाजार्थिक समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक चयनित गांव एवं शहरी खण्ड से परिवारों के प्रतिदर्श का चयन।

(3) प्रत्येक चयनित परिवार से साक्षात्कार विधि द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़ों का संग्रहण।

(4) गरीबों के लिए योजनाओं को सामान्यत: रा.प्र.सर्वे. सं. द्वारा आयोजित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के परिणाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। योजनाओं को योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय के परामर्श से ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है।

मोदीनगर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

3226. **डा. राजेश मिश्रा:**
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री सज्जन कुमार:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोदीनगर से हरिद्वार तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी परिवहन को ध्यान में रखते हुए इसे चौड़ा करने एवं उसका धात्वीकरण करने और इस पर विभाजक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग का मादीनगर-हरिद्वार खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के दिल्ली-हरिद्वार खंड का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत डिवाइडरों की व्यवस्था सहित 4/6 लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है जिसकी स्थिति इस प्रकार है:-

(1) दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा-मेरठ खंड (46 कि.मी.) पहले से ही चार लेन का है। इसको 6 लेन बनाने का के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(2) मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड (79 कि.मी.): इसके चार लेन का बनाने के कार्य को बी ओ टी आधार पर सौंप दिया गया है।

(3) मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड: बी ओ टी निविदाएं मई, 2006 में आमंत्रित की गई थी। केवल एक

बी ओ टी निविदा ही प्राप्त हुई थी जिसे रद्द कर दिया गया है। निविदाएं पुन: आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

[अनुवाद]

स्मारक डाक टिकट जारी किया जाना

3227. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव गुरु अर्जुन देवजी की याद में स्मारक डाक टिकट जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गुरु अर्जुन देव जी पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के संबंध में एक प्रस्ताव डाक विभाग में प्राप्त हुआ है और यह विचाराधीन है।

(ख) स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रस्तावों की डाक विभाग द्वारा कुछ दिशानिर्देशों के आधार पर जांच की जाती है। ये दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि जब डाक-टिकट जारी किए जाएं तो उनका उचित फिलैटलिक महत्व हो। जांच के बाद प्रस्तावों को फिलैटलिक सलाहकार समिति (पीएसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो उन पर विचार करने एवं डाक-टिकट जारी किये जाने की सिफारिश करने के लिए गठित एक विधिवत निकाय है। गुरु अर्जुन देव पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की गई तथा इसे फिलैटलिक सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

जिला युवा समन्वयकों की भर्ती

3228. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1996 में यथा अंगीकृत निर्दिष्ट परीक्षा प्रक्रिया के अनुरूप जिला युवा समन्वयकों के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था और इसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विज्ञापित रिक्त पदों पर प्रोन्नति के निर्धारित प्रतिशत में वृद्धि के लिए लेखाकारों को न्यायालय जाना पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो इस पर न्यायालय का निर्णय क्या है;

(ङ) क्या परिणाम घोषित करने में होने वाले विलम्ब के कारण परीक्षार्थियों को भी न्यायालय जाना पड़ा था;

(च) यदि हां, तो इस पर न्यायालय ने क्या निर्णय दिया; और

(छ) परिणाम की घोषणा और युवाओं को पद की पेशकश कब तक किए जाने के संभावना है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हाँ। नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा दिसंबर, 1996 के दौरान एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें जिला युवा समन्वयक के पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। तथापि, चयन प्रक्रिया सरकार द्वारा निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दी गई थी:-

(1) पद के सृजन के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं था।

(2) आवेदन मांगने वाले विज्ञापन के अनुसार शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई थी लेकिन केवल स्नातकोत्तर ही लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए।

(3) इन पदों की नियुक्ति से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) जी, हाँ। कुछ लेखाकार-सह-लिपिकों ने चंडीगढ़ में माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में एक केस दर्ज किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 11.03.1998 के आदेश के माध्यम से भारत संघ को आदेश दिया है कि वे दो महीने के अंदर भर्ती नियम तैयार करें और इसके तुरंत बाद आवेदकों की पदोन्नति, जिसके

वे पात्र हों, पर विचार करें। तद्नुसार नियम बनाए गए और इनका पालन किया जा रहा है।

(ङ) और (च) जी, हाँ। दो आवेदकों ने चयन प्रक्रिया के रद्द हो जाने की वजह से परिणाम घोषित न किए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में केस दर्ज किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 03.03.1999 के एकल न्यायाधीश बेंच के आदेश में प्रदिवादी को निर्देश दिया कि वे परीक्षा का परिणाम घोषित करें और बताएं कि यदि आवेदनकर्ता सफल हुए हों तो उन्हें नियुक्त किया जाए। अपील करने पर फिर न्यायालय के युगल न्यायाधीश बेंच ने 02.08.2000 को उक्त आदेश खारिज किया और इसे वापिस एकल न्यायाधीश बेंच को नए सिरे से विचार करने और फैसले के लिए वापिस भेज दिया।

(छ) मामला न्यायालय में विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों का आबंटन

3229. डा. एम. जगन्नाथः क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे प्लेटफार्मों पर एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों के आबंटन के लिए हाल में एक नई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) चूंकी एसटीडी/आईएसडी पीसीओ के लिए दूरसंचार विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनलन) द्वारा टेलीफोन लाइनें प्रदान करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अतः रेलवे स्टेशन पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ/फैक्स बूथों के नए आवंटन के लिए रेल मंत्रालय ने दिनांक 14.05.2004 को दिनांक 22.04.2002 को दिए पूर्व के दिशा-निर्देशों को ही युक्तिसंगत बनाया है।

दिनांक 22.04.2002 और 14.05.2004 के पत्र सं. 2001/टीजी -IV/10/पीसीओ/नीति के तहत रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 01/टीजी -IV/10/पीसीओ/पुनरीक्षा नई दिल्ली, दिनांक 14.5.2004

सेवा में,

महा प्रबंधक (वाणिज्य)
सभी मंडल रेलवे

(2004 का वाणिज्य परिपत्र सं. 8)

विषयः रेलवे स्टेशनों पर एसटीडी/पीसीओ/आईएसडी/फैक्स/इन्टरनेट बूथों के नए आबंटन की नीति।

संदर्भः बोर्ड का दिनांक 22.4.02 का पत्र सं. 01/टीजी 4/10/पीसीओ/नीति और दिनांक 29.10.02 का पत्र सं. 01/टीजी -IV/10/पीसीओ/पुनरीक्षा।

एसटीडी/पीसीओ/आईएसडी/फैक्स/इंटरनेट बूथों की मौजूदा नीति की पुनरीक्षा करने के लिए रेल मंत्रालय में एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा की-गई-सिफारिशों तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर रेल मंत्रालय ने उपरोक्त दिनांक 22.4.2002 के नीतिगत पत्र में संदर्भित मौजूदा दिशा-निर्देशों के कतिपय प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। मौजूदा नीति में किए गए संशोधनों/शामिल किए गए/हटाए गए तथ्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. नीचे पैरा 4. IV पैरा V में निम्न बातें शामिल की जाएं:

V. घ, ङ तथा च श्रेणी के स्टेशनों के मामले में आवेदक को उस क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिए। उस आवास को स्थानीय आवास के रूप में माना जाएगा यदि वह आवास उसी जिले के भीतर अवस्थित हो जिसमें वह स्टेशन भी अवस्थित हो जहां बूथ आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए आवेदक को उस जिले के जिला अधिकारी/अंपर जिला अधिकारी से स्थानीय आवास या मतदाता पहचान-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जहां यह स्टेशन अवस्थित है।

2. पैरा 5.3 में संशोधन किया गया है और उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

5.3 विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों पर विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को आवंटित किए जाने वाले बूथों की संख्या के परिकलन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी:

"किसी एक प्रखंड पर अवस्थिति स्टेशनों की संख्या को श्रेणी-वार अर्थात क, ख, ग, घ, ङ तथा च में अलग-अलग किया जाएगा। ऐसा करने के बाद स्टेशन में प्रत्येक बूथ को एक क्रमांक दिया जाना चाहिए अर्थात नागपुर स्टेशन में बूथों को एनजीपी/1, एनजीपी/2 आदि के रूप में नंबर दिया जाएगा। प्रखण्ड पर सभी "क" श्रेणी के स्टेशनों के लिए निर्धारित बूथों की संख्या मिला दी जाएगी और तत्पश्चात उन्हें "वर्टिकल एंड होरिजेन्टल" आरक्षण के सिद्धांत को अपनाकर बांट दिया जाएगा। यही प्रक्रिया "ख" और "ग" श्रेणी के स्टेशनों के लिए अपनायी जाएगी। पूरे प्रखंड के लिए "घ" "ङ" तथा "च" श्रेणी के स्टेशनों में आवश्यक कुल संख्या को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाएगा और इसे एक ब्लॉक के रूप में माना जाएगा और तत्पश्चात ऊपर यथाउल्लिखित वही सिद्धान्त अपनाया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी विशेष प्रखंड के सभी "क" श्रेणी के स्टेशनों पर 100 बूथ आबंटित करना हो तो 25 बूथ विकलांगों के लिए, 25 बूथ महिलाओं के लिए और 50 बूथ बेरोजगार युवाओं के लिए आंबटित किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों को आवंटित 25 बूथों में से 15% अ.जा. के लिए, 7.5% अ.ज.जा. के लिए और 27% अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और शेष 50.5% सामान्य लोगों के लिए आबंटित किया जाएगा। यही प्रणाली महिलाओं तथा बेरोजगार युवाओं के मामले में अपनायी जाएगी। जिन बूथों के लिए व्यक्तियों की श्रेणी आवंटित की जाएगी उनका निर्धारण क, ख और ग श्रेणी के स्टेशनों के लिए अलग से किसी बच्चे के द्वारा निकाले जाने वाले ड्रॉ के माध्यम से तथा घ, ङ और च स्टेशनों के लिए संयुक्त आधार पर किया जाएगा। बूथों की एक बारगी पहचान के लिए डीआरएम द्वारा सहायक/वरिष्ठ वेतनमान स्तर के 3 अधिकारियों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। इस तरीके से आबंटन हेतु प्रत्येक बूथ को एक विशिष्ट नंबर तथा व्यक्ति की श्रेणी आबंटित की जाएगी जिसे उसका बूथ आईडी कहा जाएगा।

3. पैरा 5.4 को संशोधित कर दिया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

5.4 वर्तमान संविदा पूरी हो जाने के बाद अथवा संविदा को समाप्त कर दिये जाने आदि पर बूथों को बूथ "आईडी" के अनुसार निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्ति को आबंटित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भावी निविदाएं केवल विशिष्ट बूथ के लिए होंगी। यदि नए प्लेटफार्मों आदि के निर्माण किए जाने के कारण अतिरिक्त बूथों की स्थापना की जानी हो तो इन बूथों की पहचान करने का कार्य ऊपर निर्धारित कार्यविधि के अनुसार तालिका के शेष व्यक्तियों की श्रेणी के आधार पर किसी बच्चे से उसका ड्रा निकलवाने के माध्यम से किया जाएगा।

4. पैरा 6.1 को संशोधित कर दिया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

6.1 "ए" "बी" और "सी" श्रेणी के स्टेशनों पर बूथों के आबंटन हेतु दो पैकेट वाली निविदा प्रणाली अपनाई जाएगी। "डी" "ई" और "एफ" श्रेणी के स्टेशनों के लिए आबंटन का कार्य डीआरएम द्वारा किसी बच्चे से उसका ड्रा निकालने के आधार पर किया जाएगा। इसकी विस्तृत कार्यविधि निम्नानुसार होगी:

5. पैरा 6.1.2 (*ii*) को संशोधित कर दिया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

परिसंपत्तियां और देयताएं घोषित करने वाला शपथ-पत्र

6. पैरा 6.1.3 को संशोधित कर दिया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

6.1.3 पैकेट "बी" जो कि वित्तीय प्रस्ताव है उसे पैकेट "ए" के आधार पर लघुसूचीयन के बाद खोला जाएगा और इसमें केवल वित्तीय बोलियां रहेंगी कोई अन्य दस्तावेज नहीं रहेगा। वित्तीय बोली में दो घटक होंगे। पहले घटक में रेलवे प्रशासन द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित भूमि के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने का वचन दिया जाएगा। दूसरे घटक में उसे टेलीफोन सेवा प्रदाता अर्थात बीएसएनएल, एमटीएनल अथवा किसी अन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा देय कमीशन के प्रतिशत के रूप में एक पेशकश होगी जो किसी भी मामले में उसको देय कमीशन के 10% से कम नहीं होगी। निविदा में अधिकतम कमीशन भी 100% से अधिक उद्धृत नहीं किया जाएगा। यदि कोई निविदादाता 100% से अधिक कमीशन उद्धृत करेगा तो ऐसी निविदा अमान्य करार दी जाएगी। इसका निविदा के दस्तावेज में विशेष तौर पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

7. पैरा 6.1.4 को संशोधित कर दिया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए··

6.1.4 बोलियां प्राप्त हो जाने के बाद उपयुक्त स्तर के तीन अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई निविदा समिति, जिसमें क्रमशः वाणिज्यिक, सिविल और वित्त विभाग से एक-एक अधिकारी होगा, पैकेट "ए" की संवीक्षा करेगी और जो तकनीकी प्रस्ताव में योग्य पाए जाएंगे उनका लघुसूचीयन करेगी तथा जिन आवेदनों के साथ पैकेट "ए" के लिए उद्दिष्ट कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया होगा उनको तत्काल अस्वीकार कर देगी। तत्पश्चात् केवल उन्हीं बोलीदाताओं के पैकेट "बी" खोले जाएंगे जो पैकेट "ए" में वित्तीय बोलियां खोलने के लिए योग्य पाए जाएंगे। अधिकतम बोली वाले प्राप्त हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी अर्थात मंडल रेल प्रबंधक द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किया जाना चाहिए। तथापि, चूंकि अधिकतम बोली को कमीशन के 100 तक सीमित रखा गया है अतः यदि समान रूप से अधिकतम बोली लगाने वाले उम्मीदवार एक से अधिक होंगे तो किसी बच्चे से उसका ड्रा करवाया जाएगा और उम्मीदवारों को कूरियर/पंजीकृत पावती देय डाक द्वारा ड्रा की तिथि, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी ताकि यदि वे चाहें तो ड्रा के समय उपस्थित हो सकें।

8. पैरा 6.2.2 को संशोधित कर दिया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

6.2.2 आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद डिवीजन के उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई छानबीन समिति, जिसमें वाणिज्यिक, सिविल और वित्त विभाग से एक-एक अधिकारी होंगे, पात्र बोली प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और उनका लघुसूचीयन करेगी। उसके बाद डीआरएम द्वारा बूथ का आबंटन किसी बच्चे से ड्रा निकलवाकर किया जाना चाहिए। सभी पात्र उम्मीदवारों को कूरियर/पंजीकृत पावती द्वारा ड्रा की तारीख, समय तथा स्थान की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि यदि वे चाहें तो ड्रा में भाग ले सकें।

9. पैरा 7.1 को संशोधित किया गया है और इसे निम्न प्रकार पढ़ा जाए:

निम्नलिखित शुल्कों की वसूली बूथ प्रचालक से की जाएगी:

7.1 रेलवे द्वारा समय-समय पर यथाधिसूचित स्टेशनों पर प्रचलित भूमि मूल्य की अधिसूचित लागत के 20% के समान दर से **भूमि लाइसेंस शुल्क** का भुगतान सभी श्रेणी के स्टेशनों के लिए किया जाएगा और इसमें प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी। भूमि लाइसेंस शुल्क की वास्तविक राशि निर्धारित की जाएगी और इसका उल्लेख निविदा दस्तावेज में किया जाएगा।

उपर्युक्त परिवर्तन भविष्य में आवंटित की जानेवाली एसटीडी/पीसीओ/आईएडी/फैक्स/इंटरनेट बूथों के लिए भी लागू होंगे। वे बूथ जो बोर्ड के दिनांक 22.4.02 के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार आवंटित कर दिए गए हैं अथवा अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं, दिनांक 22.4.02 तथा 29.10.02 के विद्यमान दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे।

यह मंत्रालय के वित्त तथा विधि-निदेशालयों की सहमति से जारी किया गया है।

(ए.के. गोयल)
यात्री विपणन कार्यपालक निदेशक
रेलवे बोर्ड

संलग्न दस्तावेज: यथोपरि

सं. 01/टीजी-IV/10/पीसीओ/समीक्षा नई दिल्ली, दिनांक: 02.2004

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. प्रधान लेखा-परीक्षा निदेशक, सभी जोनल रेलवे।

2. एफए एवं सीएओ, सभी जोनल रेलवे।

(ध्रुव सिंह)
निदेशक वित्त वाणिज्यिक, रेलवे बोर्ड,

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक/सभी जोनल रेलवे।

2. मंडलीय रेलवे प्रबंधक/जोनल रेलवे के सभी मंडल।

(ए.के. गोयल)
यात्री विपणन कार्यपालक निदेशक,
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरएफ तथा एनएफआईआर

2. महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी संघ, 171-बी/3, बसंत लेन, रेलवे कालोनी, नई दिल्ली-1

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2001/टीजी-IV/पीसीओ/नीति नई दिल्ली, 22.4.2002

सेवा में,

महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)
सभी जोनल रेलवे

(वाणिज्यिक परिपत्र सं. 2002 की 24)

विषय: रेलवे स्टेशनों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ/फैक्स/इन्टरनेट बूथों के नए आबंटन की नीति।

दिनांक 28.4.2000 के बोर्ड के पत्र सं. 2000/टीजी 4/10/पी/पीसीओ/टीएटीए के तहत जारी की गई एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ नीति की व्यापक पुनरीक्षा बोर्ड के विचाराधीन है। नए एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ/फैक्स/इंटरनेट बूथों के आबंटन हेतु तैयार की गई विस्तृत नीति-दिशानिर्देशों की प्रति संलग्न है। करार की प्रतिलिपि, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की "कनवेंसिंग ब्रांच" द्वारा विधीक्षा करने के उपरांत भेजी जाएगी। इसी बीच, एसटीडी/आईएसडी बूथों के नए आबंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसे रेल मंत्रालय के वित्त और विधि निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है।

मौजूदा एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ/फैक्स/इंटरनेट बूथ धारकों और केवल स्थानीय कॉल सुविधा वाले पीसीओ बूथों के संदर्भ में नीति-दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

कृपया पावती भेजें।

ह./-

(डॉ.पी.के. गोयल)
कार्यकारी निदेशक यात्री विपणन,
रेलवे बोर्ड,

अनुलग्नक: नीति की प्रति।

सं. 2001/टीजी-IV/10/पीसीओ/ नई दिल्ली,
दिनांक 22.4.2002

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. प्रधान लेखा-परीक्षा निदेशक, सभी जोनल रेलवे।
2. एफए एवं सीएओ, सभी जोनल रेलवे।

(तनवीर अहमद)
निदेशक, वित्त वाणिज्यिक,
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली: 22.4.2002

सं. 2001/टीजी-IV/10/पीसीओ/नीति

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक/सभी जोनल रेलवे।
2. मंडलीय रेलवे प्रबंधक/सभी मंडल/सभी जोनल रेलवे।

ह./-

(डॉ. पी.के. गोयल)
कार्यकारी निदेशक, यात्री विपणन,
रेलवे बोर्ड

एसटीडी/आईएसडी/स्थानीय काल/फैक्स/इंटरनेट सुविधा युक्त बूथों के आबंटन संबंधी नीति - 2002

1 उद्देश्य

1.1 आपातकाल अथवा अन्य परिस्थितियों में संपर्क स्थापित करने के लिए यात्रियों को आसान और प्रयोक्ता अनुकूल अभिगम्यता प्रदान करना।

2. बूथों का पैमाना और संख्या

2.1 एसटीडी/आईएसडी/स्थानीय कॉल/फैक्स/इंटरनेट सुविधा युक्त बूथ प्रदान करने के उद्देश्य से स्टेशनों को बोर्ड के पत्र सं. 94/एलएम (बी)/2/175, दिनांक 28.9.99 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा जो निम्नानुसार हैं:-

श्रेणी "क" : यात्रियों से प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपए और इससे अधिक आय अर्जित करने वाले गैर-अर्धशहरी स्टेशन

श्रेणी "ख"1: यात्रियों से प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए से 6 करोड़ रुपए के बीच आय अर्जित करने वाले गैर-अर्धशहरी स्टेशन

श्रेणी "ख"2: पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशन अथवा महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन (इस संबंध में महाप्रबंधक द्वारा निर्णय किया जाना है)

श्रेणी "ग": सभी अर्द्धशहरी स्टेशन

श्रेणी "घ": प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपए के बीच आय अर्जित करने वाले गैर-अर्द्ध-शहरी स्टेशन

श्रेणी "ङ": 1 करोड़ रुपए से कम अर्जित करने वाले गैर-अर्द्धशहरी स्टेशन

श्रेणी "च": हाल्ट्स

2.2 "क" श्रेणी के स्टेशनों पर प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एसडीटी/आईएसडी/स्थानीय कॉल/फैक्स/इंटरनेट सुविधा युक्त

2 बूथ प्रदान किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए संयुक्त प्लेटफॉर्म को एकल प्लेटफॉर्म कहा जाएगा। महानगरों, राज्य की राजधानियों इत्यादि में स्थित महत्वपूर्ण स्टेशनों के मामले में, जहां से काफी संख्या में यात्री आते-जाते हैं, वहां भी यह सुविधा स्टेशन परिसर में खुले स्थान पर और भारी संख्या में आवाजाही वाले क्षेत्र में प्रदान की जाएगी और इन स्थानों पर प्रदान किए जाने वाले बूथों की संख्या डिवीजनल रेलवे प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

2.3 श्रेणी "ख" और श्रेणी "ग" स्टेशनों पर प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक बूथ प्रदान किया जाएगा।

2.4 श्रेणी "घ" स्टेशनों पर ऐसे 2 बूथ प्रदान किए जाएंगे।

2.5 श्रेणी "ङ" और "च" स्टेशनों पर एक बूथ प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि मंडल द्वारा उचित समझा जाए।

2.6 यदि किसी स्टेशन पर अतिरिक्त बूथों के आवंटन पर प्रतिबंध लगा है परंतु इन बूथों के प्रावधान को न्यायसंगत समझा गया है तो डिवीजन रेलवे प्रबंधक के अनुमोदन से इस प्रतिबंध को हटाया जा सकता। तथापि, किसी प्लेटफॉर्म पर बूथों की संख्या उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.7 जो स्टेशन काफी भीड़-भाड़ वाले हैं अथवा जहां एसटीडी/आईएसडी/स्थानीय कॉल/फैक्स/इंटरनैट सुविधा युक्त बूथ प्रदान करने की आवश्यकता, ऊपर निर्धारित मानदंडो के अनुसार महसूस नहीं की गई है वहां डिवीजनल रेलवे प्रबंधक के विशिष्ट अनुमोदन से कम बूथ प्रदान किए जा सकते हैं।

2.8 डिवीजन रेलवे प्रबंधक डिवीजन के प्रत्येक श्रेणी के स्टेशनों के लिए एसटीडी/आईएसडी/स्थानीय काल/फैक्स/इंटरनेट सुविधा युक्त बूथों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार करेंगे।

2.9 जिन स्थानों पर यह सुविधा स्थापित की जानी है उनकी पहचान इस तरीके से की जाएगी कि इससे यात्रियों को आने-जाने में कोई असुविधा न हो और साथ ही वहां यात्री आसानी से पहुंच सकें।

2.10 टेलीफोन बीएसएनएल/एमटीएनएल अथवा उक्त राज्य में विधिवत रूप से चयनित किसी अन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाएंगे और इनका प्रचालन ट्राई के विनियम के तहत होगा।

3. बूथों का प्रचालन: इन बूथों का प्रचालन विधिवत रूप से चयनित बूथ प्रचालकों द्वारा किया जाएगा जो अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा प्रदान कर सकें।

4. बूथ प्रचालकों के चयन हेतु पात्रता संबंधी मानदंड (सभी श्रेणी के आवेदकों/स्टेशनों के लिए)

1. बूथ प्रचालक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति होना चाहिए। आरक्षित श्रेणियों जैसेकि अनु.जा./अनु.जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति शामिल है, के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता नहीं है।

2. निविदा खुलने की तारीख को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

3. **शैक्षिक अर्हता**

आबंटन के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार होगी:

(1) शहरी क्षेत्रों के लिए कम से कम मैट्रिक या हाईस्कूल और उससे अधिक

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8वीं या मिडल पास और उससे अधिक।

4. **पूर्ववृत्त**

लाइसेंस प्रदान किए जाने से पूर्व आवेदकों के पूर्ववृत्त की पुलिस द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए।

5. आवंटन में विभिन्न श्रेणी के लोगों को आरक्षण देना

बूथों को तीन व्यापक श्रेणियों अर्थात शिक्षित बेरोजगार युवक, शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाओं की श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। इन व्यापक श्रेणियों के भीतर कोटा व्यवस्था होगी जैसाकि नीचे दिया गया है:-

5.1 स्टेशनों पर एसटीडी/आईएसडी/लोकल कॉल/फैक्स/इंटरनेट बूथों के आवंटन में विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है:-

श्रेणी	कुल प्रतिशतता	विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित प्रतिशतता			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य (अनारक्षित)
शिक्षित बेरोजगार युवक	50%	50% का 15% अर्थात 7.5%	50% का 7.5% अर्थात 3.75%	50% का 27% अर्थात 13.5%	50% का 50.5% अर्थात 25.25%
शारीरिक रूप से विकलांग (नेत्रहीन सहित) अक्षमता 40% या उससे अधिक	25%	25% का 15% अर्थात 3.75%	25% का 7.5% अर्थात 1.875%	25% का 27% अर्थात 6.75%	25% का 50.5% आर्थात 12.625%
महिलाएं जिनमें शहीदों की विधवाएं तथा रेल कर्मचारियों विधवाएं शामिल हैं	25%	25% का 15% अर्थात 3.75%	25% का 7.5% अर्थात 1.875%	25% का 27% अर्थात 6.75%	25% का 50.5% अर्थात 12.625%
कुल	100%	15%	7.5%	27%	50.5%

5.2 ऊपर विनिर्दिष्ट कोटा प्रभागीय आधार पर रखा जाएगा।

5.3 विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों पर विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को आवंटित किए जाने वाले बूथ की संख्या का आकलन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

"डिवीजन में स्थित स्टेशनों की संख्या को श्रेणीवार अर्थात क, ख, ग, घ और 'च' के तौर पर पृथक किया जाएगा। डिवीजन के सभी "क" श्रेणी के स्टेशनों के लिए निर्धारित बूथों की संख्या को सम्मिलित किया जाएगा तथा उसके बाद विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण के सिद्धांत को अपनाते हुए बूथ वितरित किए जाएंगे। यही प्रक्रिया 'ख' और 'ग' श्रेणी के स्टेशनों के लिए अपनाई जाएगी। संपूर्ण डिवीजन के लिए "घ" "ङ" और "च" श्रेणी के स्टेशनों की कुल आवश्यकता को एक साथ सम्मिलित किया जाएगा तथा इसे एक ब्लॉक के रूप में माना जाएगा तथा इसके बाद उपर्युक्त समान सिद्धांत अपनाया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी डिवीजन विशेष के सभी "क" श्रेणी स्टेशनों में आबंटित किए जाने वाले बूथों की संख्या 100 है तो 25 बूथ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, 25 महिलाओं और 50 बेरोजगार युवकों को आबंटित किए जाएंगे। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आबंटित किए जाने वाले 25 बूथों में से, 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति तथा 27% अन्य पिछड़े वर्ग और शेष 50.5% सामान्य वर्ग को आबंटित किए जाएंगे। यही पद्धति महिलाओं और बेरोजगार युवकों के मामले में अपनाई जाएगी।

5.4 संविदा की अवधि की समाप्ति या संविदा के समापन इत्यादि के कारण हुई रिक्ति की स्थिति में, उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बूथ उसी समान वर्ग से संबंधित व्यक्ति को आबंटित किया जाएगा जिस वर्ग से रिक्त सृजित हुई है।

6. चयन की प्रक्रिया

6.1 "क" "ख" और "ग" श्रेणी के स्टेशनों में बूथों के आबंटन के लिए दो पैकेट निविदा प्रणाली अपनाई जाएगी। "घ" "ङ" और "च" श्रेणी के स्टेशनों के लिए, आवंटन जांच समिति की सिफारिशों पर महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा। प्रक्रिया के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

6.1.1 "क" "ख" और "ग" श्रेणी के स्टेशनों के लिए प्रक्रिया

राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/स्थानीय समाचार-पत्रों इत्यादि में विज्ञापन के माध्यम से संबंधित डिवीजन द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। दो पैकेट निविदा पद्धति अर्थात पैकेट "क" और पैकेट "ख" अपनाई जानी चाहिए।

6.1.2 तकनीकी प्रस्ताव संबंधी **पैकेट "क"** पहले खोला जाएगा तथा इसमें अन्य दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

(1) आवेदक की शैक्षिक योग्यता को दर्शाने वाले अधिप्रमाणित दस्तावेज:

(2) परिसंपत्तियों और देयताओं की घोषणा करने संबंधी हलफनामे के साथ आयकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र;

(3) दस्तावेजों में यह दर्शाना कि पार्टी के पास कनेक्शन लेने तथा निर्दिष्ट स्थल पर बूथ के निर्माण/संस्थापना

हेतु एमटीएनएल/बीएसएलएल के आवश्यक प्रभारों के भुगतान हेतु अपेक्षित वित्तीय संसाधन तथा रेलवे लाइसेंस शुल्क को अदा करने के साथ-साथ बूथ को चलाने हेतु कर्मचारियों को लगाने की क्षमता है।

(4) यथा निर्धारित बयाना राशि

6.1.3 **पैकेट "ख"** एक वित्तीय ऑफर है जिसे पैकेट "क" के आधार पर छांटकर सूची बनाने के पश्चात खोला जाएगा तथा इसमें केवल वित्तीय" बोलियां के अलावा कोई अन्य दस्तावेज नहीं होगा। वित्तीय बोली में दो घटक होंगे। एक घटक में रेलवे प्रशासन द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित भूमि लाइसेंस शुल्क अदा करने हेतु वचनबद्ध होगा/दूसरे घटक में टेलीफोन सेवाप्रदाता अर्थात् बीएसएनएल, एमटीएनएल या किसी अन्य प्राधिकृत सेवाप्रदाता द्वारा उसे भुगतान की जाने वाली कमीशन की प्रतिशतता से संबंधित ऑफर होगा, जो प्रत्येक स्थिति में, उसे भुगतान की जाने वाली छूट के 10% प्रतिशत कमीशन से कम नहीं होगा।

6.1.4. बोलियों की प्राप्ति के बाद, निविदा समिति, जिसमें क्रमश: वाणिज्य, सिविल एवं वित्त विभाग से उपयुक्त स्तर के एक-एक अधिकारी अर्थात् तीन अधिकारी होंगे, पैकेट "क" की संवीक्षा करेगी तथा तकनीकी ऑफर में अर्हता प्राप्त करने वालों की सूची तैयार करेगी एवं पैकेट "क" में यथा-उल्लिखित दस्तावेजों के अनुरूप नहीं पाये गए सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार करेगी। तत्पश्चात जो पैकेट "क" में अपने वित्तीय बोलियों को खोले जाने हेतु अर्हता प्राप्त करते हैं केवल उन्हीं बोलीदाताओं के पैकेट "ख" को खोला जाएगा। प्राप्त उच्चतम बोली के ऑफर पर अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी अर्थात् डिवीजनल रेलवे मैनेजर द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किया। जाना चाहिए।

6.1.5 बूथ प्रचालकों द्वारा रेलवे प्राधिकारी को कमीशन के साथ-साथ भूमि लाइसेंस शुल्क का भी भुगतान करना होगा। प्रत्येक बूथ के लिए आवेदन मांगे जाएंगे तथा उन पर पृथक-पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

6.2 "घ" "ङ" एवं "च" श्रेणी स्टेशनों के चयन हेतु प्रक्रिया

6.2.1 इन श्रेणियों के स्टेशनों हेतु दो पैकेट की निविदा प्रणाली का अनुसरण नहीं किया जाएगा। डिवीजन द्वारा राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय/स्थानीय समाचार-पत्रों इत्यादि में उपयुक्त विज्ञापन को देकर आवेदन की मांग करेगा। पात्रता का मानदंड पैरा 4 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा आवेदक उपर्युक्त पैरा 6.1.2 (1 से 4) में यथानिर्दिष्ट दस्तावेज भी संलग्न करेंगे।

6.2.2 आवेदनों की प्राप्ति के बाद, डिवीजन की स्क्रीनिंग कमेटी, जिसमें वाणिज्य, सिविल एवं वित्त विभाग से उपयुक्त स्तर के एक-एक अधिकारी होंगे, पात्र ऑफरों की संवीक्षा करेगी तथा उनकी सूची तैयार करेगी। इसके बाद, इन्हें डिविजन रेलवे मैनेजर की टिप्पणियों के साथ मुख्यालय कार्यालय के वाणिज्यिक विभाग को अग्रेषित किया जाएगा। इसकी जांच मुख्यालय की समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें महाप्रबंधक द्वारा यथा नामांकित वाणिज्यिक, सिविल एवं वित्त विभाग के एक-एक अधिकारी सहित वरिष्ठ मान स्तर/जेए ग्रेड (जैसी सुविधा हो) के तीन अधिकारी शामिल होते हैं। इस समिति की सिफारिशों का अनुमोदन महाप्रबंध क द्वारा किया जाएगा।

7. लाइसेंस शुल्क एवं अन्य प्रभार

निम्नलिखित प्रभार बूथ प्रचालक से वसूले जाएंगे:

7.1 रेलवे द्वारा समय-समय पर स्टेशनों पर यथा-अधिसूचित मौजूदा भूमि मूल्य की अधिसूचित लागत का 20% की एकसमान दर पर **भूमि लाइसेंस शुल्क** का भुगतान स्टेशनों की विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ में किया जाएगा तथा इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होगी।

7.2 **कमीशन** (1): क, ख, ग, प्रभार के स्टेशनों के संबंध में देय कमीशन की प्रतिशतता की गई सहमति के अनुरूप होगी। (यह प्रतिशतता सेवा प्रचालक अर्थात् बीएसएनएल/एमटीएनएल या किसी अन्य प्राधिकृत सेवाप्रदाता द्वारा बूथ प्रचालकों को दिए जाने वाले 10% कमीशन से किसी भी स्थिति में कम नहीं होगी।

(2) घ, ङ, च श्रेणी के स्टेशनों के संबंध में, सेवा प्रदाता अर्थात् बीएसएनएल/एमटीएनएल या किसी अन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा बूथ प्रचालकों को दिया जाने वाला न्यूनतम 10% कमीशन की राशि रेलवे को दी जानी होती है। तथापि, घ, ङ और च श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्टेशन के लिए वसूल किए जाने वाले कमीशन की प्रतिशतता, का निर्धारण डिवीजन द्वारा अपने एसोशिएट फाइनेंस के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाएगा बशर्ते कि वह न्यूनतम 10% हो।

8. आवंटन की शर्तें

8.1 एक व्यक्ति को केवल एक बूथ आवंटित किया जाएगा। आवेदक से यह वचनबद्ध लिया जाएगा कि उसके द्वारा भारतीय रेल परिसर में किसी अन्य एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ/फैक्स/इंटरनेट बूथ का प्रचालन नहीं किया जा रहा है।

8.2 बूथ का अधिकतम आकार 5' × 6' का होगा।

8.3 एक बूथ में दो टेलीफोन लाइनों की अनुमति दी जाएगी।

8.4 बूथ मालिकों को आवंटित स्थान के भीतर फैक्स सुविधा की संस्थापना हेतु अनुमति दी जाएगी तथा फैक्स सुविधा की संस्थापना होने पर अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन की अनुमति दी जा सकती है। बूथ मालिकों को इंटरनेट कियॉस्क की संस्थापना हेतु भी अनुमति दी जाएगी जिसके लिए अतिरिक्त भूमि लाइसेंसशुल्क के भुगतान पर आवंटित स्थान के क्षेत्रफल से 10% अधिक स्थान अलग से दिया जाएगा। हालांकि, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्लेटफार्मों पर भीड़ नहीं हो जाए।

8.5 (क) बूथ प्रचालन के लिए, लाइसेंसधारक को निर्माण की अनुमति मिलने के पूर्व अग्रिम रूप से एक वर्ष के वार्षिक भूमि लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।

(ख) लाइसेंसाधारक द्वारा रेलवे को कमीशन दिया जाएगा, जो एमटीएनएल/बीएसएनएल द्वारा लाइसेंसधारक को दिए जाने वाले कमीशन के आधार पर होगा।

(ग) प्रारंभिक भूमि लाइसेंस शुल्क का निर्धारण करार पर हस्ताक्षर करते समय किया जाएगा जिसमें प्रत्येक परवर्ती वर्ष में 10% की दर से वृद्धि होगी।

8.6 रेलवे द्वारा पेशगी राशि, प्रतिभूति जमा-राशि के भाग के रूप में रखी जाएगी। छह: माह के भूमि लाइसेंस शुल्क की प्रतिभूति जमा राशि, सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा कराई जाएगी।

8.7 संविदा की अवधि 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी। इसे मण्डल वाणिज्यिक प्रबंधक/वरिष्ठ मण्डल वाणिज्यिक प्रबंधक की संस्तुति पर वित्त सहमति के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा और पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि दोनों प्रचालकों का कार्य निष्पादन, संतोषजनक हो तथा इस अवधि के दौरान पूरा लाइसेंस शुल्क नियमित रूप से जमा कराया गया हो। लाइसेंस की अवधि, विस्तार अवधि सहित अधिकतम केवल 10 वर्ष के लिए होगी तथा इसके बाद अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलवे को समय से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अग्रिम-तौर पर (अधिमान्यत: छ: महीने पहले) नई बोलियां आमंत्रित की जा सकें तथा विस्तार अवधि सहित, 10 वर्ष की संविदात्मक अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी संविदा का नवीनीकरण नहीं करना चाहिए।

8.8 एमटीएनएल/बीएसएनएल या अन्य किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता के बिल, लाइसेंसधारी को प्रदान की गई सभी सुविधाओं के लिए कमीशन की वसूली के आधार पर बनेंगे।

8.9 परिसर/बूथ को पुन: किराए (सबलैट) पर देने की अनुमति नहीं होगी।

8.10 संविदा की अवधि के दौरान लाइसेंसधारी की मृत्यु होने की स्थिति में, यह लाइसेंस केवल समाप्त अवधि के लिए उसके पति/पत्नी या उत्तराधिकार अधिनियम की श्रेणी-1 के कानूनी वारिस के नाम पर अंतरित किया जा सकता है इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वह उस श्रेणी के अंतर्गत आता है या नहीं जिसके तहत उसे लाइसेंस प्रदान किया गया था, किन्तु यह लाइसेंस इस शर्त के अध्यधीन दिया जाएगा कि वह ऊपर यथाउल्लिखित अपने पति या पत्नी या कानूनी वारिस के अनुरोध पर बीएसएनएल/एमटीएनएएल या अन्य किसी सेवाप्रदाता से उनके नाम से अंतरित टेलीफोन बूथ प्राप्त करें।

8.11 रेल प्रयोक्ताओं द्वारा पीसीओ बूथ की सरल पहचान हेतु, इसे पीले रंग से रंगा जाना चाहिए और किनारे पर काले रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्हें रेलवे द्वारा तैयार किए गए मानकीकृत डिजाइन के अनुरूप किया जाना चाहिए।

8.12 इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इस सुविधा का लाभ केवल उस व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है जिसके पक्ष में लाइसेंस जारी किया गया है, लाइसेंसधारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कम से कम 8 घंटों की एक शिफ्ट में बूथ का परिचालन स्वयं करे।

8.13 जिस पार्टी को बूथ आवंटित किया गया है उसे बूथ आवंटन के एक माह के भीतर इसका परिचालन शुरू

करना होगा, ऐसा न करने की स्थिति में, आबंटन रद्द किया जा सकता है तथा पेशगी की राशि जब्त की जा सकती है।

9. कार्य निष्पादन/भुगतान की मॉनिटरिंग।

(1) प्रयोक्ताओं से सुविधा के निष्पादन के बारे में फीड बैक एकत्रित की जानी चहिए।

(2) प्रदान की जा रही सेवा के संबंध में आवधिक जांच की जानी चाहिए।

(3) लेखा विभाग द्वारा तिमाही भुगतान (पेड) विवरण तैयार किया जाना चाहिए और उसे वाणिज्यि विभाग को दिया जाना चाहिए। पार्टी द्वारा समय पर लिए गए भुगतान की पुष्टि से संबंधित ब्यौरे तथा बकाया देय-राशि की स्थिति यदि कोई हो, के ब्योरे रखे जाने चाहिए।

(4) पार्टी के कार्य-निष्पादन का लेखा-जोखा रखने के लिए अलग से एक डोजियर बनाया जाए।

(5) मंडल/आंचलिक रेलवे मुख्यालय में निम्न बातों की जांच के लिए एक अधिकारी नामित किया जाए:

(अ) समय पर भुगतान

(ब) सेवा आदि का संतोषजनक निष्पादन

10. यदि लाइसेंसधारी रेलवे द्वारा निर्धारित शर्तों पर खरा नहीं उतरता है और यदि उसके विरुद्ध अधिक मूल्य वसूलने आदि की कोई शिकायत है तो प्रशासन (अर्थात् मण्डल रेलवे प्रबंधक या महाप्रबंधक) को जुर्माना लगाने/लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार होगा। विधिवत नोटिस जारी करने के बाद संविदा समाप्त कर दी जाएगी। लाइसेंसधारी द्वारा की गई चूक के आधार पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और जुर्माना लगाकर उसे कम से कम तीन अवसर दिए जा सकते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखने के पश्चात् मण्डल रेलवे प्रबंधक को 500 रुपए से अधिक की राशि का दंड लगाने के अधिकार के साथ चूक को समाप्त करने का अधिकार दिया जा सकता है।

11. जिस करार पर समझौता होना है उस मसौदा करार की एक प्रति संलग्न है। जिस श्रेणी के अन्तर्गत बूथ का आवंटन हुआ है उसके आधार पर इसे उपयुक्त रूप से आशोधित किया जा सकता है।

12. ये शर्तें पूर्व व्यापी रूप से लागू होंगी। एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ/इंटरनेट बूथों का नए सिरे से आबंटन इस नई नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3230. श्री पी.सी. थामस: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करने और इसका विस्तार कोचीन स्थित वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल तक करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कोचीन से राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 का विकास किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 पर कोचीन से मुन्नार तक बाइपास की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) कोचीन पत्तन न्यास द्वारा केरल में वल्लारपद में एक नया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांनशिपमेंट टर्मिनल (आई सी टी टी) विकसित करने का एक प्रस्ताव है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग-47 की चार लेन की सड़क (17.2 कि.मी. लंबी) से जोड़ने का प्रस्ताव है जिसकी अनुमानित लागत 395.00 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) कर्नाटक-केरल सीमा से इडापल्ली (कोचीन) तक केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 की संपूर्ण लंबाई (421 कि.मी.) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3ख के अंतर्गत बी ओ टी आधार पर चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है। इस समय, चार लेन बनाने के लिए विस्तृत प्ररियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। वालायर (केरल-तमिलनाडु सीमा) से वैतिला जंक्शन (कोचीन) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-2 (उत्तर-दक्षिण महामार्ग) के अंतर्गत चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है। 166 कि.मी. की कुल लंबाई में

से 32 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 46 कि.मी. लंबाई में यह कार्य चल रहा है। शेष पहुंच मार्गों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने अथवा कार्यों को सौंपे जाने के कार्य प्रगति पर है। जहां तक केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के दूसरे खंड अर्थात् वैतिला जंक्शन से केरल-तमिलनाडु सीमा खंड, का संबंध है, वैतिला जंक्शन-अरूर जंक्शन (10 कि.मी.) को पत्तन सड़क संपर्क के अंतर्गत चार लेन का बनाने का कार्य प्रगति पर है, अरूर जंक्शन-चेरथलाई (20 कि.मी.) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है। इस समय, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने/कार्यों को सौंपने के कार्य प्रगति पर हैं।

(ङ) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर कोच्चि और मन्नार के बीच 3 बाइपासों अर्थात् त्रिपुनीतुरा, मुवत्तुपुझा और कोटमंगलम बाइपासों के बनाने का प्रस्ताव है। इन बाइपासों को सरेखण अनुमोदित है तथा राज्य लोक निर्माण विभाग से भूमि अधिग्रहण के प्राक्कलनों की प्रतीक्षा है। तथापि, त्रिपुनीतुरा बाइपास के लिए कुछ लंबाई में भूमि अधिग्रहण के लिए पहले ही अनुमोदन दे दिया गया है।

कोयला ब्लाकों का आबंटन

3231. **श्री मोहन रावले:**
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एमएसएमसी) को कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमोदन कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एम.एस.एम.सी.) ने निम्नलिखित ब्लाकों के आबंटन का अनुरोध किया था:

राज्य का नाम	ब्लाक का नाम
झारखण्ड	राजमर, बनहरडीह, गोमिया एवं सरिया-कोइयाटांड
छत्तीसगढ़	परसा, मोरगा-1, मोरगा-2, गारे पालमा सेक्टर 1 और गारे पालमा सेक्टर 2
मध्य प्रदेश	डोंगरी ताल-1, डोंगरी ताल-2, और मारा-2 महान
उड़ीसा	नुवागांव तेलीसाही
महाराष्ट्र	मर्की-जारी-जमानी अदकोली

(ग) सरकार ने अपने दिनांक 2.8.06 के पत्र के तहत एम.एस.एम.सी. को मर्की-जारी-जमानी अदकोली का आबंटन किया है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

3232. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा की तुलना में कोयला और लिग्नाइट से विद्युत उत्पादन सस्ता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़वा देने के क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) इस समय, परमाणु विद्युत कोयले की खानों से दूर स्थलों पर स्थित कोयला/लिग्नाइट संयंत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती है। देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कोयले की खानों से दूर स्थित है और वहाँ परमाणु विद्युत अपेक्षाकृत सस्ती है।

(ग) भारत में थोरियम के विशाल भंडार उपलब्ध हैं जिसमें दीर्घावधि तक बिजली का उत्पादन करने की विशाल क्षमता है। भारत में बहुतायत में उपलब्ध थोरियम संसाधनों का उपयोग करके दीर्घावधि तक सुरक्षा हासिल करने के लिए एक त्रि-चरणीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम तैयार किया गया है।

पहले चरण के लिए वाणिज्यिक परिपक्वता हासिल कर ली गई है और हाल ही में दूसरे चरण का आरंभ किया गया है।

[अनुवाद]

एस.ए.आई. की कैन्टीनों में भोजन की गुणवत्ता

3233. **श्री हितेन बर्मन:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही कैन्टीनों में खिलाड़ियों को दिया जा रहा भोजन मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपने प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षण शिविरों आदि में प्रशिक्षणार्थियों को भोजन और विभिन्न अन्य आहार सामग्री उपलब्ध कराता है। भारतीय खेल प्राधिकरण वांछित पोषक मानकों के रखरखाव को देखने के लिए विशेष अध्ययन करा चुका है तथा उसके पास प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी के लिए एक तंत्र भी है। समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर शीघ्रता से कारवाई की जाती है।

कोयला संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

3234. श्री उदय सिंह क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और शेष सिफारिशों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी हां।

(ख) से (घ) विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के भाग-1 में की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं;

(1) चूंकि कोयला भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बना रहेगा इसलिए 15 वर्षों में समस्त भारत को क्षेत्रीय मेपिंग द्वारा कवर करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीच्यूट और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए।

(2) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) को नवरत्न कम्पनी का दर्जा दियां जाए तथा सी.आई.एल. की सहायक कम्पनियों को मिनीरत्न का दर्जा दिया जाए जिसमें इस प्रकार की सहायक कम्पनी के उन प्रस्तावों पर सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जिनमें पूंजी व्यय 500 करोड़ रू. से अधिक का होना।

(3) परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणीय मुद्दे पर सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

(4) कोयले के योजनाबद्ध आयातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

(5) उस समस्त घरेलू कोयले के अनुपात में बढ़ोतरी करना जो कोयला विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं है, उसे 2 से 3 वर्षों में ई-नीलामी बाजार के अंतर्गत लाया जाए।

(6) पावर सेक्टर को फीड कर रहे लिंकेजों की मौजूदा पद्धति के स्थान पर औपचारिक दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति एवं परिवहन करार हों जिसमें रेलवे भी शामिल हो।

(7) कैप्टिव कोयला ब्लाकों का पारदर्शी और प्रभावी ढंग से आबंटन करने के लिए क्रियाविधियों एवं प्रक्रियाओं को कारगर बनाने की आवश्यकता है।

(8) यदि आबंटी ने आबंटित खानों में उत्पादन करने के लिए अथवा अत्यन्त उपयोग यूनिटों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं तो पूर्व में जारी किए गए लाइसेंसों को रद्द करने के लिए सभी सम्भव कानूनी उपाय तैयार किए जाने चाहिए।

(9) बाजार की वास्तिविकताओं को देखते हुए कोयले की कीमत को विनियमित करने की आवश्यकता होगी। कोयला कीमत के विनियमन को विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के मूल्य-निर्धारित में भिन्नता करनी है क्योंकि यह 80% घरेलू उत्पादन की खपत करता है और कोयले की जिस कोटि की यह खपत करता है, वह इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों को सुलभता से बिक्री योग्य नहीं है।

(10) कोयले के लिए रेलवे टैरिफ की विस्तृत समीक्षा एक स्वतंत्र एजेंसी विशेष रूप से उच्च/उच्चतम न्यायालय के जज की अध्यक्षता वाली एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

(11) योजना आयोग तथा कोयला एवं विद्युत मंत्रालयों के परामर्श सें रेलवे को उन मुख्य कारीडोरों का निर्धारण करना चाहिए जिनके माध्यम से बड़ी मात्रा में कोयला विद्युत संयंत्रों को भेजा जाएगा और कोयले के परिवहन के लिए समर्पित ट्रंक मार्गों की स्थापना के लिए लागत तथा व्यवहार्यता की जांच करना चाहिए।

उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

1. वर्ष 2005-06 के दौरान सीआईएल में ई-नीलामी लागू की गई है। प्रारम्भ में, वर्ष 2005-06 के लिए ई-मार्किटिंग के माध्यम से सीआईएल की सहायक कम्पनियों द्वारा परीक्षण के तौर पर 10 मिलियन टन (मि.ट.) कोयला बेचने का निर्णय लिया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 20 मि.ट. कर दिया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार ने सीआईएल को ई-मार्किटिंग के माध्यम से 36 मि.ट. कोयले बेचने की अनुमति दी है।

2. सी.आई.एल. को नवरत्न का दर्जा तथा सी.आई.एल. की सहायक कम्पनियों को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करने का मामला कोयला मंत्रालय के विचारार्थ है।

3. आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करना नामक स्कीम के अंतर्गत सी.आई.एल. ने 16 ओपनकास्ट परियोजनाओं/खानों की पहचान की है जिनमें मौजूदा खानों/परियोजनाओं से 2012-13 तक उत्पादन के उच्चतर स्तर में बढ़ोतरी करके 71.3 मि.ट. अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जाएगा। 16 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं को सरकार/कोयला कम्पनियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। तथा दो परियोजनाएं अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

4. सीएसपीडीआई को आउटसोर्सिंग के माध्यम से ड्रिलिंग की क्षमता में बढ़ोतरी करने की सलाह दी गई है।

5. विद्युत क्षेत्र तथा अन्यों के पक्ष में कुछ कोयला ब्लाकों को डि-रिजर्वेशन करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं।

6. स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के लिए भारत-अमरिकी कार्य-दल, भारत-ई.यू. कार्यदल एवं एशिया प्रशान्त भागीदारी आदि के सहयोग से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

समिति द्वारा रिपोर्ट का भाग-2 अभी प्रस्तुत किया जाना है।

[हिन्दी]

डाकघरों का खोला जाना

3235. **श्री रघुनाथ सिंह शाक्य:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और झारखण्ड में कितने डाकघर खोले जाने का लक्ष्य था;

(ख) क्या इस संबंध में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) डाक नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के दसवीं पंचवर्षीय योजना के नीति-निर्देश के अनुरूप, वर्ष 2004-05 से डाकघर खोलने के योजना के लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय मिशनों में साइंस काउन्सलर

3236. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में देशवार कितने भारतीय राजनयिक मिशन हैं;

(ख) इन मिशनों में कितने साइंस काउन्सलर हैं;

(ग) इन मिशनों में तैनात साइन्स काउन्सलरों द्वारा किस तरह के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है;

(घ) क्या विश्व में हो रहे वैज्ञानिक सहयोगों के चलते इन साइन्स काउन्सरों की संख्या अपर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या में क्या कदम उठाए गए- हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (च) भारत के 115 देशों में आवासीय राजनयिक मिशन हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

इनके अलावा भारत के न्यूयार्क और जिनीवा में क्रमश: संयुक्त राष्ट्र में 2 स्थायी मिशन तथा पेरिस में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) में एक स्थायी प्रतिनिधिमंडल है।

अपनी राजनयिक गतिविधियों के भाग के तौर पर विदेश स्थित प्रत्येक भारतीय मिशन परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक मिशन में किसी एक अधिकारी को अनन्यन रूप से अथवा उसके समग्र कार्य के भाग के तौर पर इस कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। विशिष्ट मामलों में विदेश मंत्रालय से इतर अधिकारियों को भी इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की प्रकृति और विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैनात किया जाता है। वर्तमान में मंत्री (संयुक्त सचिव स्तर), कौंसुलर (निदेशक स्तर) अथवा

प्रथम सचिव (उप सचिव स्तर) के 11 ऐसे अधिकारी निम्नलिखित भारतीय मिशनों में तैनात हैं : वाशिंगटन–3 अधिकारी; पेरिस–2 अधिकारी; बीजिंग, लंदन, मास्को, बर्लिन, तोक्यो और विएना–प्रत्येक में एक-एक अधिकारी।

सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विदेश मंत्रालय अथवा अन्यत्र से पर्याप्त संख्या में अधिकारी विदेश स्थित भारतीय मिशनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों को देखने के लिए तैनात हों। इसके अतिरिक्त सरकार विदेश स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों और विदेश स्थित उनके समकक्षों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को सुगम बनाती है।

विवरण

क्रमांक	देश	क्रमांक	देश	क्रमांक	देश
1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान	31.	इण्डोनेशिया	61.	कतर
2.	अल्जीरिया	32.	ईरान	62.	रोमानिया
3.	अंगोला	33.	इराक	63.	रूसी परिसंघ
4.	अर्जेंटीना	34.	आयरलैण्ड	64.	सऊदी अरब
5.	आर्मीनिया	35.	इस्राइल	65.	सेनेगल
6.	आस्ट्रेलिया	36.	इटली	66.	सर्बिया
7.	अजरबेजान	37.	जापान	67.	स्लोवाक गणराज्य
8.	बहरीन	38.	जार्डन	68.	स्पेन
9.	बेलारूस	39.	कजाकिस्तान	69.	सूडान
10.	बेल्जियम	40	उ. कोरिया	70.	सूरीनाम
11.	भूटान	41.	द. कोरिया	71.	स्वीडन
12.	ब्राजील	42.	कुवैत	72.	स्विटजरलैण्ड
13.	बुल्गारिया	43.	किरगिस्तान	73.	सीरिया
14.	कम्बोडिया	44.	लाओस	74.	ताजिकिस्तान
15.	चिली	45.	लेबनान	75.	थाईलैण्ड
16.	चीन	46.	लीबिया	76.	ट्यूनिशिया
17.	कोलम्बिया	47.	मेडागास्कर	77.	तुर्की
18.	कोट डी आइवर	48.	मैक्सिको	78.	तुर्कमेनिस्तान
19.	क्रोएशिया	49.	मंगोलिया	79.	संयुक्त अरब अमीरात
20.	क्यूबा	50.	मोरक्को	80.	संयुक्त राज्य अमेरिका
21.	चेक गणराज्य	51.	म्यांमा	81.	यूक्रेन
22.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	52.	नेपाल	82.	उजबेकिस्तान
23.	डेनमार्क	53.	नीदरलैण्ड्स	83.	वेनेजुएला
24.	मिश्र	54.	नार्वे	84.	विएतनाम
25.	इथियोपिया	55.	ओमान	85.	यमन
26.	फिनलैण्ड	56.	पनामा	86.	जिम्बाब्वे
27.	फ्रांस	57.	पेरू		
28.	जर्मनी	58.	फिलिपींस		
29.	ग्रीस	59.	पोलैण्ड		
30.	हंगरी	60.	पुर्तगाल		

2. भारत के उच्चायोग

क्रमांक	देश
1	2
1.	आस्ट्रेलिया
2.	बंगलादेश
3.	बोत्सवाना
4.	ब्रूनेई दर-ए-सलाम
5.	कनाडा
6.	साइप्रस
7.	फिजी
8.	घाना
9.	गयाना
10.	जमाएका
11.	कीनिया
12.	मलेशिया
13.	मालदीव
14.	मारीशस
15.	मोजाम्बीक
16.	नामीबिया
17.	न्यूजीलैण्ड
18.	नाइजीरिया
19.	पाकिस्तान
20.	पापुआ न्यू गिनी
21.	सेशेल्स
22.	सिंगापुर
23.	द. अफ्रीका
24.	श्रीलंका
25.	तंजानिया
26.	त्रिनिदाद एवं टोबैगो
27.	यूगाण्डा
28.	यू.के.
29.	जाम्बिया

[हिन्दी]

मेडिकल पेशे का तथाकथित दुरूपयोग

3237. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री मुन्शी राम:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री मो. ताहिर:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय डाक्टर भीख मांगने को बढ़ावा देने के लिए शरीर का अंग काटकर मेडिकल पेशे का तथाकथित रूप से दुरूपयोग कर रहे हैं जैसाकि 30 जुलाई के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे डाक्टरों और भिखारियों के बीच तथाकथित संबंधों का आकलन करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं/संव्यवहार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नीति शास्त्र) विनियमन, 2002 डाक्टरों के व्यावसायिक आचरण को विनियमित करता है। किसी डाक्टर द्वारा व्यावसायिक दुराचरण किए जाने पर उक्त विनियम के उपबंधों के तहत समुचित कार्रवाई की जाती है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि स्वस्थ लोगों को अपंग करने में कथित रूप से लिप्त पाए गए डाक्टरों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की नीति शास्त्र समिति में बुलाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा खोज

3238. श्री सीताराम सिंह:
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण स्तर पर खेलों के क्षेत्र में प्रतिभा खोज हेतु नई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण की शाखाएं स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल हॉस्टलों की स्थापना करने का है ताकि परम्परागत खेलों को आकर्षित, प्रोत्साहित और बढ़ावा मिल सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज, मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के अभाव तथा इसके परिणामस्वरूप बच्चों, किशोरों तथा युवाओं के एक बड़े वर्ग के लिए खेल-कूद आयोजित न कर पाने की कमी को पहचान कर मंत्रालय में पंचायती राज संस्थाओं, युवा संगठनों शैक्षिक संस्थानों इत्यादि सहित विभिन्न पणधारियों के सहयोग से पंचायत युवा खेल अभियान के संवर्धन के लिए ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रालयों तथा संबंधित संगठनों और राज्य सरकारों के साथ भी आवश्यक विचार-विमर्श करने के पश्चात प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल योजना के अन्तर्गत छात्रावास सहित अवस्थापनायें दूर-दराज के ग्रामीण, आदिवासी तथा तटीय क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को खोज निकालने तथा पुष्ट करने के लिए स्थापित की जा रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्पर्धा (एन.एस.टी.सी.) योजना तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.) के तहत कबड्डी, खो-खो इत्यादि जैसे परंपरागत खेल-कूद के संबंध में कोचिंग व प्रशिक्षण के लिए सुविधायें उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। इसके अलावा अखाड़ों को अपनाने/पंजीकरण के लिए प्रावधान है जहाँ ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

[अनुवाद]

संचार नेटवर्क का ठप्प हो जाना

3239. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हुए मुंबई विस्फोटों के तत्काल बाद पूरा संचार नेटवर्क ठप्प हो गया था और लोग अपने प्रभावित संबंधियों तथा मित्रों के बारे में सूचना नहीं प्राप्त कर सके थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समेकित आपात सूचना/संचार प्रणाली जो कि देश में ऐसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय आपात स्थिति के मामले में सूचना प्रदान कर सके, की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार 11 जुलाई, 2006 को विस्फोटों के तत्काल बाद मुंबई के मोबाइल नेटवर्क के जाम हो जाने की रिपोर्ट मिली थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मुंबई महानगर सेवा क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से इस प्रकार से जाम होने के कारणों के बारे में पूछा गया था। कुछेक प्रचालकों से प्राप्त हुए जवाबों के अनुसार, नेटवर्क में यह अवरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा अत्यधिक/बार-बार कॉल करने के कारण था। की गई कॉलों की बढ़ती हुई संख्या से टेलीफोन एक्सचेंज/मोबाइल स्विचन केंद्र (एमएससी) की प्रोसेसिंग लोड क्षमता की चरम सीमा को पार कर गई जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित एक्सचेंज/एमएससी का ऑटोमैटिक ओवरलोड नियंत्रण तंत्र सक्रिय हो गया।

दूरसंचार प्रणालियों में, ऑटोमैटिक ओवरलोड नियंत्रण, प्रणाली की रक्षा करने के लिए एक मानक डिजाइन सुविधा है जिससे एक बार ओवरलोड कम हो जाने पर प्रणाली पुनः वापस सामान्य हो जाती है।

इस प्रकार की आपात स्थितियों में लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर खोले जाते हैं।

कोयला धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण

3240. **श्री जुएल ओराम:**
श्री अनन्त नायक:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयला धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस पर सहायक कम्पनीवार कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल) ने वाशरियों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए अपनी सहायक कम्पनियों के अधीन प्रचालनरत विभिन्न कोयला वाशरियों के आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए कार्रवाई की है। सी.आई.एल. की सहायक कम्पनियों द्वारा वाशरियों के आधुनिकीकरण/नवीकरण पर खर्च की जाने वाली निधियों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

सहायक कम्पनी	(करोड़ रु. में)
भारत कोकिंग कोल लि.	125.00
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	45.59
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	7.07

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

रक्षित कोयला खनन हेतु नीति की समीक्षा

3241. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षित कोयला खनन लाइसेंस प्रदान करने की वर्तमान नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लाइसेंस देने हेतु लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस प्रक्रिया में सार्वजनिक-निजी साझेदारी की भूमिका क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में ऐसे लाइसेंसों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में, समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार, अत्यन्त उपयोग के रूप में विद्युत उत्पादन, लोहा और इस्पात उत्पादन तथा सीमेंट उत्पादन में उपयोग के लिए भारतीय कम्पनियों द्वारा कोयला खनन की अनुमति है। उक्त नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कम्पनियों को दिए गए कोप्टिव खनन ब्लाकों के आबंटन में विद्युत और इस्पात क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

(घ) तमिलनाडु राज्य में कोप्टिव खनन के लिए कोई ब्लाक अब तक आबंटित नहीं किए गए हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का उपयोग

3242. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि तथा उपयोग की गई धनराशि के प्रतिशत का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक सतत योजना है जिसके अधीन सरकार द्वारा जिला प्राधिकारियों को जारी की गई निधियां अव्यपगत होती हैं। जिले में शेष निधियों को अनुवर्ती वर्षों में उपयोग हेतु अग्रेनीत किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई और उपयोग की गई निधियों से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए जारी की गई और उपयोग की गई राज्यवार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) कुछ कारण हैं जिनसे विलंब होता है। वे हैं–प्राक्कलन तैयार करना, राज्य सरकारों द्वारा कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाना इत्यादि।

विवरण-I

वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)	उपयोग
2003-04	1682	1736.66	103.25%
2004-05	1310	1909.11	145.73%
2005-06	1433.90	1382.63	96%

विवरण-II

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06	
		भारत सरकार द्वारा जारी	किया गया व्यय	भारत सरकार द्वारा जारी	किया गया व्यय	भारत सरकार द्वारा जारी	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मनोनीत	24.5	17.02	25.5	18.42	15.05	26.42
2.	आंध्र प्रदेश	122	118.81	112	159.28	101.50	112.53
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	7.74	6	4.28	6.00	7.98
4.	असम	47	53.63	43	52.87	35.00	34.50
5.	बिहार	116.5	117.64	84.5	115.91	100.05	70.64
6.	गोवा	8	3.88	4	10.2	7.00	6.86
7.	गुजरात	77.5	75.5	55.5	106.16	70.00	73.90
8.	हरियाणा	30.5	30.39	26.5	19.14	27.00	21.77
9.	हिमाचल प्रदेश	14	17.86	13	12.03	15.95	14.21
10.	जम्मू-कश्मीर	22	20.02	12	26.36	23.30	17.63
11.	कर्नाटक	86	121.32	65	87.5	85.00	69.10
12.	केरल	63.5	62.47	21.5	72.89	39.00	42.01
13.	मध्य प्रदेश	86	93.61	76	87.42	77.00	81.78
14.	महाराष्ट्र	133.5	148.54	104.5	176.14	112.00	113.39
15.	मणिपुर	6	8.2	6	3.49	6.00	4.10
16.	मेघालय	7	5.49	6	8.71	7.00	4.26
17.	मिजोरम	4	3.93	4	1.65	4.00	5.54
18.	नागालैण्ड	5	3.55	3	2.45	5.00	5.00
19.	उड़ीसा	69.5	63.81	52.5	107.74	61.00	53.61
20.	पंजाब	53.5	39.55	34	57.05	37.00	33.40
21.	राजस्थान	69.5	75.16	65.5	65.72	69.00	70.99
22.	सिक्किम	3	1.754	5	5.49	4.00	2.19
23.	तमिलनाडु	112.5	147.28	115.5	118.97	102.00	109.46
24.	त्रिपुरा	6	10.39	6	7.38	6.00	6.89
25.	उत्तर प्रदेश	234	255.93	206	272.42	21.45	175.34

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	पश्चिम बंगाल	138	111.99	59.5	158.86	91.50	118.55
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4	6.79	1	0	2.00	1.90
28.	चंडीगढ़	2	6.04	4	3.18	1.00	0.64
29.	दादरा व नगर हवेली	2	3.7	1	0.73	3.00	3.88
30.	दमन एवं दीव	2	0.83	2	1.68	2.00	1.86
31.	दिल्ली	21	23.09	15	22.59	17.05	5.43
32.	लक्षद्वीप	2	0.6	1	1.64	2.00	2.82
33.	पांडिचेरी	4	2.55	1	2.29	1.00	2.87
34.	छत्तीसगढ़	36	21	29	46.92	29.00	27.49
35.	उत्तरांचल	14.5	14.73	16.5	21.88	15.00	18.44
36.	झारखंड	49.5	41.77	27.5	49.67	41.00	35.25
	कुल	1682	1736.66	1310	1909.11	1433.90	1382.63

[हिन्दी]

अजा/अजजा कर्मचारियों की बर्खास्तगी

3243. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

श्री अजीत जोगी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान 5000 से अधिक अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों को बीसीसीएल, ईसीएल तथा सीसीएल जैसी कोल इंडिया लि. कम्पनियों की सेवा से लम्बे अवकाश के आधार पर नौकरी से तथाकथित रूप से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और कम्पनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हटाए गए इन कर्मचारियों की पुनर्बहाली करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क) और (ख) यह सत्य नहीं है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल में लम्बी अनुपस्थिति के आधार पर 5000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को हटाया गया है। तथापि, लम्बी अनुपस्थिति के सिद्ध दुराचरण के कारण 3247 कर्मचारियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी श्रेणियों को मिलाकर) को बर्खास्त किया गया, जो नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	जोड़
2001-02	196	237	103	536
2002-03	182	232	104	568
2003-04	209	337	85	681
2004-05	310	413	156	879
2005-06	174	308	101	583
जोड़	1071	1627	549	3247

इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) कामगारों के लिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ बर्खास्त कर्मचारियों द्वारा अपीलीय प्राधिकरण में अपील किए जाने का भी प्रावधान है। ये अपीलें जब कभी प्राप्त होती हैं इन पर मामले के गुणावगुण के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण व्यापार केन्द्र

3244. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना कर ग्रामीण भारत के विकास हेतु भारत और विदेश स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार ग्रामीण व्यापार केन्द्रों (आरबीएच) की स्थापना कर ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारत और विदेश में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का विचार नहीं कर रही है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, पंचायतों, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा अन्य समान संगठनों की सहायता से ग्रामीण उत्पादकों तथा ग्रामीण बाजारों को व्यावसायिक घरानों की मदद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने हेतु आरबीएच की अवधारणा को कार्यान्वित कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं को समुचित व्यावसायिक साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है।

ग्रामीण व्यापार केन्द्र पहल के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने अब तक निजी कम्पनियों (जिनमें भारत और विदेश में स्थित भारतीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों शामिल हैं) पंचायतों, ग्रामीण कारीगरों, उत्पादकों, प्रोसेसरों आदि के बीच 50 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान की है। ये समझौता ज्ञापन पंचायतों द्वारा शक्ति का वितरण, जट्रोफा का रोपण, फल प्रसंस्करण, बीज उत्पादन, कार्बनिक खाद्य, डेरी-उद्योग, ईंट बनाना, बायोमास के जरिए विद्युत उत्पादन, हस्तकला और हथकरघा सहित गतिविधियों की विभिन्न स्ट्रीमों से संबंधित हैं।

योजनाओं का पूरा न किया जाना

3245. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राज्यों के कई जिलों में शुरू की गई 80 प्रतिशत योजनाएं पूरी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) जी नहीं। अखिल भारतीय स्तर पर, 18-8-2006 की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत कार्यों की तुलना में पूरा किए गए कार्यों का प्रतिशत 89.52 है। स्वीकृत कार्यों की तुलना में पूरा किए गए कार्यों के प्रतिशत के राज्य-वार सार को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

एमपीलैड्स के अधीन कार्यों का राज्य-वार सार (18.8.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शुरूआत से मंजूर कार्यों की कुल संख्या	शुरूआत से पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या	मंजूर किए गए कार्यों की तुलना में पूरे किए गए कार्यों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
मनोनीत		4598	3709	80.67
1.	आंध्र प्रदेश	89915	78697	87.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	1602	1530	95.51

1	2	3	4	5
3.	असम	36190	32024	88.49
4.	बिहार	41518	35945	86.58
5.	गोवा	693	500	72.15
6.	गुजरात	74282	68364	92.03
7.	हरियाणा	24821	23168	93.34
8.	हिमाचल	16560	11477	69.31
9.	जम्मू-कश्मीर	8690	7049	81.12
10.	कर्नाटक	41875	36384	86.89
11.	केरल	17280	14290	82.70
12.	मध्य प्रदेश	60173	55496	92.23
13.	महाराष्ट्र	48822	41589	85.18
14.	मणिपुर	4503	3710	82.39
15.	मेघालय	3899	3409	87.43
16.	मिजोरम	3274	3142	95.97
17.	नागालैण्ड	1611	1598	99.19
18.	उड़ीसा	62694	57292	91.38
19.	पंजाब	46535	41045	88.20
20.	राजस्थान	54942	50174	91.32
21.	सिक्किम	775	730	94.19
22.	तमिनाडु	57688	55565	96.32
23.	त्रिपुरा	1293	1179	91.18
24.	उत्तर प्रदेश	109329	101894	93.20
25.	पश्चिम बंगाल	52576	44657	84.94
26.	अंडमान निकोबार	642	642	100.00
27.	चंडीगढ़	682	492	72.13
28.	दादरा और नगर हवेली	1021	859	84.13
29.	दमण दीव	512	449	87.70
30.	दिल्ली	6133	5538	90.30

1	2	3	4	5
31.	लक्षद्वीप	22	13	59.09
32.	पांडिचेरी	1018	903	88.70
33.	छत्तीसगढ़	23257	21387	91.96
34.	उत्तरांचल	12064	10859	90.01
35.	झारखंड	16169	14636	90.52
	कुल	927658	830395	89.52

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना/मरम्मत करना

3246. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज की तिथि के अनुसार सड़कों को चौड़ा करने उनके विस्तार और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है और जहां निकट भविष्य में कार्य आरंभ होने की संभावना है;

(ख) प्रत्येक मामले की स्थिति रिपोर्ट क्या है;

(ग) ये कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ पुराने उपरिपुलों के पुनर्निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	रा.रा. सं.	कार्य का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	प्रारंभ होने की वास्तविक/ संभावित तिथि	पूरा होने की वास्तविक/ संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
क. राज्य आर एंड बी विभाग, गुजरात को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई						
1.	6	73/2-85/0 कि.मी. में सड़क गुणता सुधार	3.26	26.4.2006	31.12.2006	प्रगति पर है
2.	6	39/2-4, 41/8-42/0, 68/4-6 और 71/4-6 किमी. चार छोटे पुलों का पुनरूद्धार	0.71	23.05.2006	30.09.2006	प्रगति पर है
3.	8ई	233/0 से 253/0 किमी. में पेव्ड शोल्डरों का निर्माण	4.28	31.12.2004	30.09.2006	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7
4.	8ई	220/0 से 233/0 किमी.	2.64	31.12.2004	31.10.2006	प्रगति पर है
5.	8ए विस्तार	174/0 से 176/2 और 190/0 से 205/0 किमी. में एकल लेन को दो लेन का बनाना	3.98	5.11.2005	30.09.2006	प्रगति पर है
6.	8ए विस्तार	205/0 से 225/0 किमी. में एकल लेन को दो लेन का बनाना	4.87	15.10.2005	30.03.2007	प्रगति पर है
7.	8ए विस्तार	225/0 से 243/650 किमी. के बीच एकल लेन को दो लेन का बनाना	4.83	15.10.2006	31.03.2007	प्रगति पर है
8.	8ए विस्तार	100/0 किमी. में रूकमावती पुल के लिए डायवर्जन का निर्माण	0.48	16.3.2006	30.09.2006	प्रगति पर है
9.	8ए विस्तार	61/0 से 61/6 कि.मी. में सुरई नदी पर विद्यमान सेतुक के स्थान पर 5 बड़े पुलों का निर्माण	5.68	17.05.2006	16.11.2007	प्रगति पर है
10.	8ए विस्तार	128, 131, 134, 141 और 156 कि.मी. में विद्यमान सेतुक के स्थान पर 5 बड़े पुलों का निर्माण	3.27	अभी सौंप जाना है		
11.	8ए विस्तार	38/0 से 55/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	2.13	अभी सौंपा जाना है		
12.	8ए विस्तार	63/600, 63/700, 71/800, 85/300ए 86/050 और 88/800 कि.मी. में विद्यमान सेतुक के स्थान पर 7 छोटे पुलों का निर्माण	4.10	अभी सौंपा जाना है		
13.	8ए विस्तार	125/680, 126/350, 127/120, 128/350, 129/750, 130/090 और 133/580 कि.मी. में स्लैब पुलियाओं का पुनर्निर्माण	0.98	अभी सौंपा जाना है		

1	2	3	4	5	6	7
		और 113/225 से 136/850 कि.मी. में विद्यमान 14 पाइप पुलियाओं को चौड़ा करना				
14.	8ई विस्तार	343/2 किमी. में एक छोटे पुल, एक स्लैब पुलिया आदि का पुनर्निर्माण	2.76	अभी सौंपा जाना है		
15.	8सी	सरखेज-गांधीनगर खंड में चार जंक्शनों पर यातायात संकेतों की व्यवस्था करना	0.56	16.3.2006	30.9.2006	प्रगति पर है
16.	15	82/0 से 100/0 किमी. में आवधिक नवीकरण	2.97	21.11.2005	30.11.2006	प्रगति पर है
17.	59	16/0 से 17/0, 19/0 से 20/0, 21/0 से 28/0 और 31/0 से 36/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	3.37	23.3.2006	30.9.2006	प्रगति पर है
18.	59	147/0 से 161/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	3.60	अभी सौंपा जाना है		
ख. पूर्व-पश्चिम महामार्ग (एन एच ए आई के पास) : निम्नलिखित को चार लेन का बनाना						
19.	14	372/600 से 458/0 किमी. तक दीसा से राधनपुर (पैकेज-6)	399.89	फरवरी, 2005	नवंबर, 2007	ए डी बी
20.	15	138/100 से 245/0 किमी. तक राधनपुर से गांगोधरा (पैकेज-5)	429.40	फरवरी, 2005	नवंबर, 2007	ए डी बी
21.	15, 8ए	राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के 245/0 से 281/300 कि.मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए के 308/0 किमी. तक गांगोधरा से गारामोर (पैकेज-4)	412.78	फरवरी, 2005	नवंबर, 2007	ए डी बी
22.	8ए	254/0 से 182/600 किमी. तक गारामोर से वामनबोर (पैकेज-3)	360.70	फरवरी, 2005	नवंबर, 2007	ए डी बी

1	2	3	4	5	6	7
23.	8बी	185/0 से 175/0 किमी. तक राजकोट बाइपास और गोंडल जैतपुर (पैकेज-7)	265.00	सितम्बर, 2005	मार्च, 2008	बी ओ टी आधार पर
24.	8बी	117/0 से 52/500 जैतपुर से भिलाडी (पैकेज-2)	399.89	फरवरी, 2005	नवंबर, 2007	ए डी बी
25.	8बी	52/500 से 2/0 किमी. तक भिलाडी से पोरबंदर (पैकेज-1)	255.96	फरवरी, 2005	नवंबर, 2007	ए डी बी
26.	14	पालनपुर से स्वरूपगंज	498.00	सितम्बर, 2006	फरवरी, 2009	वार्षिकी आधारित
ग. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क						
27.	6	सूरत-हल्दिया पत्तन	बी ओ टी आधार पर चार लेन बनाने के लिए परामर्शी कार्य सौंपा गया है और इसे दिसंबर, 2009 तक पूरा किया जाना है			
28.	8ए विस्तार	कांडला-मुंद्रा पत्तन	दिसंबर, 2009 तक पूरा किया जाना है			
घ. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V : 6 लेन बनाना						
29.	8	बड़ोदरा-भरूच (पैकेज बी ओ टी-1)	660.00	दिसंबर, 2006	जून, 2009	बी ओ टी आधार पर
30.	8	भरूच-सूरत (पैकेज बी ओ टी-2)	492.00	दिसंबर, 2006	जून, 2009	बी ओ टी आधार पर

पूर्वाह्न 11.26 बजे

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा की कार्यवाही मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[अनुवाद]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, संसद का सत्र चल रहा है तथा एक कैबिनेट मंत्री ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। अब, पत्रों को सभा पटल पर रखा जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, सभा को पता होना चाहिए कि उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया ...*(व्यवधान)*। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आप भली-भांति जानते हैं कि एक माननीय मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है तथा उन्हें बोलने का अधिकार है, परन्तु मुझे इसके लिए एक नोटिस प्राप्त होना चाहिए था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, पत्रों को सभा पटल पर रखा जाएगा। मद संख्या 2, श्री टी.आर. बालू।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, सभा को इस बारे में जानने का अधिकार है...*(व्यवधान)*। उन्होंने सभा को इस बारे में सूचित नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। आप इस सदन के इतने आदरणीय तथा महत्वपूर्ण सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, इस सभा का सत्र चल रहा है। सभा को इसे बारे में जानने का अधिकार है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही अनुरोध किया है तथा यह कहा है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध किया जब वे मुझसे मिले–और यहां भी मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं, जो अभी अनशन पर है, कि कृपया वे ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि वे कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यहां आने का पूरा अवसर दूंगा। मैं उनसे अपना अनशन समाप्त करने तथा यहां आने का अनुरोध करता हूं, तथा यह कहना चाहता हूं कि वे जो भी कहना चाहते है, मैं उनकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली): महोदय, प्रधानमंत्री को अथवा सरकार में से किसी व्यक्ति को इस बारे में सदन को सूचित करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरा विश्वास है कि संपूर्ण सभा इस प्रकार के अनुरोध मैं मेरे साथ है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और तैनाती) संशोधन नियम, 2006 जो 1 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4830/06]

(2) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 457(अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि पत्तनों में जलयान की प्रविष्टि नियम, 2005 को केन्द्र सरकार के अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से आस्थगित रखा जाए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4831/06]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायतें) विनियम, 1994 की धारा 204 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) अंडमान और निकोबार ग्राम पंचायतें (करों और फीस का उद्ग्रहण) नियम, 2002 जो 24 अप्रैल, 2002 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 3-27/97-पीआर में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पंचायत समितियां (करों, शुल्कों, पथकर, उपकर और फीस का उद्ग्रहण, मूल्यांकन, संग्रहण और विनियोजन) नियम, 2002 जो 24 अप्रैल, 2002 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 93/2002/एफ.सं. 3-27/97-पीआर में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान) (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 21 अगस्त, 2003 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 153(क)/2003/एफ. सं. 6-6(1)/2003-पीआर(1) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत प्रशासन) (संशोधन) नियम, 2003 जो 21 अगस्त, 2003 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 154(क)/2003/एफ.सं. 6-6(1)/2003-पीआर(2) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी—4832/06]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) संशोधन नियम, 2006 जो 18 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 294(अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4833/06]

(2) केन्द्रीय अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण (उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया) नियम, 2006 जो 6 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 144(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 26 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4834/06]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2005, जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 617(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2005 जो 30 सितम्बर, 2005 की भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 2005 जो 20 दिसम्बर, 2005 की भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2006, जो 12 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 360(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल टी—4835/06]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं–

(1) (एक) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट, वॉलन्टरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट, वॉलन्टरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट, वॉलन्टरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी—4836/06]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी—4837/06]

(5) (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी—4838/06]

(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2006, जो 5 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 400(अ) में प्रकाशित हुए थे–

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2006, जो 4 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा संशोधन) नियम, 2006, जो 20 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 435(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी—4839/06]

(8) (एक) आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार और अनुसंधान संस्थान, बीकानेर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार और अनुसंधान संस्थान, बीकानेर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी—4840/06]

(10) (क) (एक) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी—4841/06]

(दो) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी—4842/06]

(तीन) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4843/06]

(चार) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4844/06]

(पांच) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4845/06]

(छह) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4846/06]

(ख) (एक) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के 1.1.1989 से 31.12.1992 की अवधि के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4847/06]

(दो) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के 1.1.1993 से 31.3.1996 की अवधि के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4848/06]

(तीन) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के 1.4.1996 से 31.3.1999 की अवधि के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय. में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4849/06]

(चार) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के 1.4.1999 से 31.3.2000 की अवधि के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4850/06]

(पांच) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4851/06]

(छह) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4852/06]

(सात) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4853/06]

(आठ) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल टी—4854/06]

(ग) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) मैं उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल टी—4855/06]

(12) (एक) कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पीटल, इलाहाबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी—4856/06]

(14) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी—4857/06]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत कार्य के संव्यवहार के लिए टीआरएआई बैठकें (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, (2006 का 7) जो 10 जुलाई, 2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 14-12/2006-एफए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी—4858/06]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 1017 (अ) जो 7 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 737 (अ) जो 19 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबाड़ी-बिजली खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1123 (अ) जो 18 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1124 (अ) जो 18 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) पर धौलपुर बाईपास के निर्माण (बनाना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 691 (अ) जो 12 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 875 (अ) और का.आ. 876 (अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 913 (अ) जो 15 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1032 (अ) जो 10 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

केरल राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु/केरल सीमा से त्रिशूर खंड तक) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 859 (अ) जो 7 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1752 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ. 956 (अ) जो 28 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1047 (अ) जो 11 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1092 (अ) जो 14 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1096 (अ) जो 14 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क (पलायमकोट्टई-थुथुकुडी खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1122 (अ) जो 18 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जून, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 925(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पन्द्रह) का.आ. 1030 (अ) जो 10 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (अम्बाला-जिरकपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 840 (अ) जो 1 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 887 (अ) जो 13 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 623 (अ) जो 28 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 हैदराबाद-बंगलौर खंड के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 643 (अ) जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 706 (अ) और का.आ. 708 (अ) जो 13 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना), के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 654 (अ) जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पुर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 951 (अ) जो 27 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1018 (अ) जो 7 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 809 (अ) जो 26 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना) अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 890 (अ) जो 13 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1037 (अ) जो 10 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रॉची-जमशेदपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेना वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 580 (अ) जो 21 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1687 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का.आ. 935 (अ) जो 23 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1687 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ. 1031 (अ) जो 10 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के तमिलनाडु/केरल सीमा (वालयार) के निर्माण, चौड़ा करना, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1097 (अ) जो 14 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क (पलायमकोट्टई-थुथुकुडी खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ 1101 (अ) जो 17 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1157 (अ) जो 21 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसुर-कृष्णागिरि खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तैतीस) का.आ. 1179 (अ) जो 26 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के निर्माण, चौड़ा करना (चार लेन वाला बनाना तथा जंक्शन सुधार/निर्बाध सुविधाओं का निर्माण), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1208 (अ) जो 27 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, (चेन्नई-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के लिए भूमि का का अर्जन करने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 1033 (अ) से का.आ. 1036 जो 10 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, (भरतपुर-महुआ खंड) के विभिन्न भागों

के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छत्तीस) क.अ. 1090 (अ) जो 13 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, (आगरा-बीकानेर खंड) पर रींगस बाईपास के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 1091 (अ) जो 14 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 76 पर विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1084 (अ) जो 12 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, 8 (वड़ोदरा-सूरत खंड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है

(उनतालीस) का.आ. 1095 (अ) जो 14 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14, (दीसा-राधनपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 1073 (अ) जो 25 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 पर संगमनेर कस्बे के बाहर बाईपास सड़क के निर्माण के लिए भमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 1261 (अ) जो 7 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 और 17 पर विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1237 (अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52ख के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेना वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 1239(अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (लुमडिंग से मैबोंग खंड तक) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (अट्ठारह, उन्नीस और सताईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 4859/06]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि तथा यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनएच-11014/2/2004/पीएण्डएम (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 6 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, चंडीगढ़ के अतिरिक्त प्रभार को, पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, चंडीगढ़ को नियुक्त किए जाने तक पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, लखनऊ को सौंपा गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी 4860/06]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं–

(एक) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी 4861/06]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित तीन संदेशों की सूचना देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 की प्रति संलग्न करने का विदेश हुआ है, जिसे राज्य सभा ने 21 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया है।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम 6 के अधीन के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्याक 4 विधेयक, 2006 जिसे लोक सभा द्वारा 11 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम 6 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2006 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 अगस्त, 2006 को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

2. महोदय, मैं 21 अगस्त, 2006 को राज्य सभा द्वारा यथापारित पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

लोक लेखा समिति
इकत्तीसवां और बत्तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों (2004-2005) से अधिक व्यय" के बारे में इकतीसवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(2) "स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों (2002-2003) से अधिक व्यय" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.03½ बजे

याचिका समिति
सोलहवां से उन्नीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मामलों पर सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) नागरिक विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से संबंधित मामलों पर सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मामलों पर अट्ठारहवां प्रतिवेदन।

(4) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मामलों पर उन्नीसवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाये रखें। सभा के प्रति सम्मान दिखाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में क्रमश: डाक, विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और दूरसंचार विभाग से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 20वें, 22वें और 28वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

***संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):** महोदय, मैं लोक सभा समाचार भाग-दो दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73 क के अनुसरण में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत क्रमश: डाक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं दूरसंचार विभाग के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 20वें, 22वे और 28वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति संबंधी यह विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

डाक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और दूरसंचार विभाग संबंधी प्रतिवेदन सं. 20, 22 एवं 28 में क्रमश: 20, 61 और 18 सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं। मैं अब सदन का बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सभा पटल पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहूंगा।

अपराह्न 12.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

[अनुवाद]

विभिन्न श्रम कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

...(व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार (बरेली): श्रम मंत्री कहां हैं?

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री दूसरी सभा में पटल पर पत्र रख रहे हैं। वे यहां हैं। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जो माननीय प्रधान मंत्री के विचाराधीन है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मसले को पहले ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इस मसले पर बोलने के लिए समय अवश्य दूंगा, लेकिन अभी नहीं बाद में।

[अनुवाद]

हालांकि आपको बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिये, पर मैं आपको दूंगा। आपने कभी भी समय पर नोटिस नहीं दिया। तब भी मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदव, मैंने भी लिखकर दिया है। मुझे भी बोलने के लिए समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। अब थोड़ा काम करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये सब महत्वपूर्ण मामले हैं। मैं आपको इसे उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंशकुरा): महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न मामले की और माननीय श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षिक करता हूं और उनसे इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं–

"विभिन्न श्रम कानूनों, विशेषकर औद्योगिक विवाद अधि नियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, व्यवसाय संघ अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम"

---

*ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी—4862/2006

अध्यक्ष महोदय: वक्तव्य पूरे भरे हुए टाइप किए हुए 10 पृष्ठों का है। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): महोदय, मैं सभापटल पर विस्तृत वक्तव्य रखने की अनुमति चाहता हूं लेकिन अभी मैं इसका सार, प्रस्तुत करूंगा।

महोदय, श्रम और रोजगार मंत्रालय को कामगार वर्ग विधेयक समाज के कमजोर तबकों के हितों की सुरक्षा को समुचित महत्व देते हुये उच्च आर्थिक विकास हासिल करने में समर्थ कार्य परिवेश के सृजन का कार्य सौंपा गया है। मंत्रालय, राज्य सरकारों की सहायता और सहयोग से अपने कर्त्तव्यों को पूरा करता रहा है।

यूपीए सरकार द्वारा देश में श्रमिक के कल्याण हेतु निम्न महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की गई है–

(1) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

(2) ईपीएफ इंडिया का नवीकरण

(3) 500 मौजूदा आई टी आई केन्द्रों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन,

(4) सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वारा कौशल विकास संबंधी पहल

(5) बीड़ी श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजना

(6) बच्चों को घरेलू परिवार के रूप में नियुक्त करने पर प्रतिबंध

(7) श्रमिक शिक्षा।

श्रम नियमों के उल्लंघन और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में, मुख्य श्रम संगठन (केन्द्रीय) के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (केन्द्रीय) को विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षक को घोषित किया जाता है, जो श्रम कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थापनाओं का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षणों के दौरान सामने आए उल्लंघनों/ अनियमितताओं के संबंध में नियोक्ताओं के विरूद्ध उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष और न्यायालयों में मुकदमें चलाए जाते हैं और न्यायालयों में दावों के मामले दर्ज किए जाते हैं। राज्य सरकारें भी विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत "उपयुक्त सरकार" है। श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में उपयुक्त सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी होती है क्योंकि उन्हें इस प्रकार के उल्लंघनों के मामलों से निपटने के लिए कानूनी रूप से शक्ति प्रदान की जाती है।

विभिन्न अधिनियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, श्रम कानूनों के उपबंधों के उल्लंघन की सूचनाए यहाँ-वहाँ से मिलती रहती है। जब कभी ऐसा उल्लंघन का मामला सामने आता है – चाहे शिकायतों के आधार पर अथवा राज्य क्षेत्र अथवा केन्द्रीय क्षेत्र में उपयुक्त सरकार के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए गए आवधिक निरीक्षण के समय पर संबंधित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संबंधित उपयुक्त सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है। निरीक्षणों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा मेरे विस्तृत विवरण में दिया गया है।

श्रम कानूनों के उल्लंघन को अलग कर के नहीं देखा जाना चाहिए। उन्हें श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए कल्याण संबंधी उपायों के साथ देखा जाना चाहिए। हमें कानून द्वारा निर्धारित मानदण्डों की सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए, क्योकि श्रम एक समवर्ती विषय है। राज्य सरकारें अधिकांश श्रम कानूनों में उपयुक्त सरकारें हैं। अपने अधिकार - क्षेत्र में आने वाले श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए उनके पास पूर्ण शक्तियां हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय एक मिनट रूकिए। माननीय सदस्यों वहां क्या हो रहा है? आप अपनी निजी वार्ता बाहर जाकर कर सकते हैं।

श्री चन्द्रशेखर साहू: मै माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि किसी विशिष्ट श्रम कानूनों के उल्लंघन की सूचना हमें दी जाती है तो हम उस मामले में समुचित कार्रवाई करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से श्रम कानूनों के प्रभावी और सार्थक प्रवर्तन के लिए हमारे प्रयास में हमें सहयोग दें और हमारी सहायता करें।

अभी हाल में माननीय प्रधान मंत्री ने सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ साढ़े तीन घण्टे तक बैठक की। उन्होंने सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के सभी नेताओं के विचार सुने और उन्हें आश्वासन दिया कि वह राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे को उठायेंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे।

विस्तृत विवरण को सभापटल * पर रख दिया गया है। मैंने अब उस विवरण का सार दे दिया है।...*(व्यवधान)*

* सभापटल पर रखा गया और संग्रहालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल टी—4863/2006

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय को सामान्य रूप में श्रमजीवी वर्ग और विशेष रूप में समाज के संवेदनशील वर्गों के हितों की सुरक्षा और संरक्षा को समुचित महत्व देते हुए उच्च अर्थिक विकास दर को प्राप्त करने के लिए अनुकूल कार्य माहौल सृजित करने का अधिदेश प्राप्त है। मंत्रालय सौंपे गए कार्यों को राज्य सरकारों की मदद और सहयोग से निष्पादन करता रहा है।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी)

यू पी ए सरकार ने एक राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) अंगीकार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि यू पी ए सरकार सभी कामगारों, विशेषकर, असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों के कल्याण और खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और यह कि श्रमिक संघों तथा उद्योग के साथ त्रिपक्षीय परामर्शों का सक्रिय रूप से अनुसरण किया जाएगा। यू पी ए सरकार द्वारा देश में श्रमिकों के कल्याण के लिए की गई कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत पहल निम्नानुसार है:

(1) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना:

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दायरे में लिए गए बीमित व्यक्ति और कारखानों अथवा प्रतिष्ठानों के बंद होने, छंटनी, अथवा रोजगार से इतर चोट से हुई स्थाई अशक्तता के कारण 01 अप्रैल, 2005 के पश्चात् रोजगार खो देने वाले लोग इस योजना की परिधि में आते हैं। बीमित कर्मकार जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना में पांच अथवा अधिक वर्षों तक अंशदान करने के पश्चात रोजगार खो देते हैं वे नकद रूप में बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार है जो उनकी मजदूरी के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर अधिकतम छः माह के लिए होगा। इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले बीमित व्यक्ति और उनके परिवार के लोग कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उपलब्ध ता के आधार पर चिकित्सा देखरेख सुविधा पाने के भी पात्र है। इस योजना के शुरू होने के समय से जुलाई, 2006 तक 72. 32 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

(2) री-इन्वेटिंग ई पी एफ इंडिया: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) द्वारा "रि-इन्वेटिंग ई पी एफ इंडिया" नामक एक बड़ी परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना में मौजूदा प्रक्रियाओं के री-इंजीनियरिंग, विद्यमान अनावश्यक चीजों को समाप्त करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने और एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था जिससे किसी दावे के प्राप्त होने और चेक जारी किए जाने के बीच समय घटकर 2-3 दिन रह जाए। इस नई प्रणाली से संगठन पूरे देश में संगठन के किसी कार्यालय में अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। ई पी एफ ओ माह सितम्बर, 2006 में दो प्रायोगिक कार्यालयों में कार्यक्रम शुरू करने के सन्निकट है। इसकी चरणबद्ध रूप में पूरे देश में पुनरावृत्ति की जाएगी। सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा (एस एस एन), विशिष्ट पहचान संख्या आबंटित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रथम चरण के दौरान, 29.73 लाख सामाजिक सुरक्षा संख्या सृजित किए गए हैं और जारी किए गए एस एस एन कार्डों की संख्या 10.03 लाख है। दूसरे चरण के शीघ्र ही शुरू किए जाने की संभावना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को अतिशीघ्र सामाजिक सुरक्षा संख्या आबंटित किए जाने का लक्ष्य है।

(3) 500 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन: केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-05 के अपने बजट अभिभाषण में देश में 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु उपायों की घोषणा की। इसके पश्चात, स्वदेशी संसाधनों से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्व बैंक सहायता के माध्यम से 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करने की कार्रवाई आरंभ की गई है। शुरूआती तौर पर, वर्ष 2005-2006 में स्वदेशी संसाधनों से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नत किए जाने थे।

100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन: योजना काप उद्देश्य विद्यमान 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का "उत्कृष्ट केन्द्रों (सीओई)" के रूप में उन्नयन करना है ताकि विश्व स्तर का बहु-कौशलयुक्त कार्यबल तैयार किया जा सके। योजना की विशेषताओं में, प्रथम वर्ष के दौरान बहु-कौशलीय पाठयक्रमों का आरंभ जिसके उपरांत उद्योग-वार समूह दृष्टिकोण; बहु प्रवेश तथा बहु-निर्गत प्रावधानों तथा प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में उद्योग की आर्थिक एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आई एम सी) के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी अपनाकर उच्च/विशिष्ट माड्यूलर पाठयक्रम अपनाना शामिल है। नई पद्धति के अनुरूप 83 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहले से ही वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान प्रशिक्षण पाठयक्रम आरंभ हो गए हैं तथा शेष 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगस्त, 2006 से आरंभ हो गए हैं जबकि 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं लक्षद्वीप प्रत्येक में एक स्थित) में प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित प्रमुख सविधाओं के सृजन के पश्चात् प्रशिक्षण पाठयक्रम आरंभ किए जाने की संभावना है।

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

विश्व बैंक की सहायता से 400 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन: विश्व बैंक सहायता से उन्नयन किए जाने वाले शेष 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए श्रम मंत्रालय इस समय विश्व बैंक प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा है। वे परियोजना करार पर हस्ताक्षर करने से पहले ही चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पूर्वप्रभावी रूप से वित्तपोषित करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गए हैं, ताकि इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगस्त, 2006 से प्रशिक्षण आरंभ किया जा सके। शेष 300 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आने वाले वर्षों में उन्नयन किया जाएगा।

(4) सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल विकास पहल: माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2005-06 में उल्लेख किया कि, "उच्च स्तर के विशिष्ट कौशल की मांग को पूरा करने के लिए, "कौशल विकास पहल-------" नाम से कौशल विकास कार्यक्रम को संवर्धित करने के लिए सरकार तथा उद्योग के मध्य सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रस्तावित है।" घोषणा के कार्यान्वयन के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महनिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय करने के लिए एक योजना आरंभ कर रहा है। देश में उपलब्ध मूलभूत अवसंरचना का उपयोग कर एक मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु पाँच वर्ष की अवधि के लिए 555 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक पायलेट परियोजना तैयार की जा रही है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय योजना को कार्यान्वित करने वाला एक शीर्षस्थ सरकारी निकाय होगा जो पुरस्कार प्रदान करने वाले निकायों को प्रमाणित तो करेगा परंतु प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं करेगा।

(5) बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजना: पिछले पांच वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजना पर व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह 53 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 136 करोड़ रुपये हो गया है। बीड़ी पर कल्याण उपकर को 1 अप्रैल, 2006 से 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रूपये प्रति हजार बीड़ी कर दिया गया है, जिससे इस वर्ष कल्याण उपकर का स्तर 70 करोड़ रुपये से बढ़कर 160 करोड़ रूपये (अनुमानित) हो गया है जिसका बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। बीड़ियों पर कल्याण उपकर से वित्त घोषित बीड़ी कामगार आवास योजना को अत्यधिक उदार बनाया गया है तथा बजट में कई गुना वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रथम बार, योजना आयोग ने एक बीड़ी आवास योजना अनुमोदित की है जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का एक टोकन आबंटन (2006-07) किया गया है।

(6) घरेलू नौकरों के रूप में बच्चों के नियोजन को निषिद्ध किया जाना: सरकार ने घरेलू नौकरों तथा चाय की दुकानों और ढाबों आदि में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने का निर्णय लिया है। हाल ही में इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है जो 10 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी होगी। वर्तमान में जोखिमकारी 13 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, प्रवर्तन तंत्र ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 954238 निरीक्षण किए और 17428 मामलों में अभियोजन चलाए जिसके परिणाम स्वरूप 7081 मामले सिद्धि दोष पाए गए ।

(7) श्रमिक शिक्षा: श्रम और रोजगार मंत्रालय का केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रम कानून उपबंधों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में जागरूकता का सृजन करता है तथा शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2005-06 के दौरान इस बोर्ड ने 328560 कामगारों को प्रशिक्षित किया जिनमें से 70 प्रतिशत कामगार असंगठित/ग्रामीण क्षेत्र के थे। बोर्ड द्वारा बी एस एफ कार्मिकों, सेक्स वर्कर्स, केन्द्रीय कारागार, सिनेमा कामगारों, रिक्शा चालकों, नेवी डॉकयार्ड और लक्षद्वीप समूह के लिए विशेष संगोष्ठियां आयोजित की गयीं।

3. श्रम कानूनों का उल्लंघन

3.1 मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के संगठन के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (के.) को विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षकों के रूप में घोषित किया गया है, जो श्रम कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं। निरीक्षणों के दौरान पता चले उल्लंघनों/अनियमितताओं के संबंध में नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन चलाए जाते हैं और न्यायालयों तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा मामले दायर किए जाते हैं। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत राज्य सरकारें भी "समुचित सरकार" है। श्रम कानूनों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले में, आवश्यक कार्रवाई करने का उत्तरदायी समुचित सरकार पर है क्योंकि उसे ऐसे उल्लंघनों के संबंध में कार्रवाई करने की कानूनी शक्तियां प्राप्त है।

3.2 विभिन्न अधिनियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए हरसंभव प्रयास के बावजूद, कहीं न कहीं से श्रम कानूनों के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना मिलती रहती है। जब कभी शिकायतों के आधार पर अथवा राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र समुचित सरकार के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए गए

आवधिक निरीक्षणों के समय ये उल्लंघन ध्यान में आते हैं तब संबंधित समुचित सरकार द्वारा संबंधित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। श्रम कानूनों के प्रवर्तन, कार्रवाई की गई हड़तालों, पंचाटों के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी आई आर एम) के निष्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रम कानूनों का प्रवर्तन	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06
किए गए निरीक्षणों की संख्या	41450	40306	39681
चलाए गए अभियोजनों की संख्या	12750	13457	11661
पता चले सिद्धिदोषों की संख्या	7932	8105	10701
के. औ. सं. तंत्र द्वारा कार्रवाई की गई संभावित हड़तालें			
प्राप्त संभावित हड़तालों के मामले	522	380	493
हस्तक्षेप किए गए मामलों की संख्या	522	380	493
टाली गयी हड़तालों की संख्या	499	376	486
पंचाटों का कार्यान्वयन (अ.)			
कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध पंचाटों की संख्या	2151	2316	2408
कार्यान्वित किए गए पंचाटों की संख्या	381	540	530
उन पंचाटों की संख्या जिनका कार्यान्वयन प्रगति पर है	789	636	676
उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश के कारण कार्यान्वित न किए गए पंचाटों की संख्या	836	891	921
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत संस्वीकृतियां प्राप्त न होने जैसे अन्य कारणों से कार्यान्वित न किए गए पंचाटों की संख्या	145	249	281
कार्यान्वित किए गए अथवा कार्यान्वयन की प्रक्रियाधीन पंचाटों का प्रतिशत	54.4%	50.8%	50.1%

3.3 विभिन्न श्रम कानूनों का अधिनियम-वार उल्लंघन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत है:

4. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

4.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में औद्योगिक विवादों की जांच पड़ताल और उन्हें निपटाने के लिए एक ढांचे का प्रावधान है। इस अधिनियम का उद्देश्य गैर-कानूनी हड़तालों और तालाबंदियों को विनियमित करना भी है तथा इसमें कामबंदी, छंटनी तथा प्रतिष्ठानों की बंदी के मामले में कामगारों के लिए संरक्षण का प्रावधान है।

4.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा कार्रवाई किए गए औद्योगिक विवाद निम्नवत है:-

	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06
कार्रवाई किए गए औद्योगिक विवादों की संख्या	9826	9538	8377
किए गए निपटानों की संख्या	1428	1566	1037
मध्यस्थता द्वारा निपटाए गए विवादों की संख्या	2105	2017	1749
प्रस्तुत संराधन विफलता रिपोर्टों की संख्या	4276	2743	2206

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

5.1 न्यनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंध के अंतर्गत समुचित सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित और उनका प्रवर्तन करती है। केन्द्रीय क्षेत्र में 46 अनुसूचित नियोजन है जबकि राज्य क्षेत्र में ऐसे नियोजनों की संख्या 1522 है। इस अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में अधिनियम का क्रियान्वयन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जबकि राज्य क्षेत्र में प्रवर्तन का दायित्व संबंधित राज्य प्रवर्तन तंत्र का है। इन दोनों तंत्रों के अधिकारी अधिनियम के सांविधिक उपबंधों के अधीन निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। वे नियमित निरीक्षण करते हैं तथा नियोक्ताओं को मामले के अनुरूप क्षतिपूर्ति सहित या बगैर क्षतिपूर्ति के न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने या मजदूरी का कम भुगतान होने पर उसकी भरपाई करने की सलाह देते हैं। इसका अनुपालन न होने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ विधिक और दांडिक कार्रवाई की जाती है।

5.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में किये गये निरीक्षणों, चलाये गये अभियोजन, सिद्धदोष और दायर किये गये दावों की संख्या दर्शाने वाला विवरण निम्नवत् है:

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	फाइल किए गए दावों की संख्या
2003-04	18380	5541	3520
2004-05	16965	6188	3163
2005-06	12392	4620	2208

5.3 राज्य सरकारों से अनुसूचित नियोजनों में 1 फरवरी, 2004 से न्यूनतम मजदूरी कम से कम, संशोधन राष्ट्रीय फ्लोर स्तर न्यूनतम मजदूरी 66/- रु. प्रतिदिन के बराबर निर्धारित और संशोधित करने के लिए नियमित रूप से कहा जाता है।

6. कारखाना अधिनियम, 1948

6.1 कारखाना अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन जो कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित एक व्यापक विधान है, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के अधीन कारखाना निरीक्षणालय द्वारा किया जाता है। कारखाना अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों और उनके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बनाये गये नियमों के प्रवर्तन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अंतर्गत नियुक्त किये गये कारखाना निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं।

कारखानों से संबंधित सूचना एक नजर में

क्र.सं.	मद	2003	2004	2005
1.	पंजीकृत कारखानों की संख्या (अनुमानित)	2,62,455	2,78,826	लागू नहीं
2.	चल रहे कारखानों की संख्या (अनुमानित)	2,15,328	2,37,039	लागू नहीं
3.	रोजगार (अनुमानित)	89,63,251	1,06,22,944	लागू नहीं
4.	घातक और गैर-घातक चोटों की संख्या (अनंतिम)	59120 (984)	52338 (1058)	49289 (1140)
5.	प्रति कारखाना चोटों का औसत	0.27	0.24	-
6.	प्रति 1000 व्यक्ति चोटों का औसत	6.60	5.40	-

*कोष्ठक में दिये गये आंकड़े घातक चोटों की संख्या दर्शाते हैं।

6.2 निरीक्षण के दौरान कारखाना अधिनियम के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों का अनुपालन न होने का पता चलने पर, निरीक्षक समुचित कार्रवाई आरंभ करते हैं जिसमें अभियोजन शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कारखाना अधिनियम की धारा 92 और धारा 96 क के अंतर्गत अभियोजनों और सिद्धदोषों से संबंधित सूचना निम्नवत् है:

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरंभ किये गये अभियोजनों की संख्या

वर्ष	राज्यों की संख्या जिन्होंने सूचना दी है	मामलों की संख्या
2003	24	8946
2004	20	7141
2005	9	818

7. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

7.1 व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में नियोक्ताओं और कामगारों की ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण का प्रावधान है और कतिपय मामलों में यह पंजीकृत ट्रेड यूनियनों से संबंधित कानून को परिभाषित करता है।

7.2 ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण समुचित राज्य सरकार के, जहां ट्रेड यूनियन का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, ट्रेड यूनियनों के पंजीयक द्वारा किया जाता है। ट्रेड यूनियन के पंजीयक अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित सत्यापन करने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हैं।

7.3 व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001 संसद द्वारा पारित किया जा चुका है और माननीय राष्ट्रपतिजी ने 3 सितम्बर, 2001 को अपनी सहमति दे दी है। व्यवसाय संघ (संशोधन) अधिनियम, 2001 दिनांक 9.1.2002 से प्रभावी हो चुका है। इस संशोधन का मुख्य जोर ट्रेड यूनियनों की अत्यधिक संख्या में कमी करने, ट्रेड यूनियनों का व्यवस्थित विकास और आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने पर है।

8. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

8.1 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में सभी पात्र सदस्यों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को पात्रता प्राप्त प्रतिष्ठानों पर लागू करने के लिए निम्नलिखित तंत्र है:

* प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक/सर्वेक्षण
* प्रतिष्ठान द्वारा देय बकायों के आकलन और वसूली हेतु प्रावधान

8.2 इस अधिनियम के उपबंधों का मुख्यत: दो प्रकार से उल्लंघन होता है:

(1) उन प्रतिष्ठानों द्वारा जिन्होंने स्वयं को अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं करवाया है जबकि वे अधिनियम लागू किये जाने की शर्तें पूरी करते हैं। इन मामलों में सभी कर्मचारी को अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि और संबद्ध लाभों से वंचित रखा जाता है।

(2) प्रतिष्ठानों द्वारा, जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत हैं किंतु वे स्वयं द्वारा कार्य पर रखे गए कर्मचारियों से कमतर संख्या की रिपोर्ट देते हैं जिसके फलस्वरूप वे अपने कर्मचारियों के एक हिस्से को अधिनियम के तहत कानूनी लाभों से वंचित करते हैं।

8.3 प्रथम प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अंगीकृत व्यवस्थाएं निम्नवत् हैं:

सर्वेक्षण

वर्ष 2000 से पूर्व, निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते थे जिन्हें एक क्षेत्र दिया जाता था और वे अपने क्षेत्रों में आने वाले प्रत्येक पात्र प्रतिष्ठान को कवर करने के लिए उत्तरदायी होते थे। क्षेत्र आधारित निरीक्षण से, ई पी एफ ओ सूचना चालित निरीक्षण व्यवस्था की ओर बढ़ा ताकि स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिले। किंतु, वर्तमान व्यवस्थान्तर्गत ऐसे सर्वेक्षण और निरीक्षण या तो सूचना आधारित हैं या सीमित समयावधि के दौरान विशेष कवरेज अभियान के रूप में हैं।

8.4 द्वितीय प्रकार के उल्लंघन पर दो प्रकारों से रोक लगाई जाती है

* किसी प्रतिष्ठान द्वारा ऐसे उल्लंघन की शिकायत या किसी अन्य विश्वस्त सूचना पर आधारित प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण
* कम्प्यूटरीकृत अनुपालन जांच प्रणाली जिसके तहत प्रतिष्ठान में नियोजितों की संख्या और भविष्य निधि जमा संबंधी आंकड़ों पर प्रतिमाह नजर रखी जाती है। कोई भी असाधारण कमी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस भेजा जाता है और उससे इसका कारण पूछा जाता है।

8.5 अधिनियम के उपबंध का किसी प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन साबित हो जाने पर वंचित कर्मचारियों के मामले में प्राप्यों का आकलन किया जाता है जिसके बाद आकलित प्राप्यों की वसूली हेतु कार्रवाई की जाती है।

8.6 इसके अलावा, पिछले कुछ समय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने प्रवर्तन तंत्र की प्रभाविकता का आकलन करता रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अनुपालन 2001 कार्यक्रम शुरू किया जिसके द्वारा उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की बदली आर्थिक नीति के मद्देनजर प्रवर्तन तंत्र की कतिपय प्रशासनिक री-टूलिंग की गई। इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था और जिसमें नियोक्ता स्वैच्छिक अनुपालन की रिपोर्ट कर सके। तथापि, उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

पश्चात् यह पाया गया कि अनुपालन 2001 कार्यक्रम के तहत सभी उपाय संगठन के लिए लाभप्रद नहीं रहे। विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा ई पी एफ अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन (सदस्यता अपवंचन) के मामले में श्रम व रोजगार संबंधी स्थायी समिति ने भी इ पी एफ ओ पर प्रतिकूल टिप्पणी की। अत:, यह निर्णय लिया गया कि एक कार्य किया जाए जिसके तहत ई पी एफ ओ के सभी क्षेत्रीय उप-क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के कम से कम 1% का निरीक्षण किया जाए। फरवरी और मार्च, 2006 के दौरान देश भर में निरीक्षण किए गए जिनसे खुलासा हुआ कि सदस्यों का पंजीकरण न करने के मामले हैं। प्रतिष्ठान की वास्तविक अंशदाता संख्या और रिपोर्ट में दी गई संख्या भी कहीं-कहीं बेमेल थी। तदनुसार, परिस्थिति को सुधारने के लिए नई नीतिगत पहल प्रारंभ की जानी है।

8.7 निम्नलिखित उपायों पर भी विचार किया जा रहा है

(1) बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर)

बी पी आर परियोजना प्रायोगिक केन्द्रों में शीघ्र ही शुरू की जाएगी और बाद में इसे ई पी एफ ओ के सभी कार्यालयों में लागू किया जाएगा। बी पी आर की परिकल्पना के अनुसार–

* प्रतिष्ठान के सभी अनुपालन कार्यकलाप एकीकृत और वितरित डाटा नेटवर्क पर ऑन-लाइन उपलब्ध होंगे।

* दावा प्राप्ति और चेक जारी करने के बीच की अवधि को घटाकर 2-3 दिन करना।

(2) सामाजिक सुरक्षा संख्या

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का उल्लंघन खासकर प्रवासी श्रमिकों के मामले में बहुत ज्यादा है, जैसे-निर्माण क्षेत्र में। इस प्रकार के उल्लंघन को न होने देने के लिए ई पी एफ ओ ने एक कार्यक्रम के तहत, देश के सभी ई पी एफ सदस्यों को विशिष्ट, स्थायी पहचान संख्या जिसे सामाजिक सुरक्षा संख्या कहा जाता है, देना शुरू किया है। श्रमिक की इस पहचान से नियोजन, स्थान आदि में परिवर्तन के बावजूद उसकी सदस्यता तथा परिणामी पी.एफ. लाभों का जारी रहना सुनिश्चित होगा।

8.8 आई.पी.सी. की धारा 14 के तहत दायर अभियोजन मामलों और धारा 406/409 के तहत दायर शिकायतों की संख्या, अचल एवं चल सम्पत्तियों की जब्ती, बैंक खातों की जब्ती तथा चूककर्ताओं की गिरफ्तारियों संबंधी सूचना निम्नवत् है–

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

क्र.सं.	कृत कार्रवाई	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1.	धारा 14 के तहत दायर अभियोजन	952	6,361	7690
2.	आई. पी. सी. की धारा 406/409 के तहत दायर शिकायतें	792	684	554
3.	जब्त अचल संपत्तियों की संख्या	377	469	351
4.	जब्त चल संपत्तियों की संख्या	624	297	373
5.	जब्त बैंक खातों की संख्या	19,278	17,459	14527
6.	चूककर्ताओं की गिरफ्तारियों की संख्या	121	101	131

9. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

9.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एक सामाजिक सुरक्षा विधान है जो कि कामगारों को बीमारी, प्रसूति, अपंगता और रोजगार जन्य चोट के कारण मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं में चिकित्सा देखभाल तथा नकद हितलाभ प्रदान करता है। 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम 3.30 करोड़ हित लाभार्थियों सहित 2.81 लाख नियोजकों और 84.98 लाख बीमाकृत व्यक्तियों को कवर करता है। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत 144 च कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और 1427 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल प्रदान करवाई जाती है। वर्ष 2005-2006 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

* 1.4.2005 से चिकित्सा व्यय की अधिकतम सीमा को प्रति बीमाकृत व्यक्ति के परिवार की इकाई को प्रति वर्ष 750 रुपये से बढ़ाकर प्रति बीमाकृत व्यक्ति के परिवार की इकाई को प्रतिवर्ष 900 रुपये कर दिया गया है।

* कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कवरेज के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को 7500 रुपये

प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाना विचाराधीन है। दिनांक 20.7.2006 की अधिसूचना द्वारा सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित किए गए हैं

* निगम ने हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली और कोलकाता में चार जोनल सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

* निगम द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में स्कीम के कार्यान्वयन पर होने वाले पूर्ण खर्च का वहन किए जाने की अवधि को 3 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है।

* कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम को शैक्षिक/निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए विस्तारित किया गया है। शैक्षिक संस्थाओं के 34,443 कर्मचारी कवर किए गए हैं।

9.2 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई–

(क) निरीक्षण

पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या के आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं–

वर्ष	किए गए निरीक्षण
2003-04	42,967
2004-05	37,074
2005-06	36,205

(ख) अभियोजन

चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का भुगतान न करने, विवरिणयां प्रस्तुत न करने और दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए धारा 85, 85-क और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन कार्रवाईयां आरंभ की गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए आरंभ किए गए अभियोजन मामलों की स्थिति निम्नानुसार है–

वर्ष	धारा 85 एवं 85 क		भारतीय दंड संहिता की धारा 604/409	
	दाखिल किए गए मामलों की संख्या	निर्णीत/निपटाए गए मामलों की संख्या	दाखिल किए गए मामलों की संख्या	निर्णीत/निपटाए गए मामलों की संख्या
2003-04	2731	1353	136	252*
2004-05	2942	1453	39	30
2005-06	2547	1714	25	50*

*पुराने मामलों सहित

(ग) सर्वेक्षण

कवर न की इकाईयों की कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गहन सर्वेक्षण भी किए गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वेक्षणों की वर्ष-वार स्थिति निम्नानुसार है:–

वर्ष	किए गए सर्वेक्षणों की संख्या
2003-04	20,295
2004-05	25,735
2005-06	27,709

(घ) विशेष अभियान

कवर करने योग्य कारखानों/प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगार जिन्हें कवर नहीं किया गया है, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित विशेष अभियान भी चलाए गए। पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाए गए विशेष अभियान की स्थिति निम्नानुसार है–

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	कवर की गई इकाईयों की संख्या	कवर किए गए कामगारों की संख्या
2003-04	687	18986
2004-05	2547	47953
2005-06	–	56091*

(*) गैर-सूचित कामगारों की पहचान के लिए

(ङ) हर्जानें की उगाही

निर्धारित समय-सीमा में अंशदान का भुगतान न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध हर्जानों का उदग्रहण भी किया गया।

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

पिछले तीन वर्षों के दौरान उगाहे गए हर्जानों की स्थिति निम्नानुसार है–

वर्ष	हर्जानों की उगाही	वसूल किए गए हर्जाने
2003-04	14.02	5.63
2004-05	17.71	5.75
2005-06	21.89	7.78

10. सारांश में, श्रम कानूनों के उल्लंघन को एकाकी रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इन्हें श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के नेट को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी उपायों के साथ देखा जाना चाहिए। श्रम एक समवर्ती विषय होने के नाते हमें कानून द्वारा निर्धारित किए गए पैरामीटरों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। अधिकांश श्रम कानूनों के लिए राज्य सरकारें समुचित सरकार हैं। उनके प्रभाव-क्षेत्र में आने वाले श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए वे पूर्ण शक्तियों का उपयोग करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि श्रम कानूनों के उल्लंघन का कोई विशेष मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है तो हम इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि राज्य सरकारों के सहयोग से श्रम कानून के प्रभावी और अर्थपूर्ण संचालन के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास में सहयोग और सहायता प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय: अगर आप इसी तरह से व्यवधान डालेंगे, तो मैं ध्यानाकर्षण के इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, ऐसा क्यों? यह एक संवेदनशील मामला है।

अध्यक्ष महोदय: यह संवेदनशील मामला है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभा में व्यवधान डालने का अधिकार है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मुझे अपने माननीय, युवा, ऊर्जावान, नवनियुक्त श्रम राज्य मंत्री से पूरी सहानुभूति है। यह एक दिलचस्प संयोग है, कि हम उस समय श्रम संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, जब श्रम मंत्री ने त्याग-पत्र दे दिया है, और वह स्वयं भूख-हड़ताल पर हैं, ऐसे समय में हम इस देश में मानव प्रकृति से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप मुद्दे पर आ जाएं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मुद्दे पर आते हुए मैं अपने युवा मित्र को बताना चाहता हूं कि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में 30 करोड़ श्रमिकों पर इस प्रकार आघात हो रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं अपने शब्द पूरी सावधानी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं। संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के लगभग 30 करोड़ श्रमिकों, के ऊपर ऐसा आघात हो रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यह संसद में राजनैतिक दलों को सचेत करने के लिए है।

आर्थिक सुधार, बल्कि भूमण्डलीकरण और उदारीकरण ने आर्थिक नीति-वर्तमान सरकार की पिछली सरकार की नीति-को अत्यधिक प्रभावित किया है। आर्थिक नीति का अनुपालन किया गया। आर्थिक सुधार किए गए और भूमण्डलीकरण, जो देश भर में राष्ट्रीय नारा हो गया है, ने देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर को बुरी तरह प्रभावित किया है। यदि भूमण्डलीकरण एक वास्तविकता है, तो श्रमिकों के शोषण में वृद्धि भी एक वास्तविकता है।

प्रधानमंत्री ने हमें रात्रि भोज दिया था। शानदार भोज था। हमने तीन घण्टे चर्चा की लेकिन सरकार को यह अवश्य नोट करना चाहिये कि यदि भूमण्डलीकरण एक वास्तविकता है तो, श्रमिकों के शोषण में वृद्धि भी एक वास्तविकता है। सर्वाधिक आश्चर्यजनक यह है कि जब श्रम कानूनों का अधिक कड़ाई से प्रवर्तन तात्कालिक आवश्यकता बनता जा रहा है, जब प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण देश की तात्कालिक आवश्यकता बन गया है, तब श्रम कानूनों में नम्यता का प्रश्न सरकार और मंत्रियों के लिए प्राथमिकता का विषय बन गया है।

यह सब इरादतन किया गया है। श्रम कानूनों में नम्यता का आशय जिसमें नियोक्ता को खुली छूट देना है क्योंकि वे भारत में पैसा तभी निवेश करेंगे जब उन्हें सारी शक्तियां मिले और वे मनमाने ढंग से श्रमिकों को नियुक्त कर सकें और उन्हें नौकरी से निकाल सकें। यह सरकार निजी कारपोरेटों को हरी झण्डी दे रही हैं।

मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। कारखाना अधिनियम के अनुसार, जब एक सप्ताह में छः दिन में 48 घंटे काम की अनुमति है, माननीय वस्त्र मंत्री ने विज्ञान भवन में सेमीनार में जहां पूर्व श्रम मंत्री मौजूद थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि श्रमिकों को एक सप्ताह में 60 घंटे से अधिक काम करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि काम के घंटे आठ से 10 घंटे हो जाएगे। यदि मंत्री इस तरह से बोलते है तो यह प्रबंधन से श्रम कानूनों

के घोर उल्लंघन को 'स्वीकार करने के लिए कहने' के समान है। माननीय वित्त मंत्री ने आधिकारिक रूप से यह कहा है कि भविष्य निधि की ब्याज दर बहुत अधिक है और इसे 8 से घटा कर $7\frac{1}{2}$ कर देना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों का केन्द्र सरकार के उपक्रमों द्वारा भी पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया हे लेकिन आश्वासनों से सरकार के दोष कम नहीं होते।

ठेका श्रमिकों, जिनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, को भविष्य निधि नहीं दी जा रही है। मैं माननीय श्रम राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विभाग से शिकायतें इकट्ठी करने ओर देश में ठेका श्रमिकों वे संबंध में जांच करने के लिये कहें।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है और न्यूनतम मजदूरी के संबंध में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत करने की अनुमति थी दी जा रही है। मैं राज्यों का नाम नहीं लूंगा...*(व्यवधान)* हरियाणा, पंजाब...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राज्य के विषय को मत उठाइये।

श्री गुरुदास दासगुप्त: आपके विचार से मैं सहमत हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या संसद में बैठे राजनीतिक दल इस बात को नोट करेंगे कि देश के कई राज्यों में श्रमिक संघों को पंजीकरण की भी अनुमति नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम आपको हाथ जोड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय: जब स्पीकर हाथ जोड़ते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, बोलिए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैंने कभी सदस्यों को बाधित नहीं किया। कानूनी तौर पर मान्य श्रमिक संघवाद जिसकी संविधान के उपबंधों के अंतर्गत गारंटी दी गई है का पुलिस की सहायता से दमन किया जा रहा है। एक उदाहरण निम्न है: हरियाणा में मजदूरी बढ़ाने की मांग के समर्थन में एक हड़ताल हुई। उन्होंने सड़क अवरूद्ध कर दिया था। लाठी चार्ज हुआ। उन सबको तितर-बितर कर दिया गया। 47 श्रमिकों पर हत्या के आरोप में धारा 307 लगाई गई। जब मैंने उस राज्य के पुलिस आयुक्त से पूछा कि कितने पुलिसकर्मी घायल हुए है और किन संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, तो वे एक भी उदाहरण नहीं दे सके।

अध्यक्ष महोदय: केन्द्र सरकार की बात कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं उसी बात पर आ रहा हूं। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। आपके पास असीमित समय नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं केवल यह कह रहा हूं कि देश के विभिन्न हिस्सों में ठेकेदारों और प्रोपराइटरों द्वारा बिना लाइसेंस वाली बंदूकों वाले निजी सुरक्षा गार्डों को नियुक्त किया जा रहा है। अधिकांश स्थानों पर डीए भुगतान के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका नारा क्या है? उनका नारा है, "या तो कम भुगतान, कम पारिश्रमिक और लंबे कार्य घंटे स्वीकार करो या बेरोजगार और भूखे रहो।" यही नारा है...*(व्यवधान)* मैं, आपको बताता हूं। आप अपनी ओर से कई मुद्दे उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपाया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: लगातार कमेंट्री की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपके नेताओं से अनुरोध करता रहा हूं कि वे बारी-बारी से आये और सदन चलायें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: नारा है "या तो कम भुगतान स्वीकार करो या भूखे रहो।" देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी से श्रम कानूनों के उल्लंघन को बढ़ावा मिलता है क्योंकि बेरोजगार युवकों के पास दबाव में कम भुगतान स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। यह पूरे देश के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। निजी कंपनियों ने काफी लाभ कमाया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, वाद-विवाद नहीं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: लेकिन श्रमिकों के वास्तविक वेतन घटे हैं। काम के हालात बदतर हुए हैं। श्रम कानूनों का उल्लंघन बढ़ रहा है। मेरा कहना यह है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको केवल प्रश्न पूछने हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं उस पर आ रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री समेत देश के राजनेता भाषण देते समय कहेंगे कि इस कानून का उल्लंघन देश की समस्या है?

वे जिम्मेदार श्रमिक संघवाद की बात कर रहे हैं लेकिन श्रम कानूनों के उल्लंघन की बात कोई नहीं करता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसमें मत घसीटिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: कम से कम प्रधानमंत्री कभी भी ऐसा नहीं कहते। वित्त मंत्री और यूपीए सरकार के नेता ऐसा नहीं कहते। मैं इस प्रश्न को क्यों उठा रहा हूं। मैं अज्ञानी नहीं हूं। मैं यहां बीस वर्षों से हूं। संसद इस पर चर्चा क्यों करे? जिन कानूनों का मैं, उल्लेख कर रहा हूं, वे संसद ने बनाए हैं। यदि संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का उल्लंघन होता है तो क्या संसद उसको नजरअंदाज कर सकती है। मेरा प्रश्न यही है? कानून, हम लोग बनाते है। यदि कानूनों का उल्लंघन होता है, तो संसद इन कानूनों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं कर सकती।

दूसरी बात, इस समवर्ती सूची में है। केन्द्र सरकार की इस संदर्भ में भूमिका है। कामगारों की कीमत पर आर्थिक सुधार स्वीकार नहीं किये जा सकते।

क्या माननीय मंत्री महोदय, तो दिल से स्वीकार करते हुये संसद में कहेंगे कि देश में श्रमिकों पर बेरहमी से शोषण किया जा रहा है? क्या वे यह स्वीकार करेंगे?

क्या वे राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने पर सहमत होंगे जिसमें श्रम कानूनों के उल्लंघन के उस मुद्दे पर चर्चा होगी?

क्या माननीय श्रम राज्य मंत्री, श्रम कानूनों में संशोधन के प्रश्न पर मजदूर संघों के साथ चर्चा करने पर सहमत होंगे। इसके पीड़ितों को और अधिकार मिल सके? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): इनको बोलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बात मैं, आप पर भी लागू करूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या माननीय मंत्री महोदय श्रमिक संघों की बैठक बुलायेंगे और श्रम कानूनों के प्रवर्तन के मुद्दे पर उनके विचार सुनेंगे।

मेरा अंतिम प्रश्न जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम से संबंधित है–यह है कि सरकार असंगठित क्षेत्र और कृषि मजदूरों के लिए व्यापक श्रम कानून कब लाने जा रही है। ऐसा व्यापक श्रम कानून कब लाया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय: श्री अमिताभ नंदी आप केवल स्पष्टीकरण ले सकते है।

श्री अमिताभ नंदी (दमदम): महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर सदन में चर्चा हो रही है। मेरे सहयोगी, श्री गुरूदास दासगुप्त ने श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में कुछ संगत मुद्दे उठाये हैं। इस सदन में इस मामले पर चर्चा करना जरूरी है। हालांकि यह देश के विभिन्न राज्यों में हो रहा है, परन्तु इस सभा द्वारा ही विधान अधिनियमित किए जाते हैं। अत: इस मामले पर गौर करना केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है ताकि देश में कहीं भी श्रम कानूनों का उल्लंघन न हो।

माननीय मंत्री महोदय ने इस सभा में वक्तव्य दिया है। हमने वह वक्तव्य देखा है लेकिन वास्तविक स्थिति उससे काफी अलग है।

अध्यक्ष महोदय: श्री नंदी यह वाद-विवाद नहीं है। अपना प्रश्न पूछिये।

श्री अमिताभ नंदी: महोदय, इस मामले पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मानव सभ्यता का विकास हुआ है और दुनिया में सृजित संपदा, मानव संसाधन के कारण संभव हो सकी है। अत: मानव संसाधन और देश की संपदा के सृजन में व्यक्ति का उपयोग होता है। हम इस संसद में बैठे हैं। इस संसद का निर्माण किसने किया है। इस इमारत के निर्माण में कामगारों की भूमिका प्रमुख है।

अध्यक्ष महोदय: हम सब यह जानते हैं। आपका प्रश्न क्या है?

श्री अमिताभ नंदी: समाज की संपदा के निर्माण में हर जगह श्रम शक्ति के साथ मानव की बुद्धि मत्ता का प्रयोग होता है। बढ़ई लोगों ने इन बेंचों और इस अवसंरचना के निर्माण में योगदान दिया।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको कोई प्रश्न पूछना है?

श्री अमिताभ नंदी: लेकिन अभी अनदेखी की जा रही है। जिन दरियों पर हम चलते हैं, वे बुनकरों ने बनाई है। मैंने एक

राज्य का दौरा किया जहां पानी बिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण चंबा में हो रहा था। वहां मुझे मालूम चला कि प्रबंधन ने श्रमिकों पर हमले के लिए हत्यारों को अनुबंधित किया था और उन्होंने एक श्रमिक की हत्या कर दी।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर और बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर आपको प्रश्न नहीं पूछना है, तो मैं आपको आगे बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अमिताभ नंदी: महोदय, उस हत्या के प्रत्यक्षदर्शी को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। सरकार का क्या उत्तर है?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह सब केन्द्र सरकार से किसी प्रकार से संबंधित है?

श्री अमिताभ नंदी: प्रबंधन, श्रमिकों की हत्या करवाता है। इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे?

अध्यक्ष महोदय: अब और कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

यह वाद-विवाद नहीं है। यह ध्यानाकर्षण है। आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते है। मैं इसे वाद-विवाद नहीं बना सकता।

...(व्यवधान)

श्री अमिताभ नंदी: कुछ जगहों पर, संघों का पंजीकरण करने से इंकार कर दिया जाता है। यदि पंजीकरण करने से इंकार नहीं किया गया है, तो प्रबंधन उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: उनके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अमिताभ नंदी: यदि पंजीकरण करने से इंकार किया जाता है, तो केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे जिससे कि संघ अपना पंजीकरण करा सकें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, स्थिति अत्यंत गंभीर है। केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े श्रम क्षेत्र में विद्यमान दयनीय वस्तु स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। देश में लगभग 40 करोड़ कामगार हैं। इनमें से लगभग 37 करोड़ असंगठित क्षेत्र में है। न्यूनतम मजदूरी से संबंधित परिनियम के उल्लंघन की सीमा तथा शोषण की सीमा अवधि तौर पर जो दिखती है, उससे कहीं अधिक है। यह आम बात हो गई है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तो नियम 193 की चर्चा हो गयी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिये कि हमने किसको कितना टाइम दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी टोकाटाकी अध्यक्षपीठ पर केवल आक्षेप है। आप स्थिति को समझ सकते हैं और आप जानते हैं कि मैं कार्यवाही पर नियंत्रण करने का कितना प्रयास कर रहा हूं। परन्तु यदि आप अध्यक्षपीठ पर लगातार आक्षेप करते जाएंगे तो इससे सभा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यदि ऐसा चलता रहा तो मैं भविष्य में किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, बी एस ई एस आई केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है तथा मजदूरी संदाय अधिनियम के उपबंध सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू हैं...*(व्यवधान)* यद्यपि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व केन्द्र सरकार के पास है, परंतु उनके शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम हैं। अब, जबकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कामगारों तथा कर्मचारियों से संबंधित मजदूरी संदाय अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है और वह भी तब जबकि इस संबंध में इस सभा द्वारा कानून बनाया गया था, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा?

महोदय, ठेका श्रम के संबंध में भी एक कानून विद्यमान जिसका नाम श्रम (विनियमन और संशोधन) अधिनियम, 1970 है। श्रम मंत्रालय ने ठेका श्रम के उत्पादन से संबंधित एक अधि सूचना जारी की थी। परन्तु विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस अधिसूचना का भी कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मेरे लिए समस्या उत्पन्न मत कीजिए। आप इस प्रकार की असत्य टिप्पणियां सुन रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं मंत्रीजी, जो कि अत्यंत सक्रिय और प्रतिभावान व्यक्ति हैं, से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे ठेके पर लगे हुए कामगारों को निमित किए जाने के संबंध में श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए कदम उठायगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे इस संबंध में एक वृहत विधान लाकर श्रम कानूनों को सुदृढ़ बनाने के संबंध में सभा को आश्वस्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मुझे खेद है कि आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री सुनील खां आपको एक प्रश्न पूछना है। मैं किसी अन्य मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अंत में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत इन 37 करोड़ कामगारों के लिए एक वृहत विधान लायेंगे अथवा नहीं...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा तथा मुझे इस संबंध में खेद है कि यद्यपि मैंने 2005 में इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परन्तु इस संबंध में मंत्रालय द्वारा अब तक कुछ नहीं किया गया है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बी एस सी एल का प्रबंधन जानबूझ कर 1975-76 से अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के भुगतान से वंचित क्यों कर रहा है। बी एस सी एल भारत सरकार का उपक्रम है। परन्तु इसने कभी भी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा घोषित सांविधिक ब्याज दर के अनुरूप भविष्य निधि पर सांविधिक ब्याज दर का भुगतान नहीं किया है।

मेरा दूसरा प्रश्न हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लि. द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने तथा बोकारो और एच एस सी एल की अन्य इकाइयों जिन्हें पहले पृथक कर दिया गया था, में अपने कर्मचारियों को कानूनी देयों का भुगतान न किए जाने के संबंध में है।

मेरा तीसरा प्रश्न भारतीय पुनर्वास निगम के संबंध में है। आर सी आई के कुछ कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री खां के भाषण का एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मुझे कुछ मुद्दे उठाने का अवसर दिया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अवसर देने के लिए बाध्य नहीं हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। नियमों के अनुसार, आपने कोई सूचना नहीं दी है और आप सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मुझे आपके कार्यालय द्वारा दण्डित किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे कार्यालय पर आरोप न लगाए। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आपने सहयोग किया होता तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे देता। आप सभा में निरंतर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आप अपने दल के नेता हैं और आपको अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*। महोदय, मंत्री जी बात मान गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। उन्होंने बात नहीं मानी है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप इसे क्यों उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप श्रम संबंधी समस्याओं के बारे में बात कर रहे है और जो मंत्री महोदय कह रहे हैं उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस प्रकार से आप श्रमिकों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। श्री त्रिपाठी अब आप संक्षेप में अपना प्रश्न पूछ सकते है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, क्या यह सच है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं कराया है तथा असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय श्रम और रोजगार आयोग की क्या सिफारिशें हैं और क्या यह सच है कि आईओ सी तथा ओएनजीसी सहित 2000 कारपोरेट निगमों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 1698 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया है। इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? कृषि क्षेत्र के बाद सेवा क्षेत्र दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो देश में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। परन्तु सेवा क्षेत्र के कामगारों के लिए कोई कानून नहीं है। सेवा क्षेत्र के कामगारों के लिए कानून बनाने हेतु सरकार क्या कर रही है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): महोदय, माननीय सदस्यों की भांति ही मैं भी देश में श्रम समस्याओं के बारे में अत्यंत चिंतित हूं। अपने वक्तव्य में मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में स्पष्ट ब्यौरा दिया है। माननीय सदस्यों ने कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन तथा ठेका श्रमिकों के भविष्य निधि का भुगतान न किए जाने के संबंध में कुछ विशिष्ट मामलों का उठाया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या बात है, आपका नाम नहीं है, आपका नोटिस भी नहीं है, आप क्यों बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मैंने नोटिस दी है, मुझे बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा अपराध केवल यह है कि मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। मेरा केवल यही अपराध है। आप निरंतर विशिष्ट को उठा सकते हैं, आप दिए गए सभी अवसरों तथा सभा के समय का दुरूपयोग कर सकते हैं। आप यहां सभी को परेशान कर रहे हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है। कम से कम मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर साहू: मैं माननीय सदस्यों से विशिष्ट मामलों का हवाला देने का अनुरोध करता हूं जो उन्होंने अभी उठाए हैं ताकि मैं उन पर विचार कर उचित कार्यवाही कर सकूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कृपया इसका उत्तर न दें। अगर आप इस प्रकार उत्तर देते रहेंगे, तो क्या होगा?

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर साहू: महोदय, माननीय सदस्य, श्री गुरूदास दासगुप्त ने सुझाव दिया है कि मंत्रालय को राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए। प्रत्येक वर्ष राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की परंपरा है। उस सम्मेलन में हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि हम निश्चित रूप से शीघ्र ही राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक बुलायेंगे तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु केन्द्रीय श्रमिक संघ के नेताओं को भी बुलायेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया उसका उत्तर न दीजिए। उनकी तरफ न देखिए।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर साहू: राज्य के श्रम मंत्रियों की बैठक बुलाने से पहले, हमारे मंत्रालय केन्द्रीय श्रमिक संघों के नेताओं से मिलकर कार्यसूची को अंतिम रूप देगा। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी सभी श्रमिक संघों के नेताओं से मिलकर यह आश्वासन दिया था।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु व्यापक विधान के संबंध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वे सब यह जानते हैं कि इस मुद्दे से संबंधित मंत्रालय के पास तीन प्रतिवेदन हैं। एक प्रतिवेदन केन्द्रीय सलाहकार परिषद तथा दूसरा हमारे अपने मंत्रालय से हैं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर साहू: एक अन्य प्रतिवेदन अर्जुन सेन गुप्ता समिति से संबंधित है। ये तीनों प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय श्रमिक संघों के नेताओं के साथ बैठक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्तमान यूपीए सरकार एक व्यापक विधान बनाएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर साहू: सचिवों की एक समिति इस विषय को देख रही है। मंत्रियों के एक समूह का भी गठन किया गया है।

मेरे ध्यान में लाई गई अन्य समस्याओं के संबंध में मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उन्हें देखूंगा। विशिष्ट मामले मेरे ध्यान में लाए जा सकते हैं और मैं निश्चित रूप से उन मामलों का समाधान करने का प्रयास करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। अत:, हम विरोध स्वरूप सभा से बहिर्गमन कर रहे है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.43 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अपराह्न 12.43½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 14 पर विचार करेगी। श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"यह सभा दिनांक 22 अगस्त, 2006 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"यह सभा दिनांक 22 अगस्त, 2006 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.44 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) कर्नाटक में अभूतपूर्व बाढ़ और सूखे के कारण राज्य को वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, बाढ़ की स्थिति अथवा उससे संबंधित मामलों के बारे में मुझे कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ समय सीमा समाप्त होने के पश्चात प्राप्त हुई है। मैं प्रत्येक को अवसर दूंगा। परन्तु मेरा यह हार्दिक निवेदन है कि बार-बार "सर" "सर" न कहें क्योंकि

[हिन्दी]

उससे कोई लाभ नहीं होता है। मैं एक-एक करके सबको मौका दूंगा।

[अनुवाद]

मैं आप सबको अवसर दूंगा तथापि यद्यपि कुछ माननीय सदस्यगण ने समय पर सूचनाएं नहीं दी है। उन्होंने समय पर सूचना देने का कष्ट नहीं किया। फिर भी, मैं उनको अवसर दूंगा क्योंकि यह विषय देश के उन आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है जो पीड़ित हैं। अब. कृपया आप सहयोग करें।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, भारी मन से तथा अत्यधिक क्षोभ के साथ मैं इस सभा में दूसरी बार इस मुद्दे को उठा रहा हूं। कर्नाटक राज्य को बाढ़ और सूखे दोनों

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से भारी क्षति हुई है। 120 लोगों की जानें गई हैं। 170 से अधिक तहसीलें बाढ़ और सूखे से तबाह हो गई हैं। तेईस जिले और 589 गांव इनसे प्रभावित हुए हैं लगभग एक लाख सड़सठ हजार हेक्टेयर भूमि पर फसल बह गई है। बाढ़ के कारण, 6.67 लाख हेक्टेयर बुआई वाला क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 3,387 लघु सिंचाई जलाशयों में पानी नहीं है। परन्तु, हमारा मूल प्रश्न यह है कि हमारे मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री दिल्ली आए और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा कृषि मंत्री जी से मिले तथा 1,406 करोड़ रुपये की राहत प्रदान करने के लिए उन्हें अंतरिम ज्ञापन दिया। परन्तु, कर्नाटक राज्य के लाखों पीड़ित व्यक्तियों हेतु अभी तक एक पैसा भी जारी नहीं किया गया है।

महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने सोचा था कि माननीय गृह मंत्री जी यहां मौजूद होंगे। महाराष्ट्र को 450 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत दी गई है। आंध्र प्रदेश को 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं। गुजरात को 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं और मध्य प्रदेश को 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यदि वे बाढ़ और सूखे से प्रभावित होते हैं तो उन्हें सहायता दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)* हम इस बारे में चिन्तित नहीं है। परन्तु, कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है जबकि हम पहले ही ज्ञापन दे चुके है।

महोदय, हाल ही में हमारे मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री जी ने कर्नाटक के लाखों पीड़ित व्यक्तियों के साथ भारत सरकार द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार की शिकायत करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी को भी एक ज्ञापन दिया है।

अत:, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार कर्नाटक के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्काल अंतरिम राहत जारी करें। मैं भारत सरकार से उत्तर चाहता हूं क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण रवैया है। जब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को राहत दी गई है तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कर्नाटक को कोई राहत क्यों नहीं दी गई है। वास्तव में बाढ़ की स्थिति जुलाई के बाद उत्पन्न होती है और यह एक विचित्र स्थिति है। विशेषकर कृष्णा नदी तथा कोयना नदी से जल छोड़े जाने के कारण प्रत्येक जिले और तहसील तथा चिक्कोड़ी, बेलगाम, गुलबर्गा आदि जैसे कर्नाटक के बड़े जिले जलमग्न हो गए हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से उत्तर चाहता हूं और हम उत्तर की मांग करते हैं। उन्होंने बार-बार इस बात का उल्लेख किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे सभी सदस्य जो इससे संबद्ध होना चाहते है वे कृपया अपना नाम भेंजे। उनका नाम रिकार्ड कर लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदय, ये संबद्ध होना चाहते हैं। हम सरकार से उत्तर चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार जी एक मंत्री के रूप में आप जानते ही होंगे कि क्या किया जाता है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: मैं आपके पास आया था और आपने यह बताने की कृपा की थी कि माननीय गृह मंत्री उत्तर देने के लिए सभा में मौजूद होंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संभवत: इसमें कुछ संवादहीनता की स्थिति रही थी। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात को गृह मंत्री जी की जानकारी में लाने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं इस बात की जानकारी गृह मंत्री को दे दूंगा। परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार जी से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार की किसी भी राज्य के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि हम महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रति निष्पक्ष हैं तो हम कर्नाटक के प्रति भी पक्षपात नहीं कर रहे है। श्री अनंत कुमार जी यह जानते है कि यह सदैव किसी समिति के आकलन के आधार पर ही किया जाता है और आकलन किए जाने के पश्चात ही मूल्यांकन आदि किया जा सकता है। हमारा कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है। मैं इस बात को माननीय प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री हेमलाल मुर्मू

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: परन्तु, कर्नाटक के लिए कृपया तुरन्त कुछ धनराशि जारी की जाए। कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह इस बात को गृह मंत्री जी के ध्यान में लाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने इस मामले को बलपूर्वक और कुशलतापूर्वक उठाया है। मैं यह कह रहा हूं कि जब प्रश्न लोगों की समस्याओं से संबंधित हो तो मुझे यह विश्वास है कि हर किसी को इस संबंध में तदनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: गुजरात को मदद दी गई है, परन्तु हमें एक पैसा भी नहीं दिया गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश, श्री प्रहलाद जोशी, श्री जी.एम. सिद्दीश्वर, श्री सुरेश अंगड़ि और श्री मंजूनाथ कुन्नुर को भी इस मामले के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।

श्री अनंत कुमार: भारत सरकार कर्नाटक के लोगों की समस्याओं के प्रति इतनी असंवेदनशील क्यों है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी तुरन्त कौन उत्तर देगा? इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। परन्तु, मुझे यह विश्वास है कि उन्होंने आपकी भावनाओं की गंभीरता को महसूस कर लिया होगा। अब श्री हेमलाल मुर्मू बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं पीठ से यह टिप्पणी कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले में उपयुक्त कदम उठाएगी। मैं यह बताना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं, सदस्यों से एक बात जानना चाहता हूं। क्या आप किसी प्रक्रिया, कानून और प्रणाली का अनुपालन करते हैं? मैंने आपका नाम लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): मैंने प्रक्रिया का अनुपालन किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने सूचना तक देना उचित नहीं समझा। आपको समय नहीं मिला आप इतने व्यस्त हैं कि आपको सूचना तक देने का समय नहीं मिला।

[हिन्दी]

हम क्या कर सकते हैं?

[अनुवाद]

अब आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहते हैं।

श्री अनंत कुमार: कर्नाटक के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता क्यों नहीं है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने को सम्बद्ध कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तो, मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित करनी होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार जी, यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने इसे पहले ही सभा को सूचित कर दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम किसी राज्य के प्रति कोई द्वेष नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन माननीय सदस्यों का मैंने नाम नहीं लिया है, उनका एक भी शब्द नोट नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं पहले ही बता चुका हूं कि डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारी सरकार किसी आपदा की किसी स्थिति में किसी भी राज्य के प्रति लापरवाह नहीं है...*(व्यवधान)* उन्हें शोर करने दीजिए। मैं उत्तर नहीं दूंगा...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री हेमलाल मुर्मू बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड राज्य में बाढ़ और सुखाड़ के बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे राजय में बाढ़ का प्रकोप है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल, श्री हेमलाल मुर्मू का वक्तव्य रिकार्ड में जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.52 बजे

(इस समय, श्री सुरेश अंगडि और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के समीप खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पहले अवसर दिया है। मैंने पीठ से टिप्पणी की है। मैंने उन्हें इस संबंध में माननीय गृह मंत्री को सूचित करने का निवेदन किया है। मैंने उनसे भी निवेदन किया है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: गंगा नदी के किनारे बसे प्रदेश हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरक्का बांध बन जाने की वजह से गंगा का स्तर छिछला हो कर फैल गया है...*(व्यवधान)*

अपराहन 12.52$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री सुरेश अंगडि और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मै केवल मामले से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को अवगत करा सकता हूँ। मैने कह दिया हे कि श्री अनंत कुमार, मंत्री के रूप में आपने क्या किया? क्या आपने सभा में कोई आश्वासन दिया था? आप क्या कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां तक कि आपने कोई सूचना भी नहीं दी। अब आप चिन्ता क्यों दिखा रहे हैं। आपके पास सूचना देने का भी समय नहीं है। आप इतने व्यस्त हैं।

अपराह्न 12.53 बजे

(इस समय श्री एस. बंगरप्पा आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमें किसी राज्य से कोई द्वेष नहीं है। हमारी सरकार किसी राज्य के विरुद्ध पक्षपात नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: अन्य सभी माननीय सदस्यों को अवसर नहीं मिल रहा है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से अन्य माननीय सदस्यों को अवसर नहीं मिल रहा है। मैं क्या कर सकता हूं?

श्री अनंत कुमार: महोदय, सदन के नेता यहां उपस्थित हैं। मै आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूँ कि वे इसका उत्तर दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा प्रवती हो रहा है कि सभा में हंगामा कर, आप कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यही नीति है तो ठीक है वहां जाकर बैठ जाइए। बाहर जा कर हंगामा कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं श्रीमती किरण माहेश्वरी से अनुरोध करूंगा कि वे तय करें कि क्या किया जाए, किसे बुलाना है

[हिन्दी]

किसको बोलने के लिए बुलाना है।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.54 बजे

(इस समय श्री एस. बंगरप्पा अपने स्थान पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदय: श्री हेमलाल मुर्मू के वक्तव्य के सिवाए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकॉर्ड न करें। श्री हेमलाल मुर्मू के वक्तव्य के सिवाए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: मैं बताना चाहता हूं कि झारखण्ड प्रदेश पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिये यहां बाढ़ नहीं आ सकती, लेकिन गंगा नदी की वजह से प्रति वर्ष बाढ़ से बहुत जान-माल की हानि होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने उद्देश्य के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके लिए बात की है मैंने माननीय मंत्री से निवेदन किया है कि इसे माननीय गृह मंत्री की जानकारी में लाएं। मैंने और भी टिप्पणी की है।

मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

आप क्या कहना चाहते हैं? आप कोआपरेट कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि फरक्का बांध निर्माण होने से गंगा के गर्भ में सिल्टिंग आ जाने और बालू, मिट्टी जम जाने से गंदा पानी आने से उस इलाके में बाढ़ आ जाती है। इसलिये वहां लाखों की बर्बादी होती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री आश्वासन दे चुके हैं तथा यह सरकार का ही आश्वासन है। उन्होंने कहा है कि वे इस मामले की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोलते हैं, तो वह अपनी ओर से नहीं बोलते, वे सरकार की ओर से बोलते हैं तथा इसलिए सरकार का आश्वासन भी आ चुका है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार, आप वरिष्ठ सदस्य है। आपका एक जिम्मेदार मंत्री भी रहे हैं। कृपया अपना स्थान लें।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: अध्यक्ष महोदय, हम सरकार के रवैये की निन्दा करते हैं तथा कर्नाटक राज्य के विरुद्ध यूपीए सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का विरोध करते हैं।

अपराह्न 12.56 बजे

(इस समय, श्री अनंत कुमार और कुछ अन्य सदस्य सभा सदन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा: अध्यक्ष महोदय, यह खेदजनक है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री हेमलाल मुर्मू ने जो कहा है उसके अतिरिक्त कुछ भी रिकॉर्ड न करें।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.57 बजे

(इस समय, श्री एस. बंगरप्पा सभा सदन से चले गए।)

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: महोदय, मैं कह रहा था कि झारखण्ड प्रदेश में एकतरफ बाढ़ है।*...(व्यवधान)* क्या मजाक है। आप दूसरे सदस्यों को बोलने दीजिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखिए। कृपया अन्य सदस्य को बोलने दीजिए। वह अपने राज्य की समस्याओं के बारे में बता रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि झारखंड में गंगा नदी बह रही है और उसमें से फरक्का बांध बना है।...*(व्यवधान)* गंगा नदी में सिल्टिंग हो जाने से बाढ़ आ जाती है। गंगा का पानी फैल जाने से पूरे इलाके डूब जाते हैं। जिससे हर वर्ष लाखों रुपए की क्षति होती है। इसकी वजह से गंगा में कटाव चालू है जिससे हर वर्ष सैंकड़ों गांव बह जाते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि गंगा नदी के कटाव को केसे रोका जाए। सरकार इस बात पर निश्चित रूप से चिन्ता करे। झारखंड प्रदेश के 12 से 13 जिलों में अभी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहां धान की फसल रोपी नहीं गई है। जो खेत रोपे गए हैं, वे सूख कर फट चुके हैं। वहां धान की उपज होने की कोई संभावना नहीं है। झारखंड प्रदेश में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए केन्द्र सरकार उनकी मदद करें और पैकेज दे ताकि वहां के लोगों को अपनी फसल उगाने में मदद मिले, लोग रबी की फसल उगा सकें। मेरा यही आग्रह है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बिना सूचना के भी बोलने का मौका दे दूंगा।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: हां, मुझे यह मिली है। मैं आपको अवश्य ही बोलने का मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने एक संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का समय दिया। मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान की और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। राजस्थान में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है। राजस्थान के 12 जिले बाढ़ से ग्रसित हुए हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां कई घर बह गए हैं जिससे कई लोग बेघर हो गए हैं, कई मकान टूट गए हैं, सड़कें और पुलिया टूट गई हैं जिससे सम्पर्क टूट गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां क्या हो रहा है। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि संसद में कार्य जारी रहे? क्या आप वास्तव में ऐसा चाहते है परन्तु आपके आचरण से तो ऐसा नहीं लगता और यह मैं सभी से कह रहा हूं। आपका कहना है, "आप यहां क्यों देखते हैं?"

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम क्या करें, हम एक साथ नहीं बुला सकते, हम बहुमुखी नहीं हैं।

[अनुवाद]

मेरे दस चेहरे नहीं है कि मैं सब को देख सकूं। जिस माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया है उन्होंने समय पर सूचना देने का कष्ट तक नहीं उठाया फिर भी मैं उन्हें बोलने का मौका दे रहा हूं। कुछ सदस्यों को लोगों की समस्याओं को उठाने का इतना शौक है कि उनके पास समय पर सूचना देने का भी समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो बाढ़ आई है, उसके कारण लाखों लोगों को क्षति हुई है। वहां गांवों के सम्पर्क टूट गये हैं, लोग बेघर हो गये हैं। राजस्थान के उदयपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर पाली, सिरोही, बूंदी, कोटा, झालावाड, बाड़मेर, जैसलमेर, टोक तथा चित्तौड़ इन 12 जिलों में स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्री हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का ध्यान रख रही हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.02 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।*]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से राजस्थान की मुख्य मंत्री बहुत संवेदनशील होकर वहां की समस्याओं को देख तथा सुन रही हैं, उसी तरह से केन्द्र सरकार

भी राजस्थान की ओर अपना ध्यान दे। आज राजस्थान बाढ़ से जूझ रहा है। वहां बाढ़ की परिस्थिति के कारण लोग बेघर हो गए हैं ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार राजस्थान के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। मैं केन्द्र सरकार को सुझाव देना चाहती हूं कि केलामिटी रिलीफ फंड और नेशनल केलामिटी कन्टिनजैन्सी फंड की घोषणा ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं, जो वर्ष 2001 में घोषित किया गया है। इसके तहत फुल्ली डैमेज्ड पक्के घर को दस हजार रुपये, कच्चे घर को मात्र छः हजार रुपये, सीवियरली डैमेज्ड पक्के घर को मात्र दो हजार रुपये, कच्चे घर को मात्र 1200 रुपये और थोड़े डैमेज्ड घर को मात्र आठ सौ रुपये का मुआवजा दिया जाता है। वह बहुत कम है। मैं समझती हूं कि इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: इसलिए केन्द्र सरकार को इस पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। इसमें यदि संशोधन होगा, वह केवल राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होगा। इसलिए इसमें संशोधन करना बहुत आवश्यक है। जो गरीब लोग अपने घरों से बेघर हो गये हैं, वे मात्र आठ सौ रुपये में अपने घर नहीं बना सकते, मात्र 1200 रुपये में घर की छत नहीं बन सकती। यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। गुजरात में भी भयंकर बाढ़ आई है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती किरन माहेश्वरी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि जो नेशनल केलामिटी कन्टिनजैन्सी रिलीफ फंड तथा केलामिटी रिलीफ फंड है, इनमें तुरन्त संशोधन किया जाना चाहिए। वर्ष 2001 से इस संबंध में आदेश निकले हुए हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इसमें संशोधन करके जो फुल्ली डैमेज्ड घर हैं, उन्हें कम से 30 हजार रुपये, कच्चे घर को कम से कम 20 हजार रुपये, सीवियरली डैमेज्ड पक्के घर को दस हजार रुपये और कच्चे घर को पांच हजार रुपये के मुआवजे की घोषणा केन्द्र सरकार को करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस मांग को केन्द्र सरकार के सम्मुख रखना चाहती हूं।

इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार एक दल राजस्थान में भेजे जो वहां के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वे करके उचित कार्यवाही करके वहां के लिए तुरंत सहायता प्रदान करे। मैं इस तरफ भी केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए। कृपया कोई टोका-टाकी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार राजस्थान को एक हजार करोड़ रुपये का पैकेज तुरंत प्रदान करे।. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी जी अब आप बोलिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार वहां एक टीम भेजकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वे करायें.. .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बिना परमीशन के कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: रासा सिंह जी, आप नोटिस दे दीजिए, आपको एशोसिएट कर देंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. रासा सिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बहुत ही गंभीर स्थिति है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इन्हें एशोसिएट कर देना। मैंने आपको एशोसिएट करवा दिया है। अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग नोटिस दे दीजिए। आपको एशोसिएट करवा देंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी: उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहते हैं, सरकार हमें आश्वस्त करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत और श्री जसवंत सिंह बिश्नोई को इस मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति दी गई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): महोदय, मेरे क्षेत्र बनासकांठा और लाखनपुर में बारिश की वजह से लोग तबाह हो गये हैं, किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है और सड़कें टूट गई हैं। बाढ़ भी वहां आ गई है और स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है।...*(व्यवधान)* लोगों को दूसरी जगह में जाकर आश्रय लेना पड़ रहा है मेरे क्षेत्र में, जैसे गुजरात में, सूरत में, जो तबाही मची और वहां के लोगों को बहुत परेशानी हुई लेकिन मेरी मुश्किल यह है कि सरकार का ध्यान सूरत की ओर ज्यादा आकर्षित हुआ है। इसलिए मेरे क्षेत्र की ओर सरकार ध्यान नहीं दे पाई है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, वहां के किसानों के लिए बीमा फसल का पैसा जल्दी से उनको देना चाहिए, जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें ठीक करने के लिए भी पैसा देना चाहिए। वहां जो पाठशालाएं टूट गई हैं, गरीब लोगों के मकान टूट गये हैं और बारिश के पानी से जो वहां तबाही मची है, लाखनपुर और रादनपुर में काफी गरीब लोगों के मकान टूट गये हैं और गरीब तथा किसान लोग बर्बाद हो गये हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि जिन गरीब लोगों के मकान टूट गये हैं, उनको इसके लिए पैसा देना चाहिए। बनासकांठा और रादनपुर क्षेत्र के लिए स्पेशल ग्रांट ईअर मार्क करके देनी चाहिए, ऐसी मेरी भारत सरकार से विनती है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सोलंकी जी को एशोसिएट कर देना।

श्री हरिसिंह चावड़ा: सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वहां रादनपुर क्षेत्र में सारे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। वहां पानी छोड़ने के लिए एक कब्रिस्तान को लोग तोड़ने लग गये तो लोग आ गये और तीन-चार लोग मर गये।...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नोटिस इसी पर है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दे दीजिए। आपको एशोसिएट कर देंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उपाध्यक्ष महोदय, वहां कई लोग मारे गये हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी (गोधरा): उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार देश के अन्य भागों में बाढ़ विभीषिका का ताण्डव चल रहा है, उसी तरह से गुजरात राज्य में स्थित मेरा संसदीय क्षेत्र गोधरा भी अछूता नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: उपाध्यक्ष महोदय, 10, 11 और 12 अगस्त को जब कड़ाना और पानम बांध से 13 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो मेरे संसदीय क्षेत्र गोधरा के अंतर्गत आने वाला पूरा पंचमहल जनपद और खेड़ा जनपद के बालासिनोर व बीरपुर तहसीलें जलमग्न हो गईं। नदियों के दोनों किनारों पर 5 से 7

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किलोमीटर की दूरी तक पानी भर गया जिससे कहीं तो उनकी जमीनों पर टीलें बन गये और कहीं जमीन नाले के रूप में परिवर्तित हो गई। नदियों के साथ-साथ नालों के जरिये पूरे संसदीय क्षेत्र में पानी ही पानी दिखाई देने लगा। इसके परिणामस्वरूप नदियों के किनारे बने छोटे-छोटे किसानों व गरीबों के छोटे-छोटे लगभग दस हजार से भी ज्यादा मकान धराशायी हो गये। उनकी फसल नष्ट हो गई। बिजली के खंबे गिर गये और उस पर लगे बिजली के तार टूट गये। स्कूल बह गये, पुल टूट गये और सड़कें व पक्के रास्ते क्षतिग्रस्त हो गये। फलस्वरूप मेरे संसदीय क्षेत्र गोधरा के छोटे-छोटे किसानों व गरीबों के पास न तो खाने के लिए अन्न बचा है, न बीज बचा है और न ही उनके रहने के लिए मकान बचा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद ही मैंने शुरू करना है। अभी फ्लड चल रहा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: उपाध्यक्ष महोदय, उनके पशु भी इस बाढ़ की तेज धारा में बह गये हैं। बाढ़ के कुप्रभाव से उनके खेतों के पास सिंचाई व पानी पीने के लिए बने कुओं का अता-पता नहीं रह गया है, या तो वे जमीन में धंस गये या मिट्टी से भर गये हैं। इस तरह वहां के छोटे किसान व गरीब लोग आश्रयहीन व दानों-दानों के लिए मोहताज हो गये हैं।

यद्यपि राज्य सरकार इन लोगों को राहत देने के लिये भरपूर प्रयास कर रही है लेकिन जैसा कि आपके संज्ञान में है कि गुजरात राज्य के अन्य जिलों-सूरत, आणंद और वडोदरा में भी बाढ़ का प्रकोप है। राज्य सरकार के पास अपने साधन सीमित होने के कारण उन लोगों को पूरी राहत न देने में मजबूर है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोधरा में बाढ़ के विनाश का जिक्र कर चुका हूं और अपने दौरे के समय मैंने अपनी आंखों से देखा है इसलिये आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोधरा में बाढ़ की तबाही का जायजा लेने के लिये केन्द्र सरकार एक केन्द्रीय जांच दल भेजे और उसका सर्वे कराने की कृपा करे। उन लोगों को राहत देने के लिये एक विशेष पैकेज दिया जाये और आवश्यक धनराशि केन्द्र द्वारा वहां भेजने की व्यवस्था की जाये।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में गोंदिया, गढ़चिरौली, भण्डारा, चन्द्रपुर, नागपुर और वर्धा जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। संजय सागर और वाणगंगा की उप-नदी के बांध से अचानक पानी खोलने से 12 हजार से जयादा घरों को क्षति हुई है। इससे हजारों एकड़ धान और सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, करीब 50 लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। सड़कें बह गई हैं, छोटी सिंचाई योजनाएं टूट गई हैं, पाठशालायें टूट गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री जी से 500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि 500 करोड़ रुपये का पैकेज देकर ग्रामीणों को सहायता दें। गत वर्ष भी बाढ़ से भारी तबाही हुई थी और इस वर्ष भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। मेरा अनुरोध है कि सम्पूर्ण जिलों में किसानों के ऋण माफ किये जायें। जो मारे गये हैं, उनके परिवार को एक लाख रुपया केन्द्र सरकार की ओर से या प्रधान मंत्री सहायता कोष से दें। प्रत्येक नुकसान हुए घर को 40 हजार रुपये दिये जायें जिनकी धान और सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, 10-10 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर के लिये राहत के रूप में दिये जायें। महाराष्ट्र सरकार को इस आशय के निर्देश दिया जायें और इसे उस पैकेज में समावेश किया जाये। एक केन्द्रीय जांच दल दौरा करे और विदर्भ के जिलों में सोयाबीन तथा धान की फसल के नुकसान का जायजा लेकर उनकी सहायता करे।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही संवेदनशील मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कल शाम को टी.वी. पर देख रहा था कि एम्स के डाक्टर्स 10-जनपथ पर श्रीमती सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे तो पुलिस उन पर पानी और गैस छोड़ रही थी। इस प्रक्रिया से बहुत से छात्र गिर रहे थे। यह परिस्थिति तब आई जब मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा आरक्षण की घोषणा की गई। आरक्षण की घोषणा के बाद एम्स की तरफ से धरना और प्रदर्शन शुरू हुये जो पूरे देश में फैलने लगे और यह मामला सिर्फ एक पक्ष नहीं बल्कि दो पक्ष में बंट गया। बीच में यह सब स्थगित हो गया लेकिन केबिनेट के फैसले के विरोध में यह धरना और प्रदर्शन फिर से जारी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जितना इस सदन के प्रति जिम्मेदार है, वह देश की एक-एक जनता के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदार है। सरकार जो आरक्षण देने जा रही है, उसमें हमारा कोई विवाद नहीं है लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं, उनके लिये भी आरक्षण का प्रतिशत तय किया जाये और उनका शिक्षण संस्थाओं में नामांकन किया जाये।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): लेकिन आर्थिक आधार पर जो अगड़े हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, श्री झा जी समझ नहीं पाय हैं। मैंने यह कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनमें

अगड़े भी हैं और पिछड़े भी आते हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये। और सरकार को इसका प्रतिशत तय करके घोषणा करनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान बंगलौर की पेयजल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगी कि वे उस समस्या का समाधान करें।

महोदय, सभी जानते हैं कि सुहावने मौसम और शांतिपूर्ण वातावरण होने के कारण बंगलौर प्रत्येक भारतीय का प्रिय शहर है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर को एशिया के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक माना जाता है। यद्यपि सरकारी आकड़ों के अनुसार उसकी वर्तमान जनसंख्या 70 लाख है। परन्तु वास्तव में यह लगभग 1 करोड़ तक पहुंचने वाली है।

महोदय, इतनी अधिक जनसंख्या के लिए पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति करना किसी भी सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही है। जब नदर प्रभु केमपेगोड़ा ने बंगलुरू का निर्माण किया था तो उन्होंने बंगलौरवासियों को पेयजल प्रदान करने हेतु सैकड़ों झीलों का निर्माण करने में काफी रुचि ली थी। परन्तु हमारे समय में शहरीकरण और जल प्रबंधन के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कई झीलें लुप्त हो गई है जिसके परिणामस्वरूप भूमिगत जल स्तर तेजी से घटता जा रहा है।

इस समय सरकार बंगलौरवासियों को पेयजल उपलब्ध करने हेतु हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यह चार चरणों में आपूर्ति हेतु कावेरी से जल ले रही है। अब तक, पूर्व सरकारों द्वारा इस कार्य के लिए 32,000 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। वर्ष 2000 से 2004 के बीच भीषण सूखे के दौरान भूमिगत जल स्तर और नीचे चला गया था तथा इससे बंगलौरवासियों के लिए काफी विकट समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं।

अत:, मैं जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे तुरन्त एक बांध का निर्माण करें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया शांत रहिए। यह कोई सभा स्थल नहीं है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह बंगलौरवासियों को पेयजल की आपूर्ति हेतु मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कनकपुर के सथनूरू विधानसभा खण्ड में अरकरथी और कावेरी नदी के संगम के पास तुरन्त एक बांध बनवाएं। यह बांध तमिलनाडु अंर्तराज्यीय मार्ग को भी जोड़ [illegible] है। हम इसका इस्तेमाल अंर्तराज्यीय मार्ग के रूप में कर सकते हैं जिससे कोयम्बटूर की दूरी आधी रह जाएगी। इस बांध के लिए केवल 500 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। इसके निर्माण द्वारा हम करदाताओं के हजारों करोड़ रुपये बचा सकते हैं।

मैं सरकार से पुन: आग्रह करती हूं कि वे सथनूर संगम पर यह बांध बनाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करे धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, कुमारी ममता बैनर्जी बोलेगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य गण, कृपया सभा में शांति बनाए रखिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: हमको तो मौका ही नहीं मिलता है,

[अनुवाद]

यही समस्या है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

अपराह्न 1.17 बजे

(दो) उत्तर बंगाल के विकास के बारे में

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मुझे खेद है कि इस माह मुझे शून्यकाल के दौरान केवल एक बार बोलने का मौका मिला है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

बोलने का मौका देते ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यही समस्या है। हम सभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि कम से कम आपने तो मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: अगर एक महीने के सैशन में एक भी मौका जोरो आवर में नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, अब आप अपनी बात जारी रखिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैं आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र दोनों ही हमारे देश के सीमावर्ती जिले हैं। उत्तरी बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुख्य द्वार है और पूर्वोत्तर क्षेत्र चीन ओर म्यांमार का प्रवेश द्वार है। उत्तरी भाग बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान का भी प्रवेश द्वार है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया कोई व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

कुमारी ममता बैनर्जी: भाई, पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तरी बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र है। बांग्लादेश पाकिस्तान की सीमा है, आप मुझसे बेहतर जानते है...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं विकास संबंधी मुद्दे उठा रही हूं...*(व्यवधान)* क्या आप इससे भी असहमत है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, बांग्लादेश, पाकिस्तान की सीमा भी है। भारत की सीमा भी पाकिस्तान से लगी हुई है।

उत्तरी बंगाल एक अत्यंत उपेक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर क्षेत्र भी देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह देश की मुख्यधारा में शामिल हैं। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उत्तरी बंगाल के लिए कोई विशेष पैकेज दिया जाए क्योंकि इसके क्षेत्र अत्यंत अविकसित और अपेक्षित है। आप इस तथ्य पर विचार कीजिए कि अलीपुर द्वार में मलेरिया के कारण 180 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। वहां कोई चिकित्सक नहीं है, कोई दवाईयां नहीं है।

महोदय, उत्तरी बंगाल के लोगों की मुख्य आय अधिकांशत: जूट उद्योग और चाय बागानों पर आधारित हैं

चाय बागान क्षेत्र में भूख से 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तरी बंगाल हमसे बहुत दूर हैं भोजन न मिल पाने के कारण वहां बच्चों को बेचा जा रहा है। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है कि वे अपना उद्धार कर सकें।

मुझे यह ज्ञात है कि हमारे मंत्री जी, श्री प्रियरंजन दासमुंशी उत्तरी बंगाल से हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि मलेरिया प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने, औषधियां, उपकरण आदि प्रदान करने तथा अन्य अवसंरचना का प्रबंध करने के लिए वहां तत्काल एक दल भेजा जाए ताकि लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त हो सकें। मेरा दूसरा प्रश्न गंगा नदी के कटाव से संबंधित है।

विदेशी मुद्रा के संबंध में माननीय वित्त मंत्री सभा में मौजूद हैं। मैं इस प्रश्न को दोहरा रहा हूं। रिजर्व बैंक द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। महोदय, उत्तरी बंगाल पूर्णत: भारत का भाग है। पूर्वोत्तर क्षेत्र भी पूर्णत: भारत का भाग है। परन्तु, हम अन्य मामलों में व्यस्त हैं तथा इन लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं, परिणामस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण वहां पर तस्करी संबंधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियां में शामिल लोगों की संख्या बढ़ रही है। वे लोग आतंकवादियों की सहायता कर रहे है। हम यह चाहते हैं कि सरकार उत्तरी बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे और विशेष संरक्षण तथा विशेष पैकेज प्रदान करे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मुझे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला है। आपके अनुरोध के उत्तर में मैं सभा के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि एन. डी. ए. सरकार के कार्य काल के दौरान मैंने इन मामलों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था। मुझे पूर्व सरकार से कोई मौखिक आश्वासन तक प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही हमारी सरकार बनी मैंने भू कटाव के मुद्दे को उठाया। भारत सरकार ने राज्य सरकार की सहमति से पहली बार मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों स्थानों

पर फरक्का बांध भू कटाव प्रबंधन कार्य का विस्तार किया। हमने लगभग एक-चौथाई समस्या का समाधान कर लिया हैं हमने पंचनंदपुर में एक बड़ी समस्या का समाधान कर लिया है।

अन्य आर्थिक सहायता के संबंध में मैंने दो महीने पहले एक ज्ञापन भेजा था तथा प्रधानमंत्री सक्रिय रूप से उस पर विचार कर रहे हैं।

मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि उत्तरी बंगाल के लोगों को न्याय दिलाने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार दोनों को सम्मिलित करते हुए इस सरकार द्वारा तत्काल एक आर्थिक पैकेज प्रदान किया जाएगा।

अपराह्न 1.21 बजे

(तीन) वन भूमि पर आदिवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए विधान लाए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आदिवासी आंदोलित हैं। देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा कि कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आदिवासियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। बेतूल, हारदा, होशंगाबाद, धाड़वाधार एवं जितने भी आदिवासी इलाके हैं, वहां सब आदिवासियों ने मिल कर प्रदर्शन किया और यह मांग की कि सरकार आदिवासियों के जंगलों पर पुनर्वास का जो विधेयक लाना चाहती थी, सरकार वह विधेयक इस सत्र में क्यों नहीं ला रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता थी कि जो जंगल की जमीन है, उस जंगल की जमीन पर आदिवासियों के पुनर्वास का काम करेगी। यह बिल पेश भी हुआ और फिर उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश हुए भी तीन महीने हो गए, लेकिन वह बिल इस सत्र में पेश नहीं किया गया। यह बहुत गंभीर मामला लगता है, यह सरकार गरीबों और आदिवासियों के सवाल पर गंभीर नहीं है। सरकार की प्रतिबद्धता है, उसके बावजूद भी इस सत्र में आदिवासियों के पुनर्वास का बिल नहीं लाया गया। यहां संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं, इसलिए हम इनसे जरूर यह जानना चाहेंगे कि सरकार इस सत्र में उस बिल को क्यों नहीं ला पाई, उसके क्या कारण हैं? सरकार उस बिल को कब लाने वाली है?...*(व्यवधान)* जंगल की जमीन पर आदिवासियों के पुनर्वास का जो विधेयक था, जेपीसी ने विचार करने के बाद उसे आपके पास भेज दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की प्रतिबद्धता थी कि इस सत्र में उस बिल को लाएंगे, सरकार वह बिल क्यों नहीं ला पाई, सरकार वह बिल कब लाने वाली है, मंत्री जी, आप यह बताएं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और हमने इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी बुलाई है। कुछ ट्राइबल के लोग बैठे हुए हैं और जो नॉन ट्राइबल के हैं, उन लोगों में संतुलन करके, कैसे इस बिल को लाया जाए, उसके बारे में सरकार जल्दी से सख्त कदम उठाएगी। मुझे आशा है कि इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): आप इसके लिए कोई टाइम-बाउंड बताइए?...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब संसदीय समिति की संस्तुतियां मंत्रालय को मिल चुकी हैं, तो फिर आदिवासियों को उनकी जमीनों पर बसाने हेतु विधेयक लाने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस संबंध में इसी साल में सब कुछ हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हेमलाल मुर्मू-उपस्थित नहीं। अब श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वीरेन्द्र कुमार के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान केरल के नारियल उत्पादकों की गंभीर स्थिति और दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। केरल में 60 लाख से अधिक परिवार जो कि नारियल की कुल कृषि के 42 प्रतिशत एकड़ भाग में कृषि करते हैं, की नारियल और उसके सह-उत्पादों के लाभकारी मूल्यों के निर्धारण में भागीदारी होती है। इनके मूल्यों में कमी आ रही है। वर्ष 2005 में बिना जटा वाले प्रति 1000 नारियलों के औसत मूल्य 6638 रुपये की तुलना में इसका मूल्य घटकर 3500 रुपये हो गया।

1 जुलाई, 2006 से प्रभावी 'साफ्टा' और 1 जनवरी, 2007 से लागू होने वाले 'आसियान' जैसे एफ टी ए के कार्यान्वयन से इस विपत्ति को और बढ़ावा मिलेगा। अनुभव यह दर्शाता है कि ऐसे व्यापार समझौतों के कारण हुए अनियंत्रित आयात से किस प्रकार मूल्यों में भारी कमी हो सकती है। वर्ष 2000 की 'एक्सिम' पालिसी के परिणामस्वरूप नारियल का मूल्य जनवरी, 2000 में प्रति 1000 नारियल 5050 रुपये से कम होकर वर्ष 2001 में प्रति 1000 नारियल 2446 रुपये हो गया।

जब तक सरकार कुछ उपाय लागू करने की राजनैतिक इच्छाशक्ति नहीं दर्शायेगी तब तक केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त होती रहेगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्री का ध्यान मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया के इस मनमानेपन के कारण उत्तर प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की भीषण समस्या का सामना करना पड़ेगा।

महोदय, उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 17 करोड़ से अधिक आबादी निवास करती है। इतनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने मनमाने तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी है या उनके पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षाओं में प्रवेश को बाधित कर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से आता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें पी.जी. क्लासेस में स्टूडेंट्स के प्रवेश को प्रतिबंधित किया है।

महोदय, बी.आर.डी. कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 4 करोड़ जनता एवं पड़ोसी राज्य बिहार तथा नेपाल की लगभग 2 करोड़ जनता लाभान्वित होती है। उस क्षेत्र में हजारों लोग जापानी इनसिफेलाइटिस एवं वायरल इनसिफेलाइटिस नामक जीवाणु जनित बीमारियों के इलाज के अभाव के कारण असमय कालकवलित हो रहे हैं।

महोदय, अगर पी.जी. कोर्सों के प्रवेश को बंद कर दिया जाएगा, तो बी.आर.डी. कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह लड़खड़ा जाएंगी। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की इस मनमानी पर रोक लगाई जाए। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने जो कारण बताए हैं, उनमें से अधिकतर राज्य सरकारों से संबंधित हैं कुछ में राज्य सरकार ने टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की है और कुछ पर नहीं कर पा रही है। लेकिन राज्य सरकार की गलती का खामियाजा वहां की जनता को भुगतने दिया जा सकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ओर मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: केवल एक मामला उठाया जा सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: बहुत से ऐसे कोर्सिज हैं, जो एमसीआई के सभी मानकों को पूरा करते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, कार्यवाही, वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: मेडिकल कालेजों में पीजी की मान्यता समाप्त करके प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, उसको अविलम्ब हटाया जाए और जो स्वास्थ्य सेवाएं इसके कारण लड़खड़ाने लगी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं, उसके लिए अपनी ओर से व्यवस्था करके वायरल इन्फलाइटिस और जापानी इन्फलाइटिस से पीड़ित मरीजों को पूर्व की भांति सेवाएं बहाल करने की व्यवस्था भी की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शंखलाल मांझी को इस मामले से संबद्ध होने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान हमारे देश के प्रदेशों में लागू की गयी करोड़ों रुपये की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में दिलाना चाहता हूं।

महोदय, इस योजना के तहत विभिन्न प्रदेशों में अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में इस स्कीम के तहत नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया गया है। इस कंपनी ने अपने अधीन छोटे-छोटे ठेकेदारों को काम पर लगाया है। इससे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का सत्यानाश किया जा रहा हैं घटिया माल और मानकों के विपरीत काम और तमाम तरीके की कमजोरियों के कारण कहीं यह ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जानलेवा योजना न बन जाए। इस ठेकेदारी प्रथा के तहत जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की गयी है, इसको कोई सरकार की एजेंसी देखने वाली नहीं है। मानकता और गुणवत्ता के विपरीत काम हो रहा है। कहीं-कहीं इन योजना के अंतर्गत भारी लूट मची हुई है। घटिया किस्म के सामान लगाए जा रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इतनी बड़ी योजना में, जिसमें इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इस योजना के लिए कोई तकनीकी कमेटी नियुक्त करके, खास तौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और फैजाबाद जैसे जनपदों की जांच की जा सकती है, जो कि इसका जीता-जागता उदाहरण है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस योजना की तकनीकी जांच करवायी जाए।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उन बेरोजगारों के साथ हरियाणा में धोखा हुआ है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। एग्रो वेस्ट भारत का उपक्रम नाम से एक संस्था बनायी गयी और सैंकड़ों-हजारों नौजवानों से एप्लीकेशन और पैसे लेकर उनको एपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। लेकिन वह संस्था फेक थी और इंक्वायरी में आया है कि उसका*

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे मामले की सीबीआई से इन्क्वायरी हो, हजारों बच्चों से जो पैसे लिए गए हैं, वह उनको वापस किए जाएं और जो*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं सभा के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मामला लाने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमने विद्युत विनियामक प्राधिकरण अधिनियम पारित किया है। इसे पारित किए जाने के समय मैंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि विद्युत उत्पादन और वितरण समवर्ती सूची का एक विषय है। मेरा यह मानना है कि कोई ऐसा कानून जो सबके लिए अनिवार्य हो पारित किए जाने पर हमारे संविधान के संघात्मक स्वरूप को निश्चित रूप से सीमित करेगा।

केरल राज्य में हम बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (के एस ई बी) लाभ अर्जित कर रहा है। अब इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, बोर्ड को विघटित करके हमें तीन पृथक इकाइयों का गठन करना होगा. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे आपका ख्याल है।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): मुझे पूरे सत्र में जीरो ऑवर में बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं सदन से जा रहा हूं।

अपराह्न 1.36 बजे

(इस समय श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: हम यह नहीं जानते हैं कि यह कहां तक सफल होगा, परन्तु एक बात निश्चित है कि इससे विद्युत उत्पादन एवं वितरण में निजीकरण का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन करने तथा राज्य सरकारों को विद्युत उत्पादन एवं वितरण हेतु अपना स्वयं का बोर्ड स्थापित करने का एक विकल्प प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे तथा यह

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। इसलिए, मैं पुनः सरकार से विद्युत विनियमक अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ का अभी एक प्रकरण प्रकाश में आया है और वह प्रकरण यह प्रकाश में आया कि वहां की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कक्षा पांच पास बच्चों से कार्रवाई जा रही है, जिन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। यह राज्य सरकार का विषय नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन के अंतर्गत सारे विश्वविद्यालय आते हैं और धारा 12 के अंतर्गत यह भी निर्देश है कि तरीके और शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। पर दुर्भाग्य यह है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अंदर हजारों की तादाद में उत्तर पुस्तिकाएं सड़कों पर पड़ी हुई हैं और कक्षा पांच पास बच्चे उनकी जांच कर रहे हैं। जब बच्चों का साक्षात्कार हुआ कि तुम कक्षा पांच पास हो, फीजियोथैरेपी क्या है, जानते हो तो बोले कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिस उत्तर पुस्तिका में अच्छा लेख लिखा है, उसको हमने ज्यादा नम्बर दे दिये हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके साथ समस्याएं पैदा हो रही हैं। दुर्भाग्य यह है कि कुलपति, जो विश्वविद्यालय के संरक्षक हैं, वे राजनीति में पड़े हैं और राजनैतिक आधार पर वे कोर्ट फैसला नहीं ले रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस गंभीर मामले में, क्योंकि इस शिक्षण संस्था की सारी डिग्रियों के ऊपर प्रश्नचिन्ह लग गया है और भविष्य में बच्चों के लिए समस्या पैदा हो रही है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसकी जांच सी.बी.आई. से करवाये और यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन इसको अपने स्तर पर लेकर उपयुक्त फैसला करे, जिससे बच्चों का भविष्य निर्धारित हो सके।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे स्पेशल मेंशन पर बोलने के लिए समय दिया। पूरे देश में लाखों शिक्षा मित्रों की समस्या की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

विगत 5-6 वर्षों से, चाहे वह स्कूल चलो अभियान हो या सर्व-शिक्षा अभियान हो, ये शिक्षा मित्र और ये योजनाएं शिक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। लेकिन इन शिक्षा मित्रों का भविष्य असुरक्षित है। 18 से 35 वर्ष आयु और मैरिट के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन प्रधान प्रधानाध्यापक, अभिभावक, ए.बी.एस.ए और बी.एस.ए. गांव की आपसी गुटीय राजनीति के कारण इनकी पुनर्नियुक्ति में धन की मांग की जाती है, इनका शोषण होता है। जहां तक मानदेय का भुगतान है, 2400 रुपये प्रतिमाह इन्हें मानदेय मिलता है, लेकिन 6 माह, एक वर्ष बाद इनको किश्तों में मिलता है, जब टोटल 14 हजार रुपये हो जाते हैं तो प्रधान सोचता है कि इनको बहुत अधिक मानदेय मिल रहा है तो इसमें भी पैसे की डिमांड की जाती है, इसलिए इनके मानदेय को बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी बात...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: दूसरी नहीं, एक बार में एक ही बात होती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: घर का खर्च, माता-पिता के इलाज का खर्चा, देख-भाल तमाम तरह के खर्च होते हैं। तमाम शिक्षण संस्थाओं में पैरा टीचर्स को इनसे ज्यादा अच्छा मानदेय मिलता है। अवकाश के नाम पर, चाहे वह आकस्मिक अवकाश हो या चिकित्सा का अवकाश हो या महिला मित्रों को प्रसूति का अवकाश हो, इनको बिल्कुल नहीं मिलता, इस तरह से इनका शोषण होता है। उपरोक्त अवकाश लेने पर इनका मानदेय काट लिया जाता है, यह एक दुर्भाग्य की बात है।

दूसरी बात, बहुत सी अविवाहित महिलाएं हैं, जो शिक्षा मित्र की नौकरी करती हैं, उनको भी जब सरकार शादी हेतु अनुदान देती है...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं मेरा लास्ट पाइंट है। गरीब महिलाओं को सरकार शादी हेतु अनुदान देती है, लेकिन जब उनकी कहीं शादी हो जाती है, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि शिक्षा मित्रों की मूलभूत समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि वे शिक्षा जगत से जुड़कर देश की अच्छी तरह से सेवा कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा में उपस्थित नहीं था तथा मैं अपने कक्ष में टेजीविजन पर सदन की कार्यवाही देख रहा था। एक विशिष्ट सदस्य, श्री अविनाश राय खन्ना ने 'शून्यकाल' में हस्तक्षेप करते हुए सरकार के एक मंत्री के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाया था। सभा का नियम यह है कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाना है तो इसका पर्याप्त सबूत होना चाहिए तथा इसे अध्यक्ष के कार्यालय

को दिया जाना चाहिए तथा मंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए एक नोटिस दिया जाएगा। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चूंकि यह सभा की प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया, इसलिए, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही वृत्तांत का अवलोकन करूंगा तथा यदि इसके कुछ अपमानजनक पाया गया तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने विशेष रूप से उनके नाम का उल्लेख नहीं किया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही वृत्तांत का अवलोकन करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। यह छात्रवृत्ति परियोजना नौवीं पंचवर्षीय योजना से पहले से चल रही है और राज्य सरकार द्वारा नौवीं योजना की समाप्ति तक इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात, इस योजना में छात्रवृत्ति संबंधी सभी मामले उपकरणों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जानी है। केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करने की योजना राजस्थान में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गयी थी। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कोई देनदारी नहीं है और पूरी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए अपने अंशदान की पूरी धनराशि दे रखी है और केन्द्र सरकार से दोनों योजनाओं में जो धनराशि नहीं मिल पा रही है, इसकी मांग बार-बार की है।

अंत में मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां देने के लिए जो धनराशि बकाया है, वह दे।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैटर्स आफ अरजेंट पब्लिक इंपोर्टेंस शाम को लिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.42 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 15, नामत: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए, तथा वे सभा की कार्यवाही का भाग बन जाएंगे।

(एक) श्री सिद्धगंगा मठ, तुमकुर, कर्नाटक के मठाधीश डा. शिव कुमार स्वामी जी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): मैं, तुमकुर मैं श्री सिद्धगंगा मठ के प्रधान तथा कर्नाटक के सच्चे सपूत जगतगुरू डा. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामी जी को मानवता के प्रति सच्ची सेवा करने के लिए सर्वोच्च असैनिक सम्मान 'भारत-रत्न' देने के लिए सरकार से सिफारिश करने का अनुरोध करती हूं।

सिद्धगंगा मठ, वीर-शैव धार्मिक मठ का एक प्रतिष्ठित मठ है, जो कि 12वीं शताब्दी से वाचन कारा बासवन्ना की समानता, जाति रहित समाज तथा धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा और पद्धतियों का प्रचार करता आ रहा है। डा. स्वामीजी एक महान आत्मा थे, जहां "स्वर्ण कर्नाटक"-2006 में उनका स्वर्ण जन्म शती वर्ष मनाया जा रहा है। तुमकुर सिद्धगंगा मठ 'दशोहा' अर्थात् सैकड़ों ग्रामीण गरीब भूखे बच्चों को मुफ्त भोजन खिलाने तथा उन्हें नि:शुल्क छात्रावास और शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है।

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति डा. कलाम ने मानव जाति के प्रति उनकी निष्काम सेवा के लिए उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान तथा उनकी सराहना की है। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में मैं भारत सरकार को इस महान व्यक्तित्व के प्रति लिंगायत समुदाय की भावना से परिचित कराना चाहती हूं। मैं आशा करती हूं कि भारत सरकार 'भारत रत्न' सम्मान के लिए डा. शिवकुमार स्वामी जी के नाम की सिफारिश कर उनके साथ न्याय करेगी।

---

*सभा पटल पर रखे गये।

(दो) रेल बजट (2006-2007) में यथाप्रस्तावित भुज-बरेली एक्सप्रेस को शीघ्र शुरू करने तथा राजस्थान में राजगढ़ स्टेशन पर ठहराव बहाल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, वर्ष 2006-07 के रेल बजट में भुज-बरेली एक्सप्रेस की सप्ताह में तीन दिन प्रारंभ करने की घोषणा की गयी थी। वर्तमान में एक अन्य ट्रेन इसी मार्ग पर न्यू भुज-बरेली सप्ताह में तीन दिन उपलब्ध है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो नयी घोषित ट्रेन, पुरानी चल रही ट्रेनों के फेरों में तीन दिन की और वृद्धि है। खेद का विषय है कि बजट में छः माह बाद भी यह ट्रेन अब तक शुरू नहीं हो पायी है। अतः रेल मंत्रालय से निवेदन है कि इस नई ट्रेन को शीघ्र प्रारंभ करें ताकि दिल्ली-जयपुर के बीच दिन के समय एक ट्रेन और उपलब्ध हो सके।

गत कई सालों से सप्ताह में तीन दिन चलने वाली बरेली-न्यू भुज ट्रेन का राजगढ़ स्टेशन पर ठहराव आते व जाते दोनों समय पर था। मगर गत वर्ष से इस ट्रेन का बरेली से न्यू भुज जाते समय का ठहराव बंद कर दिया गया जिससे क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि पूर्व की भाँति राजगढ़ में आते जाते समय ठहराव सुनिश्चित करें तथा नयी प्रस्तावित रेल में भी राजगढ़ स्टेशन पर दोनों समय ठहराव दिया जाये।

(तीन) आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के लिए और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बाडिगा रामकृष्णा (मछलीपत्तनम): आंध्र प्रदेश देश के सफल राज्यों में से एक राज्य है जिसने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्वाधिक परिणाम प्राप्त किए हैं। नए खोले गए विद्यालयों/उन्नयन किए गए विद्यालयों की संख्या 7810, ब्रिज कोर्स के तहत ग्रामीण किए गए बच्चों की संख्या 3,22,322; 5776 अतिरिक्त कक्षाओं, 4000 शौचालयों तथा 4261 विद्यालयों में पेयजल सुविधाओं सहित अब तक निर्माण किए गए विद्यालय भवनों की संख्या 4153 है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में 10% की कमी आई है तथा नए दाखिले की दर 95% तक पहुंच गई हैं वास्तव में, पढ़ाई जारी रखने वाले बच्चों की दर कम है। बालिकाओं को पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों की भाषा में सुधार कार्यक्रम सहित राज्य सरकार 8वीं, 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं में पढ़ने वाली बालिकाओं को 50, 75 तथा 100 रुपये प्रदान कर रही है। दोपहर के भोजन की योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष भारत सरकार को 131 करोड़ के आबंटन के अतिरिक्त 240 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

इसलिए, सर्व शिक्षा अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंध प्रदेश सरकार उच्चतम प्राथमिक विद्यालय तथा बाद में उच्च विद्यालयों में भी दोपहर के भोजन के योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के परिणामस्वरूप, उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा छठी तथा सातवीं कक्षा तक दोपहर के भोजन की योजना पहुंचाने के राज्य सरकार के निर्णय के लिए अवसंरचना सृजित करने की आवश्यकता है, इसके लिए वित्त की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में प्रथम राज्य बनने के आंध्र प्रदेश के स्वप्न को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) बनासकांठा, गुजरात तथा देश के अन्य भागों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, देश के कई क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए हैं और इन पिछडे क्षेत्रों के विकास नहीं होने के कारण देश का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है। इन क्षेत्रों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है जिसके कारण देश में कई आर्थिक समस्याओं खड़ी हुयी हैं तथा लोग एक क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं उसी तरह से सरकार को भी इन पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा गुजरात का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति को अच्छा भोजन दिया जाता है और उस पर खर्चा किया जाता है। उसी तरह से सरकार को पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

सरकार से अनुरोध है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु बजट में प्रावधान किया जाये और बराबर इस बात का ध्यान रखा जाये कि संतुलित विकास कार्य ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं।

(पांच) हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य में चयनित क्षेत्र के प्राचीन सौन्दर्य को बहाल करने के लिए वन क्षेत्र का संरक्षण करना तथा उसमें वृद्धि करना है जिससे उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की अवधि में वृद्धि होगी निचले राज्यों को पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हो सकेगा और स्थानीय क्षेत्र का पर्यावरण भी बेहतर होगा। वर्ष 2020 तक 5,000 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र में पौध रोपण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इसका आशय है कि अगले बीस वर्षों में प्रतिवर्ष 25,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में पौध रोपण किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ, हिमाचल इकोलॉजिकल टीए बटालियन की स्थापना जरूरी हो गई है जो हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करने वाली बहुस्तरीय और जटिल वैश्विक समस्याओं के दृष्टिगत न केवल यह कार्य कर सकती है, अपितु सेवा को राज्य संबंधी कार्यों से मुक्त कर सकती है और समुदायों के जीवन को प्रभावित करने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आवश्यक सेवाओं की बहाली में सिविल प्रशासन की सहायता कर सकती है और शांति के समय में राज्य में पारिस्थितिकी संरक्षण के कार्य में राज्य सरकार की सहायता कर सकती है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि यथाशीघ्र हिमाचली इकोलॉजिक टीए बटालियन की स्थापना की जाये।

(छह) जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में "मधवालिया गौसदन" को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में लावरिस तथा बीमा पशुओं के लिये आश्रय स्थल, चारा-पानी, दवा तथा बीमार पशुओं को लाने ले जाने के लिये एम्बुलेंस जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप घायल अथवा बीमार होने पर पशुओं को लाने ले जाने में जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं अनेक बार समय पर इलाज न मिलने के कारण पशु घटना स्थल पर ही अथवा रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं अक्सर पशु घूमते हुए वाहनों से ठकरा कर घायल होकर सड़क पर पड़े रहते हैं तथा घंटों उनको उठाया नहीं जाता जिससे न केवल यातायात में बाधा आती है बल्कि बीमारी फैलाने की भी आशंका बनी रहती हैं इस जनपद में मधवालिया गोसदन है। जहां पर सुविधा के अभाव में पशुओं को रखने में कठिनाई हो रही है। अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मधवालिया गोसदन में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा वहां आश्रय स्थल निर्माण, चारा, पानी, दवा तथा बीमार पशुओं को ले जाने के लिये एम्बुलेंस आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।

(सात) विदर्भ, महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, विदर्भ के चन्द्रपुर, गडचिरोली तथा यवतमाल जिले बाढ़ के भयंकर चपेट में आये हैं अगस्त, 2006 के प्रथम सप्ताह में लगातार अतिवृष्टि तथा बांधों से छोड़े गये पानी के कारण इस बार बाढ़ भीषण विभीषिका का रूप ले चुकी है। इस बार की बाढ़ में सैंकड़ों की संख्या में लोगों तथा हजारों की संख्या में वेशियों की मृत्यु हुयी है। हजारों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं, बाढ़ का पानी गांवों तथा शहरों में घुसने से मकानों को क्षति पहुंची तथा घर ध्वस्त हुए। लोगों को जानमाल की हुई हानि को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तथा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा राहत तथा पुनर्वास कार्य की गति बेहद धीमी हैं आज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है, जिनके घर ध्वस्त हुए वे बेघर लोग बसेरे की आस में प्रशासन के सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण उन्हें तत्काल आवास उपलब्ध कराने में सरकार नाकाम सिद्ध हो रही है। बाढ़ क्षेत्रों में कृषि को भारी नुकसान हुआ है, विदर्भ के बदहाल किसानों पर इस प्राकृतिक आपदा के कारण कहर टूटा हैं विदर्भ क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र में बाढ़ की चपेट में 3 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल बरबाद हुयी। 29 जिलों में 3500 गांवों को और अनेक शहरों को बाढ़ ने चपेट में लिया। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से मांगी गयी 500 करोड़ रुपए की राहत निधि बहुत कम है। 2000 करोड़ रुपए की राहत निधि राज्य को भेजें तथा जिनके मकान ध्वस्त हुए उन्हें पुनर्वास व प्रतिपूर्ति हेतु शहरी व ग्रामीणों को विशेष रूप से बाल्मिकी अम्बेडकर योजना तथा राष्ट्र सम विकास योजना से आवास बनवा कर देने की मैं मांग करता हूं।

(आठ) संविधान में निहित सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करके व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चिता करने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के साथ व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त करने का निश्चय व्यक्त किया है।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

आज भी देश के करोड़ों लोग सामाजिक आर्थिक न्याय से वंचित हैं तथा राजनैतिक न्याय को सम्पूर्णता नहीं है। सम्मान और प्रतिष्ठा का जीवन प्रत्येक को कैसे मिलेगा यह सुनिश्चित नहीं है और कहीं तो है ही नहीं है। इस अभावग्रस्तता और अन्याय से मुक्ति का उपाय कैसे हो इसकी कार्य योजना ओर कार्यान्वयन आवश्यक है।

बेरोजगारी, अपूर्ण रोजगार से गरीब का गुजारा नहीं हो रहा है। ऐसी असहाय और निर्बल स्थिति से करोड़ों देशवासियों को उबारने और उन्हें प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अवसर देने के लिये समग्र उपाय रोजगार, अच्छा आवास, सुस्वास्थ्य की सहायता और भेद बिना शिक्षा, अर्थात गांव की और शहरी शिक्षा के स्तर में अंतर का न होना आवश्यक है।

अतएव केन्द्र सरकार व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने के विविध उपाय सुनिश्चित करें।

(नौ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिन्दू देवताओं के विरुद्ध प्रयुक्त आपत्तिजनक वाक्यांशों को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन विश्वविद्यालय द्वारा, एम.ए. इतिहास एवं राजनीति शास्त्र के भारत के धार्मिक चिंतन एवं आस्था नामक पुस्तक में हिन्दू धार्मिक आस्था के प्रतीक भगवान शंकर एवं जगत जननी माता दुर्गा के बारे में जिस तरह से आपत्तिजनक कई उद्धरण पाठ्यक्रम में शामिल किये गये हैं, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

मानव संसाधन मंत्री ने 19.7.2006 को आपत्तिजनक उद्धरणों को पाठ्यक्रम से हटाये जाने का बयान दिया था। 20.7.2006 को वि.वि. में कुलपति ने उक्त आपत्तिजनक उद्धरण की समीक्षा करने हेतु एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आयी।

उक्त आपत्तिजनक उद्धरण न सिर्फ हिन्दी की पुस्तक में बल्कि अंग्रेजी की भी किताब में इसी तरह के उद्धरण हैं, अब तक 15 हजार से अधिक छात्रों को देश भर में हिन्दी एवं अंग्रेजी की पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। इस शीर्षक को लिखने वाले इसी वि.वि. के इतिहास के प्रोफेसर हैं।

मुझे लगता है कि यह अत्यंत गंभीर मामला है, लगातार हिन्दू आस्था के प्रतीक देवी देवताओं के विरुद्ध सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने की नीयत से यह किया जा रहा है। इसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

मेरी मांग है कि तत्काल ऐसे आपत्तिजनक उद्धरण को पुस्तकों से हटाया जाये।

(दस) सारंगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गुहाराम अजगल्ले (सारंगढ़): महोदय, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बलौदा बाजार, कसडोल, गिधौरी, भटगाव, सारंगढ़ और झाड़ सुगाड़ा में नयी रेल लाइन का सर्वे पूर्व में किया गया था। मान्यवर सारंगढ़ लोक सभा क्षेत्र का क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण में 250 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सारंगढ़ लोक सभा क्षेत्र में चार जिले आते हैं लेकिन रेल लाइन इस लोक सभा क्षेत्र को कहीं से भी टच नहीं करती है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि इन क्षेत्रों को भी रेल लाइन से जोड़ा जाये।

माननीय महोदय, आपके माध्यम से मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि नयी रेल लाइन कार्य योजना में इसे प्राथमिकता क्रम में रखने की कृपा करेंगे।

(ग्यारह) केरल में कालीकट विमानपत्तन में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी.के. हमजा (मंजरी): भारत सरकार ने मार्च, 2006 में कालीकट विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया था। यह स्वागतयोग्य है। लेकिन विमानपत्तन में अवसंरचनात्मक सुविधाएं अपर्याप्त हैं। मंत्रालय और विमानपत्तन प्राधिकरण ने सितम्बर, 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल, बहुस्तरीय कार पार्किंग, स्वचालित सीढ़ी आदि सुविधाएं मुहैया कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। ये कार्य शुरू हो चुके हैं लेकिन प्रगति बहुत धीमी है, हालांकि यह काम भारत में ठेके पर काम करने वाली अग्रणी कंपनी एल एण्ड टी द्वारा किया जा रहा है।

अत: मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने करने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को चौड़ा करने की परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 को चार लेन वाला बनाकर चौड़ा करने संबंधी परियोजना बिना

क्रियान्वयन के पिछले कई वर्षों से लंबित है। इस बीच कई मीडिया समूहों से विभिन्न खबरें आ रही हैं कि मंत्रालय अपने पहले के प्रस्ताव में कुछ संशोधन कर रहा है। कई वर्ष पहले शुरू की गई अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण हेतु चिन्हित की गई थी इन्हें प्रस्ताव के अंतिम रूप की पुष्टि न होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से अधिग्रहण को अंतिम रूप देने और राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चार लेने बना कर उसे चौड़ा करने संबंधी घोषणा का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) खंजरपुर तथा भंगारी के निवासियों को आवाजाही पर सेना द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उनके सामने आ रही समस्याओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हरिद्वार में रुड़की के ग्राम भगेड़ी महावतपुर की आबादी लगभग 13,000 के करीब है। इस गांव के तीन तरफ सेना की भूमि है जो कभी इसी गांव की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, किन्तु सेना द्वारा इन खंजरपुर बाजार और ढडेरा रेलवे स्टेशन के रास्तों पर आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। जिससे ग्रामवासियों को आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना होता है क्योंकि सेना के अधिकारियों द्वारा उनका परिचय दिखाने के लिए कहा जाता है।

अत: महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि ग्रामवासियों को खंजरपुर और ढडेरा रेलवे स्टेशन आने जाने में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त दोनों मार्गों को सेना के प्रतिबंध से मुक्त रखा जाना चाहिए।

(चौदह) बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव (बांका): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बांका देश का अत्यंत पिछड़ा जिला है जिसकी लगभग सारी आबादी जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और यहां पर रहने वाले अत्यंत गरीबी की अवस्था में जी रहे हैं शिक्षा के नाम पर कोई भी बड़ा कॉलेज और पर्याप्त स्कूल नहीं है। गरीबी एवं बेरोजागरी की वजह से यहां के नौजवान नक्सलवादी गतिविधियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इन सब कारणों से इस क्षेत्र में नक्सलवादी ताकतें बढ़ रही हैं जिसके कारण मानवीय अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों का बुरी तरह से हनन हो रहा है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के प्रभावशाली प्रायोजित कार्यक्रम का फायदा यहां के लोगों को नहीं मिल रहा है और यहां के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लाभ से यहां के लोग पूरी तरह से वंचित हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बांका संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू किया जाये जिससे यहां के लोगों को विकास का अवसर मिल सके।

(पन्द्रह) बाराबंकी रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों के पर्यावरण के संरक्षण के लिए बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर कोयले की उतराई रोके जाने की आवश्यकता

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी): महोदय, माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान बाराबंकी जिले के एन.इ.आर तथा एन.आर. की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि रिहायशी इलाकों में खानों से कोयला बाराबंकी के रेलवे स्टेशनों पर उतारा जाता है, जिससे रिहायशी इलाकों में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लोगों को विभिन्न प्रकार के दमा, श्वास संबंधी अनेक बीमारियां हो रही हैं। सन 1965-70 के दशक में एन.इ.आर ने पूर्वोत्तर रेलवे के किनारे ऊंचाई बढ़ाकर रेलवे लाइन डाली थी, जो रद्द हो गया। इसलिए मंत्री जी आपसे अनुरोध के साथ कहना है कि कोयले के रैक को एन.इ.आर तथा एन.आर. के रिहायशी इलाकों से हटाकर पूर्वोत्तर रेलवे के किनारे जो सन 1965-70 के दशक में रेलवे लाइन डाली गयी थी, उस पर मरम्मत कराकर कोयले का रैक उतारा जाये और रेलवे पर वित्त का अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा।

(सोलह) महाराष्ट्र में नांदेड़ और पुणे के बीच प्रतिदिन रेल चलाए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): महोदय, नांदेड से पुणे के बीच सप्ताह में दो दिन रेल सेवा चल रही थी जिसे सप्ताह में अब एक बार कर दिया है, मराठावाड से पुणे जाने वाली यह एक ही गाड़ी है रेल सेवा के न होने से लोगों को बसों में ही जाना पड़ता है। परभनी एवं नांदेड से औरंगाबाद, जालना एवं पूणे के बीच दो सौ बसें चल रही हैं। जानकारी में आया है कि बस ऑपरेटरों एवं डी आर एम नांदेड़ के बीच गुप्त समझौता हुआ है जिससे नांदेड एवं पुणे के बीच रेल सेवा को सप्ताह में एक बार चलाने का निर्णय डी.आर.एम ने किया है। नांदेड एवं पुणे के बीच रेल सेवा के पर्याप्त न

[श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील]

होने पर लोगों को बस से यात्रा करनी पड़ेगी। अगर यह सेवा रोजाना चले भी तो लाभदायक रहेगी। क्योंकि इन मार्गों पर यात्रियों की संख्या ज्यादा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि नादेड़ एवं पुणे के बीच सप्ताह में एक दिन चलने वाली रेल सेवा को रोजाना चलाया जाये।

(सत्रह) स्थानीय चैकों की दो कार्यदिवसों तथा बाह्य चैकों का चार से छह कार्यदिवसों के अंदर समाशोधन करने के लिए मानदंड बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गये चैकों के समाशोधन में अत्यधिक विलम्ब कर सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक हजारों करोड़ रुपये कमा रहे है और वर्ष 2005-06 में बैंकों को इससे 3726 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आई एस आई) और भा.रि.बैं. के सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग द्वारा कराए गये एक अध्ययन में यह तथ्य उजागर हुआ हैं इसमें कहा गया है कि बैंकों को 13 हजार लाख चैकों से 113,37,000 करोड़ रुपये की आमदनी हुई क्योंकि बैंकों ने ग्राहकों द्वारा जमा कराये गये 50% चैकों का पूरा लाभ उठाया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 2004 से बैंकों को चैकों के मुद्दे पर अपनी नीतियां बनाने की स्वतंत्रता दे दी है। लेकिन अधिकांश बैंकों ने चैक संग्रहण नीति नहीं बनाई है और 55537 बैंक कार्यालयों या शाखाओं को इस नीति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इस अव्यवस्था से समय के अंदर अपनी ही विधियों के उपयोग के ग्राहकों के अधिकार का उल्लंघन हुआ हैं हालांकि 15,000 रुपये तक के चैक की राशि खाते में तुरन्त जमा हो जाती है परन्तु ऐसा केवल 2 से 5% मामलों में ही होता है। 15 से अधिक बैंक चैकों के तुरन्त समाशोधन के लिये अतिरिक्त प्रभार लगाते हैं। यह सभी बैंक विनियमों का उल्लंघन है।

बाहर के चैकों का समाशोधन ग्राहकों के लिए भारी मुसीबत बन गया है। दो राज्यों की राजधानियों के बीच चैकों का समाशोधन जहां 10 से 14 दिन में होता है, वहीं दूर-दराज के चैकों के समाशोधन में महीनों लग जाते हैं।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्थानीय चैकों का दो दिन और बाहर के चैकों का चार से छह कार्यदिवसों में समाशोधन करने संबंधी नियम बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक पर दबाव डाले। इंटरनेट बैंकिंग और समुचित प्रौद्योगिकी उपकरणों के आने से अधिकांश बैंक बाहर के चैकों का समाशोधन तुरन्त कर सकते हैं, जो वे फिलहाल नहीं करते हैं।

(अठारह) आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता

श्री के. सुब्बारायण (कोयम्बटूर): वर्ष 2000 में आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने के 6 साल बाद, सरकार ने 17 मई, 2006 से पुनः प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का दावा है कि यह प्रतिबंध आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए लगाया गया है। लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कोई अध्ययन नहीं हुए कि देश में आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं। इसके बजाय ऐसे चिकित्सा अनुसंधान हुए हैं, जिनसे आयोडीन के निरंतर अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों का पता चलता है। आयोडीनयुक्त नमक की तरफ झुकाव का एक विशिष्ट पहलू व्यावसायिक है। नमक के मूल्यों में भारी वृद्धि के अलावा आयोडीनीकरण स्थापित ब्रांडों के साथ असमान प्रतिस्पर्धा में छोटे विनिर्माताओं को सामने लाएगा। छोटे विनिर्माता निश्चित रूप से इस प्रतिस्पर्धा को नहीं झेल पायेंगे और इस उद्योग में लगे लगभग एक लाख कामगारों की रोजी-रोटी छिन जाएगी।

इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन 12 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन केवल 150 मि.ग्रा. आयोडीन खाने की सिफारिश करता है। यह किसी भी साधारण आहार में मौजूद होता है। इसलिए सरकार का यह दावा कि यह प्रतिबंध आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों की समस्या से निपटने के लिए है, बेमानी है।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आयोडीन रहित नमक पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए।

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन में दुर्गादौनी ज्वारीय विद्युत संयंत्र चालू किए जाने तथा सौर ऊर्जा केन्द्र के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जय नगर): सुन्दरबन इस ग्रह के सबसे बड़े डेल्टा/कच्छ वनस्पति है जिन पर सरकार द्वारा पूरा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सागर द्वीप और गोसाबा द्वीप पहले ही अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा लाभान्वित हैं सुंदरबन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पवन ऊर्जा (54,000 मेगावाट) ज्वारीय लहरों (79,000 मेगावाट) लघु हाइउल (10,000 मेगावाट), बायो-मास (35,000 मेगावाट) और बायो-गैस (एक लाख मेगावाट) जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन की अत्यधिक

संभावना है, जिसे विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुंदरवन में द्वीपों का बहुत बड़ा समूह है और इसलिए इस क्षेत्र में पारंपरिक ऊर्जा को उपलब्ध कराना बहुत कठिन है। सुंदरवन में सौर विद्युत बहुत सफल रही है और इसलिए सरकार को वहां और अधिक सौर विद्युत हेतु सुंदरवन के लिए विशेष पैकेज प्रदान करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि देश में अपनी किस्म के पहले दुर्गादुबानी लघु ज्वारीय विद्युत संयंत्र जो सुंदरवन के दूरस्थ लेकिन अच्छी तरह बसे हुए द्वीपों को विद्युत आपूर्ति करेगा के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां दे दी गई हैं क्योंकि मौजूदा स्थानीय समाधान अपर्याप्त होने के कारण सुंदरवन के लोगों और वहां आने वाले पर्यटकों को विद्युत प्रदान करना बहुत कठिन हो जाता हैं अत: इस परियोजना को त्वरित निष्पादन आरंभ करने के लिए सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दुर्गादुवानी लघु ज्वारीय विद्युत संयंत्र चालू करने और सुंदरवन में सौर विद्युत ऊर्जा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

(बीस) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 20% आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रमश: 15, 7.5 और 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 55 प्रतिशत है। इस प्रकार से तीनों समुदायों की 80 प्रतिशत जनसंख्या है लेकिन इन तीनों समुदायों को केवल 49.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि बीच हुई 20 प्रतितशत जनसंख्या जो स्वर्ण जाति की है, को 50 प्रतिशत सामान्य सीटें मिलती हैं। इसके बावजूद भी आरक्षण का विरोध हो रहा है तथा आरक्षण समर्थकों एवं आरक्षण विरोधियों में संघर्ष होता रहता है एवं जिस जाति को आरक्षण नहीं मिलता है, उसको लगता है कि उन्हें भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश की 20 प्रतिशत स्वर्ण जाति की उसकी जनसंख्या के अनुपात में अर्थात 20 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दिलवाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये ताकि स्वर्ण जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके और देश में आये दिन होने वाले आरक्षण समर्थकों एवं आरक्षण विरोधियों के संघर्ष समाप्त किया जा सके।

अपराह्न 1.44 बजे

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 80(एक) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (*i*) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 3* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (*i*) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री पी. चिदम्बरम]

नया खण्ड 2 क–धारा 3 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 के पश्चात्, निम्नलिखित *अन्त:स्थापित* किया जाए।

2क. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 में–

(क) उपधारा (2ख) के खंड (ग) में, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात–

"(ग) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, जो तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक, बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, चाहे साधारण या अधिमानी शेयरों के लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या निजी स्थापन द्वारा ऐसी रीति के अनुसार जुटाए, जो विहित की जाए, किन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार, सभी समयों पर, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक के साधारण शेयरों वाली समादत्त पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करेगी:

परन्तु अधिमानी शेयरों का निर्गमन, अधिमानी शेयरों का वर्ग, ऐसे अधिमानी शेयरों (चाहे शाश्वत या अमोचनीय या मोचनीय हो) के प्रत्येक वर्ग के निर्गमन की सीमा और उन निबंधनों और शर्तों को, जिनके अधीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ग के अधिमानी शेयर निर्गमित किए जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2खख) और उपधारा (2खखक) में, "लोक निर्गमन द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने" *शब्दों के स्थान* पर, "लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन के द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने" शब्द रखें;

(ग) उपधारा (2ग) में, "लोक निर्गमन द्वारा जुटाई गई" *शब्दों के स्थान* पर, "लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा जुटाई गई" शब्द रखें;

(घ) उपधारा (2ङ) में, निम्नलिखित परन्तुक *अन्त:स्थापित* किए जाएंगे, अर्थात–

"परन्तु तत्स्थानी नए बैंक में किसी अधिमानी शेयर को धारण करने वाले शेयरधारक को केवल ऐसी पूंजी के संबंध में, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के समक्ष रखे गए ऐसे संकल्पों के संबंध में ही मत देने का अधिकार होगा, जो उसके अधिमानी शेयरों से संलग्न अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं:

परन्तु यह और कि कोई अधिमानी शेयर धारक, अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के उसके द्वारा धारित केवल एक प्रतिशत से अधिक अधिमानी शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा।" (3)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 2 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 2क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-3-धारा 9 का संशोधन

संशोधन किया गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाए–

(*ii*) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात–

"(ग) एक निदेशक, जिसके पास वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन या पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव हो, जिसे रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;";

(3) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;'। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 28 में, "(3)" के *स्थान* पर, "(4)" *प्रतिस्थापित किया जाए।* (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5 में, "2005" के *स्थान* पर, "2006" *प्रतिस्थापित किया जाए।* (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित *अन्त:स्थापित किया जाए–*

'(ग) उपधारा (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं *अन्त:स्थापित* की जाएंगी, अर्थात–

"(3ककक) उपधारा (3क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (1) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह बैंक के ट्रैक अभिलेख, सत्य निष्ठा और ऐसे अन्य

मानदंड के, जो इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, आधार पर ठीक और उचित प्रास्थिति वाला व्यक्ति न हो।

(3कख) रिजर्व बैंक, उपधारा (3कक) के अधीन जारी अधि सूचना में ठीक और उचित प्रास्थिति का अवधारण करने वाले प्राधिकारी, ऐसे अवधारण की रीति, ऐसे अवधारण के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषयों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो आवश्यक और उसके आनुषंगिक समझी जाए।"

(घ) उपधारा (3ख) में, "उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "उपधारा (3क) और उपधारा (3कक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। (7)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है–

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंगे बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5—धारा 10 क का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 40 में, "वित्तीय पुनर्संरचना प्राधिकरण," शब्दों के स्थान पर, "प्रशासक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6—नई धारा 10 ख का अंत:स्थापन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 26 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:

"नई धारा 10ख का अन्तस्थापन

6. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10क के *पश्चात्* निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात:–"। (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 27 से 39 का लोप किया जाए। (10)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 से 41 और पृष्ठ 6, पंक्ति 1 से 6 का लोप किया जाए। (11)

पृष्ठ 6, पंक्ति 7 में, "10ग" के *स्थान* पर, "10ख" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (12)

पृष्ठ 6, पंक्ति 8 में, "2005" के *स्थान* पर, "2006" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (13)

पृष्ठ 6, पंक्ति 11 में, "बयालीस दिन" के *स्थान* पर, "तीस दिन" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (14)

पृष्ठ 6, पंक्ति 11-12 में, "बयालीस दिन" के *स्थान* पर, "तीस दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है–

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7—नई धारा 18क का अन्त:स्थापन

कतिपय मामलों में बोर्ड का अतिष्ठित किया जाना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 31 से 43 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

'7. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 18 के *पश्चात्* निम्नलिखित धारा *अन्त:स्थापित* की जाएगी अर्थात्:–

नई धारा 18क का अन्त:स्थापन।

"कतिपय मामलों में बोर्ड का अतिष्ठित किया जाना।

18क. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में या किसी तत्स्थानी नए बैंक के कार्यों का संचालन ऐसी रीति में,

[श्री पी. चिदम्बरम]

जो निक्षेपकर्ताओं या तत्स्थानी नए बैंक के हित के लिए हानिकारक है या किसी नए तत्स्थानी बैंक के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना उचित है तो केन्द्रीय सरकार, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड को, छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगी:

परन्तु निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि, समय-समय पर विस्तारित की जा सकेगी, किन्तु फिर भी कुल अवधि बारह मास से अधिक नहीं होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण पर, रिजर्व बैंक के परामर्श से, ऐसी अवधि के लिए, जो वह अवधारित करे, ऐसे किसी प्रशासक की (जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी न हो) नियुक्ति कर सकेगी, जिसके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखा कर्म में अनुभव हो।

(3) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह समुचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(4) तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड को अतिष्ठित करने का आदेश करने पर, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) अध्यक्ष, प्रबंधन निदेशक और अन्य निदेशक अधिक्रमण की तारीख से उस रूप में अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का जिनका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड या उसकी ओर से या ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जाता है, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा:

परन्तु प्रशासक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगी कि ऐसी शक्ति तत्स्थानी नए बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोक्तव्य है।

(5) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक को, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, रिजर्व बैंक के परामर्श से तीन या अधिक ऐसे व्यक्तियों की समिति का गठन कर सकेगी, जिनके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में अनुभव हो।

(6) समिति ऐसे समयों और स्थानों पर बैठकें करेगी और प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) प्रशासक और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन गठित समिति के सदस्यों का वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और वह संबंधित तत्स्थानी नए बैंक द्वारा संदेय होगा।

(8) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश में यथाविनिर्दिष्ट निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति से पूर्व दो मास के अवसान को या पूर्व, तत्स्थानी नए बैंक का प्रशासक नए निदेशकों का निर्वाचन करने और निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए तत्स्थानी नए बैंक की साधारण बैठक बुलाएगा।

(9) किसी अन्य विधि या किसी संविदा संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अपने पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(10) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक, तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठित किए जाने के पश्चात् तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।"।(17)

पृष्ठ 7, पंक्ति 1 से 43 का लोप किया जाए। (18)

पृष्ठ 8, पंक्ति 1 से 47 का लोप किया जाए। (19)

पृष्ठ 9, पंक्ति 1 से 13 का लोप किया जाए। (20)

(श्री पी. चिदम्बरम):

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7. संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7. संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8—धारा 3 का संशोधन

श्री पी. चिदम्बरम: हम खंड 8 के विरोध में मत दे रहे है क्योंकि समिति की सिफारिश के आधार पर किए गए पश्चात् वर्ती संशोधन से खंड 8 का अधिक्रमण हो गया हम खंड 8 के विरोध में मत दे रहे हैं। कृपया इसे सभा में मत-विभाजन के लिए रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

नियम 80(1) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8(क)—धारा 3 का संशोधन

संशोधन किया गया—

पृष्ठ 9, पंक्ति 36 के पश्चात् *निम्नलिखित अंत:स्थापित* किया जाए:—

धारा 3 का संशोधन

8क. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम में,—

(क) उपधारा (2ख) में, खंड (ग) *के स्थान पर* निम्नलिखित खंड *रखें*, अर्थात्:—

"(ग) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, जो तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, चाहे साधारण या अधिमानी शेयरों के लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा ऐसी रीति के अनुसार जुटाए, जो विहित की जाए, किन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार, सभी समयों पर, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक के साधारण शेयरों वाली समादत्त पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करेगी:

परन्तु अधिमानी शेयरों का निर्गमन, अधिमानी शेयरों का वर्ग, ऐसे अधिमानी शेयरों (चाहे शाश्वत हो या अमोचनीय या मोचनीय) के प्रत्येक वर्ग के निर्गमन की सीमा और ऐसे निबंधनों और शर्तों को, जिसके अधीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ग के अधिमानी शेयर निर्गमित किए जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।"

(ख) उपधारा (2खख) और उपधारा (2खखक) "लोक निर्गमन द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने के पूर्व" शब्दों *के स्थान पर*, "लोक निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने के पूर्व" शब्द *रखे* जाएंगे;

(ग) उपधारा (2ग) में, "लोक निर्गमन द्वारा जुटाई गई शब्दों के स्थान पर, "लोक निर्गमन या अधिमानी आवंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा जुटाई गई शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उपधारा (2ङ) में, निम्नलिखित परन्तुक *अन्त:स्थापित* किए जाएंगे अर्थात्:—

"परन्तु तत्स्थानी नए बैंक में किसी अधिमानी शेयर को धारण करने वाले शेयरधारक को केवल ऐसी पूंजी के संबंध में, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के समक्ष रखे गए ऐसे संकल्पों के संबंध में ही मत देने का अधिकार होगा, जो उसके अधिमानी शेयरों से संलग्न अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं:

परन्तु यह और कि कोई अधिमानी शेयर धारक, अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के उसके द्वारा धारित केवल एक प्रतिशत से

[श्री पी. चिदम्बरम]

अधिक अधिमानी शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा।"। (21)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9—धारा 9 का संशोधन

संशोधन किया गया–

पृष्ठ 10, पंक्ति 4 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

'(*ii*) खंड (ग) के *स्थान* पर निम्नलिखित खंड *रखा* जाएगा, अर्थात्:–

"(ग) एक निदेशक, जिसके पास वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन या पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव हो, जिसे रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;"; (22)

(*iii*) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;'!

पृष्ठ '10' पंक्ति 5 में "(*iii*)" के *स्थान* पर, "(*iv*)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (23)

पृष्ठ 10, पंक्ति 20 में, "2005" के *स्थान* पर, "2006" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (24)

पृष्ठ 10, पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित किया जाए:–

'(ग) उपधारा (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"(3क) उपधारा (3क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (1) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह बैंक के ट्रैक अभिलेख, सत्य निष्ठा और ऐसे अन्य मानदंड के, जो इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, आधार पर ठीक और उचित प्रास्थिति वाला व्यक्ति न हो।

(3 कख) रिजर्व बैंक, उपधारा (3कक) के अधीन जारी अधिसूचना में ठीक और उचित प्रास्थिति का अवधारण करने वाले प्राधिकारी, ऐसे अवधारण की रीति, ऐसे अवधारण के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषयों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो आवश्यक और उसके आनुषंगिक समझी जाए।"

(घ) उपधारा (3ख) में, "उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते है, "उपधारा (3क) और उपधारा (3कक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। (25)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11—धारा 10क का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 11, पंक्ति 17-18 "वित्तीय पुनसंरचना प्राधिकरण" के *स्थान पर*, "प्रशासक" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (26)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 यथासंशोधित विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12—नई धारा 10ख अप्रदत्त लाभांश खातों में अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश का अंतरण

संशोधन किया गया:

नई धारा 10 ख का अंत: स्थापन।

12. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10क के *पश्चात्* निम्नलिखित धारा *अंत:स्थापित* की जाएगी, अर्थात्:– (27)

पृष्ठ 11, पंक्ति 28-38 और पृष्ठ 12, पंक्ति 1-36 का *लोप किया जाए।* (28)

पृष्ठ 12, पंक्ति 37-42 और पृष्ठ 13, पंक्ति 1-25 का *लोप किया जाए।* (29)

पृष्ठ 13, पंक्ति 26 में "10ग" के *स्थान पर,* "10ख" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (30)

पृष्ठ 13, पंक्ति 27 में "2005" के *स्थान पर,* "2006" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (31)

पृष्ठ 13, पंक्ति 28 में "बयालीस दिन" के *स्थान पर,* "तीस दिन" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (32)

पृष्ठ 13, पंक्ति 30 में "बयालीस दिन" के *स्थान पर,* "तीस दिन" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (33)

पृष्ठ 13, पंक्ति 31 में "बयालीस दिन" के *स्थान पर,* "तीस दिन" *प्रतिस्थापित किया* जाए। (34)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 12-यथा संशोधित विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13—नई धारा 18क का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया:

खंड 13-नई धारा 18क का अन्त:स्थापन

पृष्ठ 14 पंक्ति 9-40 और पृष्ठ 15, पंक्ति 1-7 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 13 अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

कतिपय मामलों में बोर्ड का अतिष्ठित किया जाना

"18क. जहां केन्द्रीय सरकार का, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में या किसी तत्स्थानी नए बैंक के कार्यों का संचालन ऐसी रीति में, जो निक्षेपकर्ताओं या तत्स्थानी नए बैंक के हित के लिए हानिकारक है या किसी नए तत्स्थानी बैंक के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना उचित है तो केन्द्रीय सरकार, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड को, छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगी:

परन्तु निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि, समय-समय पर विस्तारित की जा सकेगी, किन्तु फिर भी कुल अवधि बारह मास से अधिक नहीं होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण पर, रिजर्व बैंक के परामर्श से, ऐसी अवधि के लिए जो वह अवधारित करे, ऐसे किसी प्रशासक की (जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी न हो) नियुक्ति कर सकेगी, जिसके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में अनुभव हो।

(3) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह समुचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(4) तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड को अतिष्ठित करने का आदेश करने पर, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) अध्यक्ष, प्रबंधन निदेशक और अन्य निदेशक, अधिक्रमण की तारीख से उस रूप में अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन, ऐसे तत्स्थानीनए बैंक निदेशक बोर्ड या उसकी ओर से या ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जाता है, ऐसे तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा:

परन्तु प्रशासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगी कि ऐसी शक्ति तत्स्थानी

[श्री पी. चिदम्बरम]

नए बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रयोक्तव्य है।

(5) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, रिजर्व बैंक के परामर्श से, तीन या अधिक ऐसे व्यक्तियों की समिति का गठन कर सकेगी, जिनके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में अनुभव हो।

(6) समिति ऐसे समयों और स्थानों पर बैठकें करेगी और प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) प्रशासक और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन गठित समिति के सदस्यों का वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और वह संबंधित तत्स्थानी नए बैंक द्वारा संदेय होगा।

(8) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश में यथाविनिर्दिष्ट निदेशक, बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति से पूर्व दो मास के अवसान को या पूर्व, तत्स्थानी नए बैंक का प्रशासक नए निदेशकों का निर्वाचन करने और निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए तत्स्थानी नए बैंक की साधारण बैठक बुलाएगा।

(9) किसी अन्य विधि या किसी संविदा संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अपने पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(10) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक तत्स्थानी नए बैंक के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठित किए जाने के पश्चात् तुरंत अपना पद रिक्त कर देगा।"।' (35)

पृष्ठ 15, पंक्ति 8-40 का *लोप किया* जाए। (36)

पृष्ठ 16, पंक्ति 1-39 और पृष्ठ 17, पंक्ति 1-11 का *लोप किया* जाए। (37)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है–

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1 की पंक्ति 3 में 2005 के *स्थान* पर 2006 *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है–

कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "छप्पनवें" के *स्थान* पर "सत्तानवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है–

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है–

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, एक बार पुन: मैं कल हुई त्रुटि पर सभा से खेद व्यक्त करता हूं चूक पटल कार्यालय के कारण नहीं हुई। त्रुटि, सरकार के कारण हुई। मैं त्रुटि के लिए क्षमाप्रार्थी हूं।

अपराह्न 1.55 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 17 पर चर्चा करेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मेरे पास एक मुद्दा है। मैं वक्तव्य, जिसमें विधेयक की प्रतियों को दो दिन पूर्व परिचालित न किए जाने के कारणों को स्पष्ट किया गया पर आपत्ति व्यक्त करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मिनिस्टर साहब के बाद बोल लीजिए। यह पहले ही इंट्रोडयुश हो चुका है। मिनिस्टर साहब, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं सभा के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि परसों ही विधेयक पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अगले ही दिन सभा को एक वर्तमान सदस्य की मृत्यु के कारण स्थगित किया गया था। मैं भी विधेयक की सूक्ष्मताओं तथा सभी पहलुओं की जांच करना चाहता था जिसमें कुछ समय लगा। तदनुसार, मैंने सभा से अनुग्रह की अपेक्षा रखते हुए 19 अगस्त को महासचिव को सूचना भेजी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): यह तो कल हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: तत्पश्चात् जब कल आपत्ति उठाई गई थी तब मैंने अध्यक्षपीठ की अनुमति से उसका उत्तर दिया।

मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 को आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों जिनके अलग विचार हो सकते हैं से मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनने का अनुरोध करता हूं। इसका विरोध करना मेरे लिए सिद्धांत का मामला है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): महोदय, इस विषय पर मैं भी बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप नोटिस भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं यह नहीं कहता कि संसद सदस्यों के सामने वित्तीय कठिनाइयां नहीं हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि सदस्यों के सामने भी मंहगाई मेहमानों की आवा भगत, अपने संसदीय क्षेत्र जाने और अन्य प्रतिबद्धताओं के चलते-वित्तीय कठिनाइयां हैं। मैं, इस बात से सहमत हूं कि उनकी अपनी परेशानियां है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सदस्यों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के लिए एक तंत्र होना चाहिए। मैं इस बात को भी मानता हूं।

तो फिर मेरी आपत्ति क्या है? मेरी पहली आपत्ति यह है कि हम कानून निर्माता है। हम देश के लिए कानून बनाते हैं। यदि कानून निर्माता स्वयं ही अपनी वेतन वृद्धि का निर्णय करते हैं तो देश के लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे।

अपराह्न 2.00 बजे

मित्रों मेरी बात ध्यान से सुनें। आपत्ति करने के मेरे अपने कारण हैं...*(व्यवधान)* माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि यदि उनकी पार्टी के लोग व्यवधान डालते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात कह रहा हूं...*(व्यवधान)* मुद्दा यह है कि कानून निर्माता अपने लिए कानून बना रहे हैं आप लगातार बोल रहे हैं, ऐसी बात मत बोलें। आप बहुत ज्यादा बोल रहे है। मुद्दा यह है कि यदि कानून निर्माता ऐसे कानून बनाते है, जिनसे उनको वित्तीय लाभ होता हो तो जनता इसकी आलोचना करेगी। क्यों? इस देश में गंभीर वित्तीय संकट है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 30% लोगों

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

को दो वक्त का खाना नहीं मिल पाता। हम मितव्यता की बात कर रहे हैं सरकार ने मितव्यता के कार्यक्रम की घोषणा की है। मैं इस कार्यक्रम का स्वागत करता हूं। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारे खर्च कम हों और विकास के लिए अधिक धन का निवेश हो। मैं, मानता हूं कि इस स्थिति में, यदि हम यह कानून बनाते हैं तो जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

दूसरे, मैं अपने माननीय सहयोगियों से यह विचार करने का अनुरोध करता हूं कि आर्थिक संकट तथा व्यय में कटौती किये जाने की इस स्थिति में सदस्य भले ही समस्याग्रस्त हों मैं मानता हूं कि हम कठिनाई में हैं, लेकिन अपने वेतन और भत्ते स्वयं बढ़ाने का कार्य हमें नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): यह सदस्य को धमका रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मेहरबानी करके मेरी बात सुन लें।

[अनुवाद]

मैं इसका विरोध कर रहा हूं। इस सभा में विरोधी स्वर शायद दो के ही हैं। विरोधी मत का भी स्वागत होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको दो मिनट का समय दिया है। केवल गुरूदास दासगुप्त जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं, आपको इजाजत दूंगा लेकिन मुझे कुछ कहना है।

[हिन्दी]

जिस सदस्य ने बोलना है, वह नोटिस दे दे। उसमें दो मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन इस तरह से हाउस को डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें।

[अनुवाद]

यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं, जानता हूं कि इस सभा में हम अल्प मत में हैं, मैं यह भी जानता हूं कि हम विरोधी मत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि अन्य माननीय सदस्यों का अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन सभा में अल्प मत को सुनने की प्रथा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं जानता हूं कि लोगों को विरोध से तकलीफ क्यों है। तथापि, मेरा कहना है कि संसद और देश के लोगों को हमारे विरोधी स्वर पर ध्यान देना चाहिए ...*(व्यवधान)* यही संस्कृति है...*(व्यवधान)* कांग्रेस और इस तरफ के लोग एक हो गए हैं, यह अच्छी बात है। अच्छी बात है कि लोगों के असली चेहरे सामने आ गए हैं...*(व्यवधान)*

क्या आप सब इस मुद्दे पर सहमत हो रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): आप अपनी बात कहिए। पता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग कह रह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उन्हें विरोध करने का अधिकार है, किसी को ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं, आपके नेता को भी समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मुझे अपनी बात समापत करने दीजिए। पाखंड हमारे स्वभाव में नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य।

श्री गुरूदास दासगुप्त: जब संकट आता है तो लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं। हम इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि यह पारित नहीं होना चाहिए। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के निर्धारण के लिए एक पृथक तंत्र होना चाहिए और संसद को यह कार्य नहीं करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': आपके दो चेहरे हैं बंगाल में कौन सा तंत्र है।...*(व्यवधान)* आपके बंगाल में क्या मैकेनिज्म है?

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): मैं माननीय गुरूदास दासगुप्त के साथ अपने को एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: मैं संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब हम कानून बनाने वाले लोग इसकी मांग करें तो हमारे लिये शर्मिन्दगी की बात है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों में वृद्धि संबंधी विधान का हम विरोध करते हैं। यह हमारे लिये शर्मिन्दगी की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पद-भार संभालने के बाद एक सुझाव दिया, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई। सभी इस बात से सहमत थे कि वेतन-पत्तों में वृद्धि के लिए एक स्वतंत्र समिति होनी चाहिए। हम भी वेतन और भत्तों की जांच करते हैं। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की आवश्यकता है। यह सही समय नहीं है। हम इस समिति की प्रतीक्षा कर सकते थे क्योंकि दुनिया में कहीं भीं किसी देश की संसद में-वेतन और भत्तों में वृद्धि के लिए सभा में विधान नहीं लाया जाता हैं जब राष्ट्र के सम्मुख संकट हो तो वेतन भत्तों में वृद्धि के लिए सही समय नहीं है। हम गरीब वर्गों, मध्यम वर्गों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अपने वेतन और भत्तों में भारी वृद्धि की मांग कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के गठन के लिये तीन वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। सरकार ने अभी हाल में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की सिफारिश करने हेतु छठे वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। अब हम अपने वेतन और भत्तों में वृद्धि के लिए विधान पारित कर रहे है। मेरा सुझाव यह है कि एक स्वतंत्र समिति हो जो विषय की जांच करे और सरकार से सिफारिश करे तथा यदि तब वेतन और भत्तों में वृद्धि की आवश्यकता हो तो इसे कार्यान्वित किया जाए। मेरा सुझाव है कि वेतन और भत्तों में वृद्धि के बजाय, अन्य सुविधायें बढ़ाई जायें ताकि संसद स्वरूप कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें। संसद सदस्यों को अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है ताकि वे कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें, उन्हें धन की तात्कालिक आवश्यकता नहीं है। अत:, मैं इस विधान का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य को, जब कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत होता है, उसका विरोध करने का अधिकार है। हमारे देश का संविधान बनाने वालों ने बहुत बहस के बाद मदर पार्लियामेंट ब्रिटेन की पद्धति को स्वीकार किया कि संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा हाई कोर्ट के जज के वेतन-भत्ते और सुविधाओं के निर्णय संसद ही किया करेगी। उसी अधिकार के तहत समय-समय पर संसद सदस्य अपनी सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर संसद सदस्यों को बहुत हीनभाव से ग्रस्त होने की जरूरत है। केवल संविधान के प्रावधान के तहत भारत के संविधान में संसद सदस्य की सुविधाओं में वृद्धि अथवा कटौती करने के लिए संसद की एक सर्वदलीय कमेटी बनी हुई है। हम इसे आडम्बर मानते हैं कि कमेटी में बैठ कर हम सुविधा बढ़ाने या न बढ़ाने की संतुति करें और केवल खबरों में नाम छपवाने के लिए संसद में जब विधेयक आए, तो उसका विरोध करें, इसे मैं सही नहीं मानता हूं। यह बात सही है कि राज्य या सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए वेतन आयोग गठित होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: संसद सदस्यों का कोई वेतनमान निर्धारित नहीं है। जो वेतन आयोग गठित होता है, वह संविधान के अनुसार हर 10 साल बाद वेतन का पुनरीक्षण करता है। हमने देखा है

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मोहन सिंह]

कि महंगाई के हिसाब से जो महंगाई भत्ता होता है, उसे 10 साल के बाद बेसिक सैलरी में समायोजित कर दिया जाता है। संसद सदस्यों के लिए ऐसी कोई पद्धति नहीं है। इसीजिए वर्ष 2002 में संसद ने कुछ वृद्धि की थी और फैसला किया था कि वर्ष 2006 में फिर से वृद्धि करेंगे। मैं समझता हूं कि पांच साल में जो महंगाई बढ़ी है, 12000 में 4000 रुपयों की वृद्धि हुई। हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों और मीडिया ने आज से तीन दिन पहले मिसइंफोर्मेशन केम्पेन चलाया। मैं समझता हूं कि वह निंदनीय है और उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ कि संसद सदस्यों की तस्वीर स्टार टीवी पर दिखाई जा रही है और दिखाया गया कि सांसद हुए मालामाल। हमारी पत्नी ने कहा कि काफी माल बटोर कर लाए हो, उसमें से हमारा कितना हिस्सा है? मैं कहना चाहता हूं कि कुल 12000 रुपए में 4000 रुपए की वृद्धि हो कर 16000 रुपए तनख्वाह हुई है, जिसमें से 1500 रुपए टैक्स में चले जाएंगे। संसद सदस्यों को आयकर देने का रिवाज बनाना चाहिए टैक्स देना चाहिए। अगर देखा जाए तो वस्तुतः यह वृद्धि 2500 रुपए की हुई है। यह ऐसी वृद्धि नहीं है, जिस पर हम इस समय निंदा प्रस्ताव पास करें। यह सही है कि हम लोग समाचार पत्र और मीडिया की बातों से हीनभाव ग्रस्त हो जाते हैं। संसद सदस्यों के लिए कोई अलग मैकेनिज्म होना चाहिए। हमें उस मैकेनिज्म की याद उस समय आती है जब इस सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है। कोई भी माननीय सदस्य इस दौर में न गैर-सरकारी विधेयक पेश करता है, न इस तरह का रैजोल्यूशन इस सदन में लाता है कि कोई अलग से मैकेनिज्म होना चाहिए या अलग से पे-कमीशन होना चाहिए। इस समय की वृद्धि जो सीमित वृद्धि है, मैं समझता हूं कि उसका विरोध करना, सिवाय आडंबर के कोई नैतिक बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मैम्बर्स की सैलरी, एलाउंसेज और पैंशन बिल के बारे में दो-चार बातें कहना चाहती हूं। यह बात सत्य है कि मैं 20 साल पार्लियामेंट की मैम्बर रही हूं। तीन साल में तीन गवर्नमेंट गिर गई, इसलिए वह पीरियड भी इनक्लूड हो गया। मैंने 20 सालों में देखा कि जब कभी एमपीज की सैलरी बढ़ती है तो वामपंथी दोस्त, जिन्हें मैं दोस्त कहती हूं, उन्होंने हमेशा विरोध किया लेकिन वे रुपए पहले लेते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं यह बात सत्य है कि एमपी का कानून एमपी क्यों बनाएं? इसके लिए इंडीपैंडेंट कमेटी होनी चाहिए। जब यह बिल पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने कहा था कि एक इंडीपैंडेंट कमेटी बनेगी। वह जरूर बननी चाहिए और आप सब खुश हो जाएंगे क्योंकि उससे आप सब की तनख्वाह दस गुना ज्यादा हो जाएगी। मैं पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से जानना चाहूंगी कि क्या यह बात सत्य है कि वर्ल्ड में पार्लियामेंट के मैम्बर्स को जो सैलरी और एलाउंसेज मिलते हैं, उसके मुकाबले इंडियन पार्लियामेंट के मैम्बर्स को वे बहुत कम मिलते हैं या नहीं? यदि नहीं तो मेहरबानी करके हाउस में बताएं। हम एक इंडीपैंडेंटस कमीशन जरूर चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि हम अपनी सैलरी खुद फिक्स करें।...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए क्योंकि मैं इधर से बोल रही हूं। मुझे अपनी बात कहने का हक है।

दो-तीन दिनों से कहा जा रहा है कि एमपीज की सैलरी इतनी बढ़ी है, उनको इलैक्टिसिटी, वाटर और टेलीफोन फ्री है।

[अनुवाद]

मैं भी पेरशान हूं। यह घृणास्पद है। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रही हूं। मैं स्वयं को दोष दे रही हूं।

[हिन्दी]

टेलीफोन कॉल्स जो फ्री हैं सो हैं लेकिन हम फील्ड में काम करते हैं।

[अनुवाद]

मैं केवल व्यक्तिगत सदस्य के रूप में काम नहीं कर रही हूं।

[हिन्दी]

कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स केवल निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करते हैं, कोई देश के लिए काम करते हैं और कोई स्टेट के लिए करते हैं। इसमें डिफरेंस होता है। देश में केपिटलिस्ट भी होते हैं, अपॉर्च्युनिस्ट भी होते हैं। बहुत से एमपीज और एमएलएज केवल पॉलिटिक्स ही करते हैं। वे एमपी और एमएलए छोड़ कर कुछ नहीं हैं। उनहें तीन मेनटेनन्स करने पड़ते हैं-एक निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा स्टेट और तीसरा जब दिल्ली में आते हैं। यह बात सत्य है कि दिल्ली में वाटर और इलैक्ट्रिसिटी फैसिलिटी में लिमिटेशन है और वह थोड़ी फ्री है। हम जब कोलकाता या दूसरी कोई जगह में रहते हैं।

[अनुवाद]

उन्हें बिजली और पानी की कीमत चुकानी होती है।

[हिन्दी]

क्या यह बात सच नहीं है?

[अनुवाद]

लोग कहते हैं कि हम आयकर का भुगतान नहीं करते। निःसंदेह, हम आय कर का भुगतान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

ऐसा कौन कहता है? बहुत से एमपीज और एमएलएज बहुत बड़े बिजनेसमैन और बैरिस्टर होते हैं। मैंने स्टुडैंट मूवमैंट से राजनीति की है। मेरा केरियर सिवाय पॉलिटिक्स और पब्लिक की सेवा के कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

मैं संसद सदस्यों की ओर से कह रही हूं। लोग कहते हैं कि प्रत्येक संसद सदस्य भ्रष्ट है।

[हिन्दी]

करप्शन हर जगह है। सभी एमपीज को करप्ट कहना ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* अगर लैफ्टिस्ट मैम्बर्स को यह मान्य नहीं है, तो उनको करके दिखाना चाहिए।...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

1991 से मैंने कभी एक्सिक्यूटिव क्लास में यात्रा नही की है। इन सत्रह सालों में मैंने इस संसद के लगभग 20 लाख से 40 लाख रुपये की बचत की है लेकिन मैंने यह सब कभी नहीं कहा।

लेकिन आज मैं सभी संसद सदस्यों की ओर से कह रही हूं।

[हिन्दी]

अगर आप खर्च को कम करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

वे अपने स्वयं के खर्च से कर सकते हैं। वे यह स्वेच्छा से कर सकते हैं। किसने उन्हें कहा है कि वे ऐसा न करें? ऐसा करे और ससंद को बताए कि उन्होंने ऐसा किया है और उन्होंने त्याग किया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कंक्लूड करें।

कुमारी ममता बैनर्जी: कभी कहते हैं कि जब एम.पीज. बाहर जाते हैं।...*(व्यवधान)*

आप हमें बोलने दीजिए, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है। मैं इस बिल पर नहीं बोली हूं। जब फॉरेन जाते हैं तो कहते हैं कि एम.पीज. को वहां डालर मिलते हैं लेकिन यह बात ठीक नहीं है। उनमें कोई-कोई फॉरेन डेलिगेशन होता है, जैसे यू.एन. डेलिगेशन है। कहते हैं कि वहां सौ डालर मिलते हैं। लेकिन हम लोग कितनी बार बाहर जाते हैं। हम आठ-दस वर्षों से बाहर नहीं गये है और भी बहुत सारे एम.पीज. नहीं गये हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई बाहर जाता है, किसी को देश बाहर भेजता है तो उसे वहां कितने रुपये मिलते है, मुझे इस बारे में पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: 75 डालर्स।

कुमारी ममता बैनर्जी: यदि वह ऑफिशियल डेलिगेशन है तो सरकार से आपको टिकट मिलता है, अकोमोडेशन मिलती है, खाना भी मिलता है। लेकिन जो बातें बाहर फैलाई जा रही हैं, वे ठीक नहीं हैं। कल से हमारे पास बहुत से फोन्स आ रहे हैं। अगर हम घर जायेंगे तो हमें लोगों को पैसा देना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लान्टेशन के एक लाख चालीस हजार रुपये के लिए पेशेन्ट्स एम.पी. के पास आकर पैसा मांगते हैं। यदि कोई हार्ट पेशेन्ट है और वह अस्पताल जाता है तो इजैक्शन का भाव 25 हजार रुपये है। जो वह नहीं दे सकता है। वह हमसे मांगता है। कोई हार्ट ऑपरेशन के लिए जाता है तो वह तीन-चार लाख रुपये मांगता है। आज मैडिसन्स के भाव भी बहुत बढ़ गये हैं। किसी की बेटी की शादी है तो उसमें भी एम.पी. को पैसा देना पड़ता है।

[अनुवाद]

हमें देना ही होगा।

[हिन्दी]

यदि किसी की मौत हो जाती है तो हमें पैसा देना पड़ता है।

[अनुवाद]

सब समान हैं।

[कुमारी ममता बैनर्जी]

[हिन्दी]

क्या हम लोग बाहर से रुपया चोरी करेंगे, वह हम लोग नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

एक तरफ आप ऑफिस ऑफ प्रोफिट के एडवांटेज लेते हैं। आप कहते हैं।

[अनुवाद]

विधि निर्माता अपने लिये कानून नहीं बना सकते। आप लाभ के पद के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप सदस्यों के वेतन और भत्तों के लिए ऐसा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

जिसके पास ऑफिस है, जिसके पास अर्दली है, जिसे ऑफिस ऑफ प्रोफिट से गाड़ी मिलती है, जमीन मिलती है और रुपया मिलता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बैनर्जी के भाषण के अलावा रिकार्ड में और कुछ नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: जब हमारे मित्र बोल रहे थे तो हमने उन्हें सुना, अब मुझे बोलने का मौका मिला है तो उन्हें अब मुझे बोलने दीजिए। आप कहिये कि ऑफिस ऑफ प्रोफिट में जिसे डबल तनख्वाह या लाभ मिलता है उसे सैलरी लेने की क्या जरूरत है। मैं पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से विनती करती हूं कि जो डबल तनख्वाह लेते हैं, जिन्हें डबल अपोर्चुनिटीज मिलती हैं, उनके लिए एक सैलरी, एक अलाउन्स और एक पेन्शन होनी चाहिए, उन्हें डबल फायदा नहीं होना चाहिए। आप इसे कट ऑफ कीजिए, देश के लोग आपको आशीर्वाद देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: हमें नहीं मिलता...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया लगातार टीका-टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): ममता जी ने इनका नाम नहीं लिया, फिर इन्हें परेशानी क्यों हो रही है?...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं विनती करना चाहती हूं कि आप इन्डिपैन्डैन्ट तरीके से बोले, आपको मैंने सपोर्ट दिया। लेकिन जो लोग डबल तनख्वाह लेते हैं, उनहें डबल बिल्कुल नहीं देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बैनर्जी, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। केवल कुमारी ममता बैनर्जी का भाषण रिकार्ड में जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: अगर किसी को डबल पेंशन मिलती है, किसी को सिंगल पैंशन मिलती है,..*(व्यवधान)* पेंशन सिंगल होनी चाहिए। इसमें सरकार का रुपया सेव हो सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हम पहले ही एक विधान लागू कर चुके हैं

कुमारी ममता बैनर्जी: तो क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह असंगत बात है। क्या यह सब कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा? *...(व्यवधान)* हम यहां विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री आचार्य जी कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: सर, मैं पार्लियामेंट मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल में फाइनेंशियल बैनेफिट हमारे एमएलएज लोगों को होता है। हमने सीपीएम को नहीं बोला।...*(व्यवधान)* जो सरकार में हैं, उनको नहीं मिलता है लेकिन हमारे एमएलए लोगों को मिलता है। अगर वे हमारे से कोई कम हैं तो उसका कानून कौन बनाता है? उधर में कानून कौन बनाता है? एमएलए बनाता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं आपको बताऊंगी...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, बंगाल के विधायकों का वेतन देश में सबसे कम है...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, यह असहनीय है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमने सच कहा है...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: क्या आप सच बोल रहे हैं? ये दोहरे मानदंड है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैं एन डी ए की ओर से बोल रही हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: सर, मैं इसीलिए कह रही हूं कि हमारे उधर में भी एमएलएज लोग कानून बनाते है। जो वेस्ट बंगाल में मैंने देखा तथा एक और बात यह है कि मेडिकल सुविधा उससे बहुत ज्यादा मिलती है। बाहर अगर चश्मा खरीदते हैं तो 25-30 हजार मिल जाता है। अगर बाहर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसका भी आपको मिल जाता है लेकिन इधर एमपी को नहीं मिलता है। बाहर में भी नहीं मिलता है। यह आपको एडवांटेज है।

[अनुवाद]

यदि मैं गलत हूं तो मेरी गलती को सुधारा जा सकता है। मेरे पास इस बात के साक्ष्य हैं। हम वहां विपक्ष में हैं। इसलिए, हम ये सब बातें जानते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इसीलिए मैं यह कहना चाहूंगी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया बीच में टोका टाकी न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: सैलरी के लिए कभी-कभी कोई कहता है कि हम अपनी सैलरी अपनी पार्टी को दे देते हैं। पहले तो एक पार्टी थी और जिन लोगों को हमने देखा, पहले कुछ फंड भी नहीं था। आज 44 करोड़ की जो बात यहां कही है लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था आज कैसे उसके पास हजार-हजार करोड रुपये आ गया है।...*(व्यवधान)* 44 करोड़ को लेकर आप लोग इतना चिल्लाते हैं।...*(व्यवधान)* आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह सब क्या हो रहा है? क्या हमें ये सब बातें सुननी चाहिए? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सब कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर कुछ ऑबजेक्शनेबल होगा तो डीलिट करा देंगे। आप बैठ जाइए। जब मैंने कह दिया कि अगर कुछ ऑबजेक्शनेबल होगा तो डीलिट करा देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम, अब आप भी कंक्लूड करें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: यह हाउस है, यहां लोकतंत्र है इन लोगों की मनोपोली नहीं है कि हमें बोलने नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आप बैठ जायें।

कुमारी ममता बैनर्जी: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कोई इन पर चार्ज नहीं लगा रही हूं, अगर लगाती तो ये कुछ कहते। मैंने चार्ज नहीं लगाया है। मुझे सभा के अनुशासन की जानकारी है। मैं रिक्वैस्ट कर रही हूं कि चार साल के बाद एमपीज की सैलेरी, पेंशन बढ़ाना चाहिये।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: चक्रवर्ती जी, यह मेरा काम है, आपका कोई काम नहीं है। आप बैठ जायें।

कुमारी ममता बैनर्जी: इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूं कि जो सोच है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह सब देख लूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: जब आप बोलेंगे तब मैं भी व्यवधान डालूगी। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि हमें जो सही है उसका पालन करना चाहिए। हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। यदि यह बात सही है तो हमें उसके पक्ष में लड़ना चाहिए। यह मत सोचिए कि इससे सांसदों की बदनामी होगी।

[हिन्दी]

बदनाम हो जाएगा, जो खाने वाले हैं, वे खाते हैं लेकिन सारे एमपीज बदनाम हो जाते है।

[अनुवाद]

हम भिक्षुक नहीं है। हमारा सम्मान है। हमें कार्यवाही करनी है, हमारा एक मिशन है तथा एक दृष्टिकोण है। जो नहीं लेना चाहते वे स्वेच्छा से 'ना' कह सकते है। मैं माननीय मंत्री जी से वी आर एस लागू करने का अनुरोध करती हूं। उनसे वी आर एस लेने के लिए कहे ताकि वे सभा में न आ सकें क्योंकि वे नहीं चाहते कि संसद सदस्य लोगों के लिए कार्य करें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): उपाध्यक्ष जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है। इस विषय पर ममता जी कुछ विषयान्तर हो गई थीं। मूल प्रश्न एम.पीज. की सैलेरी और अलाउंसेज का है। इसमें बहुत गुंजाइश है, इसलिये इस बिल को जल्दी पास करायें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। जिस तरह से इस बिल के बारे में मीडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, वह हम और आप सुन एवं देख रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब एक एम.पी. एक्स एम.पी. हो जाता है तो ऐसे बहुत से हैं जो भीख मांग रहे हैं, उनके पास दवा के लिये पैसे नहीं हैं, उनके पास अपने परिवार को देखने के लिये पैसा नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। मैं यह बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सांसदों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब-जब इस तरह का बिल सदन में आया है तो सांसदों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। एक सांसद की सैलेरी 12 हजार रुपये है जिसे बढ़ाकर 16 हजार किया जा रहा है। इस चार हजार रुपये की वृद्धि से क्या होने वाला है? मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूंगा कि इसका कुछ भाग इनकम टैक्स के रूप में चला जायेगा। हम सब की वेदना यह है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, दवा, चावल, आटा और गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, 12 हजार रुपये में गुजारा कर पाना कहां तक संभव है? हम किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं? हमारे बाल-बच्चे हैं, परिवार है जिनकी देखभाल करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं जहां गरीबी, फटेहाली है। हमें व्यावहारिक रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में जितनी कठिनाई होती है, आप स्वयं उसे अनुभव करते होंगे। आज महंगाई के युग में सांसद कैसे गुजारा कर रहे हैं क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र से सैंकड़ों लोग आते हैं और सवेरे-शाम उन लोगों को चाय का एक कप पिलाया जाता है।

यह हम मिनिमम खर्च दे रहे हैं जो सांसदों को देना अनिवार्य हिस्सा है। सभी सदस्य सही ढंग से अपने कर्तयों का निर्वहन

करना चाहते हैं। माननीया बहन ममता जी ने कहा कि हमारे पास लोग दवा के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं तो क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? आप पांच साल के बाद वेतन वृद्धि कर रहे हैं, यह अच्छी बात है लेकिन यह अपर्याप्त है। माननीय मुंशी जी जो प्रस्ताव लाए हैं, यह अपर्याप्त है। आप इसमें 6000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। हमारे परिवार पर निर्भर करेंगे, उसको छः हजार रुपये दे रहे हैं। इतने रुपयों में आज के युग में क्या आता है? हमारी जो विधवा रहेगी, उसको आप तीन हजार रुपये छः महीने के लिए दे रहे हैं। यह कानून में प्रावधान है। यह कैसे संभव है? लोग बवाल मचाकर रखने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस महंगाई के जमाने में यह अपर्याप्त है। आपने जो व्यवस्था की है, मैं समझता हूं कि उसको बढ़ाना चाहिए। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आप इस सुविधा को बढ़ाइए और 16 हजार रुपये की जगह 20 हजार रुपये कीजिए। पैंशन में वृद्धि कीजिए और उसको छः हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कीजिए। एक दिन सबको भूतपूर्व होना है। जनता ने किसी को परमानैन्ट चुनकर नहीं भेजा है। इसलिए इसको 10000 रुपये करने का काम कीजिए।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सदस्यों को जो रेल का पास मिलता है उसमें पत्नी को सत्र में एक बार दिल्ली आने दिया जाता है। एक बार आइए और एक बार वापस जाइए। जब दूसरी बार आने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाइए। यह हालत है। क्यों नहीं इस नियम में संशोधन करते हैं? हमारे साथ हमारा भाई, बहिन, मां या पिताजी भी हो सकते हैं या क्षेत्र की जनता में से कोई व्यक्ति भी आ सकते हैं। आपने स्पाउज एसैन्शियल कर दिया है। क्यों नहीं आप इस नियम को बदलते हैं? आप स्पाउज की जगह कपैनियन और अटैन्डैन्ट करने का काम कीजिए।...*(व्यवधान)* नियमों में परिवर्तन कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदयः लालू जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री लालू प्रसादः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि रेल मंत्रालय यह काम नहीं करता है। सांसदों को जो सुख सुविधाएं और प्रिविलेज दिये जो हैं, वे संसद की एक सीमित में तय किये जाते हैं। रेल मंत्रालय केवल उसको एक्जीक्यूट करता है। अगर अध्यक्ष महोदय और सब मिलकर कुछ तय कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': रेल के बारे में तो आप अनाउंस कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः क्या-क्या सुविधा सदस्यों को मिलेगी, वह संसदीय समिति तय करती है और फिर वह हमारे पास आता है। हमें कोई आब्जैक्शन नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप कनक्लूड करें।

श्री राम कृपाल यादवः महोदय, अभी तो हमें बहुत सारी बातें कहनी हैं।...*(व्यवधान)* कुछ आवश्यक बातें कहनी हैं। हवाई यात्राएं मात्र 32 से 34 की गई हैं। इसको 40 किया जाना चाहिए। अधिकांश सदस्य अब वृद्ध हो गए हैं इसलिए उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए ऑल इंडिया पास की व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इसका विरोध भी किया है। ...*(व्यवधान)* यदि हम यह कानून पास नहीं करेंगे तो अगले पांच सात के लिए वृद्धि नहीं होगी और पहले वाला वेतन 4000 रुपये लेना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि वैसे तमाम माननीय सदस्य जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन सबको पुराना वेतन दे दीजिए। नैतिकता की बात अलग है और व्यावहारिकता की बात अलग है। हम लोग मॉरल राइट्स पर बहुत बहस करते हैं मगर हम क्या कर रहे हैं यह भी तो दुनिया देख रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सांसदों को और सुविधाएं दी जानी चाहिए।

महोदय, आप सांसदों को डैवलपमैंट के लिए 2 करोड़ रुपये देते हैं। ये दो करोड़ नाकाफी है और इससे कितनी बदनामी और परेशानी होती है। आप इसे बंद कराने का काम क्यों नहीं करते हैं? आप उसकी एवज् में काम दीजिए, आप स्कूल बिल्डिंग और रोड आदि बनवाने की व्यवस्था का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मंत्री जी, आपने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, आपने आठ रुपए से 13 रुपए कर दिए, इसे और बढ़ाने की जरूरत है, 15 रुपए करने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* जनता में जो संदेश जा रहा है, उसे भी क्लियर करें। एक-एक, दो-दो लाख रुपए कर दिए, पेपर में क्या-क्या छप रहा है, जब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कमी है, उस कमी को पूरा कीजिए। माननीय सदस्यों की इज्जत और प्रतिष्ठा को देखते हुए ऐसी व्यवस्था कीजिए, हमेशा पार्लियामेंट में ऐसा कानून बनाने की व्यवस्था न हो, कोई परमानेंट व्यवस्था करा दीजिए ताकि आटोमेटिक पांच साल के बाद सुविधानुसार जैसे कर्मचारियों एवं अन्य लोगों का वेतन बढ़ता है, उसी तरह सांसदों का भी बढ़े।

महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज हम लोग ऐसे बिल पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं,

[श्री ब्रजेश पाठक]

जिसकी चर्चा पूरे मीडिया जगत और हिन्दुस्तान में सर्वाधिक हुई है।...*(व्यवधान)*

महोदय, इस सत्र या पुराने सत्र में जितने भी बिल पास हुए होंगे, उनमें से सबसे जयादा चर्चा मीडिया में इस बिल की हुई। यह बिल हम लोगों के वेतन भत्तों के संशोधन के संबंध में है। हम वर्तमान सदस्यों के बारे में जो कुछ आपने और कमेटी ने किया, वह अच्छा किया, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम उन पुराने सदस्यों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो गैलरी में घूमते हैं, सदन के गेट पर आते हैं, बुजुर्ग हैं। हमारी माता, बहन एवं दादी के समान अपनी पत्नी को लेकर आते हैं, उनकी जो दुर्दशा है, उनकी तरफ हम आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। उनके पास उनको इलाज कराने के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, ट्रेन में यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्हें पेंशन के नाम पर तीन हजार रुपए मिलते हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, इस मुद्दे पर कोई बड़ा भाषण नहीं देना चाहते, क्योंकि यह हम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोगों को पूरे हिन्दुस्तान की मीडिया ने कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया कि हमने खजाने से खुद के लिए पैसा निकाला। वास्तव में मुझे शर्मीन्दगी होती है, क्योंकि हम लोग समाजसेवा से जुड़े हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो अपना कोई व्यक्तिगत काम-धंधा करते हों। हम लोग शुरू से ही राजनीति के पेशे से जुड़े हैं, हम लोग अन्य कोई धंधा नहीं करते। घर में बीवी, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और भोजन आदि पर खर्च होता है, इसलिए उसके लिए कहीं न कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा, यह व्यवहारिकता है, लेकिन नैतिकता कहती है कि हम देश के उन गरीब तबके के लोगों को लिए काम करें। हम उन पुराने माननीय सदस्यों के लिए अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं कि उनकी पेंशन के साथ महंगाई भत्ते को भी जोड़ दिया जाए।

महोदय, हमने इस संशोधन को प्रस्तुत किया था, लेकिन हमें लगता है कि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पेंशन है, उसे आठ हजार रुपए कर दिया जाए और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाए तथा जैसे-जैसे महंगाई भत्ता बढ़े, वैसे-वैसे हमारे भूतपूर्व माननीय सदस्यों को भी लगातार उसकी सुविधा मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने संशोधन के लिए नोटिस दिया है। मैं नहीं जानता कि इस संशोधन को परिचलित क्यों नहीं किया गया। मेरा संशोधन यह था कि जो सदस्य वेतन, पेंशन और भत्तों को नहीं लेना चाहते वह राशि प्रधानमंत्री के राहत कोष में जमा करवा दी जाए। यह मेरा संशोधन था। मैं यह नहीं जानता कि ये संशोधन परिचलित क्यों नहीं किया गया। यह पहली बात है।

दूसरे, कुछ वर्ष पूर्व, मैंने एक समाचार पत्र में एक खबर देखी थी। यह खबर पश्चिम बंगाल के एक पूर्व विधायक से संबंधित थी। मुझे उन पूर्व-विधायक का नाम याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं कि वे किस पार्टी के थे। पश्चिमी बंगाल के वह पूर्व विधायक अब रिक्शा चलाते हैं। वे रिक्शा चालक है यह खबर दो वर्ष पूर्व एक समाचार पत्र में छपी थी।

इसलिए मेरा मत यह है कि इस देश में गलत धारणा बनी हुई है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गलत धारणा मीडिया में हमारे मित्रों द्वारा फैलायी गयी है कि संसद के दोनों सदन अर्थात लोक सभा और राज्य सभा केवल समृद्ध लोगों के लिए है। यह बिल्कुल गलत धारणा है। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि इस सभा का प्रतिनिधित्व केवल उद्योगपतियों द्वारा किया जाए? क्या आप कहना चाहते हैं कि इस सभा का प्रतिनिधित्व, जैसा कि ममता जी कह रही थी, इस देश में विभिन्न व्यवसायों के अग्रणी व्यक्तियों और बड़े उद्योगपतियों तथा व्यापारियों द्वारा किया जाए?

महोदय, मैं जानता हूं कि इस सदन में आज भी ऐसे सदस्य हैं, जो पहले प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक थे। मैं विशेषकर राज्य सभा के एक माननीय सदस्य को जानता हूं, जो वामपंथी दल से हैं और अपने पूरे जीवन में अध्यापक रहे तथा उस राज्य सभा के सदस्य हैं। इस सदन में अनेक सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। फिर, यह दोहरे मापदण्ड किस तरह हो सकते हैं? यह पाखण्ड कैसे हो सकता है? जो जैसा है उसे वैसा ही कहा जाए। जैसा कि कुमारी ममता बैनर्जी ने मांग की है, मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी, यदि उनके पास जानकारी हो तो संपूर्ण लोकतांत्रिक विश्व के संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का तुलनात्मक विवरण दें, कि अन्य संसदों में क्या हो रहा है तथा उनके वेतन और अन्य भत्ते क्या हैं?

महोदय, मेरे राज्य के एक नेता थे उत्कल गौरव मधुसूदन दास। उन्होंने तत्कालीन विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि सदस्यों द्वारा वेतन और भत्ते स्वीकार न करने का उनका प्रस्ताव विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था अत: इसके विरोध में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था परन्तु अब समय बदल गया है। जैसा कि अभी आपने सुना कि इस सभा में अनेक सदस्य हैं

जो अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में हैं। मेरा परिवार वस्त्र कारोबार में रहा हैं परन्तु मैंने अपना यह कारोबार अपने भतीजों और भाईयों को सौंप दिया है। यदि मेरा भाई मुझे बुलाता है और मुझे कारोबार की देखभाल करने के लिए कहता है तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अपने विद्यार्थी जीवन से ही मैं राजनीति में हूं। अब मैं अपने परिवारिक कारोबार की देखभाल करने में भी असमर्थ हूं। राजनीति ही मेरा मुख्य पेशा है। मुझे क्या करना चाहिए। अतः, हमें पाखंड नहीं करना चाहिए। हमें इस संबंध में पूर्णतः स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

मैं श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत हूं। यह मुद्दा नैतिकता से संबद्ध है। हमें अपने वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी निर्णय स्वयं नहीं लाने चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं। एक अलग समिति बुनाई जानी चाहिए जिसमें कोई भी संसद सदस्य शामिल न हो और उस समिति को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दो-तीन बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो यह कि जब यह विषय कैबिनेट में गया तब और उसके बाद कैबिनेट से वापस आने पर जिस प्रकार से मीडिया में प्रचार हुआ, वह ठीक नहीं था। मैंने खुद कई मीडिया चैनलों को फोन कर के बताया कि ऐसा नहीं है, तब कहीं उन्होंने इस खबर को प्रसारित होने से रोका। इस प्रकार सांसदों के चरित्र-हनन का जिस प्रकार से मीडिया द्वारा प्रयास किया जा रहा है, यह बिलकुल ठीक नहीं है।

महोदय, मीडिया-कर्मियों को तो एक लाख और कहीं-कहीं डेढ़ लाख रुपए महीने वेतन के रूप में मिलते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन टी.वी. चैनलों के जो मालिक हैं, वे सांसदों के खिलाफ निरन्तर दुष्प्रचार कर रहे हैं और बिना किसी सबूत और जानकारी के सांसदों के चरित्र-हनन का प्रयास करते हैं इसलिए मेरी आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना है कि इस प्रकार का एक कानून बनाया जाए जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि यदि मीडियाकर्मी किसी प्रकार के दोषी पाए जाएं, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर के जेल में डाला जा सके।

महोदय, हमारे मित्र श्री गुरूदास दासगुप्त, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। वे बहुत समय से संसद में हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने के लिए किसी मैकेनिज्म की तलाश की जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि सांसदों के वेतन-भत्ते के निर्धारण का काम क्या आप ब्यूरोक्रेट्स के जिम्मे या न्यायपालिका के जिम्मे करना चाहते हैं, यदि ऐसा सोच रहे हैं, तो यह बिलकुल ठीक नहीं है। वर्तमान सिस्टम कितना अच्छा है, जिसमें जब सांसदों के वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई, तो एक सर्वदलीय कमेटी बना दी। उसमें से चुन-चुन कर सांसदों की एक जाइंट कमेटी बना दी। ज्वाइंट कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया, केबिनेट ने उस पर समीक्षा की और कमेटी के हर प्रतिवेदन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, उसमें कटौती भी की है। इसके अलावा कौन सा मैकेनिज्म चाहते हैं? मैकेनिज्म का कोई सुझाव नहीं देते हैं। मैकेनिज्म शब्द का बार-बार इस्तेमाल करके खेल खेलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको पाखण्डी नहीं कह सकता हूं, जैसा कि और लोगों ने कहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक छोटा सा संशोधन और जोड़ लीजिए कि यदि कोई सदस्य कम पैसा लेना चाहे या पूराना मूल वेतन लेना चाहे, उसको वह लेने की इजाजत दी जाए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गुरूदास दासगुप्ता जी ही नहीं, जितने भी हमारे कम्यूनिस्ट लोग हैं, सिद्धांतवादी लोग हैं, इनकी बात सिद्धांत पर हो रही थी। ये नैतिकता वाले लोग हैं। ये कभी-भी कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसा संशोधन कर दीजिए ताकि कोई इनको पाखण्डी या अनैतिक न कह सके, सिद्धांतविहीन न कह सके। इसलिए हमको विश्वास है कि अपने आपको बचाने के लिए निश्चित तौर पर जो पहले मूल वेतन मिलता था, ये वही लेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा** (रोपड़): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर पंजाबी में बोलने हेतु अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

कई माननीय सदस्यों ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन संबंधी इस विधेयक पर अपने मूल्यवान सुझाव दिए हैं। सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। कई संसद सदस्य ऐसे हैं जो निर्धन हैं और उनके पास अपने भरण-पोषण का कोई दूसरा साधन नहीं है। कुछ माननीय सदस्य धनाढ्य भी हो सकते हैं। तथापि, जिस तरह से मीडिया ने हमारे विरुद्ध कीचड़ उछालने का अभियान चलाया है, वह चिंताजनक है। इस पर रोक लगाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

वास्तव में इस विधेयक में परिकल्पित संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि बहुत कम है। यह ऊंट के मुंह में जीरे

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

जैसी है। माननीय संसद सदस्यों को इससे कैसे सहायता मिलेगी? आज के समाचार-पत्र में यह खबर छपी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण 56 लाख रुपये प्रति फ्लैट की भारी दर से फ्लैट बेच रहा है। कितने संसद सदस्य ये फ्लैट खरीदने की हैसियत रखते हैं? इसलिए, माननीय संसद सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं दी जानी चाहिए। यह समय की आवश्यकता है।

पूर्व-संसद सदस्यों की स्थिति शोचनीय है। मैंने इन लोगों को काफी करीब से देखा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

***सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:** पूर्व-संसद-सदस्यों की दशा करूणा जगाती है। मैं सरकार से अग्रह करता है। कि पूर्व संसद-सदस्यों की पेंशन कम-से-कम 15,000 रुपये तक बढ़ाई जाए।

इसके अतिरिक्त, महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक माननीय संसद सदस्य को एक करोड़ रुपये की एक बीमा पालिसी दी जाएं। हम जो काम करते हैं, उसमें काफी जोखिम है।

महोदय, श्रमिकों के न्यूनतम दिहाड़ी पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जाए। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। तथापि, सरकार द्वारा माननीय संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन में की गई मामूली वृद्धि की आलोचना करना अनुचित हैं। श्रम संघों को भी कामगारों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि करने वाला विधेयक पुर:स्थापित किया है। इस विधेयक को आम जनता का समर्थन नहीं मिल पाया है।

लोग सोचते हैं कि संसद सदस्य अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। इससे गलत संकेत गया है। इसके अतिरिक्त, जब हमारे देश में आम आदमी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो यह उचित समय नहीं है। मेरी राय में यह वृद्धि उचित नहीं है। सरकार एक तंत्र स्थापित करे जो संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों की जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे। सरकार कुछ समय प्रतीक्षा करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं इस विधेयक का पुर:स्थापना के समय ही विरोध कर चुका हूं। अब, हमारे समक्ष बहुत साधारण प्रश्न है। मेरा विचार है कि संसद सदस्यों और विधायकों के वेतन और भत्तों में सही वृद्धि पाप नहीं है। यह आम बात है। यह कभी भी हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से यह किया गया है वह चिंता की बात है। केरल और अन्य राज्यों में विधायकों की पेंशन और भत्ते बढ़ाए जाते हैं। किसी को यह गलत नहीं लगता। यहां भी, संसद सदस्य अपने भत्तों और पेंशन में वृद्धि के हकदार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम इनमें किस प्रकार वृद्धि करते हैं? यह एक स्थापित तथ्य है कि संसद को निर्णय का अधिकार है। उसके पास वेतन, भत्ते और पेंशन का निर्णय करने के लिए अंतिम अधिकार है। हमें संविधान ने यह कार्य सौंपा हैं। यह संवैधानिक अधिकार है। हमें यह करने का अधिकार है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे करते हैं।

यहां एक उदाहरण है। एक समिति, जिसमें संसद सदस्य शामिल हैं, ने इस मुद्दे पर चर्चा की है और कुछ सिफारिशें की है। वे सिफारिशें प्रेस के पास आई। अब, जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाऊंगा, तो लोग पूछेंगे कि क्या मैं लगभग एक लाख रुपये प्रतिमाह वेतन पा रहा हूं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन वे पूछने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वे सारी सिफारिशें की हैं। जिन सिफारिशों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, उनमें दैनिक भत्ते में वृद्धि की जा रही है और हवाई यात्राएं भी 32 से बढ़ाकर 34 की जा रही हैं। यह किया गया है। हम इस मामूली वजह से क्रोधित हो रहे हैं कि संसद सदस्यों की सिफारिशों का प्रेस में व्यापक प्रचार किया गया है और हम इसका विरोध करने के लिए मजबूर हैं। अब यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए, मैं कहता हूं कि यह काम किसी ऐसे स्वतंत्र अभिकरण से कराया जाए जो संसद सदस्यों से संबंधित नहीं है। हम एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा की गई सिफारिश पर निर्णय ले सकते हैं। हम स्वतंत्र अभिकरण की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं जिसमें वृद्धि की सिफारिश की गई हो। हम इसके प्रत्येक पहलू पर विचार करेंगे। यह काम करने का न्यायोचित और तर्क संगत ढंग है। लेकिन हमने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए स्वयं एक स्थायी समिति के गठन का निर्णय ले लिया और फिर इसका व्यापक प्रचार कर दिया ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं;

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

सरकार एक काम कर सकती है। वर्तमान वेतन, भत्ते और पेंशन विधेयक सितंबर तक समाप्त होने वाला है। कुछ समय बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस समय सभा में किसानों की दुर्दशा पर चर्चा कर रहे हैं। क्या उसी दिन हम अपने वेतन और भत्तों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। यही कारण है कि यह काम किसी स्वतंत्र अभिकरण को सौंपा जाना चाहिए और हम उसकी सिफारिशों को स्वीकार करेंगे। मुझे यही कहना है। मैं इस मामले को समिति को भेजे जाने के सुझाव का स्वागत करता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री महोदय।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय बोलने के लिए खड़े हैं।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 3.00 बजे

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, सर्वप्रथम, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है और जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है।

महोदय, जब मैं 1971 में इस सभा में आया था, मैं इस सभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक था। मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमारी लोगों के प्रति प्रतिबद्धताएं अपेक्षाकृत अधिक हैं। हम सही मायनों में जनता के सेवक हैं और हमें उस सभा में पहले उनके बारे में और फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। महोदय, संसद सदस्यों और राज्यों में विधायकों में यह भावना कुदरती रूप से बढ़ती रहती चाहिए।

सर्व प्रथम, मैं आपको इस तंत्र के बारे में बताता हूं। संसद ने अपने विवेक से संविधान में अनुच्छेद 106 अंतर्विष्ट किया। उन दिनों संसद और संविधान निर्माताओं ने भी यह महसूस किया कि हमें संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी कानून बनाना होगा। यह कानून कौन बनाएगा? संसद इसका प्रवर्तन करेगी। कानून का प्रवर्तन कौन करेगा? संसद कानून का प्रवर्तन करेगी। इस विधान के लिए सिफारिश कौन करेगा? इस पर दो राय थी। एक राय यह थी कि संसद की एक समिति जिसमें सभी दल शामिल हों, इसकी जांच करे, इस बारे में सिफारिश करे और सरकार विचार करे कि क्या उस सिफारिश को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। दूसरा मत यह था कि संसद के बाहर कोई तीसरा पक्ष इस मामले की जांच करे और सिफारिश करे और उसके बाद सरकार इसके उचित-अनुचित पक्ष पर निर्णय करने। उस स्थिति में, कई संसद सदस्यों ने कहा: "जब हमने एक बार मान लिया कि ससंद सर्वोच्च है, तब क्या संसद सदस्यों के भाग्य, विशेषाधिकार और वेतन की संसद से इतर किसी अन्य निकाय द्वारा जांच की जानी चाहिए अथवा यह संसद में ही होनी चाहिए? वह बहस समाप्त नहीं हुई है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कृपया मुझे गलत न समझें।

लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने सरकार को बहुत सही सलाह की है कि संसद में अधिक स्वस्थ चित्तता और संसद सदस्यों के आचरण के लिए क्या ऐसा कोई तंत्र हो सकता है, जो सभा के सदस्यों के किसी हित से मुक्त अधिक पारदर्शी प्रतीत हो। हम माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझाव का विरोध नहीं करते। यह एक बहुत प्रशंसनीय सुझाव है। उस पर मेरी क्या प्रतिक्रिया है? सर्वप्रथम, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि हम जन भावनाओं, संवेदनाओं तथा माननीय अध्यक्ष के परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकते।

महोदय, संयुक्त समिति की अध्यक्षता श्री गिरिधर गमांग कर रहे हैं जो कि सभा के योग्य और अनुभवी संसद हैं तथा अपने क्षेत्र के जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अकेले यह सिफारिश नहीं की अपितु भाकपा के सांसद श्री विजयराधवन सहित सभी दलों के सांसदों ने उनका साथ दिया। उस समिति ने यह सुझाव दिया। संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की कि सरकार राज्य सभा के सभापति, लोक सभा अध्यक्ष तथा संसद की दोनों सभाओं में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नेताओं के परामर्श से संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करने हेतु एक स्थायी तंत्र की स्थापना हेतु कार्य विधियों पर विचार को तथा संसद के समक्ष एक उपयुक्त विधान लाए। सभा द्वारा नियुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी। कृपया समिति के सदस्यों धन्यवाद करे जिन्होंने स्वयं प्रत्युत्तर दिया तथा सिफारिशों की।

माननीय अध्यक्ष ने संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के आवधिक संशोधन हेतु एक तंत्र विकसित करने के लिए 23 मार्च को सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक का आयोजन भी किया था। सभी नेताओं ने संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में सिफारिश करने हेतु वित्त आयोजना, संविधान आदि के क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सदस्यता वाले एक वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर सिद्धांतत: एकमत होकर अपनी सहमति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

व्यक्त की। मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक स्थायी तंत्र का गठन करने के लिए सरकार सिद्धांततः सहमत हो गई है तथा इस दिशा में उपयुक्त संशोधन करने के प्रयोजन से संसद सदस्य वेतन, भत्ते ओर पेंशन विधान संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।

चूंकि संयुक्त समिति वेतन और भत्तों के संबंध में पहले ही सिफारिशें कर चुकी है अतः, अब पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है; तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के गठन से पहले एक स्थायी तंत्र का गठन किया जाएगा। सरकार ने भी अपनी मूल भावना और क्रिया विधि से माननीय अध्यक्ष की सिफारिशों और उनकी भावनाओं का समर्थन किया। अतः, इस मामले में कोई विवाद नहीं है। मैं एक अन्य विधान पेश करने जा रहा हूं।

यह विधान, जिसे पारित कराने के लिए मैं आपका समर्थन चाहता हूं वह केवल पांच वर्षों के लिए होगा। यह केवल पांच वर्षों के लिए क्यों है? मैं इसका कारण बताऊंगा। कई माननीय सदस्यों विशेष रूप से, श्री सनत कुमार मंडल, श्री गुरूदास दासगुप्त और श्री बसुदेव आचार्य जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं ने यह प्रश्न पूछा था कि "ऐसी जल्दी क्या है? अभी किसलिए?" मैं जल्दबाजी का कारण बताता हूं। मेरे पूर्ववर्ती जो कि मेरे अच्छे मित्र भी थे तथा जो आज इस दुनिया में नहीं हैं स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन जी, तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री जी 2001 में इस विधान को लाए। 2001 में इस विधान को प्रस्तुत करते समय संशोधन अधिनियम में यह उल्लेख किया गया कि 4000 रुपये के स्थान पर 12000 रुपये किया जाए तथा 12000 रुपये की यह राशि 14 सितम्बर 2006 तक वैध होगी। अतः, यदि मैं इस विधान को 14 सितम्बर, 2006 से पहले पारित नहीं करा सकता, तो हमें वापस 4000 रुपये पर जाना होगा। चूंकि, सितम्बर में सभा सत्र में नहीं होती अतः, संयुक्त समिति और सरकार के सामने इस विधान के इस सत्र में पेश करने की यह एक कानूनी बाध्यता थी।

अतः, महोदय मैं सभा के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस विधान को जल्दबाजी में लाने का सरकार का इरादा नहीं था अपितु, यह वर्ष 2001 में संशोधित पूर्व अधिनियम जिसकी वैधता केवल 14 सितम्बर, 2006 तक है की कानूनी बाध्यताओं के अनुरूप कार्यवाही करने के कारण हुआ है। अतः, यदि हम ऐसा नहीं करते तो 15 सितम्बर से वेतन की गणना 4000 रुपये के हिसाब से करनी पड़ती तथा जो कुछ भी पूर्व पांच वर्षों में हुआ था वह सब निष्फल हो गया होता। अतः, ऐसे में स्वाभाविक है कि सरकार के पास वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप विधान बनाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि विधान बनाने में कोई गलती हो जाती है तो मीडिया के दृष्टिकोण में यह अत्यंत रोचक और विशिष्ट खबर होती है तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया की टी आर पी को बढ़ाने से काफी सहायक होती है। मैं यह बात जानता हूं। मैं मीडिया की आलोचना नहीं कर रहा हूं; उनकी अपनी कार्यप्रणाली है; अपनी आजादी और स्वतंत्रता है तथा कार्य करने का अपना एक तरीका है तथा मैं, सूचना और प्रसाण मंत्री की हैसियत से कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता मैं उनकी सदाशयता और वैधता पर प्रश्न नहीं करना चाहता। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले तथ्य प्रस्तुत किए जाएं। तथ्य क्या हैं? मैं वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा किए गए इस प्रकार के कठिन परिश्रम के लिए उसका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पूरे विश्व से जानकारी एकत्र की तथा उसे सारणीबद्ध किया। समिति ने प्रतिवेदन तैयार करते समय प्रत्येक पहलू पर सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। यह प्रतिवेदन समिति ने किस प्रकार तैयार किया है यह जानने के लिए इसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): इसे परिचालित किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी हां, ऐसा किया जाएगा।

मुझे प्राप्त सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम विश्व के ऐसे सौभाग्यशाली अथवा दुर्भाग्यशाली संसद सदस्य हैं जो कि लोकतंत्र में सबसे अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते है। मैं यह बात विकसित 4 प्रजातंत्रों और विकसित राष्ट्रों के बीच में भी कह सकता हूं। मैं कनाडा, यूके, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, और जर्मनी का उदाहरण दे सकता हूं। हमारे माननीय अध्यक्ष ने फुटबाल का विश्व कप मुकाबले देखने के लिए जर्मनी की यात्रा करने के बाद मुझे यह भी बताया था कि "जब मैं जर्मनी, बुन्डेस्टेग गया तो मैंने देखा कि वहां प्रत्येक संसद सदस्य के पास सभी उपकरणों से युक्त एक कार्यालय था।" यह सब सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्हें 7000 यूरो मिलते हैं। यदि हम इसमें से कर आदि निकाल दें तो भी उन्हें 4000 यूरो की प्राप्ति होती है; और यदि हम उस धनराशि की भारतीय रुपये में गणना करें तो उनका वेतन प्रतिमाह 3 लाख रुपये से अधिक होता है। मैंने स्वयं भी तथ्यों का पता लगाया।

हमें स्वयं को छोटा नहीं बनाना चाहिए। हम देश में कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण यह है कि एक संसद सदस्य औसतन 10 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या उसे उसके निर्वाचन क्षेत्र में भत्ता रहित अंतरनिर्मित सुविधाओं से युक्त कार्यालय की आवश्यकता है। यदि आप हां कहते तो आप अवसंरचना लागत की गणना करें। यह काफी ज्यादा होगी। क्या उसे दिल्ली में अंतर्निहित सुविधाओं से युक्त कार्यालय की आवश्यकता है? यदि आप हां कहते हैं तो आप उसकी कार, उसके टेलीफोन, उसके सचिव उसके निजी स्टाफ तथा उसके दो कार्यालयों में हर चीज की अवसंरचनात्पक लागत की गणना करें।

ये सब सुविधाएं कनाडा, जर्मनी, यूके में उपलब्ध हैं तथा हम भी इनमें सुधार कर रहे हैं। हम अपनी गतिविधियों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। यह सब किस आधार पर किया जा रहा है? यह बिना किसी अवसंरचना सुविधाओं के किया जा रहा है। अतः, यदि किसी दिन आप इस विषय पर यह कहते हुए चर्चा करते हैं कि हम धन नहीं लेंगे और सरकार से हमें अवसंरचना उपलब्ध कराने की मांग करते हैं तो मैं इस बात का स्वागत करूंगा। क्या हमें हमारे निर्वाचन क्षेत्र में अंतर्निर्मित सुविधाओं युक्त कार्यालय मिलता है? जो कोई भी निर्वाचित होता है क्या वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यालय तथा दिल्ली में अंतर्निर्मित सुविधाओं युक्त कार्यालय हेतु अधिकृत है?

अन्यथा, वस्तु स्थिति यह है कि सांसद का आवास ही उसका कार्यालय होता है। उसके निर्वाचन क्षेत्र से हजारों लोग रेल से यात्रा करके सुबह-सुबह उससे भेंट करने आते हैं। वे उसके आवास पर जाकर सांसद को घेर लेते हैं। वे लोग यह सोचते हुए कि सांसद कब संसद जाएगा, कब वह वापस आएगा और कब इस मामले को निपटाएगा, सांसद की घंटों प्रतीक्षा करते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। संसद सदस्य के पास जब तक अच्छा वेतन पाने वाला निजी स्टाफ नहीं होता तब तक वह इन मामलों का निपटान नहीं कर सकेगा।

वर्ष 1971 में जब मैं संसद में आया तो मुझे याद है कि मुझे अपना पत्र टाइप कराने के लिए टाइपिंतग पूल में जाना पड़ा था। मुझे वहां पर दो घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि अन्य सांसद भी वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन मुझे वह पत्र टाइप कराने के लिए वहां लिखित रूप में देना पड़ा, शाम को वह पत्र मुझे मिला और तब मैंने उसे डाक में डाला। 1971 में यह स्थिति थी। आजकल, वर्तमान स्थिति में संभवतः कुछ सुधार हो रहा है। अतः, हम एक दूसरे पर आरोप न लगाएं। कोई भी संसद सदस्य बेइमान नहीं है। कोई भी संसद सदस्य इन चीजों का दुरूपयोग करने का प्रयास नहीं करता है। वास्तविकता यह है कि हम स्वयं ही अपनी खराब छवि बना रहे हैं जब कि हम बुरे नहीं हैं। हर प्रणाली में ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो बुरे हों। इसके लिए हम सभी सांसदों में बुराई क्यों देखें? वे सब कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं?

किसी एक मतदाता की याचिका पर कार्यवाही करने अर्थात उसे प्राप्त करने के तत्पश्चात उसे पढ़ने, प्रेषित करने तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए मैंने स्वयं हिसाब लगाया है कि एक संसद सदस्य को टेलीफोन करने सहित एक पत्र हेतु एक महीने में 65 रुपये खर्च करने पड़ते हैं यह एक याचिका, निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता के एक पत्र को न्याय देने की बात है। मैं एक मतदाता की बात कर रहा हूं। अतः, यदि हम यह कहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तो यह सही नहीं है।

हमें राष्ट्र के समक्ष यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सरकार द्वारा दी जा रही न्यूनतम संभव सहायता से लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरकार हमें विश्व मानकों यहां तक कि एशियाई मानकों से भी अधिक नहीं दे रही है कि हम लोगों की सेवा शानदार ढंग से करें। यदि मैं एशियाई मानकों की बात कहूं तो मैं सिंगापुर, मलेशिया और अपने पड़ोसी श्रीलंका इन तीन राष्ट्रों के उदाहरण लूंगा। श्रीलंका के संसद सदस्यों का वेतन 16,000 रु. प्रतिमाह नहीं है बल्कि 22,500 रु. प्रतिमाह है। अतः, मैं निवेदन करता हूं कि हम देश सेवा कर रहे हैं।

जी हां, मैं श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा अभिव्यक्त विचार से सहमत हूं। उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। ऐसे समय में जब आम आदमी के लिए कीमतें आसमान छू रही है, जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या यह अच्छा लगेगा कि संसद सदस्य वेतन बढ़ाने की बात करें? यदि आप इस दृष्टिकोण से देखें तो हमें वेतन वृद्धि नहीं करनी चाहिएं लेकिन यदि आप वास्तविकता देखें तो, हां, हमें वेतन वृद्धि करनी चाहिएं क्योंकि यदि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, तो इसी तरह करूंगा।

किसानों की सुरक्षा भी सरकार का उत्तरदायित्व है। हमारी सरकार तत्परता से इस मुद्दे का समाधान कर रही है। आप जानते हैं, तेल क्षेत्र में मूल्य वृद्धि हमारे कारण नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के कारण है। हम सभी प्रकार का बोझ वहन कर रहे हैं। पहले डीजल के उपयोग की सीमा 22 लीटर तक थी। अब, मूल्य वृद्धि हुई है। हम कुछ नहीं कर सकते। मूल्य वृद्धि के कारण यदि संसद सदस्य को कहा जाता है कि वह 10 लीटर डीजल का उपभोग करे वह दो बार से अधिक अपने निर्वाचन

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप उसे करने के लिए कहें, तो वह उसे किसी और से सहायता लेनी पड़ेगी। मैं मंत्री होने के नाते और इस सभा के सदस्य के रूप में भी बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है वह अपने हित के लिए भी कुछ करवाता है। सहायता स्वेच्छा से सीधे कभी नहीं मिलती। क्या आप अपने आस-पास से कदाचार को समाप्त करना नहीं चाहते?

जब मैं शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में इंग्लैण्ड गया था तो एक दिन मैं हाउस ऑफ कामन्स में इस मामले पर चर्चा कर रहा था उन्होंने हमें बताया कि उन्हें पता था कि हम कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यदि आप मतदाताओं के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो उसके लिये बुनियादी ढांचा कहां है? क्या आपके निर्वाचन क्षेत्र आपके पास कार है? मैंने कहा: "नहीं"। क्या राजधानी में आपके पास कार है? मैंने कहा: "नहीं"। क्या राजधानी में आपके पास कार है? मैंने कहा: "नहीं" क्या आपके पास दो निजी सचिव हैं--एक निर्वाचन क्षेत्र में और एक यहां? मैंने कहा: "नहीं" मैं 1971-72 के दिनों की बात कर रहा हूं। तुलसीदासप्पा शिष्टमण्डल का नेतृत्व कर रहे थे। अत:, हमें हकीकत को समझना चाहिए कि हमें कितने की उम्मीद करनी चाहिए और कितने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

अब, मैं पुन: पूर्व-संसद सदस्यों की बात करता हूं।

आप पूर्व-संसद सदस्यों का मामला लें। इस पर एक सामाजिक अध्ययन होना चाहिए। मैं यह अध्ययन करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे लगभग 85 प्रतिशत पूर्व-सांसद साधारण पृष्ठ भूमि से हैं। उनमें से कुछ की स्थिति खराब है। कारण चाहे जो भी हो, परिवार से अलगाव या कुछ भी । मैं यह जानता हूं। केन्द्रीय कक्ष में हममें से कुछ लोगों ने दलगत भावनाओं से कुछ उठ कर उनके बच्चों के दाखिले और शिक्षा या उन बीमारियों के लिए जिनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा भुगतान नहीं कर सकती चंदा मांगा।

[हिन्दी]

चन्दा लेने आते हैं कि 100 रुपये दे दीजिए।

[अनुवाद]

वे कहते हैं कि हमें कुछ दे दीजिए। वे केन्द्रीय कक्ष में हमसे संपर्क करते हैं। इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

जब मैं पहली बार यहां आया तो वामपंथी दलों से आसनसोल में एक पूर्व-संसद सदस्य से, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा। आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? वह आसनसोल के मुस्लिम पूर्व-संसद सदस्य थे। वह दयनीय दशा में थे। लोगों की इतनी सेवा करने के बाद वह सड़कों पर भीख मांगने की स्थिति में आ गए थे। मैं जानता हूं, मैं आपको श्री धीरेन हलदर का नाम बता सकता हूं। कुमारी ममता बैनर्जी मुझसे सहमत होंगी। वह बालागढ़ से विधायक थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उन्हें बस स्टैण्ड पर कुछ बिस्किट और दूसरा सामान बेचते और भीख मांगते भी देखा। ऐसी ही स्थिति, नवद्वीप के राजा रमण शर्मा की थी, जो सड़क पर पर्यटकों को छोटे तौलिए बेचा करते थे। ये तस्वीरें कभी टेलिविजन पर नहीं दिखाई गई। ये तस्वीरें कभी दिखाई ही नहीं गईं। कुछ ही तस्वीरें दिखाई जाती हैं। यह ठीक नहीं है।

अत:, यदि आप सर्वश्रेष्ठ तरीके से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो हमको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस राष्ट्र की क्षमता के अनुसार क्षमता से अधिक नहीं, संसद सदस्य को सहायता दी जाए। हमने संसद की संयुक्त समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। हमने स्वीकार नहीं किया। हमने उन्हें कम कर दिया, हमने उन्हें काट दिया।

इस सभा के माननीय सदस्यों से मेरी एकमात्र अपील यह है कि वह हमारा साथ दें, हम वित्तीय प्रयोजनों के संदर्भ में एक संसद सदस्य को सुपर शक्ति या सुपर मानव नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि न्यूनतम व्यय की पूर्ति की जाये जो कि इस स्थिति में एक संसद सदस्य की अपेक्षा है। मैं कुमारी ममता बनर्जी के ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ शहरी क्षेत्रों से आने वाले संसद सदस्यों से संबंधित मुद्दे पर उनसे सहमत हूं। संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से लोग आते हैं और संसद सदस्य के घर पर बैठ जाते हैं कि बेटी की शादी के लिए कुछ दे दीजिए कुछ तो दीजिए कुछ तो दीजिए। आपसे सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें यह कह कर भगा नहीं सकते कि चले जाओ, मेरे पार्टी कार्यालय या कहीं और जाओ, 100 रुपये या 200 रुपये देना ही पड़ता है। अब हम क्या करें? यह भारतीय जीवन की सच्चाई है। इंग्लैण्ड या जर्मनी या सिंगापुर में यह जीवन का सच नहीं है।

अत:, मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ ज्यादा कर रही है, संसद सदस्यों के प्रति कोई विशेष झुकाव है या संसद सदस्यों को विशेष संरक्षण दे रही है, यह सिर्फ उस संयुक्त समिति जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है, द्वारा समर्थित उचित आवश्यक न्यूनतम सहायता दे रही है। सी पी आई (एम) के श्री विजयराधवन ने समिति में केवल एक सुझाव, एक तंत्र स्थापित करने के लिए दिया था, जिसका मैंने समर्थन किया है।

अन्यथा, यह समर्थन अथवा सिफारिश सर्वसहमति से है। संयुक्त समिति ने पक्षपातपूर्ण ढंग से सिफारिश नहीं की है। यह सभी दलों द्वारा...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): क्या आप यह तंत्र स्थापित करेंगे? क्या आप ऐसा तंत्र स्थापित करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने ऐसा कहा है। आपने सुना नहीं ...*(व्यवधान)*

मैं वापस विधेयक पर आता हूं। वेतन और दैनिक भत्ते के संबंध में मौजूदा प्रावधान पाँच वर्षों के लिए थे। यह 14 सितंबर तक के लिये लागू किये गये थे। अत:, मुझे इसे लाना पड़ा। वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति ने इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट 22 मई, 2006 को प्रस्तुत कर दी है। काफी विचार-विमर्श के बाद सरकार ने संसदीय तंत्र की सिफारिश के साथ-साथ अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है जो पंद्रहवीं लोक सभा से प्रभावी होंगी।

अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्तावों को विधेयक में शामिल किया गया है और वे इस प्रकार हैं। वेतन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। दैनिक भत्ता 500 रु. से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जा रहा है। जब मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि बिहार में पटना में यह प्रावधान है कि यदि सदस्यों को पटना से बाहर बैठक में शामिल होना होता है, तो उन्हें 1,000 रुपये दिए जाते हैं। अत: मैंने कुछ अतिरिक्त या असाधारण नहीं किया है। वेतन और दैनिक भत्ते में वृद्धि 14 सितंबर, 2006 से पांच वर्ष के लिए अथवा बाद में परिवर्तन किये जाने तक लागू होगी। वर्तमान में सड़क माइलेज आठ रुपये है। इसे 13 रुपये प्रति किलोमीटर करने की समिति की सिफारिश को हमने स्वीकार कर लिया है।

महोदय, हमने एक नया उपबंध शामिल किया है कि शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य जो रेल या हवाई यात्रा नहीं कर सकते, पूरी यात्रा सड़क द्वारा करने और 13 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से सड़क माइलेज का दावा करने के हकदार होंगे। शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य रेल अथवा हवाई यात्रा द्वारा सदस्य और उसके साथी के लिए यात्रा सुविधा के बदले अपने साथी के साथ सड़क द्वारा यात्रा सुविधा के भी हकदार होंगे और उसी दर पर सड़क माइलेज का दावा कर सकेंगे।

महोदय, जब यह अधिनियम बना था तब केवल परामर्शदात्री समितियां हुआ करती थी। अब, स्थायी समितियां और संयुक्त समितियां भी हैं। अत:, संसदीय समितियों की दो बैठकों के अंतराल के दौरान विशेष रूप से बजट सत्रावकाश के दौरान सदस्यों को बारंबार यात्रा करने और यात्रा भत्ते का दावा करने में समर्थ बनाने के लिए, इस अवधि को सात दिन से कम करके पांच दिन करने की संयुक्त समिति की सिफारिश को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया है। मैंने केवल इसे दो दिन ही कम किया है।

वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रत्येक सदस्य को भारत में किसी एक स्थान से भारत में ही किसी दूसरे स्थान तक 32 हवाई यात्राएं करने की अनुमति है। हमने बढ़ाकर उसे 34 ही किया है। सदस्य शेष समय हेतु अपनी अप्रयुक्त वायु यात्राओं का अगले वर्ष उपयोग करने के लिये अधिकृत होंगे तथा आठ तक अतिरिक्त वायु यात्राओं को अगले वर्ष की अधिकृत यात्राओं में शामिल कर सकेंगे।

अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के पूर्व संसद सदस्यों को स्ट्रीमर द्वारा द्वीप से तट भूमि तक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में, पूर्व-सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमने पूर्व-सदस्यों को भी इसमें शामिल किया है।

वर्तमान में संसद के पूर्व सदस्य के लिये स्वीकृत न्यूनतम पेंशन 3000 रु. है। समिति ने 8000 रु. की सिफारिश की थी। हम इसे 6000 रु. करने पर सहमत हो गये थे। परन्तु संसद के पूर्व-सदस्यों के संघ ने कल मुझसे मुलाकात की और देर तक विचार-विमर्श करने के पश्चात् अपना मत स्पष्ट किया। इसलिए, मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया और उन्हें संसद के पूर्व सदस्यों की स्थिति से अवगत कराया। अंतत: हम सहमत हो गए और मैं, इसे 8000 रु. करने के लिए संयुक्त समिति की सिफारिश को स्वीकार करने हेतु अधिकारिक संशोधन लाऊंगा।

पांच वर्ष से अधिक की अवधि में प्रत्येक वर्ष हेतु अतिरिक्त पेंशन में केवल 200 रुपये की वृद्धि कर इसे 600 रु. से 800 रु. किया जा रहा है, वर्तमान में परिवार पेंशन केवल दो वर्षों के लिये दी जाती है और यह वर्तमान पेंशन की आधी है। यदि किसी पूर्व-संसद सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या आश्रित को केवल दो वर्षों तक परिवार पेंशन मिलेगी। हमने इसे उनकी पत्नी या आश्रित के आजीवन काल तक के लिये कर दिया है। यह भी संयुक्त समिति की सिफारिश थी।

महोदय, अन्य मदें नियम द्वारा संचालित की जायेंगी, संसदीय क्षेत्र भत्ता पहले 10,000 रु. था समिति ने इसे 24,000 रु. करने की सिफारिश की थी। सरकार ने इसे 20,000 रु. करने पर सहमति जतायी है। इसे नियमों द्वारा संचालित किया जाएगा ताकि

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

अधिनियम द्वारा वर्तमान में संसद सदस्य कार्यालय खर्च हेतु प्रत्येक माह 14,000 रु. के हकदार हैं। इसे बढ़ाकर 20,000 रु. किया गया है। क्यों? समिति द्वारा इसे 31,000 रु. करने का सुझाव दिया गया था। हमने यह सोचते कुछ इसे स्वीकृति नहीं दी कि यह अत्यधिक वृद्धि होगी। हमने इसे निम्नांकित स्लैबों पर प्रति माह 20,000 रु. तक सीमित किया। अभी, डाक व्यय की सीमा 1,000 रु. है। हमने इसे बढ़ाकर 2,000 रु. कर दिया है क्योंकि दयानिधि मारन ने सहमति जताई कि डाक टिकटों की कीमतों में वृद्धि हुई है। वर्तमान में लेखन सामग्री हेतु 3,000 रु. की सीमा है। हमने इसे 1000 रु. बढ़ाकर, 4000 रु. कर दिया है। हमने स्टाफ कार्य व्यय को 10,000 रु. से बढ़ाकर 14,000 रु. कर दिया है, क्योंकि हमने पाया कि एक अच्छा कंप्यूटर साक्षर सहायक तब तक उपलब्ध नहीं हो सकता जब तक आप उसे न्यूनतम 10,000 रु. न दें। इसलिए, हम कहते हैं कि दिल्ली में एक कंप्यूटर-साक्षर सहायक को 10,000 रु. तथा निर्वाचन क्षेत्र में एक सहायक को 4,000 रु. दिए जा सकते हैं। हमने केवल इतनी ही वृद्धि की है। यही इतनी अधिक नहीं है।

आवास और टेलिफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 के अनुसार कोई संसद सदस्य दिल्ली में अपने आवास के संदर्भ में प्रतिवर्ष बिजली की अधिकतम 50,000 यूनिटों और 4,000 किलोलीटर पानी के प्रयोग के लिए हकदार है। इन नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ताकि बिजली और पानी की अप्रयुक्त इकाइयों का अनुवर्ती वर्षों में उपयोग किया जा सके तथा खपत की गई अतिरेक इकाइयों को अगले वर्ष के कोटे में समायोजित किया जा सके। जहां पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हों और एक ही घर में रह रहे हों, वे पानी और बिजली की जितनी मात्रा के हकदार होंगे, उनको मिला दिया जाएगा। सेवानिवृति, त्यागपत्र या मृत्यु पर कोई सदस्य या उनका परिवार उस वर्ष के लिए बिजली और पानी की शेष इकाइयों की एक माह के अंदर खपत करने के लिए हकदार होगा।

सदस्य को उनके निवास पर आपूर्ति किये गये किराया मुक्त फर्नीचर के लिये टिकाऊ फर्नीचर के संबंध में अधिकतम वित्तीय सीमा को बढ़ाकर 24,000 रुपये से 60,000 रुपये तथा गैर-टिकाऊ फर्नीचर के लिए 6,000 रुपये से 15,000 रुपये कर दिया गया है।

मैंने इस बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से भी पूछताछ की है। संयुक्त संसदीय समिति ने भी कहा है कि न केवल फर्नीचर की कीमतों में वृद्धि हुई बल्कि मरम्मत लागत भी लगभग समान हो गई है। इसलिए यह समिति की सिफारिश के अनुसरण में आवश्यकतानुरूप किया गया है। हमने इसे स्वीकार किया है तथा वित्त मंत्रालय ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की है।

वर्तमान में, संसद सदस्य की मृत्यु के बाद उनका परिवार दो माह तक सरकारी आवास को रख सकता है। परिवार द्वारा सरकारी आवास अपने पास रखने की अवधि को बढ़ा कर छह माह करने पर विचार किया गया ताकि सामान इत्यादि को स्थानांतरित किया जा सके। हम परिवार के सरकारी आवास में रहने की अवधि को दो माह से बढ़ा कर छह माह कर रहे हैं।

वर्तमान में संसद सदस्य तीन लैण्डलाइन, टेलिफोन और एक बीएसएनएल मोबाइल फोन के साथ प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल करने के हकदर हैं, जो सदस्य के नाम पर कितने भी टेलिफोनों पर प्रयोग की जा सकती हैं। अब, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक अन्य बी एस एन एल/एम टी एन एल मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जहां निर्वाचन क्षेत्र 1,000 कि.मी. दूर हो वहां 20,000 अतिरिक्त स्थानीय कॉलें प्रदान की जाएंगी, जैसी कि संयुक्त समिति द्वारा सिफारिश की गई है। संसद सदस्यों हेतु कंप्यूटरों का प्रावधान करने संबंधी समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय सदस्यों को प्रतिवर्ष 1,000 मुफ्त स्थानीय कॉलों के एवज में प्रत्येक ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन के संबंध में ब्रॉडबैंड सुविधाएं अलग से उपलब्ध करायेंगे, प्रत्येक ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन के संबंध में सरकार ने एक टेलिफोन पर ब्रॉडबैण्ड सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है बशर्ते कि किराया प्रति माह 1500 रु. से अधिक न हो।

संयुक्त समिति ने संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के निर्धारण हेतु स्थायी तंत्र का निर्माण करने हेतु सिफारिश की है। मैंने इसे पहले ही स्वीकार किया है कि मैं इस पर विचार करूंगा तथा मैं इस संबंध में अगले सत्र में एक विधान ला रहा हूं जो 15वीं लोक सभा से प्रभावी होगा।

इन प्रस्तावों के संबंध में कानून और नियम बनाये जायेंगे। इसके साथ ही मैं सभा से अनुरोध करता हूं जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है, अधिनियम के उपबंधों और सिफारिशों तथा इसके अंतर्गत नियमों को स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधयेक पर खंड-वार विचार आरंभ करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 4—धारा 5 का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री खरबेल स्वाई संशोधन संख्या प्रस्तुत करेंगे।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, मैं केवल कुछ बातें कहना चाहूंगा। मेरे लिए यह काफी आश्चर्यजनक है कि यद्यपि मैंने दो संशोधन दिए हैं, केवल एक संशोधन को ही वितरित किया गया है। दूसरा संशोधन वितरित नहीं किया गया है। क्या इसे छापा नहीं गया?

मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं कि सदस्य के रूप में मैंने एक संशोधन दिया है। इसे सभा की सहमति के लिए रखा जाना चाहिए। यदि सभा सहमत नहीं है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ कि मेरा संशोधन मुद्रित नहीं हुआ और वितरित नहीं किया गया? मैं आपको बताता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाई, आपका दूसरा संशोधन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, कृपया मुझे यह बताने की आज्ञा दें कि वह संशोधन क्या था। मैं केवल इसका उल्लेख करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसकी गुंजाइश नहीं थी। अत:, हमारे माननीय अध्यक्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई: इसे अस्वीकार क्यों किया जाए? मैं इसके बारे में आपको बताता हूं...*(व्यवधान)* मैं अपने संशोधन की बात पर कायम हूं, लेकिन एक वाक्य में मैं आपको इस संशोधन के बारे में बताऊंगा। यह प्रश्न पहले ही कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है। मैं चाहता था कि एक नया खण्ड 10 होना चाहिए, और यह इस प्रकार होना चाहिए कि:

"सदस्यों को इस विधेयक के माध्यम से बढ़ाए गए वेतन, भत्ते और पेंशन को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।"

मैं केवल यही चाहता था कि वे सभी सदस्य जो यह नहीं चाहते, उन्हें इसे अस्वीकार करने दीजिए। मैं केवल यही कहना चाहता था और, इसलिए, मैं यह संशोधन लाना चाहता था, लेकिन यह अस्वीकार कर दिया गया। श्री प्रसन्न आचार्य ने भी उसी प्रकार का संशोधन दिया, लेकिन उनके संशोधन को भी अस्वीकार कर दिया गया है। इसे अस्वीकार क्यों किया जाए? यह जानकर हैरानी हुई है कि जो कुछ लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप आपना अमेंडमेंट मूव कीजिए।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई: मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को सूची में शामिल किया जाए...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): अध्यक्षपीठ के निर्णय पर बहस न करें।

श्री खारबेल स्वाई: कुछ लोग इतना महान बलिदान करना चाहते थे, हम उन्हें देश के लिए बलिदान करने का अवसर क्यों नहीं देते? श्री गुरूदास दासगुप्त ने कहा है कि वे विमत टिप्पण दे रहे हैं। मैं वह चाहता हूं, उस विमत टिप्पण पर ध्यान दिया जाए, और उन्हें इस देश के उन गरीबों के लिए बलिदान करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

खैर, चूंकि यह संशोधन मुद्रित नहीं हुआ है, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: गोयल जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी, आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

[अनुवाद]

आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, वह समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूं। एकमात्र संशोधन जिसे सूचीबद्ध किया गया है, के विषय में माननीय मंत्री से एक अपील करना चाहता हूं कि संख्या में दो और बढ़ा इसे कुल छत्तीस कर दिया जाए। यदि वह सहमत हैं, तो ठीक है; यदि वह सहमत नहीं भी हैं, तो मैं संशोधन के लिए दबाव नहीं डालूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 "चौंतीस" के स्थान पर "छत्तीस" प्रतिस्थापित किया (1)।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यदि हम दोनों पंद्रहवीं लोक सभा में निर्वाचित हो जाते हैं, तो मैं उनकी अपील पर विचार करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा का यह मत है कि खारबेल स्वाईं द्वारा प्रस्तावित संशोधन को वापस ले लिया जाए?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अभी इसके लिये समय नहीं है। आप बैठ जाइये।

खण्ड-7—धारा 8क में संशोधन

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: ब्रजेश पाठक जी, क्या आप अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं?

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा संशोधन सर्कूलेट नहीं किया गया है। हमारा संशोधन था कि जो हमारने पूर्व सदस्य हैं, उनकी पेंशन के साथ डी.ए, भी जोड़ दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अब आप अपना अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं?

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, मैं अपना अमेंडमेंट मूव करना नहीं चाहता हूं।

[अनुवाद]

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 3, पंक्ति 22, "छः हजार रुपये प्रति मास" के स्थान पर "आठ हजार रुपये प्रति मास" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

(श्री प्रियरंजन दासमुंशी)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 7 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अब आप अपना अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं?

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, मैं अपना अमेंडमेंट मूव करना नहीं चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यह किस डेट से एप्लाई होगा?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जैसा मैंने पहले कहा, यह 14-9-2006 से प्रभावी होगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.36 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेश की सूचना दे रहा हूं:

"राज्य सभा के प्रक्रिया' और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006 जिसे राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त, 2006 को हुई बैठक में पारित किया गया है की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006 को सभा पटल पर रखता हूं, जिसे राज्य सभा ने 22 अगस्त, 2006 को पारित किया था।

अपराह्न 3.38 बजे

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 18

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

देश में मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देने और उनका संरक्षण करने हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत अक्टूबर, 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन एच आर सी) का गठन किया गया था। लगभग पांच वर्षों तक इस कानून को लागू करने से प्राप्त हुए अनुभव के आलोक में आयोग ने यह महसूस किया कि इस कानून की संरचना में मौजूद खामियों पर पुन: विचार करने की आवश्यकता थी। मई 1998 में एन एच आर सी ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की संरचना में परिवर्तन तथा संशोधन करने की आवश्यकता का आकलन करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश, न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति अहमदी की अध्यक्षता में उपरोक्त सलाहकार समिति ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन के सुझाव दिए। तत्पश्चात् एन एच आर सी ने सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा सरकार को अधिनियम में संशोधन के सुझाव दिए।

अधिनियम के कार्य क्षेत्र और दायरे को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विधि मंत्रालय की एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने एन एच आर सी द्वारा सुझाए गए संशोधनों की जांच की। सरकार ने अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2005 को 8 दिसम्बर, 2005 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया। राज्य सभा के माननीय सभापति ने इस विधेयक को विभागों से संबद्ध गृह मंत्रालय की स्थायी समिति को जांच के लिए भेज दिया। संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक पर खंडवार विचार करने के बाद प्रस्तावित परिवर्तनों से संबंधित संशोधनों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने हेतु कुछ संशोधनों का सुझाव दिया ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने विचार के पश्चात संसदीय स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। इन्हें सरकारी संशोधनों की सूची में दर्शाया गया है तथा विधेयक के साथ प्रस्तुत किया गया है...*(व्यवधान)*

प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

अध्यक्ष पद हेतु भारत के किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश को पात्रता के मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त तीन वर्ष की न्यूनतम

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

सेवा सहित उच्चतम न्यायालय के किसी योग्य जज को एन एच आर सी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र बनाना।

इस संशोधन से राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की वर्तमान संख्या पांच से कम होकर तीन रह जाएगी। इससे राज्यों में इस प्रकार के आयोगों के खर्चों में कमी करने में मदद मिलेगी। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि वित्तीय कारणों से कोई राज्य अपना स्वयं का आयोग गठित करने में असमर्थ है तो वह राज्य अपनी चयन समिति के अनुमोदन से स्वयं के लिए किसी अन्य राज्य के आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को सहयोजित कर सकता है। इससे हम छोटे राज्यों को मानव अधिकार आयोग का लाभ प्राप्त होगा।

प्रस्तावित संशोधनों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोगों को प्रेषित किया जा सकेगा। एन एच आर सी को वर्तमान में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। जिससे इन शिकायतों के निपटान में बहुत समय लगता है। इस संशोधन से एन एच आर सी को निपटान हेतु इन शिकायतों को संबंधित राज्य के मानवाधिकार आयोग को प्रेषित करने में सहायता मिलेगी। एन एच आर सी को संबंधित राज्य सरकार को बिना किसी पूर्ण सूचना के उसकी किसी जेल अथवा अन्य संस्थान का दौरा करने का अधिकार दिया गया है। इससे आयोग जेलों का औचक दौरा करने में समर्थ होगा।

अपराह्न 3.42 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग जांच के किसी भी स्तर पर क्षतिपूर्ति के लिए अंतरिम सिफारिशें करने में सक्षम होंगे जबकि वर्तमान कानून के अनुसार केवल जाच पूरी होने के पश्चात ही ऐसा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब कभी भी एन एच और सी अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग को क्षतिपूर्ति दिया जाना तर्कसंगत लगे तब मानवाधिकार हनन के शिकार व्यक्ति अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकें। संशोधनों में एन एच आर सी और उसके अध्यक्ष को आयोग को प्राप्त न्यायिक कार्यों और विधेयक के खंड 18 के अंतर्गत कानून बनाने की शक्तियों के अतिरिक्त महासचिव को कुछ शक्तियों और कार्य प्रत्यायोजित करने का भी अधिकार दिया गया है। संशोधन में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अस्तित्व में आने के पश्चात् उनके अध्यक्षों के लिए आयोग में अलग से सदस्यता प्रदान करने का भी प्रावधान है।

विधेयक के अन्य संशोधनों में यह स्पष्ट किया गया है कि एन एच आर सी तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष संबंधित आयोगों के सदस्यों से अलग होंगे। केन्द्र सरकार को भावी अंतर्राष्ट्रीय करारों और समझौतों जिन पर अधिनियम लागू होगा को अधिसूचित करने में समर्थ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय करारों की परिभाषा में भी संशोधन कर दिया गया है।

यह आशा की जाती है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन जो कि आपके समक्ष विधेयक में विहित किए गए हैं से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग और अधिक कार्य कुशलता से कार्य कर सकेंगे तथा इससे मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में सहायता मिलेगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सभा के विचार और अनुमोदन हेतु इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं मानव अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005 पर वाद-विवाद के लिए खड़ा हुआ हूं।

अपना भाषण प्रारंभ करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 108 करोड़ की जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश में मानव मूल्यों का संरक्षण देश के प्रशासक अथवा सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है।

अत: मानव मूल्यों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आश्चर्य की बात यह है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित करने और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के 12 वर्षों के पश्चात भी यह देश के सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ है। यह केवल 16 राज्यों में लागू है। मानव अधिकार आयोग को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार उल्लंघनों संबंधी लगभग 10,000 शिकायतें प्राप्त होती हैं। अत: सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह मानव अधिकारों का संरक्षण करें। 1998 में उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, अहमदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र की जांच करना था और यह देखना था कि मानव मूल्यों के संरक्षण हेतु इसे किस प्रकार और

अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। श्री अहमदी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वह हैं, केवल उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश की मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता था। इस नए विधेयक में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जिसे तीन वर्ष का अनुभव हो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार पहले यह आवश्यक था कि राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रमुख उच्च न्यायालय एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए जो उस विशेष राज्य की बोली अथवा क्षेत्रीय भाषा जानता हो। उन दिनों में देशी बोली जानने वाले उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पता लगाना मुश्किल था। अतः, अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसे न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो अथवा एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश जिसे सात वर्ष का अनुभव हो, राज्य मानव अधिकार उपयोग का प्रमुख बन सकता है।

माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि पहले ऐसा होता था कि यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी जेल अथवा किसी अस्पताल अथवा किसी अपंगाश्रम का दौरा करना चाहता था तो उसे संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती थी। आज इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी भी जेल में जा सकता है और पूछताछ कर सकता है। वह जेल में रहने वाले लोगों की स्थिति देख सकता है। वो किसी भी अपंगाश्रम अथवा पागलखाने अथवा युद्ध बंदियों के किसी शिविर अथवा सैनिक बंदी ग्रह में जा सकता है।

महोदय, मानव अधिकार केवल थाने से ही संबंधित नहीं है। यदि सरकार गरीब लोगों को मूल सुविधाएं प्रदान नहीं करती, उन्हें मूल आर्थिक लाभ प्रदान नहीं करती, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य का रखरखाव अथवा उनका पुनरुद्धार नहीं करती तो यह भी मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा भी समय था जब कीचीपुट बलॉक के लोग और आदिवासी आम की गुठली खाने को मजबूर थे। के.बी.के. अथवा देश के पिछड़े क्षेत्रों में गरीब लोग गरीबी और भुखमरी में रहने के लिए मजबूर हैं। यदि कोई किसान आत्महत्या करता है तो वह भी मानव अधिकार का उल्लंघन है। अत: ये सारे मानव अधिकारों का उल्लंघन है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग सुदृढ़ होंगे।

साथ ही, संयुक्त राज्य महासभा, जिसमें हम भी एक हस्ताक्षरकर्ता हैं, में पारित अंतर्राष्ट्रीय समझौते के संबंध में विधेयक में एक प्रावधान है। मानव अधिकारों का विचार सबसे पहले 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् आया था, संयुक्त राज्य महासभा में मानव अधिकार की सार्वभौम योजना संबंधी एक संकल्प पारित किया गया था। वर्ष 1948 से 1966 की अवधि के दौरान पूरे विश्व में लोकतंत्र को सफल बनाने और उसके संरक्षण हेतु मानव अधिकारों और मूल्यों का संरक्षण आवश्यक था।

अत:, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संकल्प पारित किया गया तथा भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे।

मानव अधिकार संबंधी पांच महत्वपूर्ण समझौते भारत भी जिसका हिस्सा है, इस प्रकार हैं (भारत ने जिस वर्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए थे) नागरिक और राजनैतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, सभी प्रकार के जाति भेद को समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने संबंधी समझौता और बाल अधिकारों संबंधी समझौता। गृह मंत्रालय द्वारा अभी भी उत्पीड़न और अन्य क्रूरता, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड के विरुद्ध समझौते को अभिपुष्ट नहीं किया गया है।

महोदय, मैं भारत सरकार, गृह मंत्रालय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार आतंक, उत्पीड़न अथवा अन्य किसी क्रूरता अथवा अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड के विरुद्ध समझौते में कब अभिपुष्ट करेगी। इस समस्या के निपटान हेतु, कोई विधान अभी तक नहीं बनाया गया है जिसका संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया है। अब, भारत को ऐसा करना है।

मानव अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भारत ने दिसम्बर, 2002 में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्रालय ने इसे भी अभिपुष्ट नहीं किया है।

वार्ता प्रक्रिया और ओपननेस हेतु एक्सपर्ट ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में इसकी भूमिका भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समझौते के संबंध में वार्ता में भारत की सक्रिय भागीदारी को ही ले लीजिए। वोल्कर रिपोर्ट और 'तेल के बदले अनाज' घोटाले के कारण भ्रष्टाचार पर बल दे रहा हूं। यह भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न परिस्थितियों और विदेशों में सुरक्षित रखे गए धन की वापसी के लिए समझौते में बाध्यकारी प्रावधानों पर जोर देने के लिए विकसित देशों को एक अधिकार प्रदान कर रहा है। अत: भारत में एक समानांतर अर्थव्यवस्था है। जैसा कि आप जानते

[श्री विक्रम केशरी देव]

हैं अधिकांश धन स्विस बैंकों, जुरिक में विदेशी बैंकों में सेंट कीट्स और इसी प्रकार के बैंकों में सुरक्षित रखा गया है। विकसित देश संबंधित देश में प्रभावी निवारक उपायों के बाध्यकारी प्रावधान और सुशासन तंत्र की मांग कर रहे हैं। इससे मानवाधिकार मूल्यों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि हमारे देश का यह धन गुप-चुप तरीके से विभिन्न देशों में जा रहा है, जिसका उपयोग हमारे देश के विकास और लाभ के लिये हो सकता था। अत: मुझे उम्मीद है कि इस विधेयक पर गंभीरता से विचार होगा।

महोदय, हमें पेरिस सिद्धांतों पर अमल करना चाहिये। भारत ने भी पेरिस सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किये हैं। पेरिस सिद्धांतों के अनुसार हमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध लड़ाई के लिये प्रतिबद्ध होना होगा। ऐसे आरोप लगे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कुछ लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन हम यह लोकतंत्र के लिए कर रहे हैं। आतंकवाद के नाम पर जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वे जातीय युद्ध कर रहे हैं और देश तथा लोकतंत्र के विरुद्ध फिदायीन युद्ध लड़ रहे हैं। अत: उसे कुचलना होगा।

महोदय, मुझे कुछ और बातें कहनी हैं। जैसा कि आप जानते हैं जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, हमारे संविधान निर्माता अपने लोकतंत्र में मानवीय मूल्यों और मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति बहुत सजग थे। अत: संविधान तैयार करते समय देश में मूल अधिकारों पर निर्णय करने हेतु उन्होंने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत न्यायालयों को अधिकार दिये। अनुच्छेद 14 में समानता अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।

अत: ये मूल अधिकार हमारे संविधान में वर्णित हैं। ये मानवाधिकार मूल्य संविधान के मूल अधिकारों के रूप में वर्णित हैं। यही मेरा कहना है। हमारा देश एक बड़ा देश है जहां करीब 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस गरीबी से लड़ने की आवश्यकता है। मानवीय मूल्यों की संरक्षा के लिए उनका जीवन स्तर, पोषण दर, भोजन की गुणवत्ता और जीवन की गुणवत्ता का आंकलन करना होगा। तत्पश्चात् हमें उनके आर्थिक संकेतकों को सुधारने की कोशिश करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि मानवाधिकार आयोग सरकार को निर्देश देगा।

कालाहांडी में ऐसे ही एक मामले में पनसपुंजी ने नवपाड़ा जिले के मरयाल विधान सभा क्षेत्र में अपने बच्चे को बेच दिया। कालाहांडी संसदीय क्षेत्र में नवपाड़ा जिले के कोम्पा ब्लॉक के चट्टा गांव में गरीबी और भुखमरी से होने वाली मौतों पर उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई। 1985-86 में श्री कृष्ण पटनायक ने उच्चतम-न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। इसके लिये ये उन्हें धन्यवाद देता हूं। वे एक महान समाजवादी और जुझारू नेता थे। उच्चतम न्यायालय में उन्होंने कालाहांडी पर एक याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले पर गौर करने के लिये मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया। इसके बाद पता चला कि उन लोगों की मौत खाना न मिलने के कारण नहीं अपितु जड़ और कन्द मूल खाने से हुई। वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली विफल थी। तत्पश्चात् के.बी.के. कार्यक्रम शुरू किया गया। मुझे यह कहते हुये बहुत खेद है कि यूपीए सरकार ने के.बी.के. कार्यक्रम बंद कर दिया है।

अत:, मैं सरकार से उड़ीसा हेतु यह कार्यक्रम उसी रूप में फिर से शुरू करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि उड़ीसा एक गरीब राज्य है। वहां कई मानवीय मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता है। विधेयक प्रस्तुत किए जाने से मुझे उम्मीद है कि कुछ होगा। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि कई राज्यों में मानवाधिकार आयोग काम नहीं कर रहे हैं। केवल 16 राज्यों में मानवाधिकार आयोग काम कर रहे हैं... *व्यवधान)* बाकी जगह ह्यूमन राइट्स कमीशन लागू हैं लेकिन आपकी स्टेट में लागू नहीं हैं। आपने यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली में इसको लागू करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि मौजूद है। यह आतंक के विरुद्ध अधिकार है। आप बताइए कि आप बिल लाकर इस बारे में कानून कब बना रहे हैं?

सभापति महोदय: श्री अधीर चौधरी आप कुछ मिनट ही बोल सकते हैं क्योंकि चार बजे हमें दूसरे विषय पर चर्चा करनी है। आप अगली बार अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर-पश्चिम बंगाल): वास्तव में मैं मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 नामक विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह विधायी दस्तावेज हमारे समाज, हमारे जीवन में बहुत प्रासंगिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक का उद्देश्य आयोग के गठन और इसके अधिदेश में सुधार लाना है।

विधेयक का उद्देश्य प्रधान अधिनियम की 17 धाराओं में संशोधन करना और उसमें एक नई धारा 40(ख) जोड़ना है। संशोधनों को सारभूत परिणामात्मक और स्पष्टीकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह सच है कि इस अधिनियम को लागू हुये 14 वर्ष बीत चुके हैं तत्पश्चात् हम संशोधन ला

रहे हैं। यह कहना निरर्थक है कि जहां तक मानवाधिकारों का संबंध है, हम शुरूआती चरण में हैं क्योंकि मानवाधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र वर्ष 1948 में प्रतिस्थापित हुआ था।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय: आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

अब सभा मद संख्या 21—भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेगी।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (कोलकाता दक्षिण): महोदय हम पुन: नियम 193 के अंतर्गत एक नई चर्चा करने जा रहे हैं, जबकि सभा में दो अन्य चर्चायें पहले से ही लंबित हैं।

सभापति महोदय: महोदया, यह निर्णय पहले से ही हो चुका है कि इस मद पर आज 4 बजे चर्चा होगी।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, कृपया आप सभा को आश्वासन दें कि अन्य दो लंबित चर्चायें कब होंगी।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, नियम 193 के अंतर्गत दो चर्चायें पहले से ही लंबित हैं और केवल कुछ सदस्यों ने बेला है तथा वे अपूर्ण हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं इस समय इस मामले में असहाय हूं। शुरू की गई किसी भी चर्चा को उसी दिन समाप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही, माननीय नेतागण इस बात पर भी जोर देते हैं कि किसी दिन विशेष को विशेष चर्चा कराई जाए। आज की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी और इसलिए इस हेतु 4 बजे का समय तय किया गया था। इसलिए यह चर्चा हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अन्य दो विषयों पर चर्चाओं से बच रहे हैं। अभी दो दिन शेष हैं, हम इन पर चर्चा करेंगे।

कुमारी ममता बैनर्जी: यह सही है कि इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया था, परन्तु मैं यह जानना चाहती हूं कि नियम 193 के अंतर्गत दो-तीन चर्चाएं लम्बित क्यों हैं। वे एक चर्चा को लेते हैं, दो वक्ता बोलते हैं और फिर अन्य चर्चा को ले लेते हैं और फिर दो वक्ता बोलते हैं तथा वे फिर अन्य चर्चा को ले लेते हैं। यह क्या है? माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो।

सभापति महोदय: अब माननीय प्रधानमंत्री आ गए हैं, मेरे विचार से हम चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं।

अपराह्न 4.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत-अमरीका परमाणु समझौते के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, मैं अमरीका के साथ परमाणु समझौते के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

गत डेढ़ माह से हम यही बात कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर केवल चर्चा ही नहीं कराई जाए अपितु सभा की राय भी ली जाए। हम इस विषय विशेष पर सभा की राय लेने की बात क्यों कर रहे हैं? काफी समय से हम मांग कर रहे हैं कि भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर सभा की राय ली जानी चाहिए।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, केवल एक मिनट!

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये। वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, वह यह कैसे कह सकते हैं कि यह एक सौदा है; क्या इस संबंध में कोई अनुबंध किया गया है अथवा नहीं? अभी इसका निपटान किया जाना है। इस स्थिति में वो इसे सौदा केसे कह सकते हैं?

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने इस सभा में 29 जुलाई को एक वक्तव्य दिया था; फिर अगस्त माह में एक वक्तव्य दिया था और फिर मार्च में एक वक्तव्य दिया था। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने 29 जुलाई के वक्तव्य में क्या कहा था? मैं उद्धृत करता हूं: "मैं सभा को आश्वास्त कर सकता हूं कि जहां तक हमारी मूलभूत राजनीतिक आवश्यकताओं का संबंध

[श्री बसुदेव आचार्य]

है, हमने न कभी समझौता किया है और न कभी करेंगे। हमारी विरासत पर हमें भरोसा है। हमारा अनुभव हमें साहस देता है, हमारी आस्था हमें वर्तमान के निर्धारण की सोच देती है कि हमारा देश और बेहतर भविष्य की दहलीज पर खड़ा है।"

यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 जुलाई, 2005 को दिए गए वक्तव्य का सार है। मार्च माह में अमरीकी राष्ट्रपति के दौरे के बाद सभा की दो समितियों एक सीनेट और दूसरी यूएस कांग्रेस ने विचार-विमर्श किया और एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया। महोदय, जब हमने यह देखा कि दोनों विधेयकों में कई विचलन हुए थे और ये विचलन सौदे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर हैं, तब हमने महसूस किया कि इस संबंध में चर्चा होनी चाहिए और सभा की चिंता भी व्यक्त होनी चाहिए।

महोदय, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अनुसमर्थन करने के संबंध में भारत की संसद को संविधान के अंतर्गत किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। हम 1994 से इसकी मांग करते रहे हैं, जब विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। संसद को जानकारी दी गई थी लेकिन भारतीय संसद ने कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का न तो समर्थन किया और न ही अनुमोदन किया अमरीकी संसद के पास शक्ति है, लेकिन हमारे पास नहीं है।

महोदय, वहां यह व्यवस्था है कि सीनेट और अमरीकी कांग्रेस दोनों विधेयक पारित करते हैं और फिर दोनों की सहमति के पश्चात् यह अधिनियम बनता है। हमने पहले ही कहा है और दूसरे सदन में इसी मुद्दे पर बहस का उत्तर देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने उन सभी नौ प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जिसके बारे में हमने कहा है कि विचलन कहां-कहां है। लेकिन हमने जो प्रमुख चिंता इस सौदे से संबंध में और सीनेटर द्वारा दिए जा रहे वक्तव्य के तरीके के संबंध में व्यक्त की है, वह यह है कि क्या हम अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति बरकरार रख पायेंगे। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं।

यह ईरान से संबंधित है; यह गैस पाइपलाइन से संबंधित नहीं बल्कि उस शर्त से संबंधित है, जो ईरान को भारत द्वारा समर्थन के संबंध में उनके सौदे में शामिल की गई है। इससे हमारी स्वतंत्र विदेश नीति प्रभावित होगी। हम स्वतंत्र विदेशी नीति की मांग क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह घोषित किया गया है कि हमारी स्वतंत्र विदेशी नीति होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम राष्ट्रीय हित में एक स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन कर रहे हैं। हमने ईराक और ईरान के मामले में क्या देखा है? जुलाई वक्तव्य के बाद और जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में मतदान हो रहा था, हमने देखा कि हम संयुक्त राज्य अमरीका की ओर हैं। हमने अमरीका और पी-5 द्वारा प्रस्तावित संकल्प का समर्थन किया। इससे पहले यह आशा नहीं की जा सकती थी। जब हम अपनी जरूरत की गैस ईरान से पाकिस्तान के रास्ते ला रहे थे हमने ईरान के संबंध में अमरीका के रुख का समर्थन किया। तब हमने महसूस किया कि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति प्रभावित हुई है।

हम अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं। हमने स्वतंत्र रूप से अपना पहला ब्रीडर रिएक्टर अपने देश में विकसित किया है। 1974 के परमाणु परीक्षणों और पोखरन परमाणु परीक्षणों के बाद हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। प्रतिबंधों के बावजूद, हमने स्वतंत्र रूप से, हमारे वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से पहला ब्रीडर रिएक्टर विकसित किया हमारे वैज्ञानिकों ने प्रशंसनीय कार्य किया था। दोनों ही सौदों में, संयुक्त राज्य अमरीका पाला बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने 29 जुलाई को बहुत स्पष्ट शब्दों में–जो चिंता हमने व्यक्त की है–कहा है कि भारत अपने सामरिक हित के लिए कोई समझौता नहीं करेगा।

सभा के संकल्प में कहा गया है:

> "भारत की विदेश नीति अमरीकी विदेश नीति के समरूप है और हम परमाणु अप्रसार संबंधी विदेशी नीति की महत्वपूर्ण पहल में अमरीका के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे सहयोग से परमाणु अप्रसार उद्देश्यों विशेषकर आतंकवाद का समर्थन करने वाले ऐसे देशों और आतंकवादी गुटों जो परमाणु हथियार क्षमता विकसित करने या सामूहिक विनाश के हथियार और ऐसे हथियारों को ले जाने में सक्षम प्रणाली दाखिल करने में लगे हैं, इन्हें यह छोड़ने के लिए राजी करने, अलग-थलग करने और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लक्ष्य हासिल करने में अधिक राजनीतिक और अन्य सहायता की जा सकेगी।"

इसे जानबूझकर विधेयक में शामिल किया गया है। इसका क्या अभिप्राय है? दोनों विधेयकों पर सहमति हो जाने के बाद, यह अधिनियम बना दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विधेयक हमारे लिए बाध्यकारी होगा अथवा नहीं।

कुछ उपबंध हैं जो बाध्यकारी नहीं हैं। यदि ये उपबंध बाध्यकारी नहीं हैं, तो उन उपबंधों को लाने के और इन्हें विधेयक में शामिल करने की आवश्यकता ही क्या क्या है।

महोदय, इसके पीछे संयुक्त राज्य अमरीका का मकसद बहुत स्पष्ट है कि वे ऐसा उपबंध क्यों लाना चाहते हैं और वे विधेयक में ही ऐसा उपबंध शामिल करना क्यों चाहते हैं।

महोदय, इसमें यह भी है:

"परमाणु हथियारों को विकसित करने की क्षमता और सामूहिक विनाश के हथियारों को ले जाने में सक्षम तंत्र समेत जन-संहार के हथियारों को हासिल करने में ईरान को हतोत्साहित करने और यदि आवश्यक हो, तो उस पर प्रतिबंध लगाने समेत सभी प्रयासों में भारत का पूर्ण और सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।"

विधेयक में यह शामिल किया गया है। तो, क्या होगा? वाद-विवाद का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया है कि अन्य देशों की विधायिकाओं ने भी विधेयक पारित किया, विधान बनाया और वे हमारे लिए बाध्यकारी नहीं होगा। लेकिन हमें आशंका है कि जब ऐसा उपबंध किसी उद्देश्य से शामिल किया गया है, और यदि हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं करते, तो इस समझौते का क्या होगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समझौते से स्पष्ट विचलन है अथवा नहीं। इस वाद-विवाद का उत्तर देते समय प्रधानमंत्री इस प्रश्न को स्पष्ट करेंगे।

ऐसे अन्य उपबंध भी हैं धारा 4(2) के अनुसार:

"यदि इस अधिनियम, 1954 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम अथवा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अनुसरण में भारत के लिए परमाणु अंतरण निषिद्ध है, तो राष्ट्रपति को एन एस जी अथवा किसी अन्य स्रोत में भागीदारी कर रही अन्य सरकार से भारत की परमाणु उपकरण सामग्री अथवा प्रौद्योगिकी के अंतरण को रोकना चाहिए।"

महोदय, ये विषयेतर उपबंध हैं, जो विधेयक में शामिल किए जा रहे हैं। इसके अतिरिकत, यह भी कहा जाता है कि भारत को एक तिथि निर्धारित करके घोषणा करनी होगी, जिस दिन से भारत परमाणु हथियारों के लिए विखण्डनीय सामग्री का निर्माण बंद कर देगा और उसे एक तरफा बढ़ावा देगा।

तत्पश्चात्, धारा 103, उप-धारा 9 में विहित है कि 'भारत को परमाणु ईंधन के निर्यात से भारत में गैर-नागरिक प्रयोजनार्थ विखंडनीय सामग्री के उत्पादन को किसी रूप में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। यदि इन उपबंधों को अधिनियम में सम्मिलित किया जाता है यह माना जाता है कि प्रारूप विधेयक में सहमति के बाद, जिसे दोनों समितियों ने तैयार किया है, ये सभी प्रावधान प्रारूप विधेयक में अंतर्विष्ट हैं। हमारी आशंका यह है कि जब इस पर सहमति हो जाएगी और यह अधिनियम बन जाएगा, क्या ये सभी प्रावधान स्वत: ही अधिनियम में समाहित हो जायेंगे।

इसलिए, यदि ये प्रावधान अधिनियम में समाहित किए जाते हैं तो क्या इससे परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा में हमारा अनुसंधान और विकास बाधित नहीं होगा।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी सभा में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए उन्होंने जो कहा था, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा।

सभापति महोदय: आचार्य जी, आपका, आवंटित समय समाप्त हो चुका है, और यह आपके लिए अतिरिक्त समय है।

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, महोदय, अभी मैं केवल 10 मिनट बोला हूं।

सभापति महोदय: आपको आवांटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने अभी बोलना शुरू किया है। मुझे अभी कई बातें कहनी हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात जारी रखें। मैंने आपको केवल चेतावनी दी है कि आपका समय तेजी से समाप्त हो रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य: आपने मुझे केवल चेतावनी दी है। इसका अर्थ है कि मैं अभी 15-20 मिनट और बोल सकता हूं। *...(व्यवधान)*

दूसरे सदन में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था: "यदि अमरीकी कांग्रेस अपने विवेक से विधेयक को वर्तमान स्वरूप में पारित करती है, तो यह भारत के लिए अस्वीकार्य होगा; हम माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि यह अपने वर्तमान स्वरूप में भारत के लिए अस्वीकार्य होगा। कूटनीतिक दृष्टि से इसे बाद में बदलना कठिन होगा। इसलिए हमारी संसद के लिए यह

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बसुदेव आचार्य]

आवश्यक है कि वह इसी स्तर पर परमाणु समझौतों हेतु ठोस नियम बनाये और उन पर अडिग रहे।

जब यह अस्वीकार्य होगा, तो समझौते का क्या होगा? यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री पहले ही राष्ट्रपति बुश से बात कर चुके हैं, जैसा कि उन्होंने अन्य सदन में बताया है कि कुछ असंगत प्रावधान विधेयक में समाहित किए जा रहे हैं, जिनसे हम सहमत नहीं हैं। इसके बावजूद, संयुक्त राज्य अमरीका में यह किया जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए सभा की राय ली जाए। जब अमरीकी कांग्रेस विचार-विमर्श, चर्चा और असंगत शर्तों को समाहित कर सकती है, तो हम यहां चर्चा क्यों नहीं कर सकते, एकमत और सभा की राय क्यों नहीं ले सकते?

इसे अमरीकी कांग्रेस को भेजा जाना चाहिए और इससे संयुक्त राज्य अमरीका को हमारे दृढ़ संदेश को भेजने के संबंध में हमारे प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूती प्राप्त होती। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया। परन्तु हम उसे स्वीकार करते हैं, जो उन्होंने वहां कहा है। इसे सभा की राय माना जा सकता है क्योंकि अन्य सभा के सदस्यों से एकमत प्रकट हुआ है।

कुछ निहित और बाह्य कारण हैं। निहित कारणों में, मैं पहले ही अपनी विदेश नीति के बारे में बता चुका हूं। मैं यह भी बता चुका हूं कि विधेयक में क्या समाहित किया गया है। हम यह देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी स्वतंत्र विदेश नीति प्रभावित हो रही है। रूस और चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की आवश्यकता है ताकि हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ बेहतर सौदेबाजी कर सकें।

इसके अतिरिक्त इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा सुरक्षा के बारे में है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री ने बार-बार बल दिया है कि हमें ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने इस पहलू को नहीं छूआ है।

सभापति महोदय: आपने 25 मिनट का समय ले लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य: हमने वर्ष 2015 तक 10,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। आज, परमाणु विद्युत केवल 2.5 प्रतिशत है। परमाणु विद्युत का कुल उत्पादन 3,335 मेगावाट है। हमारे पास ताप विद्युत है। हमारे पास जल विद्युत है। हमारे पास 1,00,025 मेगावाट से अधिक बिना दोहन की हुई जल विद्युत क्षमता है। जब हमारे पास पर्याप्त जल विद्युत की क्षमता है, तो हमें परमाणु विद्युत की ओर जाने की क्या आवश्यकता है? परमाणु विद्युत ताप विद्युत और जल विद्युत से मंहगी है। परमाणु विद्युत की प्रति इकाई लागत 6 रुपये है। संयुक्त राज्य अमरीका परमाणु विद्युत के संबंध में हमारे देश की मदद क्यों करना चाहता है? पिछले 30 वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका ने कोई भी नया परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

अब, यदि हम परमाणु विद्युत की ओर जाते हैं, मान लीजिए, यदि अभी 10,000 मेगावाट की आवश्यकता है तो, वर्ष 2020 तक हमारा लक्ष्य 15,000 मेगावाट का है, संयुक्त राज्य अमरीका की इच्छा हमारे परमाणु विद्युत संयत्रों के लिए अपने पुराने, घिसे हुए ब्रीडरों को बेचने की है। परमाणु अपशिष्ट के निपटान की भी समस्या होगी हमारे कुछ अपने परमाणु विद्युत संयंत्र हैं, जो हमने संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद हमारी अपनी प्रौद्योगिकी से विकसित किए हैं। इसके बावजूद हमने इन्हें विकसित किया है। इसलिए यदि हम परमाणु विद्युत अपनाना चाहते हैं तो हमारा देश परमाणु विद्युत संयंत्र के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका पर आश्रित क्यों रहे?

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम परमाणु हथियारों का ढेर लगाने के विरुद्ध हैं। हमारे पास क्षमता है, परन्तु, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी क्षमता पर प्रतिबंध लगाए। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, श्री बसुदेव आचार्य जी के संबंध में मेरी केवल यह अपील है कि यह एक अल्पकालिक चर्चा है तथा हमें अन्य वक्ताओं को भी समय देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले दो घण्टों में वाद-विवाद पूरा हो जाये। इसलिए, मैं, श्री बसुदेव आचार्य सहित आप सभी से अपील करता हूं कि अपने समय को कम करें ताकि सभी दल इस चर्चा में भाग ले सकें और हम वाद-विवाद को समाप्त कर सकें। यह एक अल्पकालिक चर्चा है।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: महोदय, क्या बसुदेव आचार्य जी ने चीन को परमाणु हथियारों का ढेर लगाने से छूट दे दी है? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: चीन की बात न करें। हम यहां चीन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप पहले ही आधे घंटे का समय ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। यदि आप अब भी अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे तो हम इसे समय पर समाप्त नहीं कर सकेंगे। मैं आपको केवल यही बता सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे वैज्ञानिकों ने भी अपनी कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के साथ अपनी बैठक में कुछ मुद्दे उठाये थे। हमारे द्वारा जाहिर की गई चिंताओं के समान ही, उन्होंने ने भी अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इनके साथ विचार-विमर्श किया था। उन्होंने निसंदेह उनसे विचार-विमर्श किया और यह सुनिश्चित किया होगा कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए।

माननीय प्रधानमंत्री ने इसे दूसरे सदन में भी स्पष्ट किया है। परन्तु वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे रणनीतिक संबंधों के बारे में एक अति महत्वपूर्ण बात बताई है। उन्होंने भी इस संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने बताया है कि सरकार ऐसी बाह्य शर्तों को स्वीकार नहीं करेगी, यदि इसे इसमें समाहित किया जाता है। यह कहते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रणनीतिक संबंध कायम रखेगा। उन्होंने यह भी बताया कि संबंध हमारे व्यापक राष्ट्रीय हित पर निर्भर करेंगे। यदि हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रणनीतिक संबंध रखते हैं, इस संबंध में हमें हाल ही में इराक और ईरान और लेबनान में जो हमने देखा है, उसका अनुभव है। संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता के बिना इस्राइल लेबनान पर आक्रमण नहीं कर सकता था।

क्यूबा जैसे छोटे राष्ट्र में हम क्या देख रहे हैं? इन अनुभवों के साथ यदि माननीय प्रधानमंत्री महसूस करते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रणनीतिक संबंधों के द्वारा हमारे राष्ट्र हितों की सुरक्षा की जा सकती है तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि हम यह देखते हुए अमरीका के साथ रणनीतिक संबंधों के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि हस्ताक्षर किस प्रकार कुछ नई शर्तों को समाहित किया गया, ताकि हमारे देश को अमरीका के अधीनस्थ बनाया जा सके। यदि हम इस विधेयक को अस्वीकार नहीं करते हैं तो हम अपनी मदद में असमर्थ होंगे। यदि अमरीका उन प्रावधानों को अधिनियम से हटाने के लिए सहमत नहीं होता है, तो तब इसे पारित किया जायेगा और समझौता अंतिम रूप ले लेगा तथा यदि वे उन शर्तों को नहीं हटाते हैं, तो भारत सरकार क्या करेगी? माननीय प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि ऐसी शर्तों को लगाए जाने के बावजूद अमरीका के साथ रणनीतिक संबंध रखने में हमारे राष्ट्र हित कैसे सुरक्षित हैं। मैं, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे वाद-विवाद का उत्तर देते समय इसे इस सभा में स्पष्ट करें।

माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि जब वाद-विवाद समाप्त हो जाए तथा वे उत्तर दें तो उनके उत्तर में सभा की राय, कुछ शर्तें जो लगाई जा रही है, परमाणु विद्युत में हमारे अनुसंधान और विकास, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, के संबंध में सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं को सम्मिलित किया जाए। हमने एक विश्व की अपनी नीति के कारण एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यदि हम चाहें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

महोदय, हम विभेदकारी शासन में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी नीति वैश्विक प्रतिबंध की रही है। मैं, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्पष्ट करें कि इससे हमारी वर्तमान नीति बाधित होगी या नहीं। मैं आशा करता हूं कि सभा के सदस्यों द्वारा सदन की राय को प्रकट किया जायेगा। और यह परमाणु समझौते के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करेगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते संबंधी चर्चा पर बोलने का अवसर दिया जिससे दूरगामी परिणाम होंगे। मैं दो बातों के लिए श्री आचार्य का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहली, उन्होंने यह वाद-विवाद प्रारंभ किया। वह खुशकिस्मत है क्योंकि उन्हें अक्सर ही नियम 193 के तहत प्राथमिकता मिलती है। फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की। दूसरे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केवल 40 मिनट लिए और दूसरों को भी बोलने का समय दिया है...*(व्यवधान)*

यह समझौता जो दोनों देशों के विचाराधीन है तथा जिस पर दोनों देशों में विभिन्न स्तरों पर संवीक्षा चल रही है ऐतिहासिक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]

महत्व का है। यह हमारे लिए गंभीर चिंता का मामला है। इस समझौते का न केवल ऐतिहासिक महत्व है बल्कि इसके राजनीतिक परिदृश्य भी है राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दूरगामी प्रभाव होंगे। अत: यदि हमसे इस मुद्दे पर विचार करने और अंतिम शर्तों को उचित ढंग से लिखने में जानबूझकर या अनजाने में कोई चूक अथवा लापरवाही होती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं एसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि इससे हमारी सुरक्षा तैयारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अत: हम यह महसूस करते हैं कि जो राष्ट्रीय हित के बारे में सोचते हैं वे इस पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनायेंगे। हमें केवल यही नहीं देखना चाहिए कि इसमें क्या अंतर्विष्ट है बल्कि सकरात्मक पहलू भी देखना चाहिए।

हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज भारत और अमेरिका विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे हम पसंद करे या न करें पर इस एक ध्रुवीय विश्व में आज अमेरिका ही एक महाशक्ति है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत भी एक विश्व शक्ति, एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अत: हम यह महसूस करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यह आवश्यक है कि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हों परन्तु हमारी सुरक्षा को ताक पर रखकर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमें असमान दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि हमारे साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिये और सभी मुद्दों के संबंध में हमारा दर्जा अमरीका के समकक्ष माना जाना चाहिये।

हम उन लोगों से सहमत नहीं हैं जो सिर्फ विरोध करने के लिये इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। न ही हम उन लोगों के साथ हैं जो सोचते हैं कि अमेरिका की नीतियां सही नहीं हैं क्योंकि वह उनकी अपनी धारणाओं और विचारों के अनुरूप नहीं है। जो न केवल पुराने है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के कल्याण और विकास की एक विकल अवधारणा रही है।

हमारे विचार में भारत-अमरीका समझौता सही दिशा की ओर जा रहा था। परन्तु दुर्भाग्यवश, इस संबंध में प्रगति के साथ ही मिल रहे विभिन्न संकेतों विशेषकर अमेरिका से मिल रहे संकेतों ने यह दर्शाया कि अब हम सही दिशा से हट रहे हैं। कभी-कभी हमें यह भी महसूस होता है कि इसे अनुचित ढंग से किया जा रहा है। ये अनुचित तरीके हैं। ब्लैक मेल करना, दबाव डालना धोखा देना अथवा एक साथ इन सभी का सहारा भी लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा अमेरिका विशेषकर अमेरिका के हाऊस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिवस अर्थात् कांग्रेस के रवैये से आम भारतीयों तथा राष्ट्रवादी भारतीयों के दिमाग में काफी चिंता और संदेह उत्पन्न हो गए हैं। इसलिये हमें यह लगता है कि शायद हम असमान शर्तों पर यह समझौता कर रहे हैं। शायद अमेरिका हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहता है तथा हमारे परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करने के लिये नहीं किन्तु उसे बाधित करने के प्रयोजन से हम पर शर्तें लागू करना चाहता है। अत: जैसा कि मैंने बताया है कि यह किसी भी राष्ट्रवादी अथवा राष्ट्रहितों के बारे में सोचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गहन चिंता का विषय है।

इस समझौते पर राज्य सभा में विस्तृत चर्चा हुई है और भारतीय प्रधानमंत्री ने एक विस्तृत उत्तर दिया है। मुझे बताया गया कि अपने 70 मिनट के भाषण में जो कि कहीं-कहीं पर बोझिल हो गया था, प्रधानमंत्री ने अनेक प्रश्नों के भी उत्तर दिए। मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा: मैं उनके द्वारा कही गई एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह अत्यंत अटपटा लगा और अगर आपको लगे कि मैं उन पर कोई टिप्पणी कर रहा हूं तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा:

> "हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा का उत्पादन करना था; रक्षा इसका लक्ष्य काफी बाद में बना।"

मैं अत्यंत विनम्रता से यह कहना चाहूंगा कि यह इस समय प्रासंगिक रहा होगा मेरा आशय उनका निरादर करने का नहीं है परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक पुरानी अवधारणा है। वह दिन लद गए जब हथियार प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। आज पूरे विश्व में जिसके पास परमाणु शक्ति है उसी के पास राजनैतिक शक्ति है। अत:, हम रक्षा आवश्यकताओं को ऊर्जा आवश्यकताओं से कम वरीयता नहीं दे सकते। मेरे विचार में रक्षा आवश्यकताएं, परमाणु कार्यक्रम और शक्ति जो हम विश्व को प्रदर्शित कर सके ऊर्जा आवश्यकताओं सहित सभी चीजों से ऊपर है। अत: मुझे इस बात का अत्यंत आश्चर्य हुआ और यदि उनके कहने का अर्थ यह है कि ऐसा अभी भी है तो मैं इससे असहमत हूं।

हमारे समझौते का मुख्य विषय यह है कि हम ऊर्जा सुरक्षा चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है परंतु जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम राष्ट्र सुरक्षा की कीमत पर, अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों, जो पूरे विश्व के समक्ष और विशेषकर हमारे समक्ष है, की कीमत पर ऐसा नहीं कर सकते।

हमें बताया गया है कि हमारे यहां परमाणु का उपयोग काफी कम रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी इन्स्टीट्यूट, वाशिंगटन डीसी द्वारा

दिए गए आकड़ों के अनुसार विश्व के कुछ देशों की अधिष्ठापित क्षमता इस प्रकार है: भारत के 2.8 प्रतिशत की तुलना में परमाणु ऊर्जा के कुल उत्पादन का 19.9 प्रतिशत अमरीका के पास है फ्रांस में 17.8 प्रतिशत, ब्रिटेन में 19.4 प्रतिशत, एशिया में 15.6 प्रतिशत, चीन में 2.2 प्रतिशत है। हमारा प्रदर्शन उतना खराब नहीं है जितना परिलक्षित किया गया है। ऐसा नहीं है कि यदि हमें अमेरिका से ऊर्जा सुरक्षा नहीं मिलेगी तो भारत का विध्वंस हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह सही परिदृश्य है।

दूसरी बात जिस पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि जैसा कि हमें इस समझौते और प्राप्त सूचना से समझ आया है कि हम समझौते के बाद 2020 तक हमारे पास 20,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा होगी। आर्थिक पक्ष के अलावा मुझे जो समझ आया है–यह स्पष्ट नहीं है परन्तु यह अनुमान है–पृथक करने की लागत 40 बिलियन अमेरिकी डालर आएगी, तत्पश्चात् भावी अधिष्ठापन और उत्पादन की लागत 60 बिलियन अमेरिकी डालर से 80 बिलियन अमेरिकी डालर तक आएगी। कुल मिलाकर यह लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डालर होगी। ऐसा तभी होगा तब सब ठीक-ठाक रहेगा और वार्ता ठीकठाक चलेगी तब 2020 के पश्चात् ऐसा होगा। अनुकूल परिस्थितियों से यह परिणाम मिलेंगे। इस 20,000 मेगावाट की तुलना में भारत के पास कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है को छोड़कर लगभग एक लाख मेगावाट पनबिजली की सुनिश्चित क्षमता है। मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई भी देश इतना भाग्यशाली है जितना कि इन मामलों में हम हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया हैं। मुझे नहीं पता कि हम परमाणु ऊर्जा के लिये याचना क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में पनबिजली उपलब्ध हैं, हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? इतने वर्षों में हमने इसका उपयोग नहीं किया।

मेरे अपने राज्य उत्तरांचल में जो कि एक छोटा सा राज्य है लगभग 40,000 मेगावाट से 50,000 मेगावाट पनबिजली की अनुमानित क्षमता है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारे पास कोयला है परंतु इसके संबंध में कई आपत्तियां और अन्य समस्याएं हैं। पवन और सौर ऊर्जा के अलावा पनबिजली एक अत्यंत शुद्ध और सस्ती ऊर्जा है।

मैं परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु हमें ऐसी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए कि यदि हमारे पास यह 20,000 मेगावाट ऊर्जा नहीं होगी तो हम तबाह हो जाएंगे तथा हमें इसे अत्यधिक भारी कीमत तथा ऐसी शर्तों पर हासिल नहीं करना चाहिए जो हमें पता नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें ऊर्जा सुरक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं देना चाहिये। बल्कि इस चरण में भी मैं सरकार से पुन: अनुरोध करूंगा कि वह हमारे पास उपलब्ध ऊर्जा के स्त्रोतों पर भी ध्यान दे। यह न केवल सस्ती और शुद्ध है बल्कि यह हमारे नियंत्रण में भी है। यह किसी और के नियंत्रण में नहीं है। अत: परमाणु ऊर्जा आवश्यकता के इस पहलू को भी उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

जहां तक आर्थिक पहलू का संबंध है मैंने अभी कुछ आकड़े प्रस्तुत किए थे और यदि मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें सही किया जा सकता है। परमाणु प्रतिष्ठानों के जोखिम के अलावा उसकी लागत भी बहुत अधिक होगी।

मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दूसरे सदन में अत्यंत विशिष्ट और स्पष्ट आश्वासन दिए। काश उन्होंने ये आश्वासन कुछ पहले दिए होते। अमेरिका में उनकी कांग्रेस में हुई कुछ चर्चा, भारत में हुई वार्ता तथा उसकी व्याख्या से पहले कई भ्रम उत्पन्न हुए। परन्तु उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं। मैं उन्हें यहां केवल यह बताने के लिए दोहरा रहा हूं कि इनसे निश्चित तौर पर कई संदेह और भ्रम दूर हुए हैं। उन्होंने हमें यह स्पष्ट आश्वासन दिए है कि भारत की संप्रभुता, निर्णय करने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीका के निरीक्षकों को कोई परमाणु हथियार कार्यक्रम अथवा परमाणु अधिष्ठानों के सुरक्षा उपायों की संवीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी और अंत में, भारत की संप्रभुता पर प्रस्तावित अमरिकी कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री आचार्य अभी इन्हीं बातों का उल्लेख कर रहे थे।

ये आश्वासन संतोषजनक हैं। मैं केवल यही चाहता हूं कि अमरीका भी इस ओर ध्यान दे। हमें इन मुद्दों पर किसी भी चरण में, किसी भी समय अथवा किसी भी हालात में समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आप इसे सुनिश्चित करेंगे।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन सभी स्पष्टीकरणों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं और मुझे आशा है कि मुद्दे से अलग जो मैं कहना चाहता हूं, आप इसका बुरा नहीं मानेंगे कि आपकी दो टिप्पणियां चकित करने वाली हैं:

पहली:

"भले ही मैं राजनीति में बाद में आया हूं परन्तु मुझे ऐसे दल से जुड़ने का सौभाग्य मिला जिसने भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी।"

[मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]

वह कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था वह राष्ट्रीय आंदोलन था। सभी ने इसमें भाग लिया...*(व्यवधान)* मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर पर आपको अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ऐसा तर्क देना चाहिए था...*(व्यवधान)*

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): आपकी इस पर क्या आपत्ति है। सभी ने इसमें भाग लिया था ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): मैं बहुत पुराना राजनीतिज्ञ नहीं हूं। आप लोग मुझसे अधिक जानते हैं। आपने अपने तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया होगा। परन्तु वह स्वतंत्रता आंदोलन था। अब ये सभी लोग विभिन्न दलों में चले गये हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सुस्पष्ट नीति की आवश्यकता है।

...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: परन्तु यदि देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करे तो यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): देश के मूवमेन्ट को कांग्रेस ने अपना मूवमेन्ट बना लिया, इसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इससे आपका ऑब्जैक्शन क्या है, यह बताये?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मैं आपको अपना ऐतराज बताता हूं इसे आपने हथिया लिया। आप कह रहे हैं कि आपने इसे अपना मूवमेन्ट बना लिया।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उस समय आप लोग कहां थे? तब आप जिस पाले में खड़े थे, आप हथियाने की स्थिति में नहीं थे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मैं तब सोल्जर था और यूनिफार्म में था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने बहुत ही स्पष्ट वक्तव्य दिया है।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: माननीय प्रधानमंत्री जी आपके लोग मेरे निवेदन पर बहुत अधिक आपत्ति कर रहे हैं, मुझे यह भी स्मरण है कि यह वही दल है जिससे आप संबंधित हैं, और जिसने आपातकाल भी लगाया था। क्या आपको इस पर गर्व है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: दलगत राजनीति न करें। हमें मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: हमारे लिए वार्ता करना ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए यह शोभा नहीं देता।

मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने आपके द्वारा राज्य सभा में दिए गए आश्वासनों और स्पष्टीकरणों का अवलोकन किया है। मैं उन्हें दोहरा नहीं रहा हूं। मैं केवल उहें सुना रहा हूं। कोई भी इस पर ध्यान दे सकता है। मेरा पहला प्रश्न एशले टेलिस द्वारा दिए गए साक्षात्कार से संबंधित है। जहां तक मेरी जानकारी है, एशले टेलिस वाशिंगटन डी.सी. स्थित कार्नेजी एण्डोमेन्ट फॉर इण्टरनेशनल पीस में वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निकोलस बर्न्स और भारतीय विदेश सचिव श्याम सरन के साथ भारत-अमरीका परमाणु समझौते को अनुमति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय काम किया। उन्होंने श्री ओमकार सिंह को एक साक्षात्कार दिया। इसमें दो-तीन प्रश्नों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और उन पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं साक्षात्कार से सारांश उद्धृत करता हूं:

"**श्री ओमकार सिंह:** तत्कालीन वाजपेयी सरकार के साथ कोई समझौता क्यों नहीं किया गया?

श्री एशले टेलिस: समझौता नहीं हो सका था क्योंकि वाजपेयी सरकार ने समझौते के बदले अमरीका को कुछ अधिक पेशकश नहीं की थी। हमें मनमोहन सिंह सरकार से अधिक मिला है।

श्री ओमकार सिंह: वाजपेयी सरकार से आप क्या चाहते थे जो प्राप्त नहीं कर सके?

श्री एशले टेलिस: मुझे भय है मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री ओमकार सिंह: क्या डा. सिंह ने आसानी से समर्पण कर दिया?

श्री एशले टेलिस: मैं ऐसा नहीं कहूंगा। समझौता होने से पहले लम्बी चर्चा हुई थी।"

क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जिन पर आप समर्पण कर सकते थे लेकिन राजग सरकार ने नहीं किया था? क्या ये मामले ऐसे हित के हैं जिन पर राजग सरकार समर्पण नहीं कर सकती थी लेकिन आप कह सकते हैं?

दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने पृथक्करण की लागत के बारे में चर्चा की है। जहां तक मैं समझता हूं पृथक्करण की वित्तीय लागत 40 बिलियन अमरीकी डॉलर है। आप इसे स्पष्ट कर सकते थे। इसी तरह, हमारे अपने परमाणु विद्युत संयत्र स्थापित करने की लागत मेरे हिसाब से लगभग 100 बिलियन अमरीकी डॉलर है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इतनी बड़ी धनराशि कहां से जुटाएगी। इन सभी वर्षों में, सरकार कह रही थी कि इसके पास जल विद्युत या कोयला परिवर्तन और ऐसी अन्य चीजें नहीं हैं। सरकार यह 100 बिलियन अमरीकी डालर कैसे जुटाने जा रही है? और इस नामी 20,000 मेगावाट परमाणु विद्युत के वितरण की समय-सीमा क्या होगी?

तीसरी बात यह है कि हमने ऐसी अलग तरह की पृथक्करण योजना स्वीकार क्यों की है जो परमाणु हथियार संपन्न राज्यों पर लागू नहीं होती है? आप कह सकते हैं कि हम परमाणु हथियार संपन्न राज्य नहीं हैं, लेकिन, महोदय, हम हमारे अपने तरीके से उस श्रेणी में हैं। आप इसे स्पष्ट कर सकते थे।

चौथा मुद्दा यह है कि फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम जो कि पूर्णत: हमारी अपनी प्रौद्योगिकी पर आधारित है, को पृथक्करण योजना में भविष्य में निगरानी के लिए क्यों प्रस्तुत किया गया है?

पांचवां मुद्दा यह है कि साइरस प्रयोगात्मक रिएक्टर को, जो हमारे प्लूटोनियम ग्रेड हथियारों का एक तिहाई निर्माण कर रहा है, नागरिक सुविधाओं की सूची में क्यों शामिल किया गया था और अप्सरा के मुख्य ईंधन केन्द्र को इसकी वर्तमान जगह से हटाने की मांग की जा रही थी?

अगला मुद्दा भी पुन: रुचिकर है। 5 अप्रैल, 2005 को सीनेट की विदेशी संबंध समिति के सामने अमरीकी विदेशी मंत्री कोंडोलीजा राइस की घोषणा, जिसमें उन्होंने कहा, मैं उद्धृत करता हूं:

> "हमने भारतीयों से एकदम स्पष्ट बात की है कि सुरक्षा का स्थायित्व बिना शर्त के सुरक्षा का स्थायित्व है।"

मैं इसे दोहराना चाहूंगा: "सुरक्षा का स्थायित्व सुरक्षा का स्थायित्व है, बिना शर्त।" उन्होंने आगे कहा, "वास्तव में, हमने अधिकार सुरक्षित रखा है, यदि भारत परीक्षण करता है क्योंकि यह परीक्षण नहीं करने के लिए राजी हो गया है, या वह किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा समझौते का उल्लंघन करता है जिसका उसे पालन करना चाहिए तो उस समय यह करार हमारे दृष्टिकोण से समाप्त हो जाएगा।"

अंतत: प्रधानमंत्री महोदय, आपने हमें अनेक बार बताया है कि हमारे ऊपर परीक्षण प्रतिबंध आपको स्वीकार्य नहीं है जबकि राइस महोदया कह रही हैं कि ऐसा है। आप स्पष्ट करें, हम किस पर विश्वास करें। और जो वह कह रही हैं, यदि वह गलत है तो क्या भारत ने इसे आधिकारिक स्तर पर उठाया है और उनके वक्तव्य का विरोध किया है?

निष्कर्षत: महोदय, जैसाकि मैंने प्रारंभ में कहा कि देश के उन लोगों की भावनाओं को संप्रेषित करने का प्रयास किया है, जिनके मन में राष्ट्रीय हित हैं। मैं यहां श्रेय नहीं हो रहा हूं बल्कि राष्ट्रीय हित में, मैंने कुछ बातें आपको संप्रेषित करने का प्रयास किया है और मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि दल हित में नहीं बल्कि राष्ट्र हित में इन पर ध्यान दिया जाएगा। दुर्भाग्य से, यहां उठाए जा रहे संदेहों के स्पष्ट न होने से भी संशय बढ़ रहा है। यह संशय स्तंभित करने की सीमा तक बढ़ गया है।

अपराह्न 5.00 बजे

यदि विभिन्न चश्मों में संसद को विश्वास में लिया जाता तो संभव तथा, इससे बचा जा सकता था। यह निर्णय आपको लेना है लेकिन निश्चित रूप से यह संशय और अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए।

महोदय, मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ कहा है सरकार उस पर विचार करेगी। 'द हिन्दू' के संपादक श्री एन. राम के लेख से कुछ पंक्तियां उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

पुन: यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ उनकी भविष्यवाणी है, सही न हो। उन्होंने कहा है:

> "जब भावी इतिहासकार भारत-अमरीका परमाणु समझौता वार्ता पर लिखेंगे, उन्हें अमरीकी पक्ष द्वारा निर्धारित समझौते के महत्वपूर्ण भागों को पुन: लिखने के लिए अपनी विधायी प्रक्रिया का पूरा उपयोग करने के तरीके पर आश्चर्य होगा जबकि मनमोहन सिंह सरकार को प्रत्येक मुद्दे पर पीछे धकेल दिया गया था।"

जैसा कि मैंने कहा, मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि यह सही साबित नहीं होगी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): महोदय, यह सम्माननीय सभा राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे पर जिसको जनरल खंडूड़ी ने चौथी बार उठाया है, पर चर्चा की जा रही है। हमारे लोकतंत्र में संसद चर्चा और वाद-विवाद हेतु सर्वोच्च संस्था है। यही तथ्य कि प्रधानमंत्री और यह सरकार 13 महीनों में चौथी बार संसद के समक्ष आए हैं इस बात को रेखांकित करता है कि प्रधानमंत्री और संप्रग सरकार संसद को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए जारी वार्ता के बारे में संसद को विश्वास में लेने के लिए राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों से निपटने में पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। हमने इन चर्चाओं के माध्यम से लोगों की आशंकाओं या संशयों या भय को दूर करने का प्रयास किया है। पिछले कुछ सप्ताहों से इसमें वृद्धि हुई है, इसमें एक अभियान है: और मीडिया तथा वामपंथ से दक्षिण पंथ तक पूरे राजनीतिक परिदृश्य से संबद्ध राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

पिछले सप्ताह राज्य सभा में श्री बसुदेव आचार्य द्वारा इसका उल्लेख किया था। इस पर आठ घण्टे लंबी बहस चली थी और मेरे विचार से सभी मुद्दे निपटा दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने बेबाक और विश्वासनीय ढंग से सरकार की स्थिति और भारत की स्थिति को स्पष्ट किया था। मैं यह देखकर प्रसन्न हूं कि वहां जो कुछ कहा गया और आश्वासन दिए गए उनकी झलक श्री बसुदेव आचार्य और जनरल खंडूड़ी के भाषण में दिखी है।

हमारे लिए यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि यह वाद-विवाद क्यों हो रहा है। यह पिछले वर्ष 18 जुलाई को राष्ट्रपति बुश और प्रधानमंत्री के बीच हुए परमाणु समझौते, जो उस समय हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में परिभाषित किया गया था के अनुसरण में हो रही है। ऐसा अमरीकी कांग्रेस ये जारी विधायी प्रक्रिया और भारत और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हमारी नागरिक परमाणु सुविधाओं के संबंध में भारत विशेष सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से वार्ता के कारण भी है। जैसाकि मैं उल्लेख कर रहा था इस समझौते की आलोचना भी की जा रही है तथा कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। एक लोकतंत्र में आलोचना स्वीकार्य है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: परन्तु इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है।

श्री आनन्द शर्मा: समर्थन और आलोचना दोनों का स्वागत है बशर्ते कि वह नेक नियती से किए गए हों। यह ऐसा होना चाहिए जैसा कि हमने आज देखा है। कई स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री दूसरे सदन की तरह इस सम्माननीय सदन तथा जैसा कि पहले हुआ था संसद के दोनों सदनों को आश्वस्त कर लेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम वाद-विवाद की मांग की बात करते हैं तो यह मार्ग स्वीकार्य है क्योंकि संसद को सूचना प्राप्त करने तथा वाद-विवाद करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे यहां शासन की एक संसदीय प्रणाली है और हमारे संविधान के अनुसार यह इसका सर्वोच्च मंच है। माननीय प्रधानमंत्री तथा सरकार संसद और इस सम्मानीय सभा के प्रति जवाबदेह हैं।

अत: जैसा कि हमने पहले सुना कि संसद तथा उसके बाहर विभिन्न पदों द्वारा मांग की गई थी कि संसद और सभा का मत होना चाहिए। मेरे विचार से वह एक गृहीत भावना थी। आलोचना कुछ संदर्भों के संबंध में की जा रही थी तथा ये संदर्भ थे हाऊस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में चल रहे वाद-विवाद में किए संदर्भ जो घोषणात्मक स्वरूप अथवा अनेक स्वरूप थे, जिसने कांग्रेस के मत से सीनेट में एक कानून पारित किया था जिसे यहां आध्यारोपित किया जा रहा था अथवा संसद के मत के रूप में अध्यारोपित किया जा रहा था। इससे हमारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा हमारे संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का आश्वासन और संसद की दोनों सभाओं में दोहराए गए आश्वासन अंतिम शब्द माने जाते हैं। यही संसद और देश का मत है। इस आश्वासन से कभी भी विचलन नहीं हुआ। इसमें कभी भी फीकापन नहीं आया है और हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस अंतरिम अवधि में ऐसा क्या हो गया जिससे यह आलोचना आवश्यक हो गई तथा एक हद तक इसका विरोधात्मक प्रचार किया गया। अत: इस संबंध में अधिक सर्तक होना पड़ेगा। हमें आलोचना, चिंता तथा लोगों को भ्रमित तथा पथ-भ्रष्ट करने के लिए राजनीति से प्रेषित होकर किए गए दुष्प्रचार के बीच भेद करना होगा। इसका जवाब दिया जाना चाहिए तथा इसका खण्डन किया जाना चाहिए।

महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सम्मान्नीय सभा को बताना चाहता हूं कि हम सभी एक देश के नागरिक हैं। भारत के हितो तथा इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हम सभी की समान प्रतिबद्धता है। भले ही हम आज सरकार में इस तरफ हैं तथा हमारे मित्र उस तरफ हैं। वे छ: वर्षों के लम्बे समय तक सरकार में रह चुके हैं। उस समय जो हो रहा था उसे कभी भी राजनैतिक वाद-विवाद में परिवर्तित नहीं किया गया। उस समय कभी भी यह आरोप नहीं लगाए गए कि भारत के हितों का ध्यान नहीं

रखा जा रहा है भारत की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। किसी भी राजनैतिक वाद-विवाद में इन सब बातों से बचा जाता चाहिए। हमें इसकी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा ने हमें पुन: यह स्मरण कराया है कि क्या मानदण्ड होने चाहिए तथा एक दूसरे की आलोचना करते समय हमें किस हद तक जाना चाहिए। हमें विशेषकर मामले के उद्देश्यों अथवा मंशा पर आरोप लगाने तथा प्राप्त करने से बचना चाहिए क्योंकि इस मामले में प्रधानमंत्री शामिल हैं जिनकी विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा, सम्मान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में किया जाता है। इसके अलावा ये समस्याएं और चिंताएं क्यों उठ रही हैं कि भारत के महत्वपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के साथ समझौता किया जाएगा तथा यह क्यों है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के साथ समझौता किया जा रहा है इन टिप्पणियों का क्या औचित्य है? हम यह समझ पाने में असमर्थ हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी ने यह उल्लेख किया था कि माननीय प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ यह दावा किया है कि वे कांग्रेस पार्टी से हैं। जी हां, यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार है। एक पार्टी तथा एक देश के रूप में हमारे पास गौरवपूर्ण विरासत और एक अति गौरवपूर्ण इतिहास है। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता और हमारे पूर्वज भाग्यशाली थे तथा उनमें बलिदान सबसे शक्तिशाली राजा को चुनौती देने तथा तदुपरांत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने का साहस था। यह पार्टी तथा सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, हमारी एकजुटता तथा हमारे सामरिक परमाणु कार्यक्रम की स्वायत्तता से समझौता नहीं कर सकती...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह उचित नहीं है। मंत्री जी आप जारी रखिए।

श्री आनन्द शर्मा: मैं संक्षेप में केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि भारत पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की मांग क्यों और किस उद्देश्य से कर रहा है। इसका उद्देश्य भेदभाव पूर्ण और अत्याचारपूर्ण विश्वव्यापी शासन को खत्म करना है।

भारत का परमाणु कार्यक्रम छ: दशक पुराना है। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा. होमी भाभा का दृष्टिकोण था। यह उनकी प्रतिबद्धता थी कि भारत को परमाणु सक्षम बताया जाए। वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियों ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के अथक प्रयास किए। इस स्वरूप को 1974 में साकार रूप दिया गया था। प्रतिबद्धताओं को पूरा किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने जो किया उसे विश्व ने देखा। जब पोखरण-1 परीक्षण किया गया था तब श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। उनमें विश्व को यह बताने का साहस था कि भारत के पास अपने राष्ट्रीय हित में एक स्वतंत्र मार्ग पर चलने का सामर्थ्य और संकल्प है। यह बात पूरे विश्व में प्रतिध्वनित कर दी गयी थी। इसके परिणामस्वरूप भारत पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रौद्योगिकी, ईंधन, दोहरी आवागमन प्रौद्योगिकी की मनाही की गई जिसमें कुछ हद तक न केवल परमाणु कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा जिसके लिए ऐसा किया गया था बल्कि उससे अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों पर भी प्रभाव पड़ा। हमारे वैज्ञानिकों ने न केवल परित्यक्त शासन बल्कि परोक्ष परमाणु पार्थक्य जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य किया। उन्होंने उसका सामना किया और भारत को परमाणु सक्षम देश बनाया। उन्होंने ईंधन चक्र में विशेषज्ञता प्राप्त की। गत वर्ष जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए 18 जुलाई के उस वक्तव्य में इस तथ्य को मान्यता दी गई थी कि भारत के पास विकसित परमाणु प्रोद्योगिकी है, भारत एक ऐसा देश है जिसके पास समर्पित सैन्य परमाणु कार्यक्रम है तथा भारतीय वैज्ञानिक भावी पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों हेतु शेष विश्व के वैज्ञानिकों के साथ कार्य करने की स्थिति में है। इसलिए हमें आई टी ई आर परियोजना, प्रयुचरगैन परियोजना में आमंत्रित किया गया हैं। एक बार सभी प्रतिबंध हट जाने और पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग मिलने पर हमारे वैज्ञानिक भावी पीढ़ी हेतु प्रौद्योगिकी के लिए इस विश्व को जिस विकास की आवश्यकता है उनके लिए विश्व समुदाय में अपना अनुभव, अथवा ज्ञान बांटकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे।

कई लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, परमाणु सहयोग की क्या आवश्यकता अथवा बाध्यता है जब हमारे पास अपना स्वयं का परमाणु कार्यक्रम है तो उसे जारी क्यों नहीं रखा जाए। मैं केवल एक बात कहूंगा कि यथास्थिति भारत के राष्ट्रीय हित के लिए हानिकार होगी क्योंकि इससे हमारे परमाणु वैज्ञानिक और हमारा देश नवीनतम प्रौद्योगिकी से वंचित रह जाएंगे और 21वीं सदी में भारत का महाशक्ति बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज जब अन्य सभी ने भारत की क्षमता तथा इस तथ्य कि भारत एक सैनिक परमाणु शक्ति है को सादर मान्यता दी है, हमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। श्री बसुदेव आचार्य और मेजर जनरल खंडूड़ी ने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री आनन्द शर्मा]

संदेह व्यक्त किया था कि हमारे सामरिक कार्यक्रम का क्या होगा। अत: जो भी किया गया है वह आपसी प्रतिबद्धता के अनुसार किया गया है जो कि 18 जुलाई के वक्तव्य का अभिन्न अंग है तथा इसमें सामरिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अखंडता की पूर्णत: रक्षा की गई है।

हमारे अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की स्वतंत्रता की भी रक्षा की गई है। हमने बार-बार तीन स्तरीय परमाणु विकास कार्यक्रम की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया हूं। मैं आज यहां इसमें विस्तार में जाना नहीं चाहता परन्तु इससे अन्तत: थोरियम का ईधन के रूप में उपयोग करके ब्रिडर रिएक्टर का निर्माण होगा।

महोदय, पृथक्करण योजना स्थिति को स्पष्ट करती है तथा यदि कोई संदेह है तो उसे भी स्पष्ट करती है। इस वर्ष मार्च में, प्रधानमंत्री ने इस सभा तथा दूसरी सभा में पृथक्करण योजना को सभा पटल पर रखा था। हमने सुरक्षोपाय व्यवस्था फास्ट ब्रिडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिडर रिएक्टरों और ईधन अनुसंधान को किसी भी निरीक्षण, किसी भी भावी सुरक्षोपाय व्यवस्था से पूर्णत: बाहर रखा है। पृथक्करण योजना केवल नागरिक सुविधाओं के लिए बनी है जिसे हमारे परमाणु स्थापन द्वारा निर्धारित किया गया है। वे केवल निरीक्षणाधीन होगी। पृथक्करण योजना उन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है जिन्होंने हमारे सामरिक कार्यक्रम का निरीक्षण किया है। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। नागरिक सूची में 14 विषय हैं तथा सामरिक सूची में 8 विषय हैं जिसमें सभी सम्बद्ध विषयों सहित अपस्ट्रीम और डाकनस्ट्रीय दोनों विषय हैं। अत: इसमें हम किसी भी प्रकार कमजोर नहीं पड़े हैं, हमने कोई समझौता नहीं किया है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: परन्तु हमारे प्रख्यात वैज्ञानिकों ने गंभीर आपत्तियां व्यक्त की हैं। अब आप काफी रंगीन तस्वीर प्रस्तुत कर रहे है। यदि ऐसा है तो ये सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, परमाणु ऊर्जा आयोग के सभी सेवानिवृत्त सभापति इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? मैं इस पर आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, हमारे मन में परमाणु वैज्ञानिकों के प्रति उच्च सम्मान हैं। हमारे देश को उन पर गर्व है। सरकार ने सदा उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया है। मैं जरनल खंडूड़ी को बताना चाहता हूं कि उनकी चिंताओं में कभी भी अन्य शक्ति का उदाहरण नहीं मिला है। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे प्रख्यात वैज्ञानिकों ने 18 जुलाई के समझौते पर कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए, कुछ चिंताएं व्यक्त करते हुए इस समझौते को एक ऐतिहासिक समझौता माना है। परन्तु मुझे यह देख कर दुख हुआ कि वक्तव्य में तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया तथा जानबूझकर ऐसा दर्शाया गया कि वैज्ञानिक स्थापनों में 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: परन्तु 18 जुलाई के व्यक्त पर इन आपत्तियों में व्यक्त करने से पहले हस्ताक्षर कर लिए गए थे।

श्री आनन्द शर्मा: मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। यदि आपने वह वक्तव्य पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वक्तव्य में उन्होंने स्वयं इसका स्वागत किया है तथा इसे ऐतिहासिक समझौता माना है मैं भी उसी वक्तव्य का उल्लेख कर रहा हू जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं। मैं गत वर्ष के वक्तव्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

महोदय, यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक मुद्दे, जो उठाए गए हैं निश्चित ही उनका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन मैं जल्दी से कुछ ही मुद्दों का उल्लेख करूंगा। सर्वप्रथम चूंकि जनरल खंडूड़ी और उससे पहले श्री बसुदेव आचार्य दोनों ने अमरीका में जारी विधायी प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे पर प्रश्न पूछे थे और यह पूछा गया था कि क्या हमने कहीं पर समझौता किया है और चूंकि अमरीका में कुछ सीनेटरों द्वारा जो कुछ कहा गया यहां उद्धृत किया गया था, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि हमने पहले भी इस सदन में और दूसरे सदन में भी स्पष्ट किया था, कि अमरीका में विधायी प्रक्रिया हमारी संसद से अलग है। वहां हाउस आफ रेप्रेजेण्टेटिव्स है जिसके पास विधेयक का एक संस्करण है जिसे वे पारित कर चुके हैं लेकिन सीनेट के पास उक्त उद्देश्यों वाला दूसरा विधेयक है। लेकिन प्रारूप विधान का स्वरूप अलग है। जब यह पारित किया जाएगा तो समायोजन की प्रक्रिया होगी जिसके तहत विधान को अन्तिम रूप दिया जायेगा और इससे अमरीकी प्रशासन और अमरीकी राष्ट्रपति को भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते को अन्तिम रूप देने के लिए विशेष रूप से भारत को छूट देने संबंधी अधिकार मिल जाएगा। यही स्थिति होगी। आज हम उस स्तर पर हैं जहां सीनेट ने विधेयक पारित नहीं किया है। इसके बाद तीन और स्तरों से हमें गुजरना है। हमारा संबंध 123 के अंतर्गत उस समझौते से है जिसके तहत भारत को पूर्ण नागरिक नाभिकीय सहयोग प्रदान किया जायेगा। समझौता दो संप्रभु राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री और सरकार ने यह स्पष्ट कर किया है कि हम कोई अतिरिक्त शर्तें स्वीकार नहीं करेंगे और कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं होगे। भारत 18 जुलाई के समझौते के दायरे के भीतर रह कर ही किसी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: कोंडोलीजा राइस ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि यह हमेशा इसी तरह होगा।

श्री आनन्द शर्मा: मैं नहीं जानता। मैंने कभी भी कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा है। मैं जनरल खंडूड़ी का बहुत आदर करता हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मेरा मतलब किसी का अपमान करने का नहीं था। वह तर्क कर रहे थे। मैंने विधान का मुद्दा नहीं उठाया था। मैं प्रक्रिया जानता हूं।

श्री आनन्द शर्मा: मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मैं केवल यह कह रहा हूं कि

[हिन्दी]

कोंडोलिजा राइस ने जो कहा है, उसका जवाब दीजिए।

[अनुवाद]

श्री आनन्द शर्मा: जनरल खंडूड़ी हमेशा मुस्कराते रहते हैं, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत इससे बाध्य हो जाएगा।

किसी विधायिका में जहां तक विधायी प्रक्रिया का सम्बन्ध है, उस विधायिका या दूसरी विधायिकाओं के सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है और हमारी स्थिति दोनों सदनों में पहले ही स्पष्ट कर दी गई है। हम किसी विदेशी विधायिका के विधान से बंधे हुए नहीं हैं, यही हमारी स्थिति है। जिस समझौते को भारत मानेगा वही अन्तिम होगा।

इसके बारे में कुछ बातें कहीं गई हैं। मैं केवल दो-तीन बातों का जिक्र करूंगा। पहला निगरानी व्यवस्था के बारे में है। जो निगरानी समझौता भारत स्वीकार करेगा, वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई ए ई ए) के साथ होगा और यह हमारी नागरिक नाभिकीय सुविधाओं के संबंध में केवल भारत के लिए होगा। इसमें परस्पर पूरक प्रक्रिया भी होगी निगरानी समझौतों में बहु-स्तरीय ईंधन आपूर्ति गारण्टी भी शामिल है। अत: निर्बाध ईंधन आपूर्ति होगी।

अपराह्न 5.22 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ पीठासीन हुई]

दूसरे यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस पर बल देना चाहता हूं कि भारत को निगरानी रिएक्टरों के जीवन काल के लिए सामरिक ईंधन भण्डार बनाने का कानूनी अधिकार होगा। हम किसी भी भावी व्यवधान या अस्वीकृति का कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं और इनका निर्माण इन गारण्टियों के तहत किया जायेगा। यहां तक कि भारत अमरीका के साथ जो द्विपक्षीय समझौता करेगा, यह गारंटी उसमें भी होगी। हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इन समझौतों के संदर्भ में सरकार और हमारे वार्ताकारों ने इन सभी पहलुओं पर विचार किया है।

दूसरा परामर्श क्रम निर्धारण के बारे में दिया गया था, कि जबकि हम भारत के लिए विशेष निगरानी के लिए आई ए ई ए से बातचीत कर रहे हैं। क्या यह परमाणु हथियार रहित राष्ट्रों की किसी भी दूसरी निगरानी व्यवस्था से भिन्न होगा क्योंकि भारत का सैन्य परमाणु कार्यक्रम मान्यता प्राप्त है। अत: जहां तक क्रम निर्धारण का सम्बन्ध है, यह चरणबद्ध क्रम में है। यह 2006 से 2014 तक होगा। 14 सुविधाओं में से छ: पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समझौते के अंतर्गत हैं और शेष आठ अगले साल से 2014 तक निगरानी समझौते के अंतर्गत होंगी। समझौता होने से पहले हमारी सुविधाएं निगरानी समझौते के अंतर्गत नहीं रखी गई हैं। यह मुद्दा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि भारत केवल सभी प्रतिबन्ध हटा लिए जाने के बाद ही अपनी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखेगा। यह वचनबद्धता अभी भी है।

निरीक्षण के सम्बन्ध में भी उन्होंने उल्लेख किया है, यह केवल आई ए ई ए के माध्यम से ही होगा और किसी भी अन्य देश द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सकता।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा आश्वासन देने के लिए बधाई दी है।

श्री आनन्द शर्मा: अन्त में, मैं केवल यही कहूंगा कि जहां तक एफ एम सी टी का सवाल है, यह एक बहु-पक्षीय संधि है, जिस पर जेनेवा में वार्ता होगी। भारत की स्थिति बहुत स्पष्ट और दृढ़ है। हम दूसरे देशों से बातचीत करेंगे। लेकिन भारत अमरीका के साथ इस संधि पर द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेगा।

परीक्षणों और विस्फोट का संदर्भ भी दिया गया है और दूसरे अनेक मुद्दे भी उठाये गए हैं। मैं दलगत भावना से ग्रस्त हो कर कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहता लेकिन मैं सदन का, विशेषकर, जनरल खंडूड़ी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रिकार्ड और इस सदन के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार केवल स्वैच्छिक एक पक्षीय स्थगन के प्रति वचनबद्ध है। हम इस पर प्रतिबद्ध रहेंगे। विचाराधीन अमरीकी विधान में ऐसा कोई

[श्री आनन्द शर्मा]

प्रावधान नहीं है, जिसके तहत भारत अपना अधिकार छोड़े। जब सितम्बर, 1998 में भारत द्वारा एकपक्षीय स्वैच्छिक स्थगन की घोषणा की गई थी, तो तत्कालीन सरकार और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकपक्षीय स्थगन को विधि सम्मत बनाने का प्रस्ताव दिया था, जो व्यवहार्यत: सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के समान था। मेरे पास उद्धरण है...*(व्यवधान)* कृपया इनकार मत कीजिए। मैं उनका भाषण उद्धृत कर सकता हूं। यह संयुक्त राष्ट्र में दिया गया था।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: यह अमरीका की ओर से शर्त नहीं थी। यह राष्ट्र द्वारा स्वेच्छा से लगाया गया प्रतिबंध था यह हमारी अपनी तरफ से था, जब भी हम चाहते इसे परिवर्तित कर सकते थे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा: मैं समझता हूं सदस्यों के लिए अब मेरे लिए इसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। महोदया, मैं सितम्बर 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी के भाषण से उद्धरण देता हूं। उन्होंने कहा:

> "तदनुसार सीमित परीक्षण कार्यक्रम संपन्न करने के बाद भारत ने भावी भूमिगत नाभिकीय परीक्षण पर स्वैच्छिक स्थगन की घोषणा की थी। इस दायित्व को विधिसम्मत रूप देने हेतु हमने हमारी सहमति दे दी है। स्थगन की घोषणा करके भारत ने पहले ही सीटीबीटी की मूलभूत शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: यह प्रतिबंध राष्ट्र द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया था। *...(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा: महोदया मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने शुरूआत में कहा था, कि माननीय प्रधानमंत्री और इस सरकार ने बार-बार संसद को जानकारी दी है। एक समय था जब भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री और श्री स्ट्रोब टैल्बोट के बीच 11 महीने तक वार्ता हुई थी। संसद को कभी भी सूचित नहीं किया गया; देश को जानकारी नहीं दी गई। हमें अंधेरे में रखा गया। आज, हम समाचारपत्रों में देखते हैं कि मल्होत्रा जी की पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में आप सब वहां थे– इस सरकार के विरुद्ध गुहार लगाने के लिए राष्ट्रपति जी से मिलते हैं जैसे कि हमने कुछ ऐसा किया है जो पूर्णत: भारत की संप्रभुता से समझौता करने के समान है। लेकिन, मैं उस तरफ बैठे अपने सभी मित्रों का सम्मान करता यदि उस समय उन्होंने विरोध किया होता और जसवंत सिंह जी और स्ट्रोल टैल्बोट के बीच चल रही वार्ता के संबंध में जानकारी मांगी होती।...*(व्यवधान)* देश को केवल 11 महीनों तक ही नहीं बल्कि वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया व्यवधान न डालें।

श्री आनन्द शर्मा: मैं यहाँ अपने दोनों मित्रों का आभारी हूँ। मैं आप दोनों का आभारी हूँ। क्योंकि, पहले वर्षों तक देश को अँधेरे में रखा गया और हमें स्ट्रोल टैल्बोट के पुस्तक लिखने और इसके प्रकाशित होने का इंतजार करना पड़ा था। हमें यह जानने के लिए पुस्तक खरीद कर पढ़नी पड़ी कि क्या प्रतिबद्धता थी और सीटीबीटी के प्रस्ताव सहित क्या प्रस्ताव किया गया था। दूसरा, आपने मुझसे पूछा था, जब हम विपक्ष में थे तो हमने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। आपमें और हममें यही अन्तर है। हम दलगत भावना से काम नहीं करते।

...(व्यवधान)

अपराह्न 5.30 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं शीघ्रता से केवल एक और बात का उल्लेख करूँगा, जिसके बारे में कहा गया था जो प्रमाणीकरण से सम्बन्धित है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि कोई भी वार्षिक प्रमाणीकरण 18 जुलाई के समझौते की भावना के विपरीत होगा और यहाँ तक कि यह उस धारा में भी भारत को अस्वीकार्य होगा जो बाध्यकारी नहीं है। प्रधानमंत्री और सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारत का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि वह एक विकसित परमाणु हथियार संपन्न, विकसित तकनीकी से सम्पन्न राष्ट्र है। जिसके वही अधिकार और लाभ हैं जो दूसरें देशों के हैं।

एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और उसका उत्तर प्रधानमंत्री जी स्वयं देंगे जो उन्होंने दूसरे सदन में बहुत अच्छे ढंग से किया है और यह भारत की नाभिकीय ऊर्जा जरूरत के बारे में है। यह प्रश्न उठाया गया था कि हमारे पास पनबिजली है। खंडूड़ी श्री, आप उत्तरांचल से हैं। मैं जानता हूँ कि आपके राज्य के पास विद्युत जल भंडार है। सौभाग्य से मैं भी हिमाचल प्रदेश से हूं। हमारे पास भी वृहद भंडार है जिसका हमने कुछ सीना तक दोहन किया है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि जल क्षमता का

दोहन नहीं किया जाना चाहिए या जैव ऊर्जा का दोहन नहीं किया जाना चाहिए, और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक आदर्श ऊर्जा निरीक्षण की जरूरत होगी, और इस आदर्श मिश्रित ईंधन में नाभिकीय ऊर्जा भी अवश्य शामिल होनी चाहिए। यदि हम यही कहते रहेंगे कि हमारे पास कोयले के भंडार है तो जीवश्म ईंधनों और कोयले पर निर्भरता रहेगी–हालांकि, इनमें निरंतर कमी हो रही है - हमें पर्यावरणीय जोखिमों और सम्मिलित लागत पर भी नजर रखनी होगी। इसी प्रकार, हाइड्रोकार्बनों की कीमत भी बढ़ रही है। आज हम तेल के एक बैरल की कीमत जानते हैं, हम यह नहीं जानते कि भविष्य में इसकी कीमत क्या होगी, और फिर हाइड्रोकार्बन भंडारों पर भी दबाव बढ़ेगा। इसलिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और नाभिकीय प्रौद्योगिकी प्राप्त करना संगत होगा।

महोदय, मैं वही कह रहा हूं जो 46 वर्ष पूर्व 10 अगस्त, 1960 में इसी सभा में पण्डित जवाहर लाल नेहरू जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न बनाने का स्वप्न देखा था, ने कहा था:

> "इसी प्रकार हमारा दृढसंकल्प है कि इस नई विद्युत शक्ति के संवर्धन और प्रयोग में पीछे न रह जाएं। इसके साथ भारत में कोयले के स्पष्टत: भारी भंडार होने के बावजूद यह भविष्य के प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें परमाणु शक्ति हेतु नींव रखनी होगी तथा अभी से इस दिशा में आगे बढ़ना होगा?"

पण्डित जी ने इस सभा में यह कहा था।

मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के उपरांत जिसमें कि पूर्व में दिये आश्वासनों को दोहराया गया है हम सभी को यह सोचना चाहिए कि क्या हमें दलगत वाद विवाद या दुष्प्रचार को बढ़वा देना जिससे अन्तत: इस देश के हितों को आघात पंहुचता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह देश के हितों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हमारे विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ असैनिक नाभिकीय समझौते के विरुद्ध उन लोगों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो भारत के विरुद्ध हैं, जो नहीं चाहते कि भारत अद्यतन प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करें, और भारत के पास ईंधन हो। मैं अपने निकटतम पड़ोसी की बात कर रहा हूं। वहां लॉबियां है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो परमाणु, हथियारों के विस्तार के कारण आपत्ति कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक सक्रिय लॉबी कार्य कर रही है। हां, पाकिस्तान सक्रिय है। जब हमारे देश में वाद-विवाद हो रहा है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिसे बाद में भारत के विरोधी द्वारा तोड़ा-मरोड़ा जाये और जिसका हमारे विरुद्ध उपयोग किया जाए। जब राष्ट्र हित का संबंध हो। हमें एकमत होकर बोलना चाहिए महोदय, मैं इस देश की महानतम प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषण से उद्धरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, जो कि उपयुक्त है, उन्होंने कहा था:

> "भारत जैसे विशाल देश को अपनी शक्ति के पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। मैंने अपने जीवन को सहिष्णु धर्मनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण भारत के निर्माण के लिए समर्पित करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए कार्य करती रहूंगी और अपनी संपूर्ण शक्ति इसके लिए समर्पित करूंगी, और यदि आवश्यक हुआ, तो इसके लिए अपनी जान भी दूंगी। हमें तुच्छ विवादों में संलिप्त होकर राष्ट्र की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। आइए हम अपनी शक्ति का प्रयोग उन मामलों का सामना करने के लिए करें, जो हमारे देशवासियों के दीर्घगामी हितों को प्रभावित करते हैं।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्री जब पिछले साल 18 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ परमाणु ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में समझौता करके आये थे और जब इस सदन में उस समझौते पर चर्चा हुई थी, तो हमारी पार्टी ने उस समझौते का पुरजोर समर्थन किया था।

हमने केवल इस आधार पर समर्थन किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के सम्बन्धों के सवाल पर भारत में हमेशा एक आम सहमति रही है और आज दुनिया की सच्चाई है। एक जमाना था जब द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। भारत एक नया राष्ट्र था, नयी आजादी मिली थी। हमें हमारे राष्ट्र के हितों की रक्षा करते हुए, दुनिया के किसी खूंटे में न बंधकर, अपनी ताकत से भारत का निर्माण करना था और ऐसे में गुट निरपेक्षता की विदेशनीति हमारे लिए एक सार्थक विदेशनीति मानी गयी जिस पर हमारा देश लगातार अमल करता आ रहा है। लेकिन जब कभी भारत पर संकट आया, हमें लगा कि हम ताकतविहीन हैं तो किसी भी ताकतवर मुल्क ने हमारी मदद नहीं की। जब वर्ष 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ, तो ऐसा कहा जा रहा था कि हमारा साथी देश, मित्र देश सोवियत खेमा है, लेकिन उसने भी अपना पल्ला यह कहकर झाड़ लिया कि चीन हमारा वैचारिक भाई है और भारत हमारा दोस्त है, इसलिए हमारे लिए चुप्पी साध लेना ही बेहतर है, इस तरह हमारी पिटाई होती रही। हमारी मदद में गुट निरपेक्ष आन्दोलन के ही

[श्री मोहन सिंह]

देश आए, खासतौर से श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमावो भण्डारनायके आगे आई थीं।

वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी का संघर्ष हो रहा था, तो भारत ने उसमें मदद की और उस मदद के बाद अमेरिका ने अपनी नौसेना का सातवां बेड़ा हिन्द महासागर में भेज दिया था। अमेरिका ने डिगो गार्शिया में अपना एक स्थायी अड्डा बना लिया। भारत ने इस संघर्ष में कामयाबी हासिल की और विश्व के सभी संघर्षों में सबसे अधिक युद्धक-बन्दी इस युद्ध में भारत ने कैद किए थे। इसके साथ ही दुनिया के नक्शे पर भारत की मदद से एक स्वतंत्र देश का उदय हुआ था। हमारे देश की प्रधानमंत्री ने उस समय ठीक ही समझा कि दुनिया ऐसा न समझ ले कि डिगो गार्शिया में अमेरिका द्वारा सैनिक अड्डा बना लेने के बाद और एक बड़ी ताकत के हिन्द महासागर में आने के बाद भारत डरा हुआ देश बन गया है, इसलिए पोखरण-1 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके हमारे देश ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का खुलासा किया। इसके साथ भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया था कि किसी भी आक्रमण का मुकाबला हम अपनी ताकत से कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी जरूरत पड़ी, भारत जिन उसूलों पर खड़ा है, उन उसूलों के लिए हमने अपनी आवाज बुलंद की है। साठ के दशक में जब मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर के समय में, मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीकरण कर लिया तो फ्रांस, ब्रिटेन और इजरायल ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। उस समय भारत अकेला देश था जिसने उस हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन की जनता ने अपने ही प्रधानमंत्री का घर घेर लिया। भारत ने पूरे विश्व में ऐसा जनमत तैयार किया कि मिस्र पर तीनों देशों का यह आक्रमण तत्काल स्थगित हो गया। उसके कुछ ही दिनों बाद जब पूरी दुनिया तनावग्रस्त थी, अमेरिका के टोही विमानों ने रूस में प्रवेश किया और उनको रूस द्वारा मार गिराया गया। उस समय राष्ट्रपति डि गॉल ने फ्रांस में खुश्चेव और बुल्गानिन की एक बैठक बुलाई, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अमेरिका और रूस का शीर्ष सम्मेलन था। यह फ्रांस का पंचाट था, लेकिन वह वार्ता विफल हो गयी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों की एकता के लिए प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव पर चर्चा हुई और जवाहर लाल नेहरू जी के प्रयास से तनावग्रस्त दुनिया में तनाव का वातावरण कम हुआ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने राष्ट्रीय हितों का बलिदान किए बिना सच्चाई के साथ भारत अपने उसूलों पर खड़ा है। उसके लिए आवाज बुलंद करना भारत की प्राथमिकता थी और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का एक आधार था। इसी बात को लेकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मोड़ पर भारत सरकार ने देश में एक राष्ट्रीय सहमति बनाकर अपनी विदेश नीति का संचालन किया।

कुछ इसी तरह की परिस्थिति मिडल ईस्ट में आई। हमारा मानना है कि पश्चिमी एशिया को हमेशा अस्थिर करने के लिए अमेरिका का एक षडयंत्र रहता है। इस सच्चाई को मानकर चलना होगा कि छोटे-छोटे देश जो उसके साथी हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, इजराइल जैसे देश परमाणु बम में शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो सकते हैं, उसमें उसको एतराज नहीं होगा। लेकिन कोरिया, भारत नहीं हो सकते। अंदर ही अंदर परमाणु बम बानने की क्षमता पाकिस्तान ने, हमारे पड़ौसी देश ने किस की मदद से प्राप्त की, दुनिया को इस बात की जानकारी है। ऐसी परिस्थिति में भारत ने दुनिया में अधिक से अधिक मित्र बनाते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलते हुए अपने राष्ट्रीय उसूलों के साथ समझौते नहीं किया।

अमेरिका के साथ हम टकराव के पक्ष में नहीं हैं। उसे भी मित्र मानकर जितनी भी आर्थिक और सामरिक तरक्की करने की जितनी भी बातें हों, हमें उससे मदद लेनी चाहिए। लेकिन हमारे जो पश्चिम और दक्षिण एशिया के देश हैं, उनमें अमेरिका की दखलअंदाजी को भारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में यह जो हमारा समझौता अमेरिका के साथ 18 जुलाई को हुआ, उसे इसी नजरिए से देखना चाहिए।

अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्य सभा में जो वक्तव्य दिया, उसके लिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। उस पूरे भाषण में भारत के पुरूषार्थ की झलक मिलती है। दुनिया में किसी भी ताकत के सामने भारत नहीं झुक सकता, उसका एक-एक शब्द और अक्षर हमें यहां पढ़ने को मिलता है। इसलिए हम आज यहां जो बात कहने के लिए खड़े हैं, उसमें यह भी कहना चाहते हैं कि जो वचन भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमारी संसद के दूसरे सदन में दिया है, उस वचन पर उनको अडिग रहना चाहिए। हम अपने मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि इस देश की आस्था और आत्मा, इस देश की भावना का प्रतीक यह संसद है। जब इस संसद में भारत का कोई प्रधानमंत्री वचन देता है तो उस पर अविश्वास करने का हमारे पास कोई कारण नहीं रहता, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि जैसा आज संदेश आ रहा है अमेरिका से कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो समझौता हुआ, उसमें कुछ कतर-ब्यौंत होने वाली है, उस पर ध्यान देना होगा।

एक सेंस डवलप्ड हुआ, अमेरिका कांग्रेस ने पास किया, अमेरिका सीनेट की उस पर मोहर लगने में परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं कि भारत की संसद का एक स्वर अमेरिकी सीनेट के सदस्यों को सुनाई पड़ना चाहिए कि भारत की जनता और संसद भारत के प्रधानमंत्री और सरकार के पीछे खड़ी है और उसमें किसी भी प्रकार की कतर-ब्यौंत को हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम इसी मकसद से इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ मिले थे। इस सदन ने प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा व्यक्त किया था। उन्होंने जो कुछ समझौता किया था, इस सदन का बहुमत उनके साथ था। इसलिए बाहर यह आवाज जानी चाहिए कि बहमत नहीं सर्वसम्मत रूप से सारा देश और संसद इस समझौते साथ है। प्रधानमंत्री जी की बात के साथ-साथ यह संदेश भी जाना चाहिए था।

जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमीरिका राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि भारत की संसद में वाजपेयी जी ने इस समझौते का विरोध किया है। हमें इस पर आश्चर्य है कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ वहां हुई मुलाकात में यह विचार व्यक्त किया था। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त किया हुआ यह आश्चर्य कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में शुरू से ही अच्छी राय रखता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो वक्तव्य राज्य सभा में दिया है, भारत सरकार उस पर डटी रहे। पूरा देश, पूरा सदन और कम से कम मेरी पार्टी जो अधिकांश मामलों में इस सरकार का विरोध करती रहती है, इस सवाल पर आपके साथ रहेगी। यह वचन देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष जी, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है और यह कोई दलगत मुद्दा नहीं है। भारत-अमेरीकी परमाणु करार पर, 18 जुलाई को जो संयुक्त बयान आया, उससे जिन दलों की शंका या संशय था वह शंका और संशय भी निर्मूल हो चुका है। माननीय प्रध ानमंत्री जी का वक्तव्य, पिछले दिनों दूसरे सदन में हुआ है, उससे देश के स्वाभिमान को बल मिलने के साथ-साथ देश की जो विदेश-नीति है, गुट-निरपेक्ष नीति है, उसकी घोषणा का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से किया है। इसलिए पूरी तरह से कुछ दलों को जो शंका थी, वह निर्मूल हुई है।

भारत-अमरीकी-परमाणु-करार में एक चीज शुरू से कही जा रही है कि इससे भारत को एनर्जी के मामले में सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन इस पर एक तरह की बात आई, क्योंकि इस पर हमारे वैज्ञानिकों का मत भी आने लगा था। इससे देश में एक कंफ्युजन का वातावरण बना। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी मजबूती के साथ जो वक्तव्य दिया, उससे मेरा स्पष्ट मत है कि वैज्ञानिकों ने हाल में जो चिंता व्यक्त की थी, यूपीए सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन बातों का संज्ञान लिया है और अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को व्यक्तिगत तौर पर, भारत की जनता की भावनाओं से अवगत करा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत के हितों को, जिस मजबूती के साथ रखने का काम किया है, वह इतिहास में दर्ज होगा। वैसे भी भारत के पास यह अधिकार था कि अगर 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य में, उसके मानकों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो भारत उस संधि से अपने हाथ खींच सकता है। कुछ लोगों को पता नहीं क्यों शंका हुई और तरह-तरह की बातें क्यों आने लगीं? कुछ लोगों को रात में भी शंका होने लगती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां देश के सम्मान और शान की बात हो, स्वतंत्र विदेश नीति की बात हो, गुट-निरपेक्षता का सवाल हो, वहां दलगत भावना से सोचकर शंका करना, देश के साथ न्याय नहीं है।

परमाणु एनर्जी से हम ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे पानी से ऊर्जा लाने की बात हो, तो ऐसे मामलों में भी संदेह करना इंसाफ नहीं है। भारत ने, 18 जुलाई के बाद, इस मामले में नाभकीय संयंत्रों से सैनिक और असैनिक क्षेत्रों मे वर्गीकरण की अपनी योजना का कागजों पर मूर्त रूप देने और अमरीकी प्रशासन को अवगत कराने के अलावा कोई ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठाया है लेकिन अमरीका ने कानून बनाने के साथ-साथ, नाभकीय आपूर्तिकर्ता से भी संपर्क साधा है, जिसके फलस्वरूप ही रूस ने तारापुर रिएक्टर के लिए ईंधन जारी किया। भारत की तुलना में, अमरीका इस संधि में आगे बढ़ा है। किसी कारण संधि में कोई व्यवधान आ जाता है तो भारत की अपेक्षा अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। मैं इस बात को यहां दर्ज कराना चाहता हूं। इसलिए माननीय मित्रों को इस बारे में संदेह नहीं होना चाहिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: हमें संदेह नहीं है, आपके दिमाग में फितूर हो रहा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपकी बात ठीक है। ...*(व्यवधान)* मैंने आपका भाषण सुना था। मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपका भाषण रचनात्मक था।

अपराह्न 5.50 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हरिन पाठक जी आपको बोलने के लिए उकसा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इससे किसी परमाणु मामले पर चर्चा करने के लिए उत्तेजित नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा विश्वास है कि भारत के स्वतंत्र परमाणु कार्यक्रम में तथा स्वतंत्र विदेश नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। किसी भी तरह के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह की दृढ़ता सरकार ने दिखाई है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य देश के सामने आया है, हमारे देश की सम्प्रभुता और देश हित पर कोई आंच आने वाली नहीं है। देश के प्रमुख वैज्ञानिकों की जो चिंता है, उसे भी ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी गई है और उनसे भी विचार-विमर्श हुआ है तथा आगे भी होगा। देश के व्यापक हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। हम लोग तथा सम्पूर्ण देश प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ विचार के साथ खड़े हैं और इस देश में वैदेशिक नीति के मामले में, परमाणु निशस्त्रीकरण के मामले में, भविष्य में भी परमाणु विस्फोट के बारे में अपने देश के अधिकारों पर कोई एक तरफा रोक स्वीकार नहीं करने के संबंध में, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का संकेत था, 1962 में जो उन्होंने स्पीच दी थी, जो रास्ता उन्होंने तैयार किया था कि परमाणु ऊर्जा से ही देश की मजबूत नींव रखी जा सकती है, इस बारे में देश को तैयार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वह जो रास्ता अपनाया गया, वह रास्ता हम लोगों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है और हमें उसे रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। भारत ने 1974 के परमाणु विस्फोट के बाद लगाए गए तकनीकी प्रतिबंधों के बावजूद जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे बेशक प्रशंसा के काबिल हैं। लेकिन इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि उनकी बुनियाद उस प्राविधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर टिकी थी, जो होमी भाभा के प्रयासों की देन थी। तकनीकी प्रतिबंधों के 32 वर्षों के बाद आज अमरीका के नेतृत्व से भारत को मुक्ति मिलने की सौगात है क्योंकि यदि किसी पूर्वाग्रह के आधार पर इस भारत-अमरीका परमाणु करार को खरिज कर देंगे तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दूसरी महाशक्तियों से सम्पर्क का मौका खो देंगे, यह मेरा मानना है। हमारे देश का आर्थिक विकास, विदेशी निवेश, व्यापार, परमाणु ऊर्जा, पनबिजली के मामले हैं, इनके लिए निश्चित रूप से संधि में संयुक्त वक्तव्य दिया गया है। अपने आप में उसकी परिधि में रहकर और जिस मजबूती से प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और साफ-साफ कहा है कि हम देश के व्यापक हितों से कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में खुद भारत ही आकलन करेगा और हमारी सम्प्रभुता अक्षुण्ण रहेगी। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। इतना ही नहीं यदि अमरीका ने कोई चाल चली तो भारत अपना राह चुन लेगा। इससे ज्यादा देश की मजबूती, देश का स्वाभिमान और शक्तिशाली देश का प्रमाण और क्या हो सकता है। इसलिए सदन में दिया गया जो वक्तव्य है, मैं समझता हूं कि उस प्रधानमंत्री जी अटल हैं और पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा है। पूरा देश इस सवाल पर प्रधानमंत्री जी के साथ है और हम सभी संकल्पित हैं कि इस राह पर उनके साथ रहें।

इस करार में मजबूती से जो देश के व्यापक हित हैं, उनका संरक्षण करें, इसी तरह देश के स्वाभिमान को बनाए रखें और दुनिया में अपनी पहचान को बनाए रखने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के मध्य जिस समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने 18 जुलाई को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था, इसके तीन संघटक हैं, इसमें आर्थिक मामलों और नाभिकीय और सिविलियन ऊर्जा के मामलों पर संबंध कायम होते हैं और इसके परिणामस्वरूप ऐसा संबंध उत्पन्न होता है जो रणनीतिक संबंध का रूप ले लेता है। अब तक हम मुख्यत: नाभिकीय और सिविलियन मामले पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह संबंध का पर्याय बन गया है। समझौते का एक खण्ड निर्दिष्ट करता है कि हमें असैनिक नाभिकीय क्षमता और सैन्य क्षमता को अलग करना चाहिए। जहां तक रणनीतिक संबंध का सवाल है, यह अत्यधिक गंभीर स्वरूप ले लेता है।

जहां, हमें संयुक्त राज्य अमरीका के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जोकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र है, यह भारत के हित में है कि ऐसे मामलों पर जो भारत से संबंधित है, हम अपनी शर्तों पर उनके साथ सहयोग करें, और हमें इस संबंध को उस दिशा में आगे ले जाना चाहिए जिससे भारत को लाभ हो।

मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि भारत में हुई पहली हरित क्रांति उस समय अमरीका के सहयोग से ही संभव हुई थी। एम.एस. स्वामीनाथन और सी. सुब्रामणियम ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी; और अमरीका से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी हुआ था। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी शर्तों में अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करें, जिससे भारत को लाभ हो।

विदेश नीति में, यह महत्वपूर्ण है कि हम भारत की दृष्टि से शेष विश्व को देखें, और जहां यह भारत के हित में हो, हमें सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र में जो निसंदेह समझौते का आधार है, भारत को दुर्भाग्यवश लंबी अवधि के लिए अपने रॉकेटों के लिए ईंधन प्राप्त करने से रोक दिया गया है। वस्तुत: भारत को भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है—प्रत्येक वर्ष 10,000 मेगावाट से 15,000 मेगावाट से अधिक। हम 10,000 मेगावाट जोड़ने की योजना बना रहे हैं, और हम इस हेतु विभिन्न कारणों से 40 प्रतिशत तक को भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमें निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि विद्युत शक्ति भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह करते हुए यह आवश्यक है कि हम ऊर्जा सम्मिश्रण विकसित करें। हम यह ऊर्जा सम्मिश्रण कैसे प्राप्त करेंगे? क्या हमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है? हमें देश में उपलब्ध ऊर्जा के सभी स्वरूपों की आवश्यकता है। हमें पनबिजली, ताप, नवीकरणीय और नाभिकीय, ऊर्जा के हर प्रकार की आवश्यकता है। हमें नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? यह आवश्यक है क्योंकि विश्व पर्यावरण परिवर्तन की गंभीर चुनौती का समाना कर रहा है। ग्रीन-हाऊस उत्सर्जन ने विश्व में बड़ी समस्या उत्पन्न की है, जिसका मानव समुदाय को सामना करना पड़ रहा है। संभवत: अगले कुछ वर्षों में इस उपग्रह पर संपूर्ण मानव जाति नहीं होगी। हम भारत में इस समस्या का सामना बाढ़ और सूखे के कारण कर रहे हैं, जो बार-बार आते हैं, यह भी मौसमी परिवर्तन के प्रभाव के कारण है। नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा के सबसे स्वच्छ रूपों में से है। यह ग्रीन-हाऊस गैसों को उत्सर्जित नहीं करता है। इसलिए, हमें इस ऊर्जा की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि मेरे सहयोगी जनरल खंडूड़ी के शब्दों में पनबिजली की आवश्यकता है। हमें तापीय ऊर्जा की भी आवश्यकता है क्योंकि वर्ष 2050 तक कोयला 50% से अधिक योगदान के साथ भारत के ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ रहेगा, जिसके बाद हमें अन्य क्षेत्रों से भी काफी सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए, हमें इस उर्जा की आवश्यकता है। इसलिए, अमरीका के साथ इस ऊर्जा सहयोग का स्वागत है।

सबसे अधिक चिन्ताजनक यह है कि इसे समझौते का राजनीतिक क्षेत्र पर क्या परिणाम होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम केवल ऊर्जा मामलों पर ही ध्यान केन्द्रित न करें। हमें इनका अन्य उद्देश्यों के साथ इस प्रकार समायोजन करना चाहिये कि हमारे दीर्घागामी रणनीतिक हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो।

सायं 6.00 बजे

इसलिए, मैं भविष्य की ओर आगे देख रहा हूं। माननीय, प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट वक्तव्य दे चुके हैं। जिसका मैं पुन:, स्वागत करता हूं। परन्तु, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ सप्ताहों में यह नई प्रक्रिया काफी अहम होगी जब यूएस कांग्रेस इस मामले पर विधान बनाएगी। अभी यह सेनेट और कांग्रेस हाऊस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के विचाराधीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें उत्पन्न होने वाले विरोधात्मक मामलों पर सदनों के मध्य समझौता हो जाएगा। तथापि, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की ओर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के हितों के साथ समझौता न किया जाए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं और यह इस चार दीवारी के अंदर ही रहेगा कि मान लीजिए कुछ कारणों से विधान हमारे हितों और हमारे द्वारा निर्दिष्ट मापदण्डों के अनुरूप न हो तो क्या हम इस समझौते से पीछे हट जायेंगे? इस समझौते के कई अन्य परिणाम हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह केवल नाभिकीय-सिविलियन समझौता है। अमरीका के साथ हमारा एक अन्य एजेण्डा भी है जो इस समझौते से अधिक व्यापक है। क्या हम इस पर समझौता कर लेंगे या क्या हम यह सुनिश्चित करके आगे बढ़ सकेंगे कि हमारी चिंताओं का उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाये और हमारे हितों की सही ढंग से सुरक्षा की जाए?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): इस विषय पर राज्य सभा में आठ घंटों तक चर्चा की गई थी। आप इसे सचमुच समाप्त करना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हम इस पर बोलना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: उन बातों का उल्लेख न करें, जो असंगत है।

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: आपको हमें समय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह जानता हूं। अब उन्हें बोलने दीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं यहां भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर विचार-विमर्श के लिए खड़ा हुआ हूं। दूसरे सदन में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर विस्तार से चर्चा के पश्चात् दिए गए प्रधानमंत्री जी के उत्तर के पश्चात् सभी संदेह दूर हो गए होंगे। परन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के उत्तर से यह समझा है कि अमेरिकी कांग्रेस इस

[श्री भर्तृहरि महताब]

मुद्दे पर चाहे जो भी कानून बनाए, भारत केवल प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुए 18 जुलाई के समझौते के प्रति ही प्रतिबद्ध है। दूसरे शब्दों में, नई दिल्ली अमेरिकी कांग्रेस द्वारा भारत के राष्ट्रीय हित के साथ समझौता करके समझौते में किए गए किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। यदि ऐसा है तो यह स्पष्ट शब्दों में बताया जाए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के परमाणु कार्यक्रम पर केवल इसकी अपनी न्यायसंगत चिंताओं के आधार पर कार्य किया जाता है। हम हालात स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें विदेशी अधिकारियों की भारतीय परमाणु विषयों में बिना रोक-टोक पहुंच हो। परमाणु समझौते पर अमेरिकी हाऊस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में हुई कार्यवाही से यह संदेह उत्पन्न हो रहे हैं कि समझौते के कार्यान्वयन में अमेरिका की काफी बड़ी भूमिका होगी जबकि पहले अनुमान लगाया गया था कि 18 जुलाई के समझौते के मूल पाठ का अनुसरण किया जाएगा। चिंता का विषय यह भी है कि अमेरिका द्वारा भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाने के प्रयास से भारतीय परमाणु निवारक के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परन्तु हमें यह पूर्णत: स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस मुद्दे पर हम कोई बाधा स्वीकार नहीं कर सकते।

मेरा विनम्र मत यह है कि 18 जुलाई के समझौते से भारत और अमेरिका दोनों को लाभ होगा। हम राजनीतिक भागीदार के रूप में उभर रहे हैं। यह 21वीं सदी के पहले 25 वर्षों के अंत तक आर्थिक महाशक्ति बनने हेतु हमारे समक्ष आने वाली परमाणु और प्रौद्योगिकीय चुनौतियों से निपटने हेतु निर्धारित मानकों से अलग सोच का परिणाम है। हमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे सदन में दिए गए उत्तर से आखिरकार अब वामपंथी भी खुश हैं। फिर भी वामपंथियों द्वारा ही यह चर्चा प्रारंभ की गई है।

मैं तीन मुद्दे रखना चाहता हूं। हमारे परमाणु वैज्ञानिक संस्थापनों में, शैक्षणिक वर्गों में और हमारे कुछ राजनीतिक दलों में, चाहे वह वामपंथी हों, या दक्षिणपंथी, यह भय घर कर गया है कि भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते से भारत को फंसाया जा रहा है। गत 60 वर्षों के इतिहास के कारण इस भय को समझा जा सकता है। 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद भी जसवंत-टालबौट वार्ता के दौरान अमेरिका ने हमेशा भारत को सी टी बी टी में शामिल करने का प्रयास किया और भारत के परमाणु शस्त्रागार को रोकने, उसमें कमी लाने और समाप्त कराने का प्रयास किया। उत्तरोत्तर अमेरिकी प्रशासनों ने भारतीय परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित करने का लगातार प्रयास किया है। अमेरिका हमेशा अपने हितों को साधने का प्रयास करेगा। वे अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्वयं को आगे रखना चाहते हैं परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सभा और परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अमेरिका की भारत के प्रति नीति बदली है। जिन्हें भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते पर आपत्ति है उन्हें इस तथ्य की भी जानकारी होनी चाहिए कि रूस जो अब एक अग्रणी ऊर्जा शक्ति के रूप में उभर रहा है भारत अमेरिकी परमाणु समझौते का पूर्णत: समर्थन करता है तथा इसी प्रकार यूरोपियन संघ और जापान भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

हमारे देश में हमें समय और परिस्थितियों में आए उन परिवर्तनों पर भी विचार करना चाहिए जिससे सम्पूर्ण विश्व के रवैये में परिवर्तन आया है आज विश्व दो विरोधी गुटों के कारण दो भागों में नहीं बंटा है बल्कि आज शक्ति संतुलन की व्यवस्था विद्यमान है जिसमें कोई भी बड़ी शक्ति दूसरे को शत्रु नहीं मानती। यह एक व्यापक विश्व है जिसमें विश्व के बड़े राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ष-दर-वर्ष अमेरिका और चीन में व्यापार बढ़ रहा है। अमेरिका और रूस ने मिलकर एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। सभी अन्य शक्तियों की भागीदारी से तापनाभिकीय ऊर्जा के संबंध में एक साझी अनुसंधान परियोजना चल रही है और इसमें अब भारत भी शामिल हो गया है।

आज अमरीका सहित विश्व की अन्य प्रमुख शक्तियों के सभा भारत के समीकरण में आर्थिक उदारीकरण से पहले की तुलना में परिवर्तन आया है। आज, द्विध्रुवीय विश्व की तुलना में शक्ति संतुलन वाले विश्व में हमारे देश के पास विदेश नीति के अधिक विकल्प हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ हमारे देश को राजनीतिक भागीदार मानते हैं। यहां तक कि आज चीन भी हमारे साथ राजनीतिक वार्ता कर रहा है। भारत अमरिकी परमाणु समझौते में भारतीय परमाणु शस्त्रागार के अस्तित्व में मान्यता दी गई है। भारत एशिया और विश्व में बेहतर संतुलन को बढ़ावा देने का कार्य कर सकता है।

महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। यह पता चला है कि साऊदी अरब का तेल उत्पादन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है और अब इसमें गिरावट आएगी। यही बात उस क्षेत्र के अन्य तेल उत्पादकों पर भी लागू होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तेल के कुएं खाली होने वाले हैं। परन्तु नए स्रोतों का पता लगाने की तुलना में इनसे काफी अधिक तेल निकाला जा रहा है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यह राजनीतिक समस्या नहीं है बल्कि यह एक संसाधन संबंधी समस्या है जो मांग-आपूर्ति समीकरण द्वारा उत्पन्न हुई है।

आगामी दशकों में विश्व को जीवाश्म ऊर्जा से गैर-जीवाश्म ऊर्जा की ओर जाना पड़ेगा। पवन चक्की और सौर ऊर्जा

संबंधी आदि आशाओं के बावजूद गैर-जीवाश्म ऊर्जा का एकमात्र अर्थक्षम और साबित स्त्रोत परमाणु ऊर्जा है। एक दिन यह संक्रमण होगा। क्या हमने इस पृष्ठभूमि में प्रस्तावित भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते का मूल्यांकन किया है? इसकी क्या हालत होगी। इस परिवर्तन के आर्थिक परिणामों की गणना नहीं की जा सकती। भारत में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। क्या हमें इसे एक अवसर मानना चाहिए? यदि हां, तो किसके लिए? यह ऊर्जा उद्योग विशेषकर परमाणु उद्योग में संलिप्त अमेरिकी उद्योगपतियों के लिए है।

मुझे इस बात की जानकारी है कि यह समझौता जटिल है परंतु एक बात स्पष्ट है कि यह भारत को यूरेनियम आधारित प्रौद्योगिकी और ईंधन, जिसकी आपूर्ति अमेरिका द्वारा की जाएगी, के बदले थोरियम आधारित अनुसंधान और विकास करने से रोकता है। इसका मूल विषय यूरेनियम को 'हां' और थोरियम को 'न' कहना है। सरकार को स्पष्ट शब्दों में यह बताना चाहिए कि अपनी भावी गैर-जीवाश्म ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अमेरिकी व्यापार पर भरोसा करते समय हमें क्या-क्या बलिदान देना होगा?

भारत के पास थोरियम का अथाह भण्डार है और यूरेनियम काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। भारत के पास थोरियम चक्रण पर आधारित रिएक्टर का निर्माण करने की तकनीकी क्षमता है। परंतु क्या हमें पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थकों द्वारा बरगलाया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं एक अंतिम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका पिछला मुद्दा भी काफी लम्बा था।

श्री भर्तृहरि महताब: अत:, भारत अमेरिकी परमाणु समझौते के संबंध में मूल प्रश्न यह है कि क्या हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस समझौते से हमारे ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा परन्तु प्रश्न यह है कि क्या परमाणु ऊर्जा आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव है, क्या परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करने की प्रक्रिया में मानव स्वास्थ्य का कोई जोखिम शामिल है, क्या राजनीतिक और नीतिगत मुद्दे हमारे देश के हित में है, तथा क्या यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। मुझे इन सभी मामलों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज सभी प्रश्न इस देश और इस सभा के समक्ष हैं। अब मैं अपने अंतिम प्रश्न पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: 'अंतिम' शब्द का कुछ अर्थ होता है.

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, यह अंतिम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन देशों में अधिष्ठापित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं क्या वे इन्हें हटा रहे हैं। क्या गत 25 वर्षों में अमेरिका में किसी भी संयंत्र का निर्माण नहीं किया गया है या उसकी योजना नहीं बनाई गई। क्या ऐसा ही ब्रिटेन में भी किया गया है? 'दि फाइनैनशियल टाइम्स' समाचार प्रकाशित हुआ है कि आने वाले कुछ दशकों में ब्रिटेन में कोई परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन में अंतिम रिएक्टर 1995 में बनाया गया था। फ्रांस और जर्मनी में एक दशक से अधिक समय से कोई भी नया परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं बनाया गया है। फिर हम इसकी ओर क्यों भाग रहे हैं? मैं एक उद्धरण के साथ अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं जिस पर प्रधानमंत्री को चिन्तन करना चाहिए।

"अपने निर्णयों के प्रति वचनबद्ध रहिए परन्तु अपने दृष्टिकोण में लचीलापन रखिए।"

आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें इसी मार्ग को अपनाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रप्पन, आपके पास चार मिनट हैं पर मैं आपको पांच मिनट दूंगा। कृपया इतने समय में अपना भाषण समाप्त कर दीजिएगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, मैं आपको शुरू करने से पहले यह बता रहा हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, यदि इस चर्चा के दौरान हम अपनी कुछ आशकाएं व्यक्त करते हैं तो यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमें प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। हमें प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। मुझे याद है कि दूसरे सदन में वाद-विवाद के दौरान उन्होंने कहा था कि वैधानिक प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। वह अमेरिका में चल रही वैधानिक प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार उसके पूरा हो जाने पर हम यह निर्धारित करेंगे कि क्या कोई ऐसे भी तत्व हैं जो गत वर्ष 18 जुलाई को हुए समझौते में अहम है। उन्होंने आश्वस्त करने वाला यह वक्तव्य दिया था। वास्तव में भारत अमरिका समझौते के बारे में दिए गए एक अति साहसी वक्तव्य के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं परन्तु ये आशंकाएं उठ रही हैं क्योंकि हम एक अन्य भागीदार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, केवल अपने

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

प्रधानमंत्री अथवा केवल भारत के साथ ही कार्य नहीं कर रहे। हम एक ऐसे देश अर्थात् अमेरिका के साथ कार्य कर रहे हैं जिसका पुराना रिकॉर्ड किसी भी प्रकार से प्रेरक नहीं रहा है। इसलिए हम ये आशंकाएं उठा रहे हैं।

अपना वक्तव्य जारी करते समय वैज्ञानिकों ने जो प्रश्न उठाया था वह यह था कि हम अपने कार्य करने की स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी प्रकार की स्थायी रोक स्वीकार नहीं कर सकते।

यह परमाणु ऊर्जा की हमारी सामरिक आवश्यकता के बारे में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अमेरिका जो नया कानून बनाने जा रहा है क्या इससे हमें अपनी सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के क्षेत्र में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरा मुद्दा यह है कि इस विषय में कोई बाह्य नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है न ही ऐसा होना चाहिए।

महोदय, परमाणु ईंधन की आपूर्ति के संबंध में मैं यह समझता हूं कि एक बार इस समझौते में शामिल होने पर अन्य देश यूरेनियम जैसे परमाणु ईंधन बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। परन्तु वाद-विवाद के दौरान कांग्रेस की ओर से यह बयान दिया गया है कि अन्य देशों पर परमाणु ईंधन बेचने पर रोक होगी। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारी ये आशकाएं सही हैं या नहीं। शायद, माननीय प्रधानमंत्री हमें इस मुद्दे पर जानकारी दे पाएंगे।

महोदय, अभी मेरे मित्र एक अति विकसित अनुसंधान का उल्लेख कर रहे थे जो हम थोरियम से परमाणु ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में कर रहे हैं। आशंका यह है कि हम थोरियम से विकसित ऐसी परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इस बात को हमें स्पष्ट करना चाहेंगे

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। यह केवल चेतावनी घंटी है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, यह मेरा अंतिम बिन्दु है।

अध्यक्ष महोदय: परमाणु युग में हमें समयबद्ध होना चाहिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूं।

महोदय, हम अमरीका जैसे ऐसे देश के साथ समझौता कर रहे हैं जिसका अन्य देशों के प्रति अत्यधिक चातुर्यपूर्ण दृष्टिकोण है। इसका न केवल अविश्वसनीय इतिहास है, अपितु इसका वर्तमान भी अविश्वसनीय है। वे अपने ही मित्रों के हाथ मरोड़ने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले वर्ष ईरान पर मत विभाजन के विषय पर विचार-विमर्श के दौरान भी अपना संदेह व्यक्त किया था। हमें आई ए ई ए में ईरान के प्रश्न पर मत देने के लिए दबाव बनाया गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हम ऐसे ज्यादती को सहन करेंगे या इस एक-ध्रुवीय कहे जाने वाले विश्व में अधिक स्वतंत्र नीति अपनायेंगे, जिसके बारे में हर जगह इतनी अधिक चर्चा हो रही है।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए हवाना जा रहे हैं। यदि गुट-निरपेक्ष देशों को भारत के पीछे चलने के लिए प्रेरित किया जा सके और वे सब स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने का दृढ़ निर्णय लें, एक नीति जो साम्राज्यवादी प्रणाली से मुक्त हो, तो यह विश्वास का कार्य करेगा और इसके बदले भारत को अनेक मित्र मिलेंगे जो विश्व में भारत के विचारों का समर्थन करेंगे मैं आशा करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री इस पर दृढ़ संकल्पी रहेंगे और भारत को गुट-निरपेक्ष के मार्ग पर आगे ले जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री विजयेन्द्र पाल सिंह।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, प्रारंभ करने से पूर्व मैं यह जानना चाहूंगा कि मुझे कितना समय आवंटित किया गया है ताकि मैं अपने बिन्दुओं को तदनुसार तैयार कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका समय ग्यारह मिनट का है।

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मैं 18 जुलाई को भारत-अमरीका परमाणु समझौता जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका न केवल भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा बल्कि विभिन्न अन्य क्षेत्रों, विशेषकर भारत के अहम राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी प्रभाव पड़ेगा जोकि हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख चिन्ता का विषय है।

महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमारे देश में विद्युत की स्थिति काफी खराब है। लोग इस बारे में मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिस ढंग से यह किया गया है उससे मैं सहमत हूं कि हम तापीय विद्युत पर अधिक निर्भर हैं। हमारे पास पनबिजली काफी कम है, हालांकि हमारे पास 80,000 मेगावाट की क्षमता है। परन्तु यह वह क्षेत्र, जहां पनबिजली संयंत्र को तैयार करने में काफी समय लगता है। हम इससे सहमत हैं। हमारे पास

लिग्नाइट काफी सीमित क्षेत्र में है और वास्तव में हम इसका दोहन नहीं कर पाये हैं। इसका दोहन किया जाना चाहिए परन्तु परमाणु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं परमाणु विषय पर विद्युत संबंधी स्थायी समिति का संयोजक रहा हूं और हम इस पर कार्य कर रहे हैं। हमने इस पर भी विचार किया है कि परमाणु विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन शुरू होने में इतना अधिक समय क्यों लगता है? उनमें 10 से 12 वर्ष का समय लगता है। हमने यह भी कहा कि, आलोचना को छोड़िए परन्तु हम इसका निजीकरण क्यों नहीं कर देते और इनमें उत्पादन शुरू करने की अवधि को कम क्यों नहीं करते? हम इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमाणु क्षेत्र कोई नया विचार है। परन्तु हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े हैं।

मैं यह भी रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा कि वाजपेयी सरकार के दौरान, श्री वाजपेयी जी रशिया गए थे और उन्होंने कूडांगुलम परियोजना को अंतिम रूप दिया था और अब तक परमाणु विद्युत संयंत्र केवल 220 मेगावाट के हुआ करते थे। पहली बार इसे 1000 मेगावाट ऊर्जा करने पर सहमति हुई थी और आप सभी इससे अवगत हैं।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम किसी भी रूप में परमाणु के विरुद्ध नहीं हैं। हम केवल इसलिए चिंतित हैं कि यह समझौता किस बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब आपका अत्यधिक सम्मान करते हैं। आप एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि आप इस समझौते में असफल रहेंगे क्योंकि आप राजनयिक नहीं हैं। आपने मैकिवेलियन का उद्धरण दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये असंगत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इन व्यवधानों के द्वारा आप इसे महत्ता दे रहे हैं। मैं इसे पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। निजी संदर्भ न दें। आप कह सकते हैं कि वह माननीय संसद सदस्य हैं। हमारे लिए वही पर्याप्त है। कृपया बैठ जाइए। उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: हमारे यहां चाणक्य हुए हैं। आप चाणक्य का उद्धरण दिया होगा। हमारे यहां बिस्मार्क हुए हैं। चाणक्य सर्वश्रेष्ठ राजनयिक रहे हैं और बिस्मार्क भी सर्वश्रेष्ठ राजनयिक रहे हैं। मैं यह नहीं जानता कि आखिर आपको मैकिवेलियन तक क्यों जाना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैकिवेलियन क्या थे, एक सिद्धांतहीन व्यक्ति। और आप यही उद्धरण देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस मामले पर हमें अत्यधिक चिन्ताएं हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमारी पार्टी इस परमाणु समझौते के विरुद्ध नहीं है। परन्तु हमारी चिन्ता मुख्यत: राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में हैं।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मैं अपने उन सभी वैज्ञानिकों, अर्थात् डा. होमी भाभा, डा. विक्रम साराभाई, डा. सेथना, डा. राजा रमन्ना इत्यादि को भी सलाम करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज हमारी चिन्ता क्या है? यह तीन स्तरीय परमाणु कार्यक्रम जो हमने विकसित किया है, उस संदर्भ में एक विशिष्ट कार्यक्रम है कि किसी अन्य देश में तीसरे चरण में थोरियम नहीं है। भारत में बड़ी मात्रा में थोरियम उपलब्ध है। इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि भारत में थोरियम संसाधनों का विश्व का 40% पाया जाता है। यदि आप तीसरे चरण में थोरियम को डाल सकते हैं तो हमारे पास स्वदेशी परमाणु ईंधन होगा।

यदि इस समझौते द्वारा उस कार्यक्रम को समाप्त किया गया तो हम कठिनाई में पड़ जायेंगे क्योंकि अमेरिका अपने उन उत्पादों और रियेक्टरों को बेचना चाहता है, जिनका वहां प्रयोग बंद हो चुका है। वे लोग अत्यधिक सौदेबाजी करने वाले हैं। हम केवल यही कहना चाहते हैं: "कृपया सतर्क रहें"। यह अनेक वर्षों से हर जगह हो रहा है, उन्होंने अनेक देशों के साथ गलत किया है। अनेक देशों ने उनके समझौतों के ढंग के बारे में शिकायतें की हैं। यहां तक कि, डब्ल्यू टी ओ में, जैसा कि आप जानते हैं, वे लोग बाजारों में अपनी पकड़ रखना चाहते थे? ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर किए?

यदि आप इसकी गहराई से जाऐंगे तो यह पायेंगे कि इसका एक कारण अर्थिक भी है, जैसे रियेक्टरों को बेचना और दूसरा कारण हमें आई ए ई ए के निरीक्षणाधीन रखना भी है ताकि वे हमारे सभी परमाणु सयंत्रों पर अपनी नजर रख सकें। क्या उनके द्वारा ऐसा करने का यही कारण है? उनकी चिन्ता भारत के पास मौजूद 30,000 मेगावाट की परमाणु विद्युत इत्यादि से संबंधित नहीं है। उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है। यदि आप इसके विस्तार में जायेंगे, तो पायेंगे कि यह पूरा समझौता एकतरफा है। हम आपकों इसके बारे में ही सतर्क करना चाह रहे हैं। कोई भी समझौता हमेशा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होना चाहिए। हम महसूस

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

करते हैं कि इसका झुकाव अमेरिका की तरफ है। हमें इसकी ही चिन्ता है।

मैं पृथक्करण के बारे में भी कहना चाहूंगा जिसके बारे में माननीय मंत्री जी बात कर रहे थे। ऐसा क्यों है कि साइरस रियेक्टर को जांच के अंतर्गत रखा गया है? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। क्या जीवश्म सामग्री के उत्पादन पर कोई अधिस्थगन है? क्या एफ एम सी टी पर कोई वार्ता की गई है? एफ एम सी टी पर हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? जिन देशों ने एन पी टी पर हस्ताक्षर किए है उनकी तुलना में हमारी क्या स्थिति है? क्या उनकी तुलना में हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा? या हमारी स्थिति उनके समान ही होगी? इसके बाद क्या आई ए ई ए को एन पी टी से भिन्न निरीक्षणों का अधिकार होगा? या यह समान होगा? जैसा कि मैंने पहले कहा था। क्या आई ए ई ए के साथ अमेरिकी निरीक्षक हमारे सभी परमाणु सुविधाओं को जांचेगे?

चौथे, क्या सहमति होने के बाद उद्देश्य में विचलन हुआ है, जिस पर काफी चर्चा हो रही है माननीय मंत्री दोनों सदनों सेनेट और कांग्रेस में - क्या कह रहे थे - माननीय प्रधानमंत्री कौन-सा पक्ष रखने जा रहे हैं?

महोदय, मैं आपको यहां यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि लीग ऑफ नेशन्स जिसे इनके राष्ट्रपतियों में से एक द्वारा प्रवर्तित किया गया था, उसे दोनों सदनों की सहमति से बाहर फेंक दिया गया था। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारा क्या होगा?

अंततः, यदि हम इतिहास के पन्नों में जाएं, तो क्या आपको तारापुर और हमारे अन्य संयंत्रों का स्मरण होता है? किन्हीं कारणों से ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। वे भी किसी न किसी कारण से ईंधन की आपूर्ति को बंद कर देंगे, तब जबकि हमने सभी रियेक्टरों की कीमत के लिए कई मिलियन डालरों का भुगतान किया होगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और हमें यूरेनियम प्राप्त नहीं होता और हम थोरियम से भी उत्पादन नहीं करते हैं जोकि हमारे पास उपलब्ध है, तो हमारी स्थिति क्या होगी ?

महोदय, मेरे यही प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आपका अत्यन्त आभारी हूं।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद सुनते समय मुझे गर्व हो रहा था कि मैं एक भारतीय हूँ। इस वाद-विवाद से यह स्पष्ट हो गया है कि जब भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की बात होती है तो दलों में कोई मतभेद नहीं रहता। चिंताएं हो सकती हैं, परंतु अपने हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र एक साथ आवाज उठाएगा और यही संदेश स्पष्ट तौर पर प्रतिध्वनित हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात पर गर्व है। परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि इससे समझौते के संदर्भ में इस सभा द्वारा मेरे ऊपर जो भरोसा किया गया है उसे पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

महोदय, मैं विश्व में भारत के स्थान, हमें जिस ओर जाना चाहिए तथा उस दिशा में हम कैसे जाएंगे इन सभी बातों की तस्वीर स्पष्ट करते हेतु कुछ समय लूंगा। मैं यह मानता हूँ कि हम असमान शक्तियों वाले विश्व में रहते हैं तथा जो भी शक्तिशाली है वह हमेशा दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है।

महोदय, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार मानसिंह को बोलते हुए सुना था जिन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ मिलकर आई.एन.ए. की स्थापना की थी। अपने भाषण में उन्होंने पंजाबी में कहा था कि "दुनिया मारदी जोरां नू—लाख लानत कमजोरां नूं"। इसका अर्थ यह है कि विश्व शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की पूजा करता है, कमजोर और दुर्बलों को हमेशा दबाया जाता है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि केवल कठिन परिश्रम द्वारा हम लक्ष्य सिद्ध कर सकते हैं और विकासशील विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का मुख्य केन्द्र बन सकते हैं। इसके बाद ही भारत को वह आदर, वह विश्वसनीयता तथा वह शक्ति प्राप्त होगी जो हमारा असली उद्देश्य है। आखिरकार हमारे देश के पास महान सभ्यता है, एक बिलियन लोगों की जनसंख्या और ऐसे स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास है जो विश्व के सभी देशों के लिए ईर्ष्या का विषय है। परन्तु इन सभी इच्छाओं को तभी पूरा किया जा सकता है जब भारत आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे।

आज भारत के प्रति विश्व के रवैये में परिवर्तन आया है। आज 50 से 60 वर्षों के अनुभव के पश्चात् दुनिया आश्चर्यचकित है कि विश्व में भारत जैसा एक देश है जहां की आबादी एक अरब हैं, देश में जहां सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले समुदाय रहते हैं, जहां कानून का प्रभुत्व है और सभी मौलिक मानव अधिकारों का आदर किया जाता है। विश्व यह स्वीकार करता है कि आज विश्व में भारत के आकार, इसकी विविधता, भारत जैसे मिश्रित समाज वाला देश और मुक्ति समाज और मुक्त अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक मुक्ति चाहने वाला देश कोई और नहीं है। इसलिए इसमें इतनी रुचि दिखाई जा रही है।

जब भी कोई देश ऊपर उठता है तो शक्ति सम्पन्न देशों को चिंता हो जाती है। परन्तु आप इसे पसंद करें या नापसंद करें पर मुझे लगता है कि आज विश्व के बाकी देश भारत में अंतर्निहित सभ्यता को प्राप्त करने में उसकी सहायता करना चाहते हैं क्योंकि भारतीय सभ्यता के इतिहास में भारतीयों ने कभी भी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। वे व्यापारियों, धर्मोपदेश को, सद्भावना का संदेश ले कर दूसरे देशों में गए हैं और विश्व इसके लिए हमारा आदर करता है। भारत ऐसा है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी यही आशय था जब उन्होंने कहा था "हमारे स्वप्न भारत के लिए हैं परन्तु वे केवल भारत के लिए ही नहीं हैं। ये स्वप्न विश्व के सभी उत्पीड़ितों के लिए हैं।" अत: महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा से आदरपूर्वक यह अनुरोध करूंगा कि वे भारत के प्रति विश्व के बदले हुए रवैये को पहचानें। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि शक्ति की राजनीति खत्म हो चुकी है, कि किसी को भी उत्पीड़ित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम खतरों से अपनी रक्षा करें। यदि हम उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठाएंगे तो यह गलत होगा। मैं ईमानदारी से यह मानता हूं कि हमारे देश के हित के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रमुख शक्तियों से अच्छे संबंध बनाए। मुझे इस बात पर कोई खेद नहीं है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका एक सर्वोत्तम शक्ति है। परन्तु गत वर्षों के दौरान जब मैं प्रधानमंत्री रहा हूं तब हमने रशिया, यूरोपियन संघ, चीन, अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के भरसक प्रयास किए हैं।

हमें गणतंत्र दिवस पर सम्मानित अतिथि के रूप में सऊदी अरब के राजा का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। जब वे वापिस गये तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा–"माननीय प्रधान मंत्री जी विश्व ऊर्जा की कमी की बात करता है। जब तक सऊदी अरब है हम आपकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।" अत: यह एक ध्रुवीय विश्व हो सकता है। परन्तु हमने इस तरीके से कार्य किया है जिससे हमारे सभी बड़ी शक्तियों, सभी पड़ोसियों से संबंध मजबूत हुए हैं। हम एशियाई देशों के साथ नए रिश्ते बना रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बंग्लादेश सहित अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सामान बनाने, उन्हें बढ़ाने और उन्हें विकसित करने के लिए कठिन परिश्रम करने की अपनी वचनबद्धता मानते हैं। हम इसके प्रति वचनबद्ध रहेंगे। यह हमें हमारी सभ्यता से विरासत में प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का यही अर्थ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ था जहां बिजली नहीं थी। वहां तब तक भी बिजली नहीं थी जब मैं पढ़ने के लिए पड़ोस की तहसील में गया। हमारे गांवों में महिलाएं लकड़ी का प्रयोग करती हैं। इसके कारण उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। जब तक हम इस तस्वीर को नहीं बदलेंगे तब तक कई मिलियन लोगों के लिए विकास एक मृग तृष्णा बन कर रहेगा।

पुराने समय में जब भी कोई पुराने सोवियत संघ गया तो उसने हर तरफ मोटे अक्षरों में यह लिखा देखा कि समाजवाद का अर्थ है सोवियत जमा विद्युत। सोवियत संघ भले ही समाप्त हो गया हो परन्तु लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसरों के विस्तार और आधुनिकरण में विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका एक वास्तविकता है और इसलिए यदि आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु भारत के प्रयास को सफल बनाना है तो हमें निरन्तर अधिक विद्युत की आवश्यकता होगी।

आज दो प्रकार की बातें हैं जो हमारे देश में विद्युत की मांग का निर्धारण करती हैं। पहली सामान्य विकास प्रक्रिया। जैसे-जैसे विकास होता है उसके साथ ही वाणिज्यिक क्षेत्र में विद्युत मांग यदि राष्ट्रीय आय की विकास दर से ज्यादा न बढ़े तो उस दर तक तो बढ़ ही जाती है। परन्तु हमारे देश में, एक और क्रांति चल रही है और वह है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तथा गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा जैसे जलाऊ लकड़ी और ऊर्जा के अन्य गैर वाणिज्यिक स्त्रोतों का वाणिज्यिक विद्युत से प्रतिस्थापन। अत: इतिहास से हमें पता चलता है कि विकास की प्रक्रिया में यदि हमारी अर्थव्यवस्था में 8 से 10 प्रतिशत दर से विकास होगा तो हमारी वाणिज्यिक विद्युत हेतु भाग कम से कम या तो इसकी समान दर अथवा शायद उससे अधिक की दर से बढ़ेगी।

महोदय, यह प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या हमें परमाणु विद्युत की आवश्यकता है। मेरे विचार में इस संबंध में जितनी जानकारी श्री सुरेश प्रभु को है उतनी किसी और को नहीं है। इस संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं। मैं यह दावा नहीं कर रहा कि हमारे देश में ऊर्जा की मांग को पूरा करने का एकमात्र रास्ता परमाणु ऊर्जा ही है। हमारे यहां कोयले के प्रचुर भण्डार हैं हमें उनका दोहन करना चाहिए। परन्तु विद्युत की मांग के हिसाब से हमारे कोयले के भण्डार लगभग 45 वर्षों में खाली हो जाएंगे। हमारे पास पनबिजली प्रचुर मात्रा में हैं परन्तु वे दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं और हम सभी जानते हैं कि जब जल शक्ति का उपयोग किया जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है जैसे पुर्नवास लागत, राहत कार्य और साथ ही एक असुरक्षित

[डा. मनमोहन सिंह]

भूकम्पीय क्षेत्र में होने के कारण उत्पन्न खतरों से सम्बद्ध लागत।

अब हम कम से कम यह जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन का भविष्य अनिश्चित है। इसकी आपूर्ति, मूल्य के संबंध में अनिश्चितता है। तेल का मूल्य जो दो वर्ष पहले 30 डालर प्रति बैरल से कम था वह अब बढ़कर 75 डालर प्रति बैरल हो गया है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे यह बताया है कि बहुत ही कम समय में यह बढ़कर 100 डालर प्रति बैरल हो जाएगा। हमारे यहां हाइड्रो कार्बन्स की कमी है। हमारे यहां तेल की खपत लगभग 110 मिलियन टन है। हम केवल 30 मिलियन टन का उत्पादन करते हैं। गत 10-15 वर्षों में हमने अपना तेल उत्पादन नहीं बढ़ाया है। ऐसी परिस्थिति में यदि भारत के विकास को विद्युत की कमी के कारण बाधित नहीं करना तो मेरे विचार में यह किसी भी सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह ऊर्जा की आपूर्ति के संबंध में अपने विकल्पों का विस्तार करने के बारे में सोचे। मैं परमाणु समझौते के बारे में यह बताना चाहता हूं कि हमें इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त वाणिज्यिक ऊर्जा के अभाव में हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा न आए। इसलिए मैं हमारे देश के लिये उपलब्ध ऊर्जा विकल्पों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन के भविष्य के बारे में मैंने जो कहा है, वह चाहे गलत ही सिद्ध क्यों न हो फिर भी हमें इन विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। यदि सरकार विकास के अवसरों, ऊर्जा विकल्पों के विस्तार हेतु अवसरों का लाभ नहीं उठाती तो यह उसकी लापरवाही होगी। यही कारण है कि हमने अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अन्य विकल्पों को अपनाना उचित समझा। हमारे यहां यूरेनियम की कमी हैं। विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां यूरेनियम की उत्पादन लागत अधिक है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार हमारे यहां केवल 10,000 मेगावाट के बराबर परमाणु ऊर्जा की उत्पादन के लिए यूरेनियम उपलब्ध है तथा वह भी केवल 30 वर्षों तक चलेगा। मेरा मानना है कि हमें भावी सम्भावनाओं पर एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

यदि यही तस्वीर है, यदि हमारे लिए यूरेनियम की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापक अवसर है, यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रौद्योगिकियों के परस्पर लाभदायक आदान-प्रदान में बढ़ावा देने के अवसर हैं जिनसे उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख धूरी के रूप में उभरने की भारत की अभिलाषाओं को पूरा करने में सहायता मिलती है तो, हमें इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। यही दृष्टिकोण है जिसने हमें अवसरों का पता लगाने परमाणु क्षेत्र में भेदभाव की नीतियों जिन्होंने गत तीन दशकों अथवा उससे भी अधिक समय से भारत की परमाणु ऊर्जा के विकास को बाधित किया है, को हटाने की प्रेरणा दी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय जनरल खंडूड़ी ने उन पंक्तियों को उद्धृत किया है जो मैंने दूसरे सदन में कहीं थीं कि-भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरूआत परमाणु ऊर्जा पर बल देने के लिए की गई थी तथा रक्षा क्षेत्र को इसमें बाद में शामिल किया गया मेरे विचार में यह सही वक्तव्य है। यदि आप पंडित जी, डा. भामा का वक्तव्य पढ़ें तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर हमारा जोर हमेशा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर रहा है। यही कारण है कि भारत ने 1960 में ही संयुक्त राष्ट्र मंच पर व्यापक परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था हम श्री राजीव गांधी की परमाणुमुक्त विश्व की परिकल्पना के प्रति वचनबद्ध हैं।

यह कहा जा सकता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का दृष्टिकोण आदर्शवादी था परन्तु उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि हम एक अनिश्चित विश्व में रहते हैं। हमारा अपने पर्यावरण पर नियंत्रण नहीं और आज कौन यह कहना चाहेगा कि वे बुद्धिमान नहीं थे आज हम जिस अनिश्चित विश्व, असमान शक्ति वाले विश्व में रह रहे हैं वहां परमाणु हथियार एक वास्तविकता है। हमारे देश को अपने रणनीतिक विकल्प रखने चाहिए और इसलिए हमारे देश के पास सामरिक परिसम्पत्तियों, परमाणु परिसम्पत्तियों हेतु कार्यक्रम की एक बहुमूल्य विरासत है जो पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांध ी तथा राजीव गांधी के प्रयासों का परिणाम है।

महोदय, आपको मेरा आश्वासन है कि जब तक हम वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए सतत कार्य करेंगे तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इस राष्ट्रीय विरासत को कोई नुकसान पहुंचे। परन्तु, जब तक मुझे यह ज्ञात नहीं होता कि ऐसा दिन कल, परसों नहीं आ जाता परन्तु फिर भी हम ऐसी आशा करते हैं कि किसी दिन यह निश्चित रूप से हो जायेगा। परन्तु तब तक हम इस रणनीतिक विकल्प को नहीं छोड़ सकते हैं। महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से इस सभा और देश को आश्वासन देता हूं कि इस परमाणु समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उस रणनीतिक स्वायतता को नुकसान हो, जो कि अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के प्रबंधन के संबंध में इस देश के पास होनी चाहिए।

महोदय, अनेक मामले उठाए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं उन पर क्रमवार उत्तर दूं, जिन पर मैं अन्य सभा में उत्तर दे चुका हूं, परन्तु यहां वाद-विवाद

के दौरान उभरी कुछ गंभीर चिंताओं को मैं उत्तर के लिए लूंगा। सबसे पहली हमारी विदेश नीति की स्वायत्तता है। महोदय, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं—जैसा कि मैंने कुछ ही क्षण पूर्व कहा था—कि यह परमाणु समझौता किसी राष्ट्र चाहे वह संयुक्त राज्य अमरीका या कोई अन्य राष्ट्र हो, के अधीन होने का यंत्र नहीं है। हमारी समृद्ध विरासत है, जोकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से चली आ रही है। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था: "मैं इस देश में चारों दिशाओं से खुला एक घर बनाना चाहता हूं ताकि परिवर्तन की लहर प्रत्येक दिशा से बह सके। परन्तु, मैं किसी एक दबाव के कारण अपनी परम्परा से हटने को अस्वीकार करता हूं। मुझमें अपने पैरों पर खड़े होने का साहस और क्षमता होनी चाहिए।" हमारी विदेशी नीति के लिए यही प्रेरणा और प्रोत्साहन है।

ईरान पर विशेष वोट के बारे में उल्लेख किया गया है। अरब देशों के समान ही ईरान के साथ भी हमारे सामाजिक संबंध हैं। हम उन सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने इन्हें नया स्वरूप देने तथा हमारे आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। और गैस पाइपलाइन परियोजना उस प्रक्रिया का एक भाग है। हम इसे वास्तविक रूप देने के लिए कार्य करेंगे। परन्तु, वह विशेष वोट एक विशेष मामले के संदर्भ में था, जिसका हमें निर्धारण करना था और वह है—अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह प्रश्न पूछा—ईरान ने एनपीटी हस्ताक्षर किये हैं। इसलिए, हमारा मत है कि इसे उन सभी अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए जो एनपीटी सदस्य के रूप में इसे प्राप्त हैं; इसे उन सभी दायित्वों का सम्मान करना चाहिए, जो एनपीटी के सदस्यों को सौंपे गए हैं, न उससे अधिक और न ही उससे कम। सौभाग्यवश परिस्थितियां उसी ओर गई हैं। प्रारंभ से ही, चाहे यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में हो या संयुक्त राष्ट्र में, हमने सदैव यही मत रखा है कि इस मामले का समाधान बलपूर्वक नहीं किया जा सकता; इसका समाधान वाद-विवाद, संवाद और विचार-विमर्श से ही किया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि उदाहरण के लिए, परिस्थितियां सही दिशा में जा रही हैं। उदाहरण के लिए ईरान सरकार ने पी-5 द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक अनुक्रिया की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे सभी इच्छुक पक्षों के मध्य सकारात्मक संवाद को बढ़ावा मिलेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित समस्याओं का समाधान बल प्रयोग के बिना किया जा सकता है, और हमें भी बल-प्रयोग स्वीकार्य नहीं हैं।

महोदय, इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों में हमारा रिकॉर्ड एक खुला रिकॉर्ड रहा है। हमने चीन के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री वेन यहां आए थे; हमें आशा है कि इस वर्ष चीन के राष्ट्रपति हु जिन्ताओ यहां आएंगे। पिछले वर्ष जापान के प्रधानमंत्री श्री कोइजुमी यहां आए थे। रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन भी यहां आए थे। रूस, चीन, जापान और यूरोपीय संघ तथा आशियान देशों के साथ हमारे संबंध बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए, सभा को मेरा आश्वासन है कि हमारी विदेश नीति की स्वतंत्रता और इसे केवल हमारे राष्ट्रीय हितों के अधीन रखना हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

हमारे फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम के संबंध में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। सभा को मेरा आश्वासन है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम जोकि अभी चल रहा है, उसे किसी भी एजेंसी की निगरानी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

यदि भविष्य में हमारा कार्यक्रम विकसित होता है और यदि हम सिविलियन फास्ट ब्रीडरों का उत्पादन करते हैं, तो हम तभी यह निर्णय करेंगे कि इन्हें सिविलियन ब्रीडर कहा जाए या सैन्य ब्रीडर। जब तक ये सैन्य हैं, इन्हें किसी रक्षार्थ पूर्वोपाय के अंतर्गत रखने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए, मैं आश्वासन देता हूं कि फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम की स्वायत्तता को हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा।

तीन-चरणीय परमाणु ईंधन चक्र के बारे में भी उल्लेख किया गया है। क्या हमने कोई वचनबद्धता दी है या इस समझौते में कुछ ऐसा है जो भविष्य में ईंधन के रूप में थोरियम के विकास को हानि पहुंचाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि यह विचार कहां से आया है। मैंने कल इसे 'द हिन्दु' में देखा था, परन्तु जहां तक मैं जानता हूं, इस समझौते में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे लगे कि हम इस तीन-चरणीय ईंधन चक्र को छोड़ देंगे। थोरियम संबंधी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान जारी रखने के कार्यक्रम के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

महोदय, जनरल खंडूड़ी ने एक अमेरिकी राजनयिक द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की सत्यपरकता के बारे में मुझसे पूछा था। मुझे खेद है कि मैं इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हूं कि उन्होंने क्या कहा था या क्या नहीं कहा था। टेलीविजन चैनल पर जाने से पूर्व उन्होंने मुझे विश्वास में नहीं लिया था। इसलिए, मैं यह स्पष्ट करने में समर्थ नहीं हूं कि इस व्यक्ति विशेष का अभिप्राय क्या था। परन्तु मैं आपको आश्वासन देता हूं, मुझे विश्वास है कि यदि हम 18 जुलाई के वक्तव्य को मानें, तो हमारे लिए यह एक बहुत ही अच्छा समझौता है, एक ऐसा समझौता, जैसा कि मुझे बताया गया है कि इसके बारे में पूर्व

[डा. मनमोहन सिंह]

सरकार की समझौता करने की महत्वाकांक्षी थी परन्तु वह समझौता नहीं कर सकी।

प्रश्न यह है कि हमारी स्थिति क्या है? क्या हमें परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र माना जाएगा? मैं स्पष्ट करता हूँ। एक परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र के विशिष्ट लक्षण होते हैं। चूंकि, एन पी टी पर तब तक समझौता नहीं किया जा सकता जब तक संपूर्ण संधि पर पुनः समझौता न हो, मैं सोचता हूं कि मेरे लिए यह कहना गलत होगा कि हमें परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र का दर्जा दिया गया है और यह तथ्य 18 जुलाई के वक्तव्य में परिलक्षित होता है। इसमें भारत को परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र नहीं कहा गया है। इसके अनुसार भारत आधुनिकतम परमाणु प्रौद्योगिकी वाला राष्ट्र है, जिसे वे सभी अधिकार और दायित्व मिलने चाहिए जो ऐसे समान राष्ट्रों को मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के साथ रक्षार्थ पूर्वोपाय अनुबंध जिस पर हम हस्ताक्षर करेंगे वह अन्य सभी गैर-परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित रक्षार्थ पूर्वोपाय नहीं होंगे। रक्षार्थ पूर्वोपाय अनुबंध भारत के लिए विशिष्ट होगा क्योंकि भारत की स्थिति विशिष्ट है। हम गैर-परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। 18 जुलाई के वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के स्वीकार किया गया है कि भारत का रणनीतिक कार्यक्रम है। भारत का सैन्य कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम पूरी तरह से किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की परिधि से बाहर है

महोदय, प्रश्न उठाए गए हैं। महोदय, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं केवल संगत पत्रों की तलाश कर रहा हूं।

सायं 7.00 बजे

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: क्या आप सहमति को तर्कसंगत ठहरा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इससे फर्क नहीं पड़ता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह ऐसा कर सकते हैं। परन्तु वह पत्र खोजने का प्रयास कर रहे हैं, और वह ऐसा कर सकते हैं। कृपया इतनी शालीनता दिखाएं।

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: क्या आप 18 जुलाई की सहमति को स्पष्ट करेंगे कि क्या होने जा रहा है?...*(व्यवधान)*

डा. मनमोहन सिंह: महोदय, एक प्रश्न विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर विलंबकाल की स्थिति और हमारे द्वारा की गई सहमति के बारे में पूछा गया था। हमने विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर किसी विलंबकाल के लिए सहमति नहीं जताई है। हमने केवल उसी पर सहमति जताई है, जिस पर पूर्व सरकार ने सहमति जताई थी, कि हम इस संबंध में आपसी रूप में तय और अंतराष्ट्रीय जांचयोज्य सन्धि के लिए कार्य करेंगे। तब तक, विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर किसी प्रकार की सीमा को स्वीकारने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, एक प्रश्न पृथक्करण और इस बारे में उठाया कि यह कितना मंहगा हो गया है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा पृथक्करण की लागत 40 बिलियन डालर बताते हुए कुछ आंकड़े वर्णित किए गए थे। मैं नहीं जानता कि यह लागत अनुमान कहां से तैयार किया गया है। हमारे द्वारा सिविल और सैन्य और परमाणु सुविधाओं के पृथक्करण को स्वीकार करने के बारे में भी संदेह किया गया था क्योंकि परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र ऐसे पृथक्करण को स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी परमाणु सुविधाओं से रक्षार्थ पूर्वोपायों को हटाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हमारे मामले में जुलाई 2005 के वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि भारत को आधुनिकतम परमाणु प्रौद्योगिकी वाला राष्ट्र माना जाए जिसे परमाणु प्रौद्योगिकी वाले अन्य राष्ट्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वारा उठाए जा रहे समान लाभ मिलेंगे। जुलाई वक्तव्य में भारत का परमाणु हथियार सम्पन्न देश के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि एन.पी.टी. में इसका विशेष अर्थ है। तथापि, जुलाई वक्तव्य में भारतीय सैन्य परमाणु सुविधा के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत उन गैर-परमाणु हथियार एन.जे.पी.टी. के हस्ताक्षरकर्ता पर लागू होने वाले पूर्ण सुरक्षोपाय नहीं करेगा और भारत के परमाणु हथियार संबंधी कार्यकलापों को जारी रखने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर भारत उन पांच परमाणु हथियार सम्पन्न देशों के समकक्ष हो जाएगा। जो एन.पी.टी. के हस्ताक्षरकर्ता हैं। पृथक्करण योजना में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के साथ विशिष्ट सुरक्षोपाय समझौता किया गया है तथा इसमें भारत को ईंधन की आपूर्ति में बाधा आने पर सुधारात्मक उपाय करने के साथ-साथ रिएक्टरों के लिए ईंधन की अबाधित आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में अमरीका के साथ कोई पृथक समझौता नहीं किया जाएगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, पृथक्करण की क्या लागत होगी।

डा. मनमोहन सिंह: मैं इसके बारे में बताऊंगा।

महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है हमने पृथक्करण योजना का परिकलन करने में पूरी सावधानी बरती है। इसमें जो भी लागत आएगी उसे व्यवहारिक आर्थिक और राजनैतिक भावनाओं के भीतर रखा गया है। मेरे विचार में 40 बिलियन डॉलर का यह आंकड़ा पूरी तरह भ्रमित करने वाला है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या आधार है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: इसकी सही गणना क्या है?

डा. मनमोहन सिंह: मैं इस समय इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। परन्तु हमारे कार्यक्रमों को नागरिक और सैन्य कार्यक्रम में विभाजित करने के परिणामस्वरूप हमारे परमाणु कार्यक्रम पर कोई अस्वीकार्य अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। मेरा मानना है कि हमारे देश और हमारे नागरिक और सैन्य कार्यक्रम के भावी विकास के लिए यह अच्छा है कि हमारे नागरिक कार्यक्रम और सैन्य कार्यक्रम क्षेत्रों के बीच विभाजन हो। उदाहारणार्थ हमारे पास डी आर डी ओ है जो मिसाइल कार्यक्रम संबंधी कार्य करता है।

हमारे पास अंतरिक्ष विभाग है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी कार्य करता है और मेरा मानना है कि इससे लागत के संबंध में अधिक जागरूकता उत्पन्न हुई हैं। इससे अधिक जवाबदेही की भावना जागृत हुई है तथा दोनों कार्यक्रमों को अलग रखने से यह उन पर भी लागू होगी। अब तक मैं इससे संतुष्ट हूं क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि संचालकों की वित्तीय लागत किसी भी प्रकार उद्धृत आकड़ों के आस-पास भी नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह 40 मिलियन है। अनुमान कितने का है?...*(व्यवधान)*

डा. मनमोहन सिंह: अब तक केवल परमाणु ऊर्जा विभाग के सामान्य कार्यक्रमों द्वारा इसकी देखभाल की जा सकती थी ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसका कितना अनुमान है? यह अति महत्वपूर्ण हैं। वह एक वक्तव्य दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): क्या श्री जसवंत सिंह ने स्ट्रोब टालबौट के साथ यह मामला उठाया था?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, उसे भूल जाइए। श्री मल्होत्रा आपने एक प्रश्न पूछा था। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसके बारे में बताएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन सभी ब्यौरों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसके लिए अधिकृत हैं।

डा. मनमोहन सिंह: साइरस और अप्सरा रिएक्टरों के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। इन्हें दोनों सदनों में उठाया गया था। मेरे विचार से श्री यशवंत सिंहा ने दूसरे सदन में यह पूछा था कि पृथक्करण योजना में साइरस प्रयोगात्मक रिएक्टर और अप्सरा के फ्यूल कोर को क्यों शामिल किया गया है और क्या इससे हमारे सामरिक कार्यक्रम हेतु विखण्डनीय सामग्री की उपलब्धता में कमी नहीं आएगी? प्रश्न यह है। आपने 1 मार्च, 2006 के अपने वक्तव्य में मैंने उन तर्कधारों को स्पष्ट किया था जिनके आधार पर भारत पृथक्करण योजना के प्रावधानों पर सहमत हुआ था। वर्ष 2010 में साइरस रिएक्टर स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। अप्सरा का फ्यूल कोर फ्रांस से खरीदा गया था और हमने इसे मौजूदा स्थान से स्थानांतरित करने की तथा इसे वर्ष 2010 में सुरक्षोपाय के तहत लाने की इच्छा जाहिर की थी। साइरस और अप्सरा भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र में स्थापित हैं और हम नहीं चाहते कि भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र इनमें से किसी भी सुरक्षोपाय के आधीन आए। इसके पीछे यही कारण हैं।

अत: हमने उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व की परमाणु सुविधाओं की अंतर्वेधी जांच की अनुमति देने के बजाय इन कदमों को उठाने का निर्णय लिया है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इन कदमों से न तो हमारे सामरिक कार्यक्रम की आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही इससे चल रहे अनुसंधान और विकास में कोई रुकावट आएगी। हमें जब भी आवश्यकता होगी हमें अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नई सुविधाओं के निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता है।

भविष्य में परमाणु परीक्षणों के विस्फोटों के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। महोदय, हमने अमरीका को यह पूर्णत: स्पष्ट कह दिया है कि भारत भावी परीक्षणों के लिए किसी भी वचनबद्धता का इच्छुक नहीं है। हम केवल यही बताना चाहते हैं तथा जैसा कि पूर्व सरकार द्वारा भी स्थिति स्पष्ट की गई थी कि परमाणु परीक्षणों पर एकतरफा स्थगन होगा।

[डा. मनमोहन सिंह]

अब प्रश्न यह उठता है कि जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता होगी तो तब क्या होगा? भविष्य की सभी संभावनाओं का अवलोकन कौन कर सकता है? मेरे विचार में ऐसी स्थिति में हम निसंदेह अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी उपाय कर सकते है। परन्तु मैं यह नहीं स्वीकार कर सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, इस पर में चर्चा हो जाएगी।

डा. मनमोहन सिंह: अत: मैंने स्थिति के बारे में बता दिया है। हम नहीं चाहते कि हम जिस संधि अथवा समझौते पर हस्ताक्षर करें उसमें यह शामिल हो। हम द्विपक्षीय सी टी बी टी के पक्ष में नहीं हैं। मेरे विचार से हमने अमरीका को इस स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है।

अमरीकी निरीक्षकों के बारे में मैंने यह बताया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के साथ जो भी समझौता करेंगे वह भारत का विशिष्ट सुरक्षोपाय समझौता होगा तथा हमारी परमाणु सुविधाओं में अमरीकी निरक्षीकों के हस्तक्षेप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थानों के स्थानान्तरण के बारे में मैंने दूसरे सदन में यह बताया था कि किसी भी अन्य देश का कोई भी कानून हमारे देश को बाध्य नहीं कर सकता। हमारे लिए विचार का मुख्य मुद्दा यह होगा कि अपने राष्ट्रीय हितों के संबंध में हम क्या सोचते हैं। परन्तु इसी तर्क के साथ हम अमरिकी कांग्रेस को विचार-विमर्श करने से नहीं रोक सकते। परन्तु यदि इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप एक ऐसा कानून बनाया जाता है जो जुलाई 18 के वक्तव्य में शामिल विषयों से असम्बद्ध है और मार्च की पृथक्करण योजना संबंधी वक्तव्य में शामिल नहीं है तो हम निसंदेह उचित निर्णय लेंगे। परन्तु, मैं यह आशा करता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी चिंताएं तथा अन्य सदन में मैंने विस्तार से जिन चिंताओं का उल्लेख किया था उनके बारे में बता दिया है। मैं उनको और स्पष्ट कर सकता हूं। परन्तु मेरे विचार से इसमें काफी अधिक समय लगेगा। अमरिकी सरकार को मैंने अधिकाधिक स्तर पर तथा व्यक्तिगत रूप से इन चिंताओं के बारे में बता दिया है। राष्ट्रपति बुश ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि उनकी इन स्थानों में परिवर्तन करने की कोई मंशा नहीं है जिन पर 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य में सहमति व्यक्त की गई थी।

कांग्रेस की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है और यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यह किस ओर जाएगी। परन्तु यदि यह उस दिशा में जाती है जिससे हमें हानि हो अथवा इसमें इस मामले से बाहर के विषयों को शामिल किया जाता है तो हम उस पर उचित निर्णय लेंगे। सभा को इस संबंध में निश्चिन्त रहना चाहिए क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमें अपने सामरिक कार्यक्रम की अखंडता में कोई समझौता करना पड़े। हमारे सामरिक कार्यक्रम पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे सामरिक कार्यक्रम के भविष्य का निर्णय लोगों, सरकार तथा इस सदन द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में बाहरी शक्ति का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महोदय, मेरे विचार से मैंने अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का पुन: धन्यवाद करता हूं। मेरे विचार से इस वाद-विवाद से राष्ट्रीय संकल्प के आम दावे को चिन्हित किया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मैं खंडूड़ी जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि दूसरे सदन में उनकी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि वे 18 जुलाई के वक्तव्य को भी अस्वीकार करते हैं। परन्तु आज जब मैंने दूसरी तरफ से माननीय सदस्यों को बोलते हुए सुना तो मुझे लगा कि एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। मैं इस दिशा में कार्य करूंगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परमाणु समझौते जैसे महत्वपूर्ण मामले में पूरा देश एक मत हो।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभा तथा देश को जो भी आश्वासन दिए हैं क्या उन्हें लगता है कि समझौता हो जाएगा और यदि ऐसा न हुआ तो क्या होगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि यदि कोई ऐसा कानून पारित किया जाता है जो स्वीकार्य नहीं हों तो समझौता नहीं होगा उन्होंने स्वयं यह बताया है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्होंने कहा है कि यह स्वीकार्य नहीं होगा। तो समझौते का क्या होगा हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): जब ऐसा होगा तब हम इस पर विचार करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बीच वार्ता के पश्चात् यदि अमरिकी कांग्रेस ने हमारे समझौते में परिवर्तन किया और यदि बाद में वे उस प्रारूप कानून को जस का तस पारित करते हैं तो वह 18 जुलाई के समझौते का उल्लंघन होगा।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने स्वयं ऐसा कहा है।

श्री किन्जरपु येराननायडु: उन शर्तों को समाप्त करना भविष्य में भारत के लिए एक बड़ी समस्या होगी। यदि ऐसी स्थिति आती है, तो भारत का रुख क्या होगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने तीन बार इस मुद्दे की चर्चा की लेकिन आपने इसे ध्यान से नहीं सुना।

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, हम काफी हद तक संतुष्ट हैं। लेकिन केवल इसी प्रश्न का उत्तर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नहीं दिया गया, यह है।

अध्यक्ष महोदय: यह कूटनीतिक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: यह हमारी सैन्य योजनाओं और नाभिकीय परमाणु संयंत्र और नाभिकीय असैनिक संयंत्र के बारे में है। क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्योंकि आपने जो बताया उसके अनुसार हम उन देशों के समान तत्पर हैं जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, उन देशों को परिवर्तन का अधिकार है? क्या यहां ऐसी संभावना है? अथवा, क्या आपने अंतर-परिवर्तनीयता के बारे में सोचा है?...*(व्यवधान)* कई तरह से हम भी इसका समर्थन करते हैं।...*(व्यवधान)*

डा. मनमोहन सिंह: यह बिल्कुल उचित है...*(व्यवधान)* मैं नाभिकीय मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं समझता हूं, अंतर परिवर्तनीयता पर प्रश्न चिन्ह है क्योंकि हमें परमाणु हथियार संपन्न राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी विशेषता यह है कि हम नए रिएक्टर और नई संरचनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यह हमारा विशेषाधिकार है कि हम उन्हें असैनिक संयंत्र कहें या सैनिक अत:, भारत के विकल्प कम नहीं हो रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण अब नियम 193 के अधीन दो अन्य चर्चाएं होती हैं और एक विधेयक भी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम विशेष उल्लेख आरंभ करते हैं। यह सबसे अच्छा विषय है।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन–उपस्थित नहीं हैं।

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): महोदय, मैं तटीय केरल के लोगों की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

सायं 7.17 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

राज्य के अनेक जिलों में लोग मानसून मौसम के दौरान साल दर साल समुद्री लहरों के कहर का सामना कर रहे हैं। मानसून के महीनों में ज्वार के दौरान उठती हुई समुद्री लहरों से बचाव का केवल एक ही उपाय है कि समुद्रतट पर बसे हुए प्रभावित गांवों में कृत्रिम दीवार बनाई जाए। त्रिचूर जिले में सर्वाधिक प्रभावित तटीय तालुक चावक्कड़ और कोडुंगलूर हैं। चूंकि, केरल के तटीय क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोग ज्वार के कारण प्रत्येक वर्ष विशेषकर मानसून अवधि के दौरान अकथनीय मुसीबत झेल रहे हैं, अत: मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि प्रभावित क्षेत्रों में दीवार बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू करने हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मैं केन्द्र सरकार से पोन्नानी-कोच्चि नहर विकास जिसके लिए 12वें केन्द्रीय वित्त आयोग से भी अनुरोध किया गया था के लिए जरूरी धनराशि मंजूर करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं भी स्वयं को इनकी बात से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, मैं भी स्वयं को इनकी बात से सम्बद्ध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुथौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार की नीति प्रत्येक जिले में दो जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की है लेकिन यह योजना अभी तक ठीक से अमल में नहीं लायी गई है। केन्द्रीय विद्यालय किसी जिले में तीन से लेकर पांच तक की संख्या में हैं तो कई जिले ऐसे भी हैं, जहां पर एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। यहां तक

[श्री राजनरायन बुधौलिया]

कि मेरे संसदीय जिले के आसपास महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, छतरपुर, जालौन जिलों में कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है न ही भविष्य में कोई केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की संभावना नजर आ रही है। इसके लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है जिस के कारण यहां के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य जरूरतमंद छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। केन्द्रीय विद्यालयों में सांसदों को विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत दो बच्चों के प्रवेश हेतु कूपन जारी किए जाते हैं जो अपर्याप्त हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के हमीरपुर जिले में सुमेरपुर कस्बे में जवाहर नवोदय विद्यालय एवं मौदहा कस्बे में केन्द्रीय विद्यालय तथा महोबा जिले के कुलपहाड़ में जवाहर नवोदय विद्यालय व महोबा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की तुरन्त आवश्यकता है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि देश के प्रत्येक जिले में दो जवाहर नवोदय विद्यालय एवं कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय सरकारी नियमों को सरल करते हुए खोले जाएं तथा वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु माननीय सांसदों को दिये जाने वाले कूपनों को बढ़ाकर कम से कम पांच किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शंखलाल मांझी को इस मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सूखे की समस्या की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में किसानों ने जो धान रोपा तथा वर्षाकालीन फसलें रोपीं, उसमें किसानों की खाद, डीजल आदि चीजें लगीं। परन्तु लास्ट में वर्षा न होने की वजह से किसानों ने जो धान रोपा था, वह बर्बाद हो गया। वर्षा न होने के कारण उत्तर प्रदेश के किसान आज बहुत परेशान हैं। उनकी तमाम फसलें बरबाद हो गई हैं। पानी नहीं बरसने के कारण प्रदेश के किसानों के सामने आज अनेकों समस्याएं खड़ी हो गई हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब अन्य स्टेट्स को विशेष आर्थिक पैकेज दिये जा रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश हैं। सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते आज वहां के किसान केन्द्र सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को भी विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। आज प्रदेश के किसान सूखे की चपेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए उसे विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जो किसान आज भुखमरी के कगार पर हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके।

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से अति लोक महत्व की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में लौह अयस्क सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और इससे प्रेरित होकर अनेक उद्योगपति झारखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यहां उपलब्ध लौह अयस्क का बड़े पैमाने पर विदेश निर्यात कर व्यापार किया जा रहा है। लेकिन देश की आवश्यकता को, व्यापार पर संभावित व्यय को ध्यान में रखते हुए, भुला दिया जाता है। परिणामस्वरूप इस उद्योग से जुड़े श्रमिक कठिन परिश्रम के बावजूद आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं और वहां उपलब्ध लौह अयस्क का भारी मात्रा में दुरूपयोग हो रहा है।

अत:, सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह लौह अयस्क के बड़े पैमाने पर विदेश में निर्यात को देखते हुए इस मामले को गम्भीरता से लें तथा लौह अयस्क के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगाए और देश के विभिन्न भागों में लौह अयस्क का परिशोधन करके अच्छी गुणवत्ता वाले विभिन्न किस्म के लौह उत्पादों के वितरण एवं विक्रय को प्राथमिकता दी जाए।

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज): सभापति महोदय, भारत में टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है, जिससे सारे जहां की वार्ताएं मनोवेग रूप से दुनिया के कोने-कोने में पहुंच जाती हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे आम जनता का मनोरंजन सीमित शुल्क में हो जाता है। इसके द्वारा कई तरह के विषय विज्ञान की जानकारी घर बैठे प्राप्त हो जाती है। टेलीविजन इंडस्ट्री का यह अति प्रशंसनीय कार्य है।

परन्तु कुछ वर्षों से टेलीविजन इंडस्ट्री के प्रायोजित कार्यक्रमों में तेजी से परिवर्तन आया है। जैसे कि लोगों के सामने समाज में घटी घटनाओं का चित्ररूपांतर करके छोटे परदे पर यथा घटित दिखाना बहुत ही असमंजसपूर्ण है। प्रायोजित कार्यक्रमों से पैसे कमाने का लक्ष्य बनाकर कई टेलीविजन चैनल घटनाओं का नाटकीय रूपांतर कर उन्हें घर-घर तक पहुंचाते हैं और जिन लोगों का अपराध की दुनिया और अपराधों से परिचय नहीं है, उन्हें अपराध कैसे किया जा सकता है और अपराध करने के बाद साक्ष्य मिटाने के क्या तरीके हो सकते हैं, इन सब विषयों से लोगों का पूर्ण परिचय कराया जा रहा है। कुछ चैनलों द्वारा तंत्र

और मंत्र शास्त्रों का गलत प्रचार करके लोगों में अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है तथा उनके प्रति लोगों में आकर्षण पैदा किया जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को शीघ्रातिशीघ्र ऐसे प्रायोजित कार्यक्रमों को टेलीविजन पर दिखाने पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): माननीय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि मंत्रालय ने केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2005-2006 और 2006-2007 के लिए देश में गर्ल्स होस्टल्स के लिए अनुदान जारी नहीं किया है।

ये संस्थान एक दशक से भी ज्यादा समय से गर्ल्स होस्टल चला रहे हैं। उन्होंने केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। बार-बार निवेदन के बावजूद इन संस्थानों को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है। मेरी जानकारी में आया है कि भारत सरकार ने इन संस्थानों को अनुदान मांगने के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के लिए परिपत्र जारी किया है।

मेरा दृढ़ मत है कि इन संस्थानों को जो पिछड़े क्षेत्रों में गर्ल्स होस्टल्स चला रहे हैं, केन्द्र द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी कोई अन्य योजना नहीं है जिसके तहत ये संस्थान केन्द्रीय सहायता ले सकें। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि अनुदान के बिना, ये संस्थान गर्ल्स होस्टल चलाने में बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यह एक चालू योजना है।

अत:, मेरा विनम्र निवेदन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह योजना जारी रखनी चाहिए और महिला वर्ग अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के व्यापक हित में शीघ्रता से इन संस्थानों को वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए अनुदान जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। मंत्रालय से मेरा यही निवेदन है।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): "नेत्र दान महादान"

यह गरिमामय सदन इस तथ्य से भली-भांति अवगत है कि विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या राय ने अपनी आंखें दान करने की प्रतिज्ञा की है। हाल ही में प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता स्वर्गीय डा. राजकुमार ने अपनी आंखें दान की हैं। अब बंगलौर में हजारों लोग आंखें दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। बंगलौर में 'नारायण आई हॉस्पीटल' में राजकुमार आई बैंक हैं। प्रायोजक और दानदाता लोगों को मृत्यु के बाद नेत्र दान करने के प्रति संदेहों को दूर करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं जिससे अन्य अभागे अंधे लोग दुनिया देख सकें। 3 माह से भी कम समय में 1500 से भी अधिक व्यक्तियों ने इस संबंध में शपथ ली है।

न्यायाधीश, चन्द्रशेखर, विधायक बी.सी. पाटिल, लोकायुक्त संतोष हेगड़े, फिल्मी हस्तियां जैसे श्रीमती बी. सरोजा देवी, लोकेश, दूदन्ना सभी ने अपनी आंखें दान करने की प्रतिज्ञा की है। इस गरिमामय सदन में मैं भी घोषणा करता हूं कि मैं भी अपनी आंखें इस 'नारायण आई हॉस्पीटल' को दान करूंगा। नन्दिनी होटल ग्रुप्स के अध्यक्ष भी इस नेत्रदान अभियान में शामिल हैं। जिन्होंने नेत्रदान की शपथ ली है उन्हें उनके होटल के बिल में आजीवन 10% छूट मिलेगी।

रोटरी ओरचर्ड ने "रोटरी आई कार्ड" शुरू किया है जिसमें दानदाताओं और प्रायोजकों के नाम और अन्य ब्यौरे शामिल हैं। इस कार्ड में कानूनी स्वीकृति भी है। आंखें विश्व के किसी भी भाग से संग्रहित की जा सकती हैं। कार्ड में पिक्चर टेलीफोन नम्बर बहुत उपयोगी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रामदास से इस संबंध में कदम उठाने और नेत्रदान अभियान को देश के सभी भागों में प्रोत्साहित करने, जैसा कि आज बंगलौर में किया जा रहा है, का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान की धार्मिक नगरी वाराणसी, जिसे देश में धर्म की राजधानी भी कहा जाता है और जिसका उप-नाम काशी भी है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वाराणसी एयरपोर्ट को पिछले वर्षों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भारत सरकार ने दिया। उसके अगल-बगल 25 जिले ऐसे हैं जो बनारस से जुड़े हैं ओर वे यात्री जिन्हें एयर से जाना होता है, वे वाराणसी के एयरपोर्ट से होकर ही कहीं भी जा पाते हैं। भारत की सरकार ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया और सरकार ने पैसा भी दिया लेकिन आज की तारीख में वहां काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि यदि इतनी ही धीमी गति से काम चलता रहा तो कब तक यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो पाएगा, यह नहीं कहा जा सकता। अप्रोच रोड के लिये गांव वाले जगह नहीं दे रहे थे, वहां खुद किसानों से

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[डा. राजेश मिश्रा]

कम्प्रोमाइज करके उनको जगह दिला दी है। अब वह सड़क तैयार हो गई है लेकिन एअरपोर्ट के अंदर का हिस्सा अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि एअरपोर्ट के लिये जो पैसा जा चुका है, उसके लिये जल्द से जल्द अंदर का हिस्सा बनवा दिया जाये।

सभापति जी, वाराणसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20-25 जिले लगते हैं जहां से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हज यात्रा के लिये जाते हैं। इसलिये मेरी मांग है कि हज यात्रियों के लिये एक फ्लाइट दी जाये। इससे उन पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो सकेगा, उन्हें सुविधा हो सकेगी और वे आराम से हज यात्रा के लिये जा सकेंगे। ताकि 20-25 जिलों के लोग हवाई जहाज के लिये लखनऊ या दिल्ली न जायें। मेरी सरकार से मांग है कि उड्डयन मंत्री जल्द से जल्द एअरपोर्ट तैयार करायें ताकि हज यात्री आराम से हज यात्रा के लिये जा सकें।

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): सभापति महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य संविधान के दो मौलिक अधिकार हैं उत्तर प्रदेश की सरकार अपने सीमित संसाधनों के होते हुये शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने का काम कर रही है। पिछले साढ़े आठ सालों से किसानों के बकाया 1100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, सड़कों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 58 साल के इतिहास में पुल और सड़कें बनाने का एक नया इतिहास रचने का काम किया है। पिछले दो साल में 700 दिनों में 350 पक्के पुल बनाये गये हैं यह सब उत्तर प्रदेश की सरकार सीमित संसाधनों के होते हुये कर रही है। मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब से केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार आई है, यह उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का छठा हिस्सा है लेकिन 12वें वित्त आयोग ने विकास के लिये जो धन आबंटित किया है, वह आज तक उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया गया है। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश का बकाया धन शीघ्र आबंटित किया जाये।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहने के लिये पिछले तीन दिनों से नोटिस दे रहा हूं। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

मैं आपका ध्यान बहुत ही गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों राज्य सभा में एन सी ई आर टी की किताबों के विषय में बहुत शोर मचा था। आज से 4-5 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। मालूम नहीं ऐसे कौन से शिक्षा अधिकारी अथवा लेखक बैठे हुये हैं जो एन सी ई आर टी किताबों के माध्यम से समाज को बांटना चाहते हैं। वे महान् लोगों का अपमान करते हैं और बड़े लोगों के नाम से समाज में फूट डालने का काम करते हैं। उसमें गलत-गलत गालियां लिखी हुई हैं। सिखों के 9वें गुरू तेग बहादुर और 10वें गुरू श्री गोविन्द सिंह जी ने देश के लिये बड़ी कुरबानी दी है, उनके बारे में बहुत अपमानजनक बातें एन सी ई आर टी की अलग-अलग कक्षा की किताबों में लिखी हुई हैं। इसके अलावा लाला लाजपत राय, अरविन्द, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान् नेता, जिनका सारा देश सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है, उनके बारे में गलत टिप्पणियां लिखी हुई हैं। जाट समाज जिसको मैं बिलांग करता हूं। उसके बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किये गये हैं कि जाट लुटेरा है। उसमें ये शब्द लिखे हैं: 'दे आर द पलंडरर्स' उसका हिन्दी अनुवाद लुटेरा होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप बोलते रहेंगे तो दूसरे लोग नहीं बोल पायेंगे। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: सभापति जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। पूरे देश में आग लगी हुई है। जाट समाज के बारे में इतनी गलत टिप्पणी की गई है जिसने देश की आजादी के लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी हैं। आज भी कोई दिन खाली नहीं जाता जब कोई न कोई जाट समाज का बेटा शहीद न होता हो। जाटों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप देख लीजिए कितने मुगल बादशाह इन्होंने हटाए और देश की सीमाओं पर कितने जवान शहीद हुए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश (हिसार): यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पूरे देश में आग लगी हुई है।...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान: जिस दिन से यह इश्यू उठा है, सारे जाट समाज में नाराजगी है। इन किताबों में ब्राह्मणों और अग्रवालों के बारे में भी कहा गया है कि ये लोग मीट खाते थे। शिवाजी को भी नहीं बख्शा, दुर्गा माता को भी नहीं बख्शा। दलित समाज के लोगों को भी नहीं बख्शा। वाल्मीकि के लिए भंगी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रामदासी समाज के भाइयों के लिए चमार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कई गालियां

इसमें लिखी गई हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार की एन.सी.ई.आर.टी. की किताबों से आप बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? अर्जुन सिंह जी इस विभाग के मंत्री हैं। उनको इस संबंध में जवाब देना चाहिए कि ये गलतियां किसकी वजह से हुई हैं। जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का केस बनना चाहिए। आप आजकल के अखबार देखें कि पिछले तीन दिनों से सारे जाट समाज में रोष है। जिस समाज के लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं और जो आज भी हल चलाकर देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, उस समाज का अपमान किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश: सभापति जी, उनको बोलने दें। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। पूरे देश में आग लगी हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप इसी तरह बोलते रहे तो हम इसे रोक देंगे। आपको आपका वक्तव्य दो मिनट में समाप्त करना हैं अन्यथा, मैं चर्चा रोक दूंगा, यह विशेष चर्चा है। इसका अर्थ है संक्षिप्त वक्तव्य देना। लेकिन आप भाषण दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: सभापति जी, तीन दिन से हमने नोटिस दे रखा है। आज नंबर आया है। सारे देश का समाज हमसे पूछ रहा है कि हमारे समाज के खिलाफ ऐसा मामला उठा है तो आप सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* वे हमसे कह रहे हैं कि आप किसलिए चुनकर आए हैं? अपने समाज की बदनामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा समाज स्वाभिमानी समाज है। हम कभी किसी के सामने नहीं झुके, हम सबसे ज्यादा देशभक्त और ईमानदार हैं, सबसे ज्यादा वोकल हैं। आज हमारे समाज के खिलाफ इस प्रकार की बातें लिखी जा रही हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश: सभापति जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। पूरे देश में आग लगी हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकापुरा): एनसीईआरटी की ओर से यह बहुत गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है। कैसे वे उन समुदायों पर आरोप लगा सकते हैं। जिन्होंने देश के विकास अपना योगदान दिया है? माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे का हम समर्थन करते हैं। हम इस मामले से सम्बद्ध होना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जय प्रकाश, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री पी.एस. गढ़वी और श्री गणेश सिंह को इस मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जाट समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और बाद में हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। जिन लोगों ने हमारे समाज को बदनाम करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ तुरन्त कार्रवाई की जाए वरना स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): मैं भी सांगवान जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने को असोसियेट करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप भी स्वयं को इनकी बात से सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: जिन लोगों ने चार वर्ष पहले यह किताब लिखी है और ये किताबें आज आई हैं, उन सब लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने चाहिए और उनको जेलों में डालना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: जिस कम्यूनिटी ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, उनके खिलाफ कैसे इस प्रकार की बातें लिख सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान: ये सब एन.डी.ए. की सरकार ने ओमिट कर दिया था लेकिन आज फिर ये बातें आई हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ साजिश है।...*(व्यवधान)* आज ये फिर आ गए हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ साजिश है। ...*(व्यवधान)* मुरली मनोहर जोशी जी ने इन सब को रिमूव कर दिया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जिन सदस्यों का नाम मैंने अभी लिया, केवल वे ही स्वयं को इस बात से सम्बद्ध कर सकते हैं। प्रत्येक को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

...(व्यवधान)

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: महोदय, सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और दोषी लोगों को शीघ्र दण्डित करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सुनिल कुमार महतो के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, 21 अगस्त के हिन्दी समाचार-पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2006 के जनसत्ता में छपे समाचार के अनुसार सैंकड़ों छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। परीक्षा में शामिल छात्रों का आरोप है कि नतीजे जारी करने में धांधली की गई है एवं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिका में मिले अंक एवं कट आफ मार्क के बारे में जानना चाहते हैं। इस तरह सिविल सेवा की परीक्षा में हो रही धांधली से सैंकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ आयोग द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है एवं साथ-साथ मेधावी छात्रों को अंधेरे में धकेलने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के छात्रों का संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर जो विश्वास था। वह आज टूट रहा है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिविल सेवा की परीक्षा में इस तरह से धांधली हो रही है, यह राष्ट्र के हित में नहीं है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में धांधली हो रही है या नहीं, इसके लिए एक समिति बना कर जांच कराई जाए ताकि मेधावी छात्रों के साथ न्याय किया जा सके।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, श्री सांगवान द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में मुझे स्पष्टीकरण देना है।

सभापति महोदय: आप श्री करण सिंह यादव के वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव: सभापति महोदय, औद्योगिकरण एवं विकास के नाम पर किसानों की बहुत कीमती जमीन अधिग्रहण करने का सरकारों एवं औद्योगिक घरानों द्वारा काम किया जाता रहा है। मेरे क्षेत्र से सटे कोटपूतली क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट लगने जा रहा है। बिरला समूह के अंतर्गत ग्रासिम इंडस्ट्री ने कोटपूतली के आसपास लगभग दो हजार बीघा जमीन सरकार की सहायता से अधिग्रहित करने की मांग की है। इस क्षेत्र के मोहनपुरा, जोधपुरा, कुजोता, महरूमपुरा, राजपुर, कंवरपुरा, गोरधनपुरा ऐसे ग्राम हैं, जो घनी आबादी के हैं। इनमें अच्छी मात्रा में पानी है, बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन है और घनी बस्ती है। सरकार के दबाव से व्यापारी इन किसानों को बेरोजगार और बेघरबार करना चाहते हैं। ये वहां पूरे के पूरे गांव उजाड़ कर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब भी कोई बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री खोली जाए तो कम से कम उपजाऊ जमीन पर ऐसा न किया जाए, किसानों को बेघरबार न किया जाए। उसी क्षेत्र के आसपास जो बंजर एवं अनुपजाऊ जमीन पड़ी है, वहां फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं मांग रहे, लेकिन किसानों को उजाड़ने का काम बिरला समूह के दबाव में ग्रासिम इंडस्ट्री के लिए केन्द्र सरकार की आंख के नीचे राजस्थान सरकार कर रही है, आप इस तरफ ध्यान दें, वरना किसान बेघरबार एवं बेरोजगार हो जाएंगे, यह बात मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: महोदय, माननीय सदस्य श्री सांगवान ने 18.8.2006 को मेरे द्वारा बहुत पहले दिए गए आश्वासन का जिक्र किया मुझे निश्चित दिनांक याद नहीं है लेकिन मेरे विचार से यह कई महीने पहले दिया गया था। यह 'समान पद समान पेंशन' के संबंध में था और मैंने कहा था कि हां यह हो रहा है। मैंने कहा था कि.... मैंने कहा था कि मंत्रियों के समूह की बैठक हो रही है तथा शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा। 18 तारीख को भी मैंने यही दोहराया था और अधिकार के साथ कहा था

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि यह किया जायेगा। उस समय मैंने यह भी कहा था चूंकि इसमें बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक शामिल थे इसलिए इसे तैयार करने में समय लगा।

अब, मुझे भूतपूर्व सैनिक विभाग, रक्षा मंत्रालय से स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो गया है, और इस उत्तर की तीन या चार पंक्तियां मामले को स्पष्ट कर देंगी। इसके अनुसार कंप्यूटर कार्यक्रम पर आधारित रक्षा लेखा नियंत्रक, पेंशन संवितरण, मिराज और रक्षा लेखा नियंत्रक, चेन्नई के अंतर्गत सभी 61 रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारियों ने जुलाई 2006 में 3,27,077 प्रभावित मामलों में से 2,16,273 मामलों में पेंशन को संशोधित कर दिया है। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को अलग से देखा जाना आवश्यक था क्योंकि मामलों के भिन्न होने के कारण सभी मामलों पर समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। यह इतना विशाल कार्य है कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 35,000 शाखाएं सम्मिलित हैं। इसलिए, मामला काफी लंबे समय से लंबित है, परन्तु यह लागू किया जाने वाला है।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को तत्काल उत्तर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं उनके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि उस दिन भी जब यह बात आई थी और उन्होंने कहा था कि यह मामला अंडर प्रौसेस है, तब भी मैंने कहा था कि यह इश्यू कब तक अंडर-प्रौसेस रहेगा?

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: एक या दो माह समय लगेगा।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं यह स्मरण कराना चाहूंगा कि बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि की घोषणा की थी और उन्होंने इस निधि के लिए 5000 करोड़ रु भी आवंटित किए थे। जिलों की पहचान करने की प्रक्रिया में मैंने स्वयं मंत्रियों के समूह और प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि इस निधि से किस जिले को धनराशि मिले इसके लिए भिन्न मापदण्ड अंगीकृत करने की आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी है जिसके लिए सरकार ने 14,400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं तथा 600 जिलों में से 200 जिलों का चयन कर लिया गया है। हाल ही में सरकार ने जिलों की संख्या निर्धारित की है और 200 जिलों व 50 अतिरिक्त जिलों को भी पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से धनराशि मिली थी।

अब मैं, कृष्णा जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र पर आता हूं, ऐसे अनेक जिले हैं जो अंशत: समृद्ध और पिछड़े हैं परन्तु इन दोनों योजनाओं में इन जिलों को शामिल नहीं किया गया। कृष्णा जिले, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र विजयवाड़ा भी आता है, में आधा जिला समृद्ध है जोकि डेल्टा क्षेत्र है और वहां काफी पानी है तथा अन्य आधा भाग अपतट और सूखी भूमि वाला है जहां लोग गरीबी में रह रहे हैं। दुर्भाग्यवश इस योजना में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। हमारा निवेदन है कि यह योजना जिला आधार पर नहीं लागू की जानी चाहिए क्योंकि ऐसे अनेक जिले हैं जहां चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं कुछ जगहों पर चार जिले मिलकर एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाते हैं। एक गांव को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए। उन्हें पिछड़े गांवों की पहचान करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो राजस्व 'मण्डल' को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए। मेरा सरकार से यह निवेदन है। राजस्व मण्डल या गांव में से किसी एक को इकाई के रूप में लेना चाहिए। तभी निश्चित रूप से सभी के साथ समान न्याय होगा। अन्यथा यह एक ही जिले के लोगों में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न करेगा।

इसलिए, मेरा सरकार से निवेदन है कि वे इस पर नए सिरे से विचार करें। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसमें सुधार करें और गांव को एक इकाई के रूप में लें।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सभा की कार्यवाही रात 8.00 बजे स्थगित की जाएगी। इसके बाद समयावधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए यदि आप सहयोग करें तो इस समय में अन्य सदस्य अपने निवेदन कर सकेंगे। अन्यथा मैं असमर्थ हूं।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): महोदय, हाल ही में भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन नामक योजना प्रारंभ की है। यह शहरी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुधार के लिए थी। परन्तु दुर्भाग्यवश, जहां तक कर्नाटक का संबंध है, इस योजना में केवल बंगलौर और मैसूर दो ही शहर सम्मिलित किए गए हैं। हुबली धारवाड़ जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह कर्नाटक के उत्तरी भाग में आता है। जो कि एक पिछड़ा इलाका है। इस संदर्भ में इसे पांच वर्षों हेतु 50,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि पांच वर्षों में व्यय नहीं की जा सकती है। यह आशंका कुछ समाचार-पत्रों में भी जाहिर की गई।

इस संबंध में, मैं बताना चाहूंगा कि पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये व्यय करना एक कठिन कार्य है। अभी तक इस

[श्री प्रहलाद जोशी]

प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केवल 11 से 12 शहरों की पहचान की गई है। इस संबंध में, मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि हुबली-धारवाड़ को इस परियोजना में सम्मिलित करना चाहिए जो कि जनसंख्या के अनुसार कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दुर्भाग्यवश किसी भी सरकार ने इस शहर पर ध्यान नहीं दिया। इस क्षेत्र में संपूर्ण उत्तरी कर्नाटक को विकास के पथ पर ले जाने की क्षमता है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन इस शहर के आवश्यक अवसंरचनात्मक निर्माण हेतु अहम सिद्ध हो सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने इस शहर को 'ग' श्रेणी में रखा है। इसके कारण एक तीव्र जन विद्रोह हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस शहर को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल किया जाए।

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान रेल में यात्रा के दौरान लोगों द्वारा खुले में शौच के अत्यधिक हानिकारक व्यवहार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और मैं 2004-2005 में अपने बजट भाषण के दौरान माननीय रेल मंत्री द्वारा की गई एक घोषणा की भी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय रेल मंत्री ने 2004-05 के अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार कहा था। "पर्यावरण-अनुकूल शौच तंत्र: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषित नीति के अनुसार, जिसमें वर्ष 2012 तक संपूर्ण स्वच्छता प्रबंध और पूरे देश में खुले में शौच की प्रवृति की समाप्ति की परिकल्पना की गई है, भारतीय रेलवे ने, रेलवे सुरक्षा पर आर एस डी ओ के प्रौद्योगिकी मिशन के भाग के रूप में पर्यावरण अनुकूल रेल डिब्बा शौच निकासी प्रणाली के विकास के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है।" महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि उन्होंने इस संबंध में अभी तक कदम नहीं उठाए हैं तो तुरन्त कदम उठाएं ताकि खुले शौच का यह पर्यावरण के प्रति हानिकरक व्यवहार हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु प्रस्तावित शौच निकासी प्रणाली को लागू किया जा सके और यथाशीघ्र संपूर्ण देश में इसे लागू किया जा सके। मेरा विश्वास है कि एक बार लागू होने के बाद यह प्रणाली हमारे देशवासियों को उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी और स्वच्छता संबंधी स्थिति काफी स्तर तक सुधर जायेगी और हम सही अर्थों में सभ्य समाज बन जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दैनिक पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली संस्करण दिनांक 20 एवं 21 अगस्त 2006 में प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि 'कोल इन्डिया' की इकाई साउथ इस्टर्न कोलफील्ड में कंपनी के पदाधिकारियों तथा मैसर्स आयर्न कंपनी की मिलीभगत से भारत सरकार की कंपनी में प्रतिदिन 1.25 लाख टन कोयले की हेरा-फेरी हो रही है। 14 इएमएस भूतपूर्व सैनिकों, कंपनियों तथा सैनिकों की विधवाओं के नाम पर कान्ट्रैक्ट प्राप्त कर खान के सभी कार्यों पर वास्तविक रूप से एक ही कंपनी मैसर्स आयर्न द्वारा एकाधिकार कर लिया गया है। ये घाटे, वेब्रीज नहीं रहने से कम-मापी, ढुलाई में अण्डर रेकार्डिंग, कोयले का अण्डर ग्रेडिंग, गलत वासरी चार्ज तथा गलत ढुलाई चार्ज के बतौर हो रहा हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकृत केन्द्रीय समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में उक्त तथ्यों की पुष्टि की है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों की बिन्दुवार जांच करा कर, इस लोक उपक्रम की कंपनी को हो रहे करोड़ों के नुकसान को तत्काल रोका जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने कहा कि आपको रेलगाड़ी पकड़ने की जल्दी है, परन्तु अभी आपने अपने पाठ से पढ़ा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, यदि इसे इतनी लाइटली लेंगे तो कैसे काम चलेगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या आपका भाषण समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे: जी हां, मेरा भाषण कम्पलीट हो गया है।

[अनुवाद]

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदय, देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की पूर्ण संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाओं पर पुनः बल देने की आवश्यकता नहीं है। इन राज्यों में अपनी विकासात्मक अवसंरचना या कार्यों हेतु पर्याप्त स्रोत/राजस्व संग्रहणकरण

नहीं है। वर्तमान में हमें हर कार्य के लिए संघ सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। परन्तु हम आने वाले वर्षों के लिए योजना सहायता हेतु संघ सरकार से निरंतर निवेदन नहीं कर सकते। संघ सरकार को भी ऐसे उद्योगों की संभावनाएं खोजनी चाहिए जो इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हों तथा उनका पूर्णत: विकास करना चाहिए। पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके द्वारा यह राज्य किसी कमी को पूरा करने और अपनी अन्य मांगों का वहन करने के लिए राजस्व की अच्छी राशि का अर्जन कर सकेंगे।

यद्यपि, उदारीकरण और सार्वभौमिकीकरण के इस युग में और विश्व के सबसे बड़े इस लोकतंत्र में हमने मेरे राज्य मणिपुर में संरक्षित क्षेत्र परमिट या प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के रूप में इस कानून को कायम रखा है जो राज्य में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के अंतर्गत विदेशियों का केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी विशेष परमिट के बिना राज्य में प्रवेश करना प्रतिबंधित है, वो भी बहुत कम अवधि के लिए अनुमति दी जाती है। ऐसे प्रतिबंध देश के किसी अन्य भाग में नहीं लगाए गए हैं। इसलिए, ऐसा कानून विभेदक और अलोकतांत्रिक है और यह संघ के राज्यों के मध्य बराबरी का व्यवहार न करने के समान है।

यहां तक कि आजादी के 60 वर्ष बाद भी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ इसके लिए हम किसी भी सरकार या किसी अन्य को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। काफी अजीब व्यवहार किया जाता है। परन्तु, संघ सरकार के लिए यह सही समय है कि वह ऐसे छोटे किन्तु संवेदनशील मामलों पर ध्यान दें। वस्तुत: ऐसे प्रतिबंध और असमान व्यवहार से न केवल पूर्वोत्तर राज्य के लोग स्वयं को पृथक महसूस करते हैं बल्कि क्षेत्र में पर्यटन के विकास में भी बाधा आती है, चूंकि यह निन्दनीय कानून विदेशी पर्यटकों को क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हतोत्साहित करता है।

इसलिए, मैं सविनय संघ सरकार, विशेषकर गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस व्यर्थ और विभेदक प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रणाली को शीघ्र समाप्त करें।

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): महोदय, यह अत्यधिक चिन्ता का मामला है कि सरकार बड़े स्तर पर टर्न-की परियोजनाओं को देकर केरल राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में निजीकरण को प्रारंभ कर रही है। अत:, सरकार छोटे उद्यमियों पर निजी पूंजीगत निवेशों को बढ़ावा दे रही है और ऐसी परियोजनाओं का जन-विरोधी परियोजनाओं के रूप में कड़ा विरोध किया जाता है। अत:, इसे यथाशीघ्र बंद कर देना चाहिए और इन परियोजनाओं को लघु स्तर के ग्रामीण ठेकेदारों के मध्य वितरित किया जाना चाहिए ताकि परियोजना हेतु लागत से अधिक व्यय को सीमित किया जा सके।

इसी प्रकार, बिजली के बिलों को एकत्र करने का अधिकार निजी हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के उपर्युक्त कदम से केवल बड़े ठेकेदारों को मदद मिलेगी परन्तु छोटे ग्रामीण ठेकेदार इससे प्रभावित होंगे अत: इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं उड़ीसा में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की तुरन्त घोषणा करने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। उड़ीसा में औद्योगिकरण और विदेशी निवेश की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए पर्याप्त संख्या में तकनीकी व्यवसायिकों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना करना अति महत्वपूर्ण है।

तत्कालीन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी ने 9 दिसम्बर, 2003 को घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भुवनेश्वर, चेन्नई, पुणे और इलाहाबाद में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों की स्थापना के लिए कदम उठाएगा। तथापि, 28 सितम्बर, 2005 को जब प्रधानमंत्री ने पुणे और कोलकाता में भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की घोषणा की तो उसमें उड़ीसा का नाम नहीं था।

उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने इस मामले को कई बार प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ उठाया था। शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने उड़ीसा में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु तुरन्त घोषणा करने के लिए अनेक विरोध प्रदर्शन किए हैं। दिसम्बर, 2005 में नई दिल्ली में जन्तर मन्तर पर एक धरना दिया गया था जिसमें उड़ीसा के माननीय संसद सदस्य इस मांग के समर्थन में वहां उपस्थित थे।

रात्रि 8.00 बजे

संसद सदस्यों ने भी इस मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में जोर-शोर से उठाया था। अत: मैं केन्द्र सरकार से उड़ीसा में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की शीघ्रातिशीघ्र स्थापना करने का आग्रह करता हूं।

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदय, मैं कोयला मजदूरों को भविष्य निधि और पेंशन के भुगतान के संबंध में कोयला मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय की लापरवाही के कारण कोयला खानों में काम कर रहे हजारों मजदूरों को भविष्य निधि और पेंशन नहीं मिल रही है। रीजन-1 में लगभग 30,000 मामले लंबित हैं जिन्हें

[श्री बेसगोपाल चौधरी]

अभी तक नहीं निपटाया गया है। इसी प्रकार, अनेक सेवानिवृत्त मजदूरों को भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वास्तव में, कोयला क्षेत्र में ठग बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वे कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय की सांठ-गांठ से कोयला मजदूरों को उनकी भविष्य निधि से वंचित कर रहे हैं। उचित अभिलेख नहीं रखे जा रहे हैं। भ्रष्ट व्यक्तियों और कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय से सम्बद्ध व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा रही है।

मैं कोयला मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि वह सम्पूर्ण तथ्य की जांच करे और उन भ्रष्ट व्यक्तियों को सजा दी जाए जो कोयला मजदूरों को वास्तव में ठग रहे हैं।

सभापति महोदय: क्या सभा चाहती है कि चर्चा का समय बढ़ाया जाए ताकि कुछ और माननीय सदस्य बोल सकें।

कुछ माननीय सदस्यगण–जी हां।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" संपूर्ण देश की शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य किया जाए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास आनन्द मठ में वर्णित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। इस गीत की रचना को आगामी 7 सितंबर को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस गीत पर पूरे राष्ट्र को गर्व है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। "वंदे मातरम" जैसे देशभक्तिपूर्ण, प्रेरणादायी, प्रभावी, ओजस्वी एवं हजारों क्रांतिकारी तथा स्वाधीनता सेनानियों के मूलमंत्र पर आपत्ति किया जाना देशद्रोह के समान है।

वंदे मातरम् राष्ट्रभक्ति का पर्याय है। इस्लाम कभी भी राष्ट्रभक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता। यह कहना कि समस्त मुस्लिम समुदाय इस राष्ट्रगीत के खिलाफ है, यह सच्चाई से कोसों दूर है। यदि वंदे मातरम् का इस्लाम अथवा शरीयत से कोई लेना-देना होता, तो अशफाक उल्लाह जैसे महान क्रांतिकारी लोग स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं करते और न ही ए.आर. रहमान जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार वंदे मारतम् मां तुझे सलाम के रूप में पेश करते। यह अत्यंत खेद का विषय है कि भारत सरकार की नीति इस मामले में बहुत ढुलमुल है और वंदे मातरम् गीत रचना के शताब्दी वर्ष में पूरे देश की सभी शिक्षण संस्थानों में इस राष्ट्रगीत को गायन के रूप में अनिवार्य किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मुझे प्रो. रासा सिंह रावत के कथन से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पी.एस. गढ़वी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और श्री गुहाराम अजगल्ले को प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा अभी किए गए उल्लेख के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): सभापति महोदय, पिछले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मजदूर संघों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया था और उनके साथ मजदूर संघों संबंधी कई मुद्दों, श्रम कानूनों आदि पर चर्चा की। चर्चा के दौरान केन्द्रीय मजदूर संघों के सभी नेताओं ने बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता की ओर माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

जैसा कि आप जानते हैं कि समय-समय पर यथासंशोधित मौजूदा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में श्रमिकों के बड़े वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। इस अधिनियम में संशोधन के अभाव में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों की बड़ी संख्या बोनस के अपने वैध हिस्से से वंचित हैं। यह अधिनियम हमारे देश के उस श्रमिक वर्ग के दीर्घकालिक संघर्ष का नतीजा है। जिसे अपने नियोक्ताओं और राज्य मशीनरी के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह श्रमिक वर्ग के लहू और परिश्रम का ही नतीजा है कि भारत सरकार द्वारा बोनस आयोग नियुक्त किया गया तथा उसके आधार पर यह अधिनियम लागू हुआ।

महोदय, विभिन्न राज्यों में कई त्यौहार आने वाले है। बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार सारदो उत्सव नजदीक ही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नियोक्ताओं को सलाह दी है कि वे 12 सितम्बर तक बोनस का भुगतान कर दें। परन्तु जब तक अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता, मुझे यह आशंका है कि श्रमिकों को बोनस से वंचित रखा जाएगा क्योंकि 3,500 रु. जमा मंहगाई भत्ते की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कारण 90 प्रतिशत श्रमिक बोनस अधिनियम की परिधि से बाहर हो जाएंगे।

महोदय, शुक्रवार को संसद का सत्र समाप्त होने वाला है। *...(व्यवधान)* यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मुझे खेद है कि मुझे देर में बुलाया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इसे सरकार को दे दें ताकि वे बोनस संदाय अधिनियम पर

संशोधन करने हेतु पुन: गंभीरता से विचार कर सकें। इससे हमारे देश के श्रमिकों के एक बड़े वर्ग को लाभ पहुंचेगा।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं सरकार के समक्ष केरल तथा देश के अन्य भागों में रसोई गैस के दुरूपयोग संबंधी मुद्दा रखना चाहूंगा।

महोदय, समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि प्राधिकृत एजेन्ट निजी क्षेत्र के व्यक्तियों विशेषकर दुकानदारों, वाहन मालिकों और फास्ट फूड दुकानों को रसोई गैस बेच रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप आम लोगों को पहले ही गैस बुक करवाने के बावजूद एक या दो महीने बाद गैस मिल रही है।

महोदय, उन्हें काफी लाभ हो रहा है क्योंकि सरकार इस गैस को राजसहायता प्राप्त मूल्य पर दे रही है। अत: यह वास्तव में लूट है तथा आम जनता के हितों के खिलाफ है। सरकार द्वारा राज्य सरकार को कड़े अनुदेश दिए जाने चाहिए। केरल के ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें निजी व्यक्तियों द्वारा इस रसोई गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करें।

श्रीमती पी. सती देवी (वडागरा): महोदय, मैं रेल मंत्रालय का ध्यान शोधनूर और मंगलौर के बीच कुछ रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों के विस्तार और नवीकरण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

चूंकि मालाबार क्षेत्र के कई रेलवे स्टेशनों विशेषकर पातारबी, कुट्टीपुरम, पिरूर, थानूर, परापाननगड्डी, कोयलैंडी, किटौक, थालसेरी, कंजलगढ़ में प्लेटफार्मों की लम्बाई पर्याप्त नहीं है अत: इससे यात्रियों को विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वृद्ध यात्रियों को अंदर आने और उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

वेस्ट केरल मेल और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों तथा अन्य ट्रेनों में 21 या इससे अधिक बोगी होती है, उसके अंतिम दो या तीन डिब्बे अक्सर प्लेटफार्म से बाहर होते हैं। अत: प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यात्री आसानी से रेल में चढ़ सकें और उससे उतर सकें। चूंकि इन प्लेटफार्मों के अधिकतर भाग में छत नहीं है, अत: यात्रियों को गर्मी और वर्षा के मौसम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अत: यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इन प्लेटफार्मों में छत का भी निर्माण किया जाना चाहिए। अत: मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि वह शौरापूर से मंगलौर के बीच के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के नवीकरण और विस्तार पर तुरन्त कार्यवाही करें।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, मैं पर्यटन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

प्रत्येक वर्ष ओणम पर्व के समय विश्व प्रसिद्ध अश्वमूला नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ मध्य केरल के लोगों द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खेल है। अश्वमुला के आसपास के 35 गांवों के लोग इस रंगारंग और भव्य समारोह में सीधे भाग लेते हैं नौका दौड़ समारोह ने केवल देश के अंदर हजारों स्थानीय लोगों बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों की बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। अश्वमुला एक ऐतिहासिक स्थल है तथा 'अश्वमुला दीशा' विश्व प्रसिद्ध है। यू.एन.डी.पी. ने इस गांव को पर्यटक गांव के रूप में चुना है।

अश्वमुला नौका दौड़ का इतिहास लगभग 700 वर्ष पुराना है। यह समारोह सबसे पहले 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। अश्वमुला को एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की सभी संभावनाएं विद्यमान हैं। अत: नौका दौड़ स्थल पर वाटर स्टेडियम के निर्माण के साथ-साथ क्षेत्र का विकास और सुविधाओं को बढ़ाने की तुरंत आवश्यकता है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): महोदय, प्रधानमंत्री ने दिनांक 14 अगस्त को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा करके एक महत्वपूर्ण पहल की थी। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण था चूंकि उस सारा देश आतंकी हिंसा के एक अन्य दौर की आशंका से चिन्तित था। इस कदम से सभी को आश्चर्य हुआ परन्तु कुछ लोगों ने इस निर्णय को संदेह की दृष्टि से देखा।

उल्फा ने प्रधानमंत्री के इस प्रयास के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शायी। असम में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन शांतिपूर्ण रहा। उल्फा ने 18 अगस्त को गत 27 वर्षों के दौरान पहली बार अपनी गतिविधियों को रोक देने की घोषणा की जिससे असम के लोगों के मन में यह आशा जागृत हुई कि अब समस्या का समाधान हो सकता है अथवा असम में शांति स्थापित हो सकती है। इस समय महोदय मैं आपके माध्यम से सभी संबंधित व्यक्तियों से संयम बरतने तथा असम में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने का अनुरोध करता हूं।

[श्री किरिप चालिहा]

कोई भी यह नहीं चाहता कि असम में हत्याएं होती रहें। इसमें कई जाने गई हैं। बहुतों ने अपने बच्चे खोए हैं। बहुत से बच्चे अनाथ हुए हैं। बहुत से घर विधवाओं के दुख में डूबे हुए हैं। विकास के अभाव विद्रोह और इसके परिणामस्वरूप विकास के मार्ग में और बाधाओं के इस दुष्चक्र को रोका जाना चाहिए। असम की भावी पीढ़ियों को एक ऐसे असम का निर्माण करना चाहिए जिसमें उन्हें वह स्थान प्राप्त हो जिसके वे हकदार हैं।

एक अंतिम मुद्दा यह है कि असम में हिंसा का दौर रूकें तथा मृत्यु के इस तांडव के स्थान पर असम में युवा पीढ़ियों की आश भरी मुस्कान तथा आकांक्षा फले-फूलें।

श्री विजय हान्डिक: महोदय, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

डा. टोकचोम मैन्या: महोदय, मैं भी स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: आपका नाम सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के कच्छ जिले में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में माननीय संस्कृति मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में धोलाविरा नामक एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातत्व महत्व का स्थल है। धोलाविरा का पुरातत्व स्थल भारतीय उप-महाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक बहुत बड़ा स्थल है। इस स्थल का पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से अधिक महत्व है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1990 से 2004 के बीच इस स्थल पर की गई खुदाई से दरवाजों, जलाशयों तथा स्टेडियम आदि की भव्य संरचनाओं सहित एक अद्वितीय बस्ती का पता चला है। ऐसी संरचनाओं के अतिरिक्त, इस स्थल से बड़ी संख्या में ऐसे पुरातन अवशेषों की प्राप्ति हुई है जिनसे हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का पता चलता है। स्थल से प्राप्त हुए पुरातन अवशेषों को एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नई दिल्ली कार्यालय भेज दिया गया है। परन्तु, काफी लंबे समय से वे वहां उन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अत:, माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि धोलाविरा में एक ऐसे संग्रहालय की आवश्यकता है जिसमें स्थल से प्राप्त हुई पुरातन वस्तुओं को स्वयं स्थल पर ही प्रदर्शित किया जा सके ताकि पर्यटकों को स्थल तथा सभ्यता की पूरी जानकारी मिल सके।

अत:, मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के एक संग्रहालय का स्थल पर ही तत्काल निर्माण कराने की कृपा करें।

[हिन्दी]

श्री गुहाराम अजगल्ले (सारंगढ़): सभापति महोदय, मेरा विषय रेल मंत्रालय से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ रेलवे स्टेशन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां कोयला पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। रायगढ़ के आसपास मोनेट एवं जिंदल के इस्पात संयंत्र स्थित है। कई स्पंज आयरन के उद्योग बृहत्त रूप से चल रहे हैं जिससे रेल विभाग को अपेक्षा के अनुरूप राजस्व प्राप्त होता है। इसी दृष्टि को रखते हुए 14 सितम्बर, 1998 को पूर्व रेल मंत्री श्री नीतिश कुमार जी द्वारा नये रेलवे टर्मिनल का शिलान्यास किया गया था।

इसका निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग रेल परिवहन से वंचित है और महत्वपूर्ण ट्रेनों का केवल रायपुर और बिलासपुर से ही सम्पर्क है। यदि रायगढ़ में रेलवे टर्मिनल होता तो निश्चित रूप से दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें रायगढ़ रेलवे स्टेशन से ही प्रारम्भ होती और इससे छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग लाभन्वित होते। रायगढ़ रेलवे टर्मिनल बनने से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कई ट्रेनें रेलवे टर्मिनल के अभाव में रेलवे विभाग द्वारा चाहकर भी रायगढ़ रेलवे स्टेशन से नहीं चलाई जा सकती हैं क्योंकि उनके मेंटिनेंस में प्रॉब्लम आती है। अत: रेलमंत्री जी से निवेदन है कि पूर्व रेल मंत्री जी द्वारा किए गए शिलान्यास कार्य को आगामी बजट में प्राथमिकता क्रम में रखते हुए कार्य प्रारम्भ करवाने की कृपा करें।

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): महोदय, मैं रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य में पनवेल से सीएसटी अर्थात छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई तक वाया ढीवा जंक्शन, लोकल ट्रेन चलाए जाने की मांग पिछले काफी समय से लोक सभा में तथा अन्य माध्यमों से उठाई जाती रही है। यह योजना पिछले काफी समय से रेल मंत्रालय के पास लम्बित पड़ी है। इस लोकल ट्रेन के चलने से जहां रेलवे को लाखों रुपए की आमदनी प्रतिमाह होगी, वहीं कोंकण क्षेत्र, विशेषकर दक्षिणी कोंकण क्षेत्र जैसे ढीवा और उसके नजदीकी क्षेत्रों के लोगों को भारी लाभ होगा। मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेल मंत्रालय अथवा सरकार को एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां सभी संसाधन पहले से ही मौजूद हैं। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि कोंकण क्षेत्र

के लोगों की परेशानी तथा पिछले काफी समय से लम्बित मांग को देखते हुए शीघ्र ही लोकल ट्रेन चलाने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समविकास योजना के अंतर्गत इस योजना को शामिल किया गया है। इस जिले को राष्ट्रीय समविकास योजना के तहत जो धन जाता है उससे सड़कें बनाई जा रही हैं। उनकी स्थिति खराब है। इस तरह की कुछ सड़कें हैं—नगेपुरा सम्पर्क मार्ग, खकल सम्पर्क मार्ग, बुडेहरा सम्पर्क मार्ग, करियावली सम्पर्क मार्ग, बरिगवां सम्पर्क मार्ग, बेवना सम्पर्क मार्ग, उरई-कोटा सम्पर्क मार्ग, कमठा सम्पर्क मार्ग, जैसारी सम्पर्क मार्ग, जालौन कौंच से सिकरी राजा मार्ग पर पुल का निर्माण, कौंच वसूप मार्ग, सूनी से गिट्टी तक मार्ग आदि लगभग 30-40 मार्ग लिए गए हैं। इन मार्गों के निर्माण में मानक के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय समविकास योजना के तहत पुल निर्माण के लिए धन दिया गया है, लेकिन वह काम भी नहीं हो रहा है।

इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत कई अन्य विभागों को दिए गए पैसे, चाहे वह बिजली विभाग हो या सिंचाई विभाग, की बंन्दरबांट हो रही है और उसका जिस तरह सही तरीके से उपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि जो सड़कें बनाई जा रही है, उनमें राष्ट्रीय समविकास योजना के अंतर्गत यहां से जो गाइडलाइन्स जाती हैं, उनके तहत बोर्ड लगाना चाहिए और उसका उद्घाटन कम से कम क्षेत्रीय सांसद द्वारा कराया जाना चाहिए। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां जो भी घटिया किस्म की सामग्री लगाई जा रही है, गलत काम किए जा रहे हैं, उनकी जांच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वहां एक टीम भेजकर जांच कराई जाए और जो सड़कें खराब हो गयी हैं, उन्हें ठीक कराया जाए।

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): सभापति महोदय, राजस्थान के टोंक जिले में बीसलपुर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण हुए बहुत समय हो चुका है। परियोजना क्षेत्र में नहरों एवं वितरिकाओं के निर्माण का कार्य राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा पूरा किया जा चुका है, लेकिन बांध द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता का वास्तविक उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्योंकि खालों के निर्माण एवं ओ.एफ.डी. कार्यों हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत निर्माण कराने हेतु भारत सरकार के जल संसाधान मंत्रालय को प्रस्तुत किए लम्बा अर्सा गुजर जाने के उपरान्त अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्र सरकार द्वारा कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की मात्र तीन परियोजनाओं यथा (1) इन्दिरा गांधी नहर (2) चम्बल, एवं (3) सिद्धमुख नहर परियोजनाओं में ही कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में चार परियोजनाओं की सीमा में बीसलपुर परियोजना को चौथी परियोजना के रूप में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए। जिससे किसानों की कई लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं धर्म के आधार पर दलित इसाइयों के साथ किए जा रहे असंवैधानिक भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, भारत के अनुसूचित जाति के ईसाई अर्थात दलित ईसाई, अनुसूचित जातियों से संबंधित वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया।

दलित इसाई सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में हैं। परन्तु उन्हें अनुसूचित जातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। वे अनुसूचित जातियों को प्राप्त आरक्षण के विशेषाधिकार से वंचित हैं। यह स्पष्टतौर पर भेदभाव है।

संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है तथा अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार के मामले में समान अवसर का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 25 अंत:श्चेतना की स्वतंत्रता तथा धर्म को निर्बाध रूप से अपनाने, उस धर्म की रीतियों को अपनाने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

दलित ईसाई गत 59 वर्षों से अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जिन अनुसूचित जातियों ने सिक्ख और बौध धर्म को अपनाया उन्हें संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और 1956 और 1990 में किए गए अन्य संशोधनों के अनुसार आरक्षण का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। यथासंशोधित संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950, भेदभावकारी है तथा अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। ईसाई धर्म को अपनाने वाली अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक अशक्तता उनके द्वारा धर्मान्तरण किए जाने के बावजूद समाप्त नहीं हुई है। अत:, दलित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ न देना असंवैधानिक है, यह लाभ उन्हें प्रदान किये जाने चाहिए

[डा. के.एस. मनोज]

तथा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

रात्रि 8.23 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 21 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है। महोदय, मैं 21 अगस्त, 2006 को राज्य सभा द्वारा यथापारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 को सभा पटल पर रखता हूं।"

[अनुवाद]

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर): सभापति महोदय, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के इस विध्वंस के बीच कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो गंभीर सूखे की स्थिति झेल रहे हैं। तुमकुर भी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। वहां पीने का पानी नहीं है। पशुओं के लिए चारा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। शीरा, तुमकुर, चिक्कनायकना हल्ली तथा उनके आस-पास के क्षेत्र सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। क्योंकि वहां पिछले छः महीने से वर्षा नहीं हुई है।

केन्द्र ने महाराष्ट्र के लिए 3750 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। केन्द्र ने कुछ अन्य राज्यों हेतु भी पैकेजों की घोषणा की है। परन्तु अभी तक कर्नाटक विशेषकर तुमकुर के सूखाग्रस्त क्षेत्र हेतु पैकेज के बारे में कुछ नहीं किया गया है। यदि स्थिति इसी प्रकार बनी रहती है तो किसान समस्याग्रस्त रहेंगे तथा किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ेंगी।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

नारियल और सुपारी के पेड़ एक-एक करके गिर रहे हैं। तुमकुर क्षेत्र की मुख्य फसल रागी की अभी तक बुआई नहीं हुई है। इस दयनीय स्थिति का परिणाम यह हुआ है कि जुआर, सेम, मक्का आदि जैसे सभी खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी किसान के पास कोई फसल बीमा नहीं है। राज्य सरकार ने तुमकुर में इस स्थिति पर ध्यान दिया है। परन्तु, उसके पास निधियां नहीं हैं। अतः, उन्होंने केन्द्र से पहल करने तथा राहत उपायों हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करने का अनुरोध किया है। अतः, महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय कृषि मंत्री से कर्नाटक में तुमकुर निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए कम से कम दस करोड़ रुपये का आवंटन करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे इस देश के लोगों के मन में भय व्याप्त हो रहा है। कोका कोला और पेप्सी कोला इंडिया द्वारा निर्मित और विपणन किए जा रहे पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की मांग आम जनता विशेषकर छात्रों तथा शिक्षाविदों में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोला पेय पदार्थों में पाए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा अनुमत सीमा से काफी अधिक है जो कि उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी चेतावनी दी जा रही है कि पेय पदार्थों में मौजूद ये कीटनाशक धीमे विष का कार्य करते हैं तथा लंबी अवधि में घातक सिद्ध हो सकते हैं। विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सी एस ई) ने भी इन निष्कर्षों की पुष्टि की है। न्यायालयों ने सरकार को इन घातक तत्वों की ओर ध्यान देने का आदेश दिया है। कई राज्य सरकारों ने केन्द्र से इन पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया है जबकि कुछ राज्यों ने आंशिक अथवा पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकार को कुटीर उद्योग के खोए हुए आत्मविश्वास को लौटना चाहिए तथा यदि कोला पेय बनाने वाली बड़ी कंपनियों की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए तो लघु उद्योग विनिर्माण इकाइयां पुनः जीवित हो सकती हैं। कच्चे नारियल, शहद और विशेषकर विभिन्न प्रकार के रसदार फलों जैसे कृषि उत्पादों से तैयार पेय पदार्थों के विनिर्माण और विपणन को प्रोत्साहन तथा सरकार द्वारा राज-सहायता प्रदान की जा सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ देश का आर्थिक विकास करने में मदद मिलेगी।

हमें कोला कंपनियों द्वारा दिए गए उत्तरों तथा उनके द्वारा न्यायालयों में दायर जवाबी हलफनामों के दबाव में नहीं आना चाहिए जिसमें कि उन्होंने अपने इन निर्रथक तर्कों को जोर-शोर से प्रस्तुत किया है कि कीटनाशकों के संबंध में यूरोपियन फार्मूलों का पालन किया जा रहा हैं जिस पर स्वयं यूरोप में भी प्रतिबंध लगा हुआ है तथा हमारी सरकार ने भी अनुमति नहीं दी है।

अत:, मैं सरकार से इन पेय पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा उनके स्थान पर प्राकृतिक पेय पदार्थों को बढ़ावा देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): चेयरमैन साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं लास्ट स्पीकर हूं जो आपके जरिये, आपकी विरासत से सरकार और खासकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब की तवज्जोह, एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट का वाक्या जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी जम्मू-पूंछ, जिला राजौरी और दराल में हुआ है, जिसमें 15 लोगों की जानें तलफ हो गयीं और 24 लोग शदीदी तौर पर जख्मी हुए हैं। मेरी आपके विरासत से, सरकार से और खासकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से अर्जदाश्त है और पहले तो मैं आपके थ्रू जिनकी जानें चली गयी और जो जख्मी हुए हैं, उनके ल्वहाकीन के साथ हमदर्दी और अफसोस अर्ज करता हूं। साथ ही अर्ज करता हूं कि उनके परिवारों को कम्पनसेशन या मुआवजा दिया जाए और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि दराल और रजौरी के बीच जो बहुत बड़ा नाला है जो 150 मीटर गहरा है और साथ में पहाड़ी है और बहुत ही तंग रास्ता है तो उसको अंडर सीआरएफ और पीएमजीएसवाई से उस रोड को वाइड किया जाए। चार महीने पहले भी इस किस्म का वाक्या हुआ था जिसमें 60 लोगों की जानें चली गयी थीं और वहां इस किस्म के रोज वाक्यात हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए फौरी इंतजामात किये जाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल 24 अगस्त, 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.29 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार पूर्वाह्न 24 अगस्त, 2006/ 2 भाद्र 1928 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री परसुराम माझी	386
2.	श्री काशीराम राणा प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	387
3.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	388
4.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा श्री रशीद मसूद	389
5.	श्री पी.सी. थामस	390
6.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	391
7.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी श्री हंसराज जी. अहीर	392
8.	श्री अविनाश राय खन्ना	393
9.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	394
10.	श्री उदय सिंह श्री अधीर चौधरी	395
11.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्रीमती मनोरमा माधवराज	396
12.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री धर्मेन्द्र प्रधान	397
13.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	398
14.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री रवि प्रकाश वर्मा	399
15.	श्री फुरकान अंसारी श्री ब्रजेश पाठक	400
16.	श्री दलपत सिंह परस्ते	401
17.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	402
18.	श्री प्रबोध पाण्डा श्रीमती प्रतिभा सिंह	403
19.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री कीर्ति वर्धन सिंह	404
20.	श्री सुरेश कलमाडी	405

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	3119
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3104
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3165, 3172, 3199
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	3134
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3125, 3168, 3200, 3239
6.	अजय कुमार, श्री एस.	3106
7.	अंसारी, श्री फुरकान	3134
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	3145
9.	आठवले, श्री रामदास	3073, 3203
10.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	3043, 3166
11.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	3098
12.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	3029, 3220
13.	बैठा, श्री कैलाश	3020
14.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3076, 3175, 3209 3246
15.	बर्मन, श्री हितेन	3087, 3233
16.	बर्मन, श्री रनेन	3048, 3183
17.	बखला, श्री जोवाकिम	3056, 3188
18.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3226
19.	भगोरा, श्री महावीर	3164
20.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3149
21.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3232

1	2	3
22.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3026, 3176
23.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3057
24.	बोस, श्री सुब्रत	3017, 3190
25.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	3162
26.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3244
27.	चन्द्र कुमार, प्रो.	3050, 3154
28.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3125
29.	चारेनामै, श्री मणि	3113
30.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3151
31.	चाक्ड़ा, श्री हरिसिंह	3084, 3089, 3214
32.	चिन्ता मोहन, डा.	3075, 3212
33.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3124, 3241
34.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3162
35.	चौधरी, श्री बंसगोपाल	3064, 3222
36.	चौधरी, श्री पंकज	3236, 3157
37.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	3156
38.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	3088, 3122, 3223, 3239
39.	देवरा, श्री मिलिन्द	3025, 3193
40.	धनराजू, डा. के.	3077, 3100
41.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	3227
42.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	3090
43.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3051, 3096
44.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	3117
45.	गढ़वी श्री पी.एस.	3076, 3209
46.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3108, 3231
47.	गमांग, श्री गिरिधर	3052

1	2	3
48.	गांधी, श्रीमती मेनका	3132
49.	गंगवार, श्री संतोष	3031, 3200
50.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3164
51.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	3154
52.	गोहेन, श्री राजेन	3054
53.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3118
54.	गुढ़े, श्री अनंत	3128
55.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3218
56.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	3108
57.	जगन्नाथ, डा. एम.	3115, 3229
58.	जय प्रकाश, श्री	3036
59.	जयाप्रदा, श्रीमती	3071
60.	झा, श्री रघुनाथ	3107, 3216
61.	जिन्दल, श्री नवीन	3066
62.	जोगी, श्री अजीत	3147, 3243
63.	जोशी, श्री कैलाश	3065, 3133, 3194
64.	जोशी, श्री प्रहलाद	3154
65.	कनोडीया, श्री महेश	3076, 3211
66.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3076
67.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3045, 3182
68.	खां, श्री सुनील	3023, 3187
69.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3114, 3228
70.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	3041
71.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3130, 3189
72.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3043, 3180, 3239
73.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3060

1	2	3
74.	कोया, डा. पी.पी.	3161
75.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3116
76.	कृष्ण, श्री विजय	3097, 3210
77.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	3099
78.	कुरूप, श्री सुरेश	3077, 3121, 3200
79.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3075, 3139
80.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3127, 3245
81.	माधवराव, श्रीमती मनोरमा	3140
82.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3047, 3134, 3204
83.	महताब, श्री भर्तृहरि	3032
84.	महतो, श्री टेक लाल	3123
85.	माझी, श्री परसुराम	3224
86.	माने, श्रीमती निवेदिता	3108, 3231
87.	मनोज, डा. के.एस.	3080
88.	मसूद, श्री रशीद	3140, 3198
89.	मेघवाल, श्री कैलाश	3018, 3173
90.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3100, 3163
91.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3109, 3243
92.	मैन्या, डा. टोकचोम	3150
93.	मिश्रा, डा. राजेश	3021, 3119, 3226
94.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3092, 3211
95.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	3133, 3228
96.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3053
97.	मोहन, श्री पी.	3122, 3135
98.	मो. ताहिर, श्री	3042, 3120, 3160, 3196, 3237
99.	मोहिते, श्री सुबोध	3022, 3186
100.	मुन्शी राम, श्री	3120, 3237
101.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3049, 3185, 3237
102.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3181
103.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3116
104.	नायक, श्री अनन्त	3033, 3197, 3240
105.	नायक, श्रीमती अर्चना	3035, 3191
106.	निहाल चन्द, श्री	3143
107.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	3030, 3195
108.	ओराम, श्री जुएल	3062, 3240
109.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3179
110.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3034, 3174, 3218
111.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3077, 3242
112.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3181
113.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3125
114.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3214
115.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3200, 3205
116.	पाठक, श्री ब्रजेश	3170
117.	पाठक, श्री हरिन	3092, 3095, 3211
118.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3072, 3206, 3231, 3237
119.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3044
120.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3039
121.	पटले, श्री शिशुपाल	3042, 3105, 3120, 3160, 3217
122.	पिंगले, श्री देविदास	3094

1	2	3
123.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3126
124.	प्रभु, श्री आर.	3101
125.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3223
126.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3089, 3225
127.	राजगोपाल, श्री एल.	3110
128.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3138
129.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3082, 3219
130.	राणा, श्री काशीराम	3211, 3225
131.	राणा, श्री रबिन्दर कुमार	3153
132.	राव, श्री के.एस.	3111
133.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3068
134.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3096
135.	रावले, श्री मोहन	3070, 3231
136.	रावत, श्री अशोक कुमार	3042, 3120, 3160, 3237
137.	रावत, श्री धनसिंह	3164
138.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3102, 3215
139.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3028, 3040, 3100
140.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	3112
141.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3103, 3221
142.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3061
143.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3088, 3122, 3223, 3239, 3244
144.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3130
145.	साई प्रताप, श्री ए.	3140
146.	सज्जन कुमार, श्री	3146, 3226
147.	संगलिअना, डा. एच. टी.	3086
148.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3071, 3207
149.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3130
150.	सरोज, श्री तूफानी	3142
151.	सत्पथी, श्री तथागत	3058
152.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3208
153.	सेनथिल, डा. आर.	3121, 3200
154.	सेठी, श्री अर्जुन	3158
155.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3040, 3130, 3198, 3213
156.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3153, 3236
157.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3093, 3235
158.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3165, 3172, 3199
159.	शिवन्ना, श्री एम.	3069, 3201
160.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3042, 3105, 3120, 3155, 3160
161.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	3129
162.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3037, 3178
163.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3091
164.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3055, 3083
165.	सिंह, श्री लक्ष्मण	3159, 3203
166.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3077
167.	सिंह, श्री दुष्यंत	3074
168.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	3046, 3081
169.	सिंह, श्री मोहन	3125, 3152
170.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3079, 3202
171.	सिंह, श्री राकेश	3063, 3133
172.	सिंह, श्री सीताराम	3081, 3216, 3238

1	2	3
173.	सिंह, श्री सुग्रीव	3067, 3200, 3205
174.	सिंह, श्री उदय	3234
175.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3038, 3124, 3184
176.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	3076, 3211
177.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3033, 3059, 3192
178.	सुब्बारावण, श्री के.	3167
179.	सुगावनम, श्री ई. जी.	3024, 3113, 3177
180.	सुमन, श्री रामजीलाल	3139, 3212
181.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3131
182.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3019, 3169
183.	थामस, श्री पी.सी.	3230
184.	तुम्मर, श्री वी.के.	3083, 3137, 3204
185.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3085
186.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3236
187.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3078, 3191
188.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3027, 3171
189.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3165, 3172, 3199
190.	विजयशंकर, श्री सी.एस.	3144
191.	विनोद कुमार, श्री वी.	3238
192.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3141
193.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3133, 3137
194.	यादव, श्री भाल चन्द्र	3162
195.	यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद	3163
196.	यादव, श्री गिरिधारी	3047, 3213
197.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3042, 3120, 3237
198.	यादव, श्री राम कृपाल	3148
199.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3136

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	397
कोयला	:	400, 405
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	388
विदेश	:	393, 395, 401, 403
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	390
प्रवासी भारतीय कार्य	:	387, 389, 392, 404
पंचायती राज	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	386, 394, 398
अंतरिक्ष	:	396, 402
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	391
युवक कार्यक्रम और खेल	:	399

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	3033, 3036, 3043, 3097, 3221, 3232
कोयला	:	3023, 3024, 3042, 3064, 3100, 3123, 3134, 3139, 3141, 3166, 3186, 3187, 3213, 3224, 3231, 3234, 3240, 3241, 3243
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3017, 3021, 3022, 3025, 3026, 3031, 3040, 3055, 3061, 3063, 3070, 3072, 3082, 3099, 3101, 3103, 3104, 3105, 3107, 3108, 3111, 3117, 3124, 3130, 3136, 3137, 3140, 3143, 3146, 3147, 3162, 3168, 3169, 3173, 3201, 3205, 3223, 3227, 3229, 3235, 3239
विदेश	:	3029, 3066, 3086, 3106, 3122, 3125, 3157, 3167, 3193, 3214, 3222, 3236
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3027, 3028, 3037, 3041, 3046, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3057, 3067, 3073, 3077, 3078, 3087, 3090, 3093, 3094, 3095, 3114, 3116, 3120, 3131, 3132, 3145, 3148, 3152, 3155, 3161, 3171, 3172, 3176, 3177, 3179, 3185, 3194, 3195, 3196, 3197, 3199, 3202, 3215, 3237

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.—48/21/3/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।